रिपोर्ट 11.03.2013 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ अभ्युक्तियां
प्राक्कथन		**xi**
अध्याय – I		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवदेन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रोफाइल	1.2	1
राज्य सरकार का व्यय प्रोफाइल	1.3	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	1.6	
कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएं	1.6.1	4
विषयपरक लेखापरीक्षा	1.6.2	6
लेन-देनों की लेखापरीक्षा	1.6.3	7
सरकारी विभाग की सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा	1.6.4	10
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	11
लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी	1.8	
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	1.8.1	11
प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.8.2	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.8.3	12
अध्याय – 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
श्रम विभाग हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड	2.1	13
सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग का कार्यचालन	2.2	32

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्राक्कथन		**xi**
अध्याय – 1		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवदेन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रोफाइल	1.2	1
राज्य सरकार का व्यय प्रोफाइल	1.3	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	1.6	
कार्यक्रमों / गतिविधियों / विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएं	1.6.1	4
विषयपरक लेखापरीक्षा	1.6.2	6
लेन-देनों की लेखापरीक्षा	1.6.3	7
सरकारी विभाग की सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा	1.6.4	10
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	11
लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी	1.8	
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	1.8.1	11
प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.8.2	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.8.3	12
अध्याय – 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
श्रम विभाग हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड	2.1	13
सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग का कार्यचालन	2.2	32

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन	2.3	61
ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)	2.4	94
अध्याय – 3		
विषयपरक लेखापरीक्षा		
विकास और पंचायत विभाग ऐच्छिक अनुदानों के संवितरण तथा उपयोगिता में अनियमितताएं	3.1	123
नगर एवं ग्राम आयोजना, पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, जन स्वास्थ्य, पंचायत तथा विकास एवं विद्युत विभाग अवैध कालोनियों की वृद्धि	3.2	130
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम	3.3	136
गृह विभाग पेरोल/फरलो पर रिहा कैदी	3.4	140
अध्याय – 4		
संपादनों की लेखापरीक्षा		
नियमों का अननुपालन	**4.1**	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिला रैड क्रास सोसाइटी) अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन	4.1.1 (क)	145
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपर्याप्त मानीटरिंग तथा वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन	4.1.1 (ख)	147
सिंचाई विभाग डैम तटबंधों पर एकत्र, खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.1.2	148

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभाग निधियों का नियम विरूद्ध आहरण	4.1.3	150
औचित्य लेखापरीक्षा / अनुचित व्यय	**4.2**	
विधायी विभाग (हरियाणा विधान सभा) मुफ्त यात्रा सुविधा के भुगतान में अनियमितताएं	4.2.1	152
न्याय प्रशासन विभाग (महा अधिवक्ता) विधि अधिकारियों का दोषपूर्ण चयन	4.2.2	155
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) सड़क के एक ही भाग के पुनर्निर्माण पर परिहार्य व्यय	4.2.3	157
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंहगी सामग्री के क्रय पर परिहार्य व्यय	4.2.4	159
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चमक रहित गेहूं के प्रापण से हानि	4.2.5	161
परिवहन विभाग बस चैसियों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	4.2.6	162
नगर और ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) पैट्रोल पंपों से पट्टा किराए की अवसूली	4.2.7	164
निरीक्षण / शासन की विफलता	**4.3**	
शिक्षा विभाग एजुसैट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठापित टर्मिनलों का अक्रियान्वयन	4.3.1	165
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सरकारी खाते में राशियां जमा न कराने से ब्याज की हानि	4.3.2	169
बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3.3	170
अंबाला शहर की सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय	4.3.4	173
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) अपूर्ण भवन पर निष्फल व्यय	4.3.5	175

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
परिवहन विभाग बसों के अपेक्षानुरूप उपयोग के लिए चालकों तथा परिचालकों की कमी के कारण हानि	4.3.6	177
कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड) दोषपूर्ण आयोजना के कारण एग्रो मॉल के भवनों के अधूरे निर्माण पर निधियों का अवरोधन	4.3.7	179
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) उपकर की वापसी से ठेकेदारों को अनुचित लाभ	4.3.8	182
सोसायटी के लिए अनुचित पक्षपात	4.3.9	184
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग निजी कॉलोनी निर्माताओं को लाइसैंस प्रदान करना	4.3.10	185
अध्याय – 5		
सरकारी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा		
तकनीकी शिक्षा विभाग	5.1	189

परिशिष्ट

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन दर्शाने वाली विवरणी	1.8.1	229
1.2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई गंभीर अनियमितताओं के विवरण	1.8.1	230
1.3	31 मई 2012 को वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (सिविल प्रतिवेदनों) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण	1.8.3	231
1.4	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.8.3	232
1.5	लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों, जिन पर अभी सरकार को अन्तिम निर्णय लेना है, के विवरण	1.8.3	233
2.1	सांविधिक स्कीमों पर वर्ष-वार व्यय	2.1.11.1	234
2.2	असांविधिक स्कीमों पर वर्ष-वार व्यय	2.1.11.1	235
2.3	चयनित परिमंडलों एवं मंडलों की सूची	2.2.5	236
2.4	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल स्कीमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.7	237
2.5	विस्तृत बजट प्रावधान, संशोधित बजट एवं विभाग के व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.8.1	238
2.6	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत गाद न निकालने के विवरण	2.2.10.2	239
2.7	पश्चिमी जमुना नहर में सीवेज/बहिस्राव के निपटान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.10.4	240
2.8	अवमानक कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.11.2	241
2.9	भू-अधिग्रहण अधिकारी द्वारा लौटाई न गई राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.12.1	242
2.10	भूमि के म्यूटेशन के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.12.2	243
2.11	विभाग के राजस्व शीर्ष में जमा पड़ी राशियों के अहस्तांतरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.14.2	244

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
2.12	श्रमिक उपकर जमा न करने के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.14.3	245
2.13	नमूना-जांच किए गए यूनिटों की सूची	2.3.5	246
2.14	अतिक्रमण अधीन फालतू भूमि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10.1	247
2.15	भूमि के म्युटेशन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10.6	248
2.16	संस्वीकृत संख्या की तुलना में तैनात कर्मचारी दर्शाने वाली विवरणी	2.3.12	249
2.17	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव में वापस प्राप्त किए गए गलत भुगतानों के विवरण	2.3.13.2	250
2.18	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव में वापस प्राप्त किए गए अधिक भुगतानों के विवरण	2.3.13.2	251
2.19	चयनित जिलों, ब्लॉको एवं ग्राम पंचायत की सूची	2.4.5	252
2.20	ग्राम पंचायतों जहां ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त नहीं किए गए थे, को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.7.3	253
2.21	बैंक खाते से बाहर रखी गई निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.9.6	254
2.22	ग्राम पंचायत अभिलेखों एवं एम.आई.एस. रिपोर्ट के अनुसार जारी जॉब कार्ड में अंतर को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.10.2	255
2.23	जॉब कार्ड रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं करने वाली जी.पीज का विवरण	2.4.10.2	256
2.24	दिहाड़ियों के विलंबित भुगतान दर्शाने वाली विवरणी	2.4.11	257
2.25	ग्राम पंचायतों द्वारा मस्टर रोलों में कटिंग, ओवर राईटिंग के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.11	260
2.26	मस्टर रोलों में देखी गई विविध कमियां	2.4.11	261
2.27	सभी मौसमों में पहुंच प्रदान न करने वाले रास्तों (कच्चे रास्तों) में मिट्टी भराव कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.12	262
2.28	एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत खोदे गए/गहरे किए गए जल रहित तालाबों के विवरण	2.4.12	264
2.29	अधिनियम के अंतर्गत अननुमत सीमेंट कंक्रीट/इंटरलाकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट वर्क्स के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.12	265

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
2.30	'रंगोई खरीफ चैनल' (ब्लॉक रतिया) की क्षमता बढ़ाने पर किए गए कम कार्य के कारण कामगारों को मजदूरियों के अधिक भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.12	267
2.31	जॉब कार्ड धारकों, जो एम.आई.एस. रिपोर्ट पर दर्ज नहीं थे, को भुगतानों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.14	268
2.32	मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर रख-रखाव नहीं करने वाले जी. पीज का विवरण	2.4.14	269
2.33	कामगारों को अधिक भुगतान की गई दिहाड़ियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.14	270
2.34	शिकायत रजिस्टर का अननुरक्षण न करने वाली ग्राम पंचायतों के विवरण	2.4.15	272
2.35	उन मस्टर रोलों की संख्या जिनमें कामगारों की उपस्थिति एक से अधिक बार दर्ज की गई थी	2.4.16.2	273
3.1	उन मामलों, जिनमें उन्हीं संस्थानों को एक मंत्री द्वारा एक से अधिक बार अनुदान दिए गए थे, के जिलावार विवरण	3.1.5.1(ए)	274
3.2	अयोग्य संस्थानों को संवितरित अनुदानों के विवरण	3.1.5.1(ए)(iii)	275
3.3	नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के विवरण	3.1.5.1(बी)	276
3.4	मंत्री द्वारा उनके अपने विधान सभा क्षेत्र में अनुदानों के आबंटन/संवितरण दर्शाने वाले विवरण	3.1.5.1(सी)	278
3.5	जाति/क्षेत्रीय आधार पर गठित संस्थाओं को अनुदानों के विवरण	3.1.5.1(ई)	279
3.6	उन मामलों के विवरण जिनमें उन उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग नहीं किया गया था जिनके लिए वह संस्वीकृत किया गया था	3.1.5.2(ए)	280
3.7	उन मामलों के विवरण जिनमें लाभार्थियों द्वारा अनुदानों के उपयोग नहीं किए गए थे	3.1.5.2(बी)	282
3.8	उन मामलों, जिनमें बैंक खाते बंद नहीं किए गए थे, के विवरण	3.1.5.2(सी)	284
3.9	उन मामलों के विवरण जिनमें उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे	3.1.6 (ए)	288

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
3.10	पुन: जांच सर्वेक्षण के पश्चात् 60 वर्ष की आयु से कम के अपात्र लाभर्थियों तथा उन्हें प्रदत्त राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3.5.1	289
3.11	छोड़े गए/वापस आए/वापस नहीं आए कैदियों की संख्या (मार्च 2012) दर्शाने वाली विवरणी	3.4.4.1	290
4.1	एकत्र राशि जमा करने में विलंबों के विवरण	4.1.1 (बी)	291
4.2	छ: सोसाईटियों को हस्तांतरित तथा सरकारी खाते से बाहर एफ.डी.आरज/बचत बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी निधियों के विवरण	4.1.3	292
4.3	आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई/खजाने से आहरित तथा उत्कर्ष सोसाईटी के पास पृथक बैंक खाते में जमा करवाई गई राशि दर्शाने वाली विवरणी	4.1.3	293
4.4	उन मामलों, जिनमें मुफ्त यात्रा सुविधा (एफ.टी.एफ.) के अंतर्गत की गई यात्रा की अवधि के दौरान टी.ए. दावा किया गया था, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (ए)	294
4.5	मुफ्त यात्रा सुविध के कारण किए गए अधिक भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (बी)	296
4.6	वर्ष के दौरान उन्हीं पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई अनुवर्ती यात्राओं के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (सी)	299
4.7	एक दिन में आवृत की गई औसत दूरी दर्शाने वाली विवरणी	4.2.1 (सी)	302
4.8	लीज रैंट के कारण विभिन्न पेट्रोल कंपनियों से वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण	4.2.7	305
4.9	वाई.ए.पी.-2 के अंतर्गत राज्य प्राप्ति शीर्ष में जमा की गई कम निधियों के कारण ब्याज का परिकलन	4.3.2	306
4.10	काटे गए तथा ठेकेदारों को लौटाए गए उपकर दर्शाने वाले विवरण	4.3.8	307
5.1	तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची दर्शाने वाली विवरणी	5.1.2	308
5.2	लेखापरीक्षा के लिए चयनित यूनिटों की सूची	5.1.5	309
5.3	बैंक खातों तथा उनमें पड़ी निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.1.8.2	310

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
5.4	असमायोजित अस्थाई अग्रिमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	5.1.8.4	311
5.5	मार्च माह के दौरान व्यय के वेग के विवरण	5.1.8.5	312
5.6	राज्य में नए पोलिटैक्नीकों के निर्माण दर्शाने वाले विवरण	5.1.9.1	313
5.7	संकाय विकास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करवाई गई निधियों में से अतिथि अध्यापकों पर व्यय	5.1.9.4	314
5.8	संस्थानों में ट्रेड के बिना तैनात तथा लिपिकीए कार्य कर रहे शिक्षण स्टाफ के विवरण	5.1.11.3	315
5.9	संस्थान के पास पड़ी विद्यार्थियों की असंवितरित सिक्योरिटी दर्शाने वाली विवरणी	5.1.12.2	316
5.10	विद्यार्थियों द्वारा वापस न लौटाई गई पुस्कालय पुस्तकों की लागत के विवरण	5.1.12.3	317
5.11	उपलब्ध तथा छात्रों को प्रदान किए गए होस्टल आवास के विवरण	5.1.13.2	318
5.12	पोलीटैक्नीकों में असंवितरित पड़ी पाठ्य सामग्री के विवरण	5.1.15.2	319
	संकेताक्षरों की शब्दावली		321-326

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय-1, आडिटी प्रोफाइल्स, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन तथा प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर आवृत्त करता है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की विशिष्टताएं भी इस अध्याय में प्रदर्शित की गई हैं।

3. अध्याय-2, हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, सिंचाई विभाग, भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

4. अध्याय-3, विषयपरक आधारित लेखापरीक्षा आवृत करता है। अध्याय-4, विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि में संपादनों की लेखापरीक्षा आवृत्त करता है तथा अध्याय-5, तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा शामिल करता है।

5. वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन पृथकत: प्रस्तुत किया जाता है।

6. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में संव्यवहारित नहीं किए जा सके थे; 2011-12 से अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, सम्मिलित किए गए हैं।

7. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए (मार्च 2002) लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवदेन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार की चयन की गई स्कीमों, विभागों इत्यादि की निष्पादन/सैद्धांतिक लेखापरीक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र में विभागों तथा स्वायत्त निकायों के संपादनों की अनुपालना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन का प्रमुख उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम राज्य विधान-मण्डल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षण मानक अपेक्षा करते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए विषयी स्तर, संपादनों की प्रकृति, मात्रा तथा महत्ता के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यकारियों को सुधारात्मक कार्रवाइयां करने के साथ नीतियां एवं निर्देश तैयार करने के लिए सक्षम बनाने की प्रत्याशा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार राज्य के बेहतर अभिशासन की ओर योगदान देते हुए संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबन्धन होंगे।

अनुपालना लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षित सत्ताओं के व्यय प्राप्तियों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं से संबंधित संपादनों की जांच की ओर संकेत करती है कि भारत के संविधान के प्रावधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों की अनुपालना की जा रही है।

निष्पादन लेखापरीक्षा, उस सीमा का एक स्वतंत्र मूल्यांकन अथवा जांच है जहां तक एक संगठन, कार्यक्रम अथवा स्कीम मितव्ययिता, दक्षता एवं कारगरता से परिचालन करती है। इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। अध्याय-3 में विषयपरक लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं। अध्याय-4 में सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों में लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। अध्याय-5 तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा के कार्यचालन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रोफाइल

राज्य में सचिवालय स्तर पर मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिवों तथा प्रधान सचिवों/आयुक्तों एवं सचिवों, जो विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/निदेशकों तथा उनके अधीन अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता-प्राप्त हैं, की अध्यक्षता वाले कुल 56 विभाग हैं। सरकार द्वारा भरपूर निधिबद्ध 49 स्वायत्त निकायों तथा 207 अन्य स्वायत्त निकायों सहित 6,127 लेखापरीक्षा इकाईयां हैं, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के लेखापरीक्षा

अधिकार-क्षेत्र अधीन है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) के अंतर्गत 21 जिला परिषदें (जेड.पीज), 119 पंचायत समितियां (पी.एसज) और 6,155 ग्राम पंचायतें (जी.पीज) क्रियाशील थी, जिनमें से पांच जेड.पीज, 27 पी.एसज और 374 जी.पीज के वर्ष 2008-11 के अभिलेखों की नमूना-जांच वर्ष 2011-12 के दौरान की गई थी। शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज) के अंतर्गत नौ नगर निगम, 14 नगर परिषदें तथा 53 नगरपालिकाएं थी। वर्ष 2011-12 के दौरान 28 यू.एल.बीज (तीन नगर निगमों, सात नगर परिषदों तथा 18 नगरपालिकाओं) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई थी।

1.3 राज्य सरकार का व्यय प्रोफाइल

वर्ष 2011-12 के दौरान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे **तालिका 1** में दी गई है।

तालिका 1: 2007-12 की अवधि के लिए व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल
राजस्व व्यय															
सामान्य सेवाएं	41.63	5,188.05	5,229.68	54.16	5,970.31	6,024.47	68.02	7,687.33	7,755.35	65.84	9,262.30	9,328.14	64.36	10,155.47	10,219.83
सामाजिक सेवाएं	2,212.13	3,526.54	5,738.67	2,662.19	4,596.54	7,258.73	4,014.59	5,887.63	9,902.22	4,329.69	6,574.39	10,904.08	5,549.13	7,092.54	12,641.67
आर्थिक सेवाएं	921.75	5,300.13	6,221.88	1,201.56	5,834.19	7,035.75	1,632.16	5,897.75	7,529.91	1,855.98	6,140.75	7,996.73	2,178.50	6,875.47	9,053.97
सहायता अनुदान एवं अंशदान	–	336.64	336.64	–	215.78	215.78	-	69.91	69.91	-	81.24	81.24	-	99.42	99.42
कुल (1)	**3,175.51**	**14,351.36**	**17,526.87**	**3,917.91**	**16,616.82**	**20,534.73**	**5,714.77**	**19,542.62**	**25,257.39**	**6,251.51**	**22,058.68**	**28,310.19**	**7,791.99**	**24,222.90**	**32,014.89**
पूंजीगत व्यय															
पूंजीगत परिव्यय	3,410.74	15.43	3,426.17	3,989.86	511.81	4,501.67	4,203.29	1,015.19	5,218.48	3,845.01	186.09	4,031.10	1,018.17	4,354.17	5,372.34
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	25.92	259.58	285.50	20.44	311.87	332.31	615.76	213.93	829.69	538.5	183.37	721.87	262.86	364.21	627.07
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	–	840.92	840.92	–	1,291.84	1,291.84	-	2,745.97	2,745.97	–	3,971.08	3,971.08	-	4,037.14	4,037.14
आकस्मिक निधि	–	–	–	–	–	-	-	-	-	–	190	190	-	167.52	167.52
कुल	**3,436.66**	**1,115.93**	**4,552.59**	**4,010.30**	**2,115.52**	**6,125.82**	**4,819.05**	**3,975.09**	**8,749.14**	**4,383.51**	**4,530.54**	**8,914.05**	**1,281.03**	**8,923.04**	**10,204.07**
सकल योग	**6,612.17**	**15,467.29**	**22,079.46**	**7,928.21**	**18,732.34**	**26,660.55**	**10,533.82**	**23,517.71**	**34,051.53**	**10,635.02**	**26,589.22**	**37,224.24**	**9,073.02**	**33,145.94**	**42,218.96**

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य बजट में से पी.आर.आईज तथा यू.एल.बीज को आबंटित राशि **तालिका 2** में दी गई है।

तालिका 2: 2007-12 की अवधि के दौरान पी.आर.आईज तथा यू.एल.बीज को आबंटन की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

संवितरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	103.22	464.45	306.24	291.43	894.67
जिला परिषदे एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएं	93.88	412.16	366.26	267.83	722.40
कुल	**197.10**	**876.61**	**672.5**	**559.26**	**1,617.07**

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 (2) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त किया गया है। सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 13[1] के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. संचालित करता है। 49 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19(3)[2] तथा 20(1)[3] के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में सी.ए.जी. एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। इसके अतिरिक्त, सी.ए.जी. उन 207 अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14[4] के अंतर्गत करता है जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निधिबद्ध किया जाता है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत तथा पद्धतियां सी.ए.जी. द्वारा 2007 में जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षण मानकों (मार्च 2002) एवं विनियमनों में निर्धारित किए गए हैं।

1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, किए गए व्यय, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियंत्रणों के निर्धारण तथा स्टेकहोल्डर्स की चिन्ताओं पर आधारित विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्त निकायों तथा स्कीमों/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिमों के निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कवायद में पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन यूनिट/विभाग के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

1 (i) राज्य की समेकित निधि से सभी लेन-देनों, (ii) आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देनों, तथा (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन-पत्र तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

2 संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित अथवा बनाए गए कानून के अंतर्गत निगमों (कंपनियां न होने पर) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

3 ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जिन पर सी.ए.जी. तथा सरकार के मध्य सहमति हो, राज्यपाल के आग्रह पर किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

4 राज्य की समेकित निधि से अनुदानों या ऋणों द्वारा भरपूर निधिकृत निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुदान या ऋण दिए गए हैं।

2011-12 के दौरान 6,127 लेखापरीक्षा इकाइयों में से 1,414 इकाइयों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा करने के लिए तथा तीन विभागों, एक बोर्ड, एक जिले[5] तथा विभिन्न विभागों से आवेष्टित ''भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन'' शीर्षक पर निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए 7,698 पार्टी-दिवसों[6] का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाइयों/संस्थानों को आवृत्त किया जो हमारे निर्धारण के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों से असुरक्षित थे।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में सम्मिलित हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा, सिंचाई विभाग, भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यचालन, तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्यविधि, विषयपरक लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा संपादन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.6.1.1 हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड

भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवाशर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996 भारत सरकार द्वारा रोजगार और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों की सेवा शर्तों के नियमन के विचार से बनाया गया था। हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड (बोर्ड) और अधिनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वन त्रुटिपूर्ण था। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवाशर्तों का नियमन) नियम, 2005 के बारे अधिसूचना जारी करने, हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड और सलाहकार समिति के गठन में नौ वर्ष का विलंब था। 2007-12 के दौरान ₹ 634.71 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध केवल ₹ 15.11 करोड़ का व्यय किया गया। छः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडलों द्वारा एकत्रित ₹ 1.50 करोड़ की राशि का उपकर बोर्ड के पास जमा नहीं करवाया गया। निर्माण कर्मियों के नियोक्ताओं के रूप में ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए पहल एवं पंजीकृत कर्मियों की सदस्यता के नवीनीकरण के लिए अभिप्रेरण का अभाव था। बोर्ड द्वारा प्रतिपादित सांविधिक स्कीमों जैसे पैंशन, पारिवारिक पैंशन, अयोग्यता पैंशन इत्यादि तथा कुछ विशिष्ट स्कीमें जैसे निर्माण कर्मियों और छात्रों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधाएं, चिरकालिक रोगों की आवृति का कार्यान्वन नहीं किया गया। बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी थी जो कि अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वन के लिए अपर्याप्त थी। राज्य स्तर पर मानिटरिंग पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वार्षिक रिर्टनें बोर्ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई। बोर्ड में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.1)

[5] जिला लेखापरीक्षा के परिणाम एकल प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए जाने हैं।

[6] सामान्य क्षेत्र: पार्टी-दिवस-948 (लेखापरीक्षित इकाई: 116), आर्थिक क्षेत्र: पार्टी-दिवस-2,721 (लेखापरीक्षित इकाई: 228) तथा सामाजिक क्षेत्र: पार्टी-दिवस-4,029 (लेखापरीक्षित इकाई: 1,070)।

1.6.1.2 सिंचाई विभाग का कार्यचालन

सिंचाई विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा ने योजना का अभाव, सिंचाई के अंतर्गत आवृत क्षेत्र के उद्देश्यों की अप्राप्ति, स्कीमों का धीमा और सुस्त कार्यान्वयन इत्यादि प्रकट किया। राज्य में 29.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर संभाव्य सिंचाई के सृजन के विरूद्ध संभाव्य सिंचाई की उपयोगिता 21.13 लाख हैक्टेयर थी। यमुना नदी के साथ बाढ़ बचाव कार्यो की स्कीम को संशोधित करने में देरी के कारण राज्य सरकार ₹ 83.40 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में विफल रही। हथनी कुंड बैराज की लागत को अन्तिम रूप देने में मामला केन्द्रीय जल आयोग को देरी से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप सदस्य राज्यों से ₹ 122.52 करोड़ की राशि के अंश अप्राप्त रहे। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के पैटर्न पर विभाग द्वारा निविदा शुल्क संशोधित न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। दादुपुर–नलवी सिंचाई परियोजना, जिस पर ₹ 126.11 करोड़ खर्च किए गए, किसानों के विरोध के कारण अकार्यान्वित रही क्योंकि उन्हें पानी केवल वर्षा के मौसम में उपलब्ध होगा जब उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं थी। नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च किए गए ₹ 13.11 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ा था। 26 क्यूसिस मलजल और बहिस्राव जल पश्चिमी जमुना नहर में छोड़ने के परिणामस्वरूप इससे आगे प्रदूषण हुआ। विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारियों से शेषों को सुनिश्चित करने बारे कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी, इसके परिणामस्वरूप उनके पास ₹ 4.92 करोड़ अवरूद्ध पड़े रहे।

(अनुच्छेद 2.2)

1.6.1.3 भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन

भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन की निष्पादन लेखापरीक्षा से नियोजन, भूमि के अधिग्रहण, व्यक्तियों, ट्रस्टों, भवन–निर्माताओं को अनुचित पक्षपात पहुंचाकर अधिग्रहण की प्रक्रिया से भूमि अनियमित ढंग से रिलीज करने, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इत्यादि में कमियां ध्यान में आई। इसके अतिरिक्त, नियम एवं शर्तो के उल्लंघन में भूमि बेचने की अनुमति प्रदान करने का एक मामला था। ₹ 6.49 करोड़ राशि की भूमि क्षतिपूर्ति 12 व्यक्तियों को भुगतान कर दी गई जो कि भूमि के स्वामी नहीं थे, जबकि 15 व्यक्तियों को ₹ 1.55 करोड़ उनकी हकदारी से अधिक भुगतान कर दिए गए। निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ के ब्याज का अपरिहार्य भुगतान किया गया। अतिरिक्त महा–अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति को कम न करने से संबंधित अनधिकृत पक्ष लेने के कारण, सरकार को ₹ 40.62 करोड़ की वसूली छोड़नी पड़ी। बाह्य विकास शुल्कों की वसूली की निगरानी हेतु हुडा के संपदा कार्यालयों द्वारा उचित यंत्रावली विकसित नहीं की गई, जबकि भूमि के रिलीज के मामलों में ₹ 167 करोड़ की धनराशि की बड़ी वसूली आवेष्टित थी।

(अनुच्छेद 2.3)

1.6.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा से कुछ सीमा तक स्थिरता एवं सुनिश्चित आय के साथ कर्मियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार प्रकट हुआ। तथापि, वेतनों के विलंबित भुगतान, जाली (मस्टर रोल) तैयार करने, वेतन के दोहरे भुगतान इत्यादि के कई मामले थे। जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम में ₹ 10.06 करोड़ की राशि के वेतन में अन्तर में राज्य सरकार अंशदायी नहीं थी जिसके कारण भारी संख्या में लाभार्थी स्कीम के लाभों से वंचित थे। केवल 23 से 42 प्रतिशत जॉब कार्डधारकों को रोजगार प्रदान किया गया था जिसमें से केवल एक से पांच प्रतिशत को 100 दिन के लिए गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया गया। दो गांवों में ₹ 2.60 लाख की राशि के वेतन के भुगतान से आवेष्टित कार्मिकों की काल्पनिक नियुक्ति देखी गई। 25 मामलों में कटिंग, ओवर राइटिंग, मिटाने इत्यादि के माध्यम से मस्टररोलज की छेड़छाड़ और 11 मामलों में मस्टररोज में बैंक खाता संख्या दर्ज न करने, मस्टररोल और एम.आई.एस. रिपोर्टों में लाभार्थियों के नामों का असंयोजन, एम.आई.एस. में मस्टररोल या संख्या दर्ज न करने इत्यादि जैसी विभिन्न त्रुटियां लेखापरीक्षा में देखी गई। ₹ 138.92 लाख की राशि मिट्टी की सड़कों पर खर्च की गई जो न तो टिकाऊ और न ही सभी मौसमों में अभिगम्य थी। ₹ 81.45 लाख का व्यय 19 तालाबों की खुदाई और गहरा करने में किया गया जो बिना पानी के थे। 16 जी.पीज द्वारा पेवर ब्लॉक गलियों की सीमेंट कंक्रीट/अन्त:पाश पर ₹ 80.15 लाख व्यय किए गए जो अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था। वन विभाग ने वन्यकरण पर ₹ 23.82 लाख की राशि व्यय की थी परंतु निरीक्षण के दौरान अपर उपायुक्त, अंबाला ने पाया कि कोई पौधारोपण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.4)

1.6.2 विषयपरक लेखापरीक्षा

मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्य संसदीय सचिवों तथा संसदीय सचिवों द्वारा संस्वीकृत ₹ 12.97 करोड़ की राशि के ऐच्छिक अनुदान उन्हीं संस्थाओं को बार-बार निर्मुक्त किए गए थे। ₹ 1.93 करोड़ के बाईस अनुदान, नीति मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों हेतु निर्मुक्त किए गए थे। 23 मामलों में, ₹ 1.62 करोड़ के अनुदान, कार्यो जिनके लिए ये संस्वीकृत किए गए थे, से अन्य के लिए प्रयुक्त किए गए थे। ₹ 1.60 करोड़ के सोलह अनुदान पूर्णत: प्रयुक्त नहीं किए गए थे। 89 प्रतिशत मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1)

नगरों/शहरों के इर्द-गिर्द अनधिकृत कालोनियों का अव्यवस्थित विकास था। अनधिकृत कालोनियों को नियंत्रित करने हेतु अधिनियमों एवं नियमों में वर्तमान प्रावधान, विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा लागू नहीं किए जा रहे थे क्योंकि भूमि के बिक्री विलेख पंजीकृत किए जा रहे थे। जल आपूर्ति एवं विद्युत कनैक्शन, टी.सी.पी.डी./एम.सीज से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना निर्मुक्त किए गए थे। पुलिस विभाग ने भी, अनधिकृत कालोनियों का अव्यवस्थित विकास रोकने हेतु नियमों में यथा प्रावधानित कार्यवाही नहीं की थी।

(अनुच्छेद 3.2)

लाभग्राहियों के दोषपूर्ण चिन्हीकरण के परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्तियों को ₹ 16.73 करोड़ की राशि के बुढ़ापा सम्मान भत्ते का भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.3)

जेल तथा पुलिस विभागों के मध्य समन्वय की कमी के कारण 2007 – 11 के दौरान पैरोल/फरलो पर निर्मुक्त 68 कैदी मुक्त रहे, जिनमें से 49 घिनौने अपराधों में संलिप्त थे। 28 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 से 224 दिनों के विलंब के बाद दर्ज की गई थी तथा 31 मामलों में ₹ 85.50 लाख के श्योरिटी बोंड्स जब्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.4)

1.6.3 लेन – देनों की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन ने विवेचनात्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों पर प्रकाश डाला जिन्होंने सरकारी विभागों तथा संगठनों के प्रभावी कार्य – कलापों को प्रभावित किया। इन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

- नियमों का अननुपालन।
- औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय।
- निरीक्षण/अभिशासन की विफलता।

1.6.3.1 नियमों की अननुपालना

दुरूस्त वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजनों तथा छल – प्रपंचों को रोकता है बल्कि उपयुक्त वित्तीय अनुशासन के अनुरक्षण में भी मदद करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 230.58 करोड़ से आवेष्टित नियमों की अननुपालना के दृष्टांत समाविष्ट हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

वाहनों तथा ड्राईविंग लाइसैंसों के पंजीकरण प्रमाण – पत्रों के जारी करने पर उद्गृहीत सेवा प्रभारों की प्राप्तियों एवं जमा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण न होने से जिला रैड क्रास सोसाइटी, मेवात, नूंह में ₹ 18.46 लाख का गबन हुआ।

(अनुच्छेद 4.1.1(क))

वित्तीय नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों, पानीपत तथा मोहिन्द्रगढ़ के कार्यकारी अभियंता/उप – मंडल अभियंता, की विफलता ने जल एवं सीवरेज प्रभारों के संग्रहण एवं जमा से ₹ 10.30 लाख के गबन को सुगम बना दिया।

(अनुच्छेद 4.1.1(ख))

घग्गर जल सेवाएं मंडल, पंचकूला में नींव से खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग कौशल्या डैम के तटबंधों में न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.1.2)

शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभागों ने बजटीय आबंटनों के रूप में ₹ 228.38 करोड़ की निधियां आहरित की तथा उन्हें अनियमित ढंग से समितियों को हस्तांतरित कर दिया जिन्होंने इन निधियों को सरकारी खातों से बाहर रखा जिसके परिणामस्वरूप न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि इससे सरकारी खाते भी गलत हो गए।

(अनुच्छेद 4.1.3)

1.6.3.2 औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय

लेखापरीक्षा ने ₹ 14.33 करोड़ से आवेष्टित अनौचित्यपूर्ण तथा अधिक व्यय के दृष्टांतों का पता लगाया, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

हरियाणा विधान सभा के पन्द्रह सदस्यों ने उसी अवधि, जिसके दौरान उन्होंने मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए ₹ 23.20 लाख का दावा किया था, के लिए यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किए। छब्बीस सदस्यों को एक ही वित्तीय वर्ष में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ दो बार दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 50.73 लाख का अधिक भुगतान हुआ। चौबीस विधान सभा सदस्यों तथा उनके परिवारों ने एक ही वर्ष में एक से अधिक बार यात्राएं कीं तथा एक से अधिक बार की गई यात्राओं के लिए ₹ 47.61 लाख आहरित किए।

(अनुच्छेद 4.2.1)

न्याय प्रशासन विभाग द्वारा बिना वर्कलोड के आकलन और बिना आवेदन मांगने के विधि अधिकारियों को काम पर रखे जाने से ₹ 2.22 करोड़ का बेवजह भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.2)

प्रोविंसियल मंडल 1, रोहतक तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड द्वारा सड़क के एक ही हिस्से को चौड़ा करने और संवर्द्धन करने पर व्यय करने से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.3)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ने कम लागत वाली निम्न कार्बन वाली गल्वेनाइज्ड केज टाईप वी वायर वाऊंड (एल.सी.जी.) स्क्रीनों के स्थान पर उच्च लागत वाली लोहे के केज टाईप वी वायर वाऊंड (एस.एस.) स्क्रीनें खरीदीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.4)

कैथल और कुरूक्षेत्र के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों ने भारतीय खाद्य निगम के लिए चमक रहित गेंहूं का प्रापण किया जिस वजह से उन्हें मिलने वाली धन वापसी राशि में से ₹ 1.46 करोड़ की कटौती की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 4.2.5)

परिवहन विभाग द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित कीमतों पर विचार किए बिना टाटा कंपनी की 337 बस चैसियों की खरीद करने से ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.6)

1.6.3.3 निरीक्षण/अभिशासन की विफलता

स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं मूलभूत संरचना, जन सेवा इत्यादि के उन्नयन के क्षेत्रों में कुछ लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में लोगों के जीवन की गुणवत्ता का सुधार करना सरकार का दायित्व है। लेखापरीक्षा ने तथापि कुछ ऐसे दृष्टांत देखे जहां समुदाय के लाभ हेतु जन परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सरकार द्वारा जारी की गई ₹ 197.64 करोड़ की निधियां अनिश्चितता, प्रशासनिक निरीक्षण की कमी तथा विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्रवाई के कारण अप्रयुक्त/अवरूद्ध रही तथा/या निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ मामले नीचे उल्लिखित है।

उत्कर्ष संस्था द्वारा मानीटरिंग के अभाव से एजुसैट कार्यक्रम के अधीन ₹ 90.59 करोड़ व्यय करके प्रतिष्ठापित 56 प्रतिशत टर्मिनल अक्रियाशील रहे। सोसायटी द्वारा स्थलों की पहचान न करने से इसरो से ₹ 0.69 करोड़ के उपकरण प्राप्त नहीं हुए। आगे, आर.ओ.टीज की मरम्मत के लिए रखी गई ₹ 0.61 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.1)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निधियों को सरकारी खाते में जमा न कराने से ₹ 1.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, इसके अतिरिक्त, बैंक में ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में निधियां रखने के कारण ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.3.2)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 1, कैथल द्वारा अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए बिना उचित प्रबंध किए, पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल अपवाहिका तथा पंप हाउस के निर्माण पर किया गया ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(अनुच्छेद 4.3.3)

राष्ट्रीय राजमार्ग - I के साथ ट्रंक सीवर डालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना, कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल अंबाला कैंट ने अंबाला शहर में सीवरेज स्कीम पर कार्य आरंभ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.4)

क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा निर्माण कार्य की व्याप्ति का आकलन किए प्रोविंसियल मंडल, यमुनानगर ने जिला सैनिक विश्राम गृह का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरूप भवन अधूरा रह गया, जिससे ₹ 88.89 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.5)

बसों को चलाने के लिए स्टाफ की व्यवस्था किए बिना परिवहन विभाग ने जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन की शहरी बस सेवा स्कीम के अधीन फरीदाबाद डिपो के लिए 102 बसें खरीदीं जिसके परिणामस्वरूप उनका 53 प्रतिशत तक अपेक्षा से कम उपयोग हुआ, इसके अतिरिक्त मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई।

(अनुच्छेद 4.3.6)

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पंचकूला, करनाल, पानीपत तथा रोहतक में चार एग्रो मॉल का निर्माण उनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों तथा ड्राइंग्स को अन्तिम रूप दिए बिना आरंभ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ये भवन अधूरे रह गए, जिससे ₹ 132.52 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.7)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पांच निर्माण कार्य मंडलों द्वारा ठेकेदारों को मजदूरी उपकर की वापसी के परिणामस्वरूप ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा।

(अनुच्छेद 4.3.8)

1.6.4 सरकारी विभाग की सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा

तकनीकी शिक्षा विभाग

तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सैक्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर को सम्मिलित करते हुए अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करता है। विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा ने स्कीमों की प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध तथा कार्यान्वयन में त्रुटियां प्रकट की। कक्षाओं, छात्रावासों, डिस्पेन्सरियों आदि हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचना थी। पॉलीटैक्निकों द्वारा तुरन्त आवश्यकता के बिना आहरित ₹ 14.53 करोड़ सरकारी लेखे से बाहर रहे। चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नीवाला मोटा को दी गई ₹ 12.22 करोड़ की अनुदान सहायता अव्ययित रही। एस.सी. विद्यार्थियों को ₹ 17.17 लाख का अनुरक्षण भत्ता उनकी हकदारी के आधिक्य में दिया गया था। फैकल्टी विकास कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई ₹ 3.09 करोड़ की समग्र निधियां अतिथि अध्यापकों को वेतन के भुगतान के प्रति विपथित की गई थी। एस.सी. विद्यार्थियों को ए.आई.ई.ई.ई. तथा डी.ई.टी. परीक्षा के प्रवेश के लिए प्री-एडमिशन प्रशिक्षण के लिए ₹ 15.88 करोड़ का भुगतान उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना निर्मुक्त कर दिया गया था। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की जिससे सर्विस प्रदाता को लाभ हुआ। विभाग ने बंद हुए व्यावसायिक संस्थाओं के टीचिंग स्टाफ की सेवाएं उपयोग करने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं की थी

जबकि 2009 – 12 के दौरान तीन पोलीटैक्नीक्स द्वारा उनको ₹ 1.03 करोड़ राशि का वेतन दिया गया।

(अनुच्छेद 5.1)

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना – लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम आगे जांच के लिए लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों/राज्य सरकार को संदर्भित किए गए थे तथा अधिक भुगतानों/अतिरिक्त भुगतान के मामले में उनकी वसूली लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन की जानी अपेक्षित है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), सिंचाई विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 2011 – 12 के दौरान 10 मामलों में ₹ 1.38 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.8 लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी

1.8.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आरज) जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और छः सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छः माह से अधिक लम्बित आई.आरज की अर्ध – वार्षिक रिपोर्ट लम्बित आई.आरज में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2012 तक जारी किए गए आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 3,632.59 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.1)*** के धन मूल्य वाले 422 आई.आरज के 1,154 अनुच्छेद 30 जून 2012 को बकाया थे। इनमें से 124 आई.आरज से आवेष्टित 186 अनुच्छेद पांच वर्षो से अधिक पुराने थे। इन आई.आरज, जिनका 30 जून 2012 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी – वार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध – वार्षिक रिपोर्टो के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहे। मामले क्रमशः जुलाई तथा अगस्त 2012 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) को भेजे गए थे।

1.8.2 प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वर्ष 2011-12 से संबंधित प्रारूप अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च तथा सितम्बर 2012 के मध्य संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रियाएं भेजने के आग्रह के साथ अर्ध-सरकारी तौर पर अग्रेषित किए गए थे। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई चार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से चार तथा 25 विषयपरक/संपादन अनुच्छेदों में से 22 के विभागीय उत्तर प्राप्त किए गए हैं। उत्तर, जब-जब प्राप्त हुए, उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

1.8.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आरज) में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वतः सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को ए.आरज के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांची गई विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि तक के ए.आरज में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एनज) की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 की अवधि के ए.आरज राज्य विधान-मंडल को प्रस्तुत[7] किए गए थे। इन ए.आरज में शामिल किए गए 27 प्रशासनिक विभागों के 84 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 18 प्रशासनिक विभागों के मामले में 46 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर ए.टी.एनज ***परिशिष्ट 1.3*** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

प्रशासनिक विभागों अर्थात लोक निर्माण (भवन एवं सड़क शाखा), सिंचाई जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा गृह ने 46 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से 25 के संबंध में ए.टी.एनज प्रस्तुत नहीं किए। ए.टी.एनज प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक विभागों में से नौ प्रशासनिक विभागों ने ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरणों के अनुसार 14 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 208.03 करोड़ की कुल राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1970-71 से 2005-06 तथा 2007-08 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 373 सिफारिशें ***परिशिष्ट 1.5*** में दिए गए विवरणों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अन्तिम कार्रवाई की अब तक प्रतीक्षा कर रही थी।

[7] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07: मार्च 2008, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09: मार्च 2010, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10: मार्च 2011 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11: फरवरी 2012

अध्याय – 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

श्रम विभाग

2.1 हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड

विशिष्टतांए

भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996 भारत सरकार द्वारा रोजगार और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों की सेवा की शर्तों के नियमन के विचार से बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा 18 से 60 वर्षों की आयु सीमा में आने वाले पंजीकृत कर्मियों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमें कार्यान्वित करना अपेक्षित था। हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड और अधिनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वन त्रुटिपूर्ण था। कुछ त्रुटियों की सूची नीचे दी गई हैं:

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवा की शर्तों का नियमन) नियम, 2005 के बारे अधिसूचना जारी करने, हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड और सलाहकार समिति के गठन में नौ वर्ष का विलंब था।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

2007 – 12 के दौरान ₹ 634.71 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध, केवल ₹ 15.11 करोड़ का व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.9.1)

छः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडलों द्वारा एकत्रित ₹ 1.50 करोड़ की राशि का उपकर बोर्ड के पास जमा नहीं करवाया गया। इसमें से राज्य प्राप्ति शीर्ष में ₹ 70.05 लाख जमा करवाए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.9.4)

निर्माण कर्मियों के नियोक्ताओं के रूप में ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए पहल एवं पंजीकृत कर्मियों की सदस्यता के नवीनीकरण के लिए अभिप्रेरण का अभाव था।

(अनुच्छेद 2.1.10.1 और 2.1.10.2)

बोर्ड द्वारा प्रतिपादित सांविधिक स्कीमों जैसे पैंशन, पारिवारिक पैंशन, अयोग्यता पैंशन इत्यादि तथा कुछ विशिष्ट स्कीमें जैसे निर्माण कर्मियों और छात्रों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधाएं, चिरकालिक रोगों की आवृति का कार्यान्वन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.11.1)

बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी थी जो कि अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वन के लिए अपर्याप्त थी।

(अनुच्छेद 2.1.12.1)

राज्य स्तर पर मानिटरिंग पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वार्षिक रिर्टनें बोर्ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई। बोर्ड में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.1.13.1 और 2.1.13.2)

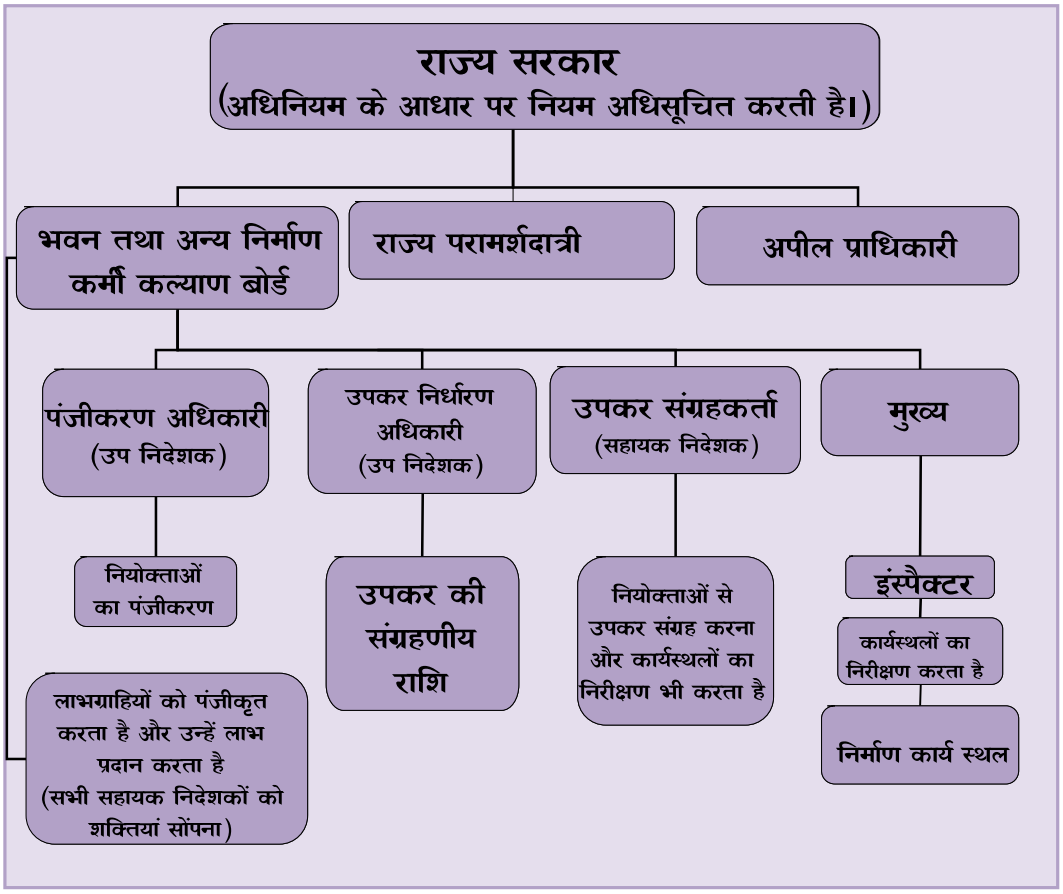
2.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवा शर्तो का नियमन) अधिनियम, 1996 (एक्ट) और भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) भवन तथा अन्य निर्माण कर्मियों की रोजगार और सेवाशर्तो के विनियमन के विचार से बनाया था (अगस्त 1996)। श्रम मंत्रालय ने, इसकी दिनांक 26 सितंबर 1996 की अधिसूचना के माध्यम से, निर्माण कुल लागत का एक प्रतिशत के दर पर उपकर का नियोक्ता द्वारा उद्ग्रहण निर्धारित किया। राज्य सरकार ने हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवा शर्तो का नियमन), नियम 2005 राज्य में भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकर अधिनियम के कार्यान्वन के लिए बनाया। आगे, राज्य सरकार ने निर्माण कर्मियों के लिए कल्याण स्कीमें प्रतिपादित करने के लिए हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया (नवंबर 2006) और उपकर अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार, एक प्रतिशत की दर पर उपकर लगाया (जनवरी 2007)। इस प्रकार संगृहीत उपकर निर्माण कर्मियों के कल्याण के लिए मातृत्व लाभ, पैंशन, घरों के निर्माण के लिए अग्रिमों, अन्त्येष्टि सहायता का भुगतान, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि जैसी स्कीमों पर व्यय करना अपेक्षित था। 18 से 60 वर्षो की आयु के मध्य के निर्माण कर्मी जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत करवाया था, द्वारा ₹ पांच प्रतिमास अंशदान देना अपेक्षित था।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड निधि के प्रशासन और विभिन्न कल्याण स्कीमों के कार्यान्वन के लिए उत्तरदायी था। राज्य सरकार ने फंड के प्रशासन से उत्पन्न इस प्रकार के मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए पांच वर्षो की अवधि के लिए राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन किया था (अप्रैल 2007)। अधिनियम के अंतर्गत श्रम आयुक्त को मुख्य इंस्पैक्टर पदनामित

किया गया और श्रम विभाग के अन्य अधिकारी जैसे कारखानों के मुख्य इंसपैक्टर, अतिरिक्त निदेशक और सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि को इंसपैक्टर, पंजीकरण अधिकारी, उपकर संग्रहकर्ता, निर्धारण अधिकारी इत्यादि के तौर पर नियुक्त किए गए। निम्नलिखित चार्ट में संगठनात्मक ढांचा चित्रित किया गया है।



2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- कल्याण उपायों के कार्यान्वन के लिए योजना प्रक्रिया प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था;
- कल्याण उपाय प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित किए गए;
- मानवीय संसाधन प्रबंधन प्रभावी था; और
- मानिटरिंग और आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली सही और प्रभावपूर्ण थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वन के निर्धारण के लिए लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत नीचे दिए अनुसार थे:

- भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवाशर्तो का नियमन) अधिनियम, 1996 तथा हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवाशर्तो का नियमन) नियम, 2005
- उपकर अधिनियम 1996
- समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न स्कीमों और निर्देशों के मार्ग निर्देश।
- राज्य परामर्शदात्री समिति और बोर्ड की कार्य सूची मदें और उनके कार्यवृत।
- बोर्ड की वार्षिक कार्य योजना।

2.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

2007-12 अवधि के लिए हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड की निष्पादन समीक्षा मई और जून 2012 के दौरान आयोजित की गई थी। समीक्षा में बोर्ड के सभी प्रसांगिक अभिलेखो/दस्तावेजों अर्थात् उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण, संस्थानों/कर्मियों के पंजीकरण से संबंधित रिपोर्टे, कल्याण स्कीमों के कार्यान्वन की प्रगति रिपोर्टे, प्रशासनिक रिपोर्टे, वार्षिक कार्य योजना, आवधिक समीक्षा, बेठकों का कार्यविवरण, संस्वीकृतियां, बजट के दस्तावेज, स्कीम के कार्यान्वन संबंध निदेश और आदेश की नमूना-जांच शामिल थी। राज्य में छ: उप-निदेशकों में से चार[1] उप-निदेशक (67 प्रतिशत) छ:[2] जिलों में से आवृत करते हुए यादृच्छिक आधार पर नमूना-जांच के लिए चुने गए। नगर निगम हिसार, गुरूजंबेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोहना स्थित छ:[3] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल (पी.एच.ई.डी.) की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई कि क्या ये कटौतीकर्ता उपकर की राशि बोर्ड में जमा करवा रहे थे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा अधिकारियों ने निर्माण कर्मियों और संस्थानों के पंजीकरण के सत्यापन के लिए 10[4] निर्माण स्थलों का दौरा किया।

1 (i) भिवानी, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुड़गांव तथा (iv) हिसार।

2 (i) भिवानी, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुड़गांव, (iv) हिसार, (v) पलवल तथा (vi) रेवाड़ी।

3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, 2 एवं 3, भिवानी; जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, फरीदाबाद; जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, गुड़गांव तथा सोहना।

4 भिवानी: कनीना रोड़ पर दो भवनों का निर्माण कार्य, चरखी दादरी, क्राउन प्लाजा शापिंग मॉल का निर्माण स्थल, पुराना बस अड्डा, भिवानी तथा सेडीमेंटेशन एंड स्टोरेज टैंक का निर्माण स्थल, रोहतक रोड़, बी.पी. ओ. निनान, जिला भिवानी, हिसार: गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हांसी रोड़ बस स्टैंड के पास निर्मित शापिंग काम्पलैक्स; फरीदाबाद तथा गुड़गांव: अंसल प्रापर्टीज तथा डी.एल.एफ. के निर्माण स्थल।

2.1.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा आरंभ करने से पहले, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मापदंड और लेखापरीक्षा के विस्तार पर बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव के साथ एंट्री कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी। स्कीम के कार्यान्वन और हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड और राज्य सरकार से अन्य संबंधित सूचनाएं तथा लेखापरीक्षा ज्ञापन पत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरों का लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए विश्लेषण किया गया था। लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को प्रमाणित करने के लिए भौतिक सत्यापनों का भी ध्यान रखा गया था। लेखापरीक्षा परिणामों पर श्रमायुक्त सह बोर्ड के सचिव के साथ आयोजित एग्जिट कान्फ्रेंस (अक्तूबर 2012) में विचार-विमर्श किया गया। प्रतिवेदन में निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए उनके उत्तरों का यथोचित ध्यान रखा गया है।

2.1.7 आभारोक्ति

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा का कार्यालय लेखापरीक्षा के लिए सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध करवाने में बोर्ड और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग का आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि स्वास्थ्य बीमा, चलायमान औषधालय वैन, निर्माण कर्मियों के लिए आश्रय, बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता, शिशु-गृह और गतिशील प्रसाधनों आदि से संबंधित स्कीमों के कार्यान्वन के लिए निर्णय लेकर बोर्ड ने अच्छा किया और हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवाशर्तों का नियमन) नियम, 2005 में अधिसूचित स्कीमों के साथ 31 मार्च 2012 तक ₹ 6.31 करोड़ व्यय किए।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.1.8 योजना प्रक्रिया

2.1.8.1 परिपेक्ष्य और वार्षिक योजनाएं

कल्याण गतिविधियों के प्रतिपादन और निर्माण कर्मियों को लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष वार विकास गतिविधियों को रूपरेखा देते हुए एक दीर्घावधि परिपेक्ष्य योजना तैयार करना सबसे अधिक अनिवार्य था। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बोर्ड ने न तो कोई दीर्घावधि परिपेक्ष्य योजना और न ही वार्षिक योजना तैयार नहीं की थी। अत: स्कीमों के कार्यान्वन को एक उपयुक्त तरीके से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, इसकी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए बोर्ड द्वारा राज्य में प्रवासी/स्थानीय मजदूरों को पहचानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए बोर्ड अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसका बजट तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बोर्ड ने इसके प्रारंभ से अपना बजट तैयार नहीं किया था।

बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2012) कि 2012-13 वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयारी के अधीन है तथा अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

2.1.8.2 अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वन में विलंब

जी.ओ.आई. ने भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवाशर्तो का नियमन) अधिनियम, 1996 में तथा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में बनाया। राज्य सरकार ने हरियाणा भवन तथा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवाशर्तो का नियमन) नियम, 2005 अर्थात् अधिनियम के गठन के नौ वर्षो के अंतराल के बाद अधिसूचित किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नियमों की तैयारी के लिए अप्रैल 2001 में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने नियमों को अंतिम रूप देने में चार वर्ष लिए।

इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा संसद के अधिनियम बनाए जाने के तत्काल बाद हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड को गठित किया जाना अपेक्षित था। परंतु राज्य सरकार ने बोर्ड का गठन नवंबर 2006 अर्थात् अधिनियम के गठन के नौ वर्षो के अंतराल के बाद किया। परिणामस्वरूप, कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधानों के कार्यान्वयन का अनुपालन मार्च 2007 तक नहीं किया गया था।

आगे, एक राज्य भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी परामर्शदात्री समिति का गठन अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए गठित की जानी थी। परंतु राज्य सरकार ने समिति का गठन इतनी देर से अप्रैल 2007 में किया।

अत: कानून, निर्माण बोर्ड तथा राज्य परामर्शदात्री समिति के गठन में भारी विलंब हुए इस अवधि के दौरान निर्माण कर्मी उन लाभों से वंचित रहे जो कि अधिनियम में परिभाषित थे।

श्रमायुक्त-सह-सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (अक्तूबर 2012) कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वन में विलंब सभी राज्यों में हुआ। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सरकार को भवन तथा अन्य निर्माण कर्मियों के कल्याण के हित में बोर्ड को शीघ्र गठित करना चाहिए था।

2.1.8.3 बोर्ड और परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित करने में विलंब

हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मियां (रोजगार तथा सेवाशर्तो का नियमन) का अधिनियम 2005 के नियम 36 में प्रावधान है कि बोर्ड को तीन मास में एक बार मिलना चाहिए। इसी प्रकार, नियम 14 निर्धारित करता है कि राज्य परामर्शदात्री समिति को चार मास में कम से कम एक बार मिलना चाहिए। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की 20 बैठकें तथा 10 बैठकें परामर्शदात्री समिति की इनके प्रारंभ से मार्च 2012 की अवधि के दौरान होनी चाहिए थी। तथापि, यह देखा गया कि

इस अवधि के दौरान बोर्ड और परामर्शदात्री समिति की क्रमश: केवल नौ और तीन बैठकें आयोजित की गई जो कि राज्य की ओर से अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने में वचनबद्धता और गंभीरता की कमी का संकेत है।

श्रमायुक्त-सह-सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्तूबर 2012) कि बैठकें आयोजित की गई जब भी कोई महत्वपूर्ण मामला बोर्ड के सामने इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया कि बोर्ड/परामर्शदात्री समिति की बैठकें भविष्य में निर्धारित मानदंड के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

2.1.9 वित्तीय प्रबंधन

2.1.9.1 बोर्ड के आय और व्यय

उपकर के अतिरिक्त, जो निमार्ण लागत के 1 प्रतिशत दर पर संग्रहित किया जा रहा था, इसने ₹ पांच प्रति मास की दर पर सदस्यों से सदस्यता शुल्क भी संग्रहित किया। ₹ 634.71 करोड़ की आय के विरूद्ध, 2007-12 के दौरान ₹ 15.11 करोड़ का व्यय किया गया। आय और व्यय के साथ प्रशासनिक खर्चो के विवरण **तालिका 1** में दिए गए हैं।

तालिका 1: आय और व्यय का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	उपकर	सदस्यों का अंशदान	कुल	कल्याण स्कीमों पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल	प्रशासनिक व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता
2007-08	24.49	0.03	24.52	0.05	0.04	0.09	44.44
2008-09	69.98	0.38	70.36	0.67	0.20	0.88	22.73
2009-10	102.06	0.14	102.20	2.18	0.35	2.52	13.89
2010-11	199.20	0.20	199.40	3.28	0.40	3.69	10.84
2011-12	237.93	0.30	238.23	7.30	0.64	7.93	8.07
कुल	**633.66**	**1.05**	**634.71**	**13.48**	**1.63**	**15.11**	**10.79**

स्रोत: बोर्ड द्वारा आपूरित डाटा।

अधिनियम की धारा 24 (3) के अनुसार प्रशासनिक व्यय को कुल व्यय का पांच प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा जाना था। जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि प्रशासनिक व्यय 8.07 और 44.44 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जबकि कल्याण स्कीमों पर अल्प व्यय (2.12[5] प्रतिशत) किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान श्रमायुक्त-सह-सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अक्तूबर 2012) कि निर्धारित मापदंड से अधिक व्यय बोर्ड का निर्बाध परिचालन प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक आधारभूत ढांचा सृजित करने के कारण था। तथापि, बोर्ड आगामी वर्षो में उक्त

[5] ₹ 13.48 करोड़ कल्याण स्कीमों पर व्यय किए गए/₹ 634.71 करोड़ 2007-08 से 2011-12 के दौरान उपकर तथा सदस्यों के अंशदान के रूप में एकत्र किए गए X 100 = 2.12 प्रतिशत।

प्रावधान का पालन करने में समर्थ होगा जब कल्याण स्कीमों पर व्यय बढ़ जाएगा। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि व्यय अधिनियम के अनुसार निर्धारित मानदंडों तक सीमित किया जाना चाहिए था।

यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट संख्या 2 सिविल, हरियाणा सरकार में ''उपकर निधियों के अप्रयोग के कारण उद्देश्यों की अप्राप्ति'' शीर्षक से एक अनुच्छेद समाविष्ट किया गया है जहां यह प्रदर्शित किया गया है कि ₹ 376.98 करोड़ के उपकर की सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों से संगृहीत राशि अप्रयुक्त रही। 2011-12 के अंत तक यह ₹ 619.60 करोड़ तक बढ़ गई। अत: लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद बोर्ड ने निर्माण कर्मियों के लिए कल्याण स्कीमों के कार्यान्वन के लिए अपेक्षित गंभीरता से उपयुक्त कदम नहीं उठाए।

श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि लाभार्थियों के कल्याण के लिए लगभग 20 स्कीमें परिचालन में थी परंतु लाभार्थियों से स्कीम के अंतर्गत सीमित दावे आ रहे थे क्योंकि दावे स्कीम के साथ संलग्न कुछ शर्तों के साथ दिए जाने थे। लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि बोर्ड को अधिक निर्माण कर्मियों को नामांकित करने के लिए पर्याप्त सर्वेक्षण करना चाहिए और पंजीकृत कर्मियों को सदस्यता जारी रखने के लिए पंजीकृत कर्मियों के साथ अनुसरण करना चाहिए ताकि अधिनियम में यथा विचारित लाभ उन्हें प्रदान किए जा सकें।

2.1.9.2 उपकर की कम वसूली

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों का कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) की धारा 3 (4) में प्रावधान है कि इस प्रकार के उपकर के अग्रिम में भुगतान सहित इस अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उपकर भवन की प्रमात्रा या अन्य आवेष्टित निर्माण कार्य के आधार पर किए गए अंतिम निर्धारण के शर्ताधीन होगा। उपकर अधिनियम की धारा 5 (2) में प्रावधान है कि यदि रिर्टन धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई, वह या ये जैसा वह या ये उपयुक्त समझता है, ऐसी जांच करवाने या इसके निमित्त बनने के बाद नियोक्ता द्वारा भुगतान योग्य उपकर की राशि का निर्धारण करेगा।

अधिनियम की धारा 8 में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई नियोक्ता, निर्धारण के आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी भी राशि के उपकर के भुगतान में विफल रहता है, तो ऐसा नियोक्ता प्रत्येक मास के लिए दो प्रतिशत की दर पर देय ब्याज की राशि के भुगतान के लिए दायी होगा। अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान है कि यदि उपकर की किसी भी राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट तिथि (30 दिनों) के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो प्राधिकारी ऐसा जुर्माना, जो उपकर की राशि से अधिक न हो, लगा सकता है। अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक नियोक्ता से देय कोई भी राशि (किसी भी ब्याज और शास्ति सहित) भूमि राजस्व के बकाए को वसूले जाने वाले ढंग के समान वसूली जा सकती है।

संस्थापन की उपकर निर्धारण फाईलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (मई 2012) कि तीन जिलों के उप निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, ने 2008-12 के दौरान 33[6] मामलों में ₹ 77.24 लाख उपकर के रूप में निर्धारित किए। यह अवलोकित किया गया कि इन मामलों में अग्रिम उपकर के रूप ₹ 11.86 लाख की एक राशि का भुगतान किया गया परंतु ₹ 65.38 लाख की ब्याज सहित राशि का इन नियोक्ताओं द्वारा, भुगतान नहीं किया गया यद्यपि वह अवधि जिसके दौरान उपकर का भुगतान किया जाना था, पहले ही बीत चुकी थी। इन जिलों के उप निदेशकों ने, ना तो कोई जुर्माना लगाया था न चूककर्ताओं से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की थी।

बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित 33 मामलों में से नौ मामलों में ₹ 17.92 लाख की वसूली हो चुकी थी तथा शेष राशि को वसूलने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

2.1.9.3 उपकर का कम संग्रहण

उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 4 (1) और 4 (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता ऐसी रिटर्न ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारी को ऐसे तरीके से या ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित किया जाए। यदि कोई भवन या अन्य निर्माण कार्य प्रतिपादित कर रहा व्यक्ति, जो अधिनियम के अंतर्गत उपकर के भुगतान के लिए दायी है, रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसी रिटर्न ऐसी तिथि से पहले जो कि नोटिस में विर्निदिष्ट हो प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देगा। आगे, उपकर अधिनियम की धारा 7 राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी को नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों की सत्यता सत्यापित करने सहित अधिनियम के उद्देश्य पूरा करने के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाए किसी भी उचित समय एवं स्थान पर प्रवेश करने की शक्ति प्रदान करती है।

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकर अधिनियम के नियम 7 में आगे प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी सूचना-प्राप्ति की तिथि से छः मास के भीतर एक निर्धारण का आदेश निकालेगा।

उप निदेशकों के चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सहायक निदेशक (I, II और III) फरीदाबाद और पलवल के द्वारा निरीक्षण के बाद उप निदेशक फरीदाबाद के समाने लाया गया कि निर्माण कार्य नियोक्ता 246 संस्थानों ने न तो की जा रही निर्माण गतिविधियों के बारे में सूचित किया और न ही अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान उपकर राशि जमा करवाई। 246 मामलों में से; उप निदेशक ने ₹ 4.57 करोड़ की राशि वसूल करते हुए केवल 24 मामलों का ₹ 4.57 करोड़ की वसूली करते हुए निर्धारण पूरा किया एवं 80 मामलों में इन संस्थानों द्वारा अग्रिम उपकर के रूप में ₹ 5.38 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था परंतु देय उपकर की शेष बकाया राशि के निर्धारण के लिए उपकर निर्धारण पूर्ण नहीं किया गया था। तथापि, 142 शेष मामलों में न तो इन संस्थानों द्वारा अग्रिम उपकर का भुगतान किया गया न भुगतान

[6] भिवानी: 7 मामले, हिसार: 22 मामले तथा गुड़गांव: 4 मामले।

योग्य बकाया उपकर की मांग के लिए उपकर निर्धारण पूर्ण किया गया था। इस प्रकार, उप निदेशक ने छ: मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 222 इकाईयों (80 + 142 इकाईयां) का निर्धारण नहीं किया परिणामस्वरूप उपकर का अनुदग्रहण/अल्प संग्रहण हुआ। उपकर के अनिर्धारण के कारण उपकर अधिनियम की धारा 8 और 9 में यथा निश्चित ब्याज और शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बोर्ड ने श्रमायुक्त-सह-सचिव ने कहा कि भविष्य में शीघ्र निर्धारण के लिए उपकर के निर्धारण/संग्रहण के लिए कुछ और अधिकारियों को शक्तियों की सुपुर्दगी विभाग के विचाराधीन था।

2.1.9.4 उपकर का विलंबित/न जमा होना

उपकर अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि उपकर निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर पर संग्रहित किया जाएगा। आगे, उपकर नियमों के नियम 5 (3) में प्रावधान है कि संगृहीत उपकर को संग्रहण शुल्क, जो संगृहीत उपकर के एक प्रतिशत से अधिक न हो, की दर पर कटौती के बाद 30 दिनों के भीतर बोर्ड को सप्रेषित किया जाना चाहिए।

चयनित उपकर कटौतीकर्ताओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोहना में स्थित छ:[7] पी.एच.ई.डी. द्वारा 2008-12 के दौरान उपकर के रूप में कटौती की गई ₹ 1.50 करोड़ की राशि लोक निर्माण विविध जमा में 2008-12 के दौरान रखी गई थी। मार्च 2012 में, इसमें से ₹ 70.05 लाख की राशि 0230-प्राप्तियां शीर्ष में हस्तान्तरित की गई तथा ₹ 79.84 लाख की शेष राशि अभी भी लोक निर्माण विविध जमा में पड़ी थी (मार्च 2012)। अत: राशि का राज्य सरकार के प्राप्तियां शीर्ष में स्थानान्तरण और लोक निर्माण विविध जमाओं में निधियों का रखना अनियमित था।

आगे, संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकारी (हुडा) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2010 से मई 2012 की अवधि के दौरान भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के लिए रूपरेखा योजना के अनुमोदन पर उपकर के रूप में कटौती की गई 11.07 करोड़ की राशि बोर्ड पृथक बैंक खाते में रख दी गई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ₹ 10.31 करोड़ की राशि ₹ 10.41 लाख के संग्रहण शुल्क की कटौती के बाद बोर्ड के पास जमा करवा दी गई (अप्रैल 2012)। ₹ 65.97 लाख की शेष राशि अभी भी हुडा के पास पड़ी थी (जून 2012) राशि को इसके संग्रहण के 30 दिनों के बाद भी रखने की हुडा की कार्यवाही अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई। आगे, हुडा ने उन आबंटियों से उपकर का संग्रहण नहीं किया जिनके भवन तथा अन्य निर्माण कार्य के निर्माण के लिए रूपरेखा योजना फरवरी 2007 से मई 2010 की अवधि के दौरान अनुमोदित की गई थी।

[7] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, 2 एवं 3, भिवानी; जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, फरीदाबाद; जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, गुड़गांव तथा सोहना।

इसी प्रकार, नगर निगम, गुड़गांव ने भी फरवरी 2007 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों जो ₹ 10 लाख से अधिक में थे के लिए अनुमोदित योजनाओं के संबंध में उपकर उद्गृहीत/संगृहीत नहीं किया था। तथापि, निगम ने अप्रैल 2011 से उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण प्रारंभ कर दिया था। जुलाई 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निगम ने इस अवधि के दौरान भवन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए 277 रूपरेखा योजनाओं को अनुमोदन जारी किया था। प्लिंथ एरिया और न्यूनतम निर्माण लागत प्रति वर्ग फीट के आधार पर उपकर का कुल अनुदग्रहण ₹ 50.46 लाख परिकलित किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई यंत्रावली विकसित नहीं की थी कि उपकर संगृहित किया जा रहा था तथा कटौतीकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से उनके पास जमा किया जा रहा था।

बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि उपकर के जमा करने संबधी मामला पहले ही प्रमुख अभियंता, मुख्य प्रशासक, हुडा और अन्य प्राधिकारियों के साथ उठाया जा चुका था।

2.1.10 अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वन

2.1.10.1 संस्थानों का पंजीकरण

अधिनियम की धारा 2 (जे) के अनुसार, किसी संस्थान का अर्थ, सरकार, कोई निगम या फर्म, व्यक्ति या संस्था या अन्य व्यक्तियों का निकाय से संबंधित या उनके नियंत्रण के अधीन कोई संस्थान है, जो निर्माण कर्मियों को किसी भवन या अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित करते हैं और ठेकेदार से संबंधित संस्था भी शामिल है, परंतु ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करता है जो अपने स्वयं के आवास से संबंधित किसी भवन या निर्माण कार्य में ऐसे कर्मियों को नियुक्त करता है और इस प्रकार के निर्माण की कुल लागत ₹ 10 लाख से अधिक न हो। आगे, अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता संस्थान के प्रारंभ होने के 60 दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

उप-निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (आई.एस. एंड एच.) हिसार, गुड़गांव और फरीदाबाद ने उपकर कटौतीकर्ताओं जैसे लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकारण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंताओं, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कालोनाईजर आदि को पंजीकृत किया। परंतु ठेकेदारों को संस्थानों के रूप में पंजीकृत करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे जो निर्माण कर्मियों के वास्तविक नियोक्ता थे। इसके अभाव में, संस्थानों की वास्तविक संख्या और उनके द्वारा नियुक्त कर्मियों की संख्या विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा दल ने सहायक निदेशक, आई.एस. एंड एच. भिवानी, हिसार, गुड़गांव और फरीदाबाद के साथ संस्थानों और कर्मियों के पंजीकरण की स्थिति के निर्धारण के लिए 10 निर्माण स्थलों (जून 2012) का यादृच्छिक दौरा किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भिवानी और हिसार

के छ:[8] स्थलों पर ठेकेदारों/निर्माण कर्मियों में से कोई भी पंजीकृत नहीं पाए गए जबकि वे 16 से 40 कर्मियों को नियुक्त कर रहे थे। वे पात्र कर्मी थे जो पंजीकृत किए जाने अपेक्षित थे, जिसके अभाव में अधिनियम में विचारित लाभों से वे वंचित रहे। तथापि, गुड़गांव और फरीदाबाद में चार[9] स्थलों पर कालोनाईजरों ने अपने आप को पंजीकृत करवाया था और उनके द्वारा नियुक्त कर्मी भी इन कालोनाईजरज द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर बोर्ड के साथ पंजीकृत थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए श्रमायुक्त-सह-सचिव ने कहा (अक्तूबर 2012) कि ठेकेदारों को भी पंजीकृत करने के लिए प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

2.1.10.2 निर्माण कर्मियों का पंजीकरण

अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि प्रत्येक भवन निर्माण कर्मी जो 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा में हैं, किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में नियुक्त किए गए हों, और जो आगामी 12 वर्षो के दौरान जो नब्बे दिन से कम न हो इस अधिनियम के अंतर्गत लाभग्राहियों के तौर पर पंजीकरण के लिए पात्र होंगे और जब तक साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लें अंशदान का भुगतान करेगा। आगे, अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि जब एक लाभार्थी ने एक लगातार अवधि जो एक वर्ष कम न हो के लिए अपने अंशदान का भुगतान न किया हो तो वह लाभार्थी नहीं रहेगा।

बोर्ड द्वारा प्रदत्त किए डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 1,63,343 कर्मी 2007-12 की अवधि के दौरान राज्य में पंजीकृत थे। इस अवधि के दौरान, केवल 25,059 कर्मी अर्थात् केवल 15.34 प्रतिशत पंजीकृत कर्मियों ने अपनी सदस्यता को जारी रखा और निधि को अंशदान दिया।

उप निदेशक, गुड़गांव और फरीदाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2007-12 की अवधि के दौरान 85,563 कर्मी पंजीकृत थे। इसमें से मार्च 2012 को केवल 22,413 पंजीकृत कर्मी सक्रिय थे। सक्रिय पंजीकृत कर्मियों में से, 21,969 वे थे जिन्होंने स्वयं को 2011-12 में पंजीकृत करवाया था। केवल 444 कर्मियों ने निधि में नियमित अंशदान का भुगतान किया और लाभों के लिए पात्र थे। गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों ने उपकर का बड़ी सीमा तक अंशदान किया था परंतु बोर्ड द्वारा प्रारंभ स्कीमों के अंतर्गत लाभ ₹ 6.51 लाख की सीमा तक केवल 12 लाभग्राहियों को दिए गए।

बोर्ड ने स्थिति का कोई संज्ञान नहीं लिया और स्थानीय तथा प्रवासी कर्मी दोनों को निधि में अपना नियमित अंशदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई प्रभावी अभियान/सर्वेक्षण/ विज्ञापन नहीं प्रारंभ किया ताकि वे कल्याण स्कीम के अधिकतम लाभ उठा सके। 2007-12 के दौरान केवल ₹ 44.22 लाख का एक व्यय विज्ञापन पर किया गया।

[8] भिवानी: (i) और (ii) कनीना रोड़ पर दो भवनों का निर्माण कार्य, चरखी दादरी, (iii) क्राउन प्लाजा शापिंग मॉल का निर्माण स्थल, पुराना बस अड्डा, भिवानी (iv) सेडीमेंटेशन एंड स्टोरेज टैंक का निर्माण स्थल, रोहतक रोड़, बी.पी.ओ. निनान, जिला भिवानी, हिसार: (v) गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, (vi) हांसी रोड़ बस स्टैंड के पास निर्मित शापिंग काम्पलैक्स।

[9] अंसल प्रापर्टीज तथा डी.एल.एफ. प्रत्येक के दो निर्माण स्थल।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, सहायक निदेशकों, फरीदाबाद सर्कल I और II (जुलाई 2012) को बताया कि कर्मियों द्वारा पंजीकरण का कम नवीनीकरण उनके पांच से छः मास के बाद अपने गृह राज्यों को प्रवास के कारण था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कर्मियों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विभाग द्वारा पहल का अभाव था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अक्तूबर 2012) कि पंजीकरण/नवीनीकरण की कम दर श्रम विभाग के स्टाफ पर भारी काम का भार होने के कारण भी था जो कि अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त बोर्ड के कार्य को भी संभाल रहे थे। बोर्ड के लिए पृथक स्टाफ नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह भी बताया गया कि बोर्ड द्वारा चलित कल्याण स्कीमों के अधीन प्रदत्त पंजीकरण लाभों के लिए ज्ञान जागरूकता अभियान ऑल इंडिया रेडियो द्वारा (जिंगलस के माध्यम से) प्रारंभ किया जाएगा।

2.1.10.3 कर्मियों के अभिलेखों का अननुरक्षण

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी नियम 2005 के नियम 28 (3) के अनुसार, नियोक्ता या ठेकेदार से यह इंगित करते हुए कि आवेदक एक निर्माण कर्मी है एक प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उस दशा में, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, पंजीकृत निर्माण कर्मी यूनियन के द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र और संबंधित क्षेत्र के श्रम अधिकारी या सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य या पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र पर विचार किया जा सकता है। आगे, नियम 31 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता जो निर्माण कर्मियों के विवरण दर्शाने वाले एक रजिस्टर तथा एक अंशदान के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

चयनित जिलों के भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों के पंजीकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच (मई-जून 2012) से प्रकट हुआ कि सहायक निदेशक, आई.एस. एंड एच., हिसार और भिवानी के कार्यालय में इन जिलों में सभी कर्मी, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा, भवन निर्माण मजदूर यूनियन इत्यादि की शाखाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर पंजीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने, तथापि, अवलोकन किया कि इन संगठनों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में कर्मियों की कोई पंजीकरण संख्या या रजिस्टर जिनमें उनके नाम दर्ज किए गए थे की क्रम संख्या नहीं थी। आगे, यह प्रमाण कि कर्मियों ने भवन कर्मियों के तौर पर पूर्वगत वर्ष के दौरान 90 दिनों की सेवा पूर्ण कर ली थी, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्माण कर्मी के रूप में 90 दिनों की सेवा की पूर्णता से संबंधित कर्मियों के विवरणों और अभिलेखों के बारे रजिस्टर के अननुरक्षण के कारण पंजीकृत कर्मियों के औचित्य को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने कहा कि अभिलेख के अनुरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश फील्ड स्टाफ/संगठनों को जारी किए जा चुके थे।

2.1.11 कल्याण स्कीमों का कार्यान्वन

बोर्ड ने पंजीकृत कर्मियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 20 कल्याण स्कीमें प्रारंभ की थी। इन 20 स्कीमों में से, 11 सांविधिक स्कीमें हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवा शर्तो का नियमन) नियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित की गई थी और शेष नौ गैर-सांविधिक स्कीमें बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई थी यद्यपि ये नियमों के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई थी। स्कीमों के कार्यान्वन संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बोर्ड ने इसके द्वारा प्रारंभ की विभिन्न कल्याण स्कीमों के लिए कोई बजट अनुमान तैयार नहीं किया था। अतः प्रत्येक कल्याण स्कीम के लिए अलग-अलग कोई निधियां नहीं रखी गई थी और व्यय आवश्यकता के आधार पर किया जा रहा था। कल्याण स्कीमों के कार्यान्वन में कमियां अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित की गई हैं:

2.1.11.1 स्कीमों का अनुचित कार्यान्वन

बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमों तथा 2011-12 तक आवृत लाभग्राहियों की संख्या के विवरण नीचे **तालिका 2 तथा 3** में दिए गए हैं।

तालिका 2: बोर्ड द्वारा कार्यान्वित सांविधिक स्कीमों का विवरण

(राशि लाख में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	मामलों की संख्या	व्यय की गई राशि	मामलों की संख्या	व्यय की गई राशि
		मार्च 2012 तक		2011-12 के दौरान	
1.	मातृत्व लाभ स्कीम	187	8.52	174	7.90
2.	अन्तयेष्टि (अंतिम संस्कार) सहायता	215	9.43	128	7.66
3.	मृत्यु लाभ	228	123.05	134	93.85
4.	चिकित्सीय सहायता	2	0.02	2	0.02
5.	शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	577	25.48	389	20.28

(स्रोतः बोर्ड द्वारा आपूरित आंकड़े (वर्ष वार विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिए गए हैं)

पांच सांविधिक स्कीमें अर्थात् पैंशन, पारिवारिक पैंशन, अयोग्यता पैंशन, घर के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम और उपकरणों के क्रय के लिए ऋण अभी तक (मार्च 2012) कार्यान्वित नहीं की गई। 'विवाह के लिए वित्तीय सहायता' नाम की एक स्कीम को कर्मियों के लिए अधिक लाभप्रद बनाते हुए 'बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता' नाम से एक गैर सांविधिक स्कीम के तौर पर कार्यान्वित किया गया।

तालिका 3: बोर्ड द्वारा कार्यान्वित गैर-सांविधिक स्कीमों का विवरण

(राशि लाख में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	व्यय की गई राशि	
		मार्च 2012 तक	2011-12 के दौरान
1.	स्वास्थ्य बीमा स्कीम	140.40	48.16
2.	गतिशील औषधालय वैन	81.60	38.45
3.	निर्माण कर्मियों के लिए आश्रय	62.11	14.06
4.	बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता	262.99	153.90
5.	कर्मियों के लिए सुविधा केन्द्र	21.63	16.93
6.	शिशुगृह और गतिशील शौचालय	62.63	25.07

(स्रोतः बोर्ड द्वारा आपूरित डाटा (वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिए गए हैं)

तीन गैर-सांविधिक स्कीमें अर्थात् चिरकालिक रोगों का आवरण, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा और छात्रों के लिए निशुल्क यातायात सुविधाएं अभी तक (मार्च 2012) कार्यान्वित नहीं की गई जबकि यह स्कीमें जून 2008 को बोर्ड के द्वारा प्रतिपादित की गई।

आगे यह अवलोकित किया गया कि तालिका के क्रम संख्या 2, 3 और 6 की स्कीमें पूरे राज्य में कार्यान्वित नहीं की गई। बल्कि ये **तालिका 4** में दिए विवरण के अनुसार सीमित क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई:

तालिका 4: स्कीमों के कार्यान्वयन दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य में जिलों की संख्या	जिलों की संख्या जिनमें स्कीमें कार्यान्वित की गई	जिलों की संख्या जिनमें स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई
1.	गतिशील डिस्पैंसरी वैनस	21	5[10]	16
2.	निर्माण कर्मियों के लिए आश्रय	21	4[11]	17
3.	शिशुगृह और गतिशील शौचालय	21	2[12]	19

स्रोतः बोर्ड द्वारा आपूरित आंकड़े।

अतः बोर्ड ने कल्याण स्कीमों का कार्यान्वन अधिनियम की भावना के अनुरूप सभी क्षेत्रों को आवृत करते हुए नहीं किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बोर्ड श्रमायुक्त-सह-सचिव ने कहा कि सभी स्कीमें कार्यान्वित की गई थी परंतु सदस्यता के गैर-नवीनीकरण के कारण कुछ स्कीमों के अधीन दावे प्राप्त नहीं किए गए। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि बोर्ड ने सदस्यता को जारी रखने के लिए कर्मियों को प्रेरित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए थे। आगे, कुछ स्कीमें जैसे गतिशील औषधालय निर्माण कर्मियों के

[10] (i) अंबाला, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुड़गांव, (iv) हिसार तथा (v) पानीपत।

[11] (i) फरीदाबाद, (ii) हिसार, (iii) जींद तथा (iv) यमुनानगर।

[12] फरीदाबाद तथा गुड़गांव।

लिए आश्रय और शिशुगृह और गतिशील शौचालय प्रमाणपत्र आदि कर्मियों से दावों से जुड़ी हुई नहीं थे क्योंकि ये सुविधाएं कर्मियों को उनके दावों का ध्यान किए बिना प्रदान की जानी थी।

2.1.11.2 बोर्ड के निर्णय का गैर-कार्यान्वन

3 मार्च 2011 को आयोजित इसकी नवीं बैठक में बोर्ड ने अंशदान शुल्क की राशि में ₹ 5 से ₹ 1 प्रति मास तक की कमी का अनुमोदन कर दिया और यह भी निर्णय दिया कि 01 अप्रैल 2010 के बाद पिछली दर पर एक वर्ष के लिए पहले से जमा किए गए शुल्कों को पांच वर्षों का शुल्क माना जाएगा। आगे, भविष्य में, पंजीकरण की तिथि से लगातार पांच वर्षों के लिए पंजीकरण वैध होगा। संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बोर्ड का निर्णय कार्यान्वित नहीं किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया कि मामला सरकार को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा गया था परंतु वह अभी प्रतीक्षित है। मजदूरों को लाभ प्रदान करने के लिए मामला सरकार के साथ अनुसरण करने की आवश्यता थी।

2.1.11.3 मृत सदस्यों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अंशदान का रिफंड न देना

नियम 64 (1) में प्रावधान है कि एक सदस्य की मृत्यु पर, उसके नाम से पड़ी अंशदान की राशि उसके नामांकित को दी जाएगी। नामांकित की अनुपस्थिति में राशि उसके कानूनी उत्तराधिकारियों में समान हिस्सों में भुगतान की जाएगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि यद्यपि 2008-12 के दौरान राज्य में 228 सदस्यों के पारिवारिक सदस्यों को मृत्यु सहायता दी गई, उनके खाते में पड़े मासिक अंशदान नामांकितो/मृत सदस्यों के कानूनी अधिकारियों को रिफंड नहीं किए गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया कि मृत सदस्यों के नामांकितों/कानूनी उत्तराधिकारियों को अंशदान का रिफंड करने में सहायता के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी कर दिए गए थे।

2.1.11.4 अन्त्येष्टि सहायता

मृत सदस्य के नामांकितों/कानूनी उत्तराधिकारियों को अन्त्येष्टि और मृत्यु सहायता प्रदान करने के लिए नियम 56 और 57 में प्रावधान है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य में 2008-12 के दौरान 228 मृत्यु के मामलों में ₹ 1.23 करोड़ की मृत्यु सहायता दी गई तथा इस प्रकार के 23 मामले प्रक्रियाधीन है। आगे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 9.43 लाख की राशि की सहायता 215 मामलों में प्रदान की गई। शेष 36 मामलों में अन्त्येष्टि सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड ने कोई पहल नहीं की।

बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अक्तूबर 2012) कि नामांकितों/कानूनी उत्तराधिकारियों को राशि का भुगतान करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को मामलों पर कार्यवाही करने के निदेश दिए गए।

2.1.11.5 दावों के निपटान में विलंब

नियम 45 के अनुसार, बोर्ड दावों के शीघ्र निपटान और अग्रिमों की संस्वीकृतियों और अन्य लाभों के लिए उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 495 दावे मई 2012 को 2 से 14 मास की सीमा की अवधि के लिए बकाया थे जैसा कि **तालिका 5** में विवरण दिया गया है।

तालिका 5: विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	अवधि	लंबित मामलों की संख्या	महीनों में विलंब
1.	मातृत्व सहायता	2010-11	2	14
		2011-12	6	2
2.	शिक्षा छात्रवृत्ति सहायता	2010-11	20	14
		2011-12	48	2
3.	विवाह सहायता	2010-11	37	14
		2011-12	359	2
4.	मृत्यु सहायता	2011-12	23	2
		कुल	**495**	

स्रोतः बोर्ड द्वारा आपूरित आंकड़े।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया कि दावे सीधे रद्द नहीं किए गए। दावों में कुछ विसंगतियां थी, आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद दावे स्वीकृत करना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह आश्वासन दिया गया कि दावों के निपटान में विलंब कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

2.1.12 मानवीय संसाधन

2.1.12.1 स्टाफ की नियुक्ति

इसे क्रियात्मक बनाने के लिए दिसंबर 2006 में आयोजित इसकी प्रथम बैठक और जून 2007 और अगस्त 2009 में की गई अनुवर्ती बैठकों में बोर्ड ने उप कल्याण आयुक्त, प्रबंधक (तकनीकी), प्रशासनिक अधिकारी/उप सचिव, सहायक कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी/प्रबंधक वित्त, अनुभाग अधिकारी (लेखा) सहायक प्रबंधक, अधीक्षक, सूचना अधिकारी, वसूली/राजस्व अधिकारी, लेखाकार, उप अधीक्षक/मुख्य सहायक, सहायक (चार पद), कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (दो पद) लिपिक/ डाटा एंट्री आपरेटर (12 पद), चालक और चपरासी/चौकीदार (चार पद) के पदों को अनुमोदित किया। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि इन पदों को भरा नहीं गया था। बोर्ड अनुबंध आधार पर नियुक्त बहुत कम स्टाफ अर्थात् वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, एक अधीक्षक और छः लिपिकों/डाटा एंट्री आपरेटरों के साथ कार्य कर रहा था। 34 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध, केवल नौ व्यक्ति कार्यरत थे। अतः बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी थी, जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वन के लिए अपर्याप्त था। परिणामस्वरूप, बोर्ड उपकर के संग्रहण और उद्ग्रहण के साथ-साथ स्कीमों के कार्यान्वन पर समुचित नियंत्रण नहीं रख सका।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया कि बोर्ड के लिए नियमित स्टाफ की नियुक्ति संबंधी मामला पहले ही सरकार के साथ उठाया गया है।

2.1.12.2 परामर्शदाता की अनियमित नियुक्ति

अधिनियम की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'राज्य भवन एवं अन्य निमार्ण कर्मी परामर्श समिति' का गठन करे। अधिनियम में सलाहकार की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अधिनियम के उल्लंघन में, राज्य सरकार ने सितंबर 2008 से ₹ 25,000 प्रति मास (25 जून 2010 से ₹ 40,000 प्रति मास तक वर्धित) के समेकित वेतन पर एक सलाहकार को नियुक्त किया था जिसका परिणाम सितंबर 2008 से मार्च 2012 के दौरान ₹ 13.90 लाख के अनियमित व्यय में हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया कि सलाहकार को बोर्ड/वित्त विभाग के अनुमोदन से नियुक्त किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था, अत: नियुक्ति अनियमित थी।

2.1.13 आंतरिक नियंत्रण

2.1.13.1 मानिटरिंग और मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 57 में प्रावधान है कि प्रत्येक बोर्ड समय-समय पर जैसी अपेक्षित हों ऐसी रिटर्नस केन्द्र तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार ने अधिनियम के उपयुक्त कार्यान्वन और बोर्ड की क्रियात्मकता का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक बजट की प्रस्तुति निर्धारित की थी। लेकिन यह अवलोकित किया गया कि बोर्ड ने न तो वार्षिक बजट और न ही बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा संग्रहित उपकर बोर्ड के साथ जमा किया जा रहा था। उपकर कटौती कर्ताओं जैसे नगर निगमों, नगर समितियों, हुडा आदि (जो भवनों की रूपरेखा योजना अनुमोदित करने के लिए अधिकृत थे) के लिए अनुमानित निर्माण लागत के साथ अनुमोदित रूपरेखा योजनाओं की संख्या के बारे कोई रिटर्न निर्धारित नहीं की थी। अत: बोर्ड स्तर पर मानिटरिंग पर्याप्त नहीं थी।

बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि बजट और वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी प्रक्रिया अधीन है।

2.1.13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

कार्य की सकल गुणवता में सुधार तथा अशुद्धियों/अनियमितताओं को कम करने के विचार से, सभी सरकारी संस्थानों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बोर्ड में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।

बोर्ड के श्रमायुक्त-सह-सचिव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि मैसर्ज मेहतानी और कंपनी, सनदी लेखाकार को इस प्रयोजन के लिए 2008 से नियुक्त किया गया है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि सनदी लेखाकार को तुलन पत्र तैयार करने के लिए न कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

2.1.14 निष्कर्ष

- बोर्ड का कार्यचालन और अधिनियम के प्रावधान का कार्यान्वन हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवाशर्तो का नियमन) नियम, 2005 की अधिसूचना और कर्मी कल्याण बोर्ड और परामर्शदात्री समिति के गठन में असाधारण देरी से प्रभावित हुआ।
- ₹ 634.71 करोड़ की उपलब्धता के विरूद्ध 2007-12 के दौरान केवल ₹ 15.11 करोड़ व्यय किए गए, ठेकेदार, जिन्होंने निर्माण कर्मियों को नियुक्त कर रखा था, को पंजीकृत नहीं किया गया था एवं कर्मियों को अपने पंजीकरणों का नवीनीकरण करवाने के लिए उत्तप्रेरित नहीं किया गया।
- पैंशन, पारिवारिक पैंशन, अयोग्यता पैंशन इत्यादि सांविधिक स्कीमों तथा कुछ अन्य स्कीमें जैसे निर्माण कर्मियों और छात्रों के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा, चिरकालिक रोगों का आवरण जो कि बोर्ड द्वारा प्रतिपादित थी, को कार्यान्वित नहीं किया गया।
- बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी और बोर्ड स्तर पर अपर्याप्त मानिटरिंग थी।
- बोर्ड में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।

2.1.15 अनुशंसाएं

बोर्ड विचार करें:

- निर्माण कर्मियों को पंजीयन करने तथा पंजीकृत कर्मियों का उनकी सदस्यता जारी रखने के लिए अनुसरण करने के लिए समुचित सर्वेक्षण करवाने पर ताकि अधिनियम में विचारित लाभ उन्हें प्रदान किए जाएं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकर संगृहित किया जाए तथा कटौतीकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से जमा करवाया जाए, उपयुक्त यंत्रावली विकसित की जाए।
- बोर्ड के लिए नियमित स्टाफ की नियुक्ति संबंधी मामले को सरकार के साथ उठाया जाये।
- वार्षिक बजट तैयार करने और निर्माण कर्मियों के लिए कल्याण स्कीमों के उचित कार्यान्वन के लिए सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर।
- अधिनियम के समुचित कार्यान्वन और कर्मियों के लाभ के लिए कल्याण स्कीमों के अनुसरण के लिए प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग यत्रावली सुनिश्चित करने पर।

सिंचाई विभाग

2.2 सिंचाई विभाग का कार्यचालन

विशिष्टताएं

हरियाणा मुख्यत: एक कृषि संबंधी राज्य है। राज्य में कुल कृषि योग्य क्षेत्र 38.09 लाख हैक्टेयर है। राज्य में कुल 29.78 लाख हैक्टेयर के कुल संभावित सिंचाई क्षेत्र में से 21.13 लाख हैक्टेयर नहर सिंचाई को दिया जाता है। सिंचाई नलकूप के द्वारा भी की जाती है। सिंचाई विभाग की निष्पादन लेखा परीक्षा में योजना का अभाव, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति न होने बारे, खर्चे पर अपर्याप्त नियंत्रण योजनाओ कंो मंदगति से लागू करने बारे आदि बिंदुओं को ध्यान में लाया गया है। इसके अतिरिक्त एक जैसे विभागों से समन्वय का अभाव, काम को विभाजित करना, मलजल के निपटान पर अपर्याप्त नियंत्रण करना, नहरों से अपगामी नदी का निकालना, अवमानक कार्यो के निष्पादन से संबंधी उदाहरण थे।

नीचे कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर विशेष बल दिया गया है:

वर्ष 2007 – 12 के दौरान सिंचाई के अंतर्गत 1140.38 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 104.18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की प्राप्ति हुई।

(अनुच्छेद 2.2.7.1)

यमुना नदी पर बाढ़ से बचाव कार्यो की योजना के संशोधन में देरी के कारण राज्य सरकार ₹ 83.40 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में असफल रही।

(अनुच्छेद 2.2.8.2)

हथनीकुंड बैराज की कीमत को अन्तिम रूप देने के लिए मामले को केन्द्रीय जल आयोग को देरी से प्रस्तुत करने के कारण मैम्बर स्टेट से ₹ 122.52 करोड़ के हिस्से की प्राप्ति नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

दादुपुर – नलवी सिंचाई परियोजना जिस पर ₹ 126.11 करोड़ खर्च हुए कार्य गैर चालन हुई क्योंकि किसानों को पानी केवल वर्षो के मौसन में उपलब्ध था जब उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.2.9.1)

नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए ₹ 13.11 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि सिंचाई योग्य क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.10.1)

विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के पास पड़ी खर्च न की गई शेष राशि का पता लगाने बारे कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.92 करोड़ की राशि उनके पास अवरूद्ध रही।

(अनुच्छेद 2.2.12.1)

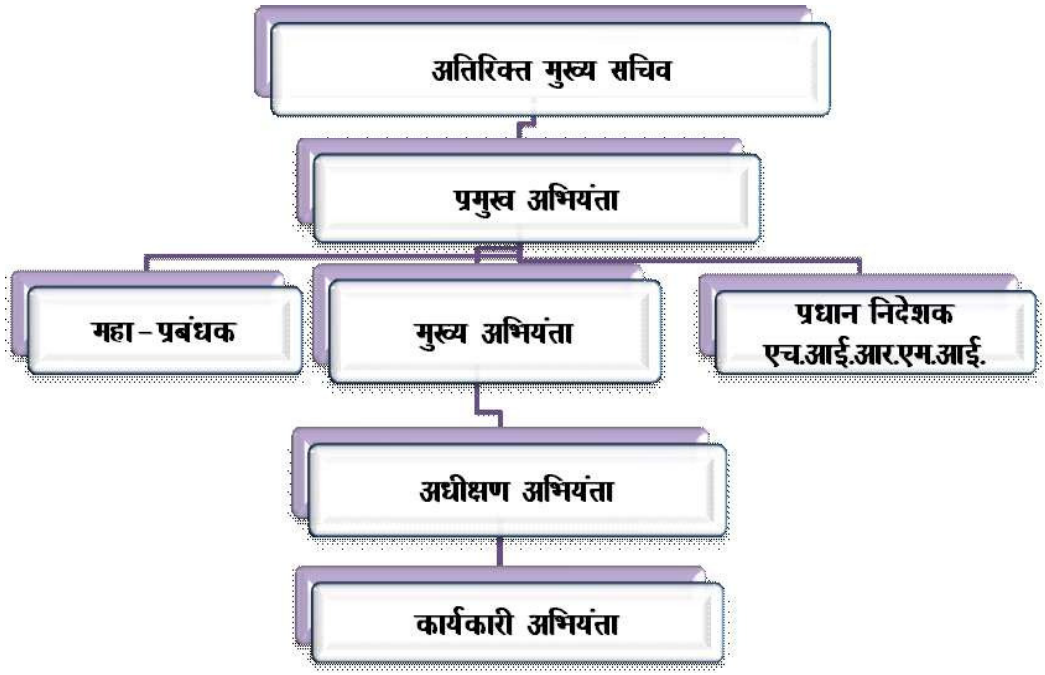
2.2.1 प्रस्तावना

हरियाणा राज्य मुख्यत: एक कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था है। सिंचाई विभाग मुख्यत: नहर के संचालन एवं रख-रखाव, जल तंत्र, एवं बाढ़ बचाव कार्यो जिसमें नदी परियोजनाओं व जल लौगिंग सहित कार्य, को पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग जल वितरण प्रणालियों के लिए लोक स्वास्थ्य इंजिनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) को अपरिष्कृत जल प्रदान करता है।

38.09 लाख हैक्टेयर कृषि क्षेत्रफल के साथ, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 44 लाख हैक्टेयर है। राज्य में 29.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल पर संभावित सिंचाई के निर्माण के विरूद्ध, संभावित सिंचाई की उपयोगिता 21.13 लाख थी। सिंचाई नलकूप के द्वारा भी की जाती है। नहर सिंचाई 1439 नहरों के नेटवर्क द्वारा भी की जाती है। नहरों का नेटवर्क तीन प्रणालियों में विभाजित है (i) भाखड़ा नहर प्रणाली (453 नहरें 13.71 लाख हैक्टेयर कमांड क्षेत्रफल को कवर करती हैं) (ii) यमुना नहर प्रणाली (498 नहरें 11.64 लाख हैक्टेयर कमांड क्षेत्रफल को कवर करती हैं। (iii) लिफ्ट नहर प्रणाली (488 नहरें 4. 37 लाख हैक्टेयर कमांड क्षेत्रफल को कवर करती हैं)। राज्य में यमुना और घग्घर नदियां दो जल निकास प्रणालियां हैं। 694 नलिकाएं 4,641 किलोमीटर लंबाई कवर करती हैं।

2.2.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त सचिव, सिंचाई विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष हैं और ये स्कीम, कार्यक्रम तथा नीति निर्णयों इत्यादि को लागू करने के लिए हैं। प्रमुख अभियंता (ई.आई.सी.) सिंचाई विभाग, विभाग अध्यक्ष होता है और यह 88 डिवीजन जिनकी अध्यक्षता कार्यकारी अभियंता (का.अ.) द्वारा की जाती है, 25 उप मंडल जिनकी अध्यक्षता अधीक्षक अभियंता द्वारा की जाती है, सहित छ: मुख्य अभियंताओं द्वारा सहयोग दिया जाता है जो डिवीजन स्तर पर नहरों और नालियों के बनाने/रख रखाव के कार्यो के निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान निदेशक हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान (एच.आई.आर.एम.आई.) अनुसंधान और ट्रेनिंग के लिए उत्तरदायी हैं। विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्न प्रकार से है।



2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- स्कीमों को लागू करने के लिए योजना पर्याप्त थी;
- वित्तीय प्रबंधन सही और प्रभावशाली था;
- योजनाओं को प्रभावी, दक्ष और मितव्ययिता पूर्वक लागू किया गया था;
- मानवीय संसाधन प्रबंधन प्रभावी और दक्ष था; और
- प्रभावी मानीटरिंग और मूल्यांकन यंत्रावली थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रावधान मा नदंड के लिए प्रयोग मे लाये गए:

- हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड।
- आदेशों के सिंचाई नियम-पुस्तिका (आई.एम.ओ.)।
- केन्द्रीय जल आयोग के मार्गनिर्देश (सी.डब्ल्यू.सी.)।
- राज्य सरकार के नीति और योजना दस्तावेज।
- राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों को लागू करने के लिए सरकारी अधिसूचनाएं और अनुदेश।

- हरियाणा द्वारा अपनाए गए पंजाब बजट नियमावली और पंजाब वित्तीय नियम/कोषालय नियम के प्रावधान।

2.2.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र और पद्धति

2007 – 12 की अवधि हेतु चयन किए गए परिमण्डलों ***(परिशिष्ट 2.3)*** में 25 परिमण्डलों में से 10[1] (40 प्रतिशत) तथा सभी 38 मंडलों के प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालयों को आवृत करते हुए जनवरी 2012 से जून 2012 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। यूनिटों का चयन बिना प्रतिस्थापन के आकार के संभावना समानुपाती पद्धति (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) अपनाकर किया गया था। अप्रैल 2012 में मुख्य अभियंता (समन्वय), सिंचाई विभाग के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस की गई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, तथा लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर विचार – विमर्श किया गया। रिपोर्ट सरकार को सितंबर 2012 में उनके उत्तर के लिए भेजी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग और ई.आई.सी. के साथ एग्जिट कान्फ्रेंस (नवंबर 2012) में लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर विचार – विमर्श किया गया। निष्कर्ष पर पहुंचने में उनके उत्तर विधिवत् ध्यान में रखे गये।

2.2.6 आभारोक्ति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़ सिंचाई विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना प्रदान करने तथा लेखापरीक्षा के लिए रिकार्ड के लिए समन्वय की पावती करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.7 योजना

i) विभाग के लिए अपेक्षित है कि निधियों की उपलब्धता और विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिए जाने वाले विकासशील कार्यों के लिए लंबी अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करना है। आगे, लक्ष्य परियोजना अनुसार वार्षिक तैयार किए जाने चाहिए ताकि ताकि परियोजनाओं के समापन को निर्धारित अवधि के भीतर मॉनीटर किया जा सके।

विभाग द्वारा योजना विभाग को ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना हेतु (2007 – 12) ₹ 4,176.11 करोड़ का प्रस्ताव (सितंबर 2006) प्रस्तुत किया। इसके विपरीत योजना आयोग द्वारा ₹ 3,835 करोड़

[1] (1) भाखड़ा जल सेवाएं, सिरसा, (2) भाखड़ा जल सेवाएं कैथल, (3) यमुना जल सेवाएं, भिवानी, (4) हथनी कुंड बैराज जगाधरी, (5) यमुना जल सेवाएं, रोहतक, (6) जवाहरलाल नेहरू जल सेवाएं, नारनौल, (7) यमुना जल सेवाएं, जींद (8) यमुना जल सेवाएं, करनाल, (9) कार्यशाला, करनाल और (10) निर्माण हिसार।

₹ 3,373 करोड़ के मुख्य और सामान्य सिंचाई योजनाओं के लिए और ₹ 462 करोड़ बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए) अनुमोदित किए गए। लघु सिंचाई के कार्यों को कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया। चालू स्कीमों के साथ-साथ, मुख्य और सामान्य सिंचाई के अंतर्गत 19 नई स्कीमों को अनुमोदित किया गया। विभाग पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाएं तैयार करता है।

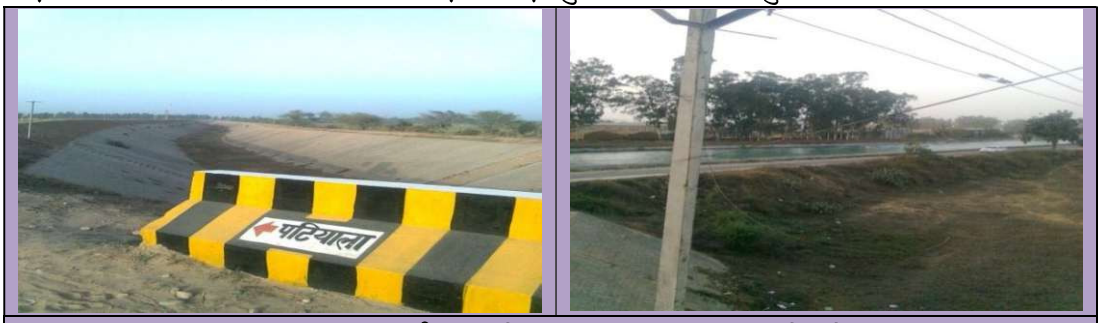
ii) ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए ***(परिशिष्ट 2.4)*** अनुमोदित 19 नई स्कीमों (4 मुख्य सिंचाई तथा 15 सामान्य सिंचाई) में से, केवल तीन स्कीमें पूर्ण हुई। इन तीन स्कीमों में से, केवल एक सामान्य सिंचाई स्कीम राष्ट्रीय पूंजीगत जल वितरण चैनल कार्यरत किया गया और दो स्कीमों की आधारभूत संरचना अप्रयुक्त पड़ी रही (नवंबर 2012)। इन स्कीमों का विवरण **तालिका 1** में दिए गए हैं।

तालिका 1: अक्रियाशील स्कीमों के विवरण

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	किया गया व्यय	आरंभ मास	पूर्ण होने का मास	कार्य की स्थिति
	(₹ करोड़ में)				
भाखड़ा मुख्य लाईन हांसी बुटाना शाखा (मुख्य सिंचाई)	392.00	383.28	फरवरी 2006	दिसंबर 2008	सुप्रीम कोर्ट में कोर्टकेस लंबित होने के कारण कार्यान्वयन न होना
कौशल्या बांध (सामान्य सिंचाई)	217.00	188.35	मार्च 2008	दिसंबर 2011	पानी ले जाने वाली पाईप लाईन हुडा द्वारा पूरी नहीं की गई।
कुल	**609.00**	**571.63**			

स्रोत: विभागीय अभिलेख।

ऊपर से प्रमाण के रूप में, क्रम संख्या 2 की स्कीम हुडा द्वारा समन्वय की कमी के कारण निष्क्रिय पड़ी रही। नीचे दिए गए चित्र निष्क्रिय पड़ी भाखड़ा मुख्य लाईन-हांसी बुटाना शाखा को दर्शातें हैं।



भाखड़ा मुख्य लाईन-हांसी बुटाना शाखा निष्क्रिय पड़ी रही।

आगे, ₹ 787.99 करोड़ की अनुमानित लागत की छ:[2] स्कीमें राज्य सरकार तथा घग्घर कमेटी से अनुमति प्राप्त न होने के कारण आरंभ नहीं हुई। विभाग ने पांच वर्षों की अवधि में इन स्कीमों की अनुमति प्राप्त नहीं की।

[2] (i) घग्गर नदी पर दीवानवाला बांध का निर्माण, (ii) घग्गर नदी पर डंगराना बांध का निर्माण, (iii) कोटला झील का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, (iv) भिंडावास झील का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, (v) मेवात सिंचाई स्कीम तथा (vi) अंबाला सिंचाई स्कीम।

₹ 56.95 करोड़ की अनुमानित लागत की तीन[3] स्कीमें बंद की गई, क्योंकि इन स्कीमों की ओर अधिक आवश्यकता नहीं थी। सात स्कीमों का कार्य प्रगति पर था।

यद्यपि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2006-07 में तैयार की गई, परंतु कार्यों को निर्धारित समयावधि में निष्पादन करने के लिए उचित योजना तैयार नहीं की गई थी। स्कीमों की प्राथमिकता नियत नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 19 आयोजित में से विभाग केवल तीन स्कीमें पूरी कर सका। इस प्रकार कृषि के अभीष्ट लाभों और पेयजल की आपूर्ति नहीं प्राप्त कर सका।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए ₹ 462 करोड़ की राशि बाढ़ से बचाव तथा जल निकास नियंत्रण कार्यों के लिए अनुमोदित की गई। विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता दर्शाने हेतु, प्रत्येक कार्य के लिए समय नियत करने हेतु, व्यय के लिए अनुमान हेतु निधियों के स्रोत इत्यादि हेतु योजना तैयार करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने, यद्यपि, अवलोकन किया गया कि विस्तृत बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार करने की बजाय, हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से वर्ष-दर-वर्ष ₹ 1,199 करोड़ के अनुमानित लागत के व्यक्तिगत कार्य अनुमोदित करवाए गए परंतु 2007-12 के दौरान केवल ₹ 479.11 करोड़ का व्यय किया गया। परिणामस्वरूप, योजना के प्रारूप तथा अनुमोदित स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय के बीच कोई संबंध नहीं था; जिससे आखिरकार समयबद्ध तरीके में कार्यों का पूर्ण होना अटक गया।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग ने कहा कि कार्यान्वित होने वाली आयोजित स्कीमों की संख्या हमेशा उन वास्तव में अनुमोदित से अधिक थी। तथापि, लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को स्कीमों के शीघ्र निपटान हेतु प्रयत्न करने चाहिए ताकि स्कीमों का लाभ समय पर प्राप्त किया जा सके।

2.2.7.1 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

विभाग द्वारा लागू की जाने वाली स्कीमों के आधार पर सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने हेतु लक्ष्य नियत किए जाते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के दौरान आयोजित स्कीमों के अंतर्गत सिंचाई में कवरिंग क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां **तालिका 2** में दिए गए अनुसार थी।

तालिका:2 योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत आवृत क्षेत्रों हेतु लक्ष्य और उपलब्धियों के विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य (000 हैक्टेयर में)	उपलब्धि (000 हैक्टेयर में)	उपलब्धि प्रतिशत
1	कृषि एवं ग्रामीण विकास	65.397	62.397	95
2	स्कीम हेतु राष्ट्रीय बैंक	40.708	15.350	38
3	दादुपुर-नलवी सिंचाई स्कीम	1000.000	शून्य	शून्य
4	भाखड़ा, मुख्य लाईन-हांसी बुटाना चैनल	28.822	21.432	74
5	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम स्कीम	5.450	5.000	92
	कुल	**1140.377**	**104.179**	**9.9**

स्रोत: विभाग के अभिलेख।

[3] (i) मसानी रिजर्वायर, (ii) घरोंडा सिंचाई स्कीम और (iii) लाडवा सिंचाई स्कीम का नवीकरण और आधुनिकीकरण।

भाखड़ा मेन लाईन (बी.एम.एल.) हांसी भुटाना चैनल भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित होने तथा अंतर-राज्य झगड़े के कारण कार्यान्वित नहीं हो सका। यह अवलोकन किया गया कि दादुपुर-नलवी स्कीम के अंतर्गत दर्शाई उपलब्धियां गलत थी क्योंकि नहर पूर्ण नहीं थी। सिंचाई के लिए न तो माईनर आवश्यक थे जैसा कि योजना बनाई गई थी न ही रेलवे क्रॉसिंग पर अधोसेतु/नाली पूर्ण की गई थी। जैसा कि अनुच्छेद 2.2.9.1 में विचार-विमर्श किया गया, स्कीम निष्क्रिय रही।

- ***बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्य***

विभाग बाढ़ से बचाव कार्यो को निष्पादित करता है जैसे कि नालियों का निर्माण, बांध का निर्माण और मरम्मत, दीवारों को बनाए रखना और पत्थर जड़ना। अनुमोदित, पूर्ण और प्रगति में बाढ़ एवं जल निकासी कार्य **तालिका 3** में दिए गए अनुसार हैं।

तालिका 3: बाढ़ एवं जल निकासी कार्यों की प्रगति दर्शाते विवरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	नये	कुल	पूर्ण	बंद हुए	शेष
2007-08	93	92	185	79	20	86
2008-09	86	75	161	67	8	86
2009-10	86	74	160	67	16	77
2010-11	77	69	146	36	7	103
2011-12	103	252	355	126	36	193
कुल		**562**		**375**	**87**	

स्रोतः विभागीय अभिलेख।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 193 अपूर्ण बाढ़ नियंत्रण बचाव कार्यो में से 39 कार्य (2006-07 से 2009-10 में अनुमोदित) दो से पांच वर्षो से अधिक बकाया थे। भूमि के अधिग्रहण में देरी, रेलवे, लोक निर्माण विभाग, खनन विभाग इत्यादि के साथ समन्वय के अभाव ने इन स्कीमों को लागू करने को प्रभावित किया। कुल 87 स्कीमें किसानों से सुयोजन के लिए झगड़े, नदी कोर्स में परिवर्तन के कारण तथा गैर-संभव तकनीकी के कारण बंद हो गई। जिससे, बाढ़ बचाव माप नहीं लिए जा सके जैसा कि आयोजित थे।

2.2.7.2 सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का कवरेज

कुल सिंचाई संभावित बनाए गए अर्थात् सिंचाई संभावित उपयोग किए गए विवरण **तालिका 4** में दिए गए हैं:

तालिका 4: कृषि योग्य कमांड क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र के विवरण

वर्ष	नहरों की लंबाई	कुल संभावित सिंचाई	उपयोग की गई संभावित सिंचाई
		(लाख हैक्टेयर में)	
2007-08	13641.08	29.66	22.04
2008-09	14287.78	29.36	21.64
2009-10	14688.43	30.29	21.23
2010-11	14754.25	29.78	21.13
औसत		29.77	21.51

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित डाटा।

जैसा कि तालिका 4 से देखा गया है यद्यपि 2007-11 के दौरान नहरों की कुल लंबाई 13,641 किलोमीटर से 14,754 किलोमीटर बढ़ी, वहां नहर के पानी से सिंचित क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सिंचाई संभावित क्षेत्र की कम उपयोगिता सिंचाई परियोजनाओं के अकार्यन्वयन के कारण थी जैसा कि अनुच्छेद 2.2.7,2.2.7.1 तथा 2.2.9.1 में विचार-विमर्श किया गया है।

2.2.8 वित्तीय प्रबंधन

2.2.8.1 बजट प्रावधान एवं व्यय

पंजाब बजट नियम-पुस्तिका जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुच्छेद 5.3 में जैसे प्रस्तुत किया गया, सामान्य व्यय के बजट अनुमान जितना संभव हो ठीक बनाया जाना चाहिए। 2007-08 से 2011-12 के दौरान व्यय की सभी मदों के लिए बजट प्रावधान जो कि पहले देखा जा सके उचित उप-शीर्षो के अंतर्गत बनाया तथा डाला जाना चाहिए। विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को लागू करने में बजट प्रावधान और इसके विरूद्ध किया गया व्यय जैसा कि **तालिका 5** में दिया गया था।

तालिका 5: 2007-12 के दौरान बजट प्रावधान एवं किए गए व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	संशोधित बजट	व्यय	बचत (-)/अधिक (+) संशोधित बजट के संबंध में
2007-08	1236.37	1429.82	1520.84	(+) 91.02
2008-09	1366.41	1692.70	1472.73	(-) 219.97
2009-10	1643.42	1724.32	1485.71	(-) 238.61
2010-11	1513.93	1635.14	1519.07	(-) 116.07
2011-12	1558.96	1842.94	1733.38	(-) 109.56

स्रोतः राज्य सरकार बजट।

बजट प्रावधान और व्यय के आंकड़ों के विश्लेषण ने बजट प्रावधान तथा व्यय के मध्य वृस्तत परिवर्तन प्रकट किए। इस समयावधि के दौरान राजस्व व्यय के अंतर्गत पूंजीगत दत्तमत और बचतों में 2007-08 से 2010-11 के दौरान अधिक व्यय भी था ***(परिशिष्ट 2.5)***। फिर भी, यह कमियां सी.ए.जी. की पहली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (सिविल 2007-08 और 2008-09 से 2011-12 तक के राज्य के वित्त प्रतिवेदन) सूचित की गई थी, यह कमियां वर्ष दर वर्ष लगातार होती रही।

आगे पाया गया कि अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत विस्तृत बचतें और शून्य व्यय था। 2007-12 के दौरान ₹ 453.85 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 54.69 करोड़ खर्च किए गए जैसा कि **तालिका 6** में विवरणित हैं।

तालिका 6: एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत बजट प्रावधान तथा किए गए व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	संशोधित बजट	व्यय	बचत संशोधित बजट के संबंध में
2007-08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	20.05	19.30	13.95	5.35
2009-10	21.55	127.55	शून्य	127.55
2010-11	99.55	125.00	12.15	112.85
2011-12	120.00	182.00	28.59	153.41
कुल		453.85	54.69	

स्रोतः हरियाणा सरकार का बजट।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा क्षेत्रों/स्कीमों के पहचान हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया था जो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को लाभान्वित कर सकता था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान ई.आई.सी. ने कहा कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा स्थापना प्रभार के यथानुपात बुकिंग से राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत व्यय और बचत के अंतर्गत अधिकता हो गई। एस.सी.एस.पी. घटक के अंतर्गत कम व्यय के संबंध में विभाग ने बताया कि एस.सी.एस.पी. घटक के अंतर्गत चल रही योजनाओं की संख्या कम थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यथानुसार प्रभारों के लिए प्रावधान को फैक्टर करने की आवश्यकता थी। एस.सी.एस.पी. घटक के संबंध में, विभाग को स्कीमों/क्षेत्रों की पहचान करने हेतु उचित सर्वे करना चाहिए था जिससे एस.सी. जनसंख्या को लाभ हो सकता था।

2.2.8.2 बाढ़ के लिए केंद्रीय सहायता

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) बाढ़ प्रभावित राज्यों को नदी प्रबंधन कार्यों और संकटकालीन बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। इन कार्यों के लिए निधियों को भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाना था। जी.ओ.आई. ने ₹ 173.75 करोड़ ''राज्य में यमुना नदी के साथ बाढ़ से बचाव कार्यों'' के लिए अनुमोदित किया (अगस्त 2009)। ₹ 130.31 करोड़ की राशि के प्रावधान जी.ओ.आई. द्वारा प्रदान किए जाने थे और ₹ 43.44 करोड़ की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। परियोजना मार्च 2012 तक पूरी की जानी आवश्यक थी। इन बाढ़ बचाव कार्यों को यमुना नदी के साथ लगते पांच[4] जिलों में ले जाया जाना था। जी.ओ.आई. ने दिसंबर 2009 में ₹ 46.91 करोड़ की प्रथम किश्त जारी की। 2010 में वहां भारी बाढ़ थी तथा राज्य सरकार द्वारा जी.ओ.आई. को बाढ़ नियंत्रण कार्यों के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए बिना ₹ 139.81 करोड़ खर्च कर दिए। इस प्रकार, जी.ओ.आई. से ₹ 83.40 करोड़ की सहायता प्रतीक्षित थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि संशोधित परियोजना अनुमान नवंबर 2012 में सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत कर दिए गए थे।

2.2.8.3 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के दिशा-निर्देशों (2006 में संशोधित) के अनुसार, परियोजना की लागत जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार में 25:75 के अनुपात में बांटी जाती है, पहला 90 प्रतिशत परियोजना के परिव्यय पर आधारित था और दूसरा 10 प्रतिशत पहली किश्त का 70 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर था। केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत निधियों को जारी करने के लिए, योजना आयोग से निवेश हेतु अनुमति लेना आवश्यक था।

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत ₹ 100.28 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रस्ताव जुलाई 2007 में सी.डब्ल्यू.सी. को भेजा गया। विभाग ने संस्वीकति की प्रत्याशा में 2008-09 से परियोजना को आरम्भ कर

[4] (i) फरीदाबाद, (ii) करनाल, (iii) पानीपत, (iv) सोनीपत और (v) यमुनानगर।

दिया। तथापि, जी.ओ.आई. ने ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए नालियों के नवीकरण हेतु और नहरों के सुधार, नवीकरण हेतु ₹ 67.28 करोड़ की लागत की परियोजना को अनुमोदित किया। यह देखा गया कि विभाग ने 2008 – 10 के दौरान परियोजना पर ₹ 47.70 करोड़ खर्च कर दिए। राज्य सरकार ने ₹ 16.82 करोड़ के केंद्र के अंश को जारी करने के लिए जी.ओ.आई. से अनुरोध किया (दिसंबर 2010)। जी.ओ.आई. ने अनुदान को जारी नहीं किया क्योंकि विभाग द्वारा योजना आयोग से निवेश हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की थी। राज्य सरकार ने केवल जून 2011 में निवेश हेतु अनुमति प्राप्त की थी और अगस्त 2011 में दावे को पुन: प्रस्तुत किया। परंतु नवंबर 2012 तक ₹ 16.82 करोड़ की अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार, योजना आयोग से अनुमति की प्राप्ति में देरी के कारण जी.ओ.आई. से अनुदान राशि अप्राप्त रही। आगे, जी.ओ.आई. से परियोजना पर अनुमोदन से पहले व्यय किया गया।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए स्पष्ट किया कि जी.ओ.आई. ने निधियों को जारी नहीं किया था क्योंकि योजना आयोग से निवेश हेतु अनुमति तथा जी.ओ.आई. से परियोजना पर अनुमोदन प्राप्त करने से पहले व्यय किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जी.ओ.आई. से अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। यह तथ्य रहा कि जी.ओ.आई. से परियोजना पर अनुमोदन से पहले व्यय करने तथा योजना आयोग से परियोजना पर अनुमति प्राप्त करने में देरी के कारण राज्य सरकार जी.ओ.आई. से अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी।

2.2.8.4 सदस्य राज्यों से शेयर की प्राप्ति न होना

यमुना नदी पर हथनीकुंड बैराज के निर्माण हेतुं सितंबर 1994 में 5[5] राज्यों द्वारा अनुबंध किया। अनुबंध की धारा 4 के अनुसार, बैराज की लागत को हिमाचल प्रदेश के अलावा चार राज्यों द्वारा बांटा जाना था। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा बैराज के पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर हिस्से का निर्णय किया जाना था।

बैराज का निर्माण ₹ 295.64 करोड़ की लागत से जून 1999 में पूरा हो गया। विभाग द्वारा अगस्त 2011 में सी.डब्ल्यू.सी. को संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए गए और सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा विभागीय प्रभारों को अस्वीकृत करने के बाद ₹ 251.91 करोड़ की अन्तिम लागत नियत की गई। सदस्य राज्यों का हिस्सा जैसे कि **तालिका 7** में दिया गया था।

तालिका 7: हथनी कुंड बैराज के निर्माण हेतु सदस्य राज्यों के हिस्से के विवरण

राज्य	हिस्सा प्रतिशत	राज्यों का अंश (₹ करोड़ में)
हरियाणा	49.38	124.39
उत्तर प्रदेश	34.74	87.51
राजस्थान	9.64	24.29
दिल्ली	6.24	15.72
कुल		251.91

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

[5] (i) हरियाणा, (ii) उत्तर प्रदेश, (iii) हिमाचल प्रदेश, (iv) राजस्थान और (v) दिल्ली।

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि सदस्य राज्यों ने मार्च 2012 में दिल्ली सरकार द्वारा जमा कराए गए ₹ पांच करोड़ के अलावा हरियाणा सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस प्रकार, परियोजना की लागत को निर्धारित करने के लिए मामले को सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत करने में देरी के कारण, राज्य सरकार राज्य सदस्यों से ₹ 122.52 करोड़ के हिस्से को प्राप्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को ब्याज की हानि उठानी पड़ी क्योंकि परियोजना अपने संसाधनों से लागू की गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मामले को सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत करने में देरी को माना तथा सूचित किया कि दूसरे राज्यों से अंश की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने बारे मामला अवलोकित किया जा रहा था।

2.2.8.5 ₹ 1.94 करोड़ के अनुदान की अनुपयोगिता

पंजाब वित्तीय नियम (वाल्यूम 1) के अनुच्छेद 2.10 (ख) (5) के अनुसार कोई धनराशि बजट ग्रांट को व्यपगत होने से बचाने और जरूरत से पहले कोषालय से आहरित नहीं की जानी चाहिए।

बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की चालू स्कीमों को पूरा करने के लिए जल सेवाएं मंडल कुरूक्षेत्र द्वारा हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान (एच.आई.आर.एम.आई.) को ₹ 8.50 करोड़ की राशि जारी की गई। एच.आई.आर.एम.आई. द्वारा उपरोक्त राशि को बैंक खाते में रखा गया और विभिन्न मंडलों द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान किया गया। इस खाते से (मई 2012) ₹ 6.56 करोड़ का व्यय किया गया और 1.94 करोड़ की शेष राशि एच.आई.आर.एम.आई. के पास पड़ी रही। यह निधियां साख पत्र (एल.ओ.सी.) के द्वारा अपने-अपने मंडलों को दी जानी आवश्यक थी। आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण और उसे एच.आई.आर.एम.आई. के पास रखना सांहितिक प्रावधानों के विरूद्ध था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वीकारा कि निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियां आहरित की गई थी। विभाग की कार्यवाही पंजाब वित्तीय नियमों के विरूद्ध थी।

2.2.8.6 एच.आई.आर.एम.आई. को अनुदान का अधिक जारी करना

सिंचाई विभाग एच.आई.आर.एम.आई. को उनकी मांग के आधार पर प्रतिवर्ष स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान जारी करता है।

यह देखा गया कि 2007-12 के दौरान स्थापना अनुदानों की ₹ 16.62 करोड़ की राशि जारी की गई जिसमें से ₹ 13.63 करोड़ खर्च किए गए, जबकि ₹ 2.99 करोड़ की राशि मार्च 2012 के अंत तक अनुपयोगी पड़ी रही, वर्षवार विवरण **तालिका 8** में दिए गए है।

तालिका 8: एच.आई.आर.एम.आई. द्वारा प्राप्त अनुदान तथा किए गए व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारभिक शेष	प्राप्त अनुदान	कुल निधियां	व्यय	शेष
2007-08	शून्य	1.70	1.70	1.65	0.05
2008-09	0.05	2.30	2.35	2.26	0.09
2009-10	0.09	3.32	3.41	3.21	0.20
2010-11	0.20	3.80	4.00	2.88	1.12
2011-12	1.12	5.50	6.62	3.63	2.99
कुल		**16.62**		**13.63**	

स्रोतः एच.आई.आर.एम.आई. द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि उपयोगिता प्रमाण पत्रों में राशियों को अव्ययित दर्शाया था, एच.आई.आर.एम.आई. के पास पहले से ही पड़े शेषों को तथा होने वाले संभावनीय व्यय बिना ध्यान में रखे अनुदान जारी किए गए।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य शेयर ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि अतिरिक्त अनुदान भविष्य में समायोजित किए जाएंगे।

2.2.8.7 निविदा दस्तावेज फीस का असंशोधन

विभाग में निविदा दस्तावेज फीस के संशोधन करने बारे कोई नीति नहीं थी। विभाग निविदा फार्मों को बेचने के लिए लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) (भवन एवं सड़कें) (बी. एंड आर.) द्वारा तय किए गए दरों का अनुसरण करता है। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) ने 2008 में निविदा फार्मों को बेचने के लिए दरों को संशोधित किया था जोकि प्रति निविदा ₹ 500 और ₹ 50,000 के मध्य श्रृंखलित था। परन्तु सिंचाई विभाग ने दरों को संशोधित नहीं किया। मार्च 1997 में नियत पुरानी दरों ₹ 250 और ₹ 15,000 के मध्य श्रृंखलित प्रतिनिविदा लिए जा रहे थे। इसके परिणामस्वरूप 2008 – 12 के दौरान नमूना – जांच सर्कलों में ₹ 2.34 करोड़ को राजस्व राशि कम सृजित हुई।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सूचित किया कि कि दरों को शीघ्र ही संशोधित किया जाएगा।

2.2.9 स्कीमों को लागू करना

हरियाणा यमुना से 4.645 मिलियन एकड़ फीट[6] (एम.ए.एफ.) पानी, सतलुज से 4.4 एम.ए.एफ. पानी और रावी – व्यास से 1.62 एम.ए.एफ. पानी नलकूपों से 4.12 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त करता है। इस प्रकार, 36 एम.ए.एफ. के विरूद्ध 14.785 एम.ए.एफ. पानी की उपलब्धता है।

[6] विभाग की वर्ष 2010 – 11 की गतिविधियों/उपलब्धि रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुसार।

कमी को पूरा करने के लिए, पानी की हानियों को कम करने के लिए और राज्य के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पानी के समान वितरण हेतु 2007-12 के दौरान विभिन्न स्कीमें जैसे हांसी शाखा-भुटाना शाखा को वी.एम.एल., कौशल्या बांध, दादूपुर-नलवी सिंचाई स्कीम ओटू झील के पुनर्वास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) जल वितरण चैनल, ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विद्यमान नहरों के पुनर्वास और नवीनीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) इत्यादि द्वारा वित्त पोषित की गई दूसरी स्कीमें 2007-12 के दौरान निष्पादित की गई, जिसके लिए ₹ 2,742.10 करोड़ की निधियां स्वीकृत की गई तथा निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इन सभी स्कीमों पर ₹ 3,858.31 करोड़ खर्च किए गए। मुख्य एवं सामान्य सिंचाई स्कीमों को लागू करने में ध्यान में आई कमियों को निम्नानुसार वर्णन किया गया है:

मुख्य सिंचाई स्कीमें

2.2.9.1 दादूपुर – नलवी सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय

दादूपुर-नलवी सिंचाई स्कीम अक्तूबर 2005 में ₹ 267.27 करोड़ के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई। परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार, 590 क्यूसिस अतिरिक्त पानी दादूपुर काम्पलैक्स से शाहबाद फीडर के द्वारा ले जाया गया था। पूर्ण होने पर, परियोजना को भूमिगत जल को भरने के साथ-साथ 92,532 हैक्टेयर सिंचाई के लिए भी दिया जाना था। स्कीम तीन चरणों में पूरी की जानी थी, चरण-I (शाहबाद फीडर तथा शाहबाद वितरिका, सरस्वती नदी तथा रक्षी नदी और माइनरों के पुर्नजीवन), चरण-II (नलवी वितरक नदी और माइनर) और चरण-III (शाहबाद फीडर के साथ माइनर योजक)।

चरण-I का कार्य अप्रैल 2006 में आरंभ हुआ था और 'आर.सी.सी. बॉक्स रेलवे पुल' जो कि रेलवे द्वारा बनाया जाना था, के अलावा ₹ 126.11 करोड़ की लागत से जून 2009 में पूरा हो गया। विभाग ने विभाग ने जुलाई 2010 तक ₹ 2.47 करोड़ रेलवे के पास जमा करवाए परंतु रेलवे द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया। रेलवे ने पुल के निर्माण हेतु अतिरिक्त धन राशि ₹ 2.29 करोड़ की मांग की (जून 2011) जिसे भी दिसंबर 2011 में जमा करा दिया गया। फिर भी, रेलवे अधिकारियों ने कार्य को आरंभ नहीं किया (नवंबर 2012)।

मुख्य नहरों से उत्पन्न चरण-I और II के माइनर्स के साथ चरण III का कार्य किसानों के विरोधों के कारण स्थगित हो गया क्योंकि उन्हें पानी केवल वर्षा के मौसम में उपलब्ध था जब उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं थी। माइनर्स और वितरिकाओं के चैनल के अनुपस्थिति में, ₹ 126.11 करोड़ के लागत से बनी मुख्य नहर निष्क्रिय पड़ी रही (नवंबर 2012) तथा 92,532 हैक्टेयर को सिंचाई का लाभ जैसा कि स्कीम में विचारित है, प्राप्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ग्रामीणों के विचारों को जाने बिना तथा परियोजना की उपयोगिता के बारे में क्षेत्र के सर्वेक्षण के बिना परियोजना पर विचार किया गया। इसके परिणामस्वरूप, स्कीम पर किया गया ₹ 126.11 करोड़ का पूरा व्यय निष्फल हुआ।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने कहा कि उस क्षेत्र के भूमिगत जल को भरने के लिए परियोजना ने सहायता की थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि परियोजना का मूल उद्देश्य 92,532 हैक्टेयर भूमि को नहर सिंचाई प्रदान करना पूरा नहीं हो सका था।

2.2.9.2 जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम

जवाहरलाल नेहरू (जे.एल.एन.) लिफ्ट सिंचाई स्कीम महेन्द्रगढ़ और रोहतक जिलों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने तथा चिरकालिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार पर विचार करते थे। महेन्द्रगढ़ जिले में, स्कीम महेन्द्रगढ़ नहर और माइनर्स, नारनौल शाखा और माइनर्स तथा सतनाली फीडर और इसकी प्रणाली को आवरित करती है। महेन्द्रगढ़ नहर पानी का अपना हिस्सा जे.एल.एन. फीडर से प्राप्त करता है। इस प्रणाली में, पानी को उठाने के लिए 68 पंप हाउसिस भी बनाए गए। देखे गए लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णन किए गए हैं।

- **अनुरक्षण और मरम्मत पर निष्फल व्यय**

36.523 किलोमीटर लंबाई की सतनाली फीडर महेन्द्रगढ़ नहर में 15.650 किलोमीटर पर निकलती है। नहर 0 से 23.823 किलोमीटर घनत्व पर और इसके बाद लिफ्ट प्रणाली द्वारा चलती है। आठ माइनर्स सतनाली फीडर से 23.823 किलोमीटर तक तथा 14 वितरिकाएं और माइनर्स 23.823 किलोमीटर पर परे चलती हैं।

अभिलेख की छानबीन में पाया गया कि सतनाली फीडर के अंतर्गत 2007-12 के दौरान नौ नहरों के पुर्नवास, पुर्नस्थापन और रख-रखाव पर ₹ 0.51 करोड़ की राशि खर्च की गई जो 23.823 किलोमीटर से परे पड़ता था। परन्तु सतनाली फीडर में पानी की कमी के कारण इन नहरों/माइनर्स में 2007-12 के दौरान पानी उपलब्ध नहीं था। केवल 23.823 किलोमीटर तक इस फीडर में 32 दिनों के सर्कल में आठ दिनों के लिए केवल 20-120 क्यूसिस पानी था। जैसा कि 100 क्यूसिस की क्षमता वाले सभी आठ माइनर्स 23.823 किलोमीटर पहले निकलती है समान समय पर चलती भी है। चैनल की शेष लंबाई को भरने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा 23.823 किलोमीटर तक पड़ने वाले माइनर्स में पानी की आपूर्ति को कम करके 23.823 किलोमीटर से परे क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाने बारे कोई योजना तैयार नहीं की थी।

इस प्रकार नहरों के पुर्नवास, पुर्नस्थापन और रख-रखाव पर किया गया ₹ 0.51 करोड़ का व्यय अविवेकपूर्ण था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, ई.आई.सी. ने कहा कि पानी 23.823 किलोमीटर से आगे उपलब्ध था तथा 23.823 किलोमीटर से आगे चैनल के रख-रखाव पर खर्च लाभदायक तथा आवश्यक था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पानी 23.863 किलोमीटर से आगे नहीं पहुंच रहा था। 2007-12 के दौरान न तो 23.823 किलोमीटर से आगे नहर के पानी से किसी क्षेत्र की सिंचाई की गई थी और न ही उस क्षेत्र में कोई तालाबों/टैंकों को भरा गया था।

- **पंप हाउसिस के लिए विद्युत कनैक्शन की निर्मुक्ति हेतु अन-अनुसरण**

लिफ्ट सिंचाई प्रणाली नहरों पर लगाए गए पंप हाउंसिस की सहायता से चलती है। ये पंप हाउंसिस विद्युत प्रणाली पर चलते हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया गया कि 1982 के दौरान बनाए गए पंप हाउसिस विद्युत कनेक्शन के अभाव में कार्य नहीं कर रहे थे जैसा **तालिका 9** में दिया गया है।

तालिका 9: विद्युत कनैक्शनों के अभाव में अकार्यान्वित पम्प हाऊसिस के विवरण

पंप हाउस का नाम	उस नहर का नाम जिस पर पंप हाउस स्थित है	आर.डी. जहां पंप स्थित है	जमा करने की तिथि	जमा की गई राशि (₹ लाखों में)
एम.जी.डी. 1	माधोगढ़ वितरिका	2.173 के.एम.	-	जमा नहीं करवाया
एम.जी.डी. 2	माधोगढ़ वितरिका	3.265 के.एम.	-	जमा नहीं करवाया
एम.जी.डी. 3	माधोगढ़ वितरिका	4.447 के.एम.	-	जमा नहीं करवाया
एम.एम. 2	अटेली माईनर	4.000 के.एम.	दिसंबर 2000	5.76
आर.पी.एम. 1	रामपुर सब माइनर	5.800 के.एम.	मार्च 1999	14.50
डी.एन.एम. 2	डनचोली माईनर	4.000 के.एम.	दिसंबर 2000	6.58
डी.एम.जी.एम. 1	दोस्तपुर माईनर	2.400 के.एम.	दिसंबर 2000	6.73
			कुल	33.57

कुछ अकार्यान्वित पम्प हाऊसिस निम्नलिखित चित्रों में चित्रित किए गए है।





माधोगढ़ वितरिका के पंप हाउस पर विद्युत कनैक्शन न देना (14 मई 2012)





परिव्यक्त नहर माधोगढ़ वितरिका (14 मई 2012)

यद्यपि मार्च 1999 और दिसंबर 2000 में बिजली कनेक्शनों को जारी करने के लिए जमानती राशि के रूप में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 33.57 लाख की राशि जमा करवाई, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कनेक्शन जारी नहीं किए थे तथा डिवीजन ने कनेक्शनों को जारी करने

के लिए अनुसरण नहीं किया ताकि पंप हाउसिंस को कार्यशील बनाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, इन क्षेत्रों में अकार्यान्वित रही तथा माइनर्स परित्यक्त पड़े रहे।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, ई.आई.सी. ने कहा कि पानी की कमी के कारण, माधोगढ़ वितरिका के संबंध में राशि जमा नहीं करवाई गई तथा मामले को बिजली कनेक्शन के लिए अवलोकित नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग इसके पंप हाउसिंग को चलाने के लिए बिजली कनेक्शनों के अभाव में समान तरीके से उपलबध पानी को वितरित नहीं कर सका जैसा कि पानी को ऊपर उठाना स्कीम का भाग था इसके अतिरिक्त स्कीम के लाभ अभीष्ट जनसंख्या तक नहीं पहुंचे।

मध्यम सिंचाई स्कीम

2.2.9.3 ओटू झील

ओटू झील की क्षमता को बढ़ाने के लिए ₹ 69.69 करोड़ की लागत से एक परियोजना, सिरसा जिले में एक जल संस्था को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (दिसंबर 2007) किया गया। जल संस्था के बनाने से पर्यटकों के लिए संभावना क्षेत्र था। परियोजना को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार, झील के शिखर स्तर को नीचे लाने के लिए 5.95 फीट की औसत गहराई के साथ लगभग 1,000 एकड़ की झील क्षेत्र को डि-सिल्ट करना था। परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार, 75,50,732 क्यूम जमीन की खुदाई की जानी थी और खुदी हुई जमीन का एक भाग घग्घर नदी के दोनों तरफ बांध पर लगाया जाना था। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- सिंचाई उद्देश्यों के लिए लगभग 6125 एकड़ फीट अतिरिक्त पानी की उपलब्धता।
- क्षेत्र के भूमिगत जल को भरना।
- भूमिगत जल जो कि खारा है की गुणवत्ता में सुधार ।
- बृहत जल संस्था और बृहत स्तर पर मछली पालन के कारण पर्यटक संभावना को बनाना।
- खरीफ पैदावार को बढ़ाना।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियां पाई:

- **कार्य को विभाजित करना**

लोक निर्माण संहिता के अनुच्छेद 2.21 यह प्रावधान करता है कि कार्यों को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि 2007-08 के दौरान फेस I में ओटू झील से गाद निकालने का कार्य ₹ 53.65 से ₹ 62.10 प्रति क्यूम की श्रृंखलित दरों पर 13 ऐजेन्सियों को और 2008-09 के दौरान फेस II में ₹ 65.50 से ₹ 102 प्रति क्यूम की श्रृंखलित दर से अन्य 13 एजेन्सियों का आबंटित किया गया। दोनों फेसों के कार्य पूर्ण हो गए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यदि फेस I तथा II के लिए यदि समेकित निविदाएं आमंत्रित के बाद कार्य आबंटित किया जाता, तो जिन दरों पर कार्य करवाया गया उनकी तुलना में दरें कम होती।

कार्यों के विभाजित करने तथा समेकित निविदा न आमन्त्रित करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस मामले में कुछ अधिकारियों को चार्जशीट किया गया और मामला जांच के अधीन था।

- **ओटू झील की उपजाऊ भूमि की बिक्री न होना**

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान दो चरणों में ओटू झील से गाद निकालने का कार्य घग्घर जल सेवाएं मंडल, सिरसा द्वारा निष्पादित किया गया तथा ₹ 44.57[7] करोड़ के व्यय से कुल 70.04 लाख क्यूम अर्थ वर्क निष्पादित किया गया। यह देखा गया कि मंडल ने उपजाऊ भूमि की बिक्री हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं की। मंडल ने, यद्यपि आर.डी. 0 से 3000 तक की पहुंच में भूमि की बिक्री बारे मई 2012 में निविदाएं आमंत्रित की। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों ने स्वयं भी खुदाई की।

क्योंकि खुदी हुई भूमि उपजाऊ थी, तथा ठेकेदारों ने स्वयं भूमि खुदाई के अतिरिक्त 2012-13 के दौरान भूमि के लिए भुगतान किया था। विभाग को 2007-08 तथा 2008-09 में राजस्व अर्जित करने तथा खुदाई पर किए गए व्यय से बचत हेतु भूमि को बेचने की संभावना की खोज की जानी चाहिए थी।

यह इंगित किए जाने पर एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि मामला जांच के अधीन था तथा दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.2.10 अन्य बिंदु

2.2.10.1 नहरों की क्षमता बढ़ाने/पुनर्निर्माण पर व्यय

खरीफ के मौसम के दौरान सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, 2007-12 के दौरान ₹ 13.11 करोड़ खर्च करने के बाद नो माइनर्स/नहरों की क्षमता को 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। डिवीजनों के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि इन नहरों की क्षमता को बढ़ाने के बाद भी, इन नहरों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र को इच्छुक स्तर तक नहीं बढ़ाया था, यहां तक कि कुछ मामलों में सिंचित क्षेत्र कम हो गया था। क्षमता को बढ़ाने पर किया गया

व्यय और क्षमता को बढ़ाने के पहले और बाद में सिंचित क्षेत्र के विवरण **तालिका 10** में दिए गए हैं।

[7] फेस I: ₹ 16.78 करोड़ के लिए 29.76 लाख क्यूम तथा फेस II: ₹ 27.79 करोड़ के लिए 40.58 लाख क्यूम।

तालिका 10: नहरों की क्षमता अर्थात् सिंचाई क्षेत्र के बढ़ाने पर किए गए व्यय के विवरण

डिवीज़न का नाम	नहर का नाम	व्यय (₹ लाख में)	पूरा करने की तिथि	सिंचित क्षेत्र				
				2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सांपला जल सेवाएं मंडल, रोहतक सांपला जल सेवाएं मंडल, रोहतक	ढुलहरा वितरिका	530.85	मई 2009	10578	10112	7837	8499	-
	झज्जर उप शाखा	116.50	मार्च 2010	6344	6106	5796	6520	-
	बरहाना माइनर	50.05	जनवरी 2010	2934	2411	2136	2007	-
जींद जल सेवाएं मंडल, जींद	जींद वितरिका 6 ए	25.98	मार्च 2009	2016	1946	1877	1906	1935
	करसोला माईनर	68.98	जनवरी 2010	9204	8574	8813	8731	9262
	रामकली माहइर	142.46	मार्च 2009	2497	2708	2667	2686	3176
	बरारखेडा माईनर	60.41	नवंबर 2009	2322	2363	2194	2258	2178
	एम.एस.एल. लिंक चैनल	149.93	जुलाई 2010	3954	3693	3791	3904	4133
	सुंदर उप शाखा	165.36	मार्च 2010	12944	13243	12771	12705	12927
कुल		1310.52						

स्रोत: विभागीय अभिलेख।

उपरोक्त डाटा इंगित करता है कि माईनस/नहरों की क्षमता को बढ़ाने की उपयोगिता को निर्धारित करने में व्यवहार्यता अध्ययन उचित प्रकार से नहीं किया गया था। इस प्रकार ₹ 13.11 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल हुआ।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान ई.आई.सी. ने कहा कि वर्षा के मौसम में पश्चिम यमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) के अतिरिक्त पानी को उपयोग में लाने के लिए क्षमता बढ़ाई गई तथा चैनलों की क्षमता की बढ़ोतरी सिंचित क्षेत्र तक सीधे जुड़ी हुई नहीं थी।

2.2.10.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निधियों का अनुपयोग।

जी.ओ.आई. ने ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) बनाया। इस स्कीम के अंतर्गत, अप्रशिक्षित हस्तश्रमिकों के लिए मजदूरी की पूरी लागत जी.ओ.आई. द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि स्कीम के अंतर्गत नालियों और माइनर्स से गाद निकालने को फोकस क्षेत्र के रूप में लिया जाए। अप्रैल 2007 से स्कीम दो जिलों (सिरसा और महेन्द्रगढ़) में तथा अप्रैल 2008 से सारे राज्य में लागू की गई।

आठ मंडलों के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया कि 2007-12 के दौरान मनरेगा (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) स्कीम के अंतर्गत पांच[8] मंडलों ने ₹ 9.42 करोड़ की लागत से गाद निकालने का 6 से 52 प्रतिशत तक कार्य किया गया जबकि इस स्कीम के अंतर्गत तीन मंडलों द्वारा गाद नहीं निकाली

[8] (i) वाई.डब्ल्यू.एस. जींद, (ii) वाई.डब्ल्यू.एस. करनाल, (iii) बी.डब्ल्यू.एस. कैथल, (iv) बी.डब्ल्यू.एस. सिरसा तथा (v) जे.एल.एन. नारनौल।

गई यद्यपि ₹ 34.25 करोड़ की लागत का गाद निकालने का कार्य ठेकेदारों द्वारा ***(परिशिष्ट 2.6)*** निष्पादित करवाया गया। यदि इन तीन मंडलों द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत गाद निकालने के कार्य को निष्पादित किया होता, तो एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत रोजगार के उत्पन्न होने के अतिरिक्त राज्य संसाधनों से ₹ 34.25 करोड़ की राशि बचाई जा सकती थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने कहा कि कुछ जिलों में मजदूर उपलब्ध न होने के कारण गाद निकालने का कार्य ठेकेदारों से करवाया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था जैसा कि इन तीन मंडलों द्वारा स्कीम के अंतर्गत एक भी कार्य नहीं किया गया था। इन तीन जिलों में, स्कीम के अंतर्गत 61,098[9] परिवार नौकरी के कार्डो को लिए हुए थे, जिनमें से 2009-10 के दौरान 23,610[10] परिवारों को नौकरी दी गई थी।

2.2.10.3 ₹ 1.35 करोड़ की लागत हैड रेगुलेटर का क्षतिग्रस्त होना

डब्ल्यू.जे.सी. (मुख्य लाईन लोअर) के आर.डी. 68036 तक संवर्धित नहर के हैड रेगुलेटर को नए रूप देने के निर्माण कार्य को एक ठेकेदार द्वारा नवंबर 2008 में ₹ 1.35 करोड़ में किया गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद एक वर्ष तक की अवधि के लिए त्रुटिपूर्ण दायित्व था।

स्तम्भ और आधार की व्यवस्था के कारण 10 जून 2009 को ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। ढांचे के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की छानबीन के लिए एक कमेटी बनाई गई (जून 2009) जिसे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान स्टेशन (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.), पुणे (मार्च 2012) से मामले की छानबीन करवाने के लिए निर्णय लिया जाना था। सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. पूणे ने नवंबर 2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन थी। अगले विकास प्रतीक्षित थे (जनवरी 2013)।

क्षतिग्रस्त हैड रेगुलेटर का स्थिति नीचे फोटो में चित्रित की गई हैं:



(क्षतिग्रस्त हैड हेतु रेगुलेटर (7 जून 2012)

[9] भिवानी: 31,983, जगाधरी (यमुनानगर): 19,723 तथा रोहतक: 9,392

[10] भिवानी: 13,580, जगाधरी (यमुनानगर): 7,398 तथा रोहतक: 2,632

जल प्रदूषण

2.2.10.4 पश्चिमी जमुना नहर में मलजल एवं बहि:स्राव जल के निस्तारण के कारण पर्यावरण संकट

नहर एवं जल निकास अधिनियम के अनुसार, डब्ल्यू.जे.सी. में मलजल एवं बहि:स्राव जल को छोड़ना अनुमत्य नहीं है। डब्ल्यू.जे.सी. का पानी हरियाणा के दक्षिणी भागों तथा दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहरों में बहि:स्राव जल को छोड़ना प्रतिबन्धित किया हुआ है। डब्ल्यू.जे.सी. के स्थानों पर भौतिक सत्यापन तथा दादूपुर जल सेवाएं मंडल, दादूपुर के अभिलेखों की छानबीन में पाया गया (जून 2012) कि मलजल और बहि:स्राव जल डब्ल्यू.जे.सी. में विभिन्न स्थलों पर छोड़ा जा रहा था।

यमुनानगर और जगाधरी कस्बों के अतिरिक्त बहि:स्राव को छोड़ने की समस्या पर ध्यान देने के लिए, 2008 के दौरान एक डिच अपवाहिका का निर्माण किया गया। इसके बाद भी, डिच अपवाहिका के ऊपर छलकने के तरीकों से बहि:स्राव जल बहे जा रहा था। अभिलेखों के अध्ययन के बाद आगे पाया गया कि डब्ल्यू.जे.सी. में 11 अन्य स्थानों पर 20 क्यूसिस मलजल और बहिस्राव जल छोड़ा जा रहा था ***(परिशिष्ट 2.7)***। मलजल और बहिस्राव जल के निस्तारण की स्थिति नीचे चित्रों में दर्शाई गई है:



एम.सी. क्षेत्र यमुनानगर में खुले नाले के साथ मलजल (7 जून 2012)



यमुनानगर में डिच अपवाहिका के ऊपर छलकने के तरीके से गिरता बहि:स्राव जल (7 जून 2012)

पश्चिमी जमुना नहर में मलमल एवं बहिस्राव जल को छोड़ने से रोकने के लिए विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे। इसने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उपायुक्तों के साथ मामले को उठाया था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि डब्ल्यू.जे.सी. में मलजल के निस्तारण को रोकने के लिए मामले को पहले ही उच्च स्तर तक उठाया गया था।

2.2.11 जल निकास एवं बाढ़ नियंत्रण

जैसा कि पहले भी कहा गया है, हरियाणा राज्य तीन बेसिनों के अंतर्गत आवृत है यानी यमुना बेसिन (16330 वर्ग किलोमीटर), घग्घर बेसिन (10675 वर्ग किलोमीटर) और आन्तरिक बेसिन (17207 वर्ग किलोमीटर)। हरियाणा में दो जल निकास प्रणालियां हैं अर्थात् एक जल निकास यमुना नदी से तथा दूसरी घग्घर नदी से थे। यह नदियां अक्सर मानसून में बाढ़ का सामना करती हैं। वर्षा का पानी भी राज्य के दबाव के क्षेत्रों में एकत्रित होने को अग्रसर होता है जो बाढ़ का कारण बनते और बड़े-बड़े क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ के कारण लगातार होने वाली हानियों से राज्य को बचाने के लिए, हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.एफ.सी.बी.) से विधिवत् अनुमोदित सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्य किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अभिलेखों की छानबीन में निम्नलिखित चूक/अनियमितताएं पाईः

2.2.11.1 खनन विभाग से समन्वय की कमी के कारण अतिरिक्त व्यय

तीन बाढ़ बचाव कार्य जैसा कि यमुना नदी के तजेवाला पर क्षतिग्रस्त बांध की आर.डी. 1100 से 1700 पर, आर.डी. 1900 से 3750 और आर.डी. 4270 से 5920 पर मरम्मत के लिए ₹ 1.43 करोड़ की लागत से स्वीकृत किए गए (अक्तूबर 2010)। दिसंबर 2010 और जनवरी 2011 में तीन महीनों में पूरे किए जाने तक ठेकेदारों को कार्य आबंटित किए गए थे। ये बांध नदी तल से उठाई जानी वाली बजरी से मरम्मत किए जाने थे। खनन विभाग ने विभाग को ठेकेदार द्वारा रायल्टी जमा कराने के लिए जिम्मेदारी देने तथा अल्पकालिक परमिट लेने बारे सूचित किया (जनवरी 2011) परन्तु विभाग द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किया गया। अतः खनन विभाग ने इन आधारों पर कार्य रोक दिए (फरवरी 2011) कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में खनन प्रतिबन्धित है। तथापि, खनन विभाग ने अप्रैल 2011 में इन बांधों के लिए सामान उठाने की अनुमति दे दी। परंतु ठेकेदारों ने कार्य आरंभ करने से मना कर दिया क्योंकि तीन महीनों की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। कार्यों को अन्तिम रूप दिया गया और शेष कार्यों को दूसरी एजेंसी को उच्चतर दरों पर आबंटित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार, खनन विभाग से समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, ई.आई.सी. ने कहा कि खनन विभाग द्वारा रोकने के कारण पूर्ववर्ती ठेकेदारों द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया गया। बाद में जब खनन विभाग से अनुमति प्राप्त हुई, ठेकेदारों ने पुरानी दरों पर कार्य करने से मना कर दिया, इसलिए, कार्यों को पुनः आबंटित किया गया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि खनन विभाग से अनुमति पहले चरण में नहीं ली गई, जिसके कारण ₹ 1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.2.11.2 प्रशासनिक अनुमोदन एवं अनुमान की स्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन करना

पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के अनुच्छेद 9.1.1 के अनुसार, कोई भी कार्य प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना आरंभ नहीं किया जाना चाहिए। आगे, अनुच्छेद 9.5.1 यह प्रावधान करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह संतुष्ट किए जाने के बाद कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही तथा लागत सही है, विस्तृत लागत अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत किए गए हैं, के बाद ही कार्यों को आरंभ किया जाता है। अभिलेखों की नमूना – जांच में पाया गया कि जिला यमुनानगर के लिए 2010 – 11 में इनकी 42वीं मीटिंग में एच.एस.एफ.सी.बी. द्वारा ₹ 53.73 करोड़ की अनुमानित लागत से 43 कार्य अनुमोदित किए गए। इन कार्यों पर 2010 – 11 तथा 2011 – 12 के दौरान ₹ 33.97 करोड़ खर्च किए गए। परंतु सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन और अनुमानों की स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। व्यय के विवरण **तालिका 11** में दिए गए हैं।

तालिका 11: प्रशासनिक अनुमोदन तथा अनुमानों के बिना किए गए व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

मंडल का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	व्यय
दादुपुर जल सेवा मंडल, दादुपुर	8	24.61	33.63	18.08
जगाधरी जल सेवा मंडल, जगाधरी	31	12.13	15.09	11.99
हथनीकुंड बैराज, मंडल नं. 1, जगाधरी	4	4.85	5.01	3.90
कुल	**43**	**41.59**	**53.73**	**33.97**

स्रोत: विभागीय अभिलेख।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, ई.आई.सी. ने तथ्यों को स्वीकारते हुए स्पष्ट किया कि आवश्यकता को देखते हुए, कार्य अनुमोदन की प्रत्याशा में निष्पादित किए गए। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग की कार्यवाही नियम संहिता के प्रावधान के उल्लघंन में थी।

लेखापरीक्षा ने आगे निम्नलिखित कमियां अवलोकित की:

- **नकली/अनुचित परफार्मेन्स गारंटी प्रस्तुत करना**

लोक निर्माण नियम संहिता का अनुच्छेद 13.12 प्रावधान करता है कि सफल निविदाकारों को निविदा मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से परफामेंन्स सिक्योरिटी प्रस्तुत करनी चाहिए जो बैंक गारंटी के रूप में हो सकती है। मंडल अधिकारियों के लिए बैंक गारंटी की यर्थाथता के बारे में सीधे उन्हें जारी करने वाले बैंकों से स्वतंत्र पुष्टिकरण प्राप्त करना आवश्यक था।

दो कार्य एक फर्म को क्रमश: ₹ 6.86 करोड़ तथा ₹ 5.76 करोड़ के ठेका मूल्य के लिए आबंटित किए गए (मार्च 2011)। फर्म ने परफामैंन्स गारंटी के प्रति ₹ 34.80 लाख और ₹ 29 लाख की दो विशेष सावधिक जमा प्राप्तियां (एस.टी.डी.आर.) जमा करवाई। एजैंसी द्वारा जुलाई 2011 तक ₹ 4.32 करोड़ के निर्माण कार्य पूर्ण किए तथा ₹ 8.30 करोड़ के कार्य अनिष्पादित छोड़ दिए। शेष कार्य का 20 प्रतिशत ₹ 1.66 करोड़ का जुर्माना एजैंसी पर लगाना आवश्यक था। डिवीजन ने

एस.टी.डी.आर.एस. की यर्थाथता देरी से जांच की और बैंक ने सूचित किया (अगस्त 2011) कि ऐसी कोई एस.टी.डी.आर. उनके द्वारा जारी नहीं की गई।

इस प्रकार, विभाग के पास एजैंसी से जुर्माने की वसूली हेतु कोई साधन नहीं थे। एस.डी.आर.एस. की जांच में विभाग के स्तर पर ढीलेपन से परिणामत: ₹ 63.80 लाख की हानि हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि ठेकेदार के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है (मई 2012) तथा उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है (अगस्त 2012)। तथ्य तथापि, रहता है कि विभाग द्वारा बैंक गारंटी की यथार्थता के सत्यापन करने बारे निर्धारित प्रणाली को नहीं अपनाने के कारण राज्य राजकोष की हानि सहनी पड़ी।

- **अव-मानक कार्यों का निष्पादन**

यमुनानगर जिले के लिए एच.एस.एफ.सी.बी. की 42वीं मीटिंग में 43 कार्य अनुमोदित किए (दिसंबर 2010) जिन्हें हथनी कुण्ड बैराज (एच.के.बी.) सर्कल जगाधरी के विभिन्न डिवीजनों द्वारा निष्पादित किया। इन कार्यों पर लगाए गए सामग्री के नमूने एच.आई.आर.एम.आई. द्वारा लिए गए (जून/जुलाई 2011)। नमूनों के परिणाम अगस्त 2011 में प्राप्त हुए और एच.के.बी. सर्कल जगाधरी में निष्पादित आठ कार्य,(सात कार्य जल सेवाएं डिवीजन, दादुपुर और एक जल सेवाएं डिवीजन जगाधरी द्वारा निष्पादित) अव-मानक पाए गए। कार्यों की संशोधित लागत ₹ 33.61 करोड़ में से ₹ 18.01 करोड़ का व्यय जुलाई 2011 को किया ***(परिशिष्ट 2.8)***।

मामले की जांच हेतु तीन मुख्य अभियंताओं की एक कमेटी गठित की गई (फरवरी 2012)।

ई.आई.सी. ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई (जुलाई 2012) तथा दोषी अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरूद्ध सरकार के अनुमोदन के पश्चात् कार्यवाही की जाएगी परंतु आज तक (नवंबर 2012) कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.2.12 भूमि अधिग्रहण एवं प्रबंधन

राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिकारियों (एल.ए.ओज) से नहरों/अपवाहिकाओं के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की जाती है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

2.2.12.1 एल.ए.ओ से शेष राशि की अवसूली

विभिन्न कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु, 14 मंडलों ने 2007-12 के दौरान एल.ए.ओ.एस. के पास ₹ 155.86 करोड़ जमा करवाए। इनमें से, ₹ 148.14 करोड़ के अवार्ड घोषित किए गए तथा ₹ 2.80 करोड़ वापस किए गए। भूमि के अवार्ड घोषित होने के एक से चार वर्षों के पश्चात् भी एल.ए.ओ.एस. द्वारा ₹ 4.92 करोड़ की शेष राशि वापस नहीं की गई ***(परिशिष्ट 2.9)***। शेष राशि की अवसूली के परिणामस्वरूप ₹ 4.92 करोड़ की राशि की निधियां अवरूद्ध रही।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एल.ए.ओज के पास पड़े शेषों को निर्धारित करने तथा अव्ययित राशियों को वापस करने बारे विभाग द्वारा कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, ई.आई.सी. ने आश्वासन दिया कि एल.ए.ओज से अव्ययित राशि को वापस प्राप्त करने बारे उचित प्रणाली विकसित की जाएगी।

2.2.12.2 भूमि का परिवर्तन नहीं किया गया

विभाग द्वारा किसानों से माइनर्स/अपवाहिकाओं के निर्माण हेतु कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की गई थी। भूमि का परिवर्तन राजस्व अभिलेखों में विभाग के नाम किया जाना आवश्यक था। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2007-12 के दौरान नमूना-जांच किए गए डिवीजनों/मंडलों द्वारा 1455.8623 एकड़ भूमि ***(परिशिष्ट 2.10)*** अधिगृहित की गई थी, जिसमें से 764.62 एकड़ भूमि का परिवर्तन विभाग के नाम पर नहीं किया गया (जून 2012)। जिससे भविष्य में भूमि स्वामित्व बारे अनावश्यक मुकद्दमेंबाजी हो सकती है।

ई.आई.सी. ने कहा (नवंबर 2012) कि विभाग के पक्ष में परिवर्तन प्राप्त करने बारे सभी प्रयत्न किए जा रहे थे।

2.2.13 मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.13.1 स्टाफ की कमी

31 मार्च 2012 को विभाग की मानवशक्ति स्थिति **तालिका 12** में दी गई थी।

तालिका 12: विभिन्न सवंर्गों में स्टाफ की कमी के विवरण

क्रम. सं.	पद का नाम	स्वीकृत क्षमता	तैनात स्टाफ	कमी/ अधिकता	कमी का प्रतिशत
1	प्रमुख अभियंता	1	1	-	शून्य
2	मुख्य अभियंता	6	6	-	शून्य
3	अधीक्षक अभियंता	28	25	3	11
4	कार्यकारी अभियंता	132	114	18	14
5	उप मंडलीय अभियंता	328	204	124	38
6	कनिष्ठ अभियंता	1323	854	469	35
7	मंडल प्रमुख ड्राफ्टमैन/डिवीजन प्रमुख ड्राफ्टमैन/ड्राफ्टमैन/ट्रेसर	651	380	271	42
8	राजस्व स्टाफ	1946	1185	761	39
9	लिपिकीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3399	2559	840	25
10	श्रमिक	8367	6403	1964	23

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग में सभी क्षेत्रीय संवर्गो में स्टाफ की कमी थी जिससे विभिन्न कार्यो के निष्पादन में कमियां हुई, जैसे राजस्व की वसूली आदि।

ई.आई.सी. ने बताया (नवंबर 2012) कि स्टाफ की भर्ती हेतु मांग हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी।

2.2.13.2 भारी स्थापना प्रभारों से डिवीजनों का निर्माण

विभाग के वित्तीय नियमों के परिशिष्ट II का अनुच्छेद 6 स्थापना व्यय पर निर्माण कार्यों के कुल व्यय के 24 प्रतिशत का प्रावधान करता है।

चयनित मंडल/डिवीजनों के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि 2007-12 के दौरान सात डिवीजनों में स्थापना व्यय मानकों से बढ़ गया था। निर्माण मंडलों को कार्य आबंटित करने बारे में कोई मानक नहीं थे। 2007-12 के दौरान चयनित परिमण्डलों के अंतर्गत मंडलों के निर्माण कार्य में व्यय की तुलना में स्थापना व्यय के विवरण **तालिका 13** में दिए गए हैं।

तालिका 13: निर्माण मंडलों में किए गए स्थापना व्यय की प्रतिशतता

क्रम संख्या	परिमंडल का नाम	मंडल का नाम	स्थापना व्यय का कार्य व्यय पर प्रतिशत				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	यमुना जल सेवाएं, रोहतक	निर्माण मंडल संख्या 21, रोहतक	14	66	43	30	92
2		निर्माण मंडल संख्या 30, गोहाना	19	14	914	42	381
3	यमुना जल सेवाएं, करनाल	निर्माण मंडल संख्या 17, करनाल	5	55	41	21	35
4	निर्माण, हिसार	निर्माण मंडल संख्या 7 हिसार	54	79	1053	41	53
5		निर्माण मंडल संख्या 28	16	39	344	30	66
6	यमुना जल सेवाएं, जींद	निर्माण मंडल संख्या	--	--	--	13	36
7.	हथनी कुंड बैराज, जगाधरी	निर्माण मंडल संख्या 14, कुरूक्षेत्र	5	14	25	1183	23

स्रोत: विभागीय अभिलेख।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग द्वारा अनुपातिक तरीके से मानवशक्ति को उपयोग करने में कोई यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी। ई.आई.सी. ने कहा (नवंबर 2012) कि मांग के अनुसार निर्माण मंडलों को विलय/पुन: स्थापित करने बारे उचित पालन किया जाएगा।

2.2.14 आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग

2.2.14.1 स्टाफ तथा अन्यों के विरूद्ध एम.पी.डब्ल्यू.ए. में पड़ी राशि की अ-वसूली/समायोजन

लेखा नियमावली वाल्यूम-III का अनुच्छेद 54 प्रावधान करता है कि विविध लोक निर्माण अग्रिमों (एम.पी.डब्ल्यू.ए.) में रखी गई राशि की निगरानी नियमित लेखाओं के द्वारा की जानी चाहिए। चयनित मंडलों/परिमंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि एम.पी.डब्ल्यू.ए. में

₹ 160.62 लाख की राशि बकाया पड़ी थी। इसमें से, ₹ 59.30 लाख विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के पास से विक्रय सामग्री की कमी, अवमानक कार्य इत्यादि के कारण, बकाया पड़े रहे। बकाया राशि के आयुवार विवरण **तालिका 14** में दिए गए हैं।

तालिका 14: एम.पी.डब्ल्यू.ए. में बकाया राशियों के विवरण

(₹ लाख में)

5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष		10 वर्ष से अधिक		कुल	
कुल	स्टाफ	कुल	स्टाफ	कुल	स्टाफ	कुल	स्टाफ
39.65	5.64	18.31	5.07	102.66	48.59	160.62	59.30

स्रोतः विभागीय अभिलेख।

कार्यकारी अभियंताओं द्वारा स्टाफ तथा अन्यों से बकाया राशि की वसूली/समायोजन करने बारे ठोस कदम नहीं उठाए गए थे।

ई.आई.सी. ने बताया (नवंबर 2012) कि वसूली संभव नहीं थी क्योंकि सबंधित लोगों के ठिकाने नहीं पता थे। उत्तर इंगित करता है कि विभाग द्वारा बहुत देर से एम.पी.डब्ल्यू.ए. के पास पड़ी हुई राशि के समायोजना/वसूली करने बारे उचित कार्यवाही नहीं की गई।

2.2.14.2 राजस्व के डिपाजिट में पड़ी राशियों का स्थानांतरण न करना

पंजाब वित्तीय नियम (वाल्यूम I) का अनुच्छेद 12.7 प्रावधान करता है कि तीन वर्षों से अधिक समय तक डिपोजिट में पड़ी समग्र राशि विभाग के राजस्व शीर्ष को जमा की जानी चाहिए। चयनित परिमंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि ₹ 6.19 करोड़ की राशि जो तीन वर्षों से अधिक पुरानी थी डिपोजिट के अंतर्गत पड़ी थी। विवरण **तालिका 15** में दिए गए हैं।

तालिका 15: डिपोजिट में पड़ी अस्थानांतरित की गई राशियों के विवरण

(₹ लाख में)

3 से 5 वर्ष	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से ऊपर	कुल
498.16	62.59	58.26	619.01

स्रोतः विभागीय अभिलेख।

मंडल-वाइज विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दिए गए हैं। राशि राजस्व शीर्ष में जमा की जानी आवश्यक थी परंतु उसे जमा करने बारे कोई कदम नहीं उठाये गये।

ई.आई.सी. ने बताया (नवंबर 2012) कि राजस्व को निधियां स्थानांतरित करने बारे निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.14.3 श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास श्रमिक उपकर जमा न करवाना।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (अधिनियम) ठेकेदारों के कुल बिल का एक प्रतिशत की दर से श्रमिक कल्याण उपकर काटने बारे प्रावधान करता है। एकत्रित

किए गए उपकरों की प्राप्तियों को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास जमा करवानी आवश्यक थी।

नमूना-जांच किए गए मंडलों/परिमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि बोर्ड के पास उपकर जमा कराने की बजाय, ₹ 3.06 करोड़ की राशि विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा की गई तथा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 71.59 लाख की राशि डिपोजिट में रखी गई ***(परिशिष्ट 2.12)***।

ई.आई.सी. ने बताया (नवंबर 2012) कि श्रमिक कल्याण उपकर की राशि को बोर्ड के पास समय पर जमा कराने के लिए मंडलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.14.4 भूमि मुआवजे के भुगतान करने में गंभीरता की कमी।

अपर जिला न्यायाधीश, भिवानी ने याचिकादाताओं को बढ़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान करने के लिए निर्णय दिया। इसके पश्चात् मामला प्रशासनिक अनुमोदन के लिए विभाग में बकाया पड़ा रहा। भुगतान न करने के कारण, भू-स्वामियों द्वारा निष्पादन याचिका दायर की गई (अप्रैल 2010 तथा अगस्त 2010)। न्यायालय ने विभाग को भुगतान करने के निर्देश दिए परंतु विभाग ने भुगतान नहीं किया।

न्यायालय द्वारा भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान न करने के कारण विभाग के वाहन कुर्क कर लिए। सिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी ने साख पत्र (एल.ओ.सी.) जारी करने के लिए मुख्य अभियंता को मामला पुन: प्रस्तुत किया तथा इसी के लिए ई.आई.सी. को तथा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग को प्रति सहित अनुस्मारक भी भेजे गए। एल.ओ.सी. जारी करने संबंधी मामला मंडल और ई.आई.सी. के मध्य इस समय के दौरान विचाराधीन था। परिणामस्वरूप, मंडल वाहनों के छुड़ाने के लिए बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान को समय पर करने के योग्य नहीं था। न्यायालय ने बाद में वाई.डब्ल्यू.एस. मंडल भिवानी के चार वाहन (एच.आर. 16-सी.-4430, एच आर-16 सी-4569, एच.आर.-16 सी-4617 तथा एच.आर-16 जी. 7234) नीलाम कर दिए (मई तथा जुलाई 2011) तथा ₹ 2.48 लाख राशि प्राप्त की तथा कोषालय में जमा कर दी। इसके बाद, सितंबर 2011 में ₹ 33.06 लाख का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, न्यायालय के निर्णय के पश्चात् बढ़े हुए भूमि मुआवजे के भुगतान करने में व्याप्त देरी थी। भू-स्वामियों को भुगतान करने में देरी के कारण, विभाग को ब्याज के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। नमूना-जांच के दौरान ध्यान में आये मामलों के विवरण **तालिका 16** में दिए गए हैं।

तालिका 16: भू-स्वामियों को ब्याज के भुगतान को दर्शाते विवरण

मंडल का नाम	बढ़ी हुई राशि (₹ लाख में)	निर्णय का मास	जब तक ब्याज दिया	देरी का समय (महीनों में)	ब्याज की राशि (₹ लाख में)
सिरसा जल सेवाएं, सिरसा	138.71	नवंबर 2010	जून 2011	7	12.14
नेहराना जल सेवाएं, सिरसा	84.92	सितंबर 2008	मार्च 2010	18	18.78
	9.06	सितंबर 2008	दिसंबर 2009	15	1.70
	2.20	सितंबर 2008	जनवरी 2010	16	0.44
	11.43	सितंबर 2008	नवंबर 2009	14	2.00
	0.44	सितंबर 2008	अक्तूबर 2009	13	0.07
	43.09	सितंबर 2008	अक्तूबर 2009	13	7.00
				कुल	**42.13**

स्रोतः मंडलीय अभिलेख से एकत्रित आंकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, भू-स्वामियों को भूमि के बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने में देरी के कारण, विभाग को ₹ 42.13 लाख ब्याज के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

यह न्यायालय के आदेशों के बावजूद बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान करने में गंभीरता की कमी दर्शाती थी।

ई.आई.सी. ने कहा (नवंबर 2012) कि सावधानी बरती जाएगी ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो।

2.2.14.5 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का तैयार न करना

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 6.2.7 में सम्मिलित प्रावधान के अनुसार, प्रमुख अभियंता को अपने विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की तैयारी का प्रबंध करना था, यह देते हुए:

- अपने परिचालनों का एक संक्षिप्त एवं स्पष्ट लेखा।
- प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण माइल स्टोन।
- लिए गए अभिक्रम तथा प्राप्त की गई शिक्षा, इत्यादि।

रिपोर्ट जून के अंत तक सरकार को भेजी जानी आवश्यक थी।

ई.आई.सी., सिंचाई के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि विभाग ने वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक के लिए प्रशासनिक रिर्पोटें तैयार नहीं की थी। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टो की अनुपस्थिति में, इन वर्षो के दौरान विभाग की कार्यवाहियां/निष्पादन सरकार को पता नहीं थी। नियम संहिता के प्रावधानों के अपालन के कारण, सरकार विभाग के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं कर सकी, जिससे समय पर सुधार की कार्यवाही की जा सके।

ई.आई.सी. ने कहा (नवंबर 2012) कि प्रशासनिक रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार की जाएगी।

2.2.15 निष्कर्ष

- विभाग की योजना अपर्याप्त थी क्योंकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए व्यापक योजना तैयार नहीं की गई थी।
- जैसा कि राज्य में 29.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सम्भावित सिंचाई के बनाने के विरूद्ध, संभावित सिंचाई की उपयोगिता 21.13 लाख हेक्टेयर थी। विभाग 2007-12 के दौरान ₹ 7,731.17 करोड़ खर्च करने के बावजूद सिंचाई के अंतर्गत 1,140.38 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका।
- विभाग का निष्पादन कई क्षेत्रों में कम था जैसे कि व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण, स्कीमों को धीमे और सुस्त गति से लागू करना, समन्वय का अभाव, अव-मानक कार्यों का निष्पादन तथा भूमि अधिग्रहण मामलों में भुगतान करने में देरी करना।
- नहरों में मलजल एवं बहिस्राव जल के निस्तारण पर नियंत्रण का अभाव था, जिसका जल पीने के उद्देश्य से राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वितरित किया जा रहा था। डब्ल्यू. जे.सी. में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सिंचाई विभाग के मध्य समन्वय का अभाव था।
- क्षेत्रीय संवर्गों में स्टाफ की कमी थी तथा आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग यंत्रावली अपर्याप्त थी।

2.2.16 अनुशंसाएं

राज्य सरकार विचार कर सकती है:

- चालू कार्यों को पूरा करने के लिए उचित योजनाएं बनाना ताकि सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र की आवृति बढ़ाई जा सके।
- बजट प्रावधानों पर अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए व्यय नियंत्रण यंत्रावली को मजबूत करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अभीष्ट लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचते हैं, लाईन विभागों/संगठनों के साथ समन्वय बनाना।
- अवमानक कार्यों, व्यर्थ/कार्यों के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए अपनी सतर्कता यंत्रावली को क्रियाशील बनाना।
- नहरों में मलजल और बहिस्राव जल के निस्तारण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाना
- शीर्ष न्यायालयों के निदेशों का प्रभावी तरीके से लागू करना।

नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.3 भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन

विशिष्टताएं

सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत निजी भू-स्वामियों से भूमि अधिग्रहण करती है। सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में प्रावधान की गई भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास नीति के अंतर्गत अनेक प्रकार के लाभ जैसे कि वार्षिकी, कोई न्यायिक वाद-विवाद नहीं होने का प्रोत्साहन इत्यादि भू-मालिकों को प्रदान करती रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों को सुलझाने हेतु न्यायिक हस्तक्षेप किए गए, सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया से अधिसूचित भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन में रिलीज कर दिया, जिससे हुडा के विकास योजनाएं प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुई। आगे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण संबंधित विभागों को ब्याज का अधिक भुगतान करना पड़ा, सरकारी खातों से निधियां बाहर रखने के कारण ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी, इत्यादि। इसके अतिरिक्त, नियम एवं शर्तो का उल्लंघन करते हुए औद्योगिक प्लाट की बिक्री की अनुमति प्रदान करने के प्रकरण थे। बाहय विकास शुल्कों की वसूली की निगरानी हेतु उचित यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी। मुख्य लेखापरीक्षा आपतियों की विशिष्टताएं नीचे दी गई है:

बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूति का भुगतान करने में देरी के कारण ₹ 5.15 करोड़ के अपरिहार्य ब्याज का भुगतान।

(अनुच्छेद 2.3.8.4)

अधिग्रहण की प्रक्रिया से व्यक्तियों, भवन निर्माताओं, ट्रस्टों, इत्यादि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन में, भूमि रिलीज करना अवलोकित किया गया।

(अनुच्छेद 2.3.9.1 से 2.3.9.3)

हुडा द्वारा सरकारी नीति के उल्लंघन में एक औद्योगिक भू-खंड का हस्तांतरण अनुमत किया गया।

(अनुच्छेद 2.3.10.7)

भूमि जारी करने के मामले में बाह्य विकास शुल्कों की वसूली की निगरानी हेतु हुडा के सम्पदा कार्यालयों में उचित यंत्रावली का अभाव था।

(अनुच्छेद 2.3.10.8)

₹ 6.49 करोड़ की भूमि क्षतिपूर्ति का 12 व्यक्तियों, जो कि भू-स्वामी नहीं थे, को भुगतान किया गया जबकि ₹ 1.55 करोड़ 15 व्यक्तियों को उनके देय से अधिक भुगतान किए गए।

(अनुच्छेद 2.3.13.2)

निधियों को सरकारी खातों से बाहर रखने के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ की ब्याज की हानि।

(अनुच्छेद 2.3.13.6)

2.3.1 प्रस्तावना

भूमि अधिग्रहण का अर्थ है सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा, जैसा कि कानून द्वारा अधिकृत है, व्यक्तिगत भू-स्वामियों से, सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान कर भूमि अधिगृहीत करना है। राज्य सरकार अधिगृहीत भूमि विकास उद्देश्यों जैसे कि संस्थान जैसे कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना या आधार भूत ढांचे की संरचना करना जैसे कि संपर्क मार्गो का निर्माण, विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, पुलों का निर्माण, रिहायशी एव औद्योगित क्षेत्रों का विकास इत्यादि के लिए प्रयोग करती है। निजी स्वामित्व वाली भूमि का सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, 1894 (अधिनियम) जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, द्वारा विनियमित होता है।

राज्य में शहरी विकास एवं उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए क्रमशः यू.ई.डी.एवं उद्योग विभाग द्वारा, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) द्वारा जल कार्यो के लिए एवं लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) एवं सिंचाई विभाग द्वारा सड़क एवं नहरों के निर्माण के लिए एक रेखी पट्टी के रूप में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। उद्योग के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.एज.) में अलग से देखा गया हैं।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों को सुलझाने हेतु न्यायिक हस्तक्षेप किए गए। सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन में अधिसूचित भूमि, अधिग्रहण प्रक्रिया से रिलीज कर दी जिससे हुडा की विकास योजनाएं प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुई। आगे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण, संबंधित विभागों को ब्याज के कारण अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, सरकारी खातों से बाहर निधियां रखने के कारण ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी इत्यादि। ये विषय लेखापरीक्षा परिणामों में विशिष्ट रूप से दर्शाए गए हैं:

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

शहरी सम्पदा विभाग (यू.ई.डी.) हुडा के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है। यू.ई.डी. नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.) एवं यू.ई.डी. के प्रधान सचिव (पी.एस.) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। महानिदेशक (डी.जी.), यू.ई.डी., भूमि के अधिग्रहण एवं भू-स्वामियों,

भवन निर्माताओं एवं विकासकों को भूमि रिलीज से संबंधित मामलों के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। उनकी सहायता अतिरिक्त निदेशक द्वारा की जाती है। फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकूला एवं रोहतक में स्थित पांच भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.एओ.एज) हैं।

लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), भवन एवं सड़कें (बी. एंड आर.) के लिए भूमि अंबाला, भिवानी, गुड़गांव एवं हिसार स्थित एल.ए.ओ.एज द्वारा अधिगृहीत की जाती है। अंबाला एवं भिवानी स्थित एल.ए.ओ.एज सिंचाई विभाग के प्रयोग के लिए भूमि अधिगृहीत करते हैं। इसके अतिरिक्त, पी.एच.ई.डी. एवं सिंचाई विभाग के लिए भूमि संबंधित जिलों के जिला राजस्व अधिकारियों एवं भूमि अधिग्रहण समाहर्ताओं (डी.आर.ओ.एज सह एल.ए.सी.एज) द्वारा भी की जाती है। सिंचाई विभाग, पी.एच.ई.डी. एवं पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) संबंधित पी.एस.एज/अतिरिक्त मुख्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है एवं संबंधित विभाग के मुख्य अभियन्ता (ई.आई.सी.एज) विभाग के अध्यक्ष होते हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

चयनित विभागों द्वारा भूमि के अधिग्रहण तथा विकास में मितव्ययता, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- विभिन्न विकास उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु उचित नियोजन था;
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रभावी, कार्यकुशल, मितव्ययी एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा उसके अंतर्गत गठित नीति के अनुसार थी;
- अधिगृहीत भूमि का आवंटन एवं उपयोग उचित था;
- भूमि के अधिग्रहण एवं रिलीज के लिए मानवीय संसाधन एवं आधारभूत ढांचा पर्याप्त था।
- आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग यत्रावली स्थापित थे एवं प्रभावी थे।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड के स्रोत निम्न थे:

- विभिन्न कस्बों एवं शहरों की मास्टर विकास योजनायें।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान एवं राजस्व विभाग के स्थाई आदेश।
- राज्य सरकार की पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास नीति।
- हुडा अधिनियम, 1977 के प्रावधान।
- हुडा की आवंटन एवं पट्टा नीतियां।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गमित कार्यकारी अनुदेश एवं परिपत्र तथा न्यायिक घोषणाएं।

2.3.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं ढंग

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान अप्रैल एवं जून 2012 के बीच 2007-12 की अवधि से संबंधित वित्तीय प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच की गई।

21 जिलों में से छ:[1] जिलों में हुडा के 18 संपदा कार्यालयों में से सात[2], पांच एल.ए.ओ.एज में से तीन[3] को बिना प्रतिस्थापना के आकार के आनुपातिक संभावना विधि (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) का प्रयोग कर चुना गया। इसी प्रकार इन जिलों में पड़ने वाले 15 निर्माण मंडलों एवं चार एल.ए.ओ.एज/डी.आर.ओ. सह एल.ए.सी.एज को लेखापरीक्षा के दौरान आवृत किया गया ***(परिशिष्ट 2.13)***। पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर), पी.एच.ई.डी. एवं सिंचाई विभाग के ई.आई.सी. के साथ संयुक्त इन्ट्री कांफ्रेंस की गई जबकि पी.एस., टी.सी.पी.डी. के साथ पृथक इन्ट्री कांफ्रेंस अप्रैल 2012 में की गई। इन कांफ्रेंसों में भूमि अधिग्रहण, लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया गया। पी.एस., टी.सी.पी.डी., अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) के साथ नवंबर 2012 में अलग-अलग एग्जिट कांफ्रेंस की गई जहां लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार विमर्श किया गया। विभाग के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त तरीके से समावेशित कर लिया गया है।

2.3.6 आभारोक्ति

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा का कार्यालय यू.ई.डी., टी.सी.पी.डी., हुडा, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर), सिंचाई एवं पी.एच.ई.डी. एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों का सूचनाएं तथा अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाने में सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा उसके अंतर्गत गठित नीतियों के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में नीचे की गई है:

2.3.7 राज्य स्तर पर भूमि के अधिग्रहण एवं आबंटन की स्थिति

भूमि सीमित विस्तार वाली एक संपत्ति है। इसीलिए, भूमि प्रयोग को, एक ऐसे नीतिगत ढांचे, जो कि सार्वजनिक हित तथा भूमि के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच सामंजस्य स्थापित करता हो, के माध्यम से विनियमित करना महत्वपूर्ण है। सरकार ने अधिगृहीत भूमि, भूमि के अधिग्रहण के लिए

1 (i) फरीदाबाद, (ii) गुड़गांव, (iii) पानीपत, (iv) रोहतक, (v) रेवाड़ी तथा (vi) सोनीपत।

2 (i) रोहतक, (ii) ई.ओ.-1 गुड़गांव, (iii) ई.ओ.-2 गुड़गांव, (iv) फरीदाबाद, (v) पानीपत, (vi) रेवाड़ी तथा (vii) सोनीपत।

3 (i) फरीदाबाद, (ii) गुड़गांव तथा (iii) रोहतक।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त निधियां एवं राज्य में उन पर किए गए व्ययों के बारे में सूचनाओं के अनुरक्षण हेतु कोई नोडल विभाग नहीं बनाया है। किसी भी विभाग के पास आबंटित/पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि का समेकित विवरण उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), सिंचाई एवं पी.एच.ई.डी. द्वारा कुल उपलब्ध भूमि एवं उसके विरूद्ध उपयोग से संबंधित आंकड़ों को भी अनुरक्षित नहीं किया गया। इस प्रकार, इस महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में, विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध कुल सरकारी भूमि एवं इसके उपयोग को लेखापरीक्षा में सत्यापित किया नहीं जा सका। सरकार द्वारा इसके प्रभावी उपयोग के लिए सरकारी भूमि के प्रबंधन हेतु भूमि–पूल तैयार किया जाना चाहिए था।

2.3.7.1 शहरी विकास के लिए अपर्याप्त आयोजना

हरियाणा राज्य 44,212[4] वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें 2, 347 एकड़ बंजर भूमि है। इस प्रकार, राज्य की अधिकतर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है एवं तीन चौथाई से ज्यादा आबादी कृषि में नियोजित है। टी.सी.पी.डी. विनियमन, विकास एवं शहरों के अन्दर एवं आसपास के अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उद्देश्य के लिए, 20 वर्षों की अवधि के लिए शहरों की विकास योजनाओं की तैयार की जाती है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मध्यावधि सुधारों के लिए कोई उचित प्रणाली स्थापित नहीं थी। हालांकि, टी.सी.पी.डी. द्वारा आवश्यकता के आधार पर मध्यावधि सुधार किए गए। आगे अवलोकित किया गया कि टी.सी.पी.डी. द्वारा बंजर भूमि के सामाजिक एवं विकास उद्देश्यों की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग हेतु क्षेत्रवार प्राथमिकताएं परिभाषित करने वाली कोई भू–प्रयोग नीति प्रतिपादित नहीं की है जिससे कि उपजाऊ भूमि पर से दबाव हटाया जा सके।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने कहा (नवंबर 2012) कि यद्यपि नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर हरित क्षेत्र कस्बे विचारित थे, विद्यमान कस्बों की वृद्धि को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कस्बों का आसपास कृषि क्षेत्रों में विस्तार को रोका जाना संभव नहीं है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सरकार बंजर भूमि को शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए विकसित करने पर विचार करे ताकि शहरी विकास के लिए उपजाऊ भूमि की आवृत्ति को कम किया जा सके।

2.3.7.2 भूमि विकासकर्ताओं एवं भवन–निर्माताओं को भूमि गैर–नियोजित ढंग से रिलीज करना

यू.ई.डी. द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, प्रशासक, हुडा के इसकी विकास योजना में समाविष्ट प्रस्ताव के अनुसार किए गए अनुरोध पर प्रारंभ की जाती है। संयुक्त स्थान निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण किए जाने के बाद, यू.ई.डी. द्वारा धारा 6 के अंतर्गत घोषणा जारी की जाती है। शहरी विकास में निजी कोलोनाइजरों एवं विकासकों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से टी.सी.पी.डी., हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लाईसेंस जारी करता है।

[4] स्रोत: वर्ष 2010–11 के लिए हरियाणा का सांख्यिकी सारांश।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि गुड़गांव में आवासीय सैक्टर 58 से 63 एवं 65 से 67 को विकसित करने हेतु, 1407.07 एकड़ भूमि को अधिगृहीत करने हेतु 10 जून, 2009 को धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई। 850.10 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने के लिए धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 31 मई 2010 को की गई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हुडा द्वारा 6 वर्षों से भी अधिक समय से कोई सैक्टर प्रारंभ नहीं किया गया है, मुख्य प्रशासक, हुडा ने जोर देकर कहा (नवंबर 2010) कि धारा 6 के अंतर्गत घोषणा जारी करने के बाद लाईसेंन्स जारी करने के लिये किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. द्वारा 850.10 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 831.38 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिसंबर 2010 में इस निर्देश के साथ कि सभी लंबित लाईसेंन्स जारी करने हेतु किए गए आवेदनों पर कार्यवाही की जाएगी परंतु कोई भी नया लाईसेंन्स का आवेदन जहां भूमि रिलीज अवेष्टित है पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, प्रदान कर दिया गया।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की 23 मई 2012 को आयोजित बैठक में मामले की पुर्न समीक्षा की गई, जहां यह अवलोकित किया गया कि धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद, केवल 491.10 एकड़ भूमि पर ही अवार्ड घोषित करने के लिए विचार किया जा सकता था क्योंकि शेष क्षेत्र तो विकासकों को लाईसेंन्स प्रदान करने के लिए हाई पावर कमेटी के विचाराधीन था। कमेटी ने यह भी अवलोकित किया कि धारा 4 एवं 6 के मध्य एवं धारा 6 की घोषणा के जारी होने के बाद भी भूमि का एक बड़ा भाग अधिग्रहण की प्रक्रिया से बाहर किया जा चुका था।

कमेटी ने आगे यह भी अवलोकित किया कि विकासकों को रिलीज की गई भूमि की उचित ढंग से आयोजना नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अवार्ड की घोषणा के लिए उपलब्ध भूमि लगभग 153 आंतरनिवासों जो कि कुछ मरलों से लेकर कुछ एकड़ तक थे, में फैली हुई थी। विकासकों के पक्ष में बड़े स्तर पर जमीन को अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर रखने के विरूद्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल 2012 को दिए गए मत को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सैक्टर विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के निर्णय को त्यागने का फैसला किया।

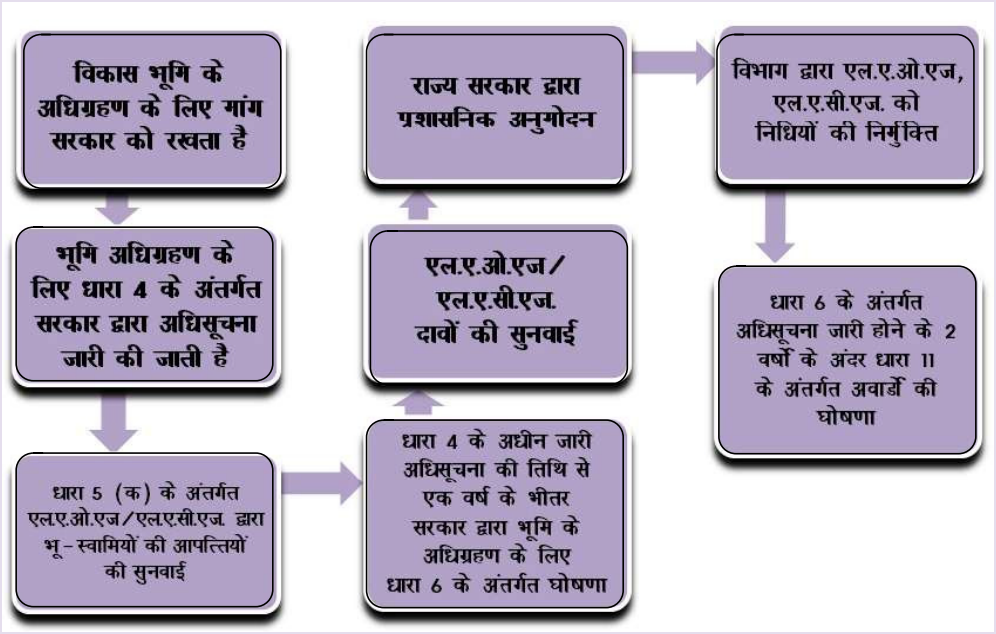
उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यू.ई.डी. द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिगृहीत करने की प्रक्रिया आरंभ करने के बाद, 359 एकड़ भूमि विकासकों को रिलीज कर दिया गया। क्योंकि शेष 491.10 एकड़ भूमि के साथ अर्थपूर्ण शहरी विकास संभव नहीं था, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ दिया गया। इस प्रकार, निजी कोलोनाइजरज एवं विकासकों को लाईसेंस जारी करने में अपर्याप्त नियोजन के कारण, हुडा विकास योजना के अनुरूप क्षेत्र का विकास नहीं कर सका।

पी.एस., टी.सी.पी.डी., ने कहा (नवंबर 2012) कि भूमि रिलीज, भूमि रिलीज नीति, 2007 के उल्लंघन में नहीं थी तथा डी.जी., यू.ई.डी. के द्वारा अनुदेश सूचित किए जाने के बाद भूमि के रिलीज के लिए किसी नए आवेदन पर विचार नहीं किया गया। हालांकि, लंबित आवेदनों पर नीति एवं निदेशक, टी.सी.पी.डी. के निर्देशों के अनुसार विचार किया गया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि यू.ई.डी. द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद, भूमि का एक बड़ा हिस्सा विकासकों को रिलीज कर दिया गया, जो कि बुरे नियोजन को इंगित करता था।

2.3.8 भूमि का अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत, भूमि के सर्वेक्षण हेतू सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के जारी होने से आरंभ होती है। कोई भी व्यक्ति जो धारा 4 (1) में अधिसूचित भूमि में हित रखता हो, इस अधिग्रहण के विरूद्ध समाहर्ता के सामने आपत्ति रख सकता है, जो कि आवेदक/पीड़ित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर देगा। आपत्तियों की सुनवाई के बाद, समाहर्ता अपनी अनुशंसाओं के साथ, अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों के कार्यवृत के साथ सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात् इस प्रभाव की अधिसूचना कि भूमि की सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जरूरत है को धारा 6 के अंतर्गत प्रकाशित करने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन एक उद्घोषणा जारी की जाएगी। समाहर्ता तब अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार से एक आदेश प्राप्त करेगा। समाहर्ता अपने अधीन धारा 6 (1) के अंतर्गत की गई उद्घोषणा की तिथि के दो वर्ष के अंदर यथोचित अवार्ड देगा बशर्ते कोई अवार्ड समाहर्ता द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं दिया जाएगा। अत्यावश्यकता की स्थिति में, जब कभी सरकार ऐसा निर्देश देती है, समाहर्ता, यद्यपि ऐसा कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, धारा 9 (1) के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन बीत जाने के बाद सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा ले सकता है। ऐसी भूमि, इसके पश्चात् सभी बाधाओं से रहित, पूर्ण रूप से सरकार के निहित होगी। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया



सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) एवं पी.एच.ई.डी. के पास कुल अधिगृहीत भूमि एवं भुगतान की गई क्षतिपूर्ति से संबंधित केन्द्रीयकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। आंकड़े विभिन्न कार्य मंडलों में

फैले हुए थे। इनको परिमंडल स्तर पर भी समेकित नहीं किया जा रहा था। हालांकि यू.ई.डी. हुडा के संबंध में इस प्रकार के आंकड़े रख रहा था।

लेखापरीक्षा ने भूमि अधिग्रहण एवं भुगतान की गई क्षतिपूति से संबंधित आंकड़े कार्य मंडलों के अभिलेखों से संग्रहित किए एवं हुडा के संबंध में आंकड़े यू.ई.डी. से संग्रहित किए गए। हुडा एवं सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) एवं पी.एच.ई.डी. के लिए 2007-12 की अवधि के दौरान अधिगृहीत की गई भूमि, भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण **तालिका** 1 में दिया गया है।

तालिका 1: 2007-12 के दौरान अधिगृहीत भूमि तथा दी गई क्षतिपूर्ति का विवरण

वर्ष	अधिगृहीत भूमि (एकड़ में)			दी गई क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में)		
	हुडा	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), सिंचाई एवं पी.एच.ई.डी.	कुल अधिगृहीत भूमि	हुडा	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), सिंचाई एवं पी.एच.ई.डी.	कुल
2007-08	2480	1492	3972	557	417	974
2008-09	828	1141	1969	129	233	362
2009-10	5272	425	5697	2660	87	2747
2010-11	5546	852	6398	3360	200	3560
2011-12	1205	914	2119	735	292	1027
कुल	**15331**	**4824**	**20155**	**7441**	**1229**	**8670**

स्रोतः अतिरिक्त निदेशक, शहरी सम्पदा, पंचकूला द्वारा प्रदत्त आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा कार्य मंडलों के संबंध में संकलित आंकड़े।

2.3.8.1 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया

भूमि अधिग्रहण अधिकारियों/भूमि अधिग्रहण समाहर्ताओं के नमूना-जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भूमि अधिग्रहण नियम के अनिवार्य प्रावधानों का निजी भूमि के अधिग्रहण में अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

चमरारा माइनर के विस्तार की परियोजना का निष्पादन 1984-85 में किया गया। चैनल के विस्तार भाग के अधीन लगभग 9.41 एकड का क्षेत्र था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण किए बिना ही चैनल का निर्माण कर दिया। इसके अनुवर्ती, भू-स्वामी भूमि क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय चले गए और विभाग ने दिसंबर 2010 में ₹ 11.16 लाख का भुगतान कर दिया। इस प्रकार, विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, किया गया।

2.3.8.2 भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में असाधारण देरी

जिला झज्जर में नौशुआ माइनर के निर्माण के लिए 7 एकड़, 6 कनाल, एवं 1 मरला भूमि अधिगृहीत करने के लिए धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना सितंबर 2007 में जारी की गई। अधिनियम के अनुसार, धारा 6 के अंतर्गत घोषणा धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर की जानी थी, तथापि धारा 6 के अंतर्गत घोषणा अप्रैल 2009 में जारी की गई। क्योंकि धारा 6 के अंतर्गत घोषणा धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष के बाद जारी की गई, यह वैद्य नहीं थी। इस प्रकार, धारा 4 के अंतर्गत नई अधिसूचना अप्रैल 2010 में जारी की गई एवं धारा 6 के अंतर्गत उद्घोषणा फरवरी 2011 में की गई एवं अवार्डस नवंबर 2011 में घोषित

किए गए। सितंबर 2007 में धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के व्यपगत हो जाने के कारण भूमि की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप ₹ 42.23 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

ई.ई., महेंन्द्रगढ़ कनाल वाटर सर्विसज, मंडल, चरखी दादरी ने कहा (मई 2012) कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना निर्धारित समय अवधि में, एल.ए.सी. नारनौल द्वारा भगोट गांव की भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 5क के अंतर्गत उठी आपत्तियां के गैर समाधान के कारण जारी नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भू-स्वामियों की आपत्तियों का समाधान अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अंदर करना अपेक्षित था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग ने भी देरी संबंधित एल.ए.सी. को आरोपित की।

2.3.8.3 अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी

अधिनियम की धारा 17 अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि अत्यावश्यकता में मामलों में, समाहर्ता, धारा 9, उपधारा (1) में उल्लिखित नेटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के बाद, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा ले सकता है। सरकार यह भी निर्देश दे सकती है कि धारा 5-क के प्रावधान जिनके अंतर्गत भू-स्वामियों को सुनना आवश्यक है, इन मामलों में लागू नहीं होंगे।

एल.ए.ओ., फरीदाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि धारा 17 के अंतर्गत इमरजैंसी क्लाज लागू कर सैक्टर 75-89, फरीदाबाद के मास्टर सड़क का विकास करने हेतु 1170.51 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने के लिए धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना 14 अगस्त 2008 को जारी कर दी गई। बाद में, यह क्षेत्र गणितीय भूल के कारण सुधार कर 1168.48 एकड़ कर दिया गया। जैसा कि धारा 4 के अंतर्गत विचारित है, अधिसूचना जारी करने से पहले, प्रस्तावित भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण नहीं किया गया। सैक्टर की सड़कों को सीमांकित करते हुए, सघन आबादी वाले क्षेत्रों को भी अधिसूचित कर दिया। संशोधित सीमांकन योजना मई 2010 में अनुमोदित की गई। सधन आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़ने के बाद 1029.63 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 30 अगस्त 2008 को जारी की गई। निदेशक, यू.ई.डी. ने वरिष्ठ टाऊन प्लानर को इस गलती एवं जिला टाऊन प्लानर, फरीदाबाद द्वारा क्षेत्र को सीमांकित करने में बरती गई भारी लापरवाही के लिए एक प्रारंभिक जांच करने को कहा। जांच के परिणाम लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि आयुक्त, गुड़गांव की अध्यक्षता वाली समिति ने ₹ 16 लाख प्रति एकड़ की दर निर्धारित की (अगस्त 2009) एवं पी.एस., टी.सी.पी.डी. द्वारा 1029.63 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए ₹ 241.46 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन 10 मार्च 2010 को दिया गया। सीमांकन योजना को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, आस पास के क्षेत्रों में भाव बढ़ गए, जिसके परिणामस्वरूप भू-स्वामियों ने अधिक भूमि क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए आंदालेन आरंभ कर दिया। आयुक्त, गुड़गांव की अध्यक्षता में गठित अन्य समिति ने दरें ₹ 16 लाख से बढ़ाकर ₹ 42 लाख प्रति एकड़ कर दी (मई 2010)। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर एल.ए.ओ., फरीदाबाद ने 1029.63 एकड़ भूमि के लिए अवार्ड अगस्त 2010 में घोषित कर दिया एवं प्रशासनिक अनुमोदन ₹ 241.46 करोड़ से ₹ 659.70 करोड़ बढ़ा दिया गया (अगस्त 2010)।

अभिलेखों की संवीक्षा से आगे पता चला कि अवार्ड को 934.50 एकड़ के लिए सीमित करना पड़ा एवं ₹ 470.54 करोड़ एल.ए.ओ. द्वारा मार्च 2012 तक किसानों को संवितरित किए गए। बाकी बची जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सका क्योंकि भू-स्वामियों द्वारा आठ रिट याचिकायें उच्च न्यायालय में इमरजैंसी क्लाज लागू कर सैक्शन 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना को निरस्त करने के लिए, इस आधार पर कि सार्वजनिक उद्देश्य को ऐसी इमरजैंसी नहीं माना जा सकता जहां राज्य भू-स्वामियों को धारा 5 क का लाभ देने के लिए 30 दिन की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, दायर कर दी गई। (2010)। न्यायालय ने इन भू-स्वामियों से संबंधित भूमि के संबंध में सैक्शन 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना रद्द कर दी (मई 2011) एवं भू-स्वामियों को अधिनियम की सैक्शन 5 क के अंतर्गत प्रस्तावित अधिग्रहण के विरूद्ध आपत्तियां दायर करने का निर्देश दिया जिसके परिणामस्वरूप इमरजैंसी क्लाज लागू कर भूमि अधिग्रहण करने के चार वर्ष के बाद भी भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके (नवंबर 2012)।

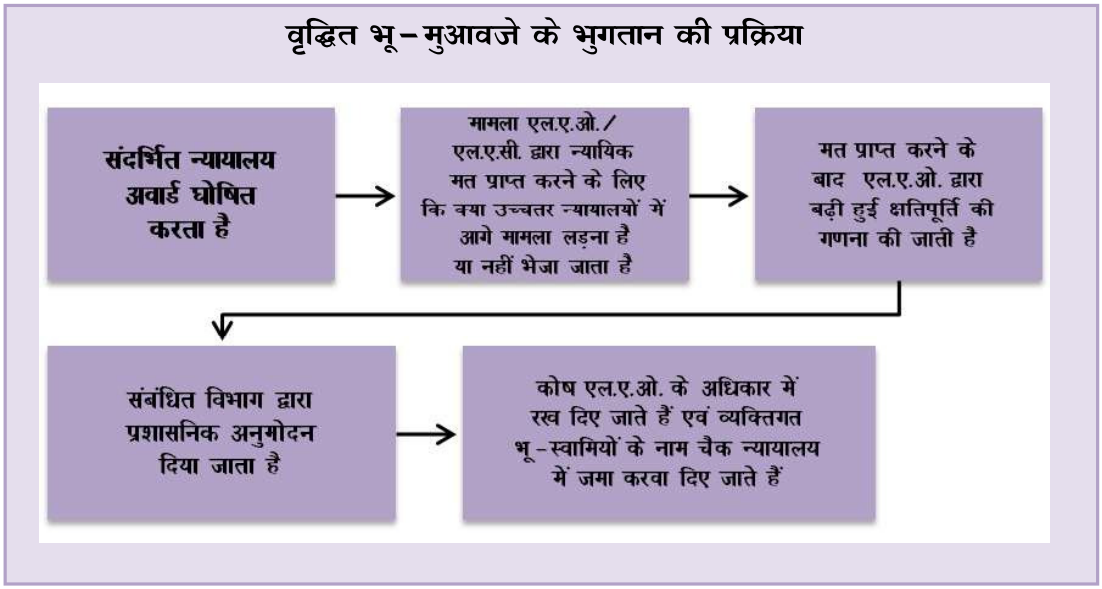
इस प्रकार भूमि अधिग्रहण के लिए अपर्याप्त प्रारंभिक सर्वेक्षण, के परिणामस्वरूप अवार्ड घोषित करने में देरी हुए एवं इसके परिणामी जमीन की लागत में ₹ 418.24[5] करोड़ की वृद्धि हो गई। आगे, बिना किसी अत्यावश्यक स्थिति के इमरजैंसी क्लाज लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 470.54 करोड़ की निधियां अवरूद्ध हो गई, क्योंकि मास्टर सड़क अब तक विकसित नहीं की गई थी (जनवरी 2013)।

अपर्याप्त सर्वेक्षण से संबंधित कमी को स्वीकारते हुए, डी.जी., यू.ई.डी. ने सूचित किया कि डी.टी.पी. के विरूद्ध इस गलती के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी गई थी। अनुशासनात्मक कार्यवाही का अंतिम परिणाम प्रतिक्षित था (दिसंबर 2012)।

2.3.8.4 वर्धित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में देरी

अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, एल.ए.सी. को न्यायालय द्वारा अवार्ड की गई बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर नौ प्रतिशत की दर से पहले साल एवं 15 प्रतिशत प्रति वर्ष बाद के वर्षों के लिए उस तिथि से जब समाहर्ता ने भूमि का कब्जा लिया है से लेकर भुगतान की तिथि तक ब्याज का भुगतान करना था। इस प्रक्रिया के विभिन्न कदम नीचे दिए गए हैं:

[5] ₹ 659.70 करोड़ घटा ₹ 241.46 करोड़।



यह अवलोकित किया गया कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा अवार्ड की गई वर्धित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असाधारण देरी की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.93 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया एवं इस कारण ₹ 21.84 लाख के दायित्व को सृजित कर दिया गया। अतिरिक्त भुगतान की गणना 90 दिन देने के बाद, जो की लेखापरीक्षा के मत में, अवार्ड की तिथि से भुगतान करने के लिए मामले पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है, की गई है। विवरण **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका 2: ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का विवरण

कार्यालय का नाम	एल.ए.ओ./ डी.आर.ओ./ एल.ए.सी. का नाम	निर्णय का मास	भुगतान का मास	विलम्ब महीनों में,	अतिरिक्त भुगतान किया गया ब्याज (₹ लाख में)
पी.एच.ई.डी - III पलवल	पलवल	फरवरी 2009	फरवरी 2011	24	49.99
रिवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन डिवीजन रिवाड़ी	गुड़गांव	अगस्त 2011	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया	9	21.84
गग्घर वाटर सर्विस डिवीजन, सिरसा	सिरसा	अक्तूबर 2010	अप्रैल 2012	18	7.33
हुडा					
हुडा, गुड़गांव	गुड़गांव	1 अक्तूबर 2010	मार्च से दिसंबर 2011	10 से 15	87.32
हुडा, रोहतक	रोहतक	नवंबर 2008 एवं अप्रैल 2010 के बीच	दिसंबर 2010 से अप्रैल 2011 के बीच	8 से 29	169.89
हुडा, फरीदाबाद	फरीदाबाद	मई 2006 से अक्तूबर 2010	मई 2010 से सितंबर 2011 के बीच	9 से 60	178.53
कुल					**514.90**

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित आंकड़े।

ई.ई., पी.एच.ई.डी - III, पलवल ने कहा (जून 2012) कि वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति न्यायालय में वाद - विवाद होने के कारण देरी से जमा करवाई गई। डी.आर.ओ. - सह - एल.ए.सी., गुड़गांव ने कहा (मई 2012) कि संबंधित कार्यकारी अभियंताओं को भू - स्वामियों को भुगतान की जाने वाले राशि की गणना करने के लिए कहा जा रहा था।

आगे घग्गर वाटर सर्विसज डिवीजन, सिरसा के मामले में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग ने कहा (अक्तूबर 2012) कि वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति की संस्वीकृति प्राप्त करने में कुछ प्रक्रिया संबंधी देरी थी एवं यह किसी अधिकारी/कर्मचारी के तरफ से इरादतन नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि देरी से बचा जाना चाहिए था क्योंकि इसमें सरकारी कोषों से ब्याज का भुगतान आवेष्टित था।

इसी प्रकार, नांगल चौधरी तहसील (जिला महेंन्द्रगढ़) के 64 गांवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति योजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु निधियां विभाग द्वारा डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी., नारनौल के पास देरी से जमा करवाई गई, जिसके परिणामस्वरूप अवार्डो में दो से लेकर चार माह तक देरी हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 40.85 लाख के ब्याज का अपरिहार्य भुगतान हुआ।

एल.ओ.सी. जारी करने में देरी को स्वीकारते हुए, ई.आई.सी. ने कहा (अक्तूबर 2012) कि प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं आवेष्टित होने के कारण उस समय जब कार्यकारी अभियन्ता-2, नारनौल द्वारा एल.ओ.सी. की मांग की गई एवं वो तिथि जिस दिन लाभग्राहियों को वास्तविक भुगतान जारी किया गया, के बीच अंतर था। पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि न्यायालय द्वारा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति अवार्ड करने की प्रक्रिया रेफ्रेन्स न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के अंतर्गत दायर किए गए रेफ्रेन्सज के निर्णय, उच्च न्यायालय में या तो भू-स्वामियों या राज्य द्वारा दायर की गई रेगुलर फर्स्ट अपील (आर.एफ.ए.एज) के निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी.एज पर निर्भर करती है। इस प्रकार, देरी की परिगणना उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले के अंतिम निपटारे के बाद ही की जा सकती है।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि केवल उन्हीं मामलों को अनुच्छेद में उल्लेख किया गया जहां निर्णय की घोषणा के बाद असाधारण देरी थी एवं देरी की अवधि की गणना 90 दिन की छूट देने के बाद की गई है। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, पी.एस ने आवश्यक विवरण प्रदान करने की प्रार्थना की जो कि प्रदान कर दी गई। आगे का उत्तर प्रतिक्षित था (दिसंबर 2012)। इस प्रकार, ब्याज के भुगतान से बचने के लिए ई.आई.सी. के कार्यालय में भूमि लागत के भुगतान हेतु एल.ओ.सी. शीघ्रतिशीघ्र जारी करने के लिए उचित प्रणाली बनाने की आवश्यकता है।

2.3.8.5 वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान

अधिनियम की धारा 18 निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अवार्ड को स्वीकार नहीं किया है, समाहर्त्ता को लिखित आवेदन दे सकता है। भूमि के माप, क्षतिपूर्ति की राशि, जिन व्यक्तियों को भुगतान किया जाना है या सम्बद्ध लोगों में क्षतिपूर्ति के बंटवारे के संबंध में विवाद निपटाने हेतु मामला समाहर्ता द्वारा न्यायालय को रेफर किया जाना अपेक्षित है। आगे, प्रभावित पक्ष उच्चतर न्यायालयों के पास अपनी शिकायतों के निवारण हेतु जा सकते हैं।

यू.ई.डी. के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 1988 एवं 5 मई 1993 के बीच नौ मामलों के संबंध में जिला न्यायाधीशों द्वारा अवार्ड की गई क्षतिपूर्ति राशि को विभाग द्वारा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में चुनौती दी गई थी, न्यायालय ने बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूर्ति को कम कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89.85 करोड़ की वसूली बनती थी। भू-स्वामियों ने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पेटिशन (एस.एल.पी.) दायर कर दी। चार मामलों में, भू-स्वामियों द्वारा दायर एस.एल.पी.एज उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई विभाग कुछ भू-स्वामियों से मात्र

₹ 20.52 करोड़ वसूल कर सका। शेष मामले जिसमें ₹ 69.33 करोड़ की वसूली आवेष्टित थी, उच्चतम न्यायालय के सामने विचाराधीन थे (अगस्त 2008)। कुछ भू-स्वामी वसूली की माफी हेतु सी.एम. के पास पहुंच गए। हालांकि, माफी का प्रस्ताव पी.एस., टी.सी.पी.डी. की अध्यक्षता वाली समिति ने यह कहते हुए कि यह एक बुरा पूर्वोदाहरण स्थापित करेगा, स्वीकार नहीं किया। 18 अगस्त 2009 में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के विपरीत, अतिरिक्त महा-अधिवक्ता ने 11 नवंबर 2009 को उच्चतम न्यायालय में बयान दिया कि सरकार ने रेफ्रेन्स न्यायालय के अवार्ड को स्वीकार करने का सैद्धांन्तिक निर्णय ले लिया था एवं इस संबंध में दो सप्ताह के अंदर एक शपथपत्र दाखिल किया जाएगा। हालांकि टी.सी.पी.डी. में अतिरिक्त महाअधिवक्ता (ए.ए.जी.) के बयान को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि यह सरकार के अनुमोदित निर्णय पर आधारित नहीं था। इसलिए निदेशक टी.सी.पी.डी. ने अतिरिक्त निदेशक, यू.ई.डी. की अध्यक्षता में एक उप समिति मामलों की जांच करने एवं सरकार के विचारार्थ अनुशंसाएं प्रस्तुत करने कि न्यायालय के सामने दिए गए बयान पर आगे की कार्यवाही पर क्या निर्णय लिया जाए, गठित की। उप समिति ने 1 फरवरी 2010 को आयोजित अपनी बैठक में दो विकल्पों पर विचार विमर्श किया यानि कि क्या ए.ए.जी. द्वारा दिए गए बयान का सम्मान रखा जाए या बयान का खंडन कर दिया जाए यह कहते हुए कि वह सरकार के निर्णय पर आधारित नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा से पता चला कि, इस तथ्य के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही चार समान मामलों में जहां उच्च न्यायालय द्वारा रेफ्रेन्स न्यायालयों द्वारा बढ़ाई हुई क्षतिपूर्ति को घटा दिया गया था, उच्च न्यायालय के आदेशों को कायम रखा था, राज्य सरकार ने स्थाई अधिवक्ता के बयान से नहीं मुकरने का निर्णय लिया। इसकी बजाय उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोनित लोक अदालतों में भू-स्वामियों के साथ किए गए मोल-तोल के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि रेफ्रेन्स न्यायालय द्वारा निर्धारित दरों में से 10 प्रतिशत राशि घटाकर मामले को सुलझा लिया जाए। सम्मत राशि के आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया (मार्च 2010) कि भू-स्वामी क्षतिपूर्ति पर ब्याज के साथ सभी वैद्यानिक लाभों के हकदार होंगे।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट कांफेंस के दौरान कहा कि स्थाई अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर भूमि लागत निर्धारित करने के संबंध में आपत्ति ठीक नहीं है। उक्त बयान के बाद, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश स्थाई अधिवक्ता को दिया गया था। मामले पर विभिन्न समितियों के द्वारा राज्य सरकार के अंदर सोचा-विचारा गया एवं भू-स्वामियों के साथ मोल-तोल किया गया। विचार विमर्श के बाद, रेफ्रेन्स न्यायालय द्वारा दिए गए अवार्ड से 10 प्रतिशत कम क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आपसी सहमति से किया गया वन टाईम समझौते का प्रस्ताव, इसे बिना एक मिसाल मानते हए उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस समझौते से सहमति जताई एवं मामले का तदनुसार निपटारा कर दिया गया। अत: मामले के परिणाम पर स्थाई अधिवक्ता के बयान का कोई प्रभाव नहीं था।

इस प्रकार, ए.ए.जी. के द्वारा उच्चतम न्यायालय में दिए गए अनधिकृत बयान के कारण, राज्य सरकार को मामला लोक अदालत के माध्यम से सुलझाना पड़ा एवं ₹ 40.62[6] करोड़ की वसूली को छोड़ना पड़ा।

2.3.8.6 निषिद्ध क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण

अगस्त 1992 मे जारी वन विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अरावली पहाड़ी श्रृंखलाओं, फरीदाबाद मे पड़ने वाले क्षेत्र को पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900, जैसा कि हरियाणा में लागू है, के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, जिन पर कोई भवन निर्मित नहीं किए जा सकते।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट (सिविल) में हरियाण सरकार द्वारा मेवला, महराजपुर, फरीदाबाद में फरवरी 1995 में रिहायशी सैक्टर 44 एवं 47 विकसित करने के लिए 483.69 एकड़ निषिद्ध भूमि के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया था। उच्चतम न्यायालय में 2002 में दायर एक जन हित याचिका के अनुसरण में, डी.एफ.ओ., फरीदाबाद ने हुडा एवं डी.टी.पी. फरीदाबाद को ₹ 62.37 करोड़ अवरूद्ध करते हुए इस भूमि पर निर्माण गतिविधियां रोकने का नोटिस जारी किया। कृत कार्यवाही टिप्पणियों में, हुडा ने लोक लेखा समिति को आश्वासन दिया कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आवृत्त भूमि को गैर-अधिसूचित करने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। लेखापरीक्षा में, हालांकि, ध्यान में आया कि भूमि को गैर-अधिसूचित नहीं किया गया है (फरवरी 2013) हुडा ने, आगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भू-स्वामियों को अवार्ड की गई (मई 2007) वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में भू-स्वामियों को मार्च 2012 तक ₹ 190.45 करोड़ का भुगतान कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना में निवेशित कुल राशि बढ़कर ₹ 252.82 करोड़ हो गई थी (मार्च 2012)।

पी.एस. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हुडा के निवेदन पर अनुकूल ढंग से विचार नहीं किया गया एवं हुडा ने मामले को समुचित स्तर पर उठाया है एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोनित केन्द्रीय इम्मपावरड समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हो गया है। रिजर्व फोरस्ट लैंड एवं पजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (पी.एल.पी.ए.) की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत अगस्त 1992 में अधिसूचित क्षेत्र में अंतर था। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिजर्व लैंड को वन क्षेत्र समझने की व्याख्या मार्च 2004 में की गई जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना सितंबर 1993 में जारी की गई।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना सितंबर 1993 में जारी की गई यानि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत अधिसूचना के एक वर्ष के बाद (अगस्त 1992)। इसलिए, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 के अंतर्गत

[6] (रेफ्रेंस न्यायालय का कुल अवार्ड: ₹ 4,92,35,92,822 घटा 10 प्रतिशत ₹ 49,23,59,282) = ₹ 4,43,12,33,540 घटा उच्च न्यायालय द्वारा घोषित अवार्ड ₹ 4,02,50,63,204 = ₹ 40,61,70,336

अधिसूचित क्षेत्र के अधिग्रहण के कारण ₹ 252.82 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुए क्योंकि रिहायशी सैक्टर भूमि अधिग्रहण के 20 साल बाद भी विकसित नहीं किए जा सके।

2.3.9 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर भूमि को रिलीज करना

निजी भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, द्वारा विनियमित होता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि सरकार ऐसी किसी भूमि, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है, की अधिग्रहण की प्रक्रिया से वापस हटने के लिए स्वतंत्र होगी। अतः, यदि एल.ए. अधिनियम की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भूमि का कब्जा ले लिया गया है, सरकार के पास अधिग्रहण प्रक्रिया से वापस हटने का अधिकार नही है। तदनुसार, हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर 2007 में एक व्यापक भूमि रिलीज नीति बनाई गई जो अन्य बातों के साथ निम्न निर्धारित करती है:

- आवेदकों को भूमि रिलीज करने संबंधी निवेदनों पर अवार्ड घोषित होने के तिथि के एक वर्ष के अंदर विचार किया जाएगा।
- केवल उन्हीं निवेदनों पर विचार किया जाएगा जहां भूमि का स्वामित्व धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने से पहले आवेदकों के पास था।
- भू-स्वामियों द्वारा धारा 5-क के अंतर्गत आपत्तियां दायर की गई है।
- सरकार अधिनियम की धारा 48 (1) के अंतर्गत असाधारण ढंग से न्यायोचित परिस्थितियों के अंतर्गत कोई भी भूमि रिलीज कर सकती है जिसके लिए कारणों को लिखित रूप से दर्ज किया जाना था।

2007-12 के दौरान अधिगृहित भूमि तथा रिलीज की गई भूमि के विवरण **तालिका 3** में दिए गए हैं।

तालिका 3: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से रिलीज की गई भूमि का विवरण

वर्ष	अधिगृहीत भूमि	कोलानाईजरस को रिलीज की गई भूमि	निर्मित ढांचा	खाली पड़ी भूमि	कुल
			(एकड़ में)		
2007-08	2480	252	171	शून्य	423
2008-09	828	371	38	6	415
2009-10	5272	661	37	135	833
2010-11	5546	554	11	शून्य	565
2011-12	1205	233	7	शून्य	240
	15331	**2071**	**264**	**141**	**2476**

स्रोतः डी.जी., शहरी सम्पदाएं, हरियाणा द्वारा प्रदत्त आंकड़े।

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि हुडा में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु अधिसूचित 15,331 एकड़ भूमि में से, 2,476 एकड़ भू-स्वामियों को रिलीज कर दिए गए। इनमें से, 2,071 एकड़ निजी कोलोनाईजरों को जारी की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन में भूमि रिलीज करने में कमियों के मामलों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3.9.1 अधिग्रहण प्रक्रिया से भूमि की रिलीज

गांव रतगल में 126.39 एकड़ भूमि एवं गांव दर्रा कलां (कुरूक्षेत्र) में 1.17 एकड़ के अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई (फरवरी 2002)। 118.52[7] एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा की गई (फरवरी 2003)। एल.ए.ओ., पंचकूला ने 116.85 एकड़ भूमि के लिए अवार्ड की घोषणा की (फरवरी 2005) एवं अवार्ड घोषित करते समय रतगाल गांव की 1.67 एकड़ भूमि रिलीज कर दी गई।

भू-स्वामियों में से एक ने इस आधार पर कि 34 कनाल सात मरला एवं 65 कनाल एक मरला माप का बाग था जो कि उसके द्वारा खेती के लिए प्रयोग किया जा रहा था, भूमि की अधिग्रहण से रिलीज करने के लिए निदेशक, यू.ई.डी. (जून 2005) को निवेदन किया जिस पर अनुकूल ढंग से विचार नहीं किया गया क्योंकि भूमि को रिलीज करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि क्षेत्र कुरूक्षेत्र की विकास योजना के अनुसार वाणिज्यिक बेल्ट के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित था हालांकि मामले पर पुर्नविचार किया गया (अक्तूबर 2005) तथा अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत उक्त भूमि की रिलीज की अनुशंसा की गई। इन आदेशों की अनुपालना करते हुए 31 व्यक्तियों से संबंधित 326 कनाल एवं 8 मरला (40.8 एकड़) का एक क्षेत्र भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से रिलीज कर दिया गया।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मामले पर पुर्नविचार करते समय अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत सरकार के अधिकार की गलत विवेचना की गई। वास्तव में, धारा 48 ऐसी भूमि के अधिग्रहण से सरकार के हटने से संबंधित है, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है। परंतु इन मामलों में, एल.ए.ओ. द्वारा समस्त भूमि के लिए अवार्ड घोषित कर दिया गया था एवं इसलिए भूमि का स्वामित्व भू-स्वामियों से हुडा को हस्तांतरित हो चुका था। उपरोक्त कार्यवाही के परिणामी अन्य भू-स्वामियों ने पक्षपात के आधार पर उनकी संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अवार्ड रद्द करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिकायें दायर की। उच्च न्यायालय में भूमि के रिलीज के मामले में बचाव करते हुए महा अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं एवं अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों की भूमि, अधिग्रहण प्रक्रिया से रिलीज कर दी जाएगी। महा-अधिवक्ता ने कहा कि कुरूक्षेत्र के धार्मिक चरित्र को कायम रखने को देखते हुए, कुरूक्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण भविष्य में आवश्यक सुविधाओं के रख-रखाव तक सीमित रहेगा। इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया एवं निर्देश दिए (अक्तूबर 2007) कि कुरूक्षेत्र के धार्मिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए, भावी भूमि अधिग्रहण आवश्यक सुविधाओं के रख-रखाव तक सीमित रहेगा।

[7] रतगल: 117.48 एकड़ तथा दारा कलां: 1.04 एकड़।

आगे अवलोकित किया गया कि भू-स्वामियों के अवार्ड घोषित करने के बाद संवितरित किए गए ₹ 5.07 करोड़ में से ₹ 4.45 करोड़ वसूल कर लिए गए हैं एवं ₹ 0.62 करोड़ वसूल करने अभी शेष थे (अक्तूबर 2012)। भूमि की रिलीज ने क्षेत्र के विकास को बाधित किया एवं इसके परिणामस्वरूप यू.ई.डी. के समय व साधनों की बर्बादी हुई, इसके अतिरिक्त हुडा की निधियां पांच वर्षो से भी अधिक अवरूद्ध रही।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट कांफ्रेंस ने कहा कि धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचित 118.52 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ 31 याचिकाएं दायर की गई थी एवं रिट याचिकाओं का क्षेत्र आसपास सटा हुआ नहीं था बल्कि पुरे सैक्टर में फैला हुआ था जिसने उसे विकास के लिए प्रयोग करने को लगभग असंभव बना दिया था। सरकार द्वारा 38.05 एकड़ भूमि मात्र सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं शमसान भूमि के लिए अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि महा अधिवक्ता ने तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय में बयान दिया। कुरूक्षेत्र कस्बे में आगे कोई अधिग्रहण न करने के बारे मे आदेश में संशोधन राज्य सरकार द्वारा महा अधिवक्ता के माध्यम से किए गए हस्तक्षेप के बाद किया गया। इसलिए, यह कहना गलत था कि महा अधिवक्ता ने न्यायालय में कोई गलत बयान दिया था। इसके पश्चात्, वो भू-स्वामी जो पहले क्षतिपूर्ति प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी अपनी भूमि वापिस प्राप्त करने के लिए रिट याचिकाएं दायर कर दी। उचित विचार-विमर्श के बाद, उनको भी भूमि वापिस करने का निर्णय लिया गया।

पी.एस. का उत्तर सही नहीं था, क्योंकि भूमि का स्वामित्व एवं मालिकाना अधिकार हुडा में निहित करने एवं उसका कब्जा लेने के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण करने की अधिसूचना से वापिस नहीं हटा जा सकता या उसे रद्द नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, सरकार द्वारा उक्त भूमि को रिलीज करने की कार्यवाही, अधिनिधम के प्रावधानों के विरूद्ध थी।

2.3.9.2 भूमि रिलीज करने में एल.ए. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

भूमि रिलीज नीति 2007 शर्त लगाती है कि केवल वही निवेदन, सरकार द्वारा क्लाज 1 के अंतर्गत विचार किए जाएंगे, जहां धारा 5 क के अंतर्गत आपत्तियां दायर की गई हैं। आगे, उक्त नीति का क्लाज 5 शर्त रखता है कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने से पहले भूमि का स्वामित्व आवेदक के पास होना चाहिए। यू.ई.डी. के अभिलेखों की जांचं से पता चला कि गुड़गांव में रिहायशी सैक्टर 58 से 63 एवं वाणिज्यिक सैक्टर 65 से 67 विकसित करने के लिए गांव उल्लावास (जिला गुड़गांव) में 166.44 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 2 जून 2009 को जारी की गई। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत (जी.पी.) का शामलात देह भी शामिल थी।

धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जी.पी., उल्लावास को 5 एकड़ 3 मरला माप की भूमि एक नेत्र अस्पताल खोलने के लिए 33 साल तक पट्टे पर देने का निवेदन किया। जी.पी. द्वारा अधिसूचित भूमि ट्रस्ट को 33 साल के लिए देने का प्रस्ताव पास किया गया (जुलाई 2009) एवं मामले को सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया। राज्य सरकार ने जी.पी. के प्रस्ताव को 14 दिसंबर 2009 को अनुमोदित कर दिया एवं भूमि ₹ 3 लाख प्रति

एकड़ 10 प्रतिशत की प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ की दर से पट्टे पर दे दी गई। पट्टा समझौता जनवरी 2010 में हस्ताक्षरित किया गया।

धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 31 मई 2010 को की गई। ट्रस्ट ने धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद 20 अक्तूबर 2010 को एक नेत्र अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि प्रयोग में परिवर्तन (सी.एल.यू.) के लिए टी.सी.पी.डी. को आवेदन किया। विकास योजना के अनुसार, वो जगह रिहायशी क्षेत्र के लिए चिन्हित थी जबकि सी.एल.यू. के लिए आवेदन नेत्र अस्पताल की स्थापना करने के लिए था। ट्रस्ट को सी.एल.यू. के लिए आवेदन करने से पहले भूमि रिलीज करवाने के लिए कहा गया। सी.एल.यू. से संबंधित पंजाब शैडयूलड रोडज एवं कंट्रोलड एरिया रेरिट्रक्शन आफ अनरेगुलेटड डेवलेपमेंट रूलज, 1965 को, एक अधिसूचना जारी कर पंचायत भूमि के पट्टेदार को सी.एल.यू. हेतु आवेदन करने के लिए पात्र बनाते हुए, संशोधित किया गया (8 नवंबर 2010)। ट्रस्ट को सी.एल.यू. प्रदान करने का प्रस्ताव इस शर्त के अधीन कि भूमि सरकार द्वारा रिलीज कर दी जाएगी, स्वीकार कर लिया गया (1 दिसंबर 2010)। निदेशक, यू.ई.डी. द्वारा भूमि की रिलीज के बारे में प्रस्ताव 3 दिसंबर 2010 को प्रस्तुत किया गया, एवं उसी दिन प्रदान कर दिया गया।

सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश (मार्च 2008) अन्य बातों के साथ यह भी निर्धारित करते हैं कि पट्टेदारा पट्टा अवधि के आरंभ होने के 2 वर्षो के अंदर अनुमत प्रयोग के लिए पट्टे पर दी गई भूमि को प्रयोग करेगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2 वर्षो के बाद भी ट्रस्ट ने नेत्र अस्पताल के निर्माण संबंधी कार्य आरंभ नहीं किया है इस कारण से वही उद्देश्य जिसके लिए सी.एल.यू. प्रदान की गई एवं भूमि पट्टे पर दी गई, परास्त हो गया।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट काफ्रेंस ने कहा कि भूमि जी.पी. के पक्ष में रिलीज की गई थी जो भूमि की स्वामी थी, परंतु सी.एल.यू. विभाग की नीति के अनुसार ट्रस्ट को प्रदान किया गया उन्होंने आगे कहा कि सी.एल.यू. प्रदान करने पर कार्यवाही 8 नवंबर 2010 की नीति के अनुसार की गई है, जो कि जी.पी.की भूमि के पट्टेदारों को सी.एल.यू. प्रदान करने की अनुमति देती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत भूमि रिलीज करने पर विचार करने में सक्षम है जहां उसके लिए अवार्ड घोषित ना किया गया हो एवं इसीलिए, भूमि की रिलीज दिनांक 26 अक्तूबर 2007 की नीति के अनुसार की गई थी।

पी.एस. का दावा ठीक नहीं था क्योंकि जी.पी. ने भूमि को, धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के बाद पट्टे पर दिया था, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था क्योंकि स्वामी धारा 4 की अधिसूचना जारी हाने के बाद भूमि पर कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकते। आगे, जी.पी., जो कि भूमि की स्वामी थी, ने सरकार को किसी भी चरण पर भूमि की रिलीज का आग्रह नहीं किया था सरकार ने प्रासंगिक नियमों को 8 नवंबर 2010 को परिवर्तित किया जबकि ट्रस्ट द्वारा आवेदन 20 अक्तूबर 2010 को किया गया। विभाग द्वारा ट्रस्ट को नेत्र अस्पताल स्थापित करने के लिए सी. एल.यू. अपनी मास्टर योजना के उल्लंघन में प्रदान किया गया क्योंकि क्षेत्र को रिहायशी क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया था सरकार ने भूमि को भूमि रिलीज नीति के विरूद्ध रिलीज किया क्योंकि धारा 5-क के अंतर्गत जी.पी. द्वारा कोई आपत्ति दायर नहीं की गई थी एवं अपनी भूमि को पट्टे

पर देने से पहले, जी.पी. द्वारा अभिरूचित पक्षों से आवेदन मंगाने से पहले, बिडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए उचित प्रचार/विज्ञापन नहीं किया गया जैसा कि पंजाब विलेज कामन लैंडज (रेगुलेशन) नियम, 1964 में बिडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रतियोगिता से भागीदारी करने के लिए अपेक्षित था।

2.3.9.3 हुडा द्वारा भूमि का कब्जा लेने के बाद मैसर्ज उदार गगन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड को भूमि की रिलीज

भूमि रिलीज 2007 का क्लाज 1 निर्धारित करता है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से भूमि की रिलीज के किसी भी निवेदन पर अवार्ड घोषित होने के एक वर्ष बाद विचार नहीं किया जाएगा। शहरी संपदा, रिवाड़ी के सैक्टर 6 और 7 को विकसित करने के लिए 135.026 एकड़ भूमि को अधिग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई (जनवरी 2006)। आपत्तियों को सुनने के बाद, धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना 9 अगस्त 2006 को जारी की गई। मैसर्ज उदार गगन प्रोपटीज प्राईवेट लिमिटेट (फर्म) द्वारा उपरोक्त अधिसूचित भूमि पर 136.269 एकड़ भूमि पर एक रिहायशी कालोनी विकसित करने के लिए लाईसैंस प्रदान करने हेतु 29 अगस्त 2006 को आवेदन किया गया था। पी.एस., टी.सी.पी.डी. द्वारा फर्म की प्रार्थना की जांच की गई, परंतु इस आधार पर कि क्षेत्र की विकास योजना अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है, जोकि लाईसैंस जारी करने से पहले की एक पूर्व शर्त थी, अस्वीकृत कर दी गई (8 दिसंबर 2006)। 136.269 एकड़ भूमि में से, जिसके लिए कालोनाइजर (फर्म) ने लाईसैंस जारी करने हेतु आवेदन किया था, हुडा के पास 135.026 एकड़ भूमि का कब्जा था एवं विकासक को रिलीज करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं बचा था।

लाईसैंस जारी करने के लिए अपने आवेदन के अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से अपकृत होकर, फर्म ने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। (16 दिसंबर 2006)। उच्च न्यायालय ने मत दिया (19 अगस्त 2008) कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर वर्तमान नीति के प्रकाश में गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाए क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भेदभाव का प्रश्न किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है। निदेशक, टी.सी.पी.डी. द्वारा रिकार्ड किया गया कि सरकार के पास ऐसी भूमि को रिलीज करने के लिए कोई शक्ति निहित नहीं है, जिसका कब्जा हुडा द्वारा पहले से ही लिया जा चुका है, इसीलिए भूमि रिलीज करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। तथापि, न्यायालय के आदेशों एवं संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रयोग के आधार पर महा - अधिवक्ता के परामर्श के प्रकाश में मामले की पुर्नसमीक्षा करने का आदेश दिया गया (16 जून 2009)। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से समस्त भूमि रिलीज कर दी गई (3 जुलाई 2009)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निर्णय का आधार ठीक नहीं था क्योंकि न तो उच्च न्यायालय और न ही महाधिवक्ता द्वारा कभी यह मत दिया गया कि मैसर्ज असल हाऊसिंग एवं कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तुलना में मैसर्ज उदार गग्गन के साथ किसी चरण पर कोई भेदभाव किया गया था। आगे, भेदभाव के मामले पर विभाग द्वारा विस्तार से पहले ही विचार किया जा चुका था (28 जनवरी 2009), जिसके अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया था कि संविधान के अनुच्छेद 14

को आकृष्ट करने वाला भेदभाव का इस मामले में कोई विषय नहीं है। इससे भी अधिक, कालोनाइजर के पक्ष में भूमि रिलीज करने में की गई विभाग की कार्यवाही सरकार की भूमि रिलीज नीति के अनुरूप नहीं थी क्योंकि भूमि अधिग्रहण के अढ़ाई वर्षो के बाद भूमि रिलीज की गई। भूमि रिलीज के कारण, भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित करने का उद्देश्य, शहरी संपदा, रेवाडी के सैक्टर 6 और 7 का विकास, प्राप्त नहीं किया जा सका।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट कांफ्रेंस ने कहा कि मैसर्ज उदार गग्गन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाइसैंस की अस्वीकृति एवं भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देते हुए दायर की गई सी.डब्ल्यू.पी. पर उच्च न्यायालय द्वारा भूमि की बेदखली पर रोक लगा दी गई थी (अगस्त 2007)। दिनांक 19 अगस्त 2008 के आदेशों के माध्यम से सी.डब्ल्यू.पी. को निपटाते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य को वर्तमान नीति के प्रकाश में आवेदन को गुणवत्ता आधार पर निर्णित करने का निर्देश दिया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि का कब्जा मालिकों/विकासकों के पास था, उच्च न्यायालय के आदेश एवं इसके साथ-साथ वर्तमान नीति को विचार में रखते हुए मामले की संवीक्षा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि भूमि रिलीज करने के बाद प्रदान कर दिया जाए। पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने आगे स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने मामले का निर्णय वर्तमान नीति के दृष्टिकोण में किया, क्योंकि जमीन की बेदखली भू स्वामियों के पक्ष में रोक दी गई थी, इसीलिए, सरकार अधिनियम की धारा 48 (1) लागू करने के लिए सक्षम थी।

पी.एस., द्वारा दिया गया उत्तर विषय को संबोधित नहीं करता, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को निपटाते हुए आदेश दिया गया था कि भूमि रिलीज करने के लिए आवेदन में सविंधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विचारा जा सकता है यदि विकासक के विरूद्ध कोई भेदभाव किया गया हो। वास्तव में, भेदभाव के मामले पर विभाग द्वारा जनवरी 2009 में पहली ही विस्तार से विचारा जा चुका था एवं यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका था कि विकासक के विरूद्ध कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था। एल.आर. ने किसी भी चरण पर अपना मत नहीं दिया था कि विकासक के विरूद्ध कोई भेदभाव बरता गया है। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि भेदभाव का कोई मामला नहीं था; सरकार ने विकासक के पक्ष में, अवार्ड घोषित होने के दो वर्ष से भी अधिक समय के बाद भूमि रिलीज कर दी, जोकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था।

2.3.9.4 विकासकों को समय में विस्तार देना

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 5 निर्धारित करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया लाईसैंस निदेशक द्वारा रद्द किए जाने के लिए देय होगा यदि कोलोनाइर्ज लाईसैंस की शर्त या अधिनियम के प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लघंन करता है। आगे, जारी की गई एल.ओ.आई. 30 दिनों के लिए वैद्य होती है तथा उसे आगे अन्य 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता था।

504.57 एकड़ भूमि का एक क्षेत्र धारा 4 के अंतर्गत, सैक्टर 36-ए में एक आवासीय कालोनी विकसित करने हेतु, अधिग्रहण के लिए 15 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया एवं धारा 6 के अंतर्गत घोषणा दिसंबर 2007 में जारी की गई। 14.813 एकड माप की भूमि मैसर्ज सोनीका प्रापर्टीज

के पक्ष में रिलीज की गई। इसके साथ ही, फर्म को इस उद्देश्य के लिए एल.ओ.आई. भी जारी कर दिया गया (सितंबर 2008)।

एल.ओ.आई. निदेशक, टी.सी.पी.डी. द्वारा वापस ले ली गई (दिसंबर 2009) क्योंकि आवेदक कंपनी एल.ओ.आई. के किसी भी नियम एवं शर्तों को पूरा करने में असफल रही। निदेशक, यू.ई.डी. ने प्रस्तावित किया (मई 2010) कोलोनाइर्ज को रिलीज की गई भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर दी जानी चाहिए। बिना कोई कारण रिकार्ड किए, आवेदक को एक और अवसर दिया गया। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण के मामले को बंद कर दिया गया।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने अपने उत्तर में कहा (नवंबर 2012) कि मालिकों को एल.ओ.आई. की अवधि समाप्त होने के बाद एक और अवसर प्रदान करना टी.सी.पी.डी. में अनुसरण की जा रही प्रथा, जहां पर प्रार्थनाओं पर विचार मामले की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता था, के विरूद्ध नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि जारी की गई एल.ओ.आई. 30 दिनों के लिए वैद्य होती है एवं उसको अन्य 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में, एल.ओ.आई. (सितंबर 2008) में जारी की गई एवं एक अन्य अवसर मई 2010 में दिया गया। 'एक अन्य मौका', प्रथा के आधार पर देना अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ एल.ओ.आई. के नियम एवं शर्तों के भी विरूद्ध था। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्र को एक आवासीय कालोनी के रूप में विकसित नहीं किया जा सका (जनवरी 2013)।

2.3.10 भूमि का आबंटन एवं अंतिम प्रयोग

2.3.10.1 अधिगृहीत भूमि/आबंटित भूमि का उपयोग एवं सरकारी भूमि का प्रबंधन

राज्य सरकार द्वारा अतिरेक भूमि के निपटान के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार (मई 2010), एक विभाग की अतिरेक पूंजीगत परिसंपत्तियां जो किसी अन्य विभाग/बोर्ड/निगम द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है, उन्हें हस्तांतरित कर देनी चाहिए तथा जो अतिरेक परिसंपत्तियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती और अतिक्रमण संवेदी हों, उन्हें खुली नीलामी के माध्यम से बाजार में बेच देना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सिंचाई विभाग के पास कुल 3286.61 एकड़ अतिरेक भूमि थी। भूमि को पहले ईट भट्टों, विश्रामगृहों और माइनरस या ड्रेनज के लिए अधिगृहीत किया गया था, जो कि छोड़ दिए गए थे। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरेक भूमि के निपटान या हस्तांतरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह अवलोकित किया गया कि इस भूमि में से, 265.03 एकड़ भूमि ***(परिशिष्ट 2.14)*** अतिक्रमण/न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थी।

ई.आई.सी. ने कहा (नवंबर 2012) कि अतिरेक भूमि की सूची सभी विभागों में परिसंचारित की गई थी एवं विभाग की वेबसाइट पर भी डाली गई थी। उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, जब और जैसे कोई निवेदन प्राप्त होगा, अतिरेक भूमि को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार तब से अतिरेक भूमि के निपटान के लिए कोई

कार्यवाही नहीं की गई है। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में मामले पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

2.3.10.2 भूमि की लागत की वसूली न करना

सिंचाई विभाग द्वारा हुडा, करनाल को एक पार्क विकसित करने तथा नगरपालिका (एम.सी.), करनाल को एक बूचड़खाने का निर्माण करने के लिए कुल 10.04 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई थी। दस वर्ष बीत जाने के बाद भी उपरोक्त हस्तांतरित भूमि की ₹ 22.60 लाख लागत वसूली नहीं जा सकी है। यह अवलोकित किया गया कि मामले को हुडा तथा नगर पालिका के साथ नियमित रूप से उठाया गया था। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, ई.आई.सी. ने कहा कि राशि की वसूली के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

2.3.10.3 हुडा द्वारा भूमि प्रयोग संबंधी आंकड़ों का अनुरक्षण न करना

हुडा में मात्र अधिगृहीत भूमि एवं काटे गए प्लाटों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जा रहा था जैसा कि **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका 4: हुडा द्वारा काटे गए प्लाटों और अधिगृहीत भूमि से संबंधित आंकड़े

मार्च 2012 तक अधिगृहीत की गई भूमि, प्रारंभ किए गए सैक्टरों एवं काटे गए प्लाट									
अधिगृहीत भूमि (एकड़ में)	प्रारंभ किए गए सैक्टर				प्लाटों की संख्या				कुल
	रिहायशी	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सांस्थनिक	रिहायशी	वाणिज्यिक	औद्योगिक	रिहायशी	
67507	217	9	43	8	254227	39924	10356	530	305037

स्रोत: हुडा द्वारा प्रदत्त आकड़े।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भूमि क्षतिपूर्ति एवं भुगतान की गई वर्धित क्षतिपूर्ति, नियोजित भूमि, बिना प्रयोग के पड़ी हुई भूमि, अतिक्रमण की गई भूमि, इत्यादि से संबंधित केन्द्रीयकृत आंकड़े तैयार नहीं किए जा रहे थे। इस तरह, अधिगृहीत भूमि के प्रयोग की मात्रा का लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सका।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा कि अधिगृहीत भूमि, प्रत्येक शहरी सम्पदा में आयोजित सैक्टरों से संबंधित मौलिक आंकड़े हुडा की वैबसाईट पर उपलब्ध थे। उपरोक्त के अतिरिक्त, प्लाट धारकों को प्रत्येक प्लाट के संबंध में बहुत विस्तृत सूचना पी.पी.एम. पर उपलब्ध थी। उत्तर विषय को संबोधित नहीं करता था क्योंकि विभिन्न शहरी सम्पदाओं में बगैर प्रयोग के पड़ी हुई भूमि से संबंधित आंकड़े ना तो हुडा की वैबसाईट और ना ही हुडा के पास किसी अन्य रूप में उपलब्ध नहीं था। द प्लॉट एंड प्रोपर्टी मैनेजमैंट एवं फाइनाशियल अकाऊटिंग सिस्टम को एक सार्थक डाटावेस बनाने के लिए दृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

2.2.10.4 सरकारी भूमि का भौतिक सत्यापन करवाना

भूमि के उचित उपयोग एवं उसे अतिक्रमण से बचाने के लिए, समय-समय पर भूमि का भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। हालांकि, यह अवलोकित किया गया कि सरकारी भूमि के भौतिक

सत्यापन के लिए विभाग ने कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी, जिसके अभाव में विभाग, भूमि के उचित प्रयोग के बारे में अनभिज्ञ थे और भूमि पर अतिक्रमण लंबी अवधि के लिए बिना पता लगे रहता था। फरवरी 2013 को भौतिक सत्यापन करवाने के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

2.3.10.5 अतिक्रमण के अधीन भूमि

विभाग ने अतिक्रमण के अधीन भूमि के बारे में कोई व्यापक आंकड़े संकलित नहीं किए हैं। तीन सम्पदा कार्यालयों से संकलित की गई सूचना से पता चला कि 570.44[8] एकड़ का एक क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था जिसका कारण एहतियाती उपायों एवं सतर्कता का हुडा के पक्ष पर अभाव था। आगे, यह भी अवलोकित किया गया कि हुडा द्वारा अतिक्रमण से भूमि को मुक्त कराने के पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। भूमि का अतिक्रमण शहरी सम्पदाओं में विकासात्मक कार्यवाहियों को बाधित कर रहा था। पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने बताया (नवंबर 2012) कि भूमि को अतिक्रमण से खाली कराने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.3.10.6 अधिगृहीत भूमि का म्यूटेशन न करवाना

संबंधित तहसीलदार/उप रजिस्ट्रार का कार्यालय में राजस्व विभाग के अभिलेखों में अधिगृहीत भूमि का म्यूटेशन करवाना आवश्यक होता है। यह न्यायिक वाद-विवाद प्रक्रिया को टालने एवं अधिगृहीत भूमि का मुक्त स्वामित्व लेने के लिए आवश्यक होता है। तीन कार्य मंडलों एवं 3 सम्पदा कार्यालयों में 5667 एकड़ भूमि ***(परिशिष्ट 2.15)*** का म्यूटेशन नहीं करवाया गया है। पी.एस., टी.सी.पी.डी. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मंडल, गुड़गांव ने कहा (मई-नवंबर 2012) कि शीघ्रतम संभव समय पर म्यूटेशन करवाने के प्रयत्न किए जाएंगे।

2.3.10.7 प्लाट का अनियमित हस्तांतरण

एक व्यापक संपदा प्रबंधन प्रक्रिया (ई.एम.पी.) 2005, राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित औद्योगिकी नीति के सामंजस्य में बनाई गई। प्रक्रिया के पैरा 17 के अनुसार औद्योगिक प्लाटों/भूतपूर्व नीतियों के अंतर्गत पहले से ही आबंटित शैडों पर प्रावधान लागू थे। पैरा 7 के अनुसार प्लाटों का हस्तांतरण, यदि परियोजना पूरी हो गई थी एवं भवन का निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार था एवं वाणिज्यिक उत्पादन के बाद, अनुमत किया जाना था। आगे, पैरा 11 के अनुसार, प्लाटों के हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले पर संबंधित सम्पदा अधिकारी, हुडा द्वारा कार्यवाही की जानी थी एवं मंडलीय प्रशासक की अध्यक्षता वाली समिति जो कि इन मामलों में अंतिम स्वीकृति देने वाली प्राधिकारी थी, के सामने प्रस्तुत किया जाना था।

सम्पदा अधिकारी, सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पांच एकड़ 1,389 गज का औद्योगिक प्लाट निदेशक, यू.ई.डी. द्वारा ₹ 0.44 लाख की कीमत पर मैसर्ज वीनस पेपर मिल को आबंटित किया गया (मार्च 1975)। भूमि का कब्जा, डी.टी.पी., सोनीपत द्वारा दिया गया (मार्च 1978) एवं इस शर्त के साथ कि कब्जे की तिथि से दो वर्षो के अंदर निर्माण पूरा किया जाना

[8] फरीदाबाद: 116 एकड़, पानीपत: 195.44 एकड़ तथा सोनीपत: 259 एकड़।

था, जिसमें विफल रहने पर प्लाट पुर्नग्रहण के लिए देय था, अगस्त 1982 में कन्वेयंस डीड क्रियान्वित की गई। आबंटी परियोजना को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में असफल रहा फिर भी, हुडा द्वारा प्लाट को पुर्नगृहीत नहीं किया गया क्योंकि क्षेत्र में विकास कार्य मार्च 2008 में ही पूरे हो सके।

आबंटी ने बिना भवन का निर्माण किए मैंसर्ज एस.के.ओ.एल. ब्रयूरीज लिमिटेड के पक्ष में प्लाट का हस्तांतरण करने के लिए आवेदन दिया। प्रशासक, हुडा, रोहतक की अध्यक्षता वाली समिति के सामने हस्तांतरण नीति एवं अनुदेशों के प्रकाश में आवेदन की जांच हेतु एक एजेंडा रखा गया जिसमें यह इंगित किया गया कि हालांकि प्लाट हस्तांतरण नीति के अनुसार हस्तांतरणीय नहीं था, हस्तांतरण को अनुमति दे दी जाए, क्योंकि मुख्य प्रकाशक, हुडा ने चेयरमैंन, हुडा के अनुमोदन के साथ इस प्लाट के हस्तांतरण को अनुमति देने का निर्णय लिया है। आबंटी को प्लाट हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसकी अनुवर्ती मैसर्ज वीनस पेपर मिल ने प्लाट मैसर्ज एस.के.ओ.एल. लिमिटेड को ₹ 15.86 करोड़ लागत पर बेच दिया (मार्च 2009)। ई.एम.पी. 2005 के अनुच्छेद 15 के अनुसार, यदि एक आबंटी आबंटन/हस्तांतरण/पट्टे इत्यादि, की नियम एवं शर्तो की अनुपालना में चूक करता है तो` हुडा प्लाट को पुर्नग्रहण करने में सक्षम था। क्योंकि मैसर्ज वीनस पेपर मिल ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ नहीं किया था। हुडा द्वारा प्लाट को पुर्नगृहीत कर लिया जाना चाहिए था एवं इसे नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाना चाहिए था। प्लाट को बेचने की अनुमति के परिणामस्वरूप, आबंटी ने बिना कोई उद्योग स्थापित किए ₹ 15.82 करोड़ का लाभ कमा लिया जो कि अनुचित पक्षपात प्रदान करने के समतुल्य है।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि अनुमति प्रदान की गई क्योंकि हुडा तीन दशकों तक आधारभूत ढांचा पूर्ण नहीं कर सका एवं एक प्लाट के संबंध में जो कि 1975 में आबंटित किया गया, जब हुडा आस्तित्व में भी नहीं था ई.एम.पी. 2005 का लागू करना वांछनीय नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक परिसरों को हुडा को वर्ष 1977 में सौंपा गया था एवं हुडा को इन दायित्वों को अपनाना पड़ा एवं इन प्लाटों से कोई भी आय नहीं थी। प्लाट का हस्तांतरण करने की अनुमति चेयरमैंन, हुडा के अनुमोदन के साथ प्रदान की गई। अत: इस संबंध में नियमों एव विनियमों का कोई व्यतिक्रम नहीं था।

पी.एस का दावा ठीक नहीं था क्योंकि राज्य सरकार की हस्तांतरण नीति सभी औद्योगिक प्लाटों पर समान रूप से लागू थी चाहे वह हुडा द्वारा था या 1977 से पहले जब हुडा आस्तित्व में नहीं था, आबंटित किए गए थे। इस प्रकार, प्लाट बेचने की अनुमति प्रदान कर, आबंटी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

2.3.10.8 बाह्य विकास शुल्कों की वसूली

हुडा अधिनियम 1977 की धारा 38 के अनुसार बाह्य विकास शुल्क (ई.डी.सी.) उन विकासकों और भू-स्वामियों पर जिनकी भूमि रिलीज की गई थी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगाने थे। सी.ए., हुडा के अनुदेशों (सितंबर 2009) के अनुसार ई.डी.सी. का 25 प्रतिशत भूमि की रिलीज से पहले एवं शेष 75 प्रतिशत 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित छ: वार्षिक किस्तों में वसूल किए जाने थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नमूना - जांच किए गए सात संपदा कार्यालयों में से मात्र संपदा अधिकारी, रोहतक द्वारा उचित अभिलेखों को अनुरक्षण किया गया है। अन्य छः संपदा कार्यालयों में ई.डी.सी. की वसूली पर निगरानी रखने के लिए कोई मोनिटरिंग प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। ई.डी.सी. की वसूली पर निगरानी रखने हेतू डी.जी., यू.ई.डी. से भूमि की रिलीज से संबंधित अभिलेख तक नहीं प्राप्त किए गए थे। 2007 - 12 के दौरान कुल 2,475 एकड़ भूमि रिलीज की गई एवं ₹ 167 करोड़ (@ ₹ 140 प्रति वर्ग गज) की ई.डी.सी. आवेष्टित थी। क्योंकि बहुत बड़ी राशि आवेष्टित थी, ई.डी.सी. की वसूली की निगरानी हेतू एक उचित यंत्रावली को विकसित किया जाना चाहिए था।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि नीति को अगस्त 2011 से प्रभावी, संशोधित कर दिया गया है एवं अब भूमि की रिलीज से पहले 100 प्रतिशत ई.डी.सी.की वसूली का निर्णय ले लिया गया है। यह तथ्य बरकरार है कि 10 अगस्त 2011 से पहले के भूमि रिलीज मामलों के संबंध में बकाया राशि को मॉनिटर करने के लिए कोई यंत्रावली विकसित नहीं की गई है।

2.3.11 पुनर्वास एवं पुनःस्थापना

उन व्यक्तियों को, जिनकी भूमि एक विधान के अंतर्गत अधिगृहीत कर ली गई थी के लिए एक पुर्नवास एवं पुनः स्थापना नीति बनाई (दिसंबर 2007) अतिरिक्त निर्वहन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इस नीति के अंतर्गत एक वार्षिकी योजना आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत, भू-स्वामियों को प्रारंभिक भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त ₹ 15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष 33 वर्षो की अवधि के लिए भुगतान किए जाने थे जो कि प्रति वर्ष ₹ 500 प्रति एकड़ की निर्धारित राशि से बढ़ते जाने थे। इस वार्षिकी भुगतान को आगे ₹ 15,000 से बढ़ाकर ₹ 21,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष कर दिया गया, जो कि प्रति वर्ष ₹ 750 प्रति एकड़ की निर्धारित राशि से बढ़ाया जाना था। योजना में आगे विचारित था कि यदि एक भू-स्वामी या सह भागीदार के संबंध में अधिगृहीत भूमि एक एकड़ से कम बनती थी, ऐसे भू-स्वामियों के पास वार्षिकी राशि का परिवर्तित मूल्य एक ही बार में जो कि 33 वर्षो की अवधि में भुगतान की जाने वाली वार्षिकी के सकल मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर निर्धारित था, अग्रिम प्राप्त करने का विकल्प था। आगे, हुडा एवं एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा भूमि बेदखलों को रिहायशी एवं औद्योगिक प्लाट आबंटित करने के लिए कोटा भी निर्धारित था।

आर. एंड आर. नीति के कार्यान्वयन में निम्न कमियां ध्यान में आई:

2.3.11.1 भू-स्वामियों को वार्षिकी के भुगतान में देरी

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हुडा द्वारा दिसंबर 2007 से सितंबर 2012 के मध्य अधिगृहीत भूमि के लिए कुल अधिकृत किए गए ₹ 102.21 करोड़ के विरूद्ध, एल.ए.ओ.एज नवंबर 2012 तक भू-स्वामियों को मात्र ₹ 51.30 करोड़ सांवितरित कर सके। शेष ₹ 50.91 करोड़ की राशि हुडा के बैंक खातों में अवितरित पड़ी थी।

पी.एस., टी.सी.पी.डी. ने कहा (नवंबर 2012) कि पिछले तीने वर्षों में वार्षिकी भुगतान धीमा था, क्योंकि एल.ए.ओ.एज को लग रहा था कि वार्षिकी के भुगतान कार्य को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार के संवितरण में बीमा कंपनियों को शामिल करने के प्रयास सफल नहीं थे क्योंकि वे इस कार्य में हाथ डालने में अभिरूचित नहीं थे। पी.एस. ने आगे कहा कि अब एल.ए.ओज को बिना किसी देरी के भू-स्वामियों को वार्षिकी वितरण करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं।

विभाग को योजना के प्रावधानों के अनुसार दावेदारों को वार्षिकी संवितरित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि योजना में विचारित पुनर्वास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

2.3.11.2 भूमि विकासकों को दिया गया वार्षिकी भुगतान का लाभ

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि भू-स्वामियों को भुगतान की जाने वाली वार्षिकी का लाभ उन भूमि विकासकों को भी दिया गया जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधीगृहीत की गई थी। क्योंकि नीति भूमि पर स्वामित्व रखने वाले किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, इसे भूमि विकासकों को नहीं दिया जा सकता था।

पी,एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान स्वीकार किया कि योजना में निर्दिष्ट था कि वार्षिकी का लाभ किसानों को दिया जाएगा। हालांकि, एल.ए.ओ.एज के लिए पूर्व स्वामियों में स्वामित्व विवरणों के आधार पर यह अंतर करना संभव नहीं था कि क्या वो किसान थे एवं आगे यह भी जोड़ा गया कि मामले को वर्तमान प्रणाली की समीक्षा हेतु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ उठाया जाएगा।

2.3.12 मानवशक्ति की कमी

भूमि लेने देनों में भूमि के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए जटिल राजस्व अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित होती है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, भूमि अधिग्रहण में बड़ी धनराशि को खर्च करना आवेष्टित होता है। यह अवलोकित किया गया कि नमूना-जांच किए गए एल.ए.ओ.एज ***(परिशिष्ट 2.16)*** में स्टाफ की, विशिष्ट रूप से पटवारियों (35 प्रतिशत) एवं कानूनगो (42 प्रतिशत) के कैडर में, विकट कमी थी। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि 17 पटवारियों को अनुबंध के आधार पर लगाया गया था। अनुबंधीय आधार पर लगाए गए स्टाफ से भूमि दस्तावेजों के प्रक्रम एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान को अधिकृत किए जाने की व्यवस्था कदाचारों से असुरक्षित थी।

2.3.13 आन्तरिक नियंत्रण

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के कार्यान्यवन एवं भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में, आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली में निम्न कमियां ध्यान में आई:

2.3.13.1 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

यू.ई.डी. द्वारा हुडा के लिए अधिगृहीत भूमि के मामले में, भूमि अवार्डो की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए राज्य सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन लेने के बाद, हुडा के बैंक खातों से विशिष्ट धनराशि निकालने के लिए एल.ए.ओ.एज को प्राधिकृत करता है। संबंधित एल.ए.ओ.एज को नामित बैंकों पर चैक जारी करने की अनुमति होती है। बैंक प्रत्येक अवार्ड के लिए अलग चैक बुकें जारी कर रहे थे एवं अलग खाते रख रहे थे। भूमि क्षतिपूर्ति के वृद्धि के मामले में, हुडा के मंडल प्रशासक भू-स्वामियों को भुगतान संवितरित करने के लिए एल.ए.ओ.एज को एक मुश्त भुगतान कर रहे थे। एल.ए.ओ.एज की नमूना-जांच से निम्न कमियां ध्यान में आई:

- एल.ए.ओ.एज, गुड़गांव एवं रोहतक के कार्यालयों में, सभी भूमि क्षतिपूर्ति अवार्डो के संबंध में समेकित रोकड़ बही बनाई जा रही थी। प्रत्येक अवार्ड के विरूद्ध किए गए भुगतान का पता लगाने के लिए अवार्ड अनुसार लेजर इन कार्यालयों द्वारा नहीं बनाए जा रहे थे। आगे, नमूना-जांच किए गए एल.ए.ओ.एज रोकड़ बही के अनुसार शेषों का बैंक खातों से समाधान करने हेतु बैंकों से लेनदेनों का विवरण प्राप्त नहीं कर रहे थे। बैंक समाधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय नियंत्रण है जो कि नमूना-जांच किए गए किसी एल.ए.ओ.एज द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

- भूमि क्षतिपूर्ति में वृद्धि से संबंधित मामलों के संबंध में भी, नमूना-जांच किए गए किसी भी एल.ए.ओ.एज द्वारा रोकड़ बही नहीं बनाई जा रही थी एवं उनके द्वारा जारी किए गए चैकों का बैंक खातों के साथ समाधान नहीं किया जा रहा था। लेनेदनों का बैंक खातों के साथ समाधान के अभाव में, गलत भुगतान या निधियों के अपयोजन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

- इसी प्रकार, एल.ए.ओ.एज, रोहतक एवं गुड़गांव द्वारा वार्षिकी भुगतान के लिए रोकड़ बहियां तैयार नहीं की जा रही थी। एल.ए.ओ., फरीदाबाद ने 14 सितंबर 2010 के बाद से वार्षिकी भुगतान से संबंधित रोकड़ बही तैयार नहीं की थी। 2.55 लाख धनराशि के 28[9] चैकों को छोड़कर 14 सितंबर 2010 एव 31 मार्च 2012 के मध्य एल.ए.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित चैक अवितरित पड़े थे। चैकों के ड्राल को बैंक खातों के संदर्भ में समाधान करने के कोई प्रयत्न नहीं किए गए (अक्तूबर 2012)।

पी,एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा कि अवार्डानुसार रोकड़ बही आवश्यक नहीं थी क्योंकि अवार्डानुसार रजिस्टर प्रत्येक अधिग्रहण के संबंध में तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने, हालांकि यह भी कहा कि यदि कोई ठोस सुझाव प्राप्त किया गया तो अवार्डानुसार रजिस्टर/लेजर को सुधारा जा सकता है।

[9] चैक संख्या 656622 से 656626 (5), 656628 से 656634 (7), 656636 से 656639 (4) एवं 656640 से 656651 (12)।

2.3.13.2 बिना राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किए, किया गया भुगतान

अधिनियम की धारा 9 (1) के अंतर्गत, अवार्ड के घोषित होने के बाद, उसमें उल्लिखित समय एवं स्थान पर, समाहर्ता भूमि में अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या एजेंन्ट द्वारा अपने सामने उपस्थित होने एवं भूमि में उनके संबंधित अधिकार की प्रकृति एवं ऐसे अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति के उनके दावों का विवरण बताने का आदेश देगा। विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित अवार्ड घोषित होने के बाद, प्रामाणिक भू-स्वामियों को भुगतान करने के लिए राजस्व अभिलेख जैसे कि जमावंदी, मयूटेशनस इत्यादि को संबंधित राजस्व पटवारी से संग्रहित किया जाना था एवं अवार्ड विवरणियों में सम्मिलित किया जाना था। आगे, अधिनियम की धारा 13-क के अंतर्गत समाहर्त्ता दावों का सत्यापन करेगा एवं अवार्ड में किसी लिपिकीय या गणितीय अशुद्धि या उसकी अपने प्रस्ताव या अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन या किसी स्थानीय प्राधिकरण के कारण उसमें उत्पन्न त्रुटियों को ठीक करेगा।

एल.ए.ओ., गुड़गांव के कार्यालय द्वारा बिना उन व्यक्तियों, जिन्हें भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, के उचित सत्यापन एवं भू-स्वामियों के अवार्डो की शुद्धता को सुनिश्चित किए, भुगतान जारी कर दिए गए। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 6.49 करोड़ की वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति को 12 व्यक्तियों ***(परिशिष्ट 2.17)*** द्वारा यह कहकर वापिस कर दिया गया कि वो अवार्ड घोषित होने के समय भूमि के स्वामी नहीं थे। आगे, 15 व्यक्तियों ने ***(परिशिष्ट 2.18)*** अपने आप यह कहते हुए कि उन्हें उनकी हकदारी से अधिक क्षतिपूर्ति भुगतान कर दी गई थी, ₹ 1.55 करोड़ की धनराशि वापस कर दी।

पी,एस., टी.सी.पी.डी. ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा कि एल.ए.ओ.एज राजस्व विभाग से उपलब्ध नवीनतम अभिलेख संग्रहित करते हैं। आगे यह भी कहा गया कि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन न किए जाने के कारण हुए गलत या अधिक भुगतान से संबंधित विसंगतियां एल.ए.ओ.एज द्वारा अपने आप पहचान ली गई है एवं तदनुसार वसूली की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ₹ 1.49[10] लाख की धनराशि अभी भी वसूल की जानी थी (नवंबर 2012) एवं एल.ए.ओ. एज. को, उन व्यक्तियों के विरूद्ध जिन्होंने क्षतिपूर्ति या वर्धित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के समय झूठे शपथपत्र प्रस्तुत किए थे, फौजदारी कार्यवाही आरंभ करने की सलाह दी जा रही थी।

उत्तर विषय को संबोधित नहीं करता है क्योंकि प्राप्तकर्ताओं ने उनको अधिक भुगतान की गई क्षतिपूर्ति उनकी अपनी इच्छाशक्ति से लौटाई थी एवं एल.ए.ओ.एज के निर्देशों के अनुसार नहीं।

2.3.13.3 वर्धित क्षतिपूर्ति की गलत गणना

एल.ए.ओ., गुड़गांव द्वारा 3 मई 2000 में घोषित एक अवार्ड के आधार पर, ₹ 717 प्रति वर्ग गज की दर से श्री ईश्वर सिंह को भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। उसके एवं अन्य के द्वारा दायर की

[10] श्री बलवंत सिंह द्वारा जमा करवाया गया चैक नं. 10139 दिनांक 26 अगस्तर 2010 बैंक द्वारा अमान्य किया गया था।

[11] वृद्धित दर: ₹ 1216 प्रति वर्ग गज (-) मूल अवार्ड: ₹ 717 प्रति वर्ग गज।

गई याचिका में न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति में ₹ 717 प्रति वर्ग गज से ₹ 1216 प्रति वर्ग गज बढ़ा दिया गया। मूल अवार्ड एवं संशोधित दरों में ₹ 499[11] प्रति वर्ग गज का अंतर था। यह अवलोकित किया गया कि याचिकाकर्ताओं में से एक अर्थात् श्री जय भगवान को वर्धित क्षतिपूर्ति का भुगतान करते समय, ₹ 13.27 लाख की देय राशि के विरूद्ध ₹ 31.63 लाख का भुगतान किया गया (फरवरी 2012)। इस प्रकार उसकी हकदारी से ₹ 18.36 लाख अधिक भुगतान कर दिए गए। पी.एस. ने सूचित किया कि वसूली योग्य राशि ₹ 5,72,296 थी जिसमें से ₹ 5,36,765 की राशि वसूल कर ली गई है। लेखापरीक्षा द्वारा अधिक धनराशि की गणना शीट प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया जो कि प्रतिक्षित था (दिसंबर 2012)।

इसी प्रकार, अपर जिला न्यायाधीश (ए.डी.जे.), गुड़गांव के एक निर्णय (अगस्त 2007) की अनुपालना में, रेवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन मंडल, झज्जर, ने भू-स्वामियों (याचिकाकर्ताओं) को भुगतान करने हेतु ए.डी.जे. के न्यायालय में ₹ 16.82 करोड़ राशि की वर्धित क्षतिपूर्ति जमा करवा दी। लेखापरीक्षा में नोटिस किया गया (मई 2012) कि दो मामलों में, बी.वी. फार्मो में वर्धित क्षतिपूर्ति की गणना में विसंगति के कारण, ₹ 12 लाख का अधिक भुगतान (प्रत्येक मामले में ₹ छः लाख) न्यायालय में मार्च 2008 में जमा करवा दिया गया। भू-स्वामियों एवं क्षतिपूर्ति की राशि से संबंधित सूचना रखने वाले बी.वी. फार्मो को संबंधित मंडल द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक था परंतु मंडल द्वारा यह नियंत्रण प्रयोग नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, संबंधित कार्यकारी अभियंता से सूचित किया कि ₹ छः लाख की धनराशि ए.डी.जे., गुड़गांव से वापस प्राप्त हो गई है एवं भू-स्वामियों से शेष ₹ छः लाख की धनराशि वसूलने के लिए एक मामला दायर कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान कहा कि मामले को देखा जाएगा एवं समुचित कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त मामले दर्शाते हैं कि एल.ए.ओ.एज द्वारा भुगतान की गणना की उचित जांच नहीं की गई थी।

2.3.13.4 स्रोत पर आयकर की कटौती

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-क अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि स्रोत पर काटे जाने वाला कर (टी.डी.एस.) भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि से 10 प्रतिशत की दर पर काटा जाएगा। आगे, यदि दावेदारों द्वारा परमानेंन्ट अकाऊंट नम्बर (पैन) का उद्धरन अगर नहीं किया गया तो ब्याज भुगतानों से 1 अप्रैल 2010 से 20 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. काटा जाना था। 10 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. काटने के लिए पैन कार्ड की एक प्रति प्राप्त की जानी थी एवं प्रमाणकों के साथ सहायक दस्तावेज के रूप में संलग्न की जानी थी।

एल.ए.ओ., रोहतक के कार्यालय में टी.डी.एस. 10 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतानों से काटा जा रहा था जहां परमानेंन्ट अकाऊंट नम्बर (पैन) दावेदारों द्वारा उद्धरित नहीं किया गया था। इन मामलों में ₹ 0.67 करोड़ के टी.डी.एस. की कम कटौती की गई। इसी प्रकार लिफ्ट इरिगेशन मंडल, झज्जर के

मामले में टी.डी.एस. काटा ही नहीं गया। इस प्रकार ₹ 1.40 करोड़ के टी.डी.एस. की कम कटौती की गई जैसा कि **तालिका 5** में दिया गया है।

तालिका 5: टी.डी.एस. की कम कटौती का विवरण

(₹ करोड़ में)

एल.ए.ओ. का नाम	कार्यालय का नाम	भुगतान किया गया ब्याज	टी.डी.एस. जो काटा जाना था	काटा गया टी.डी.एस.	कम काटा गया टी.डी.एस.
एल.ए.ओ., भिवानी	लिफ्ट इरिगेशन मंडल, झज्जर	7.29	0.73	शून्य	0.73
एल.ए.ओ., रोहतक	प्रशासक हुडा, रोहतक	6.69	1.34	0.67	0.67
कुल		**13.98**	**2.07**	**0.67**	**1.40**

स्रोत: एल.ए.ओ., रोहतक के मामले में आयकर विभाग को जमा करवाए गए टी.डी.एस. का विवरण।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान ई.आई.सी. को टी.डी.एस. न काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

एल.ए.ओ., रोहतक द्वारा आयकर कार्यालय को जमा करवाए गए टी.डी.एस. विवरण के नमूना-जांच किए गए मामलों का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण करने से पता चला कि भू-स्वामियों को 20 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. काटने का लाभ देने के लिए डमी पैनज भी भरे गए थे जैसा कि **तालिका 6** में दिया गया है।

तालिका 6: टी.डी.एस. की कम कटौती का विवरण

(₹ लाख में)

पैन नंबर	भू-स्वामी का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि	काटा गया टी.डी.एस.	कुल काटा गया टी.डी.एस.
एफ.एफ.एफ.पी.एफ. 9999 एफ.	इन्दरपाल सिंह	01 दिसंबर 2011	0.67	0.07	0.07
एफ.एफ.एफ.पी.एफ. 9999 एफ.	कृष्णा देवी	28 दिसंबर 2011	4.42	0.44	0.44
एफ.एफ.एफ.पी.एफ. 9999 एफ.	राम लुभाया	28 दिसंबर 2011	0.56	0.06	0.06
कुल				**0.57**	**0.57**

स्रोत: आयकर विभाग को जमा करवाये गये टी.डी.एस. का विवरण।

इसके परिणामस्वरूप भू-स्वामियों को ₹ 0.57 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। चूंकि भू-स्वामियों से कम काटे गए टी.डी.एस. की वसूली से संबंधित दायित्व डी.डी.ओ. के उपर है। भू-स्वामियों से कम काटे गए टी.डी.एस. की डी.डी.ओ.एज द्वारा वसूली की जाए। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, पी.एस. टी.सी.पी.डी. ने उन मामलों के विवरण की मांग की जहां टी.डी.एस. कम काटा गया है। विवरण दे दिया गया परंतु उत्तर अभी प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

2.3.13.5 एल.ए.ओ.एज/एल.ए.सी.एज से खर्च न की गई शेष धनराशि की प्राप्ति न होना

एल.ए.सी.एज के पास अवार्ड धन से अधिक जमा करवाई गई निधियों को संबंधित मंडलों को वापिस किया जाना था।

लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि अवार्ड धन से आधिक्य में जमा करवाए गई निधियां एल.ए.सी.एज द्वारा वापिस नहीं लौटाई गई हैं जबकि अवार्ड घोषित होने के बाद दो से तीन वर्ष से अधिक बीत चुके हैं जैसा कि नीचे **तालिका 7** में विवरण दिया गया है।

तालिका 7: अव्ययित शेषों की गैर प्राप्ति का विवरण

कार्यालय का नाम	एल.ए.सी. / डी.आर.ओ. का नाम	कार्य का नाम	डिपोजिट की तिथि	डिपोजिट की गई धनराशि (₹ लाख में)	अवार्ड की तिथि	अवार्ड की राशि	आवार्ड से अधिक्य में जमा की गई राशि (₹ लाख में)
वाटर सर्विसज मंडल, रोहतक	रोहतक	बनियानी माइनर का विस्तार	मार्च 2009 से जनवरी 2010	371.00	मई 2010	290.00	81.00
पी.एच. इंजीनियरिंग मंडल, सोहना	गुड़गांव	सरकारी पोलीटेक्नीक मानेसर का विस्तार सोहना कस्बे में एस.टी.पी.	जुलाई 2008	40.00	जुलाई 2008	39.12	7.49
			जून - जुलाई 2009	1,354.00	जुलाई 2009	1,347.39	
कुल				**1,765.00**			**88.49**

स्रोतः सूचना संबंधित मंडलों से प्राप्त की गई है।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी एवं समुचित कार्यवाही की जाएगी।

2.3.13.6 निधियों को सरकारी खातों से बाहर रखना

पंजाब वित्तीय नियम एवं पंजाब सहायक ट्रेजरी नियम जैसे हरियाणा में लागू है के अनुसार पी.डब्ल्यू.डी. के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए निधियों को प्रत्येक परियोजना के लिए एक राजस्व जमा (आर.डी.) खाता चलाकर डी.आर.ओ. सह एल.ए.सी. द्वारा ट्रेजरीज में जमा करवाना आवश्यक होता है। पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 2.10 (बी) (5) आगे प्रावधान करता हे कि ट्रेजरी में से कोई भी धन आहरित नहीं किया जायेगा जब तक कि यह तुरंत संवितरण के लिए आवश्यक न हो।

2007 - 12 के दौरान मंडलीय अधिकारियों द्वारा डी.आर.ओ. सह एल.ए.सी., रोहतक के पास बैंक ड्राफ्ट एवं चैकों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए ₹ 43.14 करोड़ की एक राशि जमा करवाई गई। डी.आर.ओ. सह एल.ए.सी. रोहतक में ट्रेजरी में परियोजनाओं के अनुसार आर.डी. खाते खोलने की वजाय छः ब्याज वहन न करने वाले खाते एवं 5 ब्याज वहन करने वाले खाते, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में खोलकर राशि जमा करवा दी। 2007 - 12 की अवधि से संबंधित ₹ 6.71 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी (मई 2012)। निधियों को बैंक में रखने से 2007 - 12 की अवधि के दौरान ₹ 1.27 करोड़ की ब्याज की हानि फलित हुई (अर्थ एवं उपाय अग्रिम की 7 एवं 7.25 प्रतिशत के बीच की प्रचलित दरों पर परिकलित किया गया)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, डी.आर.ओ. सह एल.ए.सी. रोहतक ने कहा (मई 2012) कि लंबी एवं समय खपत करने वाली प्रक्रिया एवं स्टाफ की कमी के कारण ट्रेजरी में आर.डी. खाता चलाना सुविधाजनक नहीं था एवं कि बैंक खातों में धन भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में देरी से बचने के लिए रखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पंजाब वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी।

इसी प्रकार, मंडलीय अधिकारी, सिंचाई मंडल, सिरसा ने अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने से पहले नईवाला खरीफ चैनल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु डी.आर.ओ. सह एल.ए.सी. सिरसा के पास ₹ 10 करोड़ जमा करवा दिए (मार्च 2011), जो कि बाद में नवंबर 2011 में अधिसूचित की गई। ₹ 10 करोड़ की राशि बचत बैंक खातों में जमा करवा दी गई। 8 मास के पश्चात्, यह अर्जित ब्याज के साथ ट्रेजरी में आर.डी. खाते में जमा करवा दी गई। सिंचाई विभाग ने अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं की है (मई 2012) बिना आवश्यकता के निधियों को आहरित करने एवं उन्हें एल.ए.सी. के पास जमा करवाने से ₹ 28.76 लाख के ब्याज की हानि हुई (मई 2012 तक)।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान ई.आई.सी. को फील्ड कार्यालयों की एल.ए.ओ.एज के पास भूमि क्षतिपूर्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर ट्रेजरी चालानों के माध्यम से जमा करवाने के अनुदेश जारी करने का निर्देश दिया।

2.3.14 निष्कर्ष

पूर्ववर्त्ती अनुच्छेदों से, यह अवलोकित किया गया है कि टी.सी.पी.डी. ने सामाजिक एवं विकास उद्देश्यों के लिए वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के लिए भूमि के प्रयोग में अपनी सैक्टर-अनुसार प्राथमिकताओं को परिभाषित करते हुए कोई भूमि प्रयोग नीति नहीं बनाई। गैर नियोजित ढंग से भूमि की रिलीज के कारण, शहरी क्षेत्रों का विकास वाधित हुआ। कुल अधिगृहीत भूमि एवं भुगतान की गई क्षतिपर्ति से संबंधित केन्द्रीयकृत आंकड़े सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) एवं पी.एच.ई.डी. द्वारा तैयार नहीं किए जा रहे था। वर्धित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असाधारण देरी थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का अपरिहार्य भुगतान हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध अधिग्रहण प्रक्रिया से भूमि रिलीज करने में कमियां थी। वार्षिकी भुगतान से संबंधित सरकार द्वारा घोषित पुनर्वास उपायों को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि भू-स्वामियों को वार्षिकी भुगतानों के संवितरण के लिए कोई उचित यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी। उचित आन्तरिक नियंत्रण का अभाव था क्योंकि अवार्ड अनुसार लैजरों के गैर-अनुरक्षण, राजस्व अभिलेखों को अधतन किए बगैर भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान करने, गलत गणना करने के कारण अधिक भुगतान, सरकारी खातों से बाहर निधियों को रखने के उदाहरण थे। हुडा ने भुगतान की गई भूमि क्षतिपूर्ति एवं बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूर्ति, नियोजित भूमि, बगैर प्रयोग के पड़ी हुई भूमि, अतिक्रमण के अधीन भूमि, इत्यादि के बारे में केन्द्रीयकृत आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया है। भूमि के अतिक्रमण एवं अधिगृहीत भूमि के म्यूटेशन न करवाए जाने के उदाहरण थे।

2.3.15 अनुशंसाएं

सरकार विचार कर सकती है:

- शहरी विकास के लिए उपजाऊ भूमि की आवृति को कम करने के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायशी, शैक्षणिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए बंजर भूमि को विकसित करना;
- भूमि अधिग्रहण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों की कठोर अनुपालना सुनिश्चित करवाना;
- एल.ए.ओ.एज को अवार्डानुसार लेजर अनुरक्षित करने चाहिए एवं बैंक समाधान सुनिश्चित करवाना;
- ब्याज के भुगतान से बचने के लिए बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का शीघ्र भुंगतान करना चाहिए;
- उसके अधिग्रहण से पहले प्रस्तावित भूमि का उचित सर्वेक्षण करवाना; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं मॉनीटरिंग यंत्रावली को सुदृढ़ बनाना।

ग्रामीण विकास विभाग

2.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

विशिष्टताएं

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) स्थाई सामुदायिक परिसंपति सृजित करने के साथ-साथ 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका की सुरक्षा में बढ़ौतरी के उद्देश्य से भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा सितंबर 2005 में अधिसूचित किया गया था। स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा से कुछ सीमा तक स्थिरता एवं सुनिश्चित आय के साथ कर्मियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार प्रकट हुआ। तथापि, वेतन के विलंबित भुगतान, जाली (मस्टर रोल) तैयार करने, वेतन के दोहरे भुगतान इत्यादि कमियां थी जिनकी चर्चा रिपोर्ट में की गई है। स्कीम के लाभग्राही सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि उनकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन था क्योंकि उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हुई थी।

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए है:

जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम में ₹ 10.06 करोड़ की राशि के वेतन में अन्तर में राज्य सरकार अंशदायी नहीं थी जिसके कारण भारी संख्या में लाभार्थी स्कीम के लाभों से वंचित थे।

(अनुच्छेद 2.4.9.5)

केवल 23 से 42 प्रतिशत जॉब कार्डधारकों को रोजगार प्रदान किया गया था जिसमें से केवल एक से पांच प्रतिशत को 100 दिन के लिए गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.10.1)

दो गांवों में ₹ 2.60 लाख की राशि के वेतन के भुगतान से आवेष्टित कार्मिकों की काल्पनिक नियुक्ति देखी गई।

(अनुच्छेद 2.4.10.2)

25 मामलों में काटने, ओवर राइटिंग, मिटाने के माध्यम से मस्टररोलज की छेड़छाड़ और 11 मामलों में मस्टररोज में बैंक खाता संख्या दर्ज न करने, मस्टररोल और एम.आई.एस. रिपोर्टों में लाभार्थियों के नामों का असंयोजन, एम.आई.एस. में मस्टररोल या संख्या दर्ज न करने इत्यादि जैसी विभिन्न त्रुटियां लेखापरीक्षा में देखी गई।

(अनुच्छेद 2.4.11)

₹ 138.92 लाख की राशि मिट्टी की सड़कों पर खर्च की गई जो न तो टिकाऊ न ही सभी मौसमों में अभिगम्य थी।

₹ 81.45 लाख का व्यय 19 तालाबों की खुदाई और गहरा करने में किया गया जो बिना पानी के थे।

16 जी.पीज द्वारा पेवर ब्लॉक गलियों की सीमेंट कंकरीट/अन्तःपाश पर ₹ 80.15 लाख व्यय किए गए जो अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था।

(अनुच्छेद 2.4.12)

वन विभाग ने वन्यकरण पर ₹ 23.82 लाख की राशि व्यय की गई दर्शाई परंतु कोई पौधारोपण नहीं किया गया।

हर्बल पार्कों के विकास पर ₹ 62.05 लाख का अधिक व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.13)

2.4.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (जिसका 2 अक्तूबर 2009 से नाम दुबारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एम.जी.एन.आर.ई.जी.) रखा गया) किसी भी ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है जिसके व्यस्क सदस्य अप्रवीण हस्तकार्य करने के इच्छुक हों।

अधिनियम का मूल उद्देश्य उत्पादक परिसंपत्तियां सृजित करने, पर्यावरण के बचाव, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण, गांव से शहर प्रवास को कम करने और सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका की सुरक्षा में वृद्धि करना है।

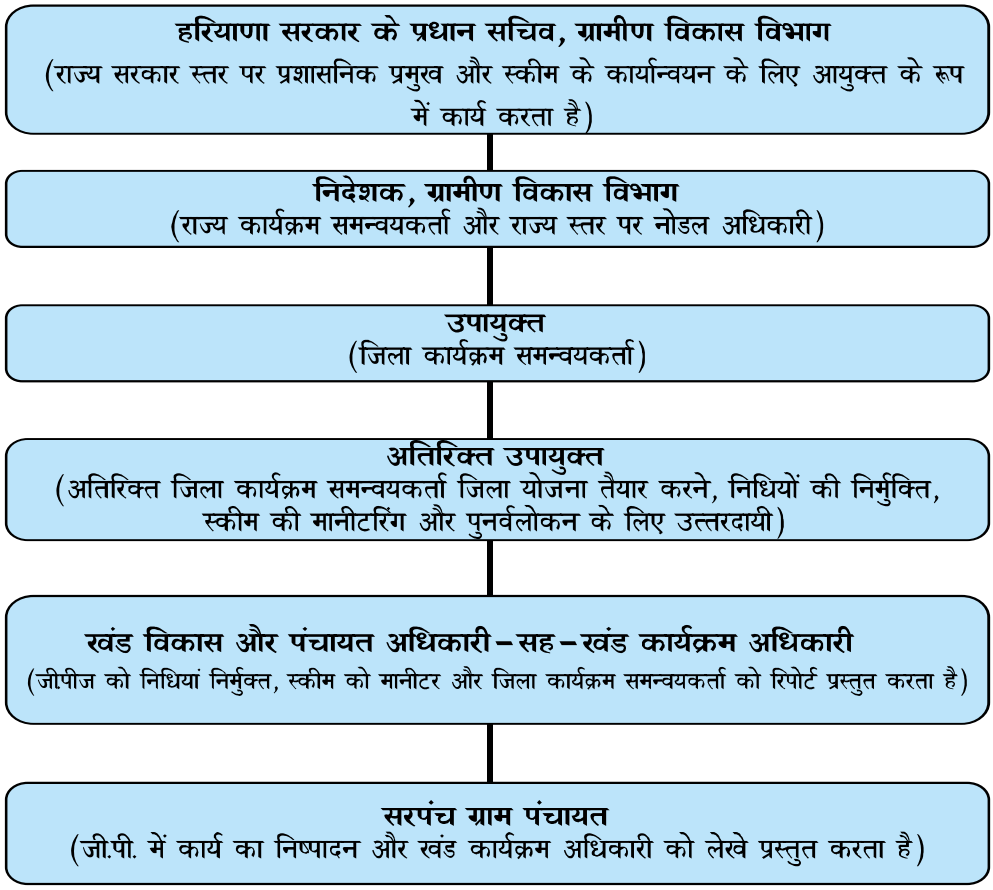
एम.जी.एन.आर.ई.जी. स्कीम हरियाणा में चरणवार निम्नानुसार प्रारम्भ हुई:

- महेन्द्रगढ़ और सिरसा जिले 2 फरवरी 2006 से;
- अंबाला और मेवात जिले 1 अप्रैल 2007 से; तथा
- शेष 17 जिलों में 1 अप्रैल 2008 से।

2.4.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग प्रशासनिक मुखिया है तथा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी है। उपायुक्तों को जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता के तौर पर, अतिरिक्त उपायुक्तों को अतिरिक्त जिला विकास समन्वयकर्ता के तौर पर और खंड विकास और पंचायत अधिकारियों को खंड कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है।

विभिन्न स्तरों पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक ढ़ांचा नीचे दर्शाया गया है:



2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि:

- संरचनात्मक यंत्रावली ठीक थी और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त क्षमता निर्माण के उपाय किए गए;
- कार्य के लिए संभाव्य मांग के अनुमान के लिए तथा परियोजनाओं के कगार तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर परिपेक्ष्य और वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रियाएं पर्याप्त और प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंध कुशल और प्रभावी था;
- परिवारों के, पंजीकरण, जॉब कार्ड का आबंटन और रोजगार उपलब्धता की प्रक्रिया प्रभावी और अधिनियम/नियमों के अनुसार थी;
- लक्षित ग्रामीण समुदाय को 100 दिन का वार्षिक रोजगार प्रदान करके जीविका की सुरक्षा

सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्राप्त किया गया और मांग पर नौकरी प्रदान करने की असमर्थता पर बेरोजगारी भत्तों का भुगतान नियमों के अनुसार किया गया;

- कार्यों का निष्पादन मितव्ययी रूप से, कुशलता से और प्रभावी रूप में सामयिक तौर पर किया गया और स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन, अनुरक्षण और उपयुक्त लेखा-जोखा किया गया;
- पर्यावरण के बचाव, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, शहरी प्रवास को कम करने सामाजिक समानता को प्रोत्साहन देने इत्यादि जैसे पूरक उद्देश्य प्रभावी रूप से प्राप्त किए गए;
- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ स्कीम का अभिसरण जैसा विचारित था किया गया;
- डाटा और अभिलेखों के प्रबंध के साथ-साथ एम.आई.एस. सृजन कुशल और प्रभावी था;
- इसके किर्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में सभी हिस्सेदारों को शामिल करके अधिनियम के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता अनुरक्षित की गई; तथा
- राज्य स्तर पर स्कीम के प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रभावी यंत्रावली थी।

2.4.4 लेखापरीक्षा कसौटी

निम्नलिखित स्रोतो से प्राप्त मापदण्ड के विरूद्ध लेखापरीक्षा परिणाम बैंचमार्क किए गए हैं:

- एन.आर.ई.जी.ए. अधिनियम 2005 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा जारी परिचालन मार्गनिर्देश 2006 और 2008 और समय-समय पर जारी परिपत्र।
- निधि नियम 2006, वित्तीय नियम 2009 और स्कीम के लेखापरीक्षा नियम 2011.
- मस्टर रोल निगरानी मार्गनिर्देश।
- राज्यों द्वारा आंतरिक मानीटरिंग के लिए मार्गनिर्देश/जांच सूची।

2.4.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र और पद्धति

2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा 21 जिलों में से छह[1] (28 प्रतिशत) और 12[2] खंड (प्रत्येक चुने गए जिले में से 2 खंड) के अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा अप्रैल 2012 और जून 2012 के मध्य की गई थी जो सिंपल रेंडम सैपलिंग विदाउट रिपलेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) तरीके के आधार पर चुने गए थे। आगे, इन

1 (i) अंबाला, (ii) फतेहाबाद, (iii) कुरूक्षेत्र, (iv) मेवात, (v) पलवल तथा (vi) सिरसा।

2 **अंबालाः** (i) अंबाला-1 तथा (ii) साहा, **फतेहाबादः** (iii) भट्टू कलां तथा (iv) रतिया, **कुरूक्षेत्रः** (v) बाबेन तथा (vi) थानेसर, **मेवातः** (vii) फिरोजपुर झिरका तथा (viii) तावडू, **पलवलः** (ix) हसनपुर तथा (x) पलवल तथा **सिरसाः** (xi) बड़ा गुड्डा तथा (xii) ओढान।

12 खंडों की 134 ग्राम पंचायतें (जी.पीज) ***(परिशिष्ट 2.19)*** प्रोवेबिलिटी प्रोपरशनल टू साईज विद रिपलेसमैंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) तरीके से चुने गए और निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग और चुने गए जिलों के डी.आर.डी.एज. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई।

अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति अधिनियम के प्रावधानों, स्कीम के मार्गनिर्देशों, वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों और निर्देशों के संदर्भ में अभिलेखों की नमूना-जांच थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रमाणित करने के लिए छाया चित्रण प्रमाण तथा भौतिक सत्यापन को भी ध्यान में रखा गया था। लेखापरीक्षा ने यदृच्छ आधार पर प्रत्येक चुने गए जी.पी. से 10 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण (अप्रैल-जून 2012) भी किया गया और एक प्रश्नावली के रूप में स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में उनके विचार प्राप्त किए।

फरवरी 2012 में निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के साथ एंट्री कान्फ्रैंस आयोजित की गई जिसमें स्कीम के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कसौटी, नमूना चुनाव, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। एग्जिट कान्फ्रैंस में (अक्तूबर 2012) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर भी चर्चा की गई तथा सरकार के विचार अनुकूल रूप से रिपोर्ट में समाहित किए गए।

2.4.6 आभारोक्ति

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा का कार्यालय लेखापरीक्षा के लिए सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध करवाने में विभाग तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के सहयोग का आभार व्यक्त करता है।

2.4.7 संरचनात्मक यंत्रावलियां

2.4.7.1 नियमों का गठन

अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम/स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाना अपेक्षित था। इसमें खंड स्तर तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण यंत्रावली और इन मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया स्थापित करना, बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए नियमों और शर्तों को बनाना और मजदूरी के रोजगार तथा व्यय के लेखे-जोखे की बहियों के अनुरक्षण के लिए तरीका उपलब्ध करवाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल-जून 2012) कि राज्य सरकार ने मार्च 2012 तक अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम प्रतिपादित नहीं किए थे। तथापि, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा शिकायत निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा तथा शिकायत सुधार नियम, 2009 गठित किए गए थे।

एग्जिट कान्फ्रैंस के दौरान, प्रधान सचिव ने (अक्तूबर 2012) बताया कि स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए नियम बनाएं जाएंगे।

2.4.7.2 राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस.ई.जी.सी.)

राज्य स्तर पर एम.जी.एन.आर.ई.जी. अधिनियम के कार्यान्वन की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा के उद्देश्यों से अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को एस.ई.जी.सी. के नाम से एक राज्य परिषद को स्थापित करना अपेक्षित था। राज्य सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 2008), के अनुसार परिषद का वर्ष में कम से कम एक बार मिलना और राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए स्कीम की वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल-जून 2012) कि परिषद अप्रैल 2008 मे संघटित की गई थी, परंतु आठ बैठकों (2 बैठक प्रतिवर्ष) की अपेक्षा के विरूद्ध, 2008-12 के दौरान केवल दो बैठकें आयोजित की गई और परिषद के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई थी।

प्रधान सचिव ने बताया (सितंबर 2012) कि स्कीम की वार्षिक रिपोर्टें शीघ्र तैयार की जाएंगी। आगे, एग्जिट कांफ्रैस के दौरान, प्रधान सचिव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि राज्य सरकार द्वारा सदस्यों के नामांकन में विलंब के कारण 2008-12 के दौरान केवल दो बैठकें आयोजित की गई।

2.4.7.3 साधन समर्थन

अधिनियम के परिचालन मार्ग निर्देशों तथा जी.ओ.आई. द्वारा जारी अन्य परिपत्रों ने साथ-साथ निम्नलिखित पर ध्यान दिया:

- प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्कीम के कार्यान्वन के सरलीकरण के लिए आवश्यक समथन स्टाफ के साथ प्रत्येक खंड में एक पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.), जो खंड बिकास अधिकारी से कम श्रेणी का न हो, नियुक्त करना अपेक्षित था।
- स्कीम के कार्यान्वन में जी.पीज की प्रधान भूमिका को ध्यान में रखते हुए एक रोजगार गारंटी सहायक (ई.जी.ए.) या ग्राम रोजगार सहायक(जी.आर.एस.) का प्रत्येक जी.पी. में नियुक्त किया जाना आवश्यक था।
- कार्यों के अनुमान तथा मापन की सहायता के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला और खंड स्तरों पर अधिकृत इंजीनियरों का पैनल गठित करना अपेक्षित था।
- योजना, रूपरेखा, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और विभिन्न उपक्रमणों की गुणक लेखापरीक्षा तथा साथ ही स्कीम की गुणवता और लागत प्रभावशीलता को सुधारने के विचार से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने में सहायता के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर तकनीकी साधन समर्थन दलों की नियुक्ति पर राज्य सरकार ध्यान दे सकती थी।

लेखापरीक्षा ने ऊपर प्रावधानों को पूरा करने में निम्नलिखित कमियां देखी (अप्रैल-जून 2012):

- नमूना-जांच किए गए 12 खंडों में से किसी में भी सरकार ने पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त नहीं किए थे। विद्यमान बी.डी.पी.ओज को कार्यक्रम अधिकारी घोषित किया गया तथा स्कीम का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया।
- नमूना-जांच किए 36 जी.पीज ***(परिशिष्ट 2.20)*** में ग्राम रोजगार सहायक (जी.आरज)

नियुक्त नहीं किए गए थे बी.डी.पी.ओ., भटटू कलां ने बताया (जुलाई 2012) कि प्रत्येक जी.पी. में जी.आर.एस. की नियुक्ति के लिए मामला अतिरिक्त उप-आयुक्त के साथ उठाया गया।

- राज्य सरकार ने जिला और खंड स्तर पर अधिकृत इंजीनियरों के पैनल गठित नहीं किया था।
- राज्य सरकार ने राज्य और जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन समर्थन दल स्थापित नहीं किया था।

उपरोक्त त्रुटियों और स्टाफ की कमी के कारण स्कीम का कार्यान्वन बुरी तरह प्रभावित हुआ अर्थात् अभिलेखों का अनुरक्षण, कार्यों का अनिरीक्षित रह जाना, परिपेक्ष्य योजना का तैयार न होना इत्यादि जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छदों में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) प्रधान सचिव ने सभी उपायुक्तों को जिला स्तर पर सेवानिवृत उप-मंडलीय अभियन्ताओं का एक पैनल तैयार करने के निर्देश जारी किए (सितंबर 2012)। तकनीकी संसाधन समर्थन दल की स्थापना के बारे में, यह बताया गया कि यह मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत अनिवार्य नहीं था। लेखापरीक्षा, यद्यपि, यह सुझाव देती है कि स्कीम के बेहतर कार्यान्वन के लिए तकनीकी साधन समर्थन दल स्थापित किया जाना चाहिए था।

2.4.8 योजना

योजना एक कार्यक्रम के सफल कार्यान्वन के लिए मुख्य यंत्र है। 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाने से कार्यक्रम के दायित्व के लिए अग्रिम योजना आवश्यक है। योजना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मांग पर उत्पादक रोजगार प्रस्तुत करने के लिए जिला परिपेक्ष्य योजना भली-भांति अग्रिम में तैयार की जाए।

2.4.8.1 जिला परिपेक्ष्य योजना

अधिनियम की धारा 16 और परिचालन मार्ग-निर्देशों का अध्याय 4 जिले के लिए अग्रिम योजना के सरलीकरण और विकास परिपेक्ष्य उपलब्ध करने के लिए पांच वर्षीय जिला परिपेक्ष्य योजना (डी.पी.पी.) की तैयारी को निर्धारित करते हैं। इसका लक्ष्य जिले में किए जाने वाले कार्यों के प्रकारों और इन कार्यों और दीर्घावधि रोजगार सृजन तथा संपोषित विकास के बीच संभाव्य संयोजन को पहचानना है।

भारत सरकार ने बाह्य विशेषज्ञ एजैंन्सियों के माध्यम से डी.पी.पीज तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में ₹ 10 लाख का प्रावधान किया (नवंबर 2007)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए छः जिलों में से दो[3] जिलों द्वारा डी.पी.पीज तैयार नहीं किए गए थे। इन जिलों के ए.डी.सीज ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि निजी एजेंसियों को परिपेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। चार जिलों के द्वारा डी.पी.पीज बाहरी एजैंन्सियों से तैयार करवाए गए (2011-12)। जिसके लिए मार्च 2012 तक ₹ 7.47 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। परन्तु नवंबर 2012

[3] फतेहाबाद तथा कुरूक्षेत्र।

को यह अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पास प्रक्रिया अधीन थे। डी.पी.पीज के तैयार न किए जाने के परिणामस्वरूप अग्रिम नियोजन का अभाव था। प्रधान सचिव ने बताया (सितंबर 2012) कि सभी जिलों को परिपेक्ष्य योजना प्रस्तुत करने के लिए निदेश जारी कर दिए गए हैं।

2.4.8.2 वार्षिक योजनाएं

- अधिनियम की धारा 16 (3 और 4) बताती है कि प्रत्येक जी.पी. एक विकास योजना (वार्षिक योजना) तैयार करे तथा वर्ष के प्रारंभ से पहले कार्यों के कगार का अनुसरण करे। विकास योजना में निम्न घटक शामिल हों:
 - मजदूरी मांग का निर्धारण।
 - अनुमानित मजदूरी मांग को पूर्ण करने के लिए कार्यों की पहचान।
 - कार्यों और मजदूरी की अनुमानित लागत।
 - रोजगार सृजन और भौतिक सुधारों (जल संरक्षण, भूमि उत्पादकता) के रूप में अपेक्षित लाभ।

चुने गए जी.पीज में यह अवलोकित किया गया था कि वार्षिक योजनाओं पर ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जा रही थी परन्तु महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे मजदूरी मांग का निर्धारण, कार्य की प्रमात्रा, प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत, अपेक्षित लाभ इत्यादि पर चर्चा नहीं की जा रही थे तथा ये मार्ग – निर्देशों में यथा विचारित प्रलेखित नहीं थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रधान सचिव ने बताया (सितंबर 2012) कि जी.पी, खंड और जिला स्तरों पर आवश्यकता के समेकन के लिए वार्षिक योजना तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को आवश्यक निदेश जारी किए जा रहे थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्कीम के कार्यान्वयन में निम्न कमियां देखी गई थी:

- अधिनियम की धारा 16 के अनुसार स्कीम की निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत जी.पीज को निर्मुक्त किया जाना था। तथापि, अंबाला जिले में के अनुसार 2007 – 08 और 2008 – 09 के दौरान जी.पीज को क्रमश: केवल 43 प्रतिशत और 32 प्रतिशत निधियां निर्मुक्त की गई थी जैसा कि **तालिका 1** में दिया गया है।

तालिका 1: वन विभाग की तुलना में जी.पी.एज को निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण

वर्ष	जिले को निर्मुक्त कुल निधियां	वन विभाग को निर्मुक्त निधियां	जी.पीज को निर्मुक्त निधियां	अन्य एजेन्सियों को निर्मुक्त निधियां	कुल निधियों के विरूद्ध जी.पीज को निर्मुक्त निधियों का प्रतिशत
	(₹ लाख में)				
2007-08	1190.92	660.00	509.42	21.50	43
2008-09	2230.00	1373.00	717.00	140.00	32

स्रोत: अंबाला जिले के बी.डी.पी.ओज द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े।

- जी.ओ.आई. के निर्देशों के अनुसार (मार्च 2008) 31 मार्च 2008 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई) के अव्ययित शेषों को एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. खाते में हस्तांतरण अपेक्षित था। बी.डी.पी.ओ., रतिया और थानेसर के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2008 को क्रमश: ₹ 6.20 लाख और ₹ 15.90 लाख राशि की निधियां एस.जी.आर.वाई. खाते में पड़ी थी। इनमें से क्रमश: ₹ 5.10 लाख और ₹ 9.47 लाख की राशि बी.डी.पी.ओज द्वारा 2008-12 के दौरान एस.जी.आर.वाई. कार्यों पर व्यय की गई। किए गए व्यय के समर्थन में वाउचर बी.डी.पी.ओ., रतिया के द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। मार्च 2012 को बी.डी.पी.ओ. के पास ₹ 7.26[4] लाख अव्ययित पड़े थे। बी.डी.पी.ओ. थानेसर ने बताया (जुलाई 2012) कि ₹ 9.74 लाख की राशि एस.जी.आर.वाई. के चल रहे कार्यों को पूर्ण करने के लिए व्यय की गई थी तथा शेष एन.जी.एम.आर.ई.जी. स्कीम को हस्तांतरित कर दिए गए (मई 2012)। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल 2008 के बाद एस.जी.आर.वाई. की निधियों का उपयोग जी.ओ.आई. द्वारा निषिद्ध कर दिया गया था।

2.4.9 वित्तीय प्रबंध

2.4.9.1 निधिकरण पैट्र्न

केन्द्रीय और राज्य सरकारें स्कीम का व्यय वहन करती हैं जैसे **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका 2: एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. में केन्द्र एवं राज्य के हिस्से का विवरण

क्रमांक	व्यय की मद	केन्द्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा
1.	अकुशल मजदूरी	अधिसूधिचत दरों पर 100 प्रतिशत	केन्द्र की अधिसूचित दरों से अतिरिक्त
2.	कुशल मजदूरी	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
3	सामग्री	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
4.	बेरोजगारी भत्ता	शून्य	100 प्रतिशत
5.	प्रशासनिक खर्चे	जैसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए	राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसई.जी.सी.) के प्रशासनिक खर्चे

स्रोत: परिचालन मार्गनिर्देशों का अध्याय 8

2.4.9.2 वित्तीय निष्पादन

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यथा सूचित निधियां प्राप्त, निधियां उपलब्ध और निधियां व्ययित के विवरण **तालिका 3** में दिए गए हैं।

तालिका 3 उपलब्ध निधियों एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	पिछला शेष	गत वर्ष निर्मुक्त वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त निधिया		वर्तमान वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियां		जमा पर अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय
		केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य			
2007-08	1033.23	158.07	52.69	4108.97	410.90	38.61	5802.47	5235.01
2008-09	1131.11	200.00	20.00	13256.71	1292.07	111.74	16011.63	10984.87
2009-10	5270.62	399.94	73.59	11388.68	1138.88	604.98	18876.68	14356.32
2010-11	5385.27	157.00	15.70	13954.81	2120.37	398.90	22032.05	21488.52
2011-12	1630.17	276.38	127.54	27512.23	3328.25	1386.96	34261.53	31673.51

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा द्वारा दिया गया डाटा।

[4] बी.डी.पी.ओ. रतिया: ₹ 1.10 लाख तथा बी.डी.पी.ओ. थानेसर: ₹ 6.16 लाख।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (अप्रैल 2012) कि पिछला शेष परिकलित करने में अन्तर थे, जैसा कि **तालिका 4** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित उपलब्ध निधियों एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	पिछला शेष	केन्द्र का प्राप्त हिस्सा	राज्य का प्राप्त हिस्सा	विविध आय	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम शेष
2007-08	1033.23	4267.04	463.59	38.61	5802.47	5235.01	567.46
2008-09	567.46	13456.71	1312.07	111.74	15447.98	10984.87	4463.11
2009-10	4463.11	11788.62	1212.47	604.98	18069.18	14356.32	3712.86
2010-11	3712.86	14111.81	2136.07	398.90	20359.64	21488.52	-1128.88
2011-12	-1128.88	27788.61	3455.79	1386.96	31502.48	31673.51	-171.03

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े।

विभाग ने अंतरों का समाधान नहीं किया है। समाधान किए आंकड़ों के अभाव में वास्तविक व्यय लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका। विभाग ने बताया (सितंबर 2012) कि पिछले शेष वार्षिक लेखाओं के आधार पर लिए गए थे जबकि अंतिम शेष मासिक प्रगति रिपोर्टों एम.आई.एस. पर (एम.पी.आरज) से लिए गए आंकड़ों पर आधारित थे। तथापि तथ्य रह जाता है कि आंकड़े का समाधान नहीं किया गया और व्यय के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

2.4.9.3 राज्य रोजगार गारंटी निधि

अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, राज्य सरकार को स्कीम के कार्यान्वन के लिए राज्य रोजगार गारंटी निधि प्रस्थापित करनी थी। निधि का संचालन उस तरीके से तथा उस प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो, किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (अप्रैल-जून 2012) कि राज्य सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी (एस.ई.जी.) निधि को पांच वर्षों से भी अधिक विलंब के बाद 2 दिसंबर 2011 की अधिसूचना के द्वारा प्रस्थापित किया। निधियों के परिचालन और अनुरक्षण के लिए नियम भी बनाए गए थे। तथापि, एस.ई.जी. निधि को परिचालनात्मक नहीं बनाया गया था (मार्च 2012)। निधियों के अप्रस्थापन के कारण, भारत सरकार ने इसके हिस्से को एस.ई.जी. निधि में जमा करवाने की बजाय इसे सीधा जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त कर दिया, परिणामस्वरूप राज्य सरकार स्कीम का कार्यान्वयन उपयुक्त तरीके से मानीटर नहीं कर सकी। विभाग ने बताया (अगस्त 2012) कि केन्द्रीय हिस्से की प्रथम किश्त एस.ई.जी. निधि में जून 2012 को जमा की गई थी।

2.4.9.4 अवास्तविक मजदूरी बजट

एन.आर.ई.जी. अधिनियम के अध्याय 4, अनुच्छेद 14 की, उपधारा (6) का कथन है कि जिला कार्यक्रम समन्वयकर्त्ता प्रत्येक वर्ष दिसंबर मास में जिले में अकुशल हस्त कार्य के लिए अनुमानित मांग और स्कीम में आवृत कार्यों में मजदूरों की नियुक्ति के लिए योजना के ब्यौरों से निहित अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक मजदूरी बजट तैयार करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कुरूक्षेत्र के अलावा चुने गए जिलों के डी.पी.सीज द्वारा तैयार मजदूरी बजट यथार्थवादी थे। नीचे दिए ब्यौरे अनुसार कुरूक्षेत्र जिले में अनुमानित बजट और व्यक्ति दिनों के वास्तविक सृजन में व्यापक अंतर थे जैसा **तालिका 5** में दिया गया है।

तालिका 5: बजटिड़ एवं वास्तविक सृजित व्यक्ति दिनों में व्यापक अंतर दर्शाता विवरण

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	श्रम बजट अनुमान	सृजित वास्तविक व्यक्ति दिन
2008-09	2.42	1.08
2009-10	2.70	1.02
2010-11	1.76	1.84
2011-12	1.57	2.97

स्रोत: डी.पी.सी., कुरूक्षेत्र द्वारा तैयार श्रम बजट।

ए.डी.सी., कुरूक्षेत्र ने बताया (अक्तूबर 2012) कि श्रम बजट पर्वानुमान जी.पीज के मांग के आधार पर बनाये गये थे परन्तु अंतर जी.पीज में पंजीकृत परिवारों द्वारा रोजगार की कम/अधिक मांग के कारण थे।

2.4.9.5 राज्य हिस्से की कम निर्मुक्ति

जनवरी 2009 से लागू जी.ओ.आईज की नीति के अनुसार, जी.ओ.आई. और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वेतनों में कमी को राज्य सरकार द्वारा इसके अपने संसाधनों द्वारा वहन किया जाना था। हरियाणा में मजदूरी दर जी.ओ.आई. से अधिक थी। जनवरी 2009 से मार्च 2010 तक की अवधि के दौरान वेतनों में अंतर के कारण ₹ 10.06 करोड़ की राशि जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित था, का भुगतान नहीं किया गया (सितंबर 2012)। इसके कारण, जी.ओ.आई. को भेजी गई मांग के विरूद्ध जिले स्तर पर उपलब्ध निधियां कम रह गई और भारी संख्या में लाभार्थी स्कीम के लाभों से वंचित रहे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया गया कि ₹ 2.07 करोड़ की राशि के वेतन मार्च 2012 के अंत तक सिरसा जिले में देय थे। राज्य सरकार ने (जनवरी 2012) राज्यवार कम से कम वेतन के भुगतान के लिए अर्थात् हरियाणा में लागू उच्चतर मजदूरी दर के अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए मामला जी.ओ.आई. के साथ उठाया था परंतु जी.ओ.आई. ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तथापि, अतिरिक्त निधियां इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा इसके अपने बजट से अप्रैल 2010 के बाद से निर्मुक्त की जा रही थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने बताया कि अतिरिक्त निधियों की संस्वीकृति के लिए मामला वित्त विभाग के साथ उठाया जाएगा।

2.4.9.6 ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताएं

जी.पी., अकबरपुर (अंबाला) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुई:

- जून 2010 की समाप्ति पर कैशबुक में ₹ 76,556 का अन्तिम शेष दर्शाया गया परंतु अगले मास में ₹ 67,680 का शेष आगे ले जाया गया। इस प्रकार, ₹ 8,876 कैशबुक में कम गिने गए। लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर सरपंच ने बताया (अगस्त 2012)

कि जुलाई 2010 का पिछला शेष सही कर दिया गया। तथापि, यह तथ्य रह जाता है कि कैशबुक उपयुक्त रूप से अनुरक्षित नहीं की गई।

- प्रत्येक ₹ 0.62 लाख के तीन भुगतान अक्तूबर 2010 में मैसर्ज तीरथराम मोहिन्द्रपाल को किए गए थे परन्तु जी.पी. के अभिलेखों में केवल दो भुगतानों के वाउचर उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर एक भुगतान प्रविष्टि को रद्द दिया तथा राशि मई 2012 के अन्तिम शेष में जोड़ दी गई। यह आन्तरिक नियंत्रण यत्रावली की विफलता का संकेत था।

- नमूना-जांच किए गए जिलों में जी.पी., खंड और जिला स्तरों पर कैशबुक और बैंक पासबुक के अनुसार शेषों का समाधान नहीं किया गया। बी.डी.पी.ओज भट्टूकलां, ओडान, रतिया, साहा और थानेसर ने बताया (जुलाई 2012) कि बैंक समाधान भविष्य में सुनिश्चित किए जाएंगे।

- राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 24 (2) के अनुसार लेखाओं का फोरमैट निर्धारित नहीं किया था। जोखिम अनुमान और वाउचरों, मस्टररोल, बिलों, सामान, कार्यपंजिका, परिसंपत्ति रजिस्टर, सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इत्यादि पर लेखापरीक्षकों द्वारा लागू करने के लिए जांच की प्रतिशतता पर विशिष्ट मार्ग-निर्देश, राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए थे।

- सरपंच, जी.पी., अजराना कालन (जिला कुरूक्षेत्र) ने ₹ 14.60 लाख का एक व्यय 'शामलात भूमि में तालाब की खुदाई और इनके पुश्ता दीवार के निर्माण' पर किया जिसमें से ₹ 7.37 लाख की राशि ईटों, सीमेंट, बजरी इत्यादि सामान की खरीद पर पुश्ता दीवार के निर्माण के लिए जुलाई-अगस्त 2009 में व्यय की गई। लेखापरीक्षा (अप्रैल-जून 2012) में यह देखा गया कि सामान की खरीद पर व्यय फरवरी 2009 में एम.आई.एस. पर किया गया दर्शाया गया। आगे विभाग/जी.पी.के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा इस कार्य के भौतिक सत्यापन (अगस्त 2012) से प्रकट हुआ कि एक छोटी पुश्ता दीवार के निर्माण पर स्थल पर प्रयुक्त सामान का मूल्य इस सीमा तक नहीं था जैसा कि नीचे तस्वारों से देखा जा सकता है।



जी.पी. अजराना कलां द्वारा ₹ 7.37 लाख की लागत पर निर्मित शामलात भूमि में तालाब की पुश्ता दीवार (26 जुलाई 2012)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, ए.डी.सी. कुरूक्षेत्र ने बताया (अक्तूबर 2012) कि मामला जांच अधीन था तथा परिणाम शीघ्र ही सूचित किए जाएंगे।

- बी.डी.पी.ओ. फिरोजपुर झिरका (मेवात) ने डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के निर्माण के लिए जी.पी., मल्हाका को ₹ 40,000/- लाख का चैक दिया (अगस्त 2009) बैंक की पासबुक की प्रविष्टियों के अनुसार यह राशि बैंक में जमा करवाई गई और सरपंच द्वारा निकाल ली गई (सितंबर 2009)। यह अवलोकित किया गया कि जी.पी. मल्हाका की कैशबुक में इस राशि की न प्राप्ति और न ही निकालने की प्रविष्ट की गई। राशि के स्कीम पर व्यय करने के समर्थन में वाउचर लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए। इस विचार से इस धन के दुरूपयोग के अवसर वर्जित नहीं किया जा सके। ए.डी.सी., मेवात ने बताया (अक्तूबर 2012) कि भूतपूर्व सरपंच को राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया अन्यथा उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दायर की जाएगी। मामले का परिणाम सूचित नहीं किया गया था (फरवरी 2013)।

- स्कीम मार्ग-निर्देशों के अनुच्छेद 8.5.1 के अनुसार, प्रत्येक जी.पी. द्वारा केवल एक बैंक खाते का परिचालन होना था। हरियाणा पंचायती राज, वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान एवं कार्य नियम, 1996 के नियम 11 के अंतर्गत सरपंच की सुपुर्दगी में एक राशि जो 10,000 से अधिक न हो कैश के तौर पर रखी जा सकती है और उसके द्वारा कैश के तौर पर रखी गई राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने पर 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर वह ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा।

 पलवल खंड की ग्राम पंचायतें कलवाका, चिरवाड़ी और रामपुर खोर, हसनपुर खंड के जी.पी. मीरपुर कोराली जी.पी., रतिया खंड के जी.पी. बहमानवाला, थानेसर खंड के टिगरी खालसा और बी.डी.पी.ओ. हसनपुर स्कीम मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन में दो बैंक खाते परिचालित कर रहे थे।

 सरपंच, टिगरी खालसा ने (थानेसर खंड) एक खाते से कैश में राशि निकलवाई और उन्हें 8 से 96 दिन की सीमा की अवधि के लिए रखने के बाद दूसरे खाते में हस्तांतरित कर दिया ***(परिशिष्ट 2.21)***। मार्च 2012 को सरपंच के पास ₹ 1.99 लाख की राशि कैश पड़ी थी। तथ्यों को स्वीकारते हुए, बी.डी.पी.ओ. थानेसर ने उत्तर दिया (जुलाई 2012) कि ब्याज के तौर पर ₹ 0.58 लाख की वसूली सरपंच से कर ली गई और दूसरा बैंक खाता बंद कर दिया गया।

2.4.10 स्कीम कार्यान्वयन

2.4.10.1 भौतिक निष्पादन

2007-12 के दौरान पंजीकृत परिवारों और जिन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया उनकी संख्या **तालिका 6** में दी गई है।

तालिका 6: पंजीकृत एवं रोजगार प्रदत्त परिवारों की संख्या

वर्ष	परिवारों की संख्या				व्यक्ति दिन सृजित (लाख में)	प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिन
	स्कीम के प्रारंभ से जारी किए गए जॉबकार्ड	जिन्होंने रोजगार की मांग की	जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया		
2007-08	161445	67883	67883	7402	35.76	53
2008-09	378286	153513	153273	6630	59.62	39
2009-10	656744	152455	152450	8871	59.03	39
2010-11	582697	235773	235281	9077	84.19	36
2011-12	671669	277969	277286	13580	108.92	39

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा का डाटा।

उपरोक्त डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि (2007-12) के दौरान केवल 23 से 42 प्रतिशत जॉबकार्ड धारियों को रोजगार प्रदान किया गया जिसमें से केवल एक से पांच प्रतिशत को 100 दिन के लिए रोजगार मिला। 2007-12 के दौरान प्रति परिवार प्रतिवर्ष रोजगार के दिनों की औसत संख्या 36 से 53 दिन की सीमा में थी। यह अवलोकित किया गया (अप्रैल-जून 2012) कि प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की औसत संख्या (2007-08 में) 53 थी जो 2011-12 में 39 तक कम हो गई। लाभान्वितों के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि प्रति परिवार रोजगार सृजन के औसत दिनों में कमी घट गई क्योंकि राज्य में खुले बाजार में वेतन की तुलना में स्कीम के अंतर्गत उन्हें कम वेतन दर का भुगतान किया जा रहा था।

आगे, 134 जी.पीज के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जी. पीज द्वारा काम के लिए मांग से निहित रोजगार पंजिका अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। ऊपर तालिका में दिए डाटा मांगे गए रोजगार के संबंधी समर्थक अभिलेखों के अभाव में वास्तविक नहीं थे।

2.4.10.2 परिवारों के पंजीकरण, जॉब कार्डों का आबंटन और रोजगार का विनियोजन

स्कीम के अंतर्गत रोजगार की मांग करने से पहले किसी भी ग्रामीण परिवार को अपना पंजीकरण करवाना और जॉबकार्ड प्राप्त करना आवश्यक था। स्कीम के परिचालन मार्गनिर्देशों के अध्याय-5 के अनुसार परिवारों के पंजीकरण और जॉबकार्ड जारी करने की प्रक्रिया में विचारित था:

- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण किया जाना था।
- पंजीकरण के लिए परिवारों का आवेदन पत्र या मौखिक अनुरोध प्रस्तुत करना अपेक्षित था।
- पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के 15 दिन के भीतर जॉबकार्ड जारी किए जाने थे। वयस्क सदस्य आवेदकों की तस्वीरें जॉबकार्ड के साथ संलग्न की जानी थी।

लेखापरीक्षा में (अप्रैल-जून 2012) मार्गनिर्देशों के उपरोक्त प्रावधानों को पूरा करने के संबंध में निम्नलिखित कमियां देखी गई:

- सिरसा जिले के ओडान और बारागुड्डा खंड, फतेहाबाद जिले के रतिया और भट्टू कलां खंड, पलवल जिले के पलवल और हसनपुर खंड में किसी भी जी.पी. द्वारा घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया। संबंधित बी.डी.पी.ओ. ने उत्तर दिया (जुलाई 2012) कि अनभिज्ञता के कारण घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया जा सका और अब किया जाएगा।

- नमूना-जांच किए जी.पीज में जॉबकार्ड जारी करने के लिए आवेदनपत्रों के रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे। तथापि, जी.पीज ने बताया कि जॉबकार्ड अधिकतर मामलों में मौखिक अनुरोध के आधार पर जारी किए गए थे।
- 14 जी.पीज में जी.पी. स्तर पर अनुरक्षित अभिलेखों और एम.आई.एस. के अनुसार जारी किए गए जॉबकार्डों में अंतर था ***(परिशिष्ट 2.22)*** बी.डी.पी.ओ. खंड साहा, जिला अंबाला ने बताया (अगस्त 2012) कि वन विभाग द्वारा 149 जॉबकार्ड और जी.पी. केसरी द्वारा 300 जॉबकार्ड जारी किए गए जबकि स्कीम के मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत जॉबकार्ड जारी करना जी.पी. का कर्तव्य था।
- नमूना-जांच किए गए 18 जी.पीज द्वारा जॉबकार्ड पंजिका अनुरक्षित नहीं किए गए थे ***(परिशिष्ट 2.23)*** बी.डी.पी.ओ., साहा ने कहा (अगस्त 2012) कि जॉबकार्ड पंजिका भविष्य में अनुरक्षित किए जाएंगे।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए भविष्य में स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया (अक्तूबर 2012)।

- स्कीम के परिचालन मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 6.5 और 9.4 के अनुसार मस्टररोल्ज का अनुरक्षण जी.पीज. द्वारा किया जाना था। कार्य के प्रथम दिन कर्मियों के नाम रिकार्ड करने और प्रतिदिन हाजरी लगाने सहित कार्यस्थल पर मस्टररोल्ज के अनुरक्षण के लिए मेट उत्तरदायी बनाए गए थे। लेखापरीक्षा में (अप्रैल-जून और अगस्त 2012) नीचे दिए ब्यौरे अनुसार दो जी.पीज में कर्मियों की फर्जी नियुक्ति देखी गई जैसा कि **तालिका 7** में दिया गया है।

तालिका 7: कर्मियों की फर्जी भर्ती को दर्शाता विवरण

ग्राम पंचायत का नाम	कार्मिक का नाम	अवधि जिसके लिए रोजगार प्रदान किया गया	प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या	भुगतान की गई राशि (₹ में)	कार्य का नाम	टिप्पणी
अली मुहम्मद (सिरसा)	कुंदनलाल, सुपुत्र श्री नेकीराम	1 फरवरी 2010	13	1,963	भूमि को समतल करना	लाभान्वित की 21 जनवरी 2009 में पहले ही मृत्यु हो चुकी थी
बाहमानवाला (फतेहाबाद)	78 कार्मिक	07 जनवरी 2012 से 13 जनवरी 2012	384	68,736	पटरियों की सफाई	कार्मिकों की हाजरी मस्टर रोल में दर्ज नहीं की गई (सं. 2550-55)
	76 कार्मिक	6 जनवरी 2012 से 16 जनवरी 2012	567	1,01,283	पटरियों की सफाई	कार्मिकों की हाजरी मस्टर रोल में दर्ज नहीं की गई (सं.. 2566-71)
	60 कार्मिक	6 जनवरी 2012 से 16 जनवरी 2012	494	88,471	सिंचाई चैनल की सफाई	रेशमसिंह नाम के एक कार्मिक के अलावा कार्मिकों की हाजरी मस्टररोल में दर्ज नहीं की गई थी (सं. 2561-65)
कुल				**2,60,453**		

इस प्रकार मृत्यु के एक वर्ष बाद एक कार्मिक की नियुक्ति और मस्टररोल्ज में हाजरी दर्ज किए बिना कार्मिकों को भुगतान जी.पीज द्वारा कार्मिकों की फर्जी नियुक्ति के बराबर था। एग्जिट

कान्फ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2012), प्रधान सचिव ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

2.4.11 जीविका सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ता

स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 7.1.1 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निम्नतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी दर पर मजदूरी का हकदार है जब तक मजदूरी अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न हो। स्कीम के मार्गनिर्देश आगे निर्धारित करते हैं कि:

- राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत आवेदक को मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें विफल होने पर निर्धारित दरों पर बेरोजगारी भत्ता उन्हें राज्य सरकार की निधियों में से देय था (अनुच्छेद 7.3.1)।

- वेतन का भुगतान साप्ताहिक और किसी भी शर्त पर जिस दिन कार्य किया गया है उस तारीख से 15 दिन के भीतर करना अपेक्षित है। 15 दिनों से अधिक विलंब के मामले में कार्मिक मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा निम्न कमियां देखी गई (अप्रैल – जून 2012):

- नमूना – जांच किए सभी 134 जी.पीज द्वारा कार्य के लिए मांग के आवेदन पत्रों की रसीद बिना तारीख का उल्लेख किए जारी की गई थी। इन जी.पीज में रोजगार रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे। रोजगार के लिए मांग की सूचित तारीख के अभाव में बेरोजगारी भत्ते की हकदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा आगे देखा गया कि राज्य ने स्कीम के प्रारंभ से बेरोजगार भत्ते के तौर पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया था।

- कार्मिकों को निर्धारित समय के भीतर वेतन नहीं दिए गए। वेतन के भुगतान में विलंब के उदाहरण ***परिशिष्ट 2.24*** में दिए गए हैं जहां 8 से 331 दिन की सीमा में विलंब देखे गए। बी.डी.पी.ओ. भाट्टूकलां (जुलाई 2012) ने बताया कि वेतन के भुगतान में विलंब ए.डी.सी. से निधि की देरी से प्राप्ति के कारण हुए। इन मामलों में मजदूरों को वेतन के विलंबित भुगतान के लिए कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई।

- 25 मामलों में ***(परिशिष्ट 2.25)*** काटने, ओवरराईटिंग, के द्वारा मस्टररोल में छेड़छाड और 11 मामलो ***(परिशिष्ट 2.26)*** में विभिन्न कमियां जैसे मस्टररोल में बैंक खाता संख्या दर्ज न करना, मस्टररोल तथा एम.आई.एस. रिपोर्ट में लाभार्थियों के नामों में बेमेल तथा एम.आई. एस में मस्टररोल संख्या को अंकित न करना इत्यादि लेखापरीक्षा में देखी गई।

ऊपर की अनियमितताओं को इंगित किए जाने पर प्रधान सचिव ने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि ऐसी कमियां भविष्य में न दुहराई जाए।

2.4.12 योजना तथा कार्यों का निष्पादन

लेखापरीक्षा ने जी.पीज/विभाग के प्रतिनिधियों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए बेतरतीवी से चुने गए प्रत्येक जी.पीज के 10 कार्यों को चुन लिया। यह अवलोकित किया गया (अप्रैल-जून 2012) कि स्कीम के अंतर्गत निष्पादित कार्यों ने रोजगार प्रदान किया तथापि, अधिकतर मामलों में समुदाय के लिए लाभकारी स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन के गौण उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया।

- अधिनियम की सूची-1 के अनुच्छेद-1 (viii) के अनुसार, हर मौसम में अभिगम्य प्रदान करने के लिए ग्रामीण संयोजन काम का आवश्यक क्षेत्र था एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. कार्यक्षेत्र नियमावली के अनुच्छेद 2.1 और 4 (viii) स्पष्ट करते हैं कि निर्मित सड़क बजरी की सड़क या वाटर बाऊंड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) सड़क होनी चाहिए जो टिकाऊ हैं और हर मौसम में अभिगम्य प्रदान करती हैं। केवल मिट्टी की सड़कें स्कीम के अंतर्गत अनुमत नहीं थी। छ: नमूना-जांच किए जिलों में, मिट्टी की सड़कों के 38 कार्य ***(परिशिष्ट 2.27)*** 2007-12 के दौरान वर्तमान आदेशों के उल्लंघन में 138.92 लाख की लागत पर शीर्ष तल के दृढ़ीकरण और निकासी के पर्याप्त प्रावधान के बिना निष्पादित किए गए थे। मिट्टी की सड़कें टिकाऊ नहीं हैं और सभी मौसमों, विशेषतया बारिश की ऋतु में अभिगम्य भी नहीं हैं। इस प्रकार की सड़क के उदाहरणों में से एक नीचे दी गई तस्वीर से देखा जा सकता है।



ग्राम पंचायत, ओदान में मिट्टी भरा रास्ता (सिरसा जिला) (17 मई 2012)

- 2007-12 के दौरान 15 जी.पीज में जल संग्रह के लिए 19 तालाबों ***(परिशिष्ट 2.28)*** की खुदाई और गहराई पर ₹ 81.45 लाख का व्यय किया गया। यह अवलोकित किया गया (अप्रैल-जून 2012) कि यद्यपि उसी गांव में इस स्कीम के प्रारंभ से पहले खुदे तालाब बिना पानी के थे क्योंकि इन तालाबों को भरने के लिए पानी का कोई स्रोत नहीं था, फिर भी नए तालाब खोदे गए। इन परिस्थितियों में ग्राम पंचायत द्वारा चर्चित और जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं द्वारा अनुमोदित जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना इन तालाबों की खुदाई का प्रस्ताव न्यायसंगत नहीं था। इन कार्यों पर किया गया पूर्ण व्यय निष्फल बन गया। शुष्क तालाबों/कम पानी के साथ तालाबों की स्थिति निम्न चित्रों में दर्शाई गई है:



फतेहाबाद जिले में, किरधान जी.पी. में बहुत कम मात्रा में वर्षा के पानी के साथ तालाब (23 अगस्त 2012)



सिरसा जिले में जी.पी., ओदान में बिना पानी के तालाब (17 मई 2012)

- आगे, सीमेंट कंकरीट/अन्त: पाशन पटरी खंड गलियों का निर्माण अधिनियम की सूची-1 और एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. कार्यक्षेत्र नियमावली के अनुच्छेद 5 (ix) 5 के अंतर्गत अनुमत नहीं था क्योंकि यह मजदूरी गहन कार्य नहीं थे। यह देखा गया (अप्रैल-जून 2012) कि सीमेंट कंकरीट/अन्त:पाशन पटरी खंड गलियों का निर्माण 16 जी.पीज ***(परिशिष्ट 2.29)*** में ₹ 80.15 लाख की लागत पर किया गया था।

 एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने कहा (अक्तूबर 2012) कि स्थाई परिस्थितियां सृजित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे परन्तु स्कीम का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्रदान करना था और मजदूर सामग्री अनुपात 60:40 को भी अनुरक्षित किया जाना था। अत: मिट्टी की सड़कों, तालाबों की खुदाई इत्यादि का कार्य लेना पड़ा। फिर भी, तथ्य रह जाता है कि सृजित परिसम्पत्तियों से समुदाय के लिए हितकारी स्थाई परिसंपत्तियां सृजित करने की स्कीम की कसौटी पूरी नही हुई।

- ग्राम पंचायत, टिगांव (मेवात) ने वाटर बाऊंड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) सड़क के निर्माण पर ₹ चार लाख का व्यय किया। तथापि, कार्य के भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि डब्ल्यू.बी.एम. सड़क गांव में निर्मित नहीं हुई थी। निर्माण कार्य तथा कैशबुक से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इन परिस्थितियों के अंतर्गत व्यय की सत्यवादिता लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं की जा सकी।

डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के अनिर्माण का तथ्य नीचे दी गई तस्वीरों से भी समर्थित होता है।





तिगांव (मेवात) की कच्ची सड़क पर डब्ल्यू.बी.एम. नहीं बिछाया गया (10 जून 2012)

ए.डी.सी., मेवात ने बताया (अगस्त 2012) कि जाली अभिलेखों की संभावना को नकारा नहीं

जा सकता और संबंधित बी.डी.पी.ओ. को मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

- कार्मिकों के नाम एक ही तिथि को दो-तीन कार्यों पर एक साथ (**तालिका 8** में दिए गए ब्यौरे) अंकित होने का पता चला है जिसने ग्राम पंचायतों द्वारा स्कीम निधियों के दुरूपयोग को इंगित किया।

तालिका 8: निधियों के अपयोजन को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	जी.पी.	कार्मिकों की संख्या तथा उनके जॉबकार्ड संख्या	मस्टररोल संख्या	हाजरी की अवधि	अतिरिक्त हाजरी और दिनों की संख्या	आवेष्टित राशि ₹ में
भट्टू कलां ब्लाक						
1.	थुईया	रोहताश 22372	820	1 दिसम्बर 2012 से 16 दिसम्बर 2012	16 दिसम्बर 2012 (एक दिन)	172
			986	16 दिसम्बर 2012 से 31 दिसम्बर 2012		
2.	किरधान	विरेन्द्र 23210	297	1 जुलाई 2012 से 9 जुलाई 2012	1 जुलाई 2012 से 9 जुलाई 2012 एवं 11 जुलाई 2012 से 13 जुलाई 2012 साप्ताहिक अवकाश के कारण 7 जुलाई 2012 को छोड़कर (11 दिन)	2,156
			214	1 जुलाई 2012 से 16 जुलाई 2012		
			182	11 जुलाई 2012 से 13 जुलाई 2012		
3.	सिरधान	विनोद, कृष्ण एवं सुरजीत 21803	610	16 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011	21 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011 (पांच दिन)	2,685
		विनोद 21803	910	21 जुलाई 2011 से 26 जुलाई 2011		
		कृष्ण एवं सुरजीत 21803	911	21 जुलाई 2011 से 26 जुलाई 2011		
रतिया ब्लॉक						
4.	बुर्ज	नरेश 32603	4680	3 मार्च 2012	3 मार्च 2012 (एक दिन)	179
			10052	1 मार्च 2012 से 16 मार्च 2012		
5.	मोहम्मदपुर सोत्तर	हरबंस 36856	1437	12 दिसम्बर 2010 से 17 दिसम्बर 2010	12 दिसम्बर 2010 से 17 दिसम्बर 2010 (छ: दिन)	1,032
			1455	12 दिसम्बर 2010 से 17 दिसम्बर 2010		
6.		ळरबंस 36856 सुरजीत 17525 दर्शन 11496	261	1 मई 2011 से 15 मई 2011	1 मई 2011 से 15 मई 2011 साप्ताहिक अवकाश के कारण 7 मई 2011 को छोड़कर (14 दिन)	7,728
			790	1 मई 2011 से 15 मई 2011		
7.		हरबंस 36856 सुरजीत 17525 दर्शन 11496	429	16 मई 2011 से 31 मई 2011	16 मई 2011 से 31 मई 2011 साप्ताहिक अवकाश के कारण 22 एवं 29 मई 2011 को छोड़कर (14 दिन)	15,456
			796	16 मई 2011 से 31 मई 2011		
			869	16 मई 2011 से 31 मई 2011		
8.		रामसिंह 14539	796	16 मई 2011 से 31 मई 2011	16 मई 2011 से 31 मई 2011 साप्ताहिक अवकाश के कारण 22 एवं 29 मई 2011 को छोड़कर (14 दिन)	2,576
			869	16 मई 2011 से 31 मई 2011		
	कुल					**31,984**

- जी.पी., सिरधान के संबंध में मानीटरिंग और सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मस्टररोल संख्या 910 और 911 में इन तीन व्यक्तियों के नाम अन्य नामों से बदल दिए गए। यह दर्शाता है कि यद्यपि अनियमितताएं ध्यान में आ गई, भूल को इंगित करने की बजाए, तथ्यों को छुपाया गया। बी.डी.पी.ओ. भट्टू कलां ने भी एम.आईस में डाटा भरने पर नियंत्रण नहीं रखा था। तथ्यों को स्वीकारते हए, बताया बी.डी.पी.ओ. भट्टू कलां ने (जुलाई – अगस्त 2012) कि ₹ 0.05 लाख की राशि अब संबंधित कार्मिकों से वसूल कर ली गई है तथा जुलाई अगस्त 2012 में बैंक में जमा करवा दी गई है।

- स्कीम मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 6.7 निर्धारित करता है कि राज्य सरकार को कार्यों के मापदंड के मानक विकसित करने चाहिए। दरों की सूची इन अध्ययन के आधार पर तैयार की जानी थी। हरियाणा सरकार ने मनरेगा स्कीम के अंतर्गत भूमि कार्य के लिए समय और गति अध्ययन आयोजित करवाया गया और परिणाम मानक निर्धारित किए (जुलाई 2008)। एक अतिरिक्त मद (एच.एस.आर. मद संख्या 6.2 (1) भी हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. दरों की सूची में सम्मिलित की गई। मानकों के अनुसार, 30 मीटर की तार और पम्प से आवेष्टित भूमि कार्य के लिए 80 क्यूबिक फुट (सी.एफ.टी.) श्रम दिवस परिणाम निश्चित किया गया। रातिया खंड में जी.पीज अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 'रंगोई खरीफ चैनल' की क्षमता में वृद्धि के लिए सिंचाई विभाग द्वारा (मार्च 2011) ₹ 292.75 लाख का अनुमान तैयार किया गया। हस्त श्रमिकों को नियुक्त करके जी.पीज द्वारा कार्य निष्पादित करवाया गया तथा भुगतान 80 सी.एफ.टी. प्रति श्रम दिवस की बजाए 66 से 58 सी.एफ.टी. प्रति श्रमदिवसों की सीमा की दर पर किया गया। परिणामस्वरूप कार्मिकों द्वारा कम कार्य के कारण ₹ 28.63 लाख की राशि के वेतन का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट 2.30)***।

- ग्राम पंचायत, भट्टू कलां (फतेहाबाद जिला), रातीपुर और जोहर खेड़ा (पलवल जिला) ने तीन कार्यों (नीचे दिए ब्यौरे) के निष्पादन पर ₹ 36.32 लाख के संस्वीकृत अनुमान के विरूद्ध ₹ 47.13 लाख का व्यय किया। संस्वीकृत अनुमान से ₹ 10.81 लाख के अतिरिक्त व्यय को नियमित नहीं किया गया (विवरण **तालिका 9** में दिया गया है)।

तालिका 9: संस्वीकृत अनुमानों से अधिक्य में किया गया व्यय

क्र. सं.	जी.पी. का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
1	भट्टू कलां	तालाब की खुदाई	3.70	5.56	1.86
2	रातीपुर	स्कूल में मिट्टी की भराई	14.08	16.25	2.17
3	जोहर खेडा	स्कूल में मिट्टी की भराई	18.54	25.32	6.78
	कुल		**36.32**	**47.13**	**10.81**

स्रोत: संबंधित जी.पीज के अभिलेख।

- स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियां उचित रूप से अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए निधियां का स्कीम में विचारित नहीं किया गया था। परिसंपत्तियों के गैर – अनुरक्षण की स्थिति को निम्न चित्रों में दर्शाया गया है:



साहा खंड (जिला अंबाला) में हर्बल पार्क का रख-रखाव न होना (27 जून 2012)

- जैसा कि स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद-9 में विचारित है: कार्यान्वयन करने वाली जी.पीज ने सृजित परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति पंजिका, कार्य पंजिकाओं जैसे अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर, प्रधान सचिव ने सभी उपायुक्तों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की कमियां भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी, निर्देश जारी किए (अक्तूबर 2012)।

2.4.13 वन कार्यों का निष्पादन

अंबाला जिले में स्कीम 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुई। ए.डी.सी. अंबाला ने 2007-12 के दौरान मंडलीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) अंबाला को वनीकरण, हर्बल पार्कों के विकास इत्यादि के लिए ₹ 25.76 करोड़ निर्मुक्त किए। डी.एफ.ओ. (प्रादेशिक) अंबाला ने बताया (जून 2012) कि संबंधित अभिलेख वर्षा में क्षतिग्रस्त हो गए। अत: इस व्यय की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। तथापि, ए.डी.सी. अंबाला द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत (मार्च 2010) निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा से नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार गंभीर अनियमितताएं प्रकट हुई:

- जॉब कार्डस स्वयं वन विभाग और जी.पीज द्वारा जारी किए गए।
- मस्टररोल्ज खंड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जी.पीज और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए जाने थे लेकिन, ए.डी.सी., अंबाला द्वारा जारी किए गए।
- लाईन विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य संबंधित ग्राम सभा से अनुमोदित किए जाने अपेक्षित थे परन्तु वन विभाग द्वारा निष्पादित कार्य किसी ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित नहीं थे।

- जी.ओ.आई. निर्देशों के अनुसार (सितंबर 2008) कार्मिकों को वेतन का नकद भुगतान सितंबर 2008 के बाद अनुमत नहीं था। तथापि, वन विभाग द्वारा ₹ 8.50 करोड़ का नकद आहरण अक्तूबर 2008 से मार्च 2010 के दौरान किया गया था।
- वनीकरण पर ₹ 23.82 लाख का व्यय किया गया था परन्तु नीचे दिए ब्यौरे अनुसार वास्तव में कोई पौधारोपण नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 10** में विवरण दिया गया है।

तालिका 10 वनीकरण पर किए गए व्यय का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	बुक किया गया व्यय (₹ लाख में)	अवधि
1	नारायणगढ़ माजरा	8.59	2008-10
2	बबयाल	10.54	2007-10
3	धीन	3.49	2009-10
4.	दुलयानी	1.20	2009-10
	कुल	**23.82**	

स्रोतः एं.डी.सी., अंबाला के अभिलेख।

- फिरोजपुर काठ और अबुपुर गांव में भूमि कार्य को मशीनी साधनों से ₹ 0.61 लाख (लगभग) की लागत पर करवाया पाया गया जिसके लिए कैशबुक में ₹ 10.43 लाख मस्टररोल्ज वेतन के तौर पर बुक किया गया।
- 2008 – 10 के दौरान बराड़ा, होली और समलहेड़ी गांव में तीन हर्बल पार्कों के विकास पर ₹ 74.03 लाख का व्यय किया गया इंगित किया गया है। परन्तु एस.डी.ओ. (पी.आर.) द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक किया गया व्यय केवल ₹ 11.98 लाख निर्धारित किया गया। अतः हर्बल पार्कों के विकास पर ₹ 62.05 लाख को अधिक व्यय किया गया।

महानिदेशक – सह – विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्य सरकार ने इस संबंध में राज्य सतर्कता विभाग को जांच सौंपी है जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

2.4.14 मानीटरिंग और सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के लिए अभिलेखों का अनुरक्षण तथा डाटा स्वचलन

परिचालन मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत, अभिलेख का समुचित अनुरक्षण स्कीम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सफल घटकों में से एक है। महत्वपूर्ण निवेशों, प्रक्रियाओं, परिणामों और निर्गतों पर सूचना सभी स्तरों पर निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज की जानी आवश्यक है। कंप्यूटर पर आधारित एम.आई.एस. भी वही सूचना अभिग्रहण करेगा। लेखापरीक्षा में अभिलेखों के अनुरक्षण और डाटा स्वचलन में निम्नलिखित कमियां अवलोकित की गईः

- जी.पीज बंगोह और पंचगांव के मस्टररोल्ज की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 21 मामलों ***(परिशिष्ट 2.31)*** के विरूद्ध अंकित जॉबकार्ड संख्याएं एम.आई.एस. में दिए जॉबकार्डस की सूची में उपस्थित नहीं थी।

- नमूना-जांच किए 36 जी.पीज में मस्टररोल रसीद पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई ***(परिशिष्ट 2.32)***।

- मांगपत्र जारी करने के बावजूद निम्न जी.पीज प्रस्तुत करने में विफल रही:

क्र.सं.	जी.पी का नाम	अवधि जिसके लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
1.	पंचगांव (मेवात)	2008-10
2.	बर्थाला (कुरूक्षेत्र)	2008-12
3.	अकबरपुर (अंबाला)	2007-10 (जून 2009 तक)
4.	टेहाकी (पलवल)	2008-11 (नवम्बर 2010 तक)
5.	खेड़ा (अंबाला)	2007-09

- अनुपस्थिति की अवधि के लिए भुगतान और अनुपस्थिति का उपस्थिति में परिवर्तन के द्वारा 14 मामलों में ₹ 12,858 ***(परिशिष्ट 2.33)*** की राशि के वेतन का कार्मिकों को अधिक भुगतान किया गया।

- मस्टररोल एक महत्वपूर्ण अभिलेख है और इसे समुचित ढंग से अनुरक्षित किया जाना चाहिए। मस्टररोल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उपस्थित कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाई नहीं गई थी जिससे बाद में नाम के सम्मिलित करने और अन्य अर्न्तवेशन के लिए अवसर छूटे। आगे, कार्मिकों की हाजरी की किसी प्रतिष्ठित अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई। यहां तक कि कार्मिकों की हाजरी दर्ज करने वाले व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। मस्टररोल्ज में काटना और ओवरराईटिंग भी अवलोकित की गई। जी.पी., बावनपुर (रातिया खंड) के संबंध में कुछ इस प्रकार के मामले नीचे दिए गए हैं:

क. मस्टररोल संख्या 2624,2625,2629 (वाउचर संख्या 39 दिनांक 10 जनवरी 2012 के द्वारा भुगतान किए गए) में रोजगार की अवधि पहली बार 8 जनवरी 2012 से 23 जनवरी 2012 तक दर्शाई गई थी जिसे बाद में 16 दिसंबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 में परिवर्तित कर दिया गया। एम.आई.एस. में भी रोजगार की अवधि 16 दिसंबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक दिखाई गई थी। इन मस्टररोल्ज में कार्मिकों की हाजरी 8 जनवरी 2012 से 23 जनवरी 2012 की अवधि के लिए दर्ज की गई थी। लेखापरीक्षा में रोजगार की वास्तविक अवधि का सत्यापन नहीं किया जा सका।

ख. मस्टररोल संख्या 2272 और 2273 (वाउचर संख्या 35 दिनांक 17 दिसंबर 2011 द्वारा भुगतान किए गए) में कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री मेजरसिंह (जॉबकार्ड सं. 11184) और बिकेर सिंह सुपुत्र श्री नेकसिंह (जॉबकार्ड सं. 10925) की हाजरी 16 दिसंबर 2011 को दर्ज की गई थी। फिर इन दोनों कार्मिकों की हाजरी मस्टररोल संख्या क्रमश: 2624 और 2625 में उसी दिन के लिए दर्ज की गई थी। अत: इन दो कार्मिकों की उपस्थिति 16 दिसंबर 2011

(एक दिन) को एक साथ दो विभिन्न कार्यों पर दर्ज की गई थी। तथापि, एम.आई.एस. की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मस्टररोल संख्या 2624 में श्री कुलदीप सिंह का नाम अमरीक सिंह के साथ बदल दिया गया मस्टररोल संख्या 2625 श्री बीकेर सिंह का नाम मंजीत के साथ बदल दिया गया। यह दर्शाता है कि यद्यपि अनियमितता बी.डी.पी.ओ. कार्यालय के ध्यान में आ गई जिसने अनियमितता को इंगित करने की बजाय इसे छिपाया। मस्टररोल में भी नामों में परिवर्तन फ्ल्यूड प्रयोग करके किए गए परन्तु भुगतान श्री कुलदीप सिंह और श्री बिकेर सिंह को किए गए दर्शाए गए जिन्होंने रसीद के प्रमाण के रूप में मस्टररोल पर हस्ताक्षर किए।

ग. जागीरो (जॉबकार्ड संख्या 10909) की हाजरी 16 दिसंबर 2011 को एक साथ मस्टररोल संख्या 2273 (दिसंबर 2011 की वाऊचर संख्या 35) और मस्टरोल संख्या 2624 (जनवरी 2012 के वाउचर संख्या 39) में भी दर्ज की गई थी। तथापि, मस्टररोल संख्या 2624 में जगीरो का नाम गेजो (बैंक खाता संख्या 15177) के साथ बदल दिया गया परंतु वेतन बैंक खाता नं. 15117 में जमा करवाया गया जोकि जागीरो के नाम पर था। एम.आई.एस. में जागीरो का नाम दोनों मस्टररोल्ज (2273 और 2624) में प्रविष्ट किया गया था।

- जी.पी. बहमानवाला (रातिया खंड) के मस्टररोल 2232-38 (₹ 92648 के लिए वाउचर संख्या 20 ए/जनवरी 2011) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पहली बार रोजगार की अवधि 17 दिसंबर 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक दर्शाई गई। एम.आई.एस. में, यह 1 जनवरी 2011 से 14 जनवरी 2011 तक दर्शाई गई परन्तु मस्टररोल में हाजरी 17 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011 तक दर्ज की गई थी।

इन परिस्थितियों में इन नमूना-जांच किए गए मामलों में विवरणों की सत्यता लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं की जा सकी।

प्रधान सचिव (अक्तूबर 2012) ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक मामले में विस्तृत छानबीन के बाद चूककर्त्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

2.4.15 स्कीम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, मानीटरिंग और मूल्यांकन का अभाव

परिचालन मार्ग-निर्देशों का अनुच्छेद 9.1.1 सभी स्तरों पर शिकायत पंजिकाओं के अनुरक्षण को निर्धारित करता है परन्तु लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल-जून 2012) कि नमूना-जांच किए गए 20 जी.पीज) में ये अनुरक्षित नहीं किए गए ***(परिशिष्ट 2.34)***।

परिचालन मार्ग-निर्देशों का अनुच्छेद 10.3 निर्धारित करता है कि कार्यों का निरीक्षण प्रतिवर्ष खंड स्तर पर 100 प्रतिशत, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत और राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा 2 प्रतिशत किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया (अप्रैल-जून 2012) कि यद्यपि खंड स्तर अधिकारी द्वारा कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण का दावा किया गया था परन्तु खंड स्तर पर कार्यों के निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इन अभिलेखों की अनुपस्थिति में, वास्तविक स्थिति कि क्या निरीक्षण किए गए थे, सत्यापित नहीं

की जा सकी। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए किसी भी जिले में जी.पीज के निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष का प्रस्थापन नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि: निरीक्षणों के दौरान देखी गई कमियों को सही किया जाए, कोई यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव (अक्तूबर 2012) ने तथ्यों को स्वीकार किया।

2.4.16 एम.जी.एन.आर.ई.जी. स्कीम के डिजिटाईज्ड डाटा का विश्लेषण

सी.ए.ए.टीज (आई.डी.ई.ए.) के प्रयोग द्वारा 2006-12 की अवधि के दौरान डिजिटाईज्ड डाटा के विश्लेषण से निम्न कमियां प्रकट हुई:

2.4.16.1 घरेलू परिवारों का पंजीकरण और जॉब कार्डस का आबंटन

प्रत्येक पंजीकृत घरेलू परिवार को एक जॉबकार्ड आबंटित किया जाता है जिसमें 14-अंकों के निवास कोड (राज्य, जिला, खंड, ग्राम पंचायत और गांव) और एक विलक्षण परिवार आई.डी. से आवेष्टित 18-अंकों की विलक्षण पहचान संख्या होती है। चूंकि केवल पंजीकृत परिवार ही वेतन के भुगतान के लिए हकदार होते हैं, पंजीकरण संख्या और जॉबकार्डस स्कीम के अंतर्गत वेतन भुगतान के लिए मूल अभिलेख हैं।

परिवारों के जाली पंजीकरण के परिहार हेतु परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की तस्वीर लगाना, चुनाव अधिकारी द्वारा क्रास सत्यापन के लिए दिया इलैक्ट्रानिक फोटो पहचान कोड, मकान संख्या, जाति आदि प्रणली में प्रविष्ट करनी आवश्यक थी। तथापि, नीचे दिए विवरण अनुसार ऐसी सूचना डाटाबेस में गुम थी:

कुल पंजीकरण	शामिल न किए गए पैरामीटर	मामलों की संख्या
693636	विलक्षण कोर्ड का न होना वर्णित नमूने के अनुसार	32,971
	अमान्य नाम जैसे 'ए', 1 इत्यादि	136
	अमान्य पिता/पति का नाम	179
	मकान संख्या उल्लिखित न होना	6,08,293
	आवेदक की तस्वीर न लगी होना	3,59,347
	चुनाव फोटो पहचान कार्ड संख्या का उल्लेख न होना	6,86,378

इसी प्रकार, 24,870 मामलों में, परिवार का वही मुखिया राज्य में एक से अधिक बार पंजीकृत किया गया था।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि तस्वीरें लगाना तथा अन्य औपचारिकताएं उन मामलों में नहीं की जा सकी, जहां पंजीकरण के बाद व्यक्ति रोजगार के लिए नहीं आए। उन्होंने, तथापि, माना कि यदि कार्मिक रोजगार प्राप्त करने के लिए आए, तो उस मामले में डाटा पूर्ण कर लिया जाएगा। जहां दोहरे पंजीकरण का प्रश्न है, उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों की उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए जांच की जाएगी।

2.4.16.2 संदिग्ध दोहरे भुगतान

डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 7,318 मामलों में उनके नाम से जारी दोहरे जॉबकार्ड में कार्मिकों की हाजरी इलैक्ट्रोनिक मस्टररोल्ज में एक से अधिक बार दर्ज की गई थी। इन मामलों में आवेष्टित कुल वेतन की राशि ₹ 1.32 करोड़ थी ***(परिशिष्ट 2.35)***।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि इन सभी मामलों की उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए जांच की जाएगी।

2.4.16.3 100 दिनों से अधिक के लिए वेतन का भुगतान

डाटा – विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 17,664[5] मामलों में 100 दिनों का रोजगार प्रदान की अपेक्षा के विरूद्ध 200 दिनों तक का रोजगार प्रदान किया गया था। प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन मामलों की जांच की जाएगी।

2.4.16.4 दरों से अधिक वेतन का भुगतान

डाटा – विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 1,43,673 मामलों में ₹ 44.72 लाख तक की सीमा में वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम वेतन से अधिक किया गया जैसे **तालिका 11** में विवरण दिया गया है।

तालिका 11: वेतन के अधिक भुगतान का विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	न्यूनतम वेतनों से अधिक वेतन
2008-09	3,106	10,50,947
2009-10	7,299	13,29,411
2010-11	1,32,918	20,58,696
2011-12	350	32,702
कुल	**1,43,673**	**44,71,756**

इसी प्रकार, 1075 मामलों में भुगतान किए गए वेतन गलत परिकलित किए गए थे क्योंकि ये वेतन दरों के अनुकूल नहीं थे परिणामस्वरूप 485 मामलों में ₹ 2.41 लाख के अधिक भुगतान तथा 1,075 मामलों में ₹ 1.05 लाख का कम भुगतान हुआ जैसा कि **तालिका 12** में विवरण दिया गया है।

तालिका 12: वेतन के गलत भुगतान का विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	कम भुगतान	मामलों की संख्या	अधिक भुगतान
2008-09	298	57,561	229	1,25,909
2009-10	187	23,382	26	9,634
2010-11	334	23,154	47	23062
2011-12	256	846	183	82868
कुल	**1,075**	**1,04,943**	**485**	**2,41,473**

[5] 2006 – 07: 481 मामले, 2007 – 08: 593 मामले, 2008 – 09: 4,741 मामले, 2009 – 10: 5,070 मामले, 2010 – 11: 3,860 मामले तथा 2011 – 12: 2,919 मामले।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस प्रकार की त्रुटियां साफ्टवेयर के पहले रूपान्तर में दिखाई दी थी परन्तु इस कमी को साफ्टवेयर के बाद के रूपान्तर में हटा दिया गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि विसंगतियां 2011-12 के डाटा में भी दिखाई दी थी।

2.4.16.5 निष्पादित कार्य के अपूर्ण विवरण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यो का अतिव्यापन न हो, निष्पादित कार्यो के स्थान अर्थात खाता/प्लाट संख्या को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण विवरण डाटाबेस में अनुपस्थित थे। आगे, सिस्टम में आंकड़े की गैस्टस, आर. के इत्यादि के रूप में इंगित अस्पष्ट प्रयोगकत्ताओं द्वारा प्राविष्टि की गई। ऐसे मामलों का विवरण **तालिका 13** में दिया गया है।

तालिका 13: मामले जहां निष्पादित कार्य का विवरण उल्लेखित नहीं है

कार्य की मद	अनुल्लिखित खाता संख्या (मामलों की संख्या)	प्रयोगकर्त्ता अर्थात अतिति द्वारा, आर.के. इत्यादि के द्वारा डाटा प्रविष्टि (मामलों की संख्या)
सुखा प्रमाणीकरण	12,117	
ग्रामीण संबद्धता	12,229	5,704
जल संरक्षण	7,787	4,070
बाढ़ नियंत्रण	1,000	
कुल	**33,133**	**9,774**

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान कहा कि उपयुक्त मॉनिटरिंग और कार्यो के अति व्यापन को रोकने के लिए कार्यो के स्थान के पूर्ण विवरण के अभिग्रहण की आवश्यकता है।

2.4.17 प्रभाव निर्धारित करने के लिए यंत्रावली

एम.जी. एन.आर.ई.जी.ए. का उद्देश्य 'स्थाई परिसंपतियों का सृजन तथा ग्रामीण निर्धन के जीविका संसाधन आधार का दृढ़ीकरण है (सूची 1 धारा 2) एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत किए गए निवेश से रोजगार और क्रयशक्ति के सृजन, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, कार्य शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन, स्थाई परिसंपतियों के सृजन के माध्यम से ग्रामीण मूलभूत संरचना को मजबूत करने, निराश प्रवास को कम करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के पुर्नसृजन में सहयोग करने की आशा है। अत: एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के लिए लागतों को परिणामों में परिवर्तन किया जाना है परिणामों के निर्धारण के लिए विशिष्ट एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के नियमित मूल्यांकन तथा नमूना सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया (अप्रैल-जून 2012) कि राज्य सरकार ने स्कीम के कार्यान्वयन के निष्पादन के निर्धारण तथा परिवारों पर इसके प्रभाव के लिए मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था। तथापि, इस स्कीम के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए चयनित 134 जी.पीज के

885 लाभार्थियों से जी.पीज के प्रतिनिधियों के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा प्रश्नावली पद्धति के माध्यम से फीडबैंक लिया गया। फीडबैक के विश्लेषण से निम्नानुसार प्रकट हुआ:

- 99 प्रतिशत लाभार्थियों का विचार था कि स्कीम उनकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाई है।
- 95 प्रतिशत लाभार्थी इस विचार के थे कि स्कीम में उन्हें प्रवास के परिहार में सहायता की है।
- 82 प्रतिशत लाभार्थियों का विचार था कि स्कीम के अंतर्गत उनके काम करने से उनके बच्चे जो उनकी जीविका के लिए पहले हस्तकार्य कर रहे थे, अब स्कूल जा पा रहे हैं।
- 75 प्रतिशत लाभार्थियों का विचार था कि उनकी आय 50 प्रतिशत बढ़ गई थी जबकि 25 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि उनकी पारिवारिक आय में मामूली वृद्धि हुई।

2.4.18 निष्कर्ष

- स्कीम का ग्रामीण गरीबों को जीविका सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया है। तथापि, उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया। सृजित परिसंपत्तियां मोटे तौर पर समुदाय के लिए लाभदायक नहीं थी।
- वेतन के भुगतान में विलंब के मामले, बेरोजगारी भत्ते का गैर-भुगतान, जाली मस्टररोल्ज को तैयार करना, वेतन का दोहरा भुगतान, पारदर्शिता और उत्तरदायिता लाने के लिए अभिलेखों का अनुरक्षण इत्यादि सभी स्तरों पर स्कीम की जांच और मानीटरिंग के अभाव के सूचक थे।

2.4.19 अनुशंसाएं

सरकार को विचार करना चाहिए:

- पांच वर्षो के लिए परिपेक्ष्य योजना और जिलों की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाए ताकि स्कीम के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।
- मांगे गए रोजगार और लाभार्थियों को प्रदान किए गए रोजगार की पंजिका के उपयुक्त अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जाए।
- वेतन के भुगतान में गलतियों और अनियमितताओं पर रोक के लिए अभिलेखों के अनुरक्षण और एम.आई.एस. के डाटा स्वचलन का दृढ़ीकरण किया जाए।
- मस्टररोल में अनाचार को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता यंत्रावली और मानीटरिंग प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाए।

अध्याय – 3

विषयपरक लेखापरीक्षा

विकास और पंचायत विभाग

3.1 ऐच्छिक अनुदानों के संवितरण तथा उपयोगिता में अनियमितताएं

3.1.1 प्रस्तावना

हरियाणा ऐच्छिक अनुदान (व्यय के विनियमन) नियम, 1969 और उसके अधीन निर्मित नीति प्रावधान करती है कि मुख्य मंत्री (सी.एम.), उप मुख्य मंत्री, मंत्री, विधान सभा के स्पीकर और उप स्पीकर और मुख्य संसदीय सचिव (सी.पी.एस)[1] संसदीय सचिव (पी.एस.) राज्य के भीतर या बाहर किसी सामाजिक, धमार्थ और अन्य किसी संगठन को किसी कार्य या स्कीम, जो समुदाय के लाभ हेतु थी, के लिए सहायता अनुदान संस्वीकृत कर सकता है। सभी उपायुक्त (डी.सीज) और अवर सचिव (सामान्य) हरियाणा सरकार क्रमश: राज्य के भीतर और राज्य से बाहर अनुदानों के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) घोषित किए गए थे। उनके द्वारा, अभीष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित करने और परिभाषित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अनुसार सही लेखाओं का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा को यथा लागू पंजाब वित्तीय नियमों (पी.एफ.आर.) में निर्धारित प्रावधान अनुसरित किए जाने अपेक्षित थे।

3.1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और उद्देश्य

अवर सचिव (सामान्य) और इक्कीस जिलों में से आठ[2] में डी.सीज के कार्यालय में, अभिलेखों की अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि आवृत करते हुए ऐच्छिक अनुदानों की संस्वीकृति, आहरण, संवितरण और उपयोगिता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के पालन के विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नमूना-जांच अक्तूबर 2011 तथा सितंबर 2012 के मध्य की गई।

3.1.3 वित्तीय प्रबंधन

₹ 210.25 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध 2007-12 के दौरान ₹ 169.34 करोड़ के सहायता अनुदान वितरित किए गए जैसा कि **तालिका 1** में वर्णित है।

[1] अक्तूबर 2008 से मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव शामिल।

[2] (i) फरीदाबाद, (ii) गुड़गांव, (iii) जीन्द, (iv) कुरूक्षेत्र, (v) पंचकूला, (vi) रोहतक, (vii) सिरसा तथा (vii) यमुनानगर।

तालिका 1: बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंत्री परिषद		अध्यक्ष/उपाध्यक्ष		मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव		कुल बजट प्रावधान (कालम 2+4+6)	कुल व्यय (कालम 3+5+7)
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	15.90	15.89	1.35	1.35	0.00	0.00	17.25	17.24
2008-09	31.00	29.26	2.50	2.50	2.50	2.47	36.00	34.23
2009-10	39.50	26.60	3.40	3.40	3.40	3.40	46.30	33.40
2010-11	33.08	23.15	3.25	3.25	3.32	3.32	39.65	29.72
2011-12	54.75	44.93	4.95	4.95	11.35	4.87	71.05	54.75
कुल	**174.23**	**139.83**	**15.45**	**15.45**	**20.57**	**14.06**	**210.25**	**169.34**

(स्रोत: विकास और पंचायत विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

ऐच्छिक अनुदानों के आबंटन के बाद, संस्वीकृतियां विकास और पंचायत विभाग (डी.पी.डी.) द्वारा जारी की गई। इन संस्वीकृतियों के आधार पर संबंधित जिलों के डी.सीज/कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुदान आहरित किए गए और लाभग्राहियों को संवितरित किए गए।

3.1.4 लेखापरीक्षा आवृति और पद्धति

आठ चयनित जिलों में ₹ 77.21 करोड़ के व्यय से आवेष्टित (₹ 169.34 करोड़ के कुल व्यय का 46 प्रतिशत) कुल 3,684 अनुदान, जो डी.सीज/कार्यकारियों/प्राधिकारियों द्वारा 2007-12 के दौरान आहरित और संवितरण किए गए थे। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों में ₹ 5.00 लाख या अधिक के अनुदान प्राप्त करने वाले 343 लाभग्राहियों में से 152 (44 प्रतिशत) भौतिक रूप से सत्यापित किए गए थे। अक्तूबर 2012 में हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, डी.पी.डी., के साथ एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा की गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अंतिम करते समय विभाग के विचार ध्यान में रखे गए थे।

3.1.5 लेखापरीक्षा परिणाम

ऐच्छिक अनुदानें के संवितरण तथा उपयोगिता से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट की:

3.1.5.1 अनुदानों की अनियमित निर्मुक्ति

(ए) अभिन्न संस्थाओं को दिए गए अनुदान/लाभग्राहियों को अनुचित लाभ

ऐच्छिक अनुदानों को विनियमित करने हेतु नीति मार्गनिर्देशों का अनुच्छेद 4 प्रावधान करता है कि सहायता अनुदान सामान्यत: एक कार्य या स्कीम के लिए एक से अधिक मंत्रियों द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों, जहां एक से अधिक मंत्री ने उसी क्षेत्र उसी कार्य या स्कीम के लिए अनुदान संस्वीकृत किए थे, डी.पी.डी. को सूचित किया जाना और अन्यत्र अनुदान की उपयोगिता के लिए उसके आदेश प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। आगे, पी.एफ.आर. वाल्यूम 1 के नियम 8.14 (3) प्रावधान

करता है कि संस्वीकृत अधिकारी को अनुदानों को जारी करने से पहले लाभग्राहियों की वित्तीय स्थिति को न्यायोचित करने के लिए संस्थान के लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त करना आवश्यक है।

(i) लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ₹ 19.05 करोड़ के 381 अनुदान 131 लाभग्राहियों को दिए गए, जिसमें से ₹ 12.97 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.1)*** की राशि के 250 अनुदान या तो उसी स्कीम/कार्य के लिए या थोड़ा सा भिन्न प्रयोजन परिवर्तन करके बार-बार दिए गए।

प्रधान सचिव ने बताया (नवंबर 2012) कि कार्य की भारी प्रमात्रा के कारण पुनरावृतियों के परिहार के लिए सभी अनुदानों पर ध्यान रखना बहुत मुश्किल था और विभाग भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति के परिहार के लिए साफ्टवेयर विकसित करने हेतु प्रयत्न करेगा। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

(ii) आगे, ₹ 1.61 करोड़ के 33 अनुदान ***(परिशिष्ट 3.2)*** आठ संस्थाओं को निर्मुक्त किए गए जिनके पास बैंक खातों में पर्याप्त निधियां जमा थी तथा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ थी। वित्तीय रूप से समर्थ संस्थाओं को अनुदान की निर्मुक्ति पी.एफ.आर. में प्रावधित किए हुए नियमों की भावना के विरूद्ध थी।

प्रधान सचिव ने तथ्य स्वीकार करते समय कहा (नवंबर 2012) कि अनुदानों की निर्मुक्ति से पहले लाभग्राहियों की वित्तीय स्थिति सत्यापित करने हेतु प्रावधान मार्गनिर्देशों में नहीं थे और अनुदान भी मंत्रियों द्वारा स्वयं संस्वीकृत किए जा रहे थे। नियम 8.14 (3), तत्रैव के दृष्टिगत उत्तर स्वीकार्य नहीं था जो अनुदान जारी करने से पहले लाभग्राहियों की वित्तीय स्थिति की जांच बारे प्रावधान करता है और डी.पी.डी. संबंधित मंत्री को इन संस्थाओं को पहले से ही निर्मुक्त अनुदानों के बारे में सूचित करने में विफल भी रहे जैसा कि नीति मार्गनिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित था।

(बी) नीति मार्गनिर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों हेतु अनुदान

नीति मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 1 (ई) के अनुसार अनुदान पहले से विद्यमान संस्थाओं के सुधार और अपर्याप्त ठहराव के लिए प्रदान किए जा सकते थे। यह समुदाय के लाभ के लिए कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होने चाहिए। परंतु ₹ 1.93 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.3)*** की राशि के 22 अनुदान 18 लाभग्राहियों को, या उनकी संस्थाएं प्रस्थापित करने के लिए या कार्यों, जो नीति मार्ग निर्देशों के प्रावधानों के अन्तर्गत आवृत नहीं थे, के लिए निर्मुक्त किए गए थे। दो ऐसे अनुदानों की तस्वीरें उदाहरण के तौर पर की गई है:



परिशिष्ट 3.3 की क्रम संख्या 5 पर अजीतपाल ट्रस्ट, कलानौर, रोहतक द्वारा स्वामित्व भवन में ₹ 3.5 लाख का अनुदान प्रयुक्त हुआ परंतु सभी समुदायों के लाभ के लिए नहीं खुला था (फोटो दिनांक 25 अप्रैल 2012)



परिशिष्ट 3.3 की क्रम संख्या 1 पर सैनी शिक्षा समिति जीन्द द्वारा सैनी गर्ल्ज हाई स्कूल की स्थापना हेतु ₹ 16.00 लाख के अनुदान प्रयुक्त किए गए (फोटो दिनांक 23 अप्रैल 2012)

(सी) गृह जिलों/निर्वाचन क्षेत्र में अनुदानों का संवितरण

चूंकि मुख्य मंत्री, मंत्री, स्पीकर, उप स्पीकर और मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेखापरीक्षा का विचार था कि उन्हें पूर्ण राज्य के सुचारू विकास के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से अनुदान संवितरित करने चाहिए।

वर्ष 2009-10 के लिए ऐच्छिक अनुदानों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि नौ मंत्रियों/सी.पी.एस./उप स्पीकर जिनके निर्वाचन क्षेत्र नमूना-जांच किए सात जिलों में पड़ रहे थे, ने 82 से 100 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 3.4)*** अनुदान अपने होम जिलों में और उन 69 से 97 प्रतिशत अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्रों के लाभग्राहियों को संवितरित किए।

प्रधान सचिव, ने बताया (नवंबर 2012) कि पंजाब सरकार द्वारा निर्मुक्त ऐच्छिक अनुदानों के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की दृष्टि में कार्यवाही की जायेगी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

(डी) मांग के आधिक्य में अनुदान

प्रजापति धर्मशाला सभा/कुरूक्षेत्र ने धर्मशाला में सीवरेज लाईन बिछाने के लिए मुख्य मंत्री से ₹ 6.17 लाख की सहायता के लिए अनुरोध किया (जुलाई 2010)। परंतु डी.सी. कुरूक्षेत्र ने सी.एम. की सिफारिश पर ₹ 11.00 लाख का अनुदान निर्मुक्त कर दिया (अगस्त 2010) जो मांग के आधिक्य तथा पंजाब वित्तीय निगम वाल्यूम-1 के नियम 8.14 (सी) के उल्लंघन में था।

(ई) जाति/धर्म के आधार पर अनुदानों की निर्मुक्ति

नीति मार्ग निदेर्शो के अनुच्छेद 2 के अनुसार, सहायता अनुदान धार्मिक संस्थाओं अथवा पूजा के स्थानों को अनुमत्य नहीं होंगे। आगे, संबंधित डी.सी. द्वारा जारी संस्वीकृति के निबंधनों और शर्तो में अनुबंधित था कि संस्थाएं जिनको अनुदान निर्मुक्त किए गए थे, जाति, समुदाय और धर्म आदि पर आधारित किसी पक्षपात के बिना, संबंधित क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों के लिए खुले होने चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया था कि सहायता अनुदान सामान्यत: किसी धार्मिक संस्थाओं या पूजा के स्थानों के लिए अनुमत्य नहीं होने चाहिए।

14 संस्थाओं, जिन्हें 2007-2012 ***(परिशिष्ट 3.5)*** के दौरान ₹ 5.17 करोड़ के अनुदान निर्मुक्त किए गए थे, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि इन संस्थाओं ने नमूना-जांच किए गए डी.सी. कार्यालयों में अनुदान आहरण के समय अपने संविधान/ज्ञापन पत्र/संस्था के नियम प्रस्तुत नहीं किए थे। डी.सी. कार्यालय ने भी अनुदानों की निर्मुक्ति से पहले इन दस्तावेजों की मांग नहीं की थी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा संस्थाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि ये संस्थाएं जाति/धर्म के आधार पर संस्थापित की गई थी क्योंकि इन संस्थाओं की प्रारंभिक सदस्यता एक विशेष जाति/धर्म के सदस्यों तक प्रतिबंधित थी जो नीति मार्गनिर्देशों की भावना के विरूद्ध था। इस प्रकार, इन संस्थाओं को अनुदानों की निर्मुक्ति अनियमित थी।

3.1.5.2 अनुदानों की अनियमित/अनुपयोगिता

(ए) अनुदानों से अनियमित व्यय

अभीष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए डी.पी.डी. और डी.डी. ओ. के पास कोई यंत्रावली नहीं थी। 23 मामलों में भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि ***परिशिष्ट 3.6*** में दिए विवरण के अनुसार ₹ 1.62 करोड़ के अनुदान अनियमित रूप से उन कार्यों से भिन्न कार्यों पर प्रयुक्त किए गए जिनके लिए ये अनुदान स्वीकृत किए गए थे जो नीति मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के विरूद्ध था। उल्लिखित मामलों के फोटोग्राफ उदाहरणों के रूप में दिए गए हैं:

		
निधियों को तहखाना की बजाय टाइल के फर्श के लिए प्रयुक्त किया गया (परिशिष्ट 3.6 की क्रम संख्या 21 पर गुरू रविदास भवन सैक्टर–15, पंचकूला) (फोटो दिनांक 4 मई 2012)	निधियां मिनी आडिटोरियम की बजाय कमरों के निर्माण में प्रयुक्त की गई (महाराजा अग्रसेन गर्ल्ज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल जींद (परिशिष्ट 3.6 की क्रम संख्या 14 पर) (फोटो दिनांक 18 मई 2012)	पुलिस द्वारा जब्त वस्तुओं के भंडारण के लिए प्रयुक्त की जा रही थी (महिला कल्याण ट्रस्ट कलानौर–रोहतक परिशिष्ट 3.6 की क्रम संख्या 5 पर) (फोटो दिनांक 25 अप्रैल 2012)

(बी) लाभग्राहियों द्वारा अनुदान की अनुपयोगिता

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 12 मामलों में जहां ₹ 1.60 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.7)*** की राशि के 16 अनुदान जून 2008 से फरवरी 2012 के मध्य अवधि के दौरान निर्मुक्त किए गए थे, अनुदान लाभग्राहियों के पास पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अप्रयुक्त पड़े थे (दिसंबर 2012)। परिणामस्वरूप, समुदाय अभीष्ट लाभों से वंचित रहा। कुछ मामलों के छायाचित्र उदाहरण के लिए दिए गए हैं:

		
परिशिष्ट 3.7 की क्रम संख्या 7 पर अंबेडकर भवन सैक्टर–12, पंचकूला (दिनांक 04 मई 2012)	खाजाखेड़ा सेवा समिति ट्रस्ट, खाजाखेड़ा, सिरसा द्वारा (₹ 7 लाख) अनुदान से निर्मित कक्ष परिशिष्ट 3.7 की क्रम संख्या 8 पर (दिनांक 14 जून 2012)	गीता भवन, कहानौर रोहतक के प्रथम तल पर अनुदान (₹ 5.00 लाख) से निर्मित कक्ष परिशिष्ट 3.7 की क्रम संख्या 5 पर (दिनांक 25 अप्रैल 2012)

(सी) सरकारी लेखे से बाहर से निधियों का अवरोधन और ब्याज की हानि

पी.एफ.आर., वॉल्यूम-1 के नियम 2.10 (ख) (5) प्रावधान करता है कि कोषालय से धन तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो।

नमूना-जांच के दौरान, यह देखा गया कि आठ जिलों में 30 कार्यकारी एजेंन्सियों ने ₹ 6.05 करोड़ बचत/चालू बैक खातों में रखे ***(परिशिष्ट 3.8)***। इनमें से, 23 कार्यकारी एजेंन्सियों ने बचत बैंक खातों पर ₹ 37.84 लाख का ब्याज अर्जित किया और सात[3] कार्यकारी एजेंन्सियां चालू खातों का परिचालन कर रही थी परिणामस्वरूप मार्च 2012 तक ₹ 23 लाख तक ब्याज की हानि हुई। अप्रयुक्त राशि का सरकारी खातों में अप्रर्त्पण अनियमित और नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2012), एस.डी.ओ. (सिविल) फरीदाबाद ने मार्च 2012 में ₹ 5.05 लाख का ब्याज सरकारी खाते में जमा करवा दिया। ₹ 11.45 लाख की राशि के 13 असंवितरित अनुदान डी.सी. फरीदाबाद को, सरकारी खातों में जमा करवाने के लिए प्रत्यर्पित कर दिए (मार्च/अप्रैल 2012)।

प्रधान सचिव ने अभ्युक्ति स्वीकार करते समय बताया (नवंबर 2012) कि अक्तूबर 2012 से अनुदान के संवितरण के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसने प्रावधान किया कि निधियां सीधे लाभग्राहियों को जारी की जाएंगी और संबंधित डी.सीज को अवरोधन के कारणों की जांच करने हेतु निर्देश भी दिए गए थे। अंतिम परिणाम अभी प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

3.1.6 मॉनीटरिंग और आंतरिक नियंत्रण

विकास और पंचायत विभाग, ऐच्छिक अनुदानों के आहरण, संवितरण और विनियमन के लिए नीति प्रतिपादित करने हेतु उत्तरदायी था। अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अनुसार लाभग्राहियों द्वारा सही लेखे अनुरक्षित किए गए थे, डी.डी.ओ. के रूप में सभी डी.सीज और अवर सचिव (सामान्य) द्वारा पी.एफ.आर. में निर्धारित प्रावधान अनुसरित किए जाने अपेक्षित थे। इन पदाधिकारियों द्वारा कर्त्तव्यों के अनिष्पादन के कारण निम्न अनियमितताएं देखी गई:

(ए) उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अप्रस्तुतिकरण

नीति मार्ग निर्देशों के अनुच्छेद 6 के अनुसार डी.सीज को यह सुनिश्चित करना था कि अनुदान उस प्रयोजन के लिए सही ढंग से प्रयुक्त किया गया था जिसके लिए यह दिया गया था तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अनुसार सही लेखे अनुरक्षित किए जाते हैं।

[3] (i) डी.सी. कुरूक्षेत्र, (ii) बी.डी.पी.ओ., पेहवा (iii) बी.डी.पी.ओ. शाहबाद, (iv) एस.डी.ओ. (सिविल), गुड़गांव, (v) बी.डी.पी.ओ., कलानौर (vi) एस.डी.ओ. (सिविल), रोहतक तथा (vii) एस.डी.ओ. (सिविल), जगाधरी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ₹ 77.21 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.9)*** के अनुदान से आवेष्टित 3,684 मामलों में से 3,295 मामलों (89 प्रतिशत) के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र न तो लाभग्राहियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे न ही लाभग्राहियों से उन्हें प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रयत्न किए गए।

(बी) आवेदकों के अभिलेखों का अननुरक्षण

स्कीम पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान करती है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुदानों से सहायता हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति और संवीक्षा करने के लिए एक सही प्रक्रिया स्वयं स्कीम में निर्धारित की जानी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि ऐच्छिक अनुदान की संस्वीकृति को शासित नियम आवेदनों की प्राप्ति तथा उनकी संवीक्षा से संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण के बारे में वर्णन नहीं करता है, जिसके आधार पर आवेदन स्वीकृत तथा अस्वीकृत हेतु विचार किए गए हैं।

3.1.7 अभिलेखों/फाईलों की अप्रस्तुति

80[4] मामलों में ₹ 4.46 करोड़ के अनुदानों के आबंटन, निर्मुक्ति और उपयोगिता से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः, अभीष्ट प्रयोजनों पर सरकारी धन की परिशुद्धता, यथार्थता तथा सही उपयोगिता की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

प्रधान सचिव ने बताया (नवंबर 2012) कि सभी डी.सीज को लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिए गए हैं। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

3.1.8 निष्कर्ष

ऐच्छिक अनुदान की संस्वीकृति तथा उनके अभिलेखों के अनुरक्षण को शासित करने वाले विद्यमान नियम तथा विनियमन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं देते हैं जैसा कि क्या अनुदान केवल पात्र मामलों को स्वीकृत किए गए हैं, संस्वीकृत अनुदान प्रयोजनों, जिनके लिए प्रदान किए गए थे, हेतु प्रयुक्त किए गए हैं तथा धन व्यय करने के प्रमाण भी कम थे।

[4] अवर सचिव (सामान्य): (15 मामले: 058 करोड़); एस.डी.ओ. (सिविल), रोहतक: (65 मामले: ₹ 3.88 करोड़)।

नगर एवं ग्राम आयोजना, पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, जन स्वास्थ्य, पंचायत तथा विकास एवं विद्युत विभाग

3.2 अवैध कालोनियों की वृद्धि

3.2.1 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार ने, राज्य में नगरों के इर्द-गिर्द अथवा कुयोजनागत एवं अव्यवस्थित शहरीकरण रोकने हेतु भूमि का प्रयोग विनियमित करने हेतु हरियाणा विकास तथा शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम, 1975 (एच.डी.आर.यू.ए. अधिनियम) अधिनियमित किया। यह प्रावधान करता है कि एक प्रोपर्टी डीलर सहित कोई व्यक्ति, कालोनी में प्लाट्स हस्तान्तरित अथवा हस्तान्तरण हेतु समझौता अथवा उसके संबंध में विज्ञापन अथवा कोई राशि प्राप्त नहीं करेगा अथवा किसी कालोनी में, जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था, कोई भवन प्रतिष्ठापित अर्थात् पुन: प्रतिष्ठापित नहीं करेगा। आगे, नगरों का योजनागत विकास तथा वृद्धि सुनिश्चित करने तथा अव्यवस्थित निर्माण रोकने के लिए, पंजाब अनुसूची सड़कों तथा अविनियमित विकास के नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) नगरपालिका नगरों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा हेतु प्रावधान करता है। इन अधिनियमों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रबंध नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.) को सौंपा गया था।

शहरी विकास की प्रक्रिया में, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, जन स्वास्थ्य, पंचायत एवं विकास, पुलिस, विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियों द्वारा अधिनियमों तथा नियमों के अननुपालन के कारण नियंत्रित क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों का विकास हो रहा है, जो अनुवर्ती अनुच्छदों में प्रकट किए गए हैं।

3.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

महानिदेशक (डी.जी.), टी.सी.पी.डी. हरियाणा और 21 डी.टी.पीज में से आठ[5] जिला नगर आयोजक (डी.टी.पीज) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच विभिन्न विभागों द्वारा नियमों ओर विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ जून से अक्तूबर 2012 के दौरान की गई। शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख के अनुसार, 30 जून 2012 को राज्य में 1,320 अनधिकृत कालोनियां थी।

[5] (i) अंबाला, (ii) फतेहाबाद, (iii) गुड़गांव, (vi) झज्जर, (v) करनाल, (vi) कुरूक्षेत्र, (vii) पंचकूला तथा (viii) पानीपत।

सूचना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे पंजीकरण प्राधिकारियों, उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, पी.एच.ई. तथा पुलिस विभाग इत्यादि से भी एकत्रित की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यादृच्छिक रूप से चयनित नमूना-जांच किए गए आठ जिलों की डी.टी.पी. के कर्मचारियों के साथ 41 अनधिकृत कालोनियों में 1,281 परिवारों का सर्वेक्षण किया।

3.2.3 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए विभिन्न विभागों/प्राधिकारियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के महत्वपूर्ण उल्लंघन नीचे चर्चित हैं:

(ए) राजस्व विभाग

एच.डी.आर.यू.ए. के अधिनियम की धारा 7-ए प्रावधान करता है कि जहां भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई दस्तावेज पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है बिक्री या लीज के द्वारा हस्तान्तरण हेतु अभिप्रेत किसी भी खाली भूमि जिसका क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र में एक हैक्टेयर से कम हो जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से समय-समय पर इस सैक्शन के प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया जाए ऊपर कथित अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कोई भी पंजीकरण अधिकारी ऐसे किसी दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करेगा जब तक हस्तांतरण करने वाला ऐसे पंजीकरण अधिकारी के समक्ष जारी एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) निदेशक ग्राम एवं नगर आयोजना या उसके द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी लिखित में उसकी तरफ से प्रस्तुत नहीं करता। सरकार ने भी निर्देश जारी किए (अप्रैल 2006) कि अनधिकृत कालोनियों की रोकथाम के लिए बिक्री विलेखों के पंजीकरण के समय एन.ओ.सी. अनिवार्य था। तथापि, 41 अनधिकृत कालोनियों में कुल 1,281 परिवारों के लाभग्राही सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि इन अनधिकृत कालोनियों में प्लाट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पंजीकृत किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2012) डी.जी., टी.सी.पी., ने बताया (नवंबर 2012) कि पंजीकरण प्राधिकारी अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों और सरकारी निर्देशों का अनुसरण सावधानी से नहीं कर रहे थे। तथापि, (अंबाला और गुड़गांव को छोड़कर) नमूना-जांच किए आठ जिलों में पंजीकरण प्राधिकारियों ने बताया (जून और जुलाई 2012) कि बिक्री विलेखों के पंजीकरण भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार किए जा रहे हैं। पंजीकरण प्राधिकारियों का उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि ऊपर उल्लिखित नियम के अंतर्गत एन.ओ.सी. अनिवार्य था। अपर मुख्य सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2012) कि सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को एच.डी.आर.यू.ए. अधिनियम की धारा 7-ए के प्रावधानों का अनुसरण करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे (जनवरी 2011) जिसके विफल होने पर चूककर्ता अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(बी) विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियां

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203-एच. प्रावधान करती है कि प्रत्येक प्लाट स्वामी द्वारा नगर पालिका की सीमाओं के भीतर बिजली कनैक्शन की स्वीकृति/निर्मुक्ति के लिए आवेदन देने से पहले संबंधित नगर निगम/परिषद/समिति (एम.सी.) से एन.ओ.सी. प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा 41 कालोनियों के 1,266 निवासियों (जिन्हें बिजली का कनैक्शन प्रदान किया गया है) के लाभग्राही सर्वेक्षण के दौरान अवलोकित किया गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वि.नि.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी..एच.बी.वि.नि.) द्वारा संबंधित एम.सीज से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना इन कालोनियों के निवासियों को बिजली कनैक्शन प्रदान किए गए थे। एक ऐसी अनधिकृत कालोनी, जहां बिजली कनैक्शन दिए गए थे, की फोटो उदाहरण के लिए दी गई है।



अनधिकृत कालोनी में विद्युत कनैक्शन दर्शाने वाली, अर्जुन नगर, पानीपत की फोटो (13 जून 2012)

कार्यकारी अभियंता, यू.एच.बी.वी.एन. ने बताया (जून-जुलाई 2012) कि नीति के अनुसार, यू.एच.बी.वी.एन. सही संपति मालिक/दस्तावेजों के सत्यापन के बिना कनैक्शन निर्मुक्त नहीं करता परंतु उनके बिक्री परिपत्र संख्या यू/72/2007 दिनांक 19 अक्तूबर 2007 के अंतर्गत इन कालोनियों के आवासियों को नियमित घरेलू कनैक्शन निर्मुक्त करने हेतु निर्णय किया गया, क्योंकि आवासियों की बृहद् संख्या, वैध कनैक्शन प्राप्त करने में असमर्थ थे तथा आवासी अवैध कुंडी कनैक्शनों के माध्यम से बिजली बिजली प्राप्त कर रहे थे परिणामत: संभावित राजस्व की हानि हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिपत्र में सम्मिलित निर्देश हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 और उसके अंतर्गत जारी निर्देशों के प्रावधानों के विरूद्ध थे। डी.जी., टी.सी.पी. ने सूचित किया (नवंबर 2012) कि बिजली कंपनियों ने ऐसी अनधिकृत कालोनियों की वृद्धि हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया था।

(सी) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

नगर अधिनियम, 1973 की धारा 203 – एच प्रावधान करती है कि प्रत्येक प्लाट स्वामी द्वारा नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर जलापूर्ति कनैक्शन की स्वीकृति/निर्मुक्ति के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित एम.सीज से एन.ओ.सी. प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा द्वारा अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के लाभग्राही सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि पी.एच.ई. विभाग ने, पानीपत स्थित गाबा कालोनी, (जैसा कि फोटो में दर्शाया गया) फतेहाबाद स्थित स्वामी नगर, हंस कालोनी और हरनाम सिंह कालोनी में, एम.सीज से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना जलापूर्ति कनैक्शन प्रदान किए। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियन्ता, पी.एच.ई. मण्डल, फतेहाबाद ने सूचित किया (जून 2012) कि पानी बहुत अनिवार्य वस्तु होने के कारण जनहित में पानी के कनैक्शन निर्मुक्त किए गए थे।



गाबा कालोनी, पानीपत जहां अनधिकृत कालोनी में नियमित जल प्रदान किया गया है की फोटो (13 जून

अक्तूबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में प्रधान सचिव, पी.एच.ई. विभाग ने बताया कि ये कालोनियां बहुत पुरानी थी और संबंधित गांव की भूमि में स्थित थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि डी.टी.पीज, फतेहाबाद तथा पानीपत ने सूचित किया (अक्तूबर 2012) कि ये कालोनियां शहरी क्षेत्रों की सीमा में विद्यमान थी।

(डी) नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

2004 में शहरी स्थानीय विकास द्वारा शाजरा[6] योजना पर किसी भी बाहरी सीमा को इंगित या सीमांकन किए बिना कुल 1054 अनधिकृत कालोनियां विनियमित की गई थी। विनियमित कालोनियों के सीमांकन की अनुपस्थिति में आस – पास के क्षेत्र भी अनधिकृत कालोनियों के रूप में विकसित हो गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि डी.जी., टी.सी.पी. द्वारा, विनियामक विभाग होने के नाते निकटवर्ती क्षेत्र से विनियमित कालोनियों की सीमाओं का सीमांकन अंकित करने के लिए निदेशक शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से एक प्रणाली विकसित की जानी अपेक्षित थी।

पंजाब अनुसूची सड़क तथा अधिकृत विकास का नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 12 (3) तथा हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 10 (3) के प्रावधानों के अनुसार डी.टी.पीज द्वारा, दोषियों से अनधिकृत निर्माणों के गिराने पर किए गए व्यय

[6] शाजरा, भूमि के एक विशिष्ट टुकड़े का ग्राफीकल चित्र अथवा नक्शे से एक विशिष्ट खसरा अथवा एक ग्राम/सम्पदा की योजना है। यह, भूमि की सही स्थिति, निकटवर्ती अथवा इर्दगिर्द भूमियों के चिन्हीकरण के साथ, इंगित करने हेतु प्रयोग की जाती है।

वसूल किए जाने अपेक्षित हैं। लेखापरीक्षा ने, तथापि, अवलोकित किया कि अनधिकृत ढांचों के गिराने पर अप्रैल 2008 से मार्च 2012 के दौरान ₹ 56.50 लाख[7] का व्यय किया गया था जिसके विरूद्ध केवल डी.टी.पी., पानीपत द्वारा केवल ₹ 0.23 लाख वसूल किए गए थे।

डी.जी., टी.सी.पी. ने सूचित किया (नवंबर 2012) कि मार्च 2012 में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के दौरान, डी.टी.पीज को डिमोलिशन प्रभारों की वसूली हेतु निरंतर प्रयास करने हेतु निर्देश दिए गए थे। आगे सूचित किया गया कि वसूली को प्रभावित करने हेतु डी.टी.पीज द्वारा गंभीर प्रयत्न किए जा रहे थे तथा 2008-12 के दौरान, डिमोलिशन प्रभारों पर खर्च किए गए ₹ 1.03 करोड़ के व्यय के विरूद्ध, दोषियों से ₹ 0.03 करोड़ वसूल किए गए थे।

(ई) पुलिस विभाग

पंजाब अनुसूचित मार्गो और अनियमित विकास के नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध अधिनियम 1963 की धारा 12-ए और हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 11-बी प्रावधान करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध होने के संबंध में लिखित में निदेशक या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी विलंब के सूचित करना, पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पुलिस ने संबंधित डी.टी.पीज द्वारा दी गई क्रमशः दर्ज 46 और 60 शिकायतों के विरूद्ध झज्जर में केवल पांच और कुरूक्षेत्र में 55 एफ.आई.आरज दर्ज की (अप्रैल 2008 और मार्च 2012)। अन्य नमूना-जांच किए गए डी.टी.पीज द्वारा, एफ.आई.आरज दर्ज करने संबंधी ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया। डी.जी, टी.सी.पी. ने उत्तर में सूचित किया था (जून 2012) कि एक भी ऐसा मामला नहीं था जहां पुलिस अधिकारियों ने एच.डी.आर.यू.ए. अधिनियम की धारा 11-बी के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। प्रधान सचिव (गृह) और पुलिस के महानिदेशक से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

(एफ) पंचायत तथा विकास विभाग

चार एम.सीज और एक खंड विकास और पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) ने तो नीचे **तालिका 2** में दिए विवरण के अनुसार इन अनधिकृत कालोनियों में ईट की गली का निर्माण, निकासी प्रणाली प्रदान करने पर ₹ 5.95 करोड़ का व्यय किया गया था:

तालिका 2: अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य पर किया गया व्यय

क्र.सं.	वर्ष	एम.सी./बी.डी.पी.ओ. का नाम	व्यय (₹ लाख में)
1	2005-10	एम.सी., बहादुरगढ़	34.67
2	2008-12	एम.सी., झज्जर	71.52
3	2008-12	एम.सी., अंबाला	430.70
4	2008-12	बी.डी.पी.ओ. फतेहाबाद	54.64
5	2010-11	एम.सी., पानीपत	3.94
योग			**595.47**

(स्रोतः संबंधित एस.सीज व बी.डी.पी.ओ. द्वारा दी गई सूचना)

[7] अंबाला ₹ 5.61 लाख, फतेहाबाद ₹ 2.79 लाख, गुड़गांव ₹ 16.40 लाख, झज्जर ₹ आठ लाख, करनाल ₹ पांच लाख, कुरूक्षेत्र ₹ 8.65 लाख, पंचकूला ₹ 3.05 लाख तथा पानीपत ₹ सात लाख।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि ये कालोनियां 10 वार्डों से समायुक्त ग्राम पंचायत, मटाना का भाग थी। वार्ड संख्या सात से दस कालोनी के हिस्से थे और इन कालोनियों के निवासी मटाना गांव के वोटर थे। विकास कार्यों के लिए किया गया व्यय पंचायत निधि तथा सरकार की अन्य स्कीमों से विपथित किया गया था। उत्तर डी.टी.पी. फतेहाबाद के विचारों से सामंजस्य में नहीं था क्योंकि उसने सूचित किया (अक्तूबर 2012) कि इन कालोनियों के स्थल शहरी क्षेत्र के साथ-साथ फतेहाबाद शहर के नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के भीतर विद्यमान थे और ये अनधिकृत थी। वित्तायुक्त तथा सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग से उत्तर प्रतिक्षित था (दिसंबर 2012)।

ये बिंदु महानिदेशक, नगर और ग्राम आयोजना विभाग को अक्तूबर 2012 में संदर्भित किए गए थे जिसने अनधिकृत निर्माण समस्या को कम करने में विभिन्न विभागों द्वारा की गई चूकों को स्वीकार किया (नवंबर 2012)। लेखापरीक्षा अवलोकन करता है कि क्योंकि विकास और हरियाणा शहरी क्षेत्र का विनियमन अधिनियम 1975 के कार्यान्वयन का पूरा उत्तरदायित्व नगर और ग्राम आयोजना विभाग के साथ पड़ता है और इन्हें अधिनियमों के अंतर्गत समन्वित तरीके से अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए अन्य विभागों को शामिल करने के लिए यंत्रावली विकसित करनी चाहिए।

3.2.4 निष्कर्ष

कस्बों/शहरों के चारों तरफ अनधिकृत कालोनियों का अत्यवस्थित विकास था। विभिन्न विभागों द्वारा अनधिकृत कालोनियों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमों तथा नियमों में वर्तमान प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा था क्योंकि भूमि की सेल डीड की टी.सी.पी.डी./एम.सी. से रजिस्टर किया जा रहा था। पुलिस विभाग ने भी अनधिकृत कालोनियों के अत्यवस्थित विकास को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी जैसा कि नियमों में प्रावधान था।

3.2.5 अनुशंसाएं

सरकार विचार कर सकती है:

- अनधिकृत कालोनियों की वृद्धि को रोकने तथा भूमि के योजनागत विकास तथा राज्य के शहरीकरण हेतु सभी संबंधित विभागों द्वारा एच.डी.आर.यू.ए. अधिनियम, 1975 के प्रावधानों तथा समन्वित तरीके से नियमों और निर्देशों की कठोर अनुपालना सुनिश्चित करना।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग

3.3 वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम

3.3.1 प्रस्तावना

वृद्ध व्यक्ति, जो अपने स्रोतों से स्वयं को संपोषित करने में असमर्थ है और वित्तीय सहायता की आवश्यकता में हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने नवंबर 1966 से वृद्धावस्था पैंशन स्कीम कार्यान्वित की। जुलाई 1991 से, पात्रता आयु मापदंड 65 वर्ष से कम करके 60 वर्ष तक कर स्कीम को उदार बना दिया गया और सभी साधनों से आय ₹ 50,000 प्रतिवर्ष (29 नवंबर 2005 से जो 22 मार्च 2012 से दो लाख तक संशोधित कर दी गई) निश्चित की गई थी। 2009 में स्कीम का दुबारा नाम 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता' रखा गया। लाभग्राहियों की पात्रता की संवीक्षा के लिए ग्रामीण[8] और शहरी[9] क्षेत्रों के साथ-साथ जिला स्तर[10] में पृथक समितियां के संघटन हेतु स्कीम में प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता की संवीक्षा गांव/खंड में और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका के प्रभारी के परामर्श से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निश्चित किए स्थल पर की जानी थी। आवेदन पत्रों की संवीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गांव के लंबरदार और अन्य माननीय व्यक्तियों और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर आयुक्त और अन्य माननीय व्यक्तियों की उपस्थिति में की जानी थी।

स्कीम के अंतर्गत 1 जुलाई 1991 से ₹ 100, 1 नवंबर 1999 से ₹ 200, 1 नवंबर 2004 से ₹ 300 तथा 1 मार्च 2009 से ₹ 500 की मासिक पैंशन का पात्र व्यक्तियों को भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, जो लाभग्राही यह भत्ता 1 मार्च 2009 को पिछले 10 वर्षों से प्राप्त कर रहे थे, ₹ 700 के मासिक भत्ते के लिए पात्र थे और जो ₹ 500 की दर पर भत्ता ले रहे थे एक वर्ष पूर्ण होने पर ₹ 50 प्रतिवर्ष की वृद्धि के लिए पात्र थे।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की स्वीकृति के लिए व्यक्तियों की पात्रता की संवीक्षा हेतु पृथक समितियां संघटित की गई थी। समितियों द्वारा भत्ता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन पत्र फार्म उपलब्ध करवाने और उन्हें आवेदन पत्र फार्म भरना सिखाना अपेक्षित था। समिति को भत्ते की स्वीकृति के लिए आवेदक की पात्रता के सत्यापन के लिए

8 ग्रामीण क्षेत्र की समिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि परिमंडल राजस्व अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

9 शहरी क्षेत्र में, समिति में नगर पालिका के प्रभारी अधिकारी अथवा कार्यकारी अधिकारी अथवा नगर पालिका के सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

10 जिला स्तर की समिति में सदस्य के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा चेयरमैन के रूप में उपायुक्त शामिल होंगे।

प्रत्येक आवेदन पत्र की अति सावधान संवीक्षा करनी थी और इस प्रयोजन के लिए सभी उपलब्ध मौखिक और प्रलेख प्रमाण का ध्यान रखना था। एक आवेदक की पात्रता के बारे में राय बनाने में समिति द्वारा क्षेत्र के माननीय व्यक्तियों और आवेदक के पड़ोसियों द्वारा दी गई सूचना को भी देय महत्व दिया जाना था। जिला स्तर समिति द्वारा उन मामलों की जांच और निर्णय किया जाना अपेक्षित था जहां के लिए ग्रामीण तथा शहरी समितियां सुस्पष्ट अनुशंसाएं बनाने में योग्य नहीं थी।

3.3.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य

स्कीम में प्रावधान के अनुसार पहचान, भत्तों के आहरण और संवितरण से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वन में विभाग की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2007 – 2012 की अवधि के लिए महानिदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग और 21 जिला समाज कल्याण अधिकारियों (डी.एम.डब्ल्यू.ओज) में से आठ[11] के कार्यालय के अभिलेखों की सितंबर 2011 और जुलाई 2012 के बीच नमूना – जांच की गई।

3.3.3 वित्तीय प्रबंध

लाभग्राहियों को ₹ 3,667.38 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 3,484.68 करोड़ की राशि का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2007 – 12 के दौरान संवितरित किया गया जैसे कि **तालिका 3** में वर्णित है:

तालिका 3: 2007 – 12 के दौरान बजट प्रावधान और भुगतान किए गए वास्तविक भत्तों के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभग्राहियों की संख्या	बजट अनुमान	भुगतान किए गए भत्ते की राशि
2007-08	9,95,028	371.07	366.68
2008-09	11,25,372	380.49	408.22
2009-10	12,50,349	924.08	902.79
2010-11	13,86,207	909.69	899.15
2011-12	13,22,569	1,082.05	907.84
कुल		**3,667.38**	**3,484.68**

(स्रोतः निदेशालय कार्यालय में अनुरक्षित भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों से संकलित)

3.3.4 लेखापरीक्षा विस्तार एवं प्रणाली

आठ चयनित जिलों में डी.एस.डब्ल्यू.ओज के कार्यालय में लाभग्राहियों की पहचान, लाभग्राहियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के आहरण और संवितरण के अभिलेखों के अलावा लेखापरीक्षा दल छः चुने हुए जिलों के 71[12] गांवों में गए और स्कीम के कार्यान्वन को देखने के लिए संबंधित गांवों के 1,159[13] लाभग्राहियों और सरपंचों का सर्वेक्षण किया तथा 71 गांवों से लाभग्राहियों से विभिन्न प्राचलिकों पर फीडबैक प्राप्त करने हेतु प्रश्नावलियों के रूप में प्राप्त किया गया।

[11] (i) अंबाला, (ii) हिसार, (iii) गुड़गांव, (iv) कैथल, (v) पंचकुला, (vi) रेवाड़ी, (vii) रोहतक तथा (viii) यमुनानगर।

[12] (i) अंबाला: 22, (ii) गुड़गांव: 9, (iii) हिसार: 10, (iv) कैथल: 12, (v) पंचकुला: 7, तथा (vi) यमुनानगर: 11

[13] (i) अंबाला: 412, (ii) गुड़गांव: 160, (iii) पंचकूला: 88, (iv) हिसार: 110, (v) कैथल: 241 तथा (vi) यमुनानगर: 148

3.3.5 लेखापरीक्षा परिणाम

3.3.5.1 वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का अपात्र व्यक्तियों को संवितरण

स्कीम के प्रावधानों कें अनुसार, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता उस व्यक्ति को देना अपेक्षित है जो राज्य का अधिवासी है और 60 वर्ष या इससे अधिक पूर्ण कर चुका है। अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि स्कीम के अंतर्गत भत्ता स्वीकार करने के लिए लिए लाभग्राहियों की पहचान स्कीम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं की गई थी और भत्ते उन्हें अनुमत किए गए थे जो राज्य के निवासी नहीं थे या जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी और लाभों के पात्र नहीं थे। अपात्र लोगों द्वारा भत्ते प्राप्त करने संबंधी काफी संख्या में शिकायतें थी। अत: लाभग्राहियों का पुन: सत्यापन विभाग द्वारा नवंबर 2011 और जनवरी 2012 की अवधि के दौरान करवाया गया। पुन: सत्यापन के दौरान 12,176 अपात्र लाभग्राही जो 60 वर्ष की आयु से नीचे थे या राज्य के निवासी नहीं थे, पहचाने गए। जुलाई 1994 और मार्च 2012 की सीमा के बीच अवधि के दौरान ₹ 15.72 करोड़ की राशि का वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का भुगतान इन अपात्र लाभग्राहियों को किया गया ***(परिशिष्ट 3.10)***। यह इंगित करता है कि प्रथम सर्वेक्षण के समय लाभग्राहियों की पहचान स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त तरीके से नहीं की गई थी।

इन अपात्र लाभग्राहियों को भत्ते का भुगतान इन समितियों की अनुशंसाओं के बाद बंद कर दिया गया (नवंबर 2011 और मार्च 2012 के बीच) परंतु 12,176 अपात्र लाभग्राहियों को भुगतान किया गया ₹ 15.72 करोड़ का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता विभाग द्वारा अंबाला जिले के अतिरिक्त वापिस नहीं लिया गया, जहां जनवरी और जून 2012 के बीच लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ₹ 25.87 लाख में से ₹ 0.39 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी।

26 जुलाई 2012 को आयोजित बैठक के दौरान, महानिदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने कहा कि राशि को वसूल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मामले की अंतिम कार्यवाही प्रतिक्षित थे (दिसंबर 2012)।

3.3.5.2 उन व्यक्तियों को भत्तों का संवितरण जो अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी पैंशन प्राप्त कर रहे थे

स्कीम के मार्ग निर्देशों के अनुसार सरकारी और स्थानीय/सांविधिक निकाय और सरकारी या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा बड़ी मात्रा में वित्तपोषित कोई भी संस्था से पैंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति जिसमें संचित कमाई से प्राप्त या अर्जित आय सम्मिलित है, और भविष्य निधि खाते या अन्य स्रोतों जिसमें वाणिज्यिक बैक, वित्तीय संस्थान या बीमा कंपनियां सम्मिलित हैं, से वार्षिकी प्राप्त करने व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र नहीं है। अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि पिंजौर नगर (जिला पंचकूला) के 281 व्यक्तियों, जो पहले ही अन्य स्कीमों के अंतर्गत पैंशन के लाभ प्राप्त कर रहे थे को फरवरी 1999 से नवंबर 2011 के दौरान वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का भुगतान किया गया जबकि वे सरकारी नौकरी/स्वायत निकायों से सेवानिवृत हो गए थे। इन अपात्र व्यक्तियों को ₹ 71.68 लाख की राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2012), डी.एस.डब्ल्यू.ओ., पंचकूला ने सूचित किया (मार्च 2012) कि दिसंबर 2011 से इन व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रोक दिया गया था। परंतु इन अपात्र व्यक्तियों

से राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (दिसंबर 2012)।

3.3.5.3 वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का अस्वीकार्य भुगतान

स्कीम में प्रावधान है कि वह व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र नहीं है जिसकी उसके पति/पत्नी के साथ सभी साधनों से आय ₹ 50,000/- प्रतिवर्ष (मार्च 2012 से ₹ 2 लाख) से अधिक होती है। गांव के लाभग्राहियों और सरपंचों द्वारा दिए गए फीडबैक की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अंबाला, गुड़गांव, हिसार और नारनौल जिले के 128[14] लाभग्राही जिनके पति/पत्नी सरकारी बोर्ड/निगम से सेवानिवृत थे को स्कीम के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 29.66[15] लाख की राशि के वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का भुगतान किया गया। महानिदेशक ने बताया (जुलाई 2012) कि सारी राशि वसूल कर ली जाएगी। मामले का अंतिम परिणाम जनवरी 2013 तक प्रतीक्षित था।

उपरोक्त विसंगतियों ने इंगित किया कि स्कीम के अंतर्गत लाभग्राहियों के पहचान की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और पात्र व्यक्तियों का पता लगाने के लिए उचित रूप से सर्वेक्षण नहीं किया गया।

3.3.5.4 आवेदकों के डाटा का अनुरक्षण न किया जाना

स्कीम के मार्गनिदेर्शो के अंतर्गत जैसा कि अपेक्षित था भत्तों को प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त करने और संवीक्षा करने के लिए, विभिन्न स्तरों पर समितियां संघटित की गई थी। तथापि, आवेदकों के अभिलेख तथा इन कमेटियों की कार्यवाहियां अनुरक्षित नहीं थी। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा आवेदकों की प्रमाणिकता तथा आवेदन पत्रों की संवीक्षा और लाभग्राहियों के चयन के लिए अपनाई गई प्रणाली को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.5 निष्कर्ष

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के भुगतान हेतु लाभग्राहियों के पहचान के लिए निर्धारित कार्य विधि का पालन न करने के परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्तियों को भत्ते का भुगतान किया गया। लाभग्राहियों के चुनाव के लिए चयनित कमेटियों की कार्यविधियों के अभिलेख भी अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

3.3.6 अनुशंसाएं

राज्य सरकार विचार कर सकता है:

- अपात्र लाभग्राहियों के शामिल होने के परिहार के लिए मार्ग निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का दृढ़ता से अनुसरण करके लाभग्राहियों की पहचान की प्रक्रिया को कारगार बनाया जाए; तथा
- लाभग्राहियों की सूचियों की समीक्षा और अद्यतन नियमित रूप से किया जाए।

[14] अंबाला: 96; गुड़गांव: 14; हिसार: 04 तथा नारनौल: 14

[15] अंबाला: ₹ 22.14 लाख; गुड़गांव: ₹ 1.99 लाख; हिसार: ₹ 0.22 लाख तथा नारनौल: ₹ 5.31 लाख।

गृह विभाग

3.4 पेरोल/फरलो पर रिहा कैदी

3.4.1 प्रस्तावना

हरियाणा उत्तम आचरण कैदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 में जिला मैजिस्ट्रेट या इस हेतु नियुक्त अन्य किसी अधिकारी के परामर्श से पेरोल[16]/फरलो[17] पर उनके उत्तम आचरण के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट शर्तों पर प्रातिभू बांड के निष्पादन पर, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस को सूचना के साथ, कैदियों की अस्थाई रिहाई के लिए प्रावधान है। पेरोल/फरलो पर रिहा कैदियों का संबंधित जेल, जहां उन्हें रिहा किया गया था में वापिस उपस्थित होना अपेक्षित है। जो कैदी वापिस रिपोर्ट करने की देय तिथि के बाद 10 दिनों के भीतर वापिस उपस्थित नहीं होता, किसी वारंट के बिना पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी द्वारा बंदी बनाया जा सकता है और श्योरिटी बांड की राशि भी जब्त की जा सकती है।

3.4.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

21 जिलों में से सात[18] महानिदेशक, जेल, हरियाणा, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त और जेल अधीक्षक के 2007 से 2011 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच, नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वन में कमियों का पता लगाने के उद्देश्य के साथ मार्च-अप्रैल 2012 के दौरान की गई थी।

3.4.3 लेखापरीक्षा प्रणाली

संबंधित जेलों में अनुरक्षित पेरोल पर कैदियों की रिहाई से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। विभाग के उत्तर जहां भी प्राप्त किए गए, लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को अंतिम करते समय ध्यान में रखे गए और 18 सितंबर 2012 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ थी इन पर चर्चा की गई। एग्जिट कांफ्रेंस के परिणाम और विभाग के उत्तर उपयुक्त ढंग से अनुच्छेद में समाविष्ट किए गए हैं।

16 पेरोल कैदियों को अच्छे व्यवहार तथा निर्धारित समयावधि के लिए प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने बारे एक सशर्त रिहाई है।

17 फरलो कैदी को प्रदान की गई अवकाश की अवधि है, सामान्यत: अच्छे व्यवहार के लिए इनाम के रूप में। यह अवधि जेल की सजा की कुल अवधि के प्रति गिनी जाती है।

18 (i) अंबाला, (ii) गुड़गांव, (iii) हिसार, (iv) जींद, (v) करनाल, (vi) रोहतक तथा (vii) सोनीपत।

3.4.4 लेखापरीक्षा परिणाम

3.4.4.1 अभी भी अनुपस्थित पेरोल/फरलो पर रिहा कैदी

कुल 18,496 कैदी श्योरिटी बांड प्राप्त करने के बाद पेरोल/फरलो पर अस्थाई तौर पर रिहा किए गए। इनमें से, **तालिका 4** में दिए विवरण के अनुसार अनुमत अवधि के भीतर 18,142 कैदी वापिस उपस्थित हुए।

तालिका 4: अभी भी अनुपस्थित पेरोल/फरलो पर रिहा कैदियों के विवरण (मार्च 2012)

वर्ष	रिहा किए गए कैदी	जिन कैदियों ने वापस रिपोर्ट किया	जिन कैदियों ने वापस रिपोर्ट नहीं किया
2007	3,397	3,347	50
2008	3,377	3,343	34
2009	3,588	3,508	80
2010	4,043	3,948	95
2011	4,091	3,996	95
कुल	**18,496**	**18,142**	**354**

(स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

कैदियों का जेल-वार विवरण ***परिशिष्ट 3.11*** में दिया गया है। परिशिष्ट में दिए विवरणों ने इंगित किया कि उनके पेरोल/फरलो के बाद, जो देय तिथि को वापिस उपस्थित नहीं हुए, ऐसे कैदियों की संख्या करनाल के बाद, सिरसा के संबंध में, जो दूसरी जेलों से रिहा हुए, उनसे उच्चतर था।

तालिका 5 31 जुलाई 2012 को नमूना-जांच किए गए सात जिलों में पेरोल/फरलो पर रिहा कैदियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 5: सात जिलों में पेरोल/फरलो पर रिहा कैदियों की स्थिति

वर्ष	कैदियों की संख्या			भागे हुए कैदियों की संख्या		अभी भी भागे हुए कैदियों की संख्या
	पेरोल पर रिहा	देय तारीख को वापस लौटे	देय तारीख को वापस नहीं लौटे	गिरफ्तार	आत्मसमपर्ण	
2007	2,408	2,369	39	18	2	19
2008	2,508	2,482	26	12	-	14
2009	2,535	2,471	64	44	2	18
2010	2,729	2,663	66	62	2	02
2011	2,901	2,830	71	54	2	15
कुल	**13,081**	**12,815**	**266**	**190**[19]	**8**	**68**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई सूचना)

ऊपर के विवरण इंगित करते हैं कि 2007-11 के दौरान जेलों, में 266 कैदियों में से जिन्होंने देय तिथियों पर आत्मसमपर्ण नहीं किया, 190 कैदी बनाए गए और आठ कैदियों ने अपने आप आत्मसमपर्ण कर दिया। शेष 68 पेरोल पर रिहा कैदी अभी भी भागे हुए थे (दिसंबर 2012)।

[19] 16 कैदी फरवरी तथा जुलाई 2012 के मध्य गिरफ्तार किए गए थे।

3.4.4.2 एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलंब

यह देखा गया कि 68 अपराधियों (जैसा तालिका 5 में इंगित किया गया है) में से 49 अपराधी जघन्य अपराधों में शामिल थे और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। संबंधित जेलों के जेल अधीक्षकों ने स्थानीय स्टेशन हाऊस अधिकारियों (एस.एच.ओ.) को अपराधियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने और उनको बंदी बनाने और आगे दोषी ठहराने के लिए आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन 28 मामलों में संबंधित एस.एच.ओज ने भगोड़े कैदियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. 11 से 224 दिनों के विलंब के बाद दर्ज की थी और 11 मामलों में, एफ.आई.आरज 3 से 9 दिनों के विलंब (देय तिथि से 10 दिनों की समाप्ति के बाद) दर्ज की गई थी।

यद्यपि, जींद और करनाल के जेल प्राधिकारियों द्वारा एस.एच.ओ. (संबंधित पुलिस स्टेशनों, जिनके अधिकार क्षेत्र के कैदी रिहा किए गए थे) छः मामलों में एफ.आई.आरज दर्ज करने का अनुरोध किया गया था फिर भी एफ.आई.आरज दर्ज नहीं की गई थी (जुलाई 2012)। अपराध अभिलेख कार्यालय, गुड़गांव के प्रभारी ने सूचित किया (मार्च 2012) कि मामले दर्ज करने में विलंब का भविष्य में परिहार किया जाएगा।

3.4.4.3 प्रतिभूति बांड का जब्त न होना

सरकार को हानि के साथ-साथ ऐसी जमानत प्राप्त करने के प्रयोजन को ही समाप्त करते हुए, 31 मामलों में ₹ 85.50 लाख की राशि के जमानत बांड जब्त नहीं किए गए। दो उपायुक्तों (डी. सीज) गुड़गांव और झज्जर ने सूचित किया (मई 2012) कि प्रतिभूओं से राशि वसूल करने के प्रयत्न किए जाएंगे। डी.सी., रोहतक, ने सूचित किया (मई 2012) कि जेल विभाग प्रतिभू की राशि वसूल करने के लिए उत्तरदायी था और संबंधित तहसीलदारों को जमानत की राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। 25 मामलों में, जांच अधिकारियों ने कैदियों के प्रतिभूओं से अपराधियों का पते ठिकाने के बारे में कोई खोजबीन नहीं की थी।

3.4.4.4 समन्वय का अभाव

पुलिस विभाग को पेरोल/फरलो पर कैदियों की रिहाई के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद पुलिस विभाग ने उनके पते ठिकाने को मानिटर नहीं किया। यहां तक कि, पेरोल अवधि के बाद कैदियों के वापिस उपस्थिति न होने की सूचना प्राप्ति के बाद भी एफ.आई.आरज दर्ज करने और उन्हें दुबारा बंदी बनाने की सामायिक कार्यवाही का अभाव था। अपराधियों को फिर से गिरफ्तार करने के लिए जेल और पुलिस विभाग में समुचित समन्वय आवश्यक है क्योंकि ये अपराधी समाज तथा कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं।

उत्तर में कैदियों के महानिदेशक, हरियाणा ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि पुलिस के महानिदेशक को इन पेरोल से भागे हुओं का पता लगाने/फिर से गिरफ्तार करने के लिए संबंधित

एस.पीज को निदेश जारी करने के लिए समय–समय पर अनुरोध किया गया है तथा शेष भगौड़ों को फिर से बंदी बनाने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे थे।

मामला हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जून 2012 में भेजा गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ 18 सितंबर 2012 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिन्होंने तथ्यों की पुष्टि करते हुए सूचना दी कि संबंधित नियमों को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि हार्डकोर कैदियों को पेरोल पर केवल 48 घंटों की अवधि के लिए उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु/विवाह के प्रयोजन के लिए पुलिस गार्ड के साथ रिहा की जाएगा। प्रतिभू राशि की वसूली के बारे में उन्होंने बताया कि वसूली करने के लिए डी.सी. को आवश्यक निदेश जारी किए जाएंगे।

3.4.5 निष्कर्ष

जेल तथा पुलिस विभागों के मध्य समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप, पेरोल/फरलो पर रिहा बहुत से हार्ड कोर अपराधी अधिक संख्या में बाहर रह गए। 31 मामलों में ₹ 85.50 लाख की श्योरटी बॉड को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अध्याय – 4

संपादनों की लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनके क्षेत्र संघटन तथा स्वायत्त निकायों की सम्पादन लेखापरीक्षा ने संसाधनों के प्रबंधन में चूकों तथा विनियमितता, औचित्य एवं मितव्ययता के मानकों की अनुपालना में विफलता के विभिन्न उदाहरण प्रकट किए। ये अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तृत विषयपरक शीर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं।

4.1 नियमों का अननुपालन

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु यह अनिवार्य है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जाता है। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं छलकपटों को रोकता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। नियमों एवं विनियमों की अननुपालना पर कुछ लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिला रैड क्रास सोसाइटी)

4.1.1 (क) अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन

वाहनों तथा ड्राईविंग लाइसैंसों के पंजीकरण प्रमाण–पत्रों के जारी करने हेतु उद्गृहीत सेवा प्रभारों की प्राप्तियों एवं जमा से संबंधित वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अननुपालना के कारण जिला रैड क्रास सोसाइटी, मेवात, नूंह में ₹ 18,45,500 का गबन हुआ।

1920 में गठित की गई भारतीय रैड क्रास सोसाइटी (आई.आर.सी.) युद्ध एवं शान्तिकाल के दौरान बीमार एवं घायलों को चिकित्सा एवं अन्य सहायता तथा इसी तरह के अन्य प्रयोजनों हेतु जनता से धन एवं उपहार प्राप्त करती है।

पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.2 एवं 2.7), जैसा कि हरियाणा सरकार को एवं रैड क्रास सोसायटियों को भी लागू हैं, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षा करते हैं कि सभी वित्तीय सम्पादन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कैशबुक में प्रविष्ट किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। नियम का नियम 2.7 तत्रैव प्रावधान करता है कि कर्मचारी, जो कैशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, के प्रकरण में, उसके द्वारा वह राशि कैश बुक रखने वाले कर्मचारी को प्रेषित करना अथवा उसी दिन या अगले दिन प्रात: कोषालय/बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। नियम 2.2 (iii) के अंतर्गत कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा, कैशबुक में योगों सहित सभी प्रविष्टियों की जांच किया जाना अथवा कैश बुक के लेखक से अन्य किसी जिम्मेदार कर्मचारी से इसे करवाना तथा सभी प्रविष्टियों को परिशुद्ध के रूप में आद्याक्षर किया जाना अपेक्षित है।

सरकार ने आई.आर.सी. के संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में जिला रैड क्रास सोसाइटियों (डी.आर.सी.एस.) के माध्यम से हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली (हैरिस) कार्यान्वित करने का निर्णय किया (अक्तूबर 2000)। तदनुसार, प्रणाली के अन्तर्गत वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य डी.आर.सी.एसज को सौंपा गया था। जिला प्रशासन ने दो पहिया वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ₹ 100, ₹ तीन लाख तक की लागत वाले वाहनों के लिए ₹ 300, ₹ तीन लाख से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए ₹ 500 की दर पर सेवा प्रभार नियत किए (जुलाई 2001)। ड्राईविंग लाईसैंस जारी करने के लिए सेवा प्रभार ₹ 50 प्रति ड्राईविंग लाईसैंस के रूप में नियत किए गए थे। डी.आर.सी.एस. द्वारा सेवा प्रभार एकत्र किए जाने थे तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को दो प्रतियों में पावतियां जारी की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संगृहीत राशि, उसी दिन अथवा अन्ततम अगले दिन तक बैंक में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। डी.आर.सी.एस. द्वारा दैनिक, मासिक एवं वार्षिक आधार पर एकत्रित सेवा प्रभारों के जिला एवं तहसीलवार विस्तृत अभिलेख अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित थे।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत डी.आर.सी.एस., मेवात, नूंह के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया (सितम्बर 2011) कि डी.आर.सी.एस. की ओर से सामान्य जनता से सेवा प्रभार एकत्र करने के लिए तथा उसे डी.आर.सी.एस. के कैशियर के पास जमा करवाने के लिए उप-मंडलीय कार्यालय के डाटा एंट्री आपरेटरों (डी.ई.ओज.) को तैनात किया गया था। डी.आर.सी.एस. द्वारा, यह सुनिश्चित करने हेतु कि जनता से एकत्रित सेवा प्रभारों की राशियों का डी.ई.ओज द्वारा जमा करवाई गई राशियों से मिलान किया गया था, उप-मंडलीय कार्यालयों से कभी भी मास के दौरान एकत्रित राशियों के विवरण नहीं मांगे गए थे। यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया कि डी.ई.ओज द्वारा एकत्रित सारा धन कैशियर के पास जमा करवा दिया गया था या नहीं। दो उप-मंडलीय कार्यालयों (नूंह तथा फिरोजपुर झिरका) द्वारा जमा करवाए गए सेवा प्रभारों की नमूना-जांच (सितंबर 2011) ने प्रकट किया कि सेवा प्रभारों के रूप में सामान्य जनता से एकत्रित ₹ 34,50,000 में से केवल ₹ 16,04,500 डी.आर.सी.एस., मेवात, नूंह के पास जमा करवाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18,45,500 कम जमा हुए, जो डी.ई.ओज द्वारा गबन के तुल्य है।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2011) सचिव, डी.आर.सी.एस., मेवात ने संबंधित कर्मचारियों से ₹ 17,41,650 वसूल किए (सितंबर 2011 तथा नवंबर 2011) किन्तु ₹ 1,03,850 अब तक वसूलनीय थे। सचिव ने बताया (फरवरी 2012) कि ₹ 1,03,850 की यह राशि कम्प्यूटरों की खरीद के विरूद्ध भुगतान की गई थी तथा कुछ भी समय में समायोजित कर ली जायेगी। उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि डी.आर.सी.एस. की कैश-बुक में धन के अलेखांकन के कारण नहीं दिए गए थे (दिसंबर 2012)। आगे, चूक के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरूद्ध दिसंबर 2012 तक कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी।

12 अक्तूबर 2012 को आयोजित एग्जिट कान्फ्रेंस में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया कि सेवा प्रभारों की प्राप्ति और जमा के लेखांकन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा और सभी उपायुक्तों को डी.आर.सी.एस. में प्राप्तियों के समुचित लेखांकन हेतु आन्तरिक निगरानी के प्रवर्तन के लिए कहा

जायेगा। यह आश्वासन भी दिया गया था कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। अगली कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2013)।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

4.1.1 (ख) अपर्याप्त मानीटरिंग तथा वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन

वित्तीय नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने में कार्यकारी अभियंता/उप-मंडल अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों, पानीपत तथा मोहिन्द्रगढ़ की विफलता ने जल एवं सीवरेज प्रभारों के संग्रहण एवं जमा में ₹ 10,30,136 के गबन को सुगम बना दिया।

पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 2.2 (iii), जैसा कि हरियाणा में भी लागू है, प्रावधान करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि सभी वित्तीय सम्पादन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कैशबुक में प्रविष्ट किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। आगे, तत्रैव नियमों के नियम 2.7 तथा 2.4 प्रावधान करते हैं कि कर्मचारी, जो कैशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, के प्रकरण में, उसके द्वारा वह कैश बुक रखने वाले कर्मचारी को प्रेषित करना अथवा उसी दिन या अगले दिन प्रात: कोषालय/बैंक में राशि जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) मंडल 2, पानीपत तथा मोहिन्द्रगढ़ में जल एवं सीवरेज प्रभारों के संग्रहण के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2012 तथा मार्च 2012) ने प्रकट किया कि उप-मंडल 3 एवं 5, पानीपत तथा 2, मोहिन्द्रगढ़ में बिल क्लर्क, उपभोक्ताओं से जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रभारों के कारण प्रतिदिन रोकड़ एकत्र कर रहे थे। तथापि, नकद रसीदें जारी करने के पश्चात् ये रोकड़ संग्रहण रजिस्टरों में प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी। बिल क्लर्कों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2012 के मध्य ₹ 40,30,013 एकत्र किए किन्तु केवल ₹ 34,09,108 जमा करवाए। इसके परिणामस्वरूप, पी.एच.ई. मंडल-2, पानीपत तथा पी.एच.ई. मंडल, मोहिन्द्रगढ़ के उपमंडल क्लर्कों (एस.डी.सी.) के पास ₹ 6.21 लाख की राशि कम जमा करवाई गई थी, जैसा **तालिका-1** में विवरण दिया गया है।

तालिका-1: बिल क्लर्क द्वारा कम जमा करवाई गई राशियों के विवरण

(₹ में)

मंडल का नाम	उप-मंडल का नाम	अवधि	एकत्र की गई राशि	जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 2, पानीपत	उप-मंडल 3, पानीपत	01 नवंबर 2010 से 31 जनवरी 2012	3,78,692	3,55,005	23,687
	उप मंडल-5, पानीपत	01 नवंबर 2010 से 31 जनवरी 2012	6,67,476	4,13,874	2,53,602
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, महेन्द्रगढ़	उप मंडल-2, महेन्द्रगढ़	01 अप्रैल 2010 से 14 मार्च 2012	29,83,845	26,40,229	3,43,616
कुल			**40,30,013**	**34,09,108**	**6,20,905**

(स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़ों से समेकित)

इस प्रकार, रोकड़ संग्रहण करने वाले बिल क्लर्कों द्वारा ₹ 6,20,905 का कम जमा कराया जाना गबन के समान है। इसके अतिरिक्त, उप-मंडल-5, पानीपत में एस.डी.सी. के पास जमा करवाए जाने हेतु अपेक्षित ₹ 4,09,231 की राशि अक्तूबर 2010 से सितंबर 2011 ***(परिशिष्ट 4.1)*** के दौरान दो तथा नौ माह के मध्य श्रृंखलित विलंब के पश्चात् जमा करवाई गई थी जो तत्रैव नियमों के नियम 2.4 तथा 2.7 के प्रावधानों के विरूद्ध था। यह सरकार की ओर से प्राप्त धन के अस्थाई गबन के समान था।

यह इंगित किए जाने पर इंजीनियर-इन-चीफ, पी.एच.ई.डी. ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (नवंबर 2012) कि पी.एम.ई. 2, पानीपत में गबन की गई ₹ 2,77,289 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा सरकारी खाते में जमा करवाई गई थी और पी.एच.ई. मंडल, मोहिन्द्रगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई गई थी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

उप-मंडलीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियंत्रण की कमी तथा रोकड़ को संभालने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने ने ₹ 10,30,136[1] की राशि की सरकारी प्राप्तियों के गबन को सुगम बना दिया जिसमें से ₹ 3,43,616 अभी वसूल किए जाने थे (जनवरी 2013)।

मामला मई 2012 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पी.एम.ई. विभाग को संदर्भित किया गया था। 22 अगस्त 2012 को प्रधान सचिव के साथ एक एग्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें प्रमुख अभियंता, पी.एच.ई. विभाग भी उपस्थित थे। तथ्यों को स्वीकारते हुए उन्होंने सूचित किया कि संबंधित कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया कि ऐसी चूकों के पुनरावृत्ति के विरूद्ध सुरक्षा के लिए फील्ड अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे। मामले में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जनवरी 2013)।

सिंचाई विभाग

4.1.2 डैम तटबंधों पर एकत्र, खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय

नींव से खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग कौशल्या डैम के तटबंधों में न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हरियाणा सरकार ने कौशल्या डैम के निर्माण हेतु ₹ 51.37 करोड़ की परियोजना अनुमोदित की (दिसंबर 2005)। परियोजना का अनुमान, कार्य के विस्तार में परिवर्तन के कारण मार्च 2007 में ₹ 98.18 करोड़ तक संशोधित किया गया था क्योंकि डैम की ऊंचाई बढ़ा दी गई थी परियोजना की अनुमानित लागत, पर्यावरणीय क्लीयरेंस से बचने के लिए, ₹ 100 करोड़ के भीतर रखी गई थी। मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, हरियाणा ने वाटर एंड पावर कंसल्टेंटी सर्विसिज (परामर्श कार्य में संलग्न भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रस्तुत किए गए (जुलाई 2007) ड्राईंग्स एवं डिजाइन के

[1] ₹ 2,77,289 + ₹ 3,43,616 + ₹ 4,09,231 = ₹ 10,30,136

आधार पर ₹ 56.22 करोड़ के मिट्टी के डैम के निर्माण हेतु अनुमान को संस्वीकृति प्रदान की (अक्तूबर 2007)। अनुमान में जंगल तथा अन्य वनस्पति हटाकर डैम नींव के सम्पूर्ण करार क्षेत्र को साफ करवाने एवं खोदने का प्रावधान था (अक्तूबर 2007)। इसके पश्चात, एक मीटर गहराई तक मिट्टी ऊपरी भार हटाने के लिए हटाई जानी थी तथा एक मीटर की गहराई से अधिक खोदी गई सम्पूर्ण सामग्री भूमि के भराव में उपयोग की जानी थी।

अधीक्षक अभियंता, एस.वाई.एल. परिमंडल, अंबाला ने कौशल्या डैम तथा इसका आनुषगिंक संरचना निर्माण कार्य ₹ 52.99 करोड़ हेतु एक एजेंसी[2] को प्रदान किया (मार्च 2008)। सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित पिंजौर के सैक्टर 3, 4 एवं 5 तथा पिंजौर के अन्य क्षेत्रों के लिए वाहनों के सुगम परिचालन हेतु डैम की ऊपरी चौड़ाई को 30 मीटर तक और बढ़ाने का निर्णय लिया (अप्रैल 2008)। तदनुसार, सरकार ने नवंबर 2008 में ₹ 180 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन संशोधित किया। इसके परिणामस्वरूप, कार्य का क्षेत्र बढ़ गया था तथा अनुबंध ₹ 112.99 करोड़ तक बढ़ाया गया (जून 2009) था। करार अनुबंध की धारा 5.4.1 के अनुसार डैम तटबंध भाग में इम्परवियस कोर, परवियस शैल तथा फिल्टर (ट्रांजीशन जोनस), इत्यादि शामिल थे। इन जोनस के लिए भरण सामग्री बोरो क्षेत्रों जिनकी पहचान एवं व्यवस्थापन ठेकेदार द्वारा उसकी अपनी लागत से किया जाना था। एजेंसी ने नवंबर 2012 तक ₹ 118.89 करोड़ की राशि का कार्य पूर्ण किया था।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2011) ने प्रकट किया कि करार दस्तावेज के मात्राओं के बिल की मद संख्या 2 के अनुसार 5,39,779 क्यूबिक मीटर अर्थ की खुदाई के कारण एजेंसी को ₹ 4.59 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। संस्वीकृत अनुमान के अनुसार एक मीटर की गहराई से परे खोदी गई सामग्री भूमि भराव में उपयोग की जानी थी किंतु खोदी गई मिट्टी का डैम में उपयोग करने के लिए एजेंसी के साथ निष्पादित करार दस्तावेज में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (जनवरी 2012) कि बोर होल डाटा के प्राथमिक सर्वेक्षणों तथा अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला था कि वे खोदी गई मिट्टी का इस्तेमाल परवियस सामग्री की विशिष्ट आवश्यकता/ग्रेडेशन के कारण परवियस शैल में कर पाएंगे। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि 5,39,779 क्यूबिक मीटर खोदी गई मिट्टी में से 2,63,170 क्यूबिक मीटर मिट्टी एक मीटर से अधिक गहराई से खोदी गई थी जिसमें से 2,26,326[3] क्यूबिक मीटर (86 प्रतिशत) भराव हेतु उपयोग की जा सकी। एजेंसी को खुदाई तथा मिट्टी की इस मात्रा के निपटान हेतु ₹ 1.92[4] करोड़ का भुगतान किया गया था जो बचाया जा सकता था यदि इस मिट्टी का उपयोग करने के लिए करार दस्तावेज में प्रावधान किया गया होता।

अगस्त 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग ने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया।

2 मैसर्ज पटेल - ए.आर.एस.एस. ज्वाइंट वेंचर, भुवनेश्वर।

3 2,26,326= कट आफ ट्रेंच से खोदी गई कुल मिट्टी का 86 प्रतिशत अर्थात् 2,63,170 क्यूबिक मीटर।

4 2,26, 326 क्यूबिक मीटर, ₹ 85 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से= ₹ 1,92,37,710 अथवा अर्थात् ₹ 1.92 करोड़।

तदनुसार, अक्तूबर 2007 में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित भू-वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट सहित उत्तर (सितंबर 2012) प्रस्तुत किया गया था जिसमें विभाग ने बताया कि परवियस शैल में एक मीटर की गहराई से नीचे खोदी गई मिट्टी के उपयोग का उल्लेख अक्तूबर 2007 के अनुमान में गलती से उल्लिखित किया गया था। परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया था कि भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार खोदी जाने वाली अधिकतर मिट्टी परवियस शैल में भरने के लिए 'बहुत उपयुक्त' तथा 'पूर्ण रूप से उपयुक्त' श्रेणी के मध्य पड़ती थी। विभाग ने खोदी गई मिट्टी के 86 प्रतिशत की उपयुक्तता के तथ्य को अनुवर्ती रूप से स्वीकार किया (अक्तूबर 2012) किंतु बताया कि मशीनों के द्वारा खुदाई से भूमि का स्ट्राटा बिगड़ सकता है जोकि इस खोदी गई मिट्टी को परवियस शैल में उपयोग करने के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारतीय मानक (आई.एस. 8826-1978) 'गाइडलाइंस फार डिजाइनस आफ लार्ज अर्थ एंड रॉकफिल डैम्स' का पैरा 8.1 'च्वाइस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैटीरियल अर्थ-डैम' प्रावधान करता है कि डिजाइनर को आवश्यक खुदाइयों से उपलब्ध सामग्री के अधिकतम उपयोग पर लक्ष्य करना चाहिए तथा यह भी कि अनुमान में किए गए प्रावधान, परियोजना के वास्तविक निष्पादन में अनुसरित किए जाने अपेक्षित थे।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि नींव से खोदी गई 86 प्रतिशत मिट्टी परवियस शैल में उपयोग हेतु उपयुक्त थी, परवियस शैल के भराव में इस मिट्टी के उपयोग हेतु करार दस्तावेज में प्रावधान शामिल करने में विभाग के विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभाग

4.1.3 निधियों का नियम विरूद्ध आहरण

शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभागों ने बजटीय आबंटनों की शक्ति पर ₹ 228.38 करोड़ की निधियां आहरित की तथा उन्हें समितियों को हस्तांतरित कर दिया जिन्होंने निधियों को सरकारी खातों से बाहर रखा जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ।

पंजाब खजाना नियमों तथा सहायक खजाना नियमों का नियम 15 (क), जैसाकि हरियाणा में भी लागू है, प्रावधान करता है कि खजाना अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सस्वीकृत सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान करने के लिए सरकार से दावों को वहन करने के लिए धन के आहरण की अनुमति प्रदान कर सकता है। आगे, पंजाब वित्तीय नियमों (पी.एफ.आर.) खंड-1 का नियम 2.10 (ख) 5 प्रावधान करता है कि खजाने से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक यह तुरंत संवितरण के लिए अपेक्षित न हो तथा कि खजाने से उन कार्यो के निष्पादन के लिए अग्रिमों का आहरण अनुमत्य नहीं है जिनकी पूर्णता पर काफी समय लगने की संभावना हो। वित्त विभाग ने भी विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन से आगे निधियां रखने तथा निधियों को अवरोधन की स्वीकृति नहीं दी (फरवरी 2009)।

लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी तथा मई 2012 के मध्य) यह देखा गया कि पांच[5] विभागों ने छ: सोसाइटियों[6] को 2005-06 से 2010-11 ***(परिशिष्ट 4.2)*** के दौरान ₹ 228.38 करोड़ की राशि की निधियां हस्तांतरित की, जोकि एजूसैट के द्वारा शिक्षा देने, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के संवर्धन, बागवानी के विकास तथा रिन्यूवेबल ऊर्जा तथा चालकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा यातायात अनुसंधान के लिए पंजीकृत थी। इन विभागों के बजटीय आबंटनों में से हस्तांतरित की गई ये निधियां सोसाइटियों को न तो सहायतानुदान के संबंध में थी और न ही ऋणों के रूप में तथा ये खजाना नियमों के नियम 15 (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निकट भविष्य में सरकार से दावों को वहन करने के लिए भी प्रदत्त नहीं की गई थी। अत: सोसाइटियों को निधियों का हस्तांतरण नियम-विरूद्ध था।

इस प्रकार, आहरित राशियां, संबंधित विभागों के संबद्ध लेखाशीर्षो के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाई गई थी, जबकि वास्तव में राशियां इन सोसाइटियों द्वारा पूर्णतया खर्च नहीं की गई थी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इन सोसाइटियों के बैंक खातों में अव्ययित पड़ी थी। सोसाइटियों ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सावधि जमाओं तथा बचत बैंक खातों में ₹ 75.36 करोड़ रखे जो न केवल पी.एफ.आर. के नियम 2.10 (ख) 5 के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के विरूद्ध था।

आगे, पीएफ.आर. का नियम 2.32 (क) प्रावधान करता है कि नियंत्रण अधिकारी को वित्तीय कार्यवाहियों में त्रुटियों एवं अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए आंतरिक जांच प्रणाली के प्रावधानों की पर्याप्तता हेतु स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। यह अवलोकित किया गया कि यद्यपि इन छ: सोसायटियों में से चार[7] विभागीय अधिकारियों के सीधे नियंत्रणाधीन थी किंतु इन सोसाइटियों द्वारा किए गए व्यय पर नियंत्रण अथवा मानीटर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। यह पाया गया था कि उत्कर्ष सोसाइटी ने आपूर्तिकर्ताओं से/खजाने से रिफंड के रूप में ₹ 44.62 करोड़ की राशि प्राप्त की, जैसा ***परिशिष्ट 4.3*** में इंगित किया गया है, जो सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी किंतु पृथक बैंक खाते में रखी गई थी। सोसायटी ने वित्त विभाग से कोई अनुमोदन प्राप्त किए बिना इस राशि में से 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 20.34 करोड़ उपयोग किए।

सोसाइटियों को निधियों का हस्तांतरण तथा उसे सरकारी लेखाओं से बाहर रखने के परिणामस्वरूप खजाना नियमों के नियम 15 (क), पी.एफ.आर. के नियम 2.10 (ख) 5 एवं 2.32 क तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन कर इसे नियम-विरूद्ध बना दिया। आगे, इन

5 (i) शिक्षा, (ii) श्रम, (iii) बागवानी, (iv) नवीकरण ऊर्जा तथा (v) परिवहन।

6 (i) हरियाणा में अध्ययन के पुनरभिमुखीकरण हेतु ज्ञान प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग (उत्कर्ष), (ii) राज्य कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) स्वास्थ्य देखभाल सोसाइटी हरियाणा, (iii) हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी (एच.एस.एच.डी.ए.), (iv) हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (एच.ए.आर.ई.डी.ए.), (v) अशोक लेलैण्ड ड्राईवर प्रशिक्षण संस्थान की सोसाइटी (एस.ए.एल.डी.टी.आई.)।

7 (i) उत्कर्ष, (ii) ई.एस.आई. स्वास्थ्य देखभाल सोसायटी हरियाणा, (iii) एच.एस.एच.डी.ए. तथा (iv) एच.ए.आर.ई.डी.ए.।

सोसायटियों द्वारा निधियों का प्रयोग न किए जाने से, उन्हें निधियां जारी करने के उद्देश्य पूर्णता प्राप्त नहीं किए जा सके।

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग ने नवंबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि इस मामले पर वित्त विभाग ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए (फरवरी 2009) थे जिनका भविष्य में अनुसरण किया जाएगा।

मामला हरियाणा सरकार के श्रम, परिवहन, कृषि तथा नवीकरण ऊर्जा विभागों के अपन-मुख्य सचिवों तथा प्रधान सचिवों को भी संदर्भित किया गया था, किंतु उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2013)।

4.2 औचित्य लेखापरीक्षा/अनुचित व्यय

सार्वजनिक निधियों से व्यय का प्राधिकरण, सार्वजनिक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित किया जाना होता है। व्यय करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता प्रवर्तित करने की आशा की जाती है जैसा सामान्य ज्ञान का एक व्यक्ति अपने निजी धन के संबंध में करेगा तथा प्रत्येक कदम पर वित्तीय औचित्य एवं कड़ी मितव्ययिता प्रवर्तित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अतिरिक्त व्यय के उदाहरण पता लगाए हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत् हैं:

विधायी विभाग (हरियाणा विधान सभा)

4.2.1 मुफ्त यात्रा सुविधा के भुगतान में अनियमितताएं

अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए ₹ 1.22 करोड़ की राशि आहरित की गई।

हरियाणा विधान सभा (सदस्यों के भत्ते तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 (1) विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त यात्रा सुविधा हेतु प्रावधान करती है जो उसे (उसके पारिवारिक सदस्यों सहित) परिवहन के किसी भी साधन के माध्यम से भारत अथवा भारत के बाहर किसी स्थान की यात्रा करने तथा ₹ दो लाख प्रतिवर्ष तक सीमित की गई प्रतिपूर्ति के लिए हकदार बनाती है। आगे, हरियाणा विधान सभा सदस्य (मुफ्त पारगमन) नियम, 1976 का नियम 3 प्रावधान करता है कि एम.एल.एज (उसके पारिवारिक सदस्यों सहित) द्वारा की गई यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, धन के उपयोग के संबंध में 'मात्र विवरणी' प्रस्तुत करने पर सदस्यों को की जाएगी।

सचिव, विधान सभा हरियाणा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान (जनवरी तथा फरवरी 2012) राज्य की 11वीं तथा 12वीं विधान सभा के एम.एल.एज को मुफ्त यात्रा सुविधा दावों के भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी:

(क) उसी अवधि के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा तथा यात्रा भत्ता दोनों का भुगतान

हरियाणा विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) नियम 1976 का नियम 9 प्रावधान करता है कि विधान सभा के सदस्य (एम.एल.एज) विधान सभा के सत्र अथवा समिति के बैठक में भाग लेने के प्रयोजन हेतु अथवा कर्त्तव्यों के साथ संबद्ध स्पीकर के आदेशों के अंतर्गत किसी अन्य बिजनेस में भाग लेने के प्रयोजन हेतु सदस्य के रूप में उसके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां सत्र अथवा बैठक आयोजित की जाती है अथवा अन्य बिजनेस संपादित किया जाता है, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा के लिए तथा ऐसे स्थान से उनके सामान्य निवास स्थान तक वापसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता (टी.ए.) का दावा करने के लिए हकदार हैं।

हरियाणा विधान सभा (एच.वी.एस.) के पन्द्रह सदस्यों ने उसी अवधि, जिसके दौरान उन्होंने देश में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 23.20 लाख की राशि का दावा किया था, के लिए यात्रा भत्ता (टी.ए.) बिल प्रस्तुत किए। उसी अवधि/तिथियों के लिए टी.ए. तथा मुफ्त यात्रा सुविधा दावों दोनों का भुगतान नियमानुसार नहीं था। इस प्रकार, ***परिशिष्ट 4.4*** में दिए गए विवरणानुसार मुफ्त यात्रा सुविधा के कारण इन सदस्यों को ₹ 23.20 लाख की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

सचिव, हरियाणा विधान सभा ने 28 सितंबर 2012 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि मुफ्त यात्रा सुविधा के अंतर्गत यात्रा के लिए ₹ 0.21 लाख का अतिरिक्त भुगतान एक एम.एल.ए. (श्री अनिल विज) से वसूल कर लिया गया था तथा शेष 14 एम.एल.एज के संबंध में लेखन-अशुद्धि थी क्योंकि शब्द ''मेरे द्वारा की गई यात्रा'' संबंधित एम.एल.एज द्वारा उनके दावे प्रस्तुत करते समय प्रमाण-पत्र में काटा नहीं गया था, क्योंकि वास्तविक यात्राएं उनकी पत्नियों अथवा बच्चों द्वारा की गई थी। संबद्ध अभिलेखों के सत्यापन में इंगित किया कि बिल यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया था कि यात्रा एम.एल.ए. द्वारा की गई थी न कि उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा और इसी लिए दावा अनियमित है।

(ख) एक वर्ष में दो बार मुफ्त यात्रा सुविधा का भुगतान

मुफ्त यात्रा सुविधा प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ दो लाख तक ही स्वीकार्य थी परंतु लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 12वीं हरियाणा विधान सभा के लिए पुन: चुने गए 26 सदस्यों को सितंबर 2009 तथा मार्च 2010 के बीच मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई जबकि वे, अप्रैल 2009 से जुलाई 2009 के बीच 11वीं हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहते इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार संहिता के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए 26 सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.73 लाख का अधिक भुगतान हुआ जिसका विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में दिया गया है।

सितंबर 2012 को हुए एग्जिट सम्मेलन के दौरान हरियाणा विधान सभा के सचिव ने कहा कि मुफ्त यात्रा सुविधा केवल उन विधान सभा सदस्यों को एक ही वर्ष में दो बार दी गई थी जोकि नई विधान सभा में पुन: चुने गए थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि इन विधान सभा सदस्यों ने इस मुफ्त

यात्रा सुविधा का वित्तीय वर्ष 2009-10 में दो बार लाभ लिया था। इस पर, लेखापरीक्षा के मत से सहमत होते हुए सचिव ने कहा कि उक्त मामला उपचारी उपाय करने हेतु हरियाणा विधान सभा के स्पीकर के संज्ञान में लाया जायेगा।

(ग) मुफ्त यात्रा सुविधा के अधीन अनियमित भुगतान

सचिव, हरियाणा विधान सभा के अभिलेखों की नमूना-जांच (जनवरी तथा फरवरी 2012) से प्रकट हुआ कि अधिनियम में प्रतिवर्ष एक यात्रा करने के किए गए प्रावधानों की बजाय 2006 से 2009 के मध्य 24 विधान सभा सदस्यों तथा उनके परिवारों ने एक से अधिक बार मुफ्त यात्राएं कीं। मुफ्त यात्रा सुविधा के अधीन उन्होंने अपने द्वारा व्यय किए गए खर्चों की प्रतिपूर्तिक दावे एक से अधिक बार किए और एक वर्ष में अपनी एक यात्रा के बाद की यात्राओं ***(परिशिष्ट 4.6)*** के लिए ₹ 47.61 लाख आहरित किए। जैसे कि अधिनियम की धारा 7 में प्रतिवर्ष विधानसभा सदस्य और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक यात्रा के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लेने का प्रावधान है न कि एक ही वर्ष में एक से अधिक यात्राओं के लिए, इसलिए एक ही वर्ष में उन्हीं विधानसभा सदस्यों द्वारा एक यात्रा के पश्चात् की गई यात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत करना अनियमित है। इनमें से 12 विधान सभा सदस्यों ने मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए एक ही दिन में 3 से 32 दिन तक औसतन 500 कि.मी. से 1214 कि.मी. ***(परिशिष्ट 4.7)*** तक की दूरी की यात्राएं की। इन प्रस्तुत किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण संलग्न न होने से लेखापरीक्षा में दावों की वैधता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

इस मामले में इंगित करने पर हरियाणा विधान सभा सचिव ने जून 2012 में सूचित किया कि विधान सभा सदस्य तथा उन पर निर्भर पारिवारिक सदस्य भारत में अथवा भारत के बाहर किसी भी स्थान तक की यात्रा के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने और एक से अधिक बार की गई यात्राओं के व्यय की प्रतिपूर्ति पाने के हकदार हैं और नियमों में इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में 'बार-बार की गई यात्राओं' जैसे शब्दों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसमें ऐसी 'यात्रा' पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का उल्लेख है न कि 'यात्राओं' पर।

इसके अतिरिक्त, आदान एवं संवितरण और नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.10) में निहित सामान्य सिद्धांत एवं प्रतिबंध हरियाणा पर भी लागू होते हैं जिनके अनुसार राज्य के राजस्व से व्यय करने अथवा व्यय को स्वीकृति प्रदान करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राधिकारियों को ऐसे आदेश जिनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनको स्वयं लाभ मिलता हो, को पारित करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे भत्ते, जैसे यात्रा जो कि विशेष तरह के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिए जाते हैं को इस तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए कि यह प्राप्तकर्ता के लिए कुल मिलाकर लाभ का स्रोत न बने।

लेखापरीक्षा ने आगे यह अवलोकित किया कि उपर्युक्त नियमों को विधान सभा द्वारा इस ढंग से बनाया गया था कि मुफ्त यात्रा सुविधा के प्रावधान उसके अपने सदस्यों के लिए लाभ का साधन सिद्ध हों और ये प्रावधान वित्तीय औचित्य की भावना के विरूद्ध थे। किसी भी तरह के व्यय की

प्रतिपूर्ति को पारित करने के लिए उदाहरण के लिए यात्रा संबंधी दावे, भुगतान हेतु पारित किए जाने के लिए खजाना अधिकारी द्वारा विश्वास किए जाने हेतु बिल अथवा वाउचरों का होना जरूरी है। मूल दस्तावेजों जैसे कि बिल अथवा वाउचरों के स्थान पर 'केवल विवरणी' का उपयोग, ऐसे दावों को शासित करने वाले खजाना नियमों की भावना के विपरीत है। क्योंकि 'केवल विवरणी' के आधार पर व्ययों की प्रतिपूर्ति वित्तीय औचित्य के भी विरूद्ध थी, व्यय किए गए ऐसे खर्च को लेखापरीक्षा में वाउचर से सुरक्षित नहीं माना जा सकता और जाली दावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बाद में की गई यात्राओं के लिए ₹ 47.61 लाख का आहरण अनियमित था।

28 सितंबर 2012 को हुए एग्जिट सम्मेलन के दौरान हरियाणा विधान सभा के सचिव ने कहा कि मामला पुर्नविचार तथा नियमों में यथोचित संशोधन हेतु माननीय हरियाणा विधान सभा के स्पीकर के संज्ञान में लाया जायेगा।

न्याय प्रशासन विभाग (महा अधिवक्ता)

4.2.2 विधि अधिकारियों का दोषपूर्ण चयन

बिना वर्कलोड के आकलन और बिना आवेदन मांगने के विधि अधिकारियों को काम पर रखे जाने से ₹ 2.22 करोड़ का बेवजह भुगतान हुआ।

हरियाणा सरकार की ओर से विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों तथा कमीशनों में विधिक केस लड़ने के लिए न्याय प्रशासन विभाग हरियाणा सरकार का अतिरिक्त मुख्य सचिव निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुबंध आधार पर भिन्न-भिन्न हैसियत में विधि अधिकारियों को लगाता है।

इन विधि अधिकारियों को सौंपे गए कार्य तथा इनके द्वारा वास्तव में किए गए कार्य के सत्यापन हेतु महा अधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय में अनुरक्षित रिकार्ड में से रैंडम ढंग से किए गए चयन के आधार पर दिसंबर 2009 से जनवरी 2012 के बीच के छः माह[8] के दैनिक ड्यूटी रजिस्टर, वैटिंग रजिस्टर व न्यायालय की केस सूची के पूर्ण रिकार्ड की मई 2012 में नमूना-जांच की गई तथा निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः-

- अनुबंध आधार पर रखे गए विधि अधिकारियों को सौंपे गए कार्य के मूल्यांकन की कोई निर्धारित विधि नहीं थी। चंडीगढ़ में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों में पैरवी के लिए लगाए गए विधि अधिकारियों की संख्या दिसंबर 2009 में 98 से बढ़कर जनवरी 2012 में 179 हो गई थी जबकि इसी अवधि में जिन न्यायालयों में इन अधिकारियों को केसों की पैरवी करनी थी, उनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं आया था।
- विधि अधिकारियों को बिना विज्ञापन दिए अथवा व्यापक प्रचार के रखा गया।

[8] दिसंबर 2009, अगस्त 2010, नवंबर 2010, मार्च 2011, नवंबर 2011 तथा जनवरी 2012

- नमूना-जांच किए गए महीनों में, औसतन 50 प्रतिशत से अधिक विधि अधिकारी बिना कार्य के ही रहे। जैसा कि **तालिका – 2** में ब्यौरा दिया गया है, दिसंबर 2009 में खाली बैठे विधि अधिकारियों का औसत प्रतिशत कुल उपलब्ध संख्या के विरूद्ध 54 से बढ़कर जनवरी 2012 में 78 हो गया था। विभाग द्वारा इन विधि अधिकारियों को सौंपे गए कार्य की मानीटरिंग नहीं हो रही थी।

खाली बैठे विधि अधिकारियों (एलॉओ) एवं उन्हें बिना कार्य दिए गए वेतन का विवरण

माह	काम पर रखे एल.ओ. की संख्या	माह में उपलब्ध कार्य दिवस (न्यायालय अवकाश तथा छुट्टियों को छोड़कर)	माह के खास दिनों पर बिना कार्य रहे एल.ओ. की औसत संख्या	खाली रहे एल.ओ. की प्रतिशतता	उन एल.ओ की संख्या जो पूरा माह खाली रहे	पूरे माह खाली रहने पर भी एल.ओ. को भुगतान किए गए वेतन की कुल राशि (₹ में)
दिसंबर 2009	98	11	54	55	20	10,33,872
अगस्त 2010	137	21	70	51	27	19,40,983
नवंबर. 2010	151	18	100	66	42	30,88,534
मार्च 2011	153	22	97	63	58	42,21,554
नवंबर 2011	169	21	123	73	63	49,51,868
जनवरी 2012	179	20	140	78	87	69,48,786
विधि अधिकारियों को बिना कोई कार्य सौंपे, वेतन का किया गया कुल भुगतान।						**2,21,85,597** *अर्थात्* **₹ 2.22 करोड़**

(स्रोतः – महा अधिवक्ता के कार्यालय में अनुरक्षित दैनिक डयूटी रोस्टर तथा वैटिंग रजिस्टर)

- नमूना-जांच किए गए महीनों में, 20 से 87 तक की संख्या में विधि अधिकारी ऐसे थे जिन्हें पूरे माह कोई कार्य नहीं सौंपा गया जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवरणानुसार इन विधि अधिकारियों को छः माह तक खाली बैठने पर ₹ 2.22 करोड़ के वेतन का बेवजह भुगतान हुआ।

जनवरी 2012 में, कुल कार्यरत 179 विधि अधिकारियों में से औसतन 140 को कोई भी कार्य नहीं सौंपा गया और 87 विधि अधिकारी पूरे माह ही खाली रहे थे। यद्यपि बाद में विभाग ने जून 2012 में 26 विधि अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधि अधिकारियों को, बिना यह देखे कि विभाग में कितना कार्य है और उसके लिए कितने अधिकारियों की आवश्यकता होगी, कार्य पर रख लिया गया। इन विधि अधिकारियों को कार्य पर लगाने से पूर्व, इस तरह का कोई निर्धारण नहीं किया गया।

इस मामले पर, 23 अक्तूबर 2012 को हुई एक एग्जिट कान्फ्रेंस में न्यायिक विभाग के प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान ऐसा कहा गया कि कितना कार्य है इसी आधार पर खाली पदों का निर्धारण किया जाये, ऐसे दिशा निर्देश होने चाहिए और विधि अधिकारियों का चयन पारदर्शी ढ़ंग से किया जाये। विभाग को विधि अधिकारियों की बेकारी की उच्च प्रतिशतता के बारे में संदेह था और उसने जवाब में कहा (नवंबर 2012) कि यद्यपि आमतौर से एक से अधिक विधि अधिकारियों के दल को कार्य सौंपा जाता था परंतु दैनिक डयूटी रोस्टर में केवल एक ही विधि अधिकारी के नाम का उल्लेख किया जाता था। आगे यह

कहा गया कि ये विधि अधिकारी कई तरह के ड्यूटी कार्य करते थे जैसे किन्हीं विशिष्ट मामलों के लिए कानून में खोज/शोध करना, नवीनतम केस लॉ की सामान्य अपडेटिंग, वास्तविक एवं विधिक नोट्स तैयार करना, संक्षेप अथवा निर्णयों का सार संग्रह तैयार करना इत्यादि। यद्यपि, इन सौंपे गए कार्यों का रिकार्ड रखने की जरूरत अथवा अनिवार्यता को महसूस नहीं किया गया क्योंकि संबंधित विधि अधिकारी उन्हें सौंपे गए केसों के संबंध में सभी कार्य करने के लिए उत्तरदायी थे।

विभाग की यह धारणा कि दैनिक ड्यूटी रोस्टर में टीम के सारे सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एग्जिट सम्मेलन के बाद पुन: सत्यापन करने पर पाया गया कि जहां पर किसी टीम को किसी विशेष कार्य के लिए लगाया गया था वहां पर टीम के सभी सदस्यों के नामों का उल्लेख था।

इस प्रकार, कार्य की प्रमात्रा का बिना निर्धारण किए आवश्यकता से अधिक विधि अधिकारी रखने एवं किसी स्पष्ट तथा पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाए जाने के फलस्वरूप, न केवल 50 प्रतिशत विधि अधिकारी खाली रहे बल्कि इस वजह से ₹ 2.22 करोड़ के वेतन का बेवजह भुगतान हुआ।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

4.2.3 सड़क के एक ही भाग के पुनर्निर्माण पर परिहार्य व्यय

सड़क के एक ही हिस्से को चौड़ा करने और संवर्द्धन करने पर लोक निर्माण विभाग तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड द्वारा व्यय करने से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारत सरकार, जहाजरानी, सड़क यातायात एवं राजमार्ग (एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच.) ने ''सोनीपत-खरखोदा-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क जिसमें सांपला कस्बे में झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक 0 से 1.685 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल था'' को चौड़ा करने एवं संवर्द्धित करने के निर्माण कार्य को केंद्रीय सड़क निधि के अधीन ₹ 3.80 करोड़ में कराने की प्रशासनिक मंजूरी दी (अगस्त 2007)। अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) रोहतक सर्कल, रोहतक ने नवंबर 2007 में निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् दिसंबर 2007 में एक एजेंसी (मै. गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी) को 3 सड़कों के पैकेज[9] जिसमें सांपला कस्बे में झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक का हिस्सा भी शामिल था, 9 माह की अवधि में ₹ 11.11 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ करने के लिए निर्माण कार्य को आबंटित किया। इस एजेंसी ने मार्च 2009 में ₹ 11.11 करोड़ की

[9] सड़कें चौड़ी एवं संवर्द्धित की जानी थी:

i पुराने रोहतक से दिल्ली रोड़ दो लेन से चार लेन करना।

ii सोनीपत-खरखोदा-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क (सांपला कस्बे में 0 से 1.685 कि.मी. की लंबाई की झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक की सड़क सहित)।

iii सांपला शहर में रेलवे सड़क।

लागत पर निर्माण कार्य को पूर्ण कर दिया, जिसमें उपर्युक्त सड़क के निर्माण पर किया गया ₹ 2.43 करोड़ का व्यय शामिल था। ठेके की शर्तों के अनुसार, इस एजेंसी को निर्माण कार्य पूर्ण होने की दिनांक अर्थात् मार्च 2009 से 2 वर्ष के दौरान इस सड़क में हुई क्षतियों की मरम्मत के व्यय को वहन करना था और इस सड़क की 5 वर्ष तक देखरेख करनी थी।

जुलाई 2011 में, कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) प्रोविशयल मंडल नं. 1, रोहतक के अभिलेखों की नमूना-जांच में यह देखा गया कि यद्यपि यह निर्माण कार्य मैं0 गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा था, परंतु हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आर.डी.सी.) ने मई 2008 में निर्माण कार्य ''दो सड़कों[10] को चौड़ाकर सुधार करने, संवर्द्धित करने पुन: निर्माण करने, ऊपर उठाने इत्यादि का कार्य'' एक अन्य एजेंसी (मैं. यूनिटी बी.बी.इ.एल. ज्वाइंट वैंचर) को ₹ 240.44 करोड़ में आबंटित कर दिया था। यह कार्य अभी चल ही रहा था और फरवरी 2011 तक ₹ 120.07 करोड़ का व्यय इस पर किया जा चुका था। रिकार्ड की आगे जांच से प्रकट हुआ कि 52.02 कि.मी. से 53.705 कि.मी. के बीच पड़ने वाला सोनीपत-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क एस.एच.-20 का भाग) 0 से 95.150 कि.मी. का हिस्सा सोनीपत-खरखोदा-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क (सांपला कस्बे में झज्जर चौक से रेलवे फाटक तक का 0 से 1.685 कि.मी. का भाग) वाला हिस्सा ही था, जिसको चौड़ा कराने तथा संवर्द्धन का कार्य कार्यकारी अभियंता, प्रोविसियल मंडल नं 1, रोहतक द्वारा दिसंबर 2007 तथा मार्च 2009 के बीच कराया गया था और यह ठेके के अनुच्छेद 1.1 और 35 के अनुसार सड़क को होने वाली क्षति के प्रति ठेकेदार की दायित्व अवधि के अधीन था। एच.एस.आर.डी.सी. ने मई 2008 तथा सितंबर 2010 के बीच सड़क के इस हिस्से को चौड़ा करने एवं संवर्द्धित करने के लिए ₹ 1.07 करोड़ का भुगतान किया था। 52.02 कि.मी. से 53.370 कि.मी. अर्थात् 0.370 कि.मी. लंबी विटुमन परत के कारण केवल ₹ 4.44 लाख ही मार्च 2011 तक वसूल किए गए थे और सड़क के शेष हिस्से के लिए दिसंबर 2012 तक कोई वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार सड़क के पहले से चौड़े और संवर्द्धित हो चुके हिस्से पर एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा किए गए (₹ 1.07 करोड़ घटा ₹ 0.04 करोड़) ₹ 1.03 करोड़ के व्यय को बचाया जा सकता था।

इस बारे में जुलाई 2011 में इंगित करने पर ई.ई. प्रोविंसियल मंडल नं 1 रोहतक ने नवंबर 2011 में सूचित किया कि एच.एस.आर.डी.सी. को सड़क के हो चुके हस्तांतरण संबंधी तथ्य के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर, एच.एस.आर.डी.सी. ने जनवरी 2012 में कहा कि निर्माण कार्य लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) द्वारा तैयार की गई विस्तृत प्रोजेकट रिपोर्ट के आधार पर कराया गया था। इन जवाबों से यह स्पष्ट होता है कि लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) द्वारा तैयार की गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कराया गया था। इन जवाबों से यह स्पष्ट होता है कि लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) के अधीन काम करने के बावजूद लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) तथा एच.एस.आर.डी.सी. के बीच तालमेल की कमी थी।

लो.नि.वि. (भवन व सड़कें) के प्रधान सचिव के साथ नवंबर 2012 में हुई एग्जिट कान्फ्रेंस में इंजीनियर-इन-चीफ ने कहा कि प्रथम निर्माण कार्य में ई.ई. प्रोविसियल मंडल नं. 1 रोहतक ने

[10] (i) सोनीपत-सांपला-झज्जर-दादरी सड़क (एस.एच.-20 का भाग) 0 से 95.150 कि.मी. तथा
(ii) गुड़गांव-फर्रूखाबाद-झज्जर सड़क (राज्य राजमार्ग 15-क)।

सड़क का दिन प्रतिदिन होने वाला रख-रखाव का कार्य ही किया था जबकि एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा कराए गये द्वितीय निर्माण कार्य में अधिक उम्दा विशिष्टियों के साथ पूरी सड़क को चौड़ा तथा संवर्द्धित किया गया था। विभाग का यह विचार स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रथम निर्माण कार्य केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) स्कीम के अधीन पहले से मौजूद कैरिज-वे को चौड़ा करने और संवर्द्धित करने सहित पूर्ण एम.ओ.आर.टी. एंड एच विशिष्टियों के साथ एम.ओ.आर.टी. एंड एच., भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत किया गया था जिसमें बाद में कराए गए निर्माण कार्य जैसी ही बिटुमन माकादम, टैककोट तथा प्रिमिक्स कारपैट की विशिष्टियां शामिल थी। इस प्रकार किए गए इस निर्माण कार्य की क्षति होने पर ठेकेदार के दायित्व की अवधि अभी रहती थी जिसके लिए लो.नि.वि. (भ. व स.) की दोनों निर्माण कार्य कराने वाली इन एजेंसियों के बीच कोई तालमेल नहीं था।

इस प्रकार, लो.नि.वि. (भ. व स.) की दो निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल के अभाव, जिसके कारण उन्होंने एक ही सड़क के 6 माह की अवधि के भीतर ही दो बार चौड़ा करने एवं संवर्द्धित करने की अनदेखी की जिसकी वजह से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

4.2.4 महंगी सामग्री के क्रय पर परिहार्य व्यय

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ने कम लागत वाली निम्न कार्बन वाली गल्वेनाइज्ड केज टाईप की वायर वाऊंड (एल.सी.जी.) स्क्रीनों के स्थान पर उच्च लागत वाली लोहे के केज टाईप की वायर वाऊंड (एस.एस.) स्क्रीनें खरीदीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

पंजाब वित्तीय नियम (जो कि हरियाणा पर लागू होते हैं) के (नियम 15.2) के अनुसार भण्डारण योग्य वस्तुओं की खरीद सबसे अधिक किफायती ढंग से, सार्वजनिक सेवा की निश्चित जरूरतों के अनुरूप की जानी चाहिए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग के मुख्य अभियंताओं की, इंजीनियम-इन-चीफ (ई.आई.सी.) के सभापतित्व में अगस्त 2010 में हुई बैठक में सोच विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टयूबवैलों का जल्द खराब न होना मुख्यत: टयूबवैलों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली स्क्रीन के टिकाउपन पर निर्भर करता है। इस तर्क के साथ कि एस.एस. स्क्रीन को जंग नहीं लगेगा और फिल्टर की जगह में भी कमी नहीं आयेगी, टयूबवैलों की बोरिंग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निम्न कार्बन वाली गल्वेनाइज्ड केस टाईप की वायर वाऊंड (एल.सी.जी.) के स्थान पर स्टेनलैस स्टील केज टाईप वी वायर (एस.एस.) स्क्रीन खरीदने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व ई.आई.सी. ने सितंबर 2009 में अंबाला, करनाल, सोनीपत तथा गुड़गांव पी.एच.ई. सर्कलों से वहां पहले ही प्रयोग की जा रही एल.सी.जी. स्क्रीनों की परफोरमेंस के बारे में वहां के अधीक्षक अभियंताओं (एस.ई.) से उनकी टिप्पणी मांगी थी। परंतु उनकी टिप्पणियों के प्राप्त होने से पूर्व ही ई.आई.सी. ने पी.एच.ई.

मंडल नं. 2 फरीदाबाद एवं पी.एच.ई. मंडल सोहना के लिए दिसंबर 2010 में 922[11] मीटर पाईपों की आपूर्ति के आदेश दे दिए।

आदेशों के क्रियान्वयन के दौरान, पी.एच.ई. सर्कल, गुड़गांव के एस.ई. ने जनवरी 2011 में ई.आई.सी. को बताया कि सोहना तथा फरीदाबाद क्षेत्रों के टयूबवैल तीन से छः वर्ष के लिए ओर सुचारू रूप से कार्य कर सकते थे और ऐसे में कम लागत वाली एल.सी.जी. स्क्रीन के स्थान पर अधिक लागत वाली एस.एस. स्क्रीन बदलने का कोई फायदा नहीं है। एल.सी.जी. स्क्रीन की कीमत ₹ 4,572.95 प्रति मीटर थी जबकि एस.एस. स्क्रीन ₹ 14,251.50 प्रति मीटर की दर से खरीदी गई। इन स्क्रीनों के मूल्यों में ₹ 9,678.55 प्रति मीटर का अंतर था। माल की आपूर्ति जनवरी 2011 में की गई और ₹ 1.30 करोड़ का भुगतान मार्च 2011 में किया गया। इन मंडलों को आपूर्तित 922 मीटर पाईप में से इन मंडलों द्वारा 509 मीटर पाईप का टयूबवैलों में प्रयोग किया गया (जनवरी 2013)।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.), जल-संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2007 में कराए गए अध्ययन में प्रकट हुआ कि गुड़गांव जिले के फरीदाबाद एवं सोहना क्षेत्र में टयूबवैलों के बार-बार खराब हो जाने के मामले आम थे। टयूबवैल अधिकतम 4 से 5 वर्ष तक ही ठीक रहते थे और जल के डिस्चार्ज में कमी के कारण बेकार हो जाते थे अथवा जल गाद भरा हो जाता था। टयूबवैलों के दीर्घ समय तक न चलने के पीछे एक रासायनिक क्रिया कारण बनती है जिसे पपड़ी चढ़ाना कहा जाता है। जल, स्क्रीन की सतह तथा स्क्रीन के बाहरी ओर बिल्कुल साथ ही संघटन के छिद्रों पर खनिज पदार्थो को जमा करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार स्क्रीन के द्वार और स्क्रीन के बाहर की ओर बिल्कुल साथ ही संघटन के छिद्रों के बंद होने की वजह से टयूबवैलों से पानी के निकलने में कमी आ जाती है। इन क्षेत्रों में जल की पी.एच.[12] 7.5 से भी अधिक है, जिसके कारण टयूबवैलों का काम करना बंद कर देना आम बात है। पपड़ी चढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड ने टयूबवैलों को म्युरियटिक अम्ल से आवधिक उपचार करने की सिफारिश की थी। सी.जी.डब्ल्यू.बी. की रिपोर्ट के मद्देनजर एस.एस. स्क्रीन को निम्नतर करना सही नहीं था और इसकी बजाय पपड़ी जमने की समस्या को हल करने के लिए यथोचित उपाय किए जाने की आवश्यकता थी। ऐसे में विभाग द्वारा बिना मांग एवं उपयुक्तता का निर्धारण किए इतनी महंगी सामग्री को प्रयोग किए जाने का निर्णय लिए जाने से एस.एस. स्क्रीन की खरीद पर ₹ 89 लाख[13] का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

इस बारे में सितंबर 2011 में इंगित किए जाने पर ई.आई.सी. ने अक्तूबर 2011 में सूचित किया कि कुछ समय पश्चात् एल.सी.जी. स्क्रीन को जंग लग जाता था और फिल्टर की जगह कम हो जाती थी जिससे टयूबवैलों के जल निकालने में कमी आ जाती थी और अंततः वे बेकार हो जाते थे।

[11] पी.एच.ई. मंडल नं. 2 फरीदाबाद को 422 मीटर तथा पी.एच.ई. मंडल, सोहना को 500 मीटर।

[12] पी.एच. का अर्थ है ''हाइड्रोजन की क्षमता अथवा हाइड्रोजन की शक्ति''। पी.एच. वास्तव में हाइड्रोक्साईड आयनों (ओ.एच.) के प्रति हाइड्रोनियम आयनों (एच.3ओ.) का अनुपात।
किसी पी.एच. से उदासीन तरल में पी.एच. का 7 होता है जबकि अति तेज अम्लों में यह 1 के आसपास होता है तथा सबसे तेज क्षारों में पी.एच. की संख्या 14 के निकट होती है।

[13] ₹ 9678.55 (₹ 14,251.50-₹ 4,572.95)/मीटर X 922 मीटर = ₹ 8,923.623 अर्थात् ₹ 89 लाख।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उस क्षेत्र में टयूबवैलों में समस्या जंग लगने के कारण नहीं थी वरन् पपड़ी बनने के कारण थी और एल.सी.जी. स्क्रीन के बारे में क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए एल.सी.जी. स्क्रीन से कोई लाभकारी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और विभाग द्वारा पहले से प्रयोग में लाई जा रही स्क्रीन की बजाय मंहगी स्क्रीन खरीदे जाने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था तथा उसमें वित्तीय औचित्य की कमी थी।

इस विषय पर अगस्त 2012 में हुई एक एग्जिट कान्फ्रेंस में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव से चर्चा की गई जिसमें यह सूचित किया गया कि एल.सी.जी. स्क्रीन केवल पिछले दो से तीन वर्ष से प्रयोग में लाई जा रही थी, ऐसे में इन पाईपों की उपयुक्तता के बारे में अभी कोई अध्ययन नहीं किया गया था। प्रधान सचिव ने सूचित किया कि कुछ ही समय में इसका अध्ययन किया जायेगा एवं परिणामों के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। अंतिम जवाब की अभी प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2012)।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

4.2.5 चमक रहित गेहूं के प्रापण से हानि

कैथल और कुरूक्षेत्र के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों ने भारतीय खाद्य निगम के लिए चमक रहित गेहूं का प्रापण किया जिस वजह से उन्हें मिलने वाली धन वापसी राशि में से ₹ 1.46 करोड़ की कटौती की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ी।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भारतीय खाद्य निगम की ओर से केंद्रीय पूल के लिए भारत सरकार द्वारा निश्चित किए गए निम्नतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर उचित औसत गुण (एफ.ए.क्यू.) वाले अनाज का प्रापण करता है और उसे एफ.सी.आई. के निर्देशानुसार वितरित करता है। विभाग, भारत सरकार द्वारा नियत किए गए एम.एस.पी. के अनुसार बिल प्रस्तुत करता है और एफ.सी.आई. उसी अनुसार राशि का भुगतान करता है। विशिष्ट मौसमों के लिए भारत सरकार द्वारा एक जैसी विशिष्टियों के आधार पर अनाज की एफ.ए.क्यू. की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) एवं उसका स्टाफ उत्तरदायी हैं। रबी विपणन मौसम (आर.एम.एस.) 2009-10 के लिए सभी तरह के गेंहूं तथा जौ की खरीद हेतु एक समान विशिष्टियों में कहा गया है कि गेहूं प्राकृतिक आकार, संरचना, रंग एवं चमक वाला होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने दो जिलों[14] के रिकार्ड की सितंबर 2011 तथा फरवरी 2012 में की नमूना-जांच में पाया कि इन दोनों जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने आर.एम.एस. 2009-10 के लिए अप्रैल से मई 2009 के दौरान बिना चमक वाला 5,37,173 मीट्रिक टन गेहूं गुण में कमी[15] के कारण बिना मूल्य में कोई कमी किए खरीदा। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति ने जुलाई 2009 में भारत सरकार से

14 कैथल तथा कुरूक्षेत्र।

15 वर्षा की वजह से गेहूं की चमक की हुई हानि।

प्रार्थना की, कि वह एफ.सी.आई. को चमक रहित गेंहूं को स्वीकार करने की हिदायत दे। भारत सरकार ने सितंबर 2010 में, खरीदे गए गेहूं की गुणवत्ता में इस हद तक ढील दी कि 10 प्रतिशत तक प्रभावित दानों वाली गेहूं को बिना उसके मूल्य में किसी प्रकार की कमी किए स्वीकार कर लिया जाये और 11 से 49 प्रतिशत प्रभावित दानों वाली गेहूं को एक पूर्ण कीमत एम.एस.पी. पर एक चौथाई की कटौती करके स्वीकार किया जाये।

इन डी.एफ.एस.सी. ने जुलाई 2010 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान 11 से 49 प्रतिशत तक प्रभावित दानों वाले चमक रहित 69,714 मीट्रिक टन गेहूं की सुपुर्दगी दी। एफ.सी.आई. ने इन डी.एफ.एस.सी. को धन वापसी में से कटौती कर दावों में से ₹ 1.46 करोड़ की कटौती कर ली।

इस प्रकार, चमक रहित गेहूं के प्रापण मूल्य में किसी तरह की कटौती न करने से और एफ.सी.आई. , जिसकी ओर से गेहूं खरीदा गया था, से पहले ही अनुमति प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 1.46 करोड़ की हानि हुई।

सितंबर 2012 में हुई एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) ने कहा कि गेहूं का प्रापण, एफ.सी.आई. की सहमति के बाद ही किया गया था और यह कि उसी गुणवता वाला गेहूं अन्य जिलों द्वारा खरीदा गया एवं उसी की आपूर्ति की गई थी, जिसके लिए एफ.सी.आई. द्वारा मूल्य में कटौती नहीं की गई थी। आगे, ए.सी.एस. ने कहा कि इस मामले को एफ.सी.आई. के साथ पुन: विचार करने हेतु उठाया जायेगा ओर इस प्रकार प्रापण की धनराशि में से की गई कटौती को देने के लिए कहा जायेगा।

सरकार की मंशा को विभाग में उपलब्ध रिकार्ड से परिपुष्ट नहीं किया जा सका। मामले में आगे की गई कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 2012)।

परिवहन विभाग

4.2.6 बस चैसियों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

आपसी सहमति से निर्धारित कीमतों पर विचार किए बिना टाटा कंपनी की 337 बस चैसियों की खरीद करने से ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

भण्डार हेतु वस्तुओं के प्रापण के लिए सरकार ने जून 2010 में एक उच्च शक्ति प्राप्त खरीद कमेटी (एच.पी.पी.सी.) का गठन किया, राज्य के वित्त मंत्री जिसके अध्यक्ष बनाए गए। सभी सरकारी विभागों को ₹ 30 लाख से अधिक के सामान की खरीद के मांग पत्रों को प्रापण एवं प्रस्तावों को उच्च शक्ति प्राप्त कमेटी के विचार हेतु एवं खरीद के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए निदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डी.एस. एंड डी.) को प्रस्तुत करना था।

सरकार ने 20 रोड़वेज डिपो के लिए ''हरियाणा शक्ति'' किस्म की 673 बसों को खरीदने की मंजूरी दे दी। इन डिपो में से प्रत्येक 10 के पास मैसर्ज टाटा मोटर्स (टाटा) की तथा मैसर्ज अशोका

लेलैंड लिमिटेड (लेलैंड) की बसें थी। बस फ्लीट में वृद्धि करने के विचार से और बसों को उसी कंपनी की बसों से बदले जाने के लिए महानिदेशक राज्य परिवहन (डी.जी.एस.टी.) ने जून 2010 में इन दोनों बस निर्माताओं से बस चैसियों की खरीद हेतु कुटेशनें मांगी। जवाब में, टाटा और लेलैंड ने जून 2010 में क्रमश: ₹ 9.63 लाख एवं ₹ 9.77 लाख प्रति चैसी (उत्पाद शुल्क एवं वैट सहित) रेट दिए। डी.जी.एस.टी. ने प्रापण की संख्या कम करके टाटा की 241 बस चैसियां खरीदने का प्रस्ताव दिया जिस पर एच.पी.पी.सी. द्वारा 7 सितंबर 2010 को चर्चा की गई। टाटा द्वारा दिए गए रेट ज्यादा थे, इसीलिए एच.पी.पी.सी. ने लेलैंड को इस प्रतियोगिता में लाने के लिए ताजा एजेंडा नोट लेने का निर्णय लिया ताकि रेट के बारे में पुन: समझौता किया जा सके। तदनुसार, विभाग ने इन दोनों निर्माताओं से सितंबर 2010 में कुटेशनें ली। इस बार विभाग ने 673 बस चैसीओं की खरीद हेतु नवंबर 2010 में एच.पी.पी.सी. के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन निर्माताओं ने प्रति चैसी ₹ 9.31 लाख (टाटा) के तथा ₹ 9.85 लाख (ले-लैण्ड) के रेट दिए। एच.पी.पी.सी. ने इन निर्माताओं से समझौता कर टाटा से ₹ 9.31 लाख प्रति चैसी तथा ले-लैण्ड से ₹ 9.48 लाख प्रति चैसी की दर से 50:50 के अनुपात में 673 चैसियों की खरीद के लिए नवंबर 2010 में मंजूरी दे दी। विभाग ने दिसंबर 2010 में इन कंपनियों को क्रमश: टाटा की 337 बस चैसियों तथा ले-लैण्ड की 336 बस चैसियों के क्रय आदेश दे दिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मार्च 2011) कि डी.जी.एस.टी. के 2 सितंबर 2010 के पत्र के जवाब में मैसर्ज टाटा ने 3 सितंबर 2010 को अपने रेट ₹ 9.63 लाख से घटाकर ₹ 8.64 लाख कर दिए, जोकि मई 2010 में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (ए.पी.एस.आर.टी.सी.) द्वारा निश्चित किए गए रेट के समान थे परंतु ₹ 8.64 लाख की दर से नए प्राप्त रेट को प्रस्तुत करने की बजाय विभाग ने एच.पी.पी.सी. की 7 सितंबर 2010 को हुई बैठक में नए कोटिड रेट को ही माना और ₹ 9.63 लाख के रेट प्रस्तुत किए जिन्हें बहुत अधिक माना गया और निरस्त कर दिया गया। अन्तत: एच.पी.पी.सी. ने नवंबर 2010 में टाटा के ₹ 9.31 लाख के रेट को मंजूरी दे दी, जोकि 3 सितंबर 2010 को कोट किए गए रेट्स से ₹ 0.67 लाख अधिक थे।

विभाग ने एच.पी.पी.सी. के ध्यान में नई उद्रित दरों को न लाकर प्रति बस चेसिज ₹ 0.67 लाख का अतिरिक्त व्यय किया। एच.पी.पी.सी. से तथ्यों के छिपाव के परिणामस्वरूप 337 बसें उच्चतर दरों पर खरीदने पर ₹ 2.26 करोड़[16] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

29 अगस्त 2012 को आयोजित एग्जिट कांफ्रैस के दौरान परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि उस समय के डी.जी.एस.टी. के निर्णयानुसार, टाटा से केवल 241 बसों (673 के विरूद्ध) के प्रापण का प्रस्ताव एच.पी.पी.सी. को प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकृत नहीं किया गया। एच.पी.पी.सी. ने टाटा और लेलैंड दोनों से कोटेशन मांगने का निर्णय लिया। इसमें और समय लगा जिस दौरान टाटा द्वारा प्रस्तावित पहली दरें वापस ले ली गई तथापि, यह तथ्य, तथ्य ही रहा कि डी.जी.एस.टी. द्वारा नई उद्रित दरों को रोकने के कारण एच.पी.पी.सी. न्यायसंगत निर्णय लेने में असमर्थ थी और इसी वजह से ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

[16] प्रति बस ₹ 0.67 की दर से 337 बसें = ₹ 225.79 लाख अर्थात् ₹ 2.26 करोड़।

नगर और ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

4.2.7 पैट्रोल पंपों से पट्टा किराए की अवसूली

देय किराए की वसूली में चार संपदा अधिकारियों की विफलता के कारण तीन वर्षों बाद किराए में संशोधन, बाद में प्रस्थापित पैट्रोल पंपों के अतिरिक्त फिलिंग प्वाईंट के लिए किराए के अप्रभारण के कारण हुडा, ₹ 5.25 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) अधिनियम 1977 की धारा 15 (3) के अनुसार, प्राधिकरण नीलामी, आबंटन या अन्य किसी तरह, इससे संबंधित किसी भी भूमि या भवन को, विनियमों में प्रावधान की गई निबंधनों और शर्तों पर बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है।

हुडा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुडा द्वारा नमूना-जांच किए गए चार संपदा कार्यालयों[17] (ई.ओज) के अंतर्गत आने वाले गुड़गांव, पानीपत और सोनीपत के 11 पैट्रोल पंप स्थलों को पैट्रोल और डीजल प्रत्येक के एक फिलिंग प्वाईंट को मई 1995 और अगस्त 2002 की अवधि के दौरान, ₹ 5000 से ₹ 47,802 प्रतिमाह पर पट्टे पर दिया गया। आबंटन पत्रों में यह प्रावधान था कि यह दरें प्रथम पांच वर्षों के लिए लागू होंगी और प्रत्येक अतिरिक्त पैट्रोल/डीजल के फिलिंग प्लाईटस के लिए 12.5 प्रतिशत की अतिरिक्त दर पर मासिक किराया प्रभारित किया जाएगा। अक्तूबर 1997 में, हुडा ने नीति को संशोधित किया तथा प्रत्येक पैट्रोल पंप का पट्टा किराया प्रत्येक तीन वर्षों बाद 25 प्रतिशत से बढ़ाने का निर्णय लिया।

इन ई.ओज के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल-जून 2012) से प्रकट हुआ कि यद्यपि सर्वेक्षण करने के बाद हुडा ने पहचाना कि इन पैट्रोल पंपों में 130 अतिरिक्त फिलिंग प्वाईटस प्रस्थापित किए गए परंतु किसी अवस्था में अतिरिक्त पट्टा किराए के लिए कोई मांग नहीं उठाई गई और पैट्रोल पंपों के सभी आबंटियों से सामान्य किराए के भुगतान की ही मांग उठाई जा रही थी। यहां तक कि, नमूना-जांच किए ई.ओज में पैट्रोल पंपों का पट्टा किराया भी संशोधित नहीं किया गया था, जैसा कि नीति में अपेक्षित था। अतिरिक्त फिलिंग प्वाईटस के लिए किराए के अप्रभार के कारण हुडा अतिरिक्त राजस्व से वंचित रहा क्योंकि वसूलनीय राशि बढ़कर ₹ 5.25 करोड़ हो गई जैसा ***परिशिष्ट 4.8*** में विवरण दिया गया है।

हुडा के द्वारा पैट्रोल पंप मालिकों से ₹ 1.49 करोड़ के 'किराए की अवसूली' के बारे में मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार के अनुच्छेद 4.6.7 में उल्लेख किया गया था। यद्यपि, लोक लेखा समिति को हुडा द्वारा आश्वासन (नवंबर 2007) दिए जाने पर भी बकाया राशि वसूल करने के प्रयास नहीं किए गए थे। इस प्रकार, बकाया राशि को वसूल करने में संपदा अधिकारियों की विफलता ने हुडा को ₹ 5.25 करोड़ की राजस्व राशि से वंचित कर दिया।

[17] (i) संपदा अधिकारी-I, गुड़गांव (ii) संपदा अधिकारी-II, गुड़गांव (iii) संपदा अधिकारी-पानीपत तथा संपदा अधिकारी, सोनीपत।

प्रधान सचिव, नगर तथा ग्राम योजना विभाग ने इसके उत्तर में बताया (नवंबर 2012) कि सभी ई.ओज को मार्च 2013 तक पूरी राशि वसूल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

4.3 निरीक्षण/शासन की विफलता

लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार का दायित्व है जिसके लिए यह, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं मूलभूत संरचनाओं के उन्नयन इत्यादि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु कार्य करती है। फिर भी, लेखापरीक्षा ने उदाहरण अवलोकित किए जहां समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक परिसम्पत्तियां बनाने हेतु सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियां, अनिर्णयता, प्रशासनिक निरीक्षण तथा विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही की कमी के कारण, अप्रयुक्त/अवरूद्ध तथा/अथवा निष्फल सिद्ध हुई/अनुत्पादक पड़ी रही। ऐसे कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

शिक्षा विभाग

4.3.1 एजुसैट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठापित टर्मिनलों का अक्रियान्वयन

उत्कर्ष संस्था द्वारा मानीटरिंग के अभाव से एजुसैट कार्यक्रम के अधीन ₹ 90.59 करोड़ व्यय करके प्रतिष्ठापित 56 प्रतिशत टर्मिनल अक्रियाशील रहे। इसके अतिरिक्त, इसरो से उपकरणों की आपूर्ति नहीं हुई, आर.ओ.टीज की मरम्मत के लिए रखी गई निधियों का अवरोधन हुआ और 93 आर.ओ.टीज के पता ठिकाने उपलब्ध नहीं हो पाए।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के सहयोग से मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एम.एच.आर.डी. ने ऐजुसैट (शिक्षा के लिए एक समर्पित उपग्रह) के माध्यम से सभी स्तरों पर गुणक शिक्षा की विस्तृत पहुंच में सहयोग के लिए उपग्रह संपर्क नेटवर्क को समर्थ बनाने के लिए एक मुख्य परियोजना प्रारंभ की (सितंबर 2004)। प्रत्येक राज्य को एक हब और 10 सैटलाईट इंटरएक्टिव टर्मिनलज (एस.आई.टीज) जैसी मूल सामग्री इसरो द्वारा प्रदान की जानी थी। अतिरिक्त एस.आई.टीज और रिसीव ओनली टर्मिनल्ज (आर.ओ.टीज) का प्रापण राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। नीति निर्णय लेने और एजुसैट के प्रस्थापन के लिए रूपात्मकता की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों[18] की एक संचालन समिति गठित की (जून 2005) तथा विभिन्न शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, अनुसंधान कार्यक्रमों इत्यादि के लिए एजुसैट का प्रयोग करने के उद्देश्य से उत्कर्ष[19] (समिति) के नाम से एक संस्था पंजीकृत करवा ली। एम.एच.आर.डी., राज्य

[18] संचालन समिति के सदस्य: 1. हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव; वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, 2. विकास एवं पंचायतें, 3. कृषि, 4. महिला एवं बाल विकास, 5 स्वास्थ्य, 6. समाज कल्याण, 7. शिक्षा, 8. तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, 9. उच्च शिक्षा आयुक्त, 10. इसरो द्वारा नामित, 11. एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित।

[19] उत्कर्ष-हरियाणा में ज्ञान की उन्नति एवं अध्ययन की पुनर-अभिमुखता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

सरकार तथा इसरो के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (अप्रैल 2006) जिसके अनुसार इसरो को सरकारी प्राथमिक, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, बहुतकनीकी अभियांत्रिकी और प्रबंधन महाविद्यालयों, शिक्षा और प्रशिक्षण के जिला संस्थानों, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की राज्य कौसिल, मुख्यालयों इत्यादि में टर्मिनलों को आपूर्ति, प्रतिस्थापन और चालू करना था और तीन वर्षो की वारंटी अवधि अर्थात्, अप्रैल 2009 तक टर्मिनलों का संचालन करना था। हब और सभी रिसीविंग एंड के लिए लोकेशन की पहचान के लिए, प्रतिस्थापक के लिए स्थल तैयार करवाना, सूचियों की सुरक्षित सुपुर्दगी, यंत्रावली सृजित करना तथा उपकरणों को चलाने और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित मानवशक्ति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी।

उत्कर्ष समिति के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2012) से प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने इन विभागों द्वारा पहचाने गए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 10,992 टर्मिनलों के प्रतिष्ठापनों के लिए इसरो द्वारा दिए गए प्रोफार्मा इनवायस (बीजकों के विरूद्ध 2005-06 और 2007-08 के बीच ₹ 90.59[20] करोड़ (शिक्षा विभाग के तीन निदेशकों द्वारा ₹ 89.97 करोड तथा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 0.62 करोड़) का भुगतान किया यद्यपि, 10,818 टर्मिनल राज्य में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में मई 2006 और अक्तूबर 2008 के मध्य प्रतिस्थापित किए गए। शेष 174 टर्मिनलों में से (₹ 0.69 करोड़ मूल्य के) 81 आर.ओ.टीज और ओडियो उपकरण अभी इसरो द्वारा आपूर्ति किए जाने थे क्योंकि समिति ने स्थलों का विनिश्चय नहीं किया था (जून 2012) और (₹ 0.58 करोड़ मूल्य के) 93 आर.ओ.टीज़ का पता ठिकाना समिति द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। प्रणाली अल्पावधि के लिए कार्यात्मक रही और मार्च 2010 में इसरो द्वारा एजुसैट से इनसैट 4 सी.आर. को ट्रैफिक ट्रांसफर के कारण बंद हो गई। यद्यपि हब पर ट्रैफिक ट्रांसफर की क्रिया पूर्ण हो गई (मई 2010) परंतु रिसीविंग एंडस मार्च 2011 तक कार्यात्मक रही मार्च 2011 के बाद भारी संख्या मं टर्मिनल लघु त्रुटियों और लघु मरम्मत की आवश्यकता के कारण कार्यात्मक रहे।

प्रणाली को कार्यात्मक बनाने हेतु समिति ने जनवरी 2011 से एस.आई.टीज तथा आर.ओ.टीज की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए 21 कनिष्ठ अभियंताओं (जे.ईज) (प्रत्येक जिले के लिए एक जे. ई.) को नियुक्त किया। इन जे.ईज ने दौरा किया और मासिक तकनीकी रिपोर्ट एकत्र की। दिसंबर 2011 की रिपोर्ट ने प्रकट किया कि इन जे.ईज ने 10818 टर्मिनलों में से 8077 टर्मिनलों का दौरा किया और पाया कि 5221 (64 प्रतिशत) टर्मिनल त्रुटिपूर्ण यू.पी.एस., खराब बैटरियों, त्रुटिपूर्ण माईनर लिंक उपकरणों इत्यादि के कारण कार्यात्मक नहीं थे। जुलाई 2012 तक, दौरा किए गए 10,282 टर्मिनलों में से 5,779 टर्मिनल (56 प्रतिशत) छोटी मरम्मत और लघु उपकरणों की बदली की आवश्यकता से अकार्यात्मक थे। समिति इन उपकरणों के कार्यचालन को इतनी लंबी अवधि के लिए अर्थात् मई 2010 में अन्य सेटेलाईट को ट्रैफिक ट्रांसफर से मानीटर करने में विफल रही और सिस्टम को कार्यात्मक बनाने के लिए अनुकूल उपाय नहीं किए गए इस तथ्य के बावजूद कि टर्मिनलों को छोटी सी मरम्मत उपकरण इत्यादि की आवश्यकता थी जिसके लिए तकनीक अपेक्षाकृत साधारण थी तथा सीधे घर तक (डी.टी.एच.) प्रचालकों की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में

[20] निदेशक, उच्चतर शिक्षा (अक्तूबर 2005): ₹ 6.28 करोड़; निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (मार्च 2006 से अप्रैल 2007): ₹ 44 करोड़; निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (अप्रैल 2006 से नवंबर 2007): ₹ 39.69 करोड़ तथा निदेशक, तकनीकी शिक्षा: ₹ 0.62 करोड़।

उपलब्ध थी। इसने न केवल छात्रों को कार्यक्रम के अभीष्ट लाभों से वंचित रखा बल्कि इससे ₹ 47.01 करोड़ का निवेश भी अप्रयुक्त पड़ा रहा जैसा कि **तालिका – 3** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका – 3 जुलाई 2012 को अकार्यात्मक रहे टर्मिनलों का विवरण

उपकरण	प्रतिस्थापित टर्मिनल	दिसंबर 2011 में समिति द्वारा दौरा किए गए टर्मिनल	दिसंबर 2011 में अकार्यात्मक पाए गए	जुलाई 2012 में समिति द्वारा दौरा किए गए टर्मिनल	जुलाई 2012 में पाए अकार्यात्मक	अप्रयुक्त पड़े निवेश (₹ करोड़ में)
एस.आइ.टीज	512	373	328 (88 *प्रतिशत*)	430	341 (79 *प्रतिशत*)	10.71
आर.ओ.टीज	10,306	7,704	4,893 (63 *प्रतिशत*)	9,852	5,438 (55 *प्रतिशत*)	36.30
कुल	**10,818**	**8,077**	**5,221 (65 *प्रतिशत*)**	**10,282**	**5,779 (56 *प्रतिशत*)**	**47.01**

(स्रोतः समिति द्वारा आपूर्तित सूचना से संग्रहीत)

पांच जिलों[21] में 34 विद्यालयों में, समिति के जे.ईज के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा टर्मिनलों के किए गए भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि ये टर्मिनल छोटी मरम्मत, बैट्रीज/लिंक उपकरण की निष्क्रियता, विद्युत आपूर्ति की बाधा इत्यादि के कारण अकार्यात्मक थे और **तालिका 4** में सूचीकृत छः विद्यालयों में टर्मिनलों की स्थिति तकनीकी रिपोर्ट में दी स्थिति से भिन्न थी।

तालिका – 4 विद्यालयों के विवरण जहां भौतिक सत्यापन के दौरान टर्मिनल अकार्यात्मक पाए गए

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार स्थिति	भौतिक सत्यापन पर पाई गई वास्तविक स्थिति
1.	राजकीय प्राइमरी स्कूल (जी.पी.एस.) मीठापुर	अंबाला	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	पिछले तीन माह से अकार्यात्मक है क्योंकि उपकरणों की चोरी हो गई थी तथा तीन माह पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी।
2.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुस्तफाबाद	यमुनानगर	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले चार माह से अकार्यात्मक है।
3.	जी.पी.एस. थाना छप्पड़	यमुनानगर	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले एक वर्ष से अकार्यात्मक है।
4.	जी.पी.एस. गधौला	यमुनानगर	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले दो महीनों से अकार्यात्मक है।
5.	जी.पी.एस. जीटी पुर	जींद	ठीक है एवं कार्यात्मक है।	सिस्टम पिछले आठ महीनों से अकार्यात्मक है।
6.	जी.पी.एस. करखना	जींद	आई.डी. नं. 6332 के साथ एकल साईट तथा कार्यात्मक अवस्था में है।	दो साईट स्थापित की गई थी तथा दोनों ही एक वर्ष से अकार्यात्मक थी।

(स्रोत – भौतिक सत्यापन के दौरान संग्रहीत सूचना)

दो स्थल जो मासिक तकनीकी रिपोर्ट में सही और कार्यात्मक दर्शाए गए थे परंतु भौतिक सत्यापन के दौरान अकार्यात्मक पाए गए नीचे तस्वीरों में भी चित्रित किए गए हैं:

[21] अंबाला, जींद, पंचकूला, सिरसा तथा यमुना नगर।



सरकारी पब्लिक स्कूल, मीठापुर (अंबाला) में यू.पी.एस. और बैटरी चोरी हो जाने के कारण अकार्यान्मक आर.ओ.टी. की तस्वीर (26 अगस्त 2012) परंतु तकनीकी रिपोर्ट में कार्यात्मक दर्शाए गए।



सरकारी मॉडल स्कूल थाना छप्पर (यमुनानगर) में अर्कायात्मक आर.ओ.टी. की तस्वीर जे.ई. और मुख्य अध्यापक भी चित्रित हैं (27 अगस्त 2012) परंतु तकनीकी रिपोर्ट में कार्यात्मक दर्शाए गए।

आर.ओ.टीज के अनुरक्षण के लिए, समिति ने राज्य के सभी विद्यालयों को 2007-08 और 2008-09 वर्ष के दौरान एकमुश्त ₹ 0.70 करोड़ (₹ 700 प्रति स्कूल) का भुगतान कर दिया था। इसमें से ₹ 0.61 करोड़ विद्यालयों के पास अप्रयुक्त पड़े थे।

मामले पर, 9 नवंबर 2012 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार माध्यमिक शिक्षा के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी जहां विभाग ने चूकों को स्वीकार किया था तथा बताया कि जे.ईज के निष्पादन को मानीटर तथा कल-पुर्जो के प्रापण के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, विभाग पूरे नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए एक निजी एजेन्सी को किराए पर लेने की योजना बना रहा है।

इस प्रकार, समिति नेटवर्क की समस्याओं से निपटने में विफल रही क्योंकि जनवरी 2011 में जो कि टर्मिनलों के प्रतिष्ठापन के तीन वर्ष बाद है, 10818 टर्मिनलों के भारी नेटवर्क के लिए केवल 21 जेई नियुक्त किए गए थे और 16000 बैटरियों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 4000 बैटरियां खरीदी गई थी। समिति के द्वारा मानीटरिंग के अभाव के कारण सभी स्तरों पर गुणक शिक्षा की व्यापक पहुंच प्रदान करने के कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि अभी भी 56 प्रतिशत टर्मिनल कार्यात्मक नहीं थे (नवंबर 2012)। इसके परिणामस्वरूप समिति के द्वारा स्थलों की पहचान न कर पाने के फलस्वरूप इसरो से ₹ 0.69 करोड़ के उपकरणों की प्राप्ति नहीं हो सकी, ₹ 0.61 करोड़ की राशि तक की स्कूलों द्वारा निधियों का प्रयोग नहीं हुआ तथा 93 आर. ओ.टी. (₹ 0.58 करोड़ मूल्य के) के पता ठिकाने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

4.3.2 सरकारी खाते में राशियां जमा न कराने से ब्याज की हानि

निधियों को सरकारी खाते में स्थानांतरित न करने के कारण सरकार को ₹ 1.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों को बैंक में ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में रखने के कारण ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

यमुना नदी, दिल्ली और हरियाणा के कुछ भागों का पानी का मुख्य स्रोत है। नदी में प्रदूषण भार कम करने के लिए, एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम यमुना एक्शन प्लान (वाई.ए.पी.) फेस 11, दिसंबर 2004 में शुरू किया गया। स्कीम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 85:15 के अनुपात में लागत को वहन करने के आधार पर लागू की गई। भारत सरकार (जी.ओ.आई.), आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति ने नवंबर 1998 में की गई अपनी मीटिंग में कार्य के निष्पादन में देरी से बचने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे निधियां जारी करने का निर्णय लिया। जी.ओ.आई. के आदेश को लागू करने के लिए वाई.ए.पी. पर स्टीयरिंग कमेटी ने आगे निर्णय लिया (दिसंबर 1999) कि वर्ष 2000 – 01 से राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) द्वारा नोडल एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी। निधियों को जारी करते समय, एन.आर.सी.डी. ने आगे निर्देश दिया कि परियोजना के लिए जारी निधियां एक अलग ब्याज अर्जित बैंक खाते के द्वारा परिचालित होनी चाहिए तथा अर्जित किया गया ब्याज परियोजना को जमा होना चाहिए तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों में अभिव्यक्त होने चाहिए। आगे यह प्रावधान किया गया कि ब्याज को इस परियोजना के लिए बाद में जारी धन राशियों में समायोजित किया जाएगा।

जी.ओ.आई. के निर्देशों की अनुपालना में, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने मुख्य अभियंता (ई.आई.सी.) जन–स्वास्थ्य इंजिनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) हरियाणा के नाम से व्यक्तिगत लेजर खाता (पी.एल.ए.) खोलने की अनुमति दी। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया (जून 2001) कि जी. ओ.आई. से प्राप्त निधियां एक बैंक खाते में रखी जाएंगी तथा विभागाध्यक्ष राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में राशि जमा करने के लिए चैक जारी करेगा। इसके बाद, वित्त विभाग कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित डिवीजनों को निधियां जारी करने के लिए साख पत्र (एल.ओ.सी.) जारी करेगा। ई. आई.सी. पी.एच.ई.डी. ने जून 2001 में हरियाणा राज्य सहकारी बैंक (एच.ए.आर.सी.ओ.), सैक्टर–17, चण्डीगढ़ में बैंक बचत खाता (ब्याज अर्जित खाता) खोला जो बाद में जुलाई 2004 में चालू खाते (ब्याज उपार्जित न करने वाला खाता) में परिवर्तित कया गया।

मुख्य अभियंता, पी.एच.ई.डी. के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्तूबर 2011) में पाया गया कि 2005–06 से 2011–12 की समयावधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 58.83 करोड़ का व्यय किया गया। इस समयावधि के दौरान जी.ओ.आई. से ₹ 52.90 करोड़ की निधियां प्राप्त हुई। ₹ 58.83 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 50 करोड़ (भारत सरकार की ओर से *85 प्रतिशत* हिस्सा) सरकारी खाते में जमा कराए जाने थे। तथापि, विभाग द्वारा राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में ₹ 46.29 करोड़ जमा कराए यद्यपि, हरको बैंक खाते में पर्याप्त निधियां थी, जिसके कारण

₹ 3.71 करोड़ कम जमा कराए गए (सितंबर 2011)। मार्च 2006 तथा नवंबर 2011 के दौरान सरकारी खातों में कम जमा राशि ₹ 0.38 करोड़ तथा ₹ 6.06 करोड़ के मध्य श्रृंखलित थी।

यदि विभाग द्वारा सरकारी खाते में देय तिथियों पर राशि जमा कराई गई होती तो, इससे ₹ 1.30 करोड़ की ब्याज की हानि से बचा जा सकता था (सात प्रतिशत की दर से परिकलित अर्थात् न्यूनतम कोषालय बिल दर पर, ***परिशिष्ट 4.9***) जिससे अन्यथा सरकार द्वारा उठाए गए ऋणों का भुगतान किया जा सकता था। इस प्रकार, निधियों को सरकारी खाते के बाहर बैंक में रखने के स्थान पर सरकारी खाते में जमा न कराने के कारण विभाग को ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जी.ओ.आई. के निर्देशानुसार, जी.ओ.आई. से प्राप्त निधियों को ब्याज वाले बैंक खाते में रखा जाना था। यह देखा गया कि जनवरी 2005 से जनवरी 2012 की समयावधि के दौरान निधियों को चालू खाते (ब्याज न देने वाले खाते) में रखा गया। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इस पर इंगित किए जाने (नवंबर 2011) पर विभाग ने फरवरी 2012 में बचत (ब्याज वाले) बैंक खाता खोला। निधियों को चालू खाते में रखने के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

इस बारे में इंगित किए जाने पर (मार्च 2012), मुख्य सचिव, पी.एच.ई.डी. ने कहा (अगस्त 2012) कि सेन्टेज प्रभारों को छोड़कर निवल राशि की सीमा तक एल.ओ.सी. डिवीजनों को जारी की गई, इसलिए, बैंक खाते से आहरण के बाद उस सीमा तक राशियों को सरकारी खाते में जमा करा दिया और यह कि ₹ 4.71 करोड़ की शेष राशि को कोषालय में जमा करा दिया (दिसंबर 2011) गया था। इस प्रकार, उत्तर स्वयं यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा (85 प्रतिशत अर्थात् केंद्रीय हिस्सा) व्यय के संबंध में कोषालय में राशि को जमा कराने के लिए पहले सावधानी से कार्य नहीं किया जिसके कारण सरकार को ब्याज की हानि हुई। निधियों को चालू खाते में रखने के संबंध में, यह कहा गया कि निधियों को हरको, चंडीगढ़ के बचत बैंक खाते में रखा गया जिसे चालू खाते में परिवर्तित किया गया क्योंकि बैंक ने जी.ओ.आई. द्वारा प्रदान की गई निधि के लिए बचत खाते को जारी रखने से मना कर दिया था तथा एन.आर.सी.डी. को स्थिति बारे सूचित किया गया था जिन्होंने निधियों को चालू खाते में रखने बारे कभी आपत्ति नहीं की। 22 अगस्त 2012 को मुख्य सचिव के साथ हुई एग्जिट कान्फ्रेंस में भी मामले पर विचार-विमर्श किया गया। जहां ई.आई.सी. ने अपना उत्तर दोहराया, परंतु बैंक द्वारा बचत खाता खोलने को मना करने के समर्थन में दस्तावेज नहीं दिखाए गए। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आर.बी.आई. के निर्देशों के अनुसार (जुलाई 2004), बचत बैंक खाता खोलने का प्रतिबंध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों पर लागू नहीं होता है। अत: बैंक खाते से सरकारी खाते में निधियों को न जमा कराने के कारण, सरकार को ₹ 1.30 करोड़ की ब्याज की हानि उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त, निधियों को ब्याज न देने वाले खाते में रखने के परिणामस्वरूप भी ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

4.3.3 बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण पर निष्फल व्यय

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या-1, कैथल द्वारा अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए बिना उचित प्रबंध किए, पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल अपवाहिका तथा पंप हाउस के निर्माण पर किया गया ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई (दिसंबर 1993) सीवरेज, सीवेज एवं

उपचार पर नियमावली के अनुच्छेद 1.3 में प्रावधान है कि व्यर्थ जल संग्रहण, उपचार एवं निपटान प्रणालियां डिजाइन करते समय योजना सामान्यत: अन्तिम निपटान बिंदु (अंतिम छोर) से पीछे की ओर जाते हुए, टोपोग्राफी एवं उपलब्ध हाइड्रोलिक शीर्षो, यदि अनिवार्य हो तो पम्पिंग द्वारा आपूरित, के अनुकूल एकीकृत एवं अभीष्ट डिजाइन आरंभ किया जाना चाहिए।

कैथल जिले में पुण्डरी कस्बे की सफाई की स्थिति में सुधार करने के लिए, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), हरियाणा सरकार द्वारा पुण्डरी कस्बे में ₹ दो करोड़ की एक स्कीम 'बाढ़ जल अपवाहिका प्रदान करना' को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई (सितम्बर 2005)। '' पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण तथा निस्तारण कार्य'' के अनुमान प्रमुख अभियंता (ई.आई.सी.), पी.एच.ई.डी. द्वारा आंशिक रूप से हबरी अपवाहिका में तथा आंशिक रूप से जथेरी अपवाहिका में बाढ़ जल के निस्तारण हेतु प्रदान करने के लिए अनुमोदित किए गए (मार्च 2007)। मण्डी क्षेत्र, पाई सड़क तथा पुण्डरी कस्बे का बाढ़ जल, पम्पिंग स्टेशन द्वारा पाई सड़क के साथ कच्चा मलजल कैरियर में पाई के साथ-साथ निस्तारण किया जाना था, जो कि अंत में, जथेरी अपवाहिका में गिरता है।

सितंबर 2005 तथा नवंबर 2008 के दौरान कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), पी.एच.ई.डी.-1 कैथल द्वारा निर्माण कार्य के लिए चार हिस्सों में निविदाएं आमंत्रित की गई और अपवाहिकाओं के निर्माण कार्य को दो से छ: मास तक पूर्ण करने के लिए चार एजेन्सियों को आबंटित किया गया। सभी कार्य ₹ 1.55 करोड़ की लागत से फरवरी 2009 के दौरान पूर्ण हो गए।

ई.ई., पी.एच.ई.डी.-1 कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2012) ने प्रकट किया कि कच्चा मलजल कैरियर, जिसमें से पम्पिंग स्टेशन के द्वारा बाढ़ जल का निस्तारण किया जा रहा था, न केवल जथेरी गांव के विशेषत: संबंधित नजदीकी आवासियों के लिए परेशानी का कारण था (जैसा कि 10 अप्रैल 2012 को लिए गए फोटो में दिखाई दे रहा है) अपितु यह मच्छर प्रजनन केंद्र में विकसित हो गया था।



कच्ची अपवाहिका में छोड़ा गया अपशिष्ट जल, पुण्डरी के खुले क्षेत्र में बहता हुआ (10 अप्रैल 2012)

अपशिष्ट जल ऊपर से बह रहा था तथा लगातार फसलों को नष्ट करता हुआ नजदीक के कृषि क्षेत्रों में घुसा जा रहा था। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि यह निर्धारित करने हेतु क्षेत्र का उचित सर्वे नहीं किया गया था कि क्या कच्चा मलजल कैरियर जथैरी अपवाहिका में गिरने से पहले अपशिष्ट जल के प्रवाह को बनाए रखने के योग्य था। जो कि स्कीम को सफल तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक थी और इसके अनुवर्ती 2.05 करोड़ के निस्तारण कार्यो से जथैरी अपवाहिका तक बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण के लिए एक अन्य लागत अनुमान जनवरी 2011 में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित करवाया गया। कार्य चार मास की पूर्णता अवधि के साथ एक एजेंसी को आबंटित किया गया (मई 2011)। परंतु ऐजेंसी कार्य आरंभ नहीं कर सकी क्योंकि अपशिष्ट जल कस्बे की विभिन्न जगहों पर कीचड़/दलदल पैदा करता हुआ बह रहा था। अधीक्षक अभियंता, पी.एच.ई. मंडल, कैथल ने ई.आई.सी., पी.एच.ई.डी. को स्कीम को रद्द करने का सुझाव दिया (मार्च 2012) क्योंकि यह तकनीकी रूप से संभव नहीं था और कहा कि स्थल की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। आगे, मामले में कोई विकास नहीं हुए (दिसंबर 2012)। मलजल और बाढ़ जल खुले में लगातार बह रहा था जिससे वहां मच्छर प्रजनन केंद्र बना रहा तथा यह नजदीकी आवासियों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा था।

ई.ई., पी.एच.ई.डी.-1 कैथल ने सूचित किया (अप्रैल 2012) कि व्यय फलदायी होता यदि प्रबलित सीमेंट कंकरीट (आर.सी.सी.) बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण के बाद, निस्तारण को मुख्य जथैरी अपवाहिका से उचित तरीके से जोड़ा गया होता।

लेखापरीक्षा में इस पर इंगित करने पर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार पी.एच.ई.डी. ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि फरवरी 2009 में अन्तिम रूप से दिए गए मूल अनुमान में पक्का मलजल अपवाहिका के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं था तथा कार्य को अनुमान में प्रावधान के अनुसार किया गया तथा पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल के निस्तारण में कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि के द्वारा आर.सी.सी. बाढ़ अपवाहिका के निर्माण हेतु प्रावधान कर, बनाया गया दूसरा अनुमान वापस ले लिया गया था क्योंकि स्थल स्थितियों के अनुसार यह संभव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बाढ़ जल का निस्तारण खुले में था जिससे आवासियों को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। यह, यह दर्शाता है कि बिना उचित योजना तथा जल के अंतिम निस्तारण हेतु सर्वे किए बिना तथा उस क्षेत्र के सर्वे को पूरा किए बिना यह निर्धारित करना कि जथैरी अपवाहिका में गिरने से पूर्व क्या यह कच्चा मलजल कैरियर अपशिष्ट जल के प्रवाह को बनाए रखने के योग्य था, स्कीम लागू की गई। मामले पर पुनः 22 अगस्त 2012 को हुए एग्जिट सम्मेलन में चर्चा की गई जहां प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया कि (पक्का मलजल कैरियर के) शेष कार्यो को शीघ्रतम पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

इस प्रकार, उचित योजना तथा अपशिष्ट जल के अंतिम निस्तारण हेतु सर्वे के बिना स्कीम के लागू करने के परिणामस्वरूप अपवाहिकाओं के निर्माण पर तथा पम्पिंग मशीनरी को लगाने पर किया गया 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

4.3.4 अंबाला शहर की सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय

राष्ट्रीय राजमार्ग – I के साथ ट्रंक सीवर डालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना, अंबाला शहर में सीवरेज स्कीम पर कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

जी.ओ.आई., शहरी विकास मंत्रालय के सीवरेज एवं सीवेज उपचार की नियम – पुस्तिका के अनुच्छेद 1.9.4.3 (जी.) (एक्स.) के अनुसार परियोजना पर व्यवहारिकत्ता रिपोर्ट तैयार करने के दौरान सड़कों के आर – पार अथवा सड़कों पर निर्माण के लिए अनुमति के साथ परियोजना को लागू करने के लिए वैधानिक एवं प्रशासकीय अनुमोदनों की रूपरेखा बनाना आवश्यक है। आगे हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 15.2.1 प्रावधान करता है कि कोई कार्य तब तक आरम्भ नहीं करना चाहिए जब तक कि आवश्यक अनुमतियाँ जैसे कि पेड़ों का काटना, पर्यावरण अनुमति, रेलवे लाईन को पार करना, रास्ते अथवा सड़क को पार करने के अधिकार का प्रयोग करना इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं की जातीं।

अंबाला शहर के वार्ड नंबर 5 तथा 31 के अन्तर्गत आने वाली नई अनुमोदित कालोनियों को सीवरेज सुविधाएं[22] प्रदान करने के लिए, राज्य स्वच्छता बोर्ड ने ₹ 14.96 करोड़ के अनुमान अनुमोदित किए (नवंबर 2007)। यह क्षेत्र पूर्व में अंबाला चण्डीगढ़ रेलवे लाईन के तथा पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1 (एन.एच. – I) के बीच में पड़ता था। ट्रंक सीवर रास्ते के दायीं ओर (आर.ओ.डब्ल्यू.) के कच्चे भाग में तथा मुख्य पम्पिंग स्टेशन में एन.एच. – I के साथ प्रस्तावित किया गया तथा सीवरेज उपचार प्लांट (एस.टी.पी.) भी एन.एच. – I के साथ प्रस्तावित किया गया। एस.टी.पी. की स्थापना हेतु ₹ 69.04 लाख में भूमि अधिगृहित की गई (दिसंबर 2008)। ई.ई., पी.एच.ई. डिवीजन, अंबाला कैंट द्वारा ''विभिन्न मापों के मुख्य सीवर को प्रदान करना तथा बिछाना'' कार्यों के लिए (दिसम्बर 2007 तथा जून 2009 के मध्य) निविदाएँ आमंत्रित की गई तथा जनवरी 2008 तथा अगस्त 2009 के मध्य 12 से 18 मास की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 8.82 करोड़ की राशि के कार्य चार एजेंसियों[23] को आबंटित किए गए। एजेंसियों ने मार्च 2011 तक ₹ 5.21 करोड़ की कीमत के कार्य पूर्ण किए। इसी प्रकार, ''एस.टी.पी. का निर्माण'' कार्य नौ मास की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 2.91 करोड़ की राशि पर एक एजेंसी को दिए गए (अगस्त 2009)। एजेंसी ने कार्य पूर्ण किया तथा एंजेसी को ₹ 2.30 करोड़ का भुगतान मार्च 2011 तक किया गया। जनवरी 2012 तक भूमि की लागत सहित ₹ 9.42 करोड़[24] का कुल व्यय कार्य पर किया गया। ट्रंक सीवर लाईन पर कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया तथा एस.टी.पी. अकार्यान्वित पड़ी रही।

22 अवरोधक, विपथन तथा आंतरिक सीवर का बिछाना, टैंक एकत्रित करना, मुख्य मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशनों, मुख्य पम्पिंग स्टेशनों मलजल कैरियर तथा सीवरेज उपचार प्लांट को ऊपर उठाना।

23 एंजेसी का नाम/करार राशि (भुगतान की गई राशि): (i) श्री अनिल देसवाल: ₹ 2.62 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 0.14 करोड़); (ii) मैसर्ज एम.आर. कंसट्रक्शन कं.: ₹ 1.26 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 0.90 करोड़); (iii) श्री श्याम कुमार: ₹ 1.36 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 0.96 करोड़) तथा (iv) श्री रोहताश कुमार: ₹ 3.58 करोड़ (भुगतान की गई राशि ₹ 3.21 करोड़)।

24 भूमि अधिग्रहण: ₹ 0.69 करोड़; एजेंसी को भुगतान ₹ 5.21 करोड़; एस.टी.पी. के लिए भुगतान ₹ 2.30 करोड़, स्टोर सामग्री की कीमत ₹ 0.98 करोड़ तथा छोटे – छोटे करारों के विरूद्ध भुगतान ₹ 0.24 करोड़।

यह देखा गया कि ई.ई. द्वारा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से 4.6 कि.मी. लंबाई में एन.एच.-I के आर.ओ.डब्ल्यू. में सीवर लाईन बिछाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी (सितम्बर 2008)। एन.एच.ए.आई. ने एन.एच.-I के साथ सीवर लाईन बिछाने के लिए अनुमति नहीं दी (फरवरी 2009) क्योंकि उपलब्ध भूमि सिक्स लेनिग के लए आवश्यक थी। एन.एच.ए.आई. ने आगे स्पष्ट किया (नवम्बर 2009) कि 4.6 कि.मी. की पहुंच में सर्विस सड़क बाहर और अंदर, ट्रक एवं बस ले-बाई[25] तथा फलाईओवर का निर्माण किया जाना था, विभाग को आर.ओ.डब्ल्यू./ एन.एच.ए.आई. भूमि के अन्दर प्रवेश किए बिना सीवर लाईन को बिछाने के लिए वैकल्पिक स्थान ढूढंना चाहिए। तथापि, विभाग ने एन.एच.ए.आई. को सीवर लाईन बिछाने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया (दिसंबर 2009) परन्तु उन्होंने अन्तत: सूचित किया कि उनके द्वारा, एन.एच.-I के साथ सीवरेज लाईन बिछाने की अनुमति न देने का निर्णय लिया गया था (नवम्बर 2011)।

लेखापरीक्षा के दौरान (फरवरी 2011 तथा फरवरी 2012) यह देखा गया कि सीवर लाईन बिछाने का कार्य जनवरी 2008 में, यहां तक कि एन.एच.ए.आई. से एन.एच.-1 के आर.ओ.डब्ल्यू. में ट्रंक सीवर डालने की अनुमति (सितंबर 2008) प्राप्त करने से पूर्व ही ही शुरू कर दिया गया। एन.एच.ए.आई. द्वारा एन.एच.-1 के आर.ओ.डब्ल्यू. में ट्रंक सीवर डालने की अनुमति न दिए जाने (फरवरी 2009) पर भी एस.टी.पी. का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया (अगस्त 2009)। इस प्रकार दोनों कार्य एन.एच.ए.आई. से अनुमति प्राप्त किए बगैर आरंभ किए गए थे जबकि पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुसार यह पूर्वापेक्षा थी जिसमें प्रावधान है कि कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आवश्यक अनुमतियां, जैसे कि पेड़ों का काटना, पर्यावरण क्लीयरेंस, रेलवे लाईन को क्रास करना, रास्तेया सड़क क्रास करना, के अधिकार का प्रयोग करना इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं की जाती हैं। इस प्रकार, पी.डब्ल्यू. कोड में कार्य आरंभ करने के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण, योजना पर खर्च किया गया ₹ 9.42 करोड़ का व्यय निष्फल रहा (अप्रैल 2012)।



चित्र दिनांक 17 सितंबर 2012 अंबाला नाले में असंशाधित जल के निष्कासन को दिखाते हुए।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (जून 2012), हरियाणा सरकार, पी.एच.ई. विभाग के प्रधान सचिव ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि अन्तवर्ती पम्पिंग केंद्र (आई.पी.एस.) को चालू कर डाले गए सीवरों को क्रियाशील कर लिया गया है एवं सीवरेज को एन.एच.-1 के साथ पहले से ही बह रहे कच्चे नाले के माध्यम से बहा जा रहा था जहां से इसे योजना के अधीन निर्मित 3 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. तक उन्नयित किया जा रहा था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आई.पी.एस. से एस.टी.पी. तक ट्रंक सीवेज को डालने का काम

[25] यात्रियों इत्यादि को चढ़ने के लिए सड़क पर बसों को अस्थायी रूकने के लिए बस ले-बाई एक विपथन है।

एन.एच.ए.आई. से अनुमति प्राप्त होने के तुरंत बाद आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए मामला अंतिम चरण में था। मामले पर 22 अगस्त 2012 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में भी विचार-विमर्श किया गया था, जहां हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव ने फिर से सूचित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर सीवर डालने का मामला, एन.एच.ए.आई. के साथ अंतिम चरण में था एवं अनुमति की प्राप्ति के तुरंत बाद स्कीम को क्रियाशील कर दिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ट्रंक सीवर लाईन जिसे सीवेज को एस.टी.पी. तक ले जाना था, अभी तक नहीं डाली गई थी एवं अनुपचारित सीवेज को अंबाला नाले में बहाया जा रहा था जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एवं एस.टी.पी. अक्रियाशील रही। क्योंकि अनुपचारिक सीवेज जल में जैविक/गैर-जैविक एवं अन्य विषैले द्रव्य अंतर्विष्ट होते हैं जो कि सामान्य मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, सीवेज जल का अंबाला नाले में निष्कासन उचित नहीं था। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

4.3.5 अपूर्ण भवन पर निष्फल व्यय

अनुमानों को सही न बनाने से तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा निर्माण कार्य की व्याप्ति का आकलन करने के लिए स्थल निरीक्षण न करके भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से ₹ 88.89 लाख का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि जिला सैनिक विश्राम गृह यमुनानगर का भवन अधूरा रह गया।

हरियाणा लोक निर्माण कार्य विभाग संहिता के पैरा 10.1.3 में प्रावधान है कि किसी भी प्रोजेक्ट का अनुमान बनाते समय भूमि की उपलब्धता सहित क्षेत्र की परिस्थितियों का आकलन करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुमान वांछित उद्देश्य के लिए लागत प्रभावी होना चाहिए तथा जितना संभव हो सके यथार्थ होना चाहिए। अनुमान में स्थल के दौरे के समय आकलन की गई भूमि की परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिए।

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने नवंबर 2005 में यमुनानगर में जिला सैनिक विश्राम गृह एवं जिला सैनिक बोर्ड के कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए ₹ 62.36 लाख की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। गोविंदपुरा की *ग्राम पंचायत* ने अप्रैल 2003 में इस भवन के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई थी। यह भूमि गांववासियों द्वारा व्यर्थ पानी के निपटान के लिए प्रयोग में लाई जा रही थी और व्यावहारिक रूप से यह एक भूमि के टुकड़े की बजाय, एक तालाब रूप में था जिसे निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व भरा जाना जरूरी था। *ग्राम पंचायत* ने आगे यह शर्त भी रखी थी कि एक सीवरेज स्कीम के द्वारा बेकार जल के निपटान हेतु यथोचित व्यवस्था की जाये।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) जगाधरी प्रोविंसियल मंडल, यमुनानगर ने जिला सैनिक बोर्ड के लिए भवन निर्माण के कार्य को, जनवरी 2007 में बिना भूमि की उपयुक्तता का निर्धारण किए, ₹ 60.76 लाख की अनुमानित लागत पर छः माह की पूर्णता अवधि के साथ एक एजेंसी[26] को आबंटित कर दिया। एजेंसी ने ₹ 74.38 लाख (जिनका भुगतान जनवरी 2009 में किया गया था)

[26] मैसर्ज अनिल मेहता, सरकारी ठेकेदार।

के निर्माण कार्य को करने के पश्चात्, ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर जनवरी 2009 में, कार्य को बीच में ही छोड़ दिया। नवंबर 2011 तक इस निर्माण कार्य पर ₹ 88.89 लाख का व्यय हो चुका था।

क्योंकि भवन का स्थल एक तालाब में था और उसके लिए बहुत अधिक भराव की आवश्यकता थी, ई.ई. ने फरवरी 2009 में इंजिनियर-इन-चीफ (ई.आई.सी.), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को ₹ 117.36 लाख का एक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने नवंबर 2009 में इस राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी। सैनिक बोर्ड ने जनवरी 2010 एवं फरवरी 2011 के दौरान ₹ 55 लाख[27] की शेष निधियां डिविजन के पास जमा करा दी। परंतु आगे कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि एजेंसी पुरानी दर पर ही इस शेष कार्य को करने को तैयार नहीं थी। इसी बीच, विभाग ने अप्रैल 2011 में ₹ 2.21 करोड़ का एक अन्य संशोधित अनुमान *राज्य सैनिक बोर्ड* को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया क्योंकि मिट्टी से भराव के अतिरिक्त प्रावधान के कारण, कार्य का दायरा बढ़ गया था और सामान्य नींव की बजाय अब भराव के रूप में अतिरिक्त नींव कार्य किया जाना था। प्रशासनिक मंजूरी का मामला वित्त विभाग के पास लंबित था और (जैसा कि नीचे दिए गए फोटो में दर्शाया गया है) दिसंबर 2012 तक निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा हुआ पड़ा था।



अधूरा पड़ा हुआ जिला सैनिक विश्राम गृह भवन, यमुनानगर (15 मार्च 2012)

ई.ई. जगाधरी प्रोविंसियल मंडल, यमुनानगर के रिकार्ड की फरवरी 2010 में की गई संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ई.ई. ने स्थल का निरीक्षण किए बिना तथा स्थल की परिस्थितियों का आकलन किए बिना (जो कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 10.1.3 के अनुसार एक पूर्व आवश्यकता थी) रफ लागत अनुमान तैयार किए थे। मुख्य सचिव ने नवंबर 2005 में ई.ई. द्वारा तैयार किए गए इन्हीं रफ लागत अनुमान पर ही प्रथम प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह भी कि भवन का निर्माण कार्य, स्थल की परिस्थितियों के अनुरूप निर्माण कार्य के दायरे का बिना निर्धारण किए, आरंभ कर दिया गया। निर्माण कार्य के पूर्ण विस्तार का आकलन नवंबर 2009 में अनुमानों को संशोधित करते समय भी नहीं किया गया और अनुमान ₹ 2.21 करोड़ के लिए अप्रैल 2011 में पुनः संशोधित करने पड़े थे। आगे गोविंदपुरा गांव में सीवर लाईन डालने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था (अक्तूबर 2012)।

[27] जनवरी 2010: ₹ 25 लाख; अगस्त 2010: ₹ 10 लाख; जनवरी 2011: ₹ 10 लाख तथा फरवरी: ₹ 10 लाख।

इस बारे में इंगित किए जाने पर ई.ई. ने नवंबर 2010 तथा जनवरी 2012 में सूचित किया कि कार्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि भवन का स्थल एक सीवरेज वाले तालाब में था जिसके लिए अत्यधिक भराव आवश्यक था, सीवरेज की सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के कारण गांव वाले विरोध कर रहे थे तथा विभाग द्वारा शेष धनराशि जमा नहीं कराई गई थी। इस विषय पर नवंबर 2012 में हुई एग्जिट कान्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव से भी चर्चा की गई जहां पर विभाग ने सूचित किया कि आरंभ में इस पूर्वानुमान पर कि भवन निर्माण के लिए भूमि का सूखा टुकड़ा उपलबध कराया जायेगा, ₹ 62.36 लाख का अनुमान क्लांइट विभाग को भेजा गया था परंतु जो स्थल उपलब्ध कराया गया वह एक सीवरेज वाला तालाब था जिसके लिए अत्यधिक भराव आवश्यक था, जिस वजह से अनुमान को संशोधित करना पड़ा तथा पुन: संशोधित करना पड़ा और निर्माण कार्य, विभाग द्वारा शेष धनराशि जमा न कराए जाने के कारण रूक गया।

विभाग का यह तर्क सही नहीं था क्योंकि रफ लागत अनुमान लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा निर्माण कार्य के विस्तार का आकलन करने के लिए स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात्, उचित ढ़ग से तैयार नहीं किया गया था। आगे, विभाग को गांव के विरोध से बचने के लिए, निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व गांव के बेकार जल के निपटान के मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क साधना चाहिए था। विभाग की यह धारणा कि क्लाइंट विभाग द्वारा धनराशि जमा नहीं कराई गई थी, भी ठीक नहीं लगती क्योंकि उन्होंने ₹ 117.36 लाख की पूरी धनराशि कुछ चरणों में जमा करा दी थी परंतु ठेकेदार के पुरानी दरों पर ही निर्माण कार्य करने से मना कर देने के कारण विभाग निर्माण कार्य पुन: आरंभ नहीं कर सका। इस प्रकार, स्थल की परिस्थितियों के आकलन हेतु स्थल का निरीक्षण न कर रफ लागत अनुमान तैयार करने के साथ ही गांव के बेकार जल के निदान हेतु यथोचित प्राधिकारियों से मामला न उठाए जाने के कारण भवन के निर्माण कार्य में बाधा आई जिसके परिणामस्वरूप अंतत: एक अधूरे छोड़े गए भवन पर ₹ 88.89 लाख का निष्फल व्यय हुआ इसके अतिरिक्त इसके वांछितों को आशानुरूप लाभ से वंचित रहना पड़ा।

परिवहन विभाग

4.3.6 बसों के अपेक्षानुरूप उपयोग के लिए चालकों तथा परिचालकों की कमी के कारण हानि

बसों को चलाने के लिए स्टाफ की व्यवस्था किए बिना बसें खरीद करने से उनका कम उपयोग हुआ, इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने व्यवस्थित एवं अधिक कार्यकुशल शहरी बस सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन (जे.एन.नुरम) के अधीन बसों की खरीद के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया (जनवरी 2009)। तदनुसार, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद शहर में शहरी परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 288 बसों की जरूरत के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भार सरकार को

फरवरी 2009 में प्रस्तुत की। भारत सरकार ने स्कीम के अंतर्गत फरवरी 2009 में 150 बसों की खरीद हेतु लागत में से अपने हिस्से ₹ 27.30 करोड़ की संस्वीकृति दे दी। राज्य सरकार को लागत का शेष 50 प्रतिशत स्वयं वहन करना था। परिवहन विभाग ने 150 (45 ए.सी. बसों तथा 105 गैर ए.सी. बसों) बसों की खरीद हेतु अगस्त 2009 और जनवरी 2010 के बीच आदेश दे दिए। इनमें से फरीदाबाद डिपो पर 102 बसें दिसंबर 2009 तथा अगस्त 2011 के बीच पहुंची तथा शेष 48 बसें अप्रैल 2012 में पहुंची। इस प्रकार, विभाग द्वारा सभी 150 बसों की सुपुर्दगी ले ली गई।

जे.एन.नुरम के अधीन खरीदी गई शहरी बसों को शहरी मार्गों पर प्रतिदिन कम से कम 180 किलोमीटर (कि.मी.) चलना था। प्रत्येक 8 घंटे की पारी के लिए प्रत्येक बस हेतु एक चालक एवं एक परिचालक की आवश्यकता थी। 2.5 चालक एवं 2.5 परिचालक प्रति बस और उपलब्ध कराकर बसों के उपयोग को प्रतिदिन 360 कि.मी. तक बढ़ाया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (नवंबर 2011) कि विभाग ने जे.एन.नुरम स्कीम के अधीन नई खरीदी गई बसों को चलाने के लिए अतिरिक्त चालकों एवं परिचालकों की भर्ती नहीं की थी। यद्यपि विभाग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी थी परंतु इससे परिणामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद निदेशक, राज्य परिवहन विभाग ने चालकों एवं परिचालकों की भर्ती हेतु दिसंबर 2011 में विज्ञापन दिया। परिणामत: 15 निम्न फ्लोर वाली वोल्बो बसों को छोड़कर, ये बसें कम से कम 180 कि.मी. प्रतिदिन के हिसाब से उपयोग में नहीं लाई जा सकी। इस मानक के विरूद्ध प्रतिदिन प्रति बस का औसत चालन 75.60 कि.मी. ही वास्तव में हुआ। यहां तक कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बसों को रोके रखने के कारण उनके प्रयोग में दी गई 10 प्रतिशत की छूट को विचार में लेने पर भी 2010 से 2012 की अवधि में बसों का *53 प्रतिशत* तक अपेक्षा से कम प्रयोग किया गया। इस प्रकार, जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण मिशन का फरीदाबाद में व्यवस्थित एवं अधिक कुशल शहरी बस सेवा देने का उद्देश्य बहुत हद तक अप्राप्त रहा।

परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त सचिव ने अगस्त 2012 में सूचित किया कि राज्य की भर्ती एजेंसी को कर्मचारियों की भर्ती हेतु मांग समय पर भेजी गई थी। ऐसे में भर्ती में हुए विलंब में विभाग का कोई हाथ नहीं था।

मुद्दा वहीं रहा कि बसों की खरीद प्रक्रिया के साथ-साथ उसी अनुसार कर्मचारियों की भर्ती न किए जाने से 53 प्रतिशत तक बसों का अपेक्षा से कम प्रयोग हुआ, इसके अतिरिक्त जे.एन. नुरम का फरीदाबाद में व्यवस्थित एवं अधिक कुशल शहरी बस सेवा देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)

4.3.7 दोषपूर्ण आयोजना के कारण एग्रो मॉल के भवनों के अधूरे निर्माण पर निधियों का अवरोधन

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पंचकूला, करनाल, पानीपत तथा रोहतक में चार एग्रो मॉल का निर्माण उनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों तथा ड्राइंग्स को अन्तिम रूप दिए बिना आरंभ कर देने के परिणामस्वरूप ये भवन अधूरे रह गए, जिससे ₹ 13 2.52 करोड़ का अवरोधन हुआ।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता 2009 का अनुच्छेद 9.5 (पुरानी लो.नि.वि. संहिता का अनुच्छेद 2.89) यह बंधन लगाता है कि प्रत्येक निर्माण कार्य जो किए जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है सक्षम अधिकारी से संस्वीकृति हेतु आवश्यक ड्राईग एवं प्रारंभिक संरचनात्मक तथा सेवा डिजाईन अवश्य तैयार किए जाने चाहिए। इसके पीछे भावना यही है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से संपुष्ट हों, वांछित सेवा के लिए विशिष्टियां यथोचित हों और अनुमान पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर यथार्थवादी हों। लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुच्छेद 10.6.12 में आगे प्रावधान है कि अधिमानत: सभी शिल्प संबंधी एवं संरचनात्मक ड्राईग निर्माण कार्य को दिए जाने के समय उपलब्ध होने चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं है तो लक्षित तिथ्यिों को जिन तक शिल्प संबंधी एवं संरचनात्मक ड्राईग पूरे हो जायेंगे, एक चरणबद्ध अनुसूचि की आपूर्ति की जाएगी ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए।

उपभोक्ताओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, जहां पर वे अपने दिन-प्रतिदिन की प्रयोग की हर तरह की चीजें एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकें, के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) ने चार शहरों (करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा रोहतक) में एग्रो मॉल्स के निर्माण को (जुलाई 2007 से दिसंबर 2008) मंजूरी दी। चेयरमैन, एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा जुलाई 2007 तथा फरवरी 2008 के दौरान इन शहरों में चार एग्रो मॉल्स बनाए जाने के लिए ₹ 122.62 करोड़[28] की राशि की प्रशासनिक मंजूरियां प्रदान की गई। निर्माण कार्यों के लिए अप्रैल 2008 तथा फरवरी 2009 के दौरान मांगी गई तथा ₹ 90.62 करोड़[29] की कुल लागत पर सिविल निर्माण कार्यों को विभिन्न एजेंसियों को प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए 12 माह की पूर्णता समयावधि के साथ आबंटित कर दिया गया। निर्माण कार्य आबंटित करने के पश्चात् पंचकूला में निर्माण कार्य के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें बेसमैंट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया तथा रोहतक में एग्रो मॉल के कवर्ड क्षेत्र को अतिरिक्त दुकानों के प्रावधान करने के कारण बढ़ा दिया गया था। करनाल में रफ लागत अनुमान को प्लिंथ एरिया के आधार पर मंजूर कराया गया जिसके कारण मात्राओं एवं लागत में वृद्धि हो गई। ऐसे में बोर्ड द्वारा पंचकूला के लिए ₹ 49.80 करोड़ (अक्तूबर 2008) रोहतक के लिए ₹ 89.53 करोड़ (मार्च 2011), करनाल के लिए ₹ 47.28 करोड़ (सितंबर 2011) की राशि की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। यद्यपि अक्तूबर 2012

[28] पंचकूला ₹ 24.82 करोड़ (जुलाई 2007), पानीपत ₹ 22.27 करोड़ (जून 2008), रोहतक 45.51 करोड़ (दिसंबर 2008), करनाल ₹ 30.02 करोड़ (जून 2008)।

[29] पंचकूला ₹ 24.00 करोड़ (अप्रैल 2008), पानीपत ₹ 16.63 करोड़ (सितंबर 2008), रोहतक 33.05 करोड़ (फरवरी 2009), करनाल ₹ 16.94 करोड़ (सितंबर 2008)।

तक चार शहरों में निर्माण कार्यों पर ₹ 132.52 करोड़ का व्यय किया जा चुका था, फिर भी ये सभी भवन अभी तक अधूरे निर्मित हुए थे (दिसंबर 2012)।

मॉल्स के निर्माण कार्यों से संबंधित रिकार्ड की नमूना-जांच करने पर (मार्च 2012) प्रकट हुआ:

एग्रो मॉल पंचकूला

निविदाएं आमंत्रित करने हेतु मॉल भवन के निर्माण कार्य के लिए विस्तृत नोटिस (डी.एन.आई.टी.) को मुख्य अभियंता, एस.एस.ए.एम.बी. पंचकूला द्वारा फरवरी 2008 में ₹ 23.97 करोड़ के लिए मंजूरी दी गई तथा निर्माण कार्य अप्रैल 2008 में अवार्ड किया गया। बोर्ड ने मार्च 2010 में करार को निरस्त कर दिया तथा निर्माण कार्य आगामी डिजाइनों के पूर्ण न होने के कारण बीच में ही छोड़ा हुआ पड़ा था। मार्च 2010 तक इस निर्माण कार्य पर ₹ 14.42 करोड़ खर्च हो चुका था। शेष निर्माण कार्य के लिए जनवरी 2012 में निविदाएं आमंत्रित की गई तथा निर्माण कार्य को मार्च 2012 में एक वर्ष की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 16.55 करोड़ में एक अन्य एजेंसी को आबंटित कर दिया गया।



अधूरा छोड़ा गया एग्रोमाल, पंचकुला का चित्र
(दिनांक 21 मार्च 2012)

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भवन के निर्माण का कार्य अप्रैल 2008 में आबंटित किया गया था जबकि ड्राईग एवं डिजाइन तैयार करने का कार्य एक अन्य एजेंसी को मई 2008 में आबंटित किया गया था। एक विवेकपूर्ण चलन अनुसार विस्तृत डिजाइन तथा ड्राइंग पहले बनाए जाने चाहिए थे तथा निर्माण कार्य के लागत अनुमान बाद में तैयार किए जाने चाहिए थे। निर्माण कार्य अधूरा था (दिसंबर 2012)।

एग्रो मॉल, पानीपत

एग्रो मॉल, पानीपत के लिए निर्माण कार्य एक वर्ष की निर्माण समय सीमा के साथ ₹ 16.63 करोड़ में सितंबर 2008 में आबंटित किया गया था। निर्माण कार्य को फिर से बिना डिजाइन तथा ड्राईग को पूरा किए आबंटित किया गया। संशोधित ड्राईग एजेंसी को बहुत विलंब से मई 2009 में उपलब्ध कराए गए, जिस कारण से ₹ 1.33 करोड़ का कार्य करने के पश्चात् एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया। एजेंसी पर 1.66 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जो कि लागू किए जाने लायक नहीं था क्योंकि इसे लागू करने के लिए कोई साधन नहीं थे। शेष कार्य



निर्माणाधीन एग्रोमाल, पानीपत का चित्र
(दिनांक 2 मई 2012)

को पुरानी एजेंसी के ही जोखिम और लागत पर ₹ 10.44 करोड़ में पुन: आबंटित कर दिया गया (अप्रैल 2010)। द्वितीय एजेंसी ने ₹ 11.75 करोड़ का निर्माण कार्य किया। निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा था (दिसंबर 2012)।

एग्रो मॉल, रोहतक

18,288.96 वर्ग मीटर के कवर क्षेत्र वाले एग्रो मॉल, रोहतक के निर्माण कार्य को ₹ 45.51 करोड़ की लागत में किए जाने की प्रशासनिक मंजूरी बोर्ड ने दी। यह निर्माण कार्य एक एजेंसी को ₹ 33.05 करोड़ में करने के लिए फरवरी 2009 में आबंटित किया गया। प्लान को संशोधित किया गया तथा अधिक दुकानें बनाए जाने हेतु कवर्ड क्षेत्र को 18288.96 से बढ़ाकर 31305.11 वर्ग मीटर कर दिया गया। बोर्ड द्वारा फरवरी 2012 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि के साथ मार्च 2011 में ₹ 89.53 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई। अक्तूबर 2012 तक (बिजली संबंधी कार्य पर ₹ 17.30 करोड़ सहित) ₹ 76.68 करोड़ का व्यय हो चुका था परंतु निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा था (दिसंबर 2012)।



निर्माणाधीन एग्रोमाल, रोहतक का चित्र (दिनांक 4 अप्रैल 2012)

एग्रो माल, करनाल

यह निर्माण कार्य सितंबर 2008 में ₹ 16.94 करोड़ की लागत से एक वर्ष के भीतर पूरा किए जाने के लिए दिया गया था। (₹ 8.86 करोड़ के बिजली संबंधी व्यय सहित) ₹ 28.34 करोड़ अक्तूबर 2012 तक खर्च किया जा चुका है परंतु जिस निर्माण कार्य को सितंबर 2009 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था वह अभी तक भी अधूरा पड़ा है (दिसंबर 2012)।



इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने अन्य कमियां भी अवलोकित की:

- ₹ 15.42 करोड़ (पंचकूला-₹ 0.63 करोड़, करनाल-₹ 1.20 करोड़ और रोहतक-₹ 13.59 करोड़) की राशि के असूचिगत कार्यों को संबंधित कार्यकारी अभियंताओं द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के, कराया गया।

- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के संदर्भ में निर्माणकर्ता एजेन्सियों से कल्याण उपकर की वसूली का प्रावधान नहीं किया गया जिससे बोर्ड पर ₹ 12.74 लाख की देनदारी आ गई।

22 नंवबर 2012 को हुई एक एग्जिट कान्फ्रेंस में कृषि विभाग हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव ने कहा कि क्योंकि हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. संहिता को नवंबर 2009 से लागू किया गया था इसलिए

विस्तृत अनुमान, डिजाइन इत्यादि के बनाए जाने की शर्तो को निर्माण कार्य सौंपे जाने से पहले ठेका संविदाओं में शामिल नहीं किया जा सका, जबकि निर्माण कार्य हेतु निविदाओं को उस तिथि से पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका था। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि ये शर्ते पुरानी पी.डब्ल्यू.डी. संहिता में तथा मानक बिडिंग दस्तावेजों में पहले से ही मौजूद थी। विभाग ने सूचित किया कि ठेकेदारों से कल्याण उपकर को वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि किए गए करारों में इस संबंध में कोई भी उपबंध शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इसे बोर्ड में अप्रैल 2008 को लागू किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त उपकर लगाने एवं भुगतान में से काटना एक वैधानिक आवश्यकता थी और यह फरवरी 2007 के बाद हरियाणा में हुए सभी निर्माण कार्यो के लिए लागू थी।

इस प्रकार, निर्माण कार्यो को बिना उनकी वास्तविक आवश्यकताओं, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टो, अनुमोदित डिजाईन तथा नक्शों के तथा निर्माण कार्य के पूर्ण विस्तार का निर्धारण किए, परिकल्पित किया गया तथा आबंटित किया गया। प्रोजेक्ट तथा ठेका संविदाएं तैयार करने में भी आयोजना की कमी थी, क्योंकि समय पर कार्य पूरा न करने पर जुर्माना लगाने की मुख्य शर्तो तथा कल्याण उपकर काटे जाने जैसी शर्तो को ठेका संविदाओं में शामिल नहीं किया गया। इससे बोर्ड के वित्तीय हितों के साथ खिलवाड़ हुआ और अधूरे भवनों पर ₹ 132.52 करोड़ की धनराशि का अवरोधन हुआ तथा लक्षित समूह तक वांछित लाभ नहीं पहुंच पाये।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

4.3.8 उपकर की वापसी से ठेकेदारों को अनुचित लाभ

ठेकेदारों को मजदूरी उपकर की वापसी के परिणामस्वरूप हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मियों (रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम) अधिनियम 1996 बनाया और भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मियों के कल्याण हेतु उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) बनाया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मियों के लिए रोजगार एवं सेवा शर्तो को विनियमित करना था। भारत सरकार (लेबर मंत्रालय) ने 26 सितंबर 1996 को एक अधिसूचना द्वारा कहा था कि कुल निर्माण कार्य लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर, नियोक्ता पर लगाया जाना था। तदनुसार, हरियाणा सरकार ने (मार्च 2005) हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कर्मी (रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम) नियम 2005 बनाए आगे सरकार ने नवंबर 2006 में निर्माण कार्य कर्मियों के लिए कल्याणकारी स्कीमें चलाने के लिए हरियाणा भवन एवं निर्माण कार्य कर्मी कल्याण बोर्ड का गठन किया और फरवरी 2007 से उपकर अधिनियम की जरूरतों के अनुसार एक प्रतिशत उपकर लागू किया। सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा बनवाए जाने वाले भवन तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु दिए गए बिल के भुगतानों

में से उपकर को स्रोत पर ही काटा जाना था, और इस प्रकार एकत्र उपकर की कुल राशि को बोर्ड को हस्तांतरित करना था। इस प्रकार एकत्र उपकर को भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों के कल्याणार्थ स्कीमों जैसे कि प्रसूति लाभ, पेंशन, घर की खरीद अथवा निर्माण के लिए अग्रिम, अपंगता पैंशन औजारों के लिए कर्ज, दाह संस्कार के लिए मदद राशि का भुगतान, मुत्यु पर दिए जाने वाले लाभ, चिकित्सकीय मदद, बच्चों की पढ़ाई और विवाह आदि के लिए वित्तीय मदद पर खर्च किया जाना था। सभी विभागाध्यक्षों की 26 जून 2007 को हुई बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि जहां पर निर्माण कार्य ठेकेदारों, द्वारा कराए जा रहे थे वहां उपकर की कटौती संबंधी प्रावधान को शामिल कर नए ठेके दिए जाएं, और जहां पहले से प्रोजैक्ट चल रहे हैं वहां उनके बिलों की लागत का एक प्रतिशत विभाग उसमें जोड़ दें और उपकर की उस कुल राशि को बोर्ड को हस्तांतरित कर दें।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) मंडलों के पांच[30] कार्यकारी अभियंताओं के रिकार्ड की जून 2009 से मार्च 2010 तक की गई जांच से प्रकट हुआ कि जून 2007 से अक्तूबर 2008 तक की अवधि में 27 निर्माण कार्य ***(परिशिष्ट 4.10)*** करने वाले 16 ठेकेदारों को किए भुगतान में से ₹ 63.62 लाख कल्याण उपकर के रूप में काटे गए। यह काटी गई राशि जुलाई 2007 से फरवरी 2009 के बीच बोर्ड के खातों में जमा कराई गई। एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर, मुख्य प्रशासक (सी.ए.), हुडा ने जून 2008 में सभी कार्यकारी अभियंताओं को, उन मामलों में 2 नवंबर, 2006 के पश्चात् काटा गया उपकर वापस करने के निर्देश दिए जिनके साथ किए गए करारों में उपकर को काटे जाने का उपबंध नहीं था। इन पांच कार्यकारी अभियंताओं ने ₹ 63.62 लाख की उपकर की राशि जुलाई 2008 से जून 2010 के बीच ठेकेदारों को वापिस लौटा दी। आगे और जांच से प्रकट हुआ कि इन ठेकेदारों के साथ किए गए करारों में इस तरह के प्रावधान थे कि रेट, उस समय लागू सभी करों सहित हैं। इस उपबंध के दृष्टिगत ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप हुडा का ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अपने जवाब में, मुख्य प्रशासक हुडा ने कहा (जुलाई 2012) कि उपकर राशि की वापसी केवल उन ठेकेदारों को की गई थी, जहां करारों में ऐसा प्रावधान नहीं था। सी.ए. हुडा द्वारा की गई कार्रवाई, करारों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि करारों में ऐसा प्रावधान था कि रेट, उस समय लागू सभी करों सहित हैं। इस प्रकार, उपकर की वापसी से ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा।

मामला एक अर्द्ध-शासकीय पत्र द्वारा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव को भेजा गया (मार्च 2012) परंतु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2012)।

[30] (i) हुडा इलैक्ट्रीकल मंडल, गुड़गांव: ₹ 1.86 लाख; (ii) हुडा मंडल I, गुड़गांव: ₹ 9.10 लाख; (iii) हुडा मंडल VI, गुड़गांव: 9.58 लाख; (iv) हुडा मंडल, रोहतक: 30.83 लाख तथा (v) हुडा मंडल, पानीपत: ₹ 12.24 लाख।

4.3.9 सोसायटी के लिए अनुचित पक्षपात

₹ 11.09 करोड़ की लागत से रोहतक में बनी स्कूल इमारत को एक शिक्षा सोसायटी को ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर पट्टे पर दे दिया गया। इस तरह, सोसायटी का अनुचित पक्ष लिया गया।

हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण (हुडा) अधिनियम 1977 की धारा 13 के अनुसार इस प्राधिकरण के उद्देश्य से किसी शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी अथवा अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा प्राप्त करना होंगे। यह अवलोकित किया गया कि आयोजना के नीतिगत निर्देशों के अनुसार (फरवरी 2009) हुडा विभिन्न सामुदायिक भवन स्थलों जैसे क्रैच, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के लिए प्लॉट काटता है और उन में से कुछ स्थलों पर भवनों का निर्माण करता है, और उन्हें संबंधित विभागों को ₹ 100 प्रतिवर्ष की मामूली टॉकन लीज पर 99 वर्ष के लिए दे देता है। स्कूल भवनों को पट्टे पर दिए जाने के नीति निर्देश, इसके साथ-साथ प्रावधान करते है कि:

- हुडा द्वारा बनाए गए स्कूल भवनों को पट्टे पर देने के लिए आवेदन विज्ञापन देकर मांगे जाऐंगे।
- केवल प्रसिद्ध एन.जी.ओ. जो कि उस विज्ञापन के छपने से दो वर्ष पहले से पंजीकृत हो वही आवेदन देने के योग्य थे।
- केवल वही एन.जी.ओ. जो कि गरीब बच्चों को दान स्वरूप शिक्षा प्रदान कर रही है। वही इसके योग्य थी।
- भवनों को शुरू में पांच वर्ष की अवधि के लिए ₹ 100 प्रतिवर्ष की टॉकन लीज राशि के साथ दिया जाना था। जिसे सोसायटी के कार्य को देखते हुए अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाना था।

संपदा अधिकारी, रोहतक के रिकार्ड की जांच से प्रकट हुआ कि हुडा ने शिक्षा विभाग से उसकी आवश्यकता का बिना पता लगाए सैक्टर-4, रोहतक में 22,132 वर्गमीटर के प्लाट पर ₹ 11.09 करोड़[31] की लागत से सीनियर सैकेंडरी स्कूल के लिए एक भवन बनाया जिसे शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाना था। संपदा अधिकारी, हुडा, रोहतक ने फरवरी 2010 में यह भवन बिना निविदाएं मांगे, ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर प्रधान, मॉडल स्कूल सोसायटी, रोहतक को नीतिगत निर्देशों के संबंध में ढील देते हुए, सोसायटी को 30 वर्ष की अवधि के लिए दे दिया (फरवरी 2010)।

इस बारे में अक्तूबर 2010 में इंगित करने पर, नवंबर 2012 को एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव एवं महानिदेशक शहरी संपदा विभाग (यू.ई.डी.) ने कहा कि स्कूल भवन इसलिए उस सोसायटी को दिया गया क्योंकि प्राधान्यत: उपायुक्त (डी.सी.) सहित सरकारी अधिकारी उसके सदस्य/अध्यक्ष थे और सोसायटी के कार्यो का संचालन एक्स-आफीशियो की हैसियत में 'न लाभ, न हानि' के आधार पर कर रहे थे। डी.जी., यू.ई.डी. ने आगे कहा कि स्कूल भवन को पट्टे पर देने बारे प्रैस में विज्ञापन देने की जरूरत इसलिए

[31] निर्माण की लागत: ₹ 2.26 करोड़; भूमि की लागत: ₹ 8.83 करोड़।

महसूस नहीं की गई क्योंकि उपायुक्त एवं प्रशासक, हुडा रोहतक द्वारा इस भवन को मॉडल स्कूल सोसायटी को दिए जाने की पुरजोर सिफारिश की गई थी। आगे, सोसायटी रोहतक के वासियों को शिक्षा के उच्च मानक उपलब्ध करा रही थी और महानिदेशक, स्कूली शिक्षा, हरियाणा द्वारा इस बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी।

विभाग का यह तर्क स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मीडिया में व्यापक प्रचार के न होने से पारदर्शिता की कमी रही, जिससे सोसायटी का अनुचित पक्ष लिया गया। सोसायटी, सरकारी स्कूलों द्वारा ली जा रही मामूली फीस अथवा न ली जा रही फीस की तुलना में विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक विद्यार्थी से ₹ 1,400 तथा ₹ 2,100 के बीच बहुत ज्यादा फीस प्रति माह ले रही थी, इस प्रकार प्रधान सचिव एवं महानिदेशक, यू.ई.डी. का दावा कि मॉडल स्कूल 'न लाभ न हानि' के आधार पर सरकारी संगठन की भांति चल रहा था, गलत सिद्ध हो रहा था। पी.एस. एवं डी.जी. की यह धारणा, कि इस मॉडल स्कूल द्वारा रोहतक के वासियों को शिक्षा के उच्च मानक उपलब्ध कराए जा रहे थे, ठीक नहीं ठहरती क्योंकि निर्धन परिवारों/आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ई.डब्ल्यू.एस.) से संबद्ध बच्चे मॉडल स्कूल में प्रवेश लेने में समर्थ नहीं थे। इ.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए आरक्षित 201 सीटों (सरकार की तरफ से निर्धारित, कुल बच्चों की संख्या का 25 प्रतिशत) के विरूद्ध स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के केवल दो ही विद्यार्थियों को इस स्कूल में प्रवेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पट्टे पर देने की नीति में शुरू में पांच वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रावधान होने पर भी भवन को 30 वर्ष के पट्टे पर दे दिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया कि स्कूल भवन को ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर देने के अतिरिक्त 2009 से 2011 के दौरान ₹ 39.50 लाख (***परिशिष्ट 3.2*** में दिए विवरणानुसार) की राशि विवेकाधीन अनुदानों के रूप में सोसायटी को दी गई।

इस प्रकार, नीति निर्देशों का उल्लंघन कर ₹ 11.09 करोड़ की लागत से बने स्कूल भवन को एक सोसायटी का पक्ष लेते हुए उसे ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर दे दिया गया।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

4.3.10 निजी कॉलोनी निर्माताओं को लाइसैंस प्रदान करना

लाइसैंसों का नवीनीकरण न करने से, ₹ 1.86 करोड़ की नवीनीकरण की फीस राशि कालोनी विकासकर्ताओं से अवसूली रह गई। आगे, बैंक गारंटियों की पुनःवैधता के लिए कोई निगरानी प्रणाली न होने से ₹ 1.92 करोड़ की बैंक गारंटियां समाप्त हो गई।

महानिदेशक (डी.जी.), नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.) हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन, अधिनियम, 1975 की धारा 3 एवं उसके नीचे बनाए गए नियमों के संदर्भ में

निर्धारित फीस एवं परिवर्तन शुल्क के भुगतान करने पर कॉलोनी विकासकर्ता[32] को आवासीय ग्रुप हाऊसिंग के विकास अथवा प्लाट बना कर बनाई गई कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। आरंभ में लाइसेंस दो वर्ष के लिए वैध होता है, इसे नवीनीकरण फीस का भुगतान कर एक वर्ष के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है जब तक कि कालोनी पूरी नहीं हो जाती। 2001-02 से 2010-11 की अवधि में, विभाग ने राज्य में कालोनी विकासकर्ताओं को 863 लाइसेंस जारी किए। इनमें से 225 लाईसैंस फाईलों की लेखापरीक्षा द्वारा रेंडम चयन के आधार पर डी.पी.टी.सी.पी.टी. के कार्यालय में जनवरी 2012 में जांच की गई तथा निम्नलिखित कमियां एवं अनियमितताएं पाई गई:

(क) लाईसैंस के नवीनीकरण की फीस की वसूली न करना

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन, नियम 1976 के नियम 13 में प्रावधान है कि जहां कॉलोनी विकासकर्ता कालोनियों में विकास कार्य को पूर्ण करने में विफल रहता है वहां उनके लाइसैंसों को पुन: नवीनीकृत किया जाये। जहां पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है ऐसे मामलों में कालोनी विकासकर्ताओं को लाइसैंस जारी करने के लिए निर्धारित फीस के 10 प्रतिशत की दर से नवीनीकरण फीस के साथ आवेदन करना था तथा जहां आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था वहां निर्धारित फीस के 2.5 प्रतिशत फीस सहित आवेदन करना था।

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार के अनुच्छेद 3.16 (v) में ''लाइसैंसों का नवीनीकरण न करना'' संबंधी उल्लेख था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि गुड़गांव में चार कॉलोनी विकासकर्ताओं[33] के लाइसेंस अंतिम बार जून 2010 एवं दिसंबर 2010 के बीच की दिनांक तक नवीनीकृत किए गए। कालोनियों के विकास कार्य अधूरे होने पर भी दिसंबर 2012 तक उन्हें नवीनीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार, इन लाइसेंसों के नवीनीकरण न करने से, कालोनी विकासकर्ताओं से ₹ 1.86 करोड़ की राशि अवसूली रह गई।

महानिदेशक ने दिसंबर 2012 में सूचित किया कि दो मामलों में कालोनी विकासकर्ताओं ने मई तथा जून 2012 तक के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन किया था। शेष दो मामलों में लाईसैंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि, यह तथ्य, तथ्य ही रहा कि विभाग द्वारा ऐसी कोई प्रणाली, जिसके द्वारा लाईसैंसों

32 कॉलोनी विकासकर्ता का अर्थ है कोई व्यक्ति, कंपनी अथवा संघ, व्यक्तियों का निकाय जिसके पास कॉलोनी में परिवर्तित कराने हेतु अपनी भूमि है।

33 (i) यूनिटैक लिमिटेड, गुड़गांव दिसंबर 2011 (₹ 11.87 लाख) नवीनीकरण के लिए मई 2012 में आवेदन किया।
(ii) यूनिटैक लिमिटेड, गुड़गांव जून 2011 (₹ 8.19 लाख) नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।
(iii) यूनिटैक लिमिटेड, गुड़गांव मई 2011 (₹ 46.12 लाख) नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।
(iv) डा0 फ्रेश रियल स्टेट गुड़गांव जून 2010 (₹ 119.80 लाख) नवीनीकरण के लिए जून 2012 में आवेदन किया।

के पुन: नवीनीकरण की देय तिथियों और वसूली जाने वाली लाइसैंस फीस की राशि पर समीप से निगरानी रखी जा सके, नहीं बनाई थी।

(ख) बैंक गारंटी का व्यपगत होना

नियम 11 तत्रैव कहता है कि कॉलोनी विकासकर्ताओं को अनुमानित विकास कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत के तुल्य बैंक गारंटी देनी होगी। कालोनी विकासकर्ताओं द्वारा किसी भी करार भंग की अवस्था में, महानिदेशक उन्हें दिए गए लाइसैंसों को रद्द कर सकता है तथा ऐसे में बैंक गारंटी जब्त की जानी होगी।

महानिदेशालय में बैंक गारंटी रजिस्टरों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि यद्यपि, ₹ 1.92 करोड़ राशि की छ: बैंक गारंटियों की कालावधि सितंबर 2005 तथा सितंबर 2006 के बीच समाप्त हो चुकी थी जिन्हें, अभी तक कालोनी विकासकताओं से उन्हें पुन: वैध नहीं कराया गया था (दिसंबर 2012) क्योंकि बैंक गारंटियों के पुन: वैधीकरण कराने की कोई प्रणाली नहीं बनाई गई थी।

इस बारे में लेखापरीक्षा द्वारा जनवरी 2012 में इंगित किए जाने पर विभाग ने संबद्ध कालोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिए थे (नवंबर 2012)।

(ग) कालोनियों का पूर्ण न होना

नियम 12 में तत्रैव प्रावधान है कि कालोनियों में विकास कार्य दो वर्ष में पूर्ण हो जाना चाहिए और नियम 16 के अधीन टी.सी.पी.डी. से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

17 जिलों में जहां पर कॉलोनी विकासकर्ताओं ने सामूहिक आवासीय कालोनियां अथवा प्लाटों वाली कालोनियां नवंबर 2011 तक विकसित करनी थी, ऐसे 225 प्रकरणों में से 160 प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि किसी भी कॉलोनी विकासकर्ता ने कालोनियां पूरी नहीं बनाई थी (जनवरी 2012)। ऐसे में, विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बारे में इंगित किए जाने पर, महानिदेशक ने जनवरी 2012 में कहा कि इन प्रोजेक्टों के विकास में कई दशक लग जाएंगे क्योंकि मूलभूत निर्माण संरचना में जैसे कि जलापूर्ति, सीवरेज, तूफानी जल निकास, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, बिजली के सब-स्टेशन इत्यादि अभी मुहैया कराया जाना था। विभाग के उत्तर के दृष्टिगत, लेखापरीक्षा का ऐसा विचार है कि ऐसी सभी मूलभूत सुविधाओं के पूरा होने के लिए समयावधि बढ़ाए जाने के बारे में नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि निवासी मूल सुविधाओं से वंचित न रहने पायें।

यह मामला, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव को जून 2010 में संदर्भित किया गया था परंतु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2012)।

अध्याय 5

सरकारी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

5.1 तकनीकी शिक्षा विभाग

विशिष्टताएं

तकनीकी शिक्षा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योगों के साथ अन्य सैक्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर को सम्मिलित करते हुए अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा ने प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध स्कीमों के कार्यान्वयन में त्रुटियां तथा कक्षाओं, छात्रावासों, डिस्पेन्सरियों आदि हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचना प्रकट की। विभाग का ध्यान की अनिवार्य आवश्यकता वाले अनेक चिंता के क्षेत्र एवं मामले है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

पॉलीटैक्निकों द्वारा तुरन्त आवश्यकता के बिना आहरित ₹ 14.53 करोड़ की राशि सरकारी लेखे से बाहर रही।

(अनुच्छेद 5.1.8.2)

2007-12 के दौरान एक अभियांत्रिकी कॉलेज को निर्मुक्त ₹ 27 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹ 12.22 करोड़ की राशि (45 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़ी थी।

(अनुच्छेद 5.1.8.3)

विद्यार्थियों को ₹ 17.17 लाख का अनुरक्षण भत्ता उनके हकदारी के आधिक्य में दिया गया था।

(अनुच्छेद 5.1.9.3)

फैकल्टी विकास कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए ₹ 3.09 करोड़ की राशि अतिथि अध्यापकों को वेतन के भुगतान के प्रति विपथित किए गए थे

(अनुच्छेद 5.1.9.4)

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के प्रवेश के लिए प्री-एडमिशन प्रशिक्षण के लिए ₹ 15.88 करोड़ की राशि उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना निर्मुक्त कर दिए गए थे। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की जिससे सर्विस प्रदाता को लाभ हुआ।

(अनुच्छेद 5.1.9.8)

विभाग ने बंद हुए व्यवसायिक संस्थाओं के टीचिंग स्टाफ की सेवाएं उपयोग के लिए कोई प्लान तैयार नहीं की थी।

(अनुच्छेद 5.1.11.3)

5.1.1 प्रस्तावना

तकनीकी शिक्षा राज्य तथा देश के पूर्ण रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु भरपूर योगदान देती है। तकनीकी शिक्षा विभाग (टी.ई.डी.) तकनीकी शिक्षा के चहुंमुखी विकास तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है। यह अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्कीटेक्चर, होटल प्रबंधन तथा प्रायोगिक आर्ट तथा क्राफ्टस के क्षेत्रों में तथा स्नातकोत्तर/पूर्व स्नातक तथा डिप्लोमा द्वारा तकनीकी प्रबंधक/वैज्ञानिक/इंजीनियर/कुशल व्यावसायिक तैयार करता है।

5.1.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (पी.एस.), तकनीकी शिक्षा विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष है तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। महानिदेशक (डी.जी.) विभाग के अध्यक्ष तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी है तथा मुख्यालयों पर दो अपर निदेशकों, चार संयुक्त निदेशकों तथा तीन उप-निदेशकों द्वारा सहायता की जाती हैं। सरकारी पोलिटैक्नीकों के प्रिंसिपलों को क्षेत्र में विभाग की नीतियों/योजनाओं को कार्यान्वित करना होता है। विभाग ने 13 प्लान तथा 8 नॉन-प्लान योजनाएं कार्यान्वित की ***(परिशिष्ट 5.1)***। राज्य में 11 सरकारी पोलिटैक्निक्स, 12 सरकारी पोलिटैक्निक सोसायटीज, 4 सरकारी सहायता प्राप्त पोलिटैक्निक्स तथा 158 प्राइवेट पोलिटैक्निक्स हैं। निदेशालय के अतिरिक्त, विभाग के विभिन्न कार्यो के प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित शीर्ष समितियां भी बनाई गई थी:

हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी: सरकार ने, समयबद्ध पद्धति में प्रवेश प्रक्रिया की पूर्ति तथा प्रवेश के लिए पारदर्शी तथा एकरूप नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी (सोसायटी) बनाई गई थी (मार्च 2007)

सोसायटी स्वयंपोषी है तथा काउंसलिंग तथा एग्जामिनेशन फीस से अपने खर्च पूरा करती है। यदि आवश्यक हो तो, यह प्रवेश परीक्षा संचालित करती है, तथा विभिन्न दाखिलों के लिए आनलाइन काउंसलिंग संचालित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा अनुमोदित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पेपररहित दाखिले करने के लिए सोसायटी एक नोडल एजेंसी है।

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एच.एस.बी.टी.ई): एच.एस.बी.टी.ई, पॉलिटैक्नीक्स में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास सहित आफिलिएशन, पाठ्यक्रम विकास तथा परीक्षा के लिए 2008 में बनाई एक सांविधिक निकाय है।

राज्य फीस कमेटी: प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सभी तकनीकी कोर्सो के फीस ढांचे को विनियमित करने के लिए एक राज्य फीस कमेटी बनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निदेश (अगस्त 2003) दिए थे। तदनुसार, सरकार द्वारा

उच्च न्यायालय के वर्तमान दो जजों से समायुक्त एक तदर्थ राज्य फीस कमेटी बनाई गई थी। नियमित कमेटी का गठन अभी भी प्रक्रियाधीन था। प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, इसलिए, हरियाणा प्राइवेट व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियमन तथा फीस का निर्धारण) बिल 2012 तैयार किया गया था जो सरकार के विचाराधीन था (जून 2012)।

5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सी.सी.ओ. आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने हेतु थे कि:

- विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों के उद्देश्यों के सुपुर्दगी के निबंधनों के कारगर आयोजना तथा कार्यक्रम प्रबंधन;
- विभाग में विद्यमान आबंटित प्राथमिकताओं के संदर्भ में दक्ष वित्तीय प्रबंध तथा संसाधन इष्टतमत: उपयोग किए गए थे;
- कौशल उन्नयन के लिए कर्मचारियों की संस्वीकृति, नियोजन तथा प्रशिक्षण के निबन्धनों में मानव संसाधनों का दक्ष प्रबंधन विद्यमान था;
- प्रापण तथा मालसूची नियंत्रण हेतु कारगर प्रक्रिया विद्यमान थी; तथा
- उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावलियों सहित पर्याप्त प्रावधान तथा मानीटरिंग विद्यमान थी।

5.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- पंचवर्षीय योजना प्रलेख तथा विभाग की वार्षिक कार्ययोजनाएं।
- समय-समय पर जारी की गई सरकारी अधिसूचनाएं तथा निर्देश।
- राज्य में यथा लागू पंजाब बजट मैनुअल/पंजाब वित्तीय नियमों/पंजाब ट्रेजरी नियमों के प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा पर ए.आई.सी.टी.ई. मार्गनिर्देश।
- विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं।

5.1.5 लेखापरीक्षा अनिवार्यता, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

विभाग के साथ-साथ हरियाणा राज्य काउंलिंग सोसायटी तथा एच.एस.बी.टी.ई. की मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.) आधारित लेखापरीक्षा, इसके समग्र कार्यचालन को आवृत्त करते हुए, 2007-12 अवधि हेतु, राज्य स्कीमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एसज) के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा सहित,

डी.जी., तकनीकी शिक्षा विभाग तथा चयन किए गए 10 (32 प्रतिशत) राजकीय बहुतकनीकियों (राजकीय: 4, सोसायटीज: 4 सहायता प्राप्त: 1 तथा इंजीनियरगि कालेज: 1) ***(परिशिष्ट 5.2)*** के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा की गई (जनवरी-जून 2012)। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धाराए 13 एवं 23 के अंतर्गत की गई थी।

लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व, लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड तथा लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, प्रधान सचिव (पी.एस.), तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ चर्चित किए गए थे (मई 2012)। लेखापरीक्षा निष्कर्ष, अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा ज्ञापन एव प्रश्नावलियां जारी करके उपलब्ध डाटा के विश्लेषण तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय कार्यकारियों के उत्तर प्राप्त करने के पश्चात्, निकाले गए थे। लेखापरीक्षा परिणाम, पी.एस., तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ, दिसंबर 2012 में आयोजित एक्जिट कांफ्रेंस में चर्चित किए गए थे तथा सरकार के विचार, प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिए गए हैं।

5.1.6 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा के लिए सूचना तथा अभिलेख प्रदान करने में तकनीकी शिक्षा विभाग तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के सहयोग के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.1.7 प्लानिंग

राज्य के अंदर तथा बाहर दोनों उपलब्ध अवसरों के उपयोग तथा आवश्यक निपुणता प्राप्त करने के लिए युवा को योग्य बनाने तथा पोस्ट स्कूल स्टेज पर मानव संसाधनों में कुशलता विकसित करने के विचार से विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय रोजना (2007-12) में स्थापित लक्ष्यों के संदर्भ में अपनी गतिविधियां प्लान की। वार्षिक प्रोग्राम तैयार किए गए थे जिनमें विभिन्न गतिविधियों के लिए लक्ष्य निश्चित किए गए थे तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट अनुमान तैयार किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्लान, संस्थाओं से फीडबैक तथा तकनीकी मानव शक्ति की संदर्शी मांग संबंधी किसी सर्वे पर आधारित नहीं थी। विभाग, मांग को ध्यान में रखे बिना ही नए पोलिटैक्निक्स की इमारतों के निर्माण पर विशाल निधियां व्यय कर रहा था क्योंकि वर्तमान पोलिटैक्निकस में बृहद् संख्या में सीटें खाली रही। विभाग ने मूलभूत संरचना के सृजन पर विशाल निधियां व्यय की लेकिन शिक्षा की गुणवता को सुधारने के लिए कुछ ठोस नहीं किया गया था। अधिकांश संस्थाएं मुख्यत: अतिथि अध्यापक नियुक्त कर चलाए जा रहे थे क्योंकि विभाग अध्यापन स्टाफ की कमी का सामना कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप पास प्रतिशतता, ड्रापआउट्स आदि कम हो गए थे जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं। इस प्रकार, विभाग में उपयुक्त प्लानिंग की कमी थी।

5.1.8 वित्तीय प्रबंध तथा बजटीय नियंत्रण

बजट प्रत्येक विभाग के लिए वार्षिक वित्तीय ऐजैंडा स्थापित करता है तथा वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ष उपकरण हैं। इसीलिए यह, अनिवार्य है कि बजट तैयारी सही सावधानी तथा कर्मिष्ठता से चिन्हित है। सही ढंग से प्रतिपादित बजट लक्ष्यों के विरूद्ध व्यय की प्रगति की मॉनीटरिंग करना एक महत्वपूर्ण प्रबन्धन निरीक्षण कार्य है घटिया बजटीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप ना केवल अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अकुशल प्रयोग होता है बल्कि संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धियों में भी बाधा डालता है।

5.1.8.1 बजट प्रावधान तथा व्यय

राज्य द्वारा अपनाए गए पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 5.3 में जैसा कि निर्धारित किया गया है साधारण व्यय का बजट अनुमान यथा संभव सही फ्रेम किया जाना चाहिए। व्यय की सभी मदें जो पूर्व ज्ञात की जा सकती हैं, सही उप–शीर्षो के अन्तर्गत शामिल तथा प्रावधान किया जाना चाहिए। गत पांच वर्षो के दौरान बजट प्रावधान तथा व्यय की स्थिति **तालिका** 1 में दी गई है:

तालिका 1: 2007 – 12 के दौरान बजट प्रावधान तथा व्यय दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के संदर्भ में आधिक्य (+)/ बचत(–) (प्रतिशत)
2007-08	144.91	112.82	112.95	(-) 22.06
2008-09	156.24	234.27	234.66	(+) 50.19
2009-10	287.61	206.23	206.38	(-) 28.24
2010-11	239.09	261.48	195.26	(-) 18.33
2011-12	222.47	254.30	254.32	(+) 14.32

स्रोतः विनियोजन लेखे।

मूल बजट तथा वास्तविक व्यय में भिन्नताएं (–) 22.06 प्रतिशत तथा (+) 50.19 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अपने बजट प्रबलता से संशोधित किए। बजट, मुख्यतः ट्रेनिंग कार्यक्रमों, एस.सी. श्रेणियों के लिए विशेष घटक, एस.सी. विद्यार्थियों को स्टाइपेंड, छोटू राम पॉलीटैक्नीक, रोहतक, वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक, यंगमैन्ज क्रिश्चियन एसोसिएसन (वाई.एम.सी.ए.), फरीदाबाद को अनुदान की कम निर्मुक्ति, गैर सरकारी तकनीकी कालेजों तथा संस्थाओं आदि को सहायता के अंतर्गत बचतों के कारण संशोधित करना पड़ा। नए सरकारी पॉलीटैक्निक्स की स्थापना के कारण 2008 – 09 में वास्तविक व्यय बजट से बढ़ गया।

5.1.8.2 सरकारी लेखे से बाहर निधियों का रखना

पंजाब वित्तीय नियमों के अनच्छेद 2.10 (बी) (5) जैसा कि राज्य में लागू है प्रावधान करता है कि ट्रेजरी से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह तुरन्त वितरण के लिए अपेक्षित न हो। आगे, वित्त विभाग ने दोहराया (मार्च 2009) कि राज्य की समेकित निधि से धन

आहरित करने के बाद किसी भी रूप में सरकारी लेखों से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी आहरण तथा संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओज) जरूरत की अग्रिम में ट्रेजरी से विभिन्न स्कीमों से संबंधित निधियां आहरित की थी तथा इनको बैंक खातों में रखा। चार डी.डी.ओज के संबंध में ₹ 14.53 करोड़ राशि की निधियां ब्याज सहित 31 मार्च 2012 ***(परिशिष्ट 5.3)*** को बैंक खाते में पड़ी थी। ₹ 6.78 करोड़[1] की राशि छः चालू खातों में पड़ी थी। आवश्यकता के अग्रिम में निधियों को आहरण तथा इसको बैक खातों में रखना वित्तीय नियमों के उल्लंघन में था।

आगे, अव्ययतीत शेषों के बारे में कारणों को जानने के लिए अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विशेष स्कीमों के अन्तर्गत पड़े पिछले शेषों को ध्यान में रखे बिना निधियां आहरित की गई थी। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के पास अव्ययित निधियों की स्थिति **तालिका 2, 3 एवं 4** में वर्णित है:

तालिका 2: विशेष घटक अनुसूचित जाति योजना

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	वर्ष	आरंभिक ो ा	निर्मुक्त निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	शेष
राजकीय बहुतकनीकी नीलोखेड़ी	2008-09	शून्य	260.00	260.00	95.93	164.07
	2009-10	164.07	190.00	354.07	151.76	202.31
	2010-11	202.31	शून्य	202.31	36.61	165.70
	2011-12	165.70	शून्य	165.70	102.02	63.68
राजकीय महिला बहुतकनीकी फरीदाबाद	2008-09	शून्य	147.60	147.60	124.76	22.84
	2009-10	22.84	189.96	212.80	60.41	152.39
	2010-11	152.39	शून्य	152.39	40.37	112.02
	2011-12	112.02	शून्य	112.02	39.14	72.88

तालिका 3: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	वर्ष	आरंभिक शेष	निर्मुक्त निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	शेष
राजकीय पॉलीटैक्नीक नीलोखेड़ी	2009-10	शून्य	145.00	145.00	72.95	72.05
	2010-11	72.05	960.00	1032.05	1010.97	21.08
	2011-12	21.08	1964.80	1985.88	1487.18	498.70
राजकीय महिला पॉलीटैक्नीक फरीदाबाद	2008-09	शून्य	3.86	3.86	3.86	शून्य
	2009-10	शून्य	347.00	347.00	163.62	183.38
	2010-11	183.38	284.14	467.52	459.58	7.94
	2011-12	7.94	300.00	307.94	302.48	5.46
राजकीय पॉलीटैक्नीक झज्जर	2009-10	शून्य	174.00	174.00	173.99	0.01
	2010-11	0.01	240.00	240.01	239.81	0.20
	2011-12	0.20	300.00	300.20	162.73	137.47

[1] आदमपुर: ₹ 173.67 लाख, नीलोखेड़ी: ₹ 42.57 लाख, फरीदाबाद: ₹ 74.47 लाख, ₹ 322.70 लाख, ₹ 45.19 लाख तथा झज्जर: ₹ 19.30 लाख।

तालिका 4: हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी द्वारा छात्रवृत्ति/स्टाइपैंड/प्रोत्साहन

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	वर्ष	आरंभिक शेष	निर्मुक्त निधियां	उपलब्ध कुल निधियां	व्यय	शेष
राजकीय पॉलीटैक्नीक नीलोखेड़ी	2009-10	शून्य	634.22	634.22	247.13	387.09
	2010-11	387.09	शून्य	387.09	294.49	92.60
	2011-12	92.60	शून्य	92.60	58.06	34.54

लेखापरीक्षा ने हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी में देखा कि संस्था को, निधियां वास्तविक आवश्यकता निर्धारित किए बिना जारी की गई थी।

उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्येक महीने के अंत में संस्थाओं के पास मुख्य कैश बुकों में भारी नकद शेष थे।

संस्था का नाम	(₹ लाख में)
राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी	₹ 38.95 लाख तथा ₹ 58.61 लाख के बीच श्रृंखलित
राजकीय बहुतकनीकी, झज्जर	₹ 3.68 लाख तथा ₹ 47.07 लाख के मध्य श्रृंखलित

2008-12 के दौरान वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर राजकीय बहुतकनीकी सोसायटी, मानेसर के पास संवरण शेष ₹ 20.03 लाख तथा ₹ 406.37 लाख के बीच श्रृंखलित थे।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, तथ्यों का स्वीकारते हुए, पी.एस. ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्टाफ को निर्देश दिए।

5.1.8.3 सहायता अनुदान

विभाग, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि को सहायता अनुदान निर्मुक्त करने हेतु भी जिम्मेवार है। 2007-12 के दौरान निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदानों के विवरण **तालिका 5** में दिए गए हैं:

तालिका 5: 2007-12 के दौरान निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदानों के विवरण

कालेज/विश्वविद्यालय का नाम		निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार		11.00	11.00	10.60	20.00	35.00	87.60
दीनबन्धु छोटुराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल	प्लान	12.00	13.00	15.00	25.00	25.00	90.00
	नॉन प्लान	5.10	7.86	10.04	10.05	11.48	44.53
वाई.एम.सी.ए., फरीदाबाद		5.14	7.51	9.06	5.62	6.23	33.56
चौधरी देबीलाल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नुवाला मोटा (सिरसा)		6.00	4.00	5.00	6.00	6.00	27.00
योग		**39.24**	**43.37**	**49.77**	**66.67**	**83.71**	**282.69**

स्रोतः विभागीय आंकड़े।

पंजाब वित्तीय नियमों का नियम 8.14 (ए) (3) प्रावधान है कि विभाग को किसी सार्वजनिक निकाय या संस्था को अनुदान संस्वीकृत करने से पहले लेखापरीक्षित विवरणी पर यथा संभव बल दिया जाना चाहिए यह देखने के लिए कि सहायता अनुदान ग्रांटी की वित्तीय स्थिति द्वारा न्यायोचित है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पिछला अनुदान प्रयोजन जिसके लिए यह अभीष्ट था के लिए व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2007-12 के दौरान चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नुवाला मोटा (सिरसा) को निर्मुक्त किए गए ₹ 27 करोड़ के सहायता अनुदान में से **तालिका 6** दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 12.22 करोड़ (45 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी।

तालिका 6: अप्रयुक्त सहायतानुदान के विवरण

(₹ लाख में)

संस्वीकृति का वर्ष	पिछले वर्ष का शेष	वर्ष के दौरान संस्वीकृत	उपलब्ध कुल निधियां	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2007-08	(-) 21.59	600	518.41	278.62	299.79
2008-09	299.79	400	699.79	258.48	441.31
2009-10	441.31	500	941.31	321.95	619.36
2010-11	619.36	600	1219.36	256.83	962.53
2011-12	962.53	600	1562.53	340.32	1221.21
कुल		**2700**		**1456.20**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

सहायता अनुदान में से बचतें या तो सरकार को रिफंड की जानी अपेक्षित थी या भावी मांगो की निर्मुक्ति में समायोजित की जानी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि अव्यतीत राशि न तो सरकार को रिफंड की गई थी और न ही भावी मांगों में समायोजित की गई थी। ₹ 14.43 करोड़ राशि की ट्यूशन फीस भी का योग बनाते हुए बैंक खातों में कालेज के पास पड़ी थी।

विभाग ने सहायता अनुदान निर्मुक्त करते समय पिछले वर्षो के दौरान संस्था द्वारा किए गए व्ययों को ध्यान में नहीं रखा तथा आगे अनुदानों की निर्मुक्ति जारी रखी परिणामत: भारी निधियों का संचय हुआ।

एग्जिट कांफ्रैस के दौरान, पी.एस. ने बताया कि सरकारी खातों में संगृहीत फीस क्रेडिट करने हेतु इस संस्थान के अलावा दूसरे बहुतकनीकियों (शत प्रतिशत सहायता प्राप्त) को निर्देश जारी किए गए थे। सहायता अनुदान में से निधियों के संचयन के संबंध में यह बताया गया था कि संस्थान द्वारा विकासशील गतिविधियों को नहीं की जा सकी थी तथा इस प्रकार अव्ययतीत शेष संचित हो गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि यदि विभाग ने संस्था के पास उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखने के बाद सहायता अनुदान निर्मुक्त किया होता तो निधियों के संचय से बचा जा सकता था।

5.1.8.4 अस्थाई अग्रिमों का असमायोजन

अस्थाई अग्रिम, का अवसर जिसके लिए अग्रिम दिए गए थे के तुरंत बाद समायोजित किए जाने चाहिए। किसी भी मामले में, इसे अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत करने हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह देखा गया कि संस्थाएं स्टूडेंन्ट निधि में विर्निदिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्टूडेंन्ट निधि से अस्थाई अग्रिम दे रही थी। संबंधित स्टाफ द्वारा अग्रिम दी गई निधियों में से किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाना तथा अव्ययित शेष यदि कोई है तो वापिस किया जाना अपेक्षित था। नमूना-जांच किए गए सात जिलों में, यह देखा गया कि ₹ 61.70 लाख ***(परिशिष्ट 5.4)*** के अग्रिम के विरूद्ध समायोजन बिल संबंधित स्टाफ द्वारा मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने सूचित किया कि आहरण के एक महीने के भीतर अग्रिम समायोजित करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए थे।

5.1.8.5 मार्च के महीने के दौरान व्यय का वेग

वर्ष के दौरान व्यय समान रूप से वितरित किए जाने चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय के वेग को टालना चाहिए। नमूना - जांच के दौरान यह देखा गया कि नमूना - जांच की गई संस्थाओं में वर्ष के अंतिम महीने के दौरान औसत व्यय 21 प्रतिशत था, जिनमें से सबसे ज्यादा राजकीय पॉलीटेक्नीक नीलोखेड़ी में था जहां यह 2007 - 12 ***(परिशिष्ट 5.5)*** के दौरान कुल व्यय का 17 तथा 54 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित था।

छ:[2] संस्थाओं के मुख्यों ने बताया (मार्च - जून 2012) कि व्यय का वेग, मुख्यत: प्रत्येक वर्ष फरवरी - मार्च में सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति के कारण था। इसने सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति में दोषपूर्ण प्रणाली को सूचित किया। लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि सरकार को मार्च के महीने में व्यय के वेग को टालने के लिए सारा वर्ष निधियों की समान रूप से निर्मुक्ति की प्रणाली सरल एवं कारगर बनानी चाहिए।

5.1.9 स्कीमों का कार्यान्वयन

5.1.9.1 राज्य में नए बहुतकनीकियों के संस्थापन में विलंब

राज्य सरकार की नीति के अनुसार, कम से कम एक नया बहुतकनीकी प्रत्येक जिले में खोला जाना था। तदनुसार, राज्य सरकार ने 22 नए बहुतकनीकी संस्थापित करने हेतु योजना बनाई तथा ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) में ₹ 115 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 13 बहुतकनीकियों का निर्माण कार्य ₹ 198.73 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन से लिया गया था। ₹ 124.25 करोड़ की राशि कार्यकारी एजेंसियों को निर्मुक्त कर दी गई थी। इसमें से ₹ 108.43 करोड़ का व्यय जून 2012 तक किया गया था। 13 में से सात बहुतकनीकियों के भवन मई 2011 तक पूरा किए जाने लक्ष्यित थे लेकिन केवल तीन बिल्डिंग पूरी की गई थी (जून 2012)। चार बहुतकनीकियों का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर था मार्च 2012 को विलंब 10 से 20 महीनों के बीच श्रृंखलित थे। शेष छ: बहुतकनीकियों का भवन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 5.6)***। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि विलंब लोक निर्माण विभाग की ओर से थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्य जिसके लिए आरंभिक राशियां पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी थी, को पूरा करवाने हेतु मामले को अनुसरित किया जाना चाहिए था।

5.1.9.2 अनुसूचित जाति छात्रावासों का निर्माण

राज्य सरकार ने चिन्हित किया था कि शैक्षणिक मैरिट आधारित मापदण्ड पर छात्रावास सुविधाओं के

[2] राजकीय बहुतकनीकी: (i) आदमपुर, (ii) झज्जर, राजकीय बहुतकनीकी सोसाइटी: (iii) नाथुसरी चोपटा, (iv) नरवाना, (v) लोहारू तथा (vi) छोटूराम बहुतकनीकी, रोहतक।

आबंटन की प्रक्रिया में, अनेक अनुसूचित जाति (एस.सी.) विद्यार्थी छात्रावास सुविधाओं से वंचित किए गए थे। इसीलिए, सरकार ने एस.सी. विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावासों के निर्माण हेतु निर्णय किया। इन छात्रावासों में, प्राथमिकता एस.सी. विद्यार्थियों को दी जानी थी। अवधि 2007-12 के दौरान,
12[3] नए छात्रावास निर्मित किए जाने थे। ₹ 74.92 करोड़ की राशि विभाग द्वारा निर्मुक्त की गई थी। इनमें से 10 छात्रावास अक्तूबर 2010 तक पूरे किए जाने थे तथा दो छात्रावास अप्रैल-जून 2013 तक पूरे किए जाने थे। तथापि, ऐसे आठ छात्रावास पूर्ण कर दिए गए थे (मार्च 2012)। लोहारू तथा उतावड़ में स्थित दो छात्रावासों का निर्माण कार्य क्रमश: 34 तथा 30 महीने की देरी के बाद भी पूरा नहीं किया गया था।

डी.जी. ने बताया (जुलाई 2012) कि देरी लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) की ओर से थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग को एस.सी. विद्यार्थियों को अभिप्रेत सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करवाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के साथ मामले को अनुसरित करना चाहिए था।

5.1.9.3 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम

पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सैकडरी स्टेज पर पढ़ रहे एस.सी. विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने योग्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से जी.ओ.आई. द्वारा स्कीम शुरू की गई थी (2003)। स्कीम को मापदण्ड में आने वाले सभी एस.सी. विद्यार्थियों को रख-रखाव भत्ते, अपंग एस. सी. विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ता, स्कालरज द्वारा दी गई फीस का रिफंड, स्टडी टूर प्रभार, थिसिस टाइपिंग, प्रिंटिंग प्रभार, डिसटेन्स शिक्षा तथा बुक बैंक सुविधाओं सहित पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक भत्ते के रूप में सहायता प्रदान करना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच ने आगे निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

- **अनुरक्षण भत्ता**

अनुरक्षण भत्ता चार समूहों में श्रेणीबद्ध था तथा भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विवरण **तालिका 7** में दिए गए हैं।

तालिका 7: अनुरक्षण भत्ते की दरें

ग्रुप	पाठ्यक्रम	अनुरक्षण भत्ते की दर (₹ प्रति माह)	
		छात्रावासी	गैर-छात्रावासी
ग्रुप-i	डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रमों	740	330
ग्रुप-ii	दूसरे व्यवसासिक तथा तकनीकी ग्रेजुएट तथा ग्रुप-i में शामिल न किए गए पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम	510	330
ग्रुप-iii	ग्रेजुएट तथा उससे ऊपर डिग्री तक ले जाने वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम	355	185
ग्रुप-iv	ग्रेजुएशन से पहले सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पाठ्यक्रमों जैसे कक्षाएं 10+2 सिस्टम तथा मध्यवर्ती परीक्षा में कक्षाएं xi तथा xii	235	140

[3] (i) आदमपुर, (ii) & (iii) अंबाला: 2, (iv) झज्जर, (v) हिसार, (vi) लोहारू, (vii) मानेसर, (viii) नाथुसरी चोपटा, (ix) नीलोखेड़ी, (x) सिरसा, (xi) सोनीपत तथा (xii) उतावड़।

चूंकि सभी राजकीय बहुतकनीकी ग्रुप iv के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों को चला रहे थे, छात्रावासियों तथा गैर छात्रावासियों को क्रमश: ₹ 235 तथा ₹ 140 पर अनुरक्षण भत्ता भुगतान योग्य था। राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी में 2007 - 10 के दौरान ग्रुप - 11 पर लागू दरों पर ₹ 510 तथा ₹ 330 पर विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया जाना था। दावे प्रिंसीपल, राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी द्वारा तैयार किए गए थे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल द्वारा अनुमोदित किए गए थे। दरों के इस गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप 2007 - 10 के दौरान ₹ 17. 17 लाख की राशि का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकारत करते समय, पी.एस. ने बताया कि राशि की वसूली मुश्किल थी क्योंकि विद्यार्थियों ने संस्थाएं छोड़ दी थी तथा अपनी जॉब आदि के सिलसिले में दूसरे स्थानों पर जा चुके होंगे तथा लेखापरीक्षा की अभ्युकित के बाद किए गए भुगतान स्कीम के ग्रुप IV में विनियमित किए गए थे। तथापि, विभाग द्वारा अधिक भुगतान हेतु कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई थी।

- **बुक - बैंक सुविधा**

सभी मान्यता प्राप्त कालेजों/संस्थाओं में इस स्कीम के अंतर्गत बुक - बैंक स्थापित किए जाने थे। नमूना - जांच की गई नौ संस्थाओं में से, छ:[4] संस्थाओं ने यह सुविधा अपनी संस्थाओं में प्रदान नहीं की थी। आगे, राजकीय महिला बहुतकनीकी फरीदाबाद में, 351 विद्यार्थियों में से केवल 177 को पुस्तकें प्रदान की गई थी जबकि 174 विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित थे। इस प्रकार, नमूना - जांच की गई संस्थाओं में विद्यार्थियों को दी गई सुविधा नगण्य थी। यह देखा गया कि यद्यपि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी, फिर भी बुक बैंक सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकार करते समय, पी.एस. ने आश्वासन दिया कि सुविधा उन्नत की जाएगी तथा बुक बैंकस में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 10 सेट्स प्रदान करने हेतु स्टाफ को निर्देश दिया।

5.1.9.4 संकाय विकास कार्यक्रम

वर्तमान संकाय सदस्यों को उनकी उच्चत्तर अध्ययन अर्थात् एम.ई./एम.टेक, पी.एच.डी. आदि जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। स्कॉलरशिपस एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान 50 फैकल्टी सदस्यों को दी जानी थी। इसके अतिरिक्त, लघु अवधि/दीर्घावधि ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों/सेमीनारज/वर्कशॉपस, काफ्रेंस भी आयोजित किए जाने थे। यह देखा गया कि परियोजना के अंतर्गत ₹ 3.09 करोड़ की राशि नमूना - जांच की गई संस्थाओं के निपटान पर रखी गई निधियां अतिथि अध्यापकों के वेतन के भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की गई थी ***(परिशिष्ट 5.7)***। निधियां, जिस प्रयोजन के लिए ये स्वीकृत की गई थी, के लिए प्रयुक्त नहीं की गई थी तथा अनभिप्रेत प्रयोजन के प्रति विपथित कर दी गई थी।

[4] (i) आदमपुर, (ii) झज्जर, (iii) लोहारू, (iv) मानेसर, (v) नाथूसरी चोपटा तथा (vi) रोहतक।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने वेतन शीर्ष से अतिथि अध्यापकों को भुगतान करने हेतु निर्देश दिए थे (दिसंबर 2012) तथा स्कीम की निधियां केवल स्कीम से संबंधित गतिविधियों पर व्यय किए जाने चाहिए।

5.1.9.5 एस.सी. विद्यार्थियों को नि:शुल्क किताबों की आपूर्ति

''नि:शुल्क किताबों की आपूर्ति'' स्कीम के अंतर्गत एस.सी. विद्यार्थियों को निर्धारित किताबों, संदर्भ किताबों, आदि की लागत प्रतिपूरित की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 7.40[5] करोड़ के बजट प्रावधान के बावजूद 2007-12 के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े एस.सी. विद्यार्थियों को पुस्तकें आपूरित नहीं की गई थी। 2008-09 के दौरान प्रदान की गई ₹ 6.40 करोड़ की समग्र निधियां मार्च 2009 में ''एस.सी. छात्रावासों के निर्माण'' के प्रति विपथित की गई थी तथा सरकार द्वारा विनियमित की गई थी। किताबों की अनापूर्ति के कारण, आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को स्कीम के लाभों से वंचित कर दिए गए।

डी.जी. ने बताया (अप्रैल 2012) कि पाठ्यक्रम के संभावित परिवर्तन के कारण, 2008-09 के दौरान क्रय प्रक्रिया रोक दी गई थी तथा प्रक्रिया मार्च 2011 में पुन: आरंभ की गई थी जो अंतिमकृत नहीं की गई थी (मार्च 2012)। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, पी.एस. ने विभागीय अधिकारियों को सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिए कि जनवरी 2013 तक चल रहे सत्र के लिए किताबें उपलब्ध थी।

5.1.9.6 सामुदायिक कालेज तथा अध्यापकों की सक्षमता उन्नति हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से सितंबर 2010 में सरकार द्वारा स्कीम अनुमोदित की गई थी। स्कीम के अनुसार, एक सामुदायिक कालेज तथा अध्यापकों की सक्षमता उन्नति हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान संस्थापित किए जाने थे। ये संस्थान एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा चलाए जाने थे। राज्य सरकार तथा इग्नू ने सोसायटी को चलाने के लिए मूलधन के रूप में प्रत्येक ने ₹ एक करोड़ अंशदत्त किए। सोसायटी अक्तूबर 2010 में पंजीकृत की गई थी तथा राजकीय पोलिटेक्निक शैक्षणिक सोसायटी, मानेसर के टीचिंग ब्लाक में कार्य आरंभ कर दिया। बिल्डिंग ₹ एक प्रतिवर्ष के टोकन लीजरैन्ट पर सोसायटी को प्रदान की गई थी।

अध्यापकों की सक्षमता प्रगति संस्थान की स्थापना के उद्देश्य मुख्यत: थे:

- प्री सर्विस तथा इन सर्विस अध्यापकों को प्रशिक्षण देना;
- प्रारम्भिक बाल शिक्षा, प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा कालेज तथा युनिवर्सिटी अध्यापकों के लिए शार्ट टर्म सर्टीफिकेट स्तर कार्यक्रम डिजाइन करना;

[5] 2008-09: ₹ 6.40 करोड़, 2010-11: ₹ 50 लाख तथा 2011-12: ₹ 50 लाख।

- प्रशासन, स्कूल लीडरशिप तथा उच्चत्तर शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; तथा

- सामुदायिक कालेजों पर विशेष बल से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण।

यह देखा गया कि अध्यापकों का सक्षमता प्रगति संस्थान शुरू नहीं किया गया था (जून 2012)। संस्थान स्थापन का उद्देश्य अनुपलब्ध रहा।

सामुदायिक कालेज केवल 48 सदस्यों के साथ दो पाठ्यक्रम चला रहा था। शार्ट टर्म सर्टिफिकेट लेवल कोर्सों के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। सोसायटी द्वारा, इग्नू को, आठ पाठ्य कार्यक्रम आरंभ करने हेतु प्रस्ताव किया गया था जो कार्यान्वित भी नहीं किया गया था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकार करते समय पी.एस. ने बताया कि संस्थान इग्नू से असम्बद्ध कर दिया गया था क्योंकि सहयोग सफल सिद्ध नहीं हुआ तथा मूलभूत संरचना जल्दी ही प्रयोग की जाएगी।

5.1.9.7 रोजगार अभिमुख संस्थान/ट्रेनिंग प्रोग्राम

स्कीम का लक्ष्य युवाओं के मध्य, औद्योगिक रोजगार हेतु उन्हें सुसज्जित कर बेरोजगारी कम करने उद्योग के विभिन्न ट्रेडस में निपुण कार्मिकों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना तथा ड्राइविंग स्कूलों, पैरा-मैडीकल, आटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे क्षेत्रों में शार्ट टर्म पाठ्यक्रमों के माध्यम से एस. सी. सदस्यों को ट्रेनिंग देना भी था। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 2008-09 में ₹ चार करोड़ संस्वीकृत किए तथा राशि निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग के निपटान पर रखी। राशि विभाग द्वारा आहरित की गई (मार्च 2009) तथा प्रिंसीपल, राजकीय महिला बहुतकनीकी, मोरनी (पंचकुला) के पास जमा कर दी गई। टारगेट समूहों, कार्यकारी एजेंसी, कार्यान्वयन पद्धति, पाठ्यक्रमों की प्रकृति तथा अवधि, प्रमाणीकरण आदि संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश मार्च 2010 में अंतिमकृत किए गए। निधियां, कार्यान्वयन एजेंसियों को जनवरी 2010 (₹ 0.50 करोड़) तथा मार्च 2010 में (₹ 3.50 करोड़) निर्मुक्त कर दी गई थी। इतने में राशि प्रिंसीपल के बैंक खाते में रही तथा ₹ 10.45 लाख की राशि ब्याज के रूप में अर्जित की गई जिसमें, से विभाग ने ₹ 0.57 लाख स्कीम पर व्यय किए तथा ₹ 9. 88 लाख अभी भी प्रिंसीपल के बैंक खातों में पड़ी थी। आगे, ₹ 76.45 लाख (₹ 5.81 लाख ब्याज सहित) की राशि की निधियां जुलाई 2012 तक 11 बहुतकनीकियों के पास अव्ययित रही। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि स्कीम की रूपात्मकताएं तथा तुरंत आवश्यकता अंतिमकृत किए बिना आहरित की जो वित्तीय नियमों तथा औचित्य के विरूद्ध था।

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नीति के प्रतिपादन में विलंब के परिणामस्वरूप कौशल विकास पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में विलंब हुआ तथा विद्यार्थियों को स्कीम के लाभ से वंचित किया।

5.1.9.8 एस.सी. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता/नियोजन के लिए विशेष कोचिंग

इंजीनियरिंग अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.) 2008 तथा 2009 में प्रवेश लेने वाले हरियाणा के एस.सी. विद्यार्थियों को कोचिंग देने के लिए रूचि की

अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रेस नोटिस के माध्यम 8 दिसंबर 2007 को डी.जी., तकनीकी शिक्षा द्वारा आमंत्रित की गई थी। आवेदक एजेंसियों को निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करने थे:

- इस एरिया में कम से कम तीन वर्ष जरूर होनी चाहिए।
- कम से कम 500 विद्यार्थियों को समान प्रकृति का प्रशिक्षण जरूर दिया गया होना चाहिए।
- कम से कम ₹ 25 लाख प्रतिवर्ष का वित्तीय टर्नओवर जरूर होना चाहिए।
- योग्य तथा निपुण फैकल्टी अवश्य होनी चाहिए।
- चंडीगढ़/हरियाणा/दिल्ली के किसी या सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

बोलियां दो भागों में प्राप्त की जानी थी यानि तकनीकी बोलियां तथा वित्तीय बोलियां। विज्ञापन की अनुक्रिया में, बोलियां सात[6] एजेंसियों से प्राप्त की गई थी। गीता प्रबंधन संस्थान को छोड़कर, सभी एजेंसियों को 21 जनवरी 2008 को अपर निदेशक (परीक्षा), संयुक्त निदेशक (विकास), संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग) तथा लेखा अधिकारी से समायुक्त कमेटी के सामने प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा गया था। स्कीम अनुमोदित करते समय, पी.एस. वित्त विभाग ने भी विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी कि कोचिंग के लिए लगाई गई एजेंसी का पिछली प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दर के निबंधन में एक अच्छा ट्रेक रिकार्ड होना चाहिए तथा केवल न्यूनतम कोटेशन के अनुसार नहीं जाना चाहिए।

निम्नतम निविदादाता होने के कारण, डी.ई.टी./अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) पाठ्यक्रम 2008 तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.)/ए.आई.ई.ई.ई. 2009 संचालित करने के लिए मास्टरमाइंड क्लासिज (एम.एम.सी.), चंडीगढ़ को कार्य आबंटित[7] किया गया था (मार्च 2008)। तदनुसार, 11 मार्च 2008 को सर्विस प्रोवाइडर के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया गया। ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी. 2008 में प्रवेश के लिए पहला पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद, उपस्थिति आधारित तथा रैंक आधारित भुगतान क्लॉज शामिल करते हुए 20 जून 2008 को समझौता संशोधित किया गया था। दो वर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम भी शामिल किया गया था। संशोधित समझौते के अनुसार, सर्विस प्रोवाइडर को फोकस्ड क्रैश पाठ्यक्रम (एफ.सी.सी.) (ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी.) के लिए: ₹ 2,500 प्रति विद्यार्थी, एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रोग्राम (ओ.वाई.सी.पी.) (ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी.): ₹ 12,500 अध्ययन सामग्री के बिना तथा ₹ 15,500 अध्ययन सामग्री के साथ प्रति विद्यार्थी तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रोग्राम (टी.वाई.सी.पी.) (ए.आई.ई.ई.ई.): ₹ 25,000 अध्ययन सामग्री के बिना तथा ₹ 28,000 अध्ययन सामग्री के साथ प्रति विद्यार्थी भुगतान किए जाने थे। कोर्सवेयर की

6 (i) पी.सी.ई.एस. शिक्षा नई दिल्ली, (ii) एम.एस.सी. प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़, (iii) आई.आई.टी.एस. नई दिल्ली, (iv) प्रतियोगी परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय केंद्र एम.डी.यू. रोहतक, (v) गीता प्रबंधन संस्थान कुरूक्षेत्र, (vi) एक्सीलैंट कोचिंग सैंटर तथा (vii) साहिल स्टडी सर्कल चंडीगढ़।

7 डी.ई.टी./ए.आई.ई.ई.ई. 2008: ₹ 2500 प्रति विद्यार्थी, डी.ई.टी./ए.आई.ई.ई.ई. 2009: ₹ 15,500 प्रति विद्यार्थी अध्ययन सामग्री के साथ तथा ₹ 12,500 अध्ययन सामग्री के बिना (सेवा कर अतिरिक्त)।

लागत छोड़ते हुए पाठ्यक्रम का 50 प्रतिशत भुगतान कोचिंग के दौरान निर्मुक्त किया जाना था तथा शेष प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रैंक से जुड़ा था।

कार्य को देने तथा कान्ट्रैक्ट समझौते से संबंधित अभिलेखों ने निम्नलिखित अनियमिताएं प्रकट की:

(ए) कान्ट्रैक्ट की प्रदानगी

मास्टरमाइंड क्लासिज की तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली दस्तावेजी प्रमाण जैसे तीन वर्षीय अनुभव प्रमाण-पत्र, बैलेंस शीट, आदि के साथ समर्थित नहीं थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुभव तथा टर्नओवर के संबंध में बोलीदाता के पात्रता मानदंड पूर्ण नहीं थे। आगे बोलीदाता के पास सेवा कर पंजीकरण संख्या नहीं थी जिसने इंगित किया कि यह नई कंपनी थी। यह देखा गया था कि मास्टर माइंड कलासिज, मास्टरमाइंड कलासिज (एम.एम.सी.), ग्वालियर की फ्रेंचाइज थी। बोलीदाता द्वारा इंगित किया टर्नओवर एम.एम.सी. ग्वालियर का था न कि एम.एम.सी. चण्डीगढ़ का। इस प्रकार, एम.एम.सी. चण्डीगढ़ बोली की मूलभूत शर्तें पूरी नहीं कर रही थी।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि एम.एम.सी., ग्वालियर, एम.एम.सी. चंडीगढ़ का कारपोरेट आफिस था तथा फ्रेंचाइज समझौते के अनुसार अध्ययन सामग्री तथा तकनीकी जानकारी देने का आश्वासन दिया था, इस प्रकार एम.एम.सी., चंडीगढ़ को योग्य माना गया।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ई.ओ.आई. में स्पष्टत: उल्लिखित था कि सर्विस प्रोवाइडर के पास अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए। इस मामले में, बोली दाता के पास अन्य जरूरतों के साथ अनुभवी योग्यता प्राप्त टीचिंग स्टाफ नहीं था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों ने सिद्ध नहीं किया कि ई.ओ.आई. प्रस्तुत करने की तिथि पर एम.एम.सी. चंण्डीगढ़ के पास योग्यता प्राप्त टीचिंग स्टाफ था। तथ्य, कि एम.एम.सी. चण्डीगढ़ के पास सेवा कर पंजीकरण संख्या नहीं थी, यह प्रमाणित करता है कि यह नई कंपनी थी।

(बी) कॉन्ट्रैक्ट समझौते में कमियां

i) समझौता दिनांक 14 मार्च 2008, जून 2008 में संशोधित किया गया था तथा दो वर्षीय कार्यक्रम प्रथम पाठ्यक्रम का निष्पादन मूल्यांकित किए बिना शामिल किया गया था। करार अनुबंध के अनुसार समझोता पूरा करने में विफलता के मामले में हानि को आवृत करने के लिए न तो कोई शास्ति धारा और न ही कोई सुरक्षा जमा समाविष्ट किया गया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, कि समझौते में उपस्थिति तथा रैंक आधारित भुगतान के लिए प्रावधान जोड़ने हेतु यह उपयुक्त समझा गया था। तदनुसार, उस समय प्रचलित समझदारी के अनुसार इन प्रावधानों के साथ संशोधित समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि निष्पादन आधारित भुगतान शास्ति धारा को आवृत नही किया।

ii) लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि समझौता अपर जिला न्यायवादी (ए.डी.ए.) या किसी अन्य विधि प्राधिकारी से वैट नहीं करवाया गया था। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि यह तर्कसंगत था कि ए.डी.ए. द्वारा वैटिंग बेहतर होती (लेकिन केवल अनिवार्य) तथा इस मामले में सक्षम अधिकारी ने

संशोधित समझौते को अनुमोदन देने हेतु उपयुक्त माना। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि समझौता दस्तावेजों की कानूनी तरीके से जांच करवाई जानी हमेशा बेहतर होती है।

iii) विभाग उम्मीदवारों को आपूरित की जाने वाली सामग्री के विवरण विनिर्दिष्ट किए बिना क्रमश: एक वर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम तथा एफ.सी.सी. की पाठ्यक्रम सामग्री के लिए ₹ 3,000 तथा ₹ 500 की राशि भुगतान करने हेतु सहमत हो गया। इस प्रकार, सर्विस प्रोवाइडर किसी तरह की सामग्री आपूरित करने के लिए स्वतंत्र था।

(सी) पाठ्यक्रम – वार अनियमितताएं

सर्विस प्रोवाइडर ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 के दौरान पांच पाठ्यक्रमों का संचालन किया तथा ₹ 15.88 करोड़[8] की राशि भुगतान की गई थी। एजेंसी ने सभी बिल डी.जी. को प्रस्तुत किए तथा दावों की यथार्थता निदेशालय द्वारा सत्यापित की गई थी न कि निदेशालय में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा। भुगतान राजकीय बहुतकनीकियों, अंबाला, नीलोखेड़ी तथा कल्पना चावला महिला बहुतकनीकी, अंबाला सिटी द्वारा निर्मुक्त किए गए थे। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रस्तुत बिलों की न तो निदेशालय पर लेखा शाखा ना ही संबंधित बहुतकनीकी जिसने भुगतान निर्मुक्त किए गए थे, द्वारा संवीक्षा की गई थी।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि स्कीम मुख्यालय पर प्रतिपादित तथा विचारित की गई थी तथा यह सक्षम अधिकारी द्वारा, केन्द्रीयकृत पद्धति में परियोजना निष्पादित करना तथा समझौते के प्रावधानों के अनुसार अंतिम लेखाओं के समायोजन के साथ-साथ अंतरिम भुगतानों की निर्मुक्ति के लिए एक समान मानदंड अपनाकर उन्हें निदेशालय स्तर पर सत्यापित करने के बाद फील्ड कार्यालयों पर भुगतान निर्मुक्ति का लिपिकीय कार्य छोड़ना उपयुक्त माना गया था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि दावों की सही संवीक्षा या तो मुख्यालय पर या फिल्ड कार्यालय में लेखा शाखा द्वारा नहीं की गई थी जो अति आवश्यक था।

भुगतान करने में कमियां निम्नवत् चर्चित हैं:

(डी) संकेन्द्रित क्रैश पाठ्यक्रम 2008

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.) के लिए अप्रैल 2008 में एक महीने का संकेन्द्रित क्रैश पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। पंजीकरण डाटा के अनुसार ए.आई.ई.ई.ई. कोचिंग के लिए 1,128 विद्यार्थी तथा डी.ई.टी. कोचिंग के लिए 2,144 विद्यार्थी थे। एम.एम.सी., चण्डीगढ़ द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 1,149 विद्यार्थी तथा डी.ई.टी. के लिए 3,894 विद्यार्थी थे। एम.एम.सी., चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बिल में विद्यार्थियों की संख्या एक दूसरे से भिन्न थी। अंत में, विभाग ने ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 1,126 विद्यार्थियों तथा डी.ई.टी. के लिए 7,829 के दावे पर विचार किया तथा ₹ 1.84 करोड़ का भुगतान परिकलित किया गया जिसमें से ₹ 1.70 करोड़ के अन्तरिम भुगतान किए गए। विभाग ने प्रत्येक बिल में विद्यार्थियों को भिन्न संख्या के लिए कारणों की पूछताछ नहीं की।

[8] 2008-09: ₹ 5.00 करोड़, 2009-10: ₹ 6.53 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 4.55 करोड़।

संशोधित समझौते (जून 2008) के आधार पर एम.एम.सी., चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल में, डी.ई.टी. के 2,831 विद्यार्थियों तथा ए.आई.ई.ई.ई. के 664 विद्यार्थियों के परिणाम उपलब्ध नहीं थे जिसने स्पष्टत: सूचित किया कि ये विद्यार्थी प्रवेश परिक्षाओं के लिए उम्मीदवार नहीं थे, यह देखा गया कि एम.एम.सी. द्वारा कोचिंग पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले ए.आई.ई.ई.ई. के लिए आवेदनों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जा चुकी थी। इस प्रकार, कोचिंग के लिए उनका प्रवेश न्यायसंगत नहीं था। विभाग ने इन मामलों में अंतिम बिल में परिणाम आधारित भुगतान अनुमत नहीं किया था, लेकिन 3,495 विद्यार्थियों को ₹ 1,500 प्रति उम्मीदवार की दर पर भुगतान पहले ही किए जा चुके थे। विभाग ऐसे उम्मीदवारों की सूची भी नहीं दे सका जिनका परिणाम उपलब्ध नहीं था। इन मामलों में कुल भुगतान ₹ 52.43 लाख (सर्विस कर अतिरिक्त) परिकलित किया गया, जो विवेकपूर्ण नहीं था। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि हैड काउंट मैथड अपनाने के कारण सूची प्राप्त नहीं की गई तथा विद्यार्थियों की संख्या भौतिक निरीक्षण के अनुसार स्थिर कर दी गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि भुगतान करने के लिए भौतिक गणना उचित पद्धति नहीं है। विभाग को समुचित प्रणाली आरंभ करनी चाहिए जिसमें कोचिंग सैंटरों में कोचिंग के लिए दर्ज किए गए विद्यार्थियों के नाम, कोचिंग के लिए आने वाले तथा जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की थी, उनके नाम उपलब्ध होने चाहिए तथा जिस आधार पर एजेंसी को भुगतान सत्यापित किया गया था।

(ई) नियमित पाठ्क्रम 2009

ओ.वाई.सी.पी. डी.ई.टी. तथा ए.आई.ई.ई.ई. 2009 के लिए विज्ञापन, अगस्त 2008 से शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों के लिए 23 जुलाई 2008 को अखबारों में प्रकाशित हुआ था। ₹ 8.80 करोड़ की राशि सर्विस प्रोवाइडर को दी गई थी जैसा कि **तालिका 8** में वर्णित है:

तालिका 8: सेवा प्रदाता को भुगतानों के विवरण

क्र सं.	बिल नं. तथा तारीख	दावा किए गए भुगतान का विवरण	भुगतान दावा	किया गया भुगतान
			(₹ लाख में)	
1.	1/29 दिसंबर 2008	पाठ्यक्रम वेयर की कीमत 1,848 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.) तथा 5,732 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थियों/₹ 3,000 प्रति विद्यार्थी	2.27	1.50
2.	2/7 जनवरी 2009	30 प्रतिशत ट्यूशन फीस 1,207 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.) तथा 5,732 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थियों/₹ 3,750 प्रति विद्यार्थी = ₹ 260.21 लाख 835 ए.आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी / ₹ 5,000 प्रति विद्यार्थी = ₹ 41.75 लाख सेवा कर = ₹ 37.32 लाख	3.39	1.00
3.	3/17 फरवरी 2009	₹ 418.16 लाख घटा पहले ही प्राप्त ₹ 250 लाख के लिए 830 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.), 5081 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.) तथा 365 ए.आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी दर्शाते हुए बिल संशोधित किया।	1.68	3.05
4.	5 मई 2009	पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 के विरूद्ध	-	0.50
5.	3/3 मार्च 2009	ट्यूशन फीस 10 प्रतिशत 830 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.), 365 ए.आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.) तथा 5,081 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी ₹ 1,250 प्रति विद्यार्थी	0.78	शून्य
6.	13/3 अगस्त 2009	परिणाम आधारित बिल 819 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.) तथा 4,703 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) विद्यार्थी	3.09	2.75
		कुल	**11.21**	**8.80**

नोट: शेष 10 प्रतिशत भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, सर्विस प्रोवाइडर ने न केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई बल्कि दो वर्षीय प्रोग्राम के लिए विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया। विभाग ने विज्ञापन दिए बिना सर्विस प्रोवाइडर के बिलों पर विचार किया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि दो वर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम (टी.वाई.सी.पी.) समझौते में अनुमोदित की गई थी। इस प्रकार टी.वाई.सी.पी. के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश दिए गए थे। विभाग का उत्तर युक्तियुकत नहीं था क्योंकि इस पाठ्यक्रम के सिवाय सभी कोर्सो के लिए विभाग द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई थी तथा विज्ञापन जारी किया गया था। इस मामले में, टी.वाई.सी.पी. न तो सर्विस प्रोवाइडर को दी गई अनुमति में उल्लिखित था न ही विज्ञापन में उल्लिखित था।

विभाग ने 16 फरवरी 2009 को उम्मीदवारों की संख्या 830 ए.आई.ई.ई.ई. (ओ.वाई.सी.पी.), 365 ए. आई.ई.ई.ई. (टी.वाई.सी.पी.), 5681 डी.ई.टी. (ओ.वाई.सी.पी.) पर स्थिर कर दी थी, जो अगले दिन अर्थात् 17 फरवरी 2009 को बिना किसी विरोध के सर्विस प्रोवाइडर द्वारा स्वीकार कर ली गई थी तथा भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत कर दिए गए। यह इस तथ्य का सूचक था कि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई थी। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि सर्विस प्रोवाइडर के पास स्वीकार के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि समझौते के प्रावधानों के अनुसार पार्टियों के बीच हुए समझौते के निबंधनों तथा शर्तो से संबंधित किसी मतभेद/झगड़े के मामले में, बही अकेले निर्णायक अर्थात् डी.ई.टी. को संदर्भित किया जाना था जो स्वीकार्य, अनुकूल तथा अंतिम थे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोई सर्विस प्रोवाइडर जिसने विद्यार्थियों की उच्चतर संख्या स्वीकार कर ली थी उनको पहले की पाठ्यक्रम सामग्री आपूरित कर दी थी तो बिना किसी विरोध के विद्यार्थियों की कम संख्या स्वीकार नहीं करेगा।

(एफ) विभाग ने बिल नं. 3 दिनांक 17 फरवरी 2009 की फोटो प्रतियां प्रयोग करके राजकीय महिला बहुतकनीकी, अंबाला तथा राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी के माध्यम से ₹ 3.05 करोड़ की राशि निर्मुक्त की जैसा कि **तालिका 9** में वर्णित है:

तालिका 9: बिल की फोटोप्रतियों पर जारी भुगतानों के विवरण

क्र. स.	सर्विस प्रोवाइडर के बिल के विवरण		बिल की फोटोप्रतियों पर निर्मुक्त भुगतानों का विवरण		
	बिल नम्बर तथा तिथि	राशि (₹ लाख में)	राशि (₹ लाख में)	बिल नम्बर तथा तिथि	भुगतान निर्मुक्त करने वाली संस्क्षा का नाम
1	3/17 फरवरी 2009	168.15	80.00	504/19 मार्च 2009	जी.पी.डब्ल्यू, अंबाला शहर
			75.00	108/28 मई 2009	जी.पी.डब्ल्यू, अंबाला शहर
			100.00	244/27 अगस्त 2009	जी.पी, नीलोखेड़ी
			25.00	237/ 9 अक्तूबर 2009	जी.पी, नीलोखेड़ी
			25.00	307/24 दिसंबर 2009	जी.पी, नीलोखेड़ी
	कुल	**168.15**	**305.00**		

सर्विस प्रोवाइडर से सही बिल प्राप्त किए बिना भुगतानों की निर्मुक्ति तथा दावा की गई राशि की अधिकता में भुगतान की निर्मुक्ति न्यायसंगत नहीं थी। विभाग ने बताया (सितंबर 2012) कि इनवायस आधारित भुगतानों की निर्मुक्ति व्यवहारिक स्प से संभव नहीं थी क्योंकि सत्यापन की

प्रक्रिया तथा प्रस्तुत बिल समकालिक नहीं किए जा सके। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग को भुगतान करने से पहले बिल प्राप्त करने चाहिए थे।

(जी) क्रैश पाठ्यक्रम 2009

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.)/डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (डी.ई.टी.) 2009 में प्रवेश के लिए क्रैश पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ₹ 60 लाख की उच्चतम लागत के साथ 19 मार्च 2009 को अनुमति दी गई थी। इस पाठ्यक्रम के विरूद्ध, विभाग ने ₹ 33.86 लाख का भुगतान किया (फरवरी 2010)। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि क्रैश पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विभाग द्वारा अखबारों में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था क्योंकि समझौता तीन वर्षो के लिए वैध था तथा मौखिक प्रचार द्वारा विद्यार्थियों की वृद्धि जारी थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस पाठ्यक्रम के सिवाय सभी पाठ्यक्रमों के लिए निदेशालय द्वारा अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आगे, ₹ 50.56 लाख के दावों के विरूद्ध, ₹ 33.86 लाख की एक राशि विभाग द्वारा अंतरिम भुगतान के रूप में निर्मुक्त की गई थी। आगे कोई भुगतान या तो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दावा या विभाग द्वारा निर्मुक्त नहीं किया गया। विभाग कोई समर्थित रिकार्ड यानि इस पाठ्यक्रम के लिए भुगतान का औचित्य सिद्ध करने के लिए केन्द्रों की सूची, विद्यार्थियों तथा उनके रोल नंबरों की सूची प्रस्तुत नहीं कर सका।

(एच) क्रैश पाठ्यक्रम 2010

ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी. 2010 में प्रवेश के लिए क्रैश पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति 27 जनवरी 2010 को दे दी गई थी। यह देखा गया कि समय-समय पर निरीक्षण के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित तथा सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रस्तुत नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भिन्न थी जैसा कि नीचे चर्चित है:

क्र.सं.	आधार	विद्यार्थियों की संख्या	
		ए.आई.ई.ई.ई.	डी.ई.टी
1.	बिल सं. 1 दिनांक 29 मार्च 2010	1270	8200
2.	बिल सं. 2 तथा 3 दिनांक 12 मई 2010	853	9825
3.	विभाग द्वारा निरीक्षण (पहला मार्च से मई 2010 के दौरान)	203	4395
4.	विभाग द्वारा निरीक्षण (दूसरा अप्रैल तथा मई 2010 के दौरान)	692	11059
5.	सर्विस प्रोवाइडर के बिल के अनुसार अंतिम भुगतान के लिए अनुमति दी गई	685	9852

विभाग ने ₹ 183.82 लाख का भुगतान किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र. सं.	विवरण	विद्यार्थियों की संख्या		किया गया भुगतान (₹ लाख में)
		ए.आई.ई.ई.ई.	डी.ई.टी	
1.	कोर्सवेयर	685	9852	52.68
2.	पाठ्यक्रम टीचिंग के लिए 50 प्रतिशत	406	7809	82.15
3.	परिणाम के आधार पर पाठ्यक्रम टीचिंग के लिए 50 प्रतिशत	257	3827	36.74
	सर्विस टैक्स			12.25
	कुल			**183.82**

उपर्युक्त से देखा जाएगा कि प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या में बहुत भिन्नताएं थी तथा अंत में सर्विस प्रोवाइडर ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 257 तथा डी.ई.टी. के लिए 3,827 विद्यार्थियों के लिए दावा प्रस्तुत कर सका। कोचिंग प्रदान किए गए विद्यार्थियों की संख्या तथा दावा किए गए रैंक आधारित भुगतान का अनुपात विषम था। यह उल्लिखित करना भी उपयुक्त है कि डी.ई.टी. में, 70, 507 उम्मीदवारों की कुल संख्या परीक्षा में उपस्थित हुई तथा 70,000 के रैंक तक कोंचिग सैंटर को पूरा भुगतान किया गया। विभाग ने डी.ई.टी. के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए निष्पादन आधारित भुगतान के लिए मानदण्ड संशोधित नहीं किया था।

डी.जी. ने बताया (सितंबर 2012) कि समझौता 3 वर्षो के लिए वर्ष 2008 में किया गया था जब विद्यार्थियों की संख्या 1.3 लाख थी, तत्पश्चात उम्मीदवारों की संख्या 0.70 लाख तक तेजी से घट गई जो विभाग के नियंत्रण से परे थी। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि डी.ई.टी. के लिए प्रवेश परीक्षा तथा दाखिले संचालित करने के लिए एजेंसी होने के नाते, यह भलीभांति विभाग के नोटिस में था कि विद्यार्थियों की संख्या तेजी से घट रही थी तथा अगला पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले कांट्रैक्ट समझौता में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए थे।

चूंकि ए.आई.ई.ई.ई. तथा डी.ई.टी. के परिणाम विद्यार्थियों जिनको कोचिंग दी गई थी, की संख्या से विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या के संबंध में उपलब्ध थे। ज्यादा भुगतान प्राप्त करने के लिए एम.एम.सी. द्वारा विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या दिखाने के अवसर वर्जित नहीं किए जा सकते क्योंकि इसमें ₹ 73.31[9] लाख का अधिक भुगतान आवेष्टित था।

तालिका 10 में दिए गए विवरण के अनुसार इस पाठ्यक्रम में भी, डी.ई.टी. 2010 तथा ए.आई.ई.ई.ई. 2010 के लिए क्रैश पाठ्यक्रम के लिए बिल नं. 4 दिनांक 21 जुलाई 2010 की फोटोप्रतियों के विरूद्ध राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी के माध्यम से ₹ 44.21 लाख की राशि निर्मुक्त की गई थी।

तालिका 10: बिल की फोटोप्रतियों पर जारी भुगतानों के विवरण

क्र. सं.	सर्विस प्रोवाइडर के बिल का विवरण		बिल की फोटो प्रतियों पर निर्मुक्त भुगतानों के विवरण		
	बिल सं. तथा तारीख	राशि (₹ लाख में)	राशि (₹ लाख में)	बिल सं. तथा तारीख	भुगतान निर्मुक्ति करने वाली संस्था का नाम
1	4/21 जुलाई 2010	38.89	19.21	441/22 जनवरी 2010	जी.पी. नोलोखेड़ी
			25.00	17726 जुलाई 2010	जी.पी. नोलोखेड़ी
	कुल	**39.89**	**44.21**		

(आई) नियमित पाठ्यक्रम 2011

ए.आई.ई.ई.ई./डी.ई.टी. 2011 में प्रवेश के लिए नियमित पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमति ए.आई.ई.ई.ई. के लिए 1,500 विद्यार्थियों तथा डी.ई.टी. के लिए 3,000 विद्यार्थियों की सीलिंग के साथ दे दी गई थी (15 दिसंबर 2010)। कक्षाएं 22 दिसंबर 2010 से आरंभ की जानी थी तथा ए.आई.ई.ई.ई. तथा डी.ई.टी. के आरंभ से पहले समाप्त की जानी थी। चूंकि पाठ्यक्रम देरी से शुरू किया गया था, यह 140 दिनों के एकवर्षीय पाठ्यक्रम की तुलना में 100 दिनों तक कम कर दिया गया था। पाठ्यक्रम फीस

[9] 257 + 3,827 @ ₹ 2,500= ₹ 102.10 लाख जमा सर्विस कर @ 10.3 प्रतिशत ₹ 8.41 लाख = कुल ₹ 110.51 लाख। अंतर ₹ 183.82 लाख - ₹ 110.51 लाख = ₹ 73.31 लाख।

₹ 8,929 प्रति विद्यार्थी कम कर दी गई थी। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ₹ 4.78[10] करोड़ के प्रस्तुत बिलों के आधार पर विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान योग्य ₹ 3.57 करोड़ की राशि परिगणित की (कोर्सवेयर के कारण तथा 1,115 ए.आई.ई.ई.ई. तथा 4,889 डी.ई.टी. उम्मीदवारों के लिए टयूशन फीस का 30 प्रतिशत) तथा ₹ 3.21 करोड़ की एक राशि निर्मुक्त की (मार्च 2011)।

विभाग ने डी.ई.टी. के 4,889 विद्यार्थियों के आधार पर भुगतान परिगणित किया जबकि सर्विस प्रोवाइडर को डी.ई.टी. हेतु 3,000 विद्यार्थियों के नामांकन के लिए अनुमति दी गई थी। स्वीकार्य राशि परिगणित करते समय, यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया था। सर्विस प्रोवाइडर को, कारण बताने के लिए भी नहीं कहा गया था कि उसने निर्धारित सीमा के आधिक्य में विद्यार्थियों को क्यों नामांकित किया। इस कारण, विभाग ने ₹ 87.09[11] लाख का अधिक भुगतान निर्मुक्त किया जो न्यायसंगत नहीं था।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितंबर 2012) कि सक्षम अधिकारी (डी.जी.) के अनुमोदन के बाद भुगतान निर्मुक्त किया गया था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विद्यार्थियों की अधिक संख्या सरकार जिसकी अनुमति से पाठ्यक्रम शुरू किया गया था से विनियमित करवाई जानी चाहिए थी।

विभागीय अधिकारियों द्वारा मई 2011 में किए गए निरीक्षणों ने कोचिंग कक्षाओं के संचालन में गंभीर कमियां प्रकट की जैसे सैंटर बंद पाए गए, कम उपस्थिति, अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात (1:25) का अनुरक्षण, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम वेयर प्रदान न करना आदि।

सर्विस प्रोवाइडर ने अन्ततः कोर्सो को बीच में ही छोड़ दिया (मई 2011 में निदेशालय की स्पेशल टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दूसरे फेज के अनुसार) सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने के कारण कमजोर विद्याथियों को कोचिंग के लाभ से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार ₹ 3.21 करोड़ का समग्र व्यय व्यर्थ बना दिया गया था। विभाग ने, कोचिंग अधूरी छोड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत छानबीन की जा रही है तथा चूककर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। फर्म को उसको दी गई अधिक राशि की वसूली के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया गया था (11 नवंबर 2012)। आगे, कोचिंग की स्कीम भी बंद कर दी गई (7 सितंबर 2012) क्योंकि डी.ई.टी. पास किए बिना भी सीटों की बृहद संख्या की उपलब्धता के विचार से इसको आवश्यक नहीं समझा गया था।

[10] बिल नं. 6 दिनांक 15 जनवरी 2011: ₹ 2.01 करोड़, 7 दिनांक 27 जनवरी 2011: ₹ 0.92 करोड़, 8 दिनांक 15 फरवरी 2011: ₹ 0.92 करोड़ तथा 9 दिनांक 1 मार्च 2011: ₹ 0.93 करोड़।

[11] वस्तुतः दिए गए ₹ 3,2078,760 (-) 1,115 ए.आई.ई.ई.ई + 3,000 डी.ई.टी. उम्मीदवार के लिए देयः (₹ 3,000 + 2,679 अर्थात् ₹ 8,929 x 4,115 का 30 प्रतिशत) ₹ 2,33,69,085 = अधिक भुगतान किया गया ₹ 87,09,675

अन्य अनियमितताएं

(जे) कोर्सवेयर के कारण अनियमित भुगतान

समझौते के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, नामांकित विद्यार्थियों की वास्तविक प्राप्ति के आधार पर कोर्सवेयर के लिए भुगतान निर्मुक्त किए जाने थे। विभाग ने **तालिका 11** में दिए गए विवरणों के अनुसार सर्विस प्रावाइडर को पाठ्यक्रम सामग्री के लिए ₹ 4.73 करोड़ की राशि निर्मुक्त की।

तालिका 11: कोर्सवेयर के लिए जारी भुगतानों के विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	विवरण	निर्मुक्त किए गए भुगतान (₹ लाख में)
1	क्रैश पाठ्यक्रम 2008	ए.आई.ई.ई.ई.: 1126 तथा डी.ई.टी: 7,777 विद्यार्थी/₹ 5,00	44.52
2	नियमित पाठ्यक्रम 2009	ए.आई.ई.ई.ई.: 830 + 365 तथा डी.ई.टी: 5081 विद्यार्थी/@ 3,000	188.28
3	क्रैश पाठ्यक्रम 2009	ए.आई.ई.ई.ई.: 1325 + 144 तथा तथा डी.ई.टी: विद्यार्थी/@ 5,00	7.35
4	क्रैश पाठ्यक्रम 2010	ए.आई.ई.ई.ई.: 685 तथा डी.ई.टी: 9852/@ 500	52.69
5	नियमित पाठ्यक्रम 2011	ए.आई.ई.ई.ई.: तथा डी.ई.टी. 6004 विद्यार्थी/@ 3000	180.12
		कुल	**472.96**

स्रोत: विभागीय रिकार्डज।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कोर्सवेयर की पावतियां बिलों के साथ संलग्न नहीं पाई गई थी। वास्तविक प्रापक पावतियां भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। कोर्सवेयर की प्राप्ति की अनुपस्थिति में, भुगतान प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि सर्विस प्रोवाइडर से रिकार्डज प्राप्त किए गए थे तथा लगभग 400 फाइलों में उनके पास पड़े हुए थे। विभाग ने लेखापरीक्षा को पावतियों के सैम्पल भी प्रस्तुत किए। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभाग के पास विद्यार्थियों की सूची नहीं थी जिनके लिए सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान अनुमत किया गया था। इस प्रकार, विभाग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक प्रापक पावतियां नामांकित विद्यार्थियों की सूची के संदर्भ में सत्यापित नहीं की जा सकी। आगे, सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी रूचि की अभिव्यंजना में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए जीनियस अध्ययन सामग्री पैकेज (15-18 किताबें) प्रदान करने हेतु प्रस्ताव किया था लेकिन विभाग ने किसी भी स्तर पर सत्यापित नहीं किया कि पूर्ण अध्ययन सामग्री यथा सम्मत प्रदान की गई थी। यह तथ्य भी समझौते में शामिल नहीं किया गया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत नमूना ए.पी.आरज ने भी सूचित नहीं किया कि पूर्ण सामग्री सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपूरित की गई थी।

(के) सरकारी मूलभूत संरचना का अवैध प्रयोग

समझौते (20 जून 2008) के क्लाज 2 तथा 3 के अनुसार, सर्विस प्रोवाइडर को निर्दिष्ट स्थानों पर कोचिंग सैंटर स्थापित करने थे तथा डी..टी.ई. को सैंटरों की एक सूची प्रस्तुत करनी थी जिसने व्यापक प्रचार के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करना था। अभिलेखों से यह देखा गया कि एम.एम.सी. ने शिक्षा विभाग से कोई अनुमोदन लिए बिना प्रत्येक पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले सरकारी स्कूलों के केन्द्रों की सूची प्रस्तुत की थी। डी..टी.ई. द्वारा प्रकाशित किया गया विज्ञापन कोचिंग कक्षाओं को संचालित करने के लिए सरकारी स्कूलों की मूलभूत संरचना प्राप्त करने के लिए उपकरण की तरह प्रयोग किया गया था जिसके लिए सरकार को कोई किराया नहीं दिया गया था। इस प्रथा के परिणामस्वरूप सर्विस प्रोवाइडर को अनुचित लाभ हुआ तथा सरकार को हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा विज्ञापन उपकरण की तरह प्रयोग किए गए थे। दूसरा, यदि यह वास्तव में मामला था, यह सर्विस प्रोवाइडर की ओर से विश्वास का उल्लंघन था तथा ऐसे मामलों के संव्यवहार में भविष्य के लिए एक सबक था। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था, क्योंकि नमूना-जांच के दौरान स्कूलों के प्रिंसीपलों द्वारा यह सूचित किया गया था कि तकनीकी शिक्षा विभाग के विज्ञापन के आधार पर उन्होंने कोचिंग कक्षाओं का संचालन अनुमत किया था। आगे, यह सत्यापित करना विभाग की जिम्मेदारी थी कि सैंटर प्रमाणित थे तथा संबंधित प्राधिकारी अर्थात् शिक्षा विभाग के सही अनुमोदन से स्थापित किए गए थे।

(एल) उपस्थिति के बायो-मीट्रिक सिस्टम का अप्रतिष्ठापन

समझौते के क्लॉज-9 के अनुसार, सर्विस प्रोवाइडर, बायोमीट्रिक सैंसर तथा हाजिरी की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की संभावना की छानबीन कर सकता है। लेकिन कान्ट्रैक्ट करने के बाद विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर को इसे कार्यान्वित करने को नहीं कहा। विभाग ने बताया (दिसंबर 2012) कि यह नहीं किया गया था क्योंकि यह अनिवार्य नहीं था। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने इसके लिए कभी भी जोर नहीं दिया। यदि ये नियंत्रण किए गए होते, तो अनेक अनियमितताएं टाली जा सकती थी।

(एम) केंद्रों का निरीक्षण

सभी पाठ्यक्रमों में, विद्यार्थियों की समग्र प्रवेश प्रक्रिया सर्विस प्रोवाइडर पर छोड़ दी गई थी तथा विभाग ने न तो स्वयं प्रवेश किए थे न ही कोचिंग के लिए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के नाम/पते तथा अन्य विवरण से समायुक्त उम्मीदवारों की विस्तृत केन्द्रवार सूची प्राप्त की थी। उम्मीदवारों की सूची की उपलब्धता न होने के कारण, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उम्मीदवार यथार्थ थे तथा संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। आगे, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रस्तुत सूची, निष्पादन आधारित भुगतान का दावा करते समय, यह सत्यापित नहीं कर सकी कि उन विद्यार्थियों के लिए भुगतान दावा किया गया था जिन्हें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कोचिंग दी गई थी।

विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान किए गए केंद्रों के निरीक्षण ने गंभीर कमियां प्रकट की जैसे केन्द्र बंद पाए गए, अपर्याप्त मूलभूत संरचना, विद्यार्थियों की कम उपस्थिति, की निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में एम.एम.सी., चंडीगढ़ भिन्नत: निदेशालय ने इन रिपोर्टों का ध्यान नहीं किया था क्योंकि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे।

5.1.10 शैक्षणिक गतिविधियां

5.1.10.1 प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए अनुमोदन

1966 में हरियाणा राज्य के निर्माण के समय, केवल 6 बहुतकनीकी थे (सरकारी: 4, सरकारी सहायता प्राप्त: 2) जो 2012-13 शैक्षणिक सत्र तक 194 (सरकारी: 23, सहायता प्राप्त: 5,

प्राइवेट: 158) तक बढ़ गए थे। गत पांच वर्षों के दौरान संख्या तेजी से बढ़ी। **तालिका 12** राज्य में विभिन्न ट्रेडों में तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा प्रदान करने वाले बहुतकनीकियों की तीव्र वृद्धि सूचित करती है:

तालिका 12: राज्य में बहुतकनीकियों की वृद्धि दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	भरती क्षमता
2007-08	83	25575
2008-09	137	48680
2009-10	151	49875
2010-11	163	53590
2011-12	194	63470*

* आठ संस्थाओं को प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी गई थी

(स्रोत: शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए एच.एस.सी.एस. की विवरणिका)

एच.एस.बी.टी.ई. राज्य में बहुतनीकियों की गतिविधियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार था। बोर्ड द्वारा बहुतकनीकियों का निरीक्षण करना तथा सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक अनुसरित किए गए थे। एच.एस.बी.टी.ई. द्वारा निर्मित रिव्यू कमेटी ने 2011-12 के दौरान 115 बहुतकनीकियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, सात संस्थाओं को एफिलिएशन के प्रत्याहार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे तथा 40 को भरती क्षमता कम करने के लिए तथा शेष 68 संस्थाओं की विभिन्न कमियां इंगित की गई थी। बड़ी कमियों में मानकों के अनुसार फैकल्टी की कमी, अपर्याप्त कम्प्यूटर तथा लैबोरटरी सुविधाएं, खराब औद्योगिक संवाद, संस्थाओं के प्रधानों की पोस्टिंग न होना आदि शामिल थी।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि प्राइवेट बहुतकनीकियों ने बोर्ड द्वारा एफिलिएशन के मना करने के विरूद्ध माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल याचिका दायर की थी तथा कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को प्रवेश जारी करने के लिए सितंबर 2012 में अंतरिम आदेश पास किया था।

5.1.10.2 विभाग द्वारा प्रदान किए गए लाभ

सरकारी तथा प्राइवेट दोनों संस्थाओं में बहुतकनीकियों तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अभिलाषी विद्यार्थियों के लिए सीटों की संख्या में भारी वृद्धि थी जैसा कि निम्न अनुच्छेद में चर्चित है:

- **बहुतकनीकी तथा इंजीनियरिंग कालेजों में खाली सीटों में वृद्धि**

तालिका 13 तथा 14 तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशों की स्थिति दर्शाती हैं।

बहुतकनीकी

तालिका 13: सरकारी तथा प्राइवेट बहुतकनीकियों मे प्रवेश

वर्ष	सरकारी संस्थाएं			प्राइवेट संस्थाएं		
	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	संस्वीकृत
2008-09	17000	16685	315 (2)	31680	29368	2312 (7)
2009-10	17250	16553	697 (4)	32625	27787	4838 (15)
2010-11	17170	14993	2177 (13)	36420	24887	11533 (32)
2011-12	17170	11999	5171 (30)	46300	28379	17921 (39)

राजकीय बहुतकनीकियों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2008 - 12 के दौरान तेजी से कम हुई। सचिव, एच.एस.बी.टी.ई. ने बताया (जुलाई 2012) कि बहुतकनीकियों में प्रवेश में कमी, बहुतकनीकियों की संख्या में वृद्धि के कारण थी, जो उनके नियंत्रण में नहीं थी।

इंजीनियरिंग कालेज

तालिका 14: सरकारी तथा प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

वर्ष	सरकारी संस्थाएं			प्राइवेट संस्थाएं		
	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	भरे गए	रिक्त (प्रतिशत)	संस्वीकृत
2008-09	2245	2237	8 (0)	32025	27569	4456 (14)
2009-10	2775	2423	352 (13)	41930	27312	14618 (35)
2010-11	2775	2471	304 (11)	46850	28056	18794 (40)
2011-12	2915	2740	175 (6)	55856	26269	29587 (53)

राजकीय संस्थाओं में सीटों की रिक्तता नगण्य थी जबकि प्राइवेट संस्थाओं में सीटों की रिक्तता 2011 - 12 में 53 प्रतिशत तक उच्चतर थी:

5.1.10.3 ड्रापआउट्स

तालिका 15 ने गत पांच वर्षों के दौरान डिप्लोमा कोर्सो के ड्रापआउट उम्मीदवारों की संख्या इंगित की।

तालिका 15: ड्रापआऊट उम्मीदवारों के विवरण

वर्ष	प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की संख्या	परीक्षा में पहली बार उपस्थित हुए नियमित उम्मीदवारों की संख्या	ड्राप आउट उम्मीदवारों की संख्या	ड्राप की प्रतिशतता
2007-08	25575	24130	1445	5.66
2008-09	46053	43794	2259	4.91
2009-10	44340	42499	1841	4.15
2010-11	42378	39306	3072	7.24
2011-12	44232	40461	3771	8.52

स्रोतः विभागीय डाटा।

2007 - 12 के दौरान विद्यार्थियों की ड्रापआउट प्रतिशतता 4.15 से 8.52 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि वर्ष 2009 - 10 के दौरान सरकार ने घोषणा की कि 10वीं पास विद्यार्थियों यद्यपि वे विज्ञान तथा गणित में फेल हो गए थे, बहुतकनीकी में प्रवेश के लिए योग्य थे। ऐसे विद्यार्थी उच्चतर अध्ययन की प्रणाली के साथ सामना नहीं कर सके तथा परिणामस्वरूप उच्चतर ड्राप आउट दर हुई। आगे, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से पास आउट हुए विद्यार्थियों की बहुलता थी जहां निर्देश का माध्यम हिंदी था जबकि बहुतकनीकियों में, निर्देश का माध्यम अंग्रेजी था। यह भी सूचित किया गया (दिसंबर 2012) कि ब्रिज कोर्सो तथा द्विभाषी परीक्षा पैटर्न आरंभ करने हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं।

5.1.10.4 विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतता

बहुतकनीकियों में विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता में तेजी से कमी हुई जैसा कि **तालिका 16** से स्पष्ट है।

तालिका 16: विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी			प्राईवेट बहुतकनीकी		
	कुल विद्यार्थी	पास	पास (प्रतिशतता)	कुल विद्यार्थी	पास	पास (प्रतिशतता)
2008	6084	5025	83	2013	1304	65
2009	6956	5501	79	4072	2358	58
2010	10307	7240	70	11020	4840	44
2011	14780	9584	65	27534	9773	35
2012	13745	8168	59	21407	4925	23

रिजल्ट डाटा का विश्लेषण दिखाता है कि सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों में विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 2008-12 के दौरान 83 से 59 प्रतिशत तक तेजी से कम हो गई थी जबकि प्राइवेट बहुतकनीकियों के मामले में यह 65 से 23 प्रतिशत तक कम हुई। कम पास प्रतिशतता ने बहुतकनीकियों में कम गुणवता शिक्षा देना सूचित किया। टीचिंग तथा अन्य सहायक स्टाफ की कमी अर्थात् वर्कशाप निर्देशकों, लैबोरेट्री निर्देशकों, जूनियर प्रोग्रामर आदि तथा फैकल्टी विकास कार्यक्रम का अकार्यान्वयन विद्यार्थियों की कम पास प्रतिशतता के लिए जिम्मेवार हो सकते थे। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि बहुतकनीकियों में कम पास प्रतिशतता तथ्य के कारण थी कि दसवीं पास विद्यार्थी बहुतकनीकियों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु योग्य था तथा प्रवेश के लिए न्यूनतम कट आफ प्रतिशतता नहीं थी।

5.1.10.5 पुनर्मूल्याकंन के परिणाम

परीक्षाओं में जो उम्मीदवार उपस्थित हुए विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए अनुमत थे। 2007-12 के दौरान बहुतकनीकियों के विद्यार्थियों द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई उत्तर पुस्तिकाओं के विवरण **तालिका 17** में दिए गए है।

तालिका 17: परिणामों के पुनर्मूल्यांकन के विवरण

	दिसंबर 2008	जून 2009	दिसंबर 2009	जून 2010	दिसंबर 2010	जून 2011
परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों की कुल संख्या (प्रतिशत)	77076	77549	111258	107104	126686	119205
पुनर्मूल्यांकित विद्यार्थियों की संख्या (प्रतिशतता)	4444 (6)	2450 (3)	8441 (8)	3248 (3)	7078 (6)	13354 (11)
पुनर्मूल्यांकन पर श्रेणी पास करने में असफल (प्रतिशतता)	1085 (24)	502 (20)	600 (7)	467 (14)	3592 (51)	931 (7)
पहले से पास उम्मीदवारों के, मूल्यांकन पर, अंकों में वृद्धि	50	105	315	150	1030	379
पुनर्मूल्यांकन पर परिवर्तन (प्रतिशतता)	1135 (26)	607 (25)	915 (11)	617 (19)	4622 (65)	1310 (10)

पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता दिसंबर 2008 में छः से जून 2011 में 11 तक बढ़ गई। उत्तर पुस्तिकाओं, जहां पुनर्मूल्यांकन पर अंक परिवर्तित हो गए की प्रतिशतता 10 तथा 65 के बीच श्रृंखलित थी तथा फेल से पास उम्मीदवारों की पास प्रतिशतता 7 तथा 51 के बीच थी। इसने दिखाया कि पुनर्मूल्यांकन प्रणाली में कमियां थी। सचिव,

एच.एस.बी.टी.ई. ने बताया (जुलाई 2012) कि पुनर्मूल्यांकन अंकों में परिवर्तन पोस्टिंग त्रुटि देखे गए हैं, परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय तथा आवश्यक सुधारक उपाय टेबल मार्किंग सिस्टम तथा अवार्डज सत्यापित करने के लिए सतर्कता टीम का परिचालन मजबूत करके लिए गए थे।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के बाद परिणाम में भारी भिन्नता चिंता का विषय था तथा स्टाफ को, पुनर्मूल्यांकन के लिए वही स्टाफ न रखने हेतु निर्देश दिए।

5.1.10.6 कैम्पस प्लेसमैंट

सभी बहुतकनीकियों में कैम्पस प्लेसमैंट सैल, स्थापित किया गया था। विभाग ने योग्य उम्मीदवारों की प्लेसमैंट के लिए 100 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए। गत पांच वर्षो के दौरान योग्य उम्मीदवारों की प्लेसमैंट की स्थिति तथापि, **तालिका 18** में दी गई है।

तालिका 18: 2008 – 12 के दौरान प्लेसमैंट के विवरण

वर्ष	राजकीय बहुतकनीकियां		
	कुल विद्यार्थी	प्लेसमैंटस	प्रतिशतता
2008-09	4,870	1,732	35.56
2009-10	6,826	2,476	36.27
2010-11	8,229	2,770	33.66
2011-12	5,081	1,207	23.75
कुल	**25,006**	**8,185**	**32.31**

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

नोट: 2007 – 08 के लिए डाटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं।

राजकीय बहुतकनीकियों में कैम्पस प्लेसमेंट दर 2008 - 09 में 35.56 प्रतिशत से 2011 - 12 में 23. 76 तक नीचे आ गई। प्रिंसीपल, राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेडी ने बताया (जुलाई 2012) कि संस्थान में कोई प्रशिक्षण तथा प्लेसमैंट आफिसर नहीं था परिणामस्वरूप उद्योग संस्थान पारस्परिक क्रिया अधीन गतिविधियां निष्क्रिय रही।

डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि कमी, इस कारण से थी कि पार्श्व प्रवेश स्कीम के अंतर्गत 40 - 50 प्रतिशत विद्यार्थी उच्चतर अध्ययनों के लिए विकल्प देते हैं। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि उच्चतर अध्ययन के लिए विकल्प देने के इच्छुक विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से प्लेसमैंट के लिए आवेदन नहीं दिया होगा। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि कम प्लेसमैंटस मुख्यत: उच्चतर योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता के कारण था जिन्हें कंपनियां, नियुक्त करने हेतु वरीयता देती थी। इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए संस्थाओं को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा सभी संस्थाओं में ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट अधिकारी नियुक्त कर दिए कर दिए गए हैं तथा संस्था में रिक्ति के मामले में, ये तुरंत भर दी जाएंगी।

5.1.11 मानव संसाधन विकास

5.1.11.1 शिक्षण तथा गैर शिक्षण संवर्गों में रिक्तियां

सोसाइटियों के संवर्गों सहित राजकीय बहुतकनीकियों में अध्यापन संवर्गों की विभिन्न श्रेणियों में 1,536 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध मार्च 2012 को वास्तविक तैनात 899 थे जबकि 637 (41.47 प्रतिशत) पद खाली पड़े थे जो **तालिका 19** में वर्णित हैं।

तालिका 19: अध्यापन संवर्गों में रिक्तियां दर्शाने वाले विवरण

अध्यापन संवर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	रिक्ति प्रतिशतता
राजकीय बहुतकनीकी	890	600	290	33
राजकीय बहुतकनीकी समितियां	646	299	347	54
कुल	**1,536**	**899**	**637**	**41**

लेखापरीक्षा ने बहुतकनीकियों द्वारा अतिथि फैकल्टी का नियोजन देखा। चार बहुतकनीकियों में यह भी देखा गया कि 29 अतिथि फैकल्टी सदस्यों के पास लेक्चरर/इंस्ट्रक्टर के रूप में भर्ती के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि नए स्टाफ की भर्ती के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा अपने स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश भी दिए कि संस्थान में अतिथि फैकल्टी के पास नियमित फैकल्टी वाली वही योग्यता होनी चाहिए तथा किसी भी अतिथि फैकल्टी को जारी करने के अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसका परिणाम 30 प्रतिशत से कम था।

यह आगे देखा गया (जून 2012) कि 25 विभागाध्यक्ष/सीनियर लेक्चररों/लेक्चररेज विभिन्न बहुतकनीकियों से निकाले गए थे तथा नॉन टीचिंग कार्य जैसे स्थापना कार्य, आर.टी.आई. आवेदनों के उत्तर देना, सहायता अनुदान की निर्मुक्ति, परिणामों का प्रकाशन आदि निष्पादित करने के लिए निदेशालय/एच.एस.बी.टी.ई. में प्रतिनियुक्त किए गए थे। इसने बहुतकनीकियों में अध्यापन कार्य को प्रभावित किया। विभाग को ऐसी गैर-शिक्षण गतिविधियों पर अध्यापन स्टाफ के नियोजन से बचने के लिए ऐसे कार्यों के लिए सही स्टाफ भर्ती करना चाहिए।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि ऐसे समायोजन, स्टाफ की कमी तथा ज्यादा वर्कलोड के कारण किए गए थे। कारण स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि समायोजन का बहुतकनीकियों में विद्यार्थियों के अध्ययन पर बुरा प्रभाव है। यह कार्य राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत अस्थाई स्टाफ नियुक्त करके करवाया जा सकता था।

गैर-अध्यापन संवर्ग (वर्ग-III) में रिक्ति स्थिति **तालिका 20** में दी गई है।

तालिका 20: गैर-अध्यापन संवर्ग में रिक्तियां दर्शाने वाले विवरण

गैर-अध्यापन संवर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए	खाली
राजकीय बहुतकनीकी	506	298	208
राजकीय बहुतकनीकी सोसाइटीज	246	98	148
कुल	**752**	**396**	**356**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, वर्ग - III संवर्ग में 47 प्रतिशत पद खाली पड़े थे। यह देखा गया कि 356 रिक्त पदों में से 231 पद (राजकीय बहुतकनीकी: 172 तथा राजकीय बहुतकनीकी सोसाइटीज: 59) टीचिंग संवर्ग अर्थात् वर्कशाप इंस्ट्रक्टर, जूनियर प्रोग्रामरज तथा लैबोरेटरी इंस्ट्रक्टरों से संबंधित थे जो व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत क्रिटीकल पद थे। इस प्रकार, ऐसी कमियां निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा की गुणवता को प्रभावित करती हैं।

5.1.11.2 अध्यापक विद्यार्थी अनुपात

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, बहुतकनीकियों में आदर्श अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:20 है। उच्चतर अनुपात विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित करता है क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों की बृहदतर संख्या पर सही ध्यान देने में समर्थ नहीं होते। नमूना - जांच के दौरान यह देखा गया कि नमूना - जांच किए गए संस्थाओं में औसत अध्यापक - विद्यार्थी अनुपात 1:30 था। राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद तथा राजकीय बहुतकनीकी नीलोखेड़ी में स्थिति सबसे बुरी थी जहां यह 1:40 था।

अध्यापक - विद्यार्थी अनुपात के अननुरक्षण ने विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप आखिर में कम पास प्रतिशतता तथा हाई ड्रापआउट दरें हुई। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय पी.एस. ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण अध्यापक - विद्यार्थी अनुपात अनुरक्षित नहीं किया जा सका। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पोलिटैक्निकों से स्टाफ की बृहद संख्या उनकी नियमित डयूटी से दूर निदेशालय/बोर्ड/ सोसाइटियों में प्रतिनियुक्त किया गया था।

5.1.11.3 स्टाफ की अव - उपयोगिता

तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति हेतु मूल सिद्धांत है उनको अध्यापन प्रयोजनों के लिए उपयोग करना। तीन[12] संस्थाओं में, बंद हुए व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं का स्टाफ विलय किया गया था। यद्यपि यह स्टाफ इंस्ट्रक्टरज तथा वाइस प्रिंसीपलों के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा था, वे लिपिकीय कार्यो में लगाए गए थे। 2009 - 12 ***(परिशिष्ट 5.8)*** के दौरान उनके द्वारा आहरित कुल वेतन ₹ 1.03 करोड़ राशि का था। यह देखा गया कि पॉलीटैक्नीकों में, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सो की अनुपस्थिति में उनकी सेवाएं, ऐसे स्थानों, में जहां तकनीकी पद रिक्त पड़े थे, नियोजित करने की बजाय वे क्लेरिकल या रूटीन जॉबज कर रहे थे। इसने सूचित किया कि विभाग ने इन स्टाफ मैम्बरज की सेवाओं की सही तरीके से उपयोगिता की योजना नहीं बनाई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 2012) कि कौशल विकास अभिक्रम स्कीम जी.ओ.आई. द्वारा चलाई जा रही थी जिसके अंतर्गत संस्थान द्वारा जॉब अभिमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने थे। कुछ सरकारी क्षेत्र औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थान, यानि अंबाला, करनाल, सिरसा तथा प्राइवेट बहुतकनीकियों स्कीम को कार्यान्वित कर रहे थे। स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा लघु तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे जिनमें विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने पर परीक्षा फीस सहित फीस की पूर्ण

[12] फरीदाबाद, झज्जर तथा लोहारू।

प्रतिपूर्ति भी प्राप्त करते हैं। यद्यपि, निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने नियंत्रण अधीन बहुतकनीकियों के प्रिंसीपलों को, स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय निदेशालय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण (आर.डी.ए.टी.), फरीदाबाद के साथ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जी.ओ.आई. के पास पंजीकृत करवाने हेतु निर्देश दिए (दिसंबर 2009)। नमूना-जांच किए किसी भी संस्थान ने प्रयोजन हेतु स्वयं को पंजीकृत नहीं करवाया। यदि राज्य में बहुतकनीकियों द्वारा स्कीम कार्यान्वित की गई होती तो व्यावसायिक संस्थाओं के अतिरेक टीचिंग स्टाफ की सेवाएं इन कोर्सो के लिए उनको नियोजित कर सही तरीके से उपयोग की जा सकती थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि यह स्टाफ पॉलीटैक्नीकों में टीचिंग के लिए अपेक्षित स्टाफ की तुलना में कम योग्य था इस प्रकार वे अन्य कार्यो पर लगाए गए हैं।

5.1.11.4 टीचिंग स्टाफ का कौशल उन्नयन

टीचिंग फैकल्टी के ज्ञान तथा कौशल को अद्यतन करने के लिए नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यक थे। यह देखा गया कि 2007-12 के दौरान विभाग द्वारा न तो अध्यापकों के कौशल उन्नयन के लिए कोई प्लान तैयार किया गया था न ही कोई ओरियंटेशन/रिफ्रैशर कोर्स आयोजित किया गया था एन.आई.टी.टी.आर. तथा एच.आई.पी.ए. द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे जिसने संस्थाओं को वार्षिक ट्रेनिंग प्रोग्राम यह सुनिश्चित करने के लिए परिचालित किए थे कि टीचिंग स्टाफ समय-समय पर सही ढंग से प्रशिक्षित किए जा रहा था। निदेशायल द्वारा इस गतिविधि के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। तथापि, विभाग की ट्रेनिंग पालिसी प्रतिपादन अधीन थी (मार्च 2012)।

5.1.12 संपदा प्रबंधन तथा विविध गतिविधियां

5.1.12.1 आवासों के लिए अलग बिजली मीटरों का अप्रतिष्ठापन स्थापना न होना

राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद तथा राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा सोसायटी, मानेसर बिजली की भरपूर आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। इस लाईन में से कैम्पस में स्थित आवासों की आपूर्तियां भी की जा रही थी लेकिन आवासों के लिए अलग मीटर प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे। संस्थाएं इस आवासों से ₹ 150 तथा ₹ 1000 के बीच श्रृंखलित निश्चित राशि प्रभारित कर रहे थे। बिजली बिल खपत के अनुसार प्रभारित किए जाने चाहिए। चूंकि शेष बिल सरकारी निधियों से भुगतान किया जा रहा था, राज्य राजकोष पर 86 प्रतिशत की सीमा तक भार था। 2007-12 के दौरान सरकार तथा आवासों द्वारा भुगतान की गई राशि की स्थिति **तालिका 21** में दिए अनुसार थी।

तालिका 21: 2007 – 12 के दौरान सरकार तथा निवासियों द्वारा भुगतान की गई राशि की स्थिति

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	कुल बिल	संस्था द्वारा भुगतान किए गए	आवासों द्वारा द्वारा भुगतान किए गए
राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद	84.74	79.72	5.02
राजकीय बहुतकनीकी शैक्षणिक सोसायटी, मानेसर	78.11	68.09	10.02
सी.आर. पोलिटैक्निीक, रोहतक	59.40	42.47	16.93
कुल	**222.25**	**190.28**	**31.97**

संबंधित बहुतकनीकियों के प्रिंसीपलों को सरकार को हानि से बचाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए अलग मीटर प्रतिष्ठाापित करवाने चाहिए।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद में मीटर प्रतिष्ठाापित कर दिए गए थे तथा अन्य सभी संस्थाओं को उनकी खपत के अनुसार बिल प्रभारित करने हेतु आदेश दिए जा रहे हैं।

5.1.12.2 विद्यार्थियों को प्रतिभूति रिफंड न करना

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित दरों पर प्रतिभूति जमा करवाया जाना अपेक्षित था जो उनकी स्टडी पूरा होने के बाद उनको रिफंड योग्य थी। यह देखा गया कि किसी भी संस्था ने विद्यार्थियों को, संस्था छोड़ते समय प्रतिभूति रिफंड करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। चूंकि विद्यार्थी दूर स्थानों से भी प्रवेश लेते हैं, उनके लिए यह व्यवहार्य नहीं था कि वे बार-बार प्रतिभूति जमा के रिफंड के लिए आए। जिसके परिणामस्वरूप यह नॉन-रिफंडिड ही रही। ₹ 1.13 करोड़ की राशि मार्च 2012 को नमूना-जांच की गई संस्थाओं में ***(परिशिष्ट 5.9)*** में भुगतान न की गई पड़ी थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने डी.जी. को प्रणाली सुचारू ढ़ंग से चलाने के आदेश दिए ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभूति, संस्थान छोड़ते समय उनको रिफंड कर दी जाए।

5.1.12.3 विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी पुस्तकों का न लौटाना

संस्थाओं में विद्यार्थियों को लाइब्रेरी सुविधा प्रदान की गई थी। विद्यार्थियों द्वारा, एक निर्धारित अवधि के बाद किताबें लाइब्रेरी वापस लौटाना अपेक्षित था। किताबें गुम होने के मामले में, उनको किताबों की पूरी लागत जमा करवाना अपेक्षित था। नमूना-जांच की गई पांच संस्थाओं में यह देखा गया था कि विद्यार्थियों ने ₹ 5.47 लाख ***(परिशिष्ट 5.10)*** कीमत की किताबें नहीं लौटाई थी, यद्यपि वे संस्थाएं छोड़ चुके थे। यद्यपि, विद्यार्थियों द्वारा संस्थान छोड़ने से पहले 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' प्राप्त करना अपेक्षित था, फिर भी संस्थाओं द्वारा किताबों की वापसी पर जोर नहीं दिया गया था। इस प्रकार, विद्यार्थियों से लाइब्रेरी किताबें वापस लेने के लिए कोई सही नियंत्रण नहीं रखा गया था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकारते समय पी.एस. ने बताया कि राशि पोलटैक्निकों के पास पड़ी विद्यार्थियों की प्रतिभूति से समायोजित कर ली जाएगी।

5.1.13 मूलभूत संरचना की उपयुक्तता

5.1.13.1 कक्षा कमरों की कमी

शिक्षा प्रदान करने के लिए क्लास रूप मूल आवश्यकता है। अनुपयुक्त क्लास रूम प्रत्यक्षत: विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि **तालिका 22** में दिए गए विवरणों के अनुसार नमूना-जांच की गई संस्थाओं में कक्षा कमरों की कमी थी।

तालिका 22: क्लास रूम की कमी दर्शाने वाले विवरण

संस्था का नाम	अपेक्षित	उपलब्ध	कमी	प्रतिशतता
झज्जर	45	40	5	11
नीलोखेडी	29	27	2	7
लोहारू	15	8	7	47
मानेसर	24	20	4	17

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय पी.एस. ने बताया कि संस्थाओं में अतिक्ति कमरे प्रदान करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।

5.1.13.2 अपर्याप्त छात्रावास जगह

विद्यार्थियों के लिए छात्रावास महत्वपूर्ण सुविधा है। विद्यार्थियों को जगह प्रदान करने के लिए सभी नमूना-जांच की गई सभी संस्थाओं में (नरवाना को छोड़कर) छात्रावासों का निर्माण किया गया था। यह देखा गया था कि (जून 2012) कि नमूना-जांच की गई आठ संस्थाओं में वर्ष 2007-12 ***(परिशिष्ट 5.11)*** के दौरान 1,846 छात्रावासियों की औसत भर्ती क्षमता के विरूद्ध छात्रावासियों की औसत संख्या 1,977 थी। सर्वाधिक भीड़ वाले छात्रावास राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेडी तथा राजकीय महिला बहुतकनीकी, फरीदाबाद के थे। यह भी देखा गया कि राजकीय बहुतकनीक शैक्षिक सोसाइटी, मानेसर में केवल प्रथम वर्ष विद्यार्थियों को होस्टल दिए गए थे। दूसरे वर्ष से आगे पढ़ रहे विद्यार्थियों को सुविधा मना कर दी गई।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि नए छात्रावास निमार्णाधीन थे तथा स्थिति निकट भविष्य में सुधरने वाली थी। ज्यादा विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए समायोजन किए जा रहे हैं ताकि बाहरी विद्यार्थी बाहर रहने के लिए मजबूर न हो।

5.1.14 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

5.1.14.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण लागू नियमों तथा विनियमनों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण स्कीमों के कार्यान्वयन, निर्माण कार्यों की मानीटरिंग आदि के लिए अपर्याप्त था, जैसे कि आगे अनुच्छदों में चर्चित है।

5.1.14.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

कार्य की ओवरआल गुणवत्ता सुधारने तथा गलतियां/अनियमितताएं कम करने के विचार से सभी सरकारी विभागों में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2012) कि विभाग में कोई समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था। कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी नहीं था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की बृहद् लम्बनता थी जैसा कि **तालिका 23** में चित्रित किया गया है।

तालिका 23: आंतरिक लेखापरीक्षा की लम्बनता दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	योजना की गई	लेखापरीक्षित	लम्बनता (प्रतिशतता में)
	(इकाईयों की संख्या)		
2007-08	26	8	18 (69)
2008-09	27	9	18 (67)
2009-10	29	12	17 (59)
2010-11	29	20	9 (31)
2011-12	29	4	25 (86)
कुल	**140**	**53**	

स्रोतः विभागीय आंकड़े।

मार्च 2012 को, 29 संस्थाओं के विरूद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा के 466[13] अनुच्छेद बकाया थे। 1999-2000 से अनुच्छेद लंबित थे, ये दिखाते हुए कि संस्थाएं लेखापरीक्षा आपत्ति को गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही थी। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विभाग में प्रभावी नहीं थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को और ज्यादा स्टाफ का अनुरोध करके मजबूत किया जा रहा है।

5.1.14.3 प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार न करना

विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभाग की गतिविधियां दर्शाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार किया जाना तथा इसे सरकार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। यह देखा गया कि विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट केवल 2008-09 तक तैयार की गई थी। रिपोर्ट की अनुपस्थिति में 2008-09 के बाद विभाग की गतिविधियों/निष्पादन को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। डी.जी. ने बताया (दिसंबर 2012) कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा रही है तथा 2010-11 के

[13] 10 वर्ष से ज्यादा पुराने: 11, 5 वर्ष से ज्यादा: 39, 3 वर्ष से ज्यादा पुराने: 55, एक वर्ष से ज्यादा पुराने: 344, एक वर्ष से कम पुराने: 17

लिए, डाटा क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित किया जा रहा है। प्रशासनिक रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गई थी (दिसंबर 2012)।

5.1.14.4 मानीटरिंग

डी.जी., विभागाध्यक्ष के रूप में, विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार था। मासिक व्यय रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण को छोड़कर विभाग द्वारा विभाग की गतिविधियों को मानीटर करने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित नहीं की गई थी। मानीटरिंग के लिए स्कीमों तथा प्रोग्रामों का कोई केन्द्रीयकृत डाटा आधार नहीं था परिणाम कि संस्थाओं के पास भारी निधियां अव्यतीत रही। कार्यो का निर्माण भी कार्यकारी एजैंसियों द्वारा विलंबित किया गया था।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, पी.एस. ने बताया कि प्रगति की समीक्षा के लिए बैठकें मुख्यमंत्री स्तर सहित प्रत्येक स्तर पर समय-समय पर आयोजित की गई थी तथा आवश्यक फीडबैक दिया गया था।

5.1.14.5 विद्यार्थियों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, संस्थाओं के स्टाफ की उपस्थिति मे प्रश्नावली पद्धति द्वारा नमूना-जांच की गई संस्थाओं के 205 विद्यार्थियों से फीडबैक प्राप्त किया गया था। सैम्पल साइज में 135 लड़के तथा 70 लड़कियां शामिल किए गए। विद्यार्थियों को निम्न, औसत, अच्छी, बहुत अच्छी तथा उत्तम के रूप में उनको दी गई सुविधाओं के बारे में रेटिंग देने के लिए कहा। डाटा के संचयन ने प्रकट किया जैसा **तालिका 24** में दर्शाया गया है।

तालिका 24: डाटा के संचयन दर्शाने वाली विवरणी

गतिविधियां	विद्यार्थियों की संख्या						
	निम्न	औसत	अच्छी	बहुत अच्छी	उत्तम	कोई तर्क नही	कुल
फैकल्टी निष्पादन	10	16	91	40	48		205
भोजन गुणवत्ता	15	51	41	24	5	69	205
पेय जल	21	38	50	72	24		205
बाथरूप	31	34	59	35	14	32	205
टायलेट	39	43	67	39	14	3	205
छात्रावास रख-रखाव	7	21	31	35	11	100	205
लाइब्रेरी सुविधा	18	25	60	60	38	4	205
लैब सुविधा	23	48	61	38	25	10	205
आवृत किया सिलेबस	4	36	47	59	55	4	205
पाठ्क्रम विषय सूची	8	17	52	68	43	17	205
प्रशासनिक स्टाफ व्यवहार	5	16	48	57	76	3	205
कम्प्यूटर सुविधा	45	28	59	47	24	2	205
कुल	**226**	**373**	**666**	**574**	**377**	**244**	**2460**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, विद्यार्थियों ने मुख्यत: नीचे उल्लिखित सुविधाओं को निम्न या औसत रेट दी क्योंकि वे सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे।

- कम्प्यूटर सुविधाएं: 36 प्रतिशत विद्यार्थी।
- लैबोरेट्री सुविधाएं: 35 प्रतिशत विद्यार्थी।

- दिए गए भोजन की गुणवता 32 प्रतिशत विद्यार्थी।
- बाथरूम सुविधाएं: 32 प्रतिशत विद्यार्थी।
- पीने का पानी: 29 प्रतिशत विद्यार्थी।
- लाइब्रेरी: 21 प्रतिशत विद्यार्थी।

पूर्णरूप से लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सुविधाओं को अच्छी या बहुत अच्छी श्रेणी में रखा, 15 प्रतिशत ने उत्तम श्रेणी में रखा, 15 प्रतिशत ने उत्तम श्रेणी में रखा जबकि 35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सुविधाओं को निम्न या औसत श्रेणी में रखा। इस प्रकार, विद्यार्थियों को प्रदान की गई उपर्युक्त सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय पी.एस. ने डी.जी. को तुरंत पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु आदेश दिए ताकि विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण प्राप्त कर सके।

5.1.15 हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी तथा तकनीकी शिक्षा हरियाणा बोर्ड का कार्यचालन

5.1.15.1 हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसायटी

सोसायटी मुख्यत:, बहुतकनीकी तथा इंजीनियरिंग कालेजों हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश तथा काउंसलिंग सुचारू रूप से आयोजित करने के प्रयोजन हेतु, वर्ष 2007 में बनाई गई थी। सोसायटी के संविधान के अनुसार अतिरेक निधियां छात्रवृत्तियां देने तथा दूसरी विद्यार्थी हितकारी गतिविधियों में प्रयुक्त की जानी थी। सोसायटी स्वपोषित थी तथा प्रवेश परीक्षा तथा काउंसलिंग के संचालन के लिए एकत्रित फीस की सहायता से कार्य कर रही थी जो पहले सरकार को जमा की जा रही थी। तुलनपत्र के अनुसार सोसायटी के निर्माण के बाद किए गए व्यय तथा निधियों की स्थिति **तालिका 25** में दिए गए अनुसार थी।

तालिका 25: प्राप्त निधियों तथा व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त निधियां	उपलब्ध कुल निधियां	उपगत व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2007-08	शून्य	16.86	16.86	10.73	6.13
2008-09	6.13	77.25	83.38	80.16	3.22
2009-10	3.22	59.95	63.17	57.53	5.64
2010-11	5.64	10.76	16.40	8.19	8.21
2011-12	8.21	9.77	17.98	6.00	11.98
कुल		**174.59**		**162.61**	

सोसाइटी की बैलेंसशीट की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 12.72 करोड़ की राशि के सहायता अनुदान चार संस्थाओं को निर्मुक्त किए गए थे। **तालिका 26** में दिए गए विवरण के अनुसार, इसमें से ₹ 5. 26 करोड़ संस्थाओं के पास अव्ययित पड़ा था।

तालिका 26: अव्ययित निधियों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	संस्था का नाम	प्रयोजन	दी गई राशि	मार्च 2012 तक व्यय	शेष
2007-08	जी.पी. नीलोखेड़ी	छात्रवृत्तिया	6.34	6.00	0.34
2008-09	जी.पी.डब्ल्यू. फरीदाबाद	मुफ्त किताबें तथा अध्ययन सामग्री	3.00	0.71	2.29
2008-09	जी.पी. अंबाला	आई.एस.ओ. ग्रेडिंग	1.08	0.13	0.95
2008-09	जी.पी.डब्ल्यू. अंबाला	व्यक्तित्व विकास तथा संवाद कौशल	2.30	0.62	1.68
		कुल	**12.72**	**7.46**	**5.26**

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान पी.एस. ने बताया कि संस्थाओं के पास अवितरित पड़ी सभी निधियां को वापस ले ली जाएंगी यदि उनके द्वारा निधियां अपेक्षित नहीं थी।

5.1.15.2 वित्तीय अनियमितताएं

- **फर्नीचर की मालसूची तैयार न करना**

 सोसाइटी ने 2008-12 के दौरान नए फर्नीचर की खरीद पर ₹ 1.16[14] करोड़ के व्यय किए गए। यह फर्नीचर समग्र विभाग के लिए खरीदा गया था। यह भी देखा गया कि फर्नीचर की माल-सूची तैयार नहीं की गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान पी.एस. ने तथ्य स्वीकार किया तथा संबंधित स्टाफ को मालसूची शीघ्र तैयार करने हेतु आदेश दिए।

- **शिक्षण सामग्री का अनियमित क्रय**

 लाइब्रेरी के लिए किताबों के क्रय के लिए प्रैस विज्ञापन के माध्यम से दिसंबर 2008 में रूचि की अभिव्यक्ति (इ.ओ.आई.) आमंत्रित की गई थी। इस विज्ञापन के विरूद्ध, 33 प्रतिशत तक की छूट देते हुए विभिन्न प्रकाशनों की किताबों के लिए 9 फर्मों ने अपनी दरें उद्धृत की तथा दो फर्मों (उनमें से एक मैसर्ज तथास्तु सर्विसीज अंबाला कैंट था) ने 20 प्रतिशत के छूट का ऑफर देते हुए शिक्षण सामग्री के लिए दरें उद्धृत की यद्यपि विभाग ने शिक्षण सामग्री के लिए इ.ओ.आइज़ आमंत्रित नहीं किए थे। ई.ओ.आईज़ के आधार पर डी. जी. ने लाइब्रेरी के लिए किताबों की आपूर्ति के लिए 5 आपूर्तिकरताओं के नाम सूची में लिखे।

[14] 2008-09: ₹ 1.05 करोड़, 2009-10: ₹ 0.10 करोड़ तथा 2011-12: ₹ 0.01 करोड़।

लाइब्रेरी किताबों हेतु सूची को फाइनल करने के बाद, विभाग ने शिक्षण सामग्री के लिए नए ई.ओ.आई. आमंत्रित किए बिना ₹ 750 प्रति सेट घटा की दर पर बहुतकनीकियों 20 प्रतिशत छूट (सरकारी तथा प्राइवेट) को शिक्षण सामग्री के 14,905 सैट्स की आपूर्ति के लिए मैसर्ज तथास्तु सर्विसज, अंबाला कैंट को आपूर्ति आदेश दिया। शिक्षण सामग्री की खरीद पर ₹ 0.71 करोड़ का कुल व्यय किया गया।

विभिन्न संस्थाओं से पूछताछ करने पर, 10 संस्थाओं ने सूचित किया कि, उनको आपूरित 3,657 सैटों में से, 2,960 सैट्स सिलेबस में परिवर्तन तथा सामग्री की औसत गुणवत्ता जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं थी, के कारण उनके पास अवितरित पड़े थे ***(परिशिष्ट 5. 12)***। आगे, सामग्री का मूल्य सामग्री पर अंकित नहीं था जिसकी अनुपस्थिति में विभाग द्वारा ₹ 750 के मूल्य का आधार सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, शिक्षण की खरीद कोटेशनज आमंत्रित किए बिना तथा प्रतियोगी दरें रखे बिना की गई थी। आगे, सामग्री की उपयोगिता तथा मांग सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान पी.एस. ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- **सोसायटी की लेखापरीक्षा न करवाना**

सोसायटी के एसोशिएशन ऑफ मेमोरंडम के पैरा 19.2 के अनुसार, सोसायटी की लेखापरीक्षा रजिस्ट्रार, कापरेटिव सोसायटीज (आर.सी.एस.) को सौंपा गया था। यह देखा गया कि आर.सी.एस. द्वारा सोसायटी का लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2012) कि आर.सी.एस. ने सोसायटी का लेखापरीक्षा करने से मना कर दिया। इसीलिए, सोसायटी के गवर्नर बोर्ड ने निर्णय लिया (फरवरी 2011) कि सोसायटी का लेखापरीक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय की आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी से करवाया जाएगा। तथापि, सोसायटी की लेखापरीक्षा अभी तक नहीं किया था (नवंबर 2012)।

5.1.15.3 हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड

डिप्लोमा कोर्सों के संबंध में, परीक्षा तथा परिणाम आदि से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य की विधायिका के अधिनियम संख्या 19 के अंतर्गत वर्ष 2008 में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) बनाया गया था। बोर्ड के बनने से पहले राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, के भाग के रूप में काम कर रहा था।

बोर्ड की वित्तीय स्थिति इसके आरंभ से **तालिका 27** में वर्णित है।

तालिका 27: एच.एस.बी.टी.ई. की वित्तीय स्थित

(₹ करोड में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त निधियां	उपलब्ध कुल निधियां	किया गया व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2008-09	-nil-	5.70	5.70	4.47	1.23
2009-10	1.23	9.35	10.58	8.86	1.72
2010-11	1.72	13.61	15.33	8.13	7.20
2011-12	7.20	18.35	25.55	7.89	17.66
कुल		**47.01**		**29.35**	

- **₹ 0.61 करोड़ के फर्नीचर की मालसूची तैयार न करना**

एच.एस.बी.टी.ई. ने 2008-09 में फर्नीचर की खरीद पर ₹ 0.61 करोड़ की राशि व्यय की। बैलेंसशीट के साथ संलग्न चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट के अनुसार एच.एस.बी.टी.ई. द्वारा फर्नीचर की मालसूची तैयार नहीं की गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, तथ्य स्वीकार करते समय, पी.एस. ने संबंधित स्टाफ को फर्नीचर की मालसूची तुरंत तैयार करने हेतु आदेश दिए।

5.1.16 निष्कर्ष

- विभाग ने, शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त मूलभूत संरचना सृजित की। तथापि, अध्यापन स्टाफ की कमी ने शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित की। इस प्रकार, विभाग की आयोजना प्रक्रिया अपर्याप्त थी।
- सरकारी लेखाओं से बाहर निधियों का रखना, आवश्यकता के आधिक्य में सहायता अनुदान की निमुक्ति, अस्थायी अग्रिमों के असमायोजन ने विभाग के वित्तीय प्रबंध को प्रभावित किया।
- नई बहुतकनीकियों के संस्थापन तथा एस.सी. छात्रावासों के निर्माण में विलंब, बुक बैंक सुविधा की अप्रदानगी ने स्कीमों की उपलब्धि की प्रक्रिया रोक दी।
- कोचिंग संस्थान के गलत चयन के परिणामस्वरूप कार्यक्रम बीच में समाप्त हो गया। सही प्रक्रिया अनुसरित किए बिना संस्थान को ₹ 15.88 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की जिससे सर्विस प्रोवाइडर को लाभ हुआ।
- सरकारी बहुतकनीकियों में सुविधाओं की कमी थी।

5.1.17 अनुशंसाएं

सरकार विचार कर सकती है:

- परिमेय उद्देश्यों के साथ दीर्घ अवधि तथा लघु अवधि योजनाएं (वार्षिक कार्य योजना) विकसित करना;
- निधियों के अनावश्यक संचय के परिहार हेतु उनके पास उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखने के पश्चात् सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को सहायता अनुदान निर्मुक्त करना;
- बहुतकनीकी तथा छात्रावास भवनों की पूर्णता हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के साथ सही ढंग से अनुसरण करना;
- लक्ष्यित लाभग्राहियों के लाभ हेतु स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; तथा
- स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मानीटरिंग यंत्रावली सुदृढ़ करना।

चण्डीगढ़ **(ओंकार नाथ)**
दिनांकः **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांकः **भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद: 1.8.1; पृष्ठ 11)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के वर्ष–वार विघटन दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)			सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग			कुल		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि
1998-99 से 2003-04	6	7	6.44	43	66	29.14	49	73	35.58
2004-05	9	11	1.83	10	11	0.22	19	22	2.05
2005-06	13	19	5.07	15	23	10.96	28	42	16.03
2006-07	15	27	46.36	13	22	18.12	28	49	64.48
2007-08	30	52	201.29	12	24	1.49	42	76	202.78
2008-09	40	67	69.77	16	35	30.40	56	102	100.17
2009-10	45	91	165.74	25	63	88.83	70	154	254.57
2010-11	52	159	174.85	20	124	104.77	72	283	279.62
2011-12	43	242	2,654.96	15	111	22.35	58	353	2,677.31
कुल	**253**	**675**	**3,326.31**	**169**	**479**	**306.28**	**422**	**1154**	**3,632.59**

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद: 1.8.1; पृष्ठ 11)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई गंभीर अनियमितताओं के विवरण

क्र. सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	**लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)**		
1.	चोरी, दुर्विनियोजन तथा गबन के कारण हानि	2	0.02
2.	ठेकेदारों/एजेंसियों से अधिक भुगतानों, सामग्री का अधिक निर्गम, उनके जोखिम एवं लागत पर किए गए कार्य की लागत तथा आयकर, बिक्रीकर एवं लिक्विडेटिड प्रभारों की अवसूली के कारण वसूलनीय राशि।	103	133.91
3.	सरकारी कर्मचारियों से कम/अधिक भुगतानों के कारण वसूलनीय राशि।	10	0.56
4.	रोकड़ की संरक्षा तथा हैण्डलिंग, खजानों से आहरणों के मिलान, रोकड़ बहियों का रख-रखाव से संबंधित नियमों की अननुपालना तथा विभागीय प्राप्तियों का अनियमित उपयोग और सांहितिक प्रावधानों की अननुपालना।	153	2,074.18
5.	अतिरिक्त एवं परिहार्य व्यय जमा कार्यों पर किया गया अधिक व्यय, अनियमित, अप्राधिकृत एवं निष्फल व्यय	297	908.81
6.	अनियमित/अविवेकी क्रय	6	2.27
7.	ठेकेदारों को अदेय वित्तीय सहायता	34	39.67
8.	अवमानक कार्यों का निष्पादन	7	5.02
9.	निधियों का अवरोधन	12	40.22
10.	सामग्री का अलेखांकन/कम प्राप्ति	13	14.97
11.	औजार एवं संयंत्र विवरणी तैयार न करना, विनिर्माण लेखाओं को बंद न करना तथा मशीनरी का कम उपयोग	25	5.21
12.	माप पुस्तिकाओं के असंस्वीकृत अनुमान तथा हानि	13	101.47
कुल - लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)		**675**	**3,326.31**
(ख)	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**		
1	उपयोग प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति/अप्रस्तुतिकरण तथा फर्मों/विभागों से वास्तविक भुगतान रसीदों की प्रतीक्षा।	50	5.63
2	ऋण/सीड तथा मार्जिन मनी/ब्याज मुक्त ऋण/परिदान/पेंशन की अवसूली/कम वसूली तथा बकाया वसूली।	10	0.41
3	वेतन एवं भत्तों/पेंशनों/बीमा/स्कीमों पर अधिक/अनियमित/निष्फल/परिहार्य व्यय।	181	93.93
4	अनियमित/व्यर्थ/निष्फल/अविवेकी/अनुचित व्यय।	45	40.94
5	अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण/अननुरक्षण	26	4.08
6	पुराने/अप्रयोज्य वस्तुओं/वाहनों का अनिराकरण तथा बेकार भण्डार वस्तुओं/वाहनो का अनिपटान।	11	0.07
7	सरकारी धन/निधियों/ऋणों का अनियमित अवरोधन/आहरण/दुरूपयोग/अप्रयोग/सरकारी निधियों का अवरोधन तथा बजट से अधिक व्यय	70	76.59
8	अग्रिम भुगतानों/अग्रिमों का असमायोजन	2	0.03
9	विविध अनियमितताएं/रोकड़ बही	84	84.60
कुल- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		**479**	**306.28**
सकल योग (क+ख)		**1154**	**36,32.59**

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 12)

31 मई 2012 को वर्ष 2006 – 07, 2007 – 08, 2008 – 09 तथा 2009 – 10 (सिविल प्रतिवेदनों) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2009-10	1	1.1
2.	शिक्षा	2008-09	2	2.1.3, 2.1.4
		2009-10	1	2.4.1
3.	वित्त	2008-09	1	2.6.1
		2009-10	1	2.6.1
4.	सामान्य प्रशासन	2006-07	1	4.4.2
5.	गृह (पुलिस तथा जेल)	2008-09	2	1.2, 2.1.2
6.	सिंचाई	2008-09	2	2.1.5, 2.3.8
		2009-10	3	2.2.2, 2.2.3, 2.3.4
7.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2008-09	3	1.1, 2.1.1, 2.2.2
8.	लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.)	2008-09	4	2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7
		2009-10	2	2.2.1, 2.4.2
9.	लोक निर्माण विभाग (पी. एण्ड एच.)	2008-09	1	2.3.6
		2009-10	3	1.3, 2.2.5, 2.4.3, 2.4.4
10.	राजस्व	2008-09	1	1.3
		2009-10	1	2.5.2
11.	ग्रामीण विकास	2008-09	1	1.3
		2009-10	1	2.5.2
12.	नगर एवं आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2006-07	1	4.4.3
		2008-09	1	2.3.1
		2009-10	2	1.4, 2.3.1
13.	परिवहन	2008-09	1	1.4
		2009-10	1	2.3.2
14.	न्याय प्रशासन	2008-09	1	2.2.1
15.	आपूर्ति एवं निपटान	2008-09	1	2.3.5
16.	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1	1.2
		2008-09	3	1.1, 2.1.1, 2.2.2
17.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2009-10	2	2.1.1, 2.5.1
18.	मत्स्य पालन	2009-10	1	3.1
कुल			**46**	

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 12)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
			6.6	30.60
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2003-04	4.5.1	273.00
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
7	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1.12.13.1	8.25
			1.12.13.3	4.09
8	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रैड क्रास सोसाईटी)	2010-11	3.11	1.53
9	पी.डब्ल्यू.डी. (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
कुल			**14**	**20,803.18**

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 12)

लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों, जिन पर अभी सरकार को अन्तिम निर्णय लेना है, के विवरण

क्र. सं.	पी.ए.सी. रिपोर्ट	बकाया सिफारिशों की कुल संख्या
1.	7वां	1
2.	9वां	1
3.	14वां	1
4.	16वां	1
5.	18वां	1
6.	19वां	1
7.	21वां	1
8.	22वां	2
9.	23वां	1
10.	25वां	3
11.	26वां	2
12.	28वां	1
13.	29वां	3
14.	32वां	7
15.	34वां	5
16.	36वां	8
17.	38वां	7
18.	40वां	8
19.	42वां	9
20.	44वां	12
21.	46वां	7
22.	48वां	3
23.	50वां	34
24.	52वां	17
25.	54वां	13
26.	56वां	16
27.	58वां	40
28.	60वां	37
29.	61वां	12
30.	62वां	24
31.	63वां	26
32.	64वां	09
33.	65वां	23
34.	67 वां	37
कुल		**373**

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.11.1; पृष्ठ 26)

सांविधिक स्कीमों पर वर्ष–वार व्यय

(₹ लाख में)

स्कीम का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
मातृत्व लाभ	0	0	0	0	02	0.02	11	0.60	174	7.90
अंतिम संस्कार की सहायता हेतु भुगतान	0	0	2	0.02	40	0.36	45	1.39	128	7.66
मृत्यु लाभ	0	0	3	0.45	43	7.80	48	20.95	134	93.85
चिकित्सा सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.02
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	0	0	0	0	02	0.15	186	5.05	389	20.28

स्रोतः बोर्ड के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.11.1; पृष्ठ 27)

असांविधिक स्कीमों पर वर्ष–वार व्यय

स्कीम का नाम	(राशि ₹ लाख में)				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
स्वास्थ्य बीमा योजना	0	5.60	0.45	86.19	48.16
मोबाईल औषधालय वाहन	0	0.53	27.28	15.34	38.45
निर्मा ा कामगारों के लिए आश्रम	0	0	48.05	0	14.06
विवाह के लिए वित्तीय सहायता/ बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता	0	0.41	9.23	99.45	153.90
कामगार सुविधा केन्द्र	0	0	0	4.70	16.93
क्रेचेज एवं मोबाईल शौचालय	0	0.82	7.51	29.23	25.07

स्रोत: बोर्ड के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.5; पृष्ठ 35)

चयनित परिमंडलों एवं मंडलों की सूची

क्र.सं.	परिमंडल का नाम	मंडल का नाम
1	भाखड़ा जल सेवाएं, सिरसा	रोड़ी जल सेवाएं मंडल, सिरसा
		नेहराना जल सेवाएं मंडल, सिरसा
		घग्गर जल सेवाएं मंडल, सिरसा
		सिरसा जल सेवाएं मंडल, सिरसा
2	भाखड़ा जल सेवाएं, कैथल	पूंडरी जल सेवाएं मंडल, कैथल
		कैथल जल सेवाएं मंडल, कैथल
		नरवाना जल सेवाएं मंडल, नरवाना
		भाखड़ा मेनलाईल जल सेवाएं मंडल, कैथल
3	यमुना जल सेवाएं, भिवानी	सिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी
		भिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी
		जुई जल सेवाएं मंडल, भिवानी
		लिफ्ट जल सेवाएं (मेकेनिकल) मंडल, भिवानी
4	हथनी कुण्ड बैराज, जगाधरी	हथनी कुण्ड बैराज निर्माण मंडल सं.1, जगाधरी
		निर्माण मंडल संख्या 14, कुरूक्षेत्र
		दादूपुर जल सेवाएं मंडल, दादूपुर
		जगाधरी जल सेवाएं मंडल, जगाधरी
5	यमुना जल सेवाएं, रोहतक जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं, नारनौल	रोहतक जल सेवाएं मंडल, रोहतक
		सांपला जल सेवाएं मंडल, रोहतक
		गोहाना जल सेवाएं मंडल, गोहाना
		जल सेवाएं (मेकेनीकल) मंडल, रोहतक
		निर्माण मंडल संख्या 21, रोहतक
		बहादुरगढ़ जल सेवाएं मंडल, बहादुरगढ़
		निर्माण मंडल संख्या 30, गोहाना
6	यमुना जल सेवाएं, जींद यमुना जल सेवाएं, करनाल	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, चरखीदादरी
		महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, महेंद्रगढ़
		महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, नारनौल
		महेंद्रगढ़ जल सेवाएं मंडल (मेकेनिकल), नारनौल
7	यमुना जल सेवाएं, जींद	जींद जल सेवाएं मंडल, जींद
		निर्माण मंडल संख्या 28, जींद
		सफींदो जल सेवाएं मंडल, सफींदो
8	यमुना जल सेवाएं, करनाल	करनाल जल सेवाएं मंडल, करनाल
		इंद्री जल सेवाएं मंडल, करनाल
		निर्माण मंडल संख्या 17, करनाल
		पानीपत जल सेवाएं मंडल, पानीपत
9	वर्कशॉप, करनाल	उपलब्धि एवं निपटान मंडल, पंचकुला
		जल सेवाएं (मेकेनीकल) मंडल, करनाल
10	निर्माण, हिसार	निर्माण मंडल संख्या 6, हिसार
		निर्माण मंडल संख्या 7, हिसार

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.7; पृष्ठ 36)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल स्कीमों के विवर I दर्शाने वाली विवर II

क्र. सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	कार्य की स्थिति	टिप्पणियां
बृहद सिंचाई स्कीम					
1	दादुपुर नलवी सिंचाई स्कीम	267.70	135.71	केवल फेस-1 पूर्ण किया गया, फेस-2 प्रगति में	स्कीम का फेज-3 अर्थात् माईनर का निर्माण किसानों के आन्दोलन के कारण विलंबित
2	हांसी शाखा बुटाना शाखा के साथ बी.एम.एल. लिकिंग	170.89 392.00 (संशोधित)	383.28	भाखड़ा मेन लाईन के साथ लिकिंग को छोड़ कर पूर्ण किया गया	अंतराज्यीय विवाद के चलते मामला कोर्ट में होने के कारण चैनल बी.एम.एल. से जोड़ा नहीं जा सका।
3	जे.एल.एन. नहर के शेष वितर I कार्य	22.78	37.22	प्रगति में	
4	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत डब्ल्यू.आर.सी.पी. परियोजना का शेष कार्य	172.50	117.97	प्रगति में	
मध्यम सिंचाई स्कीम					
5	पंचकुला की ओर 12 कि.मी. घग्घर नदी पर दीवानवाला बांध का निर्माण	79.75	शून्य	आरंभ नहीं किया गया	घग्घर कमेटी द्वारा स्पष्ट नहीं
6	पंचकुला की ओर 25 कि.मी. घग्घर नदी पर डगरांना बांध का निर्माण	79.75	शून्य	आरंभ नहीं किया गया	घग्घर कमेटी द्वारा स्पष्ट नहीं
7	पंचकुला की ओर 8 कि.मी. कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध का निर्माण	102.53 217.00 (संशोधित)	188.35	पूर्ण किया गया	जल कार्यों के लिए हुडा के साथ पाईप लिकिंग प्रगति में
8	बीबीपुर झील का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण	8.74	7.00	प्रगति में	
9	कोटला झील का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण	22.78	शून्य	आरंभ नहीं किया गया	सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित
10	ओट्टू झील का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण	62.66	44.57	फेस-1 एवं 2 पूर्ण किया गया	फेज-3 प्रगतिअधीन
11	भिडावास झील का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण	39.87	शून्य	आरंभ नहीं किया गया	स्कीम बंद एवं वन विभाग को हस्तान्तरित
12	मस्सानी झील का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण	11.39	शून्य	-	स्कीम बंद की जा चुकी है
13	नाबार्ड ऋण के अंतर्गत कार्यान्वित हो रहे सिंचाई का लघु स्कीम	170.89	180.00	प्रगति में	संस्वीकृत 1332 कार्य में से 170 कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हैं और प्रगति पर हैं
14	मेवात सिंचाई स्कीम	282.74	शून्य	-	सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है
15	घरौंडा सिंचाई स्कीम	22.78	शून्य	-	छोड़ी गई
16	लाडवा सिंचाई स्कीम	22.78	शून्य	-	छोड़ी गई
17	लिफ्ट नहर इकाई पर नए पंप के स्थापित करने और पंप के क्षमता में सुधार	45.57	शून्य	-	स्कीम को नाबार्ड के अंतर्गत लिया गया है।
18	अंबाला सिंचाई स्कीम	283.10	शून्य	-	सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है
19	एन.सी.आर. जल आपूर्ति चैनल	1.00 322.00 (संशोधित)	278.61	पूर्ण किया गया	-

स्रोतः विभागीय अभिलेख।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.8.1; पृष्ठ 39)

विस्तृत बजट प्रावधान, संशोधित बजट एवं विभाग के व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व / पूंजीगत	दत्तमत / भारित	बजट	संशोधित बजट	व्यय	बचत (-)/ वृद्धि (+)
2007-08	राजस्व	दत्तमत	681.37	817.82	633.39	(-) 184.43
	पूंजीगत	दत्तमत	530.00	555.00	833.73	(+) 278.73
	पूंजीगत	भारित	25.00	57.00	53.72	(-) 3.28
2008-09	राजस्व	दत्तमत	738.41	1089.20	661.33	(-) 427.87
	पूंजीगत	दत्तमत	586.00	558.50	757.02	(+) 198.52
	पूंजीगत	भारित	42.00	45.00	54.38	(+) 9.38
2009-10	राजस्व	दत्तमत	1040.42	1121.52	729.34	(-) 392.18
	पूंजीगत	दत्तमत	561.00	560.80	731.44	(+) 170.64
	पूंजीगत	भारित	42.00	42.00	24.93	(-) 17.07
2010-11	राजस्व	दत्तमत	1037.53	1069.94	758.46	(-) 311.48
	पूंजीगत	दत्तमत	436.40	514.40	712.98	(+) 198.58
	पूंजीगत	भारित	40.00	50.80	47.63	(-) 3.17
2011-12	राजस्व	दत्तमत	1075.46	1219.54	846.09	(-) 373.45
	पूंजीगत	दत्तमत	443.50	553.40	823.14	(+) 269.74
	पूंजीगत	भारित	40.00	70.00	64.15	(-) 5.85

स्रोतः विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.10.2; पृष्ठ 50)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत गाद न निकालने के विवरण

(₹ लाख में)

अंचल	संभाग	गाद निकालने पर व्यय	ठेकेदार द्वारा भुगतान	मनरेगा के माध्यम से किया गया भुगतान
यमुना जल सेवाएं भिवानी	सिवानी जल सेवाएं	663.33	663.33	0
	भिवानी जल सेवाएं	512.53	512.53	0
	जुई जल सेवाएं	193.70	193.70	0
	कुल	**1369.56**	**1369.56**	**0**
हथनी कुंड बैराज जगाधरी	हथनी कुंड बैराज कंस्ट्रक्शन डिवीजन नं. 1	3.38	3.38	0
	दादूपुर जल सेवाएं	24.11	24.11	0
	कुल	**27.49**	**27.49**	**0**
यमुना जल सेवाएं रोहतक	रोहतक जल सेवा	1534.68	1534.68	0
	सांपला जल सेवा	291.60	291.60	0
	गोहाना जल सेवा	197.48	197.48	0
	बहादुरगढ़ जल सेवा	3.85	3.85	0
	कुल	**2027.61**	**2027.61**	**0**
	कुल योग	**3424.66**	**3424.66**	**0**

स्रोत: विभाग से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.10.4; पृष्ठ 51)

पश्चिमी जमुना नहर में सीवेज/बहिस्राव के निपटान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	पश्चिमी जमुना नहर में बहिस्राव निपटान के बिंदु	बहिस्राव की अनुमानित प्रमात्रा (क्यूसेक में)
1	फतेहगढ़ गांव से आर.डी. 17000/एल. के निकट सीवेज निपटान	1.00
2	आर.डी./आर. के निकट खुले नाले से पश्चिमी जमुना कैनाल तक सीधे जाने पानी के उपलब्ध कराए गए गेट	2.00
3	आर.डी. 57000/आर. के निकट खुले ड्रेन/सीवेज लाईन से पश्चिमी जमुना कैनाल में जाने वाला पानी	1.00
4	पंप हाउस के नजदीक पाईप द्वारा आर.डी. 57000/आर. के निकट जल प्रवेश	0.50
5	लोक स्वास्थ्य के 10 एम.एल.डी.-एस.टी.पी. से आर.डी. 57300/एल. के निकट जल	3.00
6	खुले नाली/सीवेज लाईन से जमुना घट के निकट आर.डी 59700/आर. के निकट जमुना घाट नहर में जल प्रवेश	1.00
7	पुराने सहारनपुर रोड़ के निकट आर.डी. 62500/आर. डी./एस.	0.50
8	खुले नाली द्वारा जमुना गली से आर.डी. 61200/आर. के निकट जल	1.00
9	खुले नाली से हमीदा/गढ़ी गांव से आर.डी. 68600/आर. के निकट जल प्रवेश	1.00
10	रादौर गांव आर.डी. 125000/आर. के निकट पश्चिमी जमुना नहर में जल प्रवेश	1.00
11	नगर निगम क्षेत्र यमुनानगर	14.00
	कुल	**26.00**

स्रोतः विभाग के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.11.2; पृष्ठ 54)

अवमानक कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	मंडल का नाम	कार्यों के नाम	संशोधित लागत	व्यय	नमूना लेने की तारीख
			(₹ लाख में)		
1	दादूपुर जल सेवाएं मंडल, दादूपुर	2010 की बाढ़ के पश्चात ताजेवाला के गोरियानी बांध के क्षतिग्रस्त पिचिंग तथा क्षतिग्रस्त लांचिग एप्रन की मरम्मत करना	224.00	178.51	7 जुलाई 2011
2		2010 की बाढ़ के बाद ताजेवाला मे धुमावदार गाईड बांध और क्षतिग्रस्त दायीं दीवार की मरम्मत	263.00	227.10	6 जुलाई 2011
3		तजवाला में आर.एल.डी.एस.ई. के आर.डी. 1900 से 3080 तक एप्रोन लांच करना और क्षतिग्रस्त बुंड का मरम्मत	334.00	196.87	6 जुलाई 2011
4		2010 की बाढ़ के बाद ताजेवाला मे आर.एल.डी.एस.ई. के आर.डी. 1100 से 1700 तक लांचिग एप्रन प्रदान कर क्षतिग्रस्त हुए बांध की मरम्मत	456.00	172.42	6 जुलाई 2011
5		2010 की बाढ़ के बाद ताजेवाला मे आर.एल.डी.एस.ई. आर.डी. 3080 से 3750 तक (ब्रीच तरफ) पिचिंग तथा लांचिग एप्रन प्रदान कर क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत	565.00	321.45	28 जून 2011
6		2010 की बाढ़ के बाद ताजेवाला में आर.एल.डी.एस.ई. आर.डी. 4270 से 5040 तक (ब्रीच तरफ) पिचिंग तथा लांचिग एप्रन प्रदान कर क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत	628.00	254.77	28 जून 2011
7.		2010 की बाढ़ के बाद ताजेवाला में आर.एल.डी.एस.ई. आर.डी. 5040 से 5920 तक (ब्रीच तरफ) पिचिंग तथा लांचिग एप्रन प्रदान कर क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत	653.00	260.79	27/28 जून 2011
8	जल सेवाएं मंडल, जगाधरी	यमुना नदी से गांव बेलगढ़ के सुरक्षा के लिए 26 नं. सी.सी. ब्लाक स्टड और पत्थर पीचिंग के साथ 2000 की बांध इत्यादि उपलब्ध करना	238.40	189.41	27 जून 2011
	कुल		**3361.40**	**1801.32**	

स्रोतः संबंधित मंडलों के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.12.1; पृष्ठ 54)

भू–अधिग्रहण अधिकारी द्वारा लौटाई न गई राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

परिमंडल	मंडल	जमा की गई राशि	प्रदान की गई राशि	प्रदानगी माह	एल.ए.ओ. से वापस प्राप्त	शेष	रिफंड में विलंब की अवधि (वर्ष–माह)
भाखड़ा जल सेवाएं, सिरसा	घग्गर जल सेवाएं, सिरसा	320.72	316.32	मार्च 2009	शून्य	4.40	3-0
	सिरसा जल सेवाएं, सिरसा	90.00	80.06	मई 2008	शून्य	9.94	3-10
भाखड़ा जल सेवाएं, कैथल	कैथल जल सेवाएं, कैथल	873.61	824.46	अक्तूबर 2011	शून्य	49.15	0-5
	नरवाना जल सेवाएं, नरवाना	1355.29	1276.71	अप्रैल 2010	78.05	0.53	2-0
यमुना जल सेवाएं, भिवानी	सिवानी जल सेवाएं, भिवानी	590.16	541.24	सितंबर 2011	शून्य	48.92	0-5
	जुई जल सेवाएं, भिवानी	852.84	798.66	मई 2011	शून्य	54.18	0-10
हथनी कुण्ड बैराज, जगाधरी	निर्माण मंडल संख्या 14, कुरूक्षेत्र	3728.00	3606.47	मार्च 2008	115.00	6.53	4-0
जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं, नारनौल	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं, चरखीदादरी	424.52	421.37	जून 2011	1.18	1.97	0-9
	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं, महेंद्रगढ़	463.37	449.30	सितंबर 2011	8.80	5.27	0-6
	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं, नारनौल	347.03	345.42	अक्तूबर 2011	शून्य	1.61	0-5
यमुना जल सेवाएं, जींद	जींद जल सेवाएं, जींद	1393.95	1248.00	जनवरी 2010	शून्य	145.95	2-2
	निर्माण मंडल संख्या 28, जींद	1397.35	1350.89	जून 2011	शून्य	46.46	0-9
	सफीदों जल सेवाएं, सफीदों	206.91	112.52	मार्च 2007	76.67	17.72	5-0
निर्माण परिमंडल, हिसार	निर्माण मंडल संख्या 7, हिसार	3542.00	3442.17	फरवरी 2010	शून्य	99.83	2-1
	कुल	**15585.75**	**14813.59**		**279.70**	**492.46**	

स्रोतः संबंधित मंडलों के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.12.2; पृष्ठ 55)

भूमि के म्यूटेशन के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

परिमंडल	मंडल	अधिगृहित भूमि	म्यूटेशन किया गया	म्यूटेशन नहीं किया गया
		(एकड़ में)		
भाखड़ा जल सेवाएं, सिरसा	घग्गर जल सेवाएं मंडल, सिरसा	42.35	29.77	12.58
	सिरसा जल सेवाएं मंडल, सिरसा	104.95	88.05	16.90
भाखड़ा जल सेवाएं, कैथल	कैथल जल सेवाएं मंडल, कैथल	73.03	44.90	28.13
यमुना जल सेवाएं, भिवानी	भिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी	277.83	184.25	93.58
	जुई जल सेवाएं मंडल, भिवानी	47.50	37.63	9.87
हथनी कुण्ड बैराज, जगाधरी	निर्माण मंडल संख्या 14, कुरूक्षेत्र	112.565	92.301	20.264
	दादूपुर जल सेवाएं मंडल, दादूपुर	82.068	51.492	30.576
	जगाधरी जल सेवाएं मंडल, जगाधरी	69.013	21.45	47.563
यमुना जल सेवाएं, रोहतक	रोहतक जल सेवाएं मंडल, रोहतक	187.41	0	187.41
	गोहाना जल सेवाएं मंडल, गोहाना	10.85	0	10.85
	निर्माण मंडल संख्या 21, रोहतक	74.924	60.785	14.139
	बहादुरगढ़ जल सेवाएं मंडल, बहादुरगढ़	103.02	0	103.02
जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं, नारनौल	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, नारनौल	14.04	6.21	7.83
यमुना जल सेवाएं, जींद	जींद जल सेवाएं मंडल, जींद	71.10	0	71.10
	निर्माण मंडल संख्या 28, जींद	96.9263	37.4175	59.5088
	सफीदों जल सेवाएं मंडल, सफीदों	6.896	0.85	6.046
यमुना जल सेवाएं, करनाल	पानीपत जल सेवाएं मंडल, पानीपत	74.37	36.14	38.23
निर्माण परिमंडल, हिसार	निर्माण मंडल संख्या 7, हिसार	7.02	0	7.02
कुल		**1455.8623**	**691.2455**	**764.6168**

स्रोतः संबंधित मंडलों के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.14.2; पृष्ठ 57)

विभाग के राजस्व शीर्ष में जमा पड़ी राशियों के अहस्तांतरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

परिमंडल	मंडल	3 से 5 वर्ष	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल
		(₹ लाख में)			
भाखड़ा जल सेवाएं, सिरसा	रोड़ी जल सेवाएं मंडल, सिरसा	0.46	0.08	0.07	0.61
	नेहराना जल सेवाएं मंडल, सिरसा	4.20	0	0	4.20
	घग्गर जल सेवाएं मंडल, सिरसा	2.32	0.90	0	3.22
	सिरसा जल सेवाएं मंडल, सिरसा	0.66	0.21	0.19	1.06
यमुना जल सेवाएं, भिवानी	सिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी	21.42	2.10	1.11	24.63
	भिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी	2.57	0	1.00	3.57
	जुई जल सेवाएं मंडल, भिवानी	9.00	12.46	0	21.46
	लिफ्ट जल सेवाएं (मेकेनिकल) मंडल, भिवानी	0.22	0.02	0	0.24
हथनी कुण्ड बैराज, जगाधरी	हथनी कुण्ड बैराज निर्माण मंडल सं.1, जगाधरी	1.26	5.63	1.95	8.84
	निर्माण मंडल संख्या 14, कुरूक्षेत्र	17.32	8.37	16.73	42.42
	दादूपुर जल सेवाएं मंडल, दादूपुर	232.53	0	0	232.53
	जगाधरी जल सेवाएं मंडल, जगाधरी	0.17	0	0	0.17
यमुना जल सेवाएं, रोहतक	सांपला जल सेवाएं मंडल, रोहतक	115.58	0	0	115.58
	गोहाना जल सेवाएं मंडल, गोहाना	9.32	7.77	5.53	22.62
	रोहतक जल सेवाएं मेकेनीकल मंडल, रोहतक	0.12	0.28	0.04	0.44
	बहादुरगढ़ जल सेवाएं मंडल, बहादुरगढ़	4.98	0	0	4.98
	निर्माण मंडल संख्या 30, गोहाना	24.86	11.22	0	36.08
जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं, नारनौल	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, चरखीदादरी	0.28	0.35	0.56	1.19
	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, महेंद्रगढ़	18.09	0	0	18.09
	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, नारनौल	0.88	0.99	0.12	1.99
यमुना जल सेवाएं, जींद	जींद जल सेवाएं मंडल, जींद	20.34	10.05	11.25	41.64
	सफीदो जल सेवाएं मंडल, सफीदो	0.33	0.29	0	0.62
यमुना जल सेवाएं, करनाल	निर्माण मंडल संख्या 17, करनाल	0	0.97	18.43	19.40
	पानीपत जल सेवाएं मंडल, पानीपत	1.62	0.58	0	2.20
निर्माण परिमंडल, हिसार	निर्माण मंडल संख्या 6, हिसार	9.58	0.25	0.20	10.03
	निर्माण मंडल संख्या 7, हिसार	0.05	0.07	1.08	1.20
कुल		**498.16**	**62.59**	**58.26**	**619.01**

स्रोतः संबंधित मंडलों के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.14.3; पृष्ठ 58)

श्रमिक उपकर जमा न करने के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

परिमंडल	मंडल	श्रम विभाग के प्राप्ति शीर्ष	जमा शीर्ष में रखे गए	कुल
		(₹ लाख में)		
भाखड़ा जल सेवाएं, सिरसा	रोड़ी जल सेवाएं मंडल, सिरसा	0	3.28	3.28
	नेहराना जल सेवाएं मंडल, सिरसा	37.07	शून्य	37.07
	घग्गर जल सेवाएं मंडल, सिरसा	39.27	शून्य	39.27
	सिरसा जल सेवाएं मंडल, सिरसा	15.38	शून्य	15.38
यमुना जल सेवाएं, भिवानी	सिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी	14.06	शून्य	14.06
	भिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी	84.58	शून्य	84.58
	जुई जल सेवाएं मंडल, भिवानी	शून्य	8.69	8.69
हथनी कुण्ड बैराज, जगाधरी	हथनी कुण्ड बैराज निर्माण मंडल सं.1, जगाधरी	3.95	6.40	10.35
	निर्माण मंडल संख्या 14, कुरूक्षेत्र	14.23	1.13	15.36
	दादूपुर जल सेवाएं मंडल, दादूपुर	21.37	23.31	44.68
	जगाधरी जल सेवाएं मंडल, जगाधरी	शून्य	6.28	6.28
जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं, नारनौल	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, चरखीदादरी	शून्य	4.14	4.14
	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, महेंद्रगढ़	शून्य	0.68	0.68
	महेंद्रगढ़ नहर जल सेवाएं मंडल, नारनौल	शून्य	4.83	4.83
	महेंद्रगढ़ जल सेवाएं (मेकेनीकल), नारनौल	शून्य	0.05	0.05
यमुना जल सेवाएं, जींद	जींद जल सेवाएं मंडल, जींद	1.47	शून्य	1.47
	सफीदो जल सेवाएं मंडल, सफीदों	12.19	शून्य	12.19
यमुना जल सेवाएं, करनाल	करनाल जल सेवाएं मंडल, करनाल	3.54	12.80	16.34
	पानीपत जल सेवाएं मंडल, पानीपत	45.33	शून्य	45.33
निर्माण, हिसार	निर्माण मंडल संख्या 6, हिसार	6.60	शून्य	6.60
	निर्माण मंडल संख्या 7, हिसार	6.59	शून्य	6.59
	कुल	**305.63**	**71.59**	**377.22**

स्रोतः संबंधित मंडलों के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 64)

नमूना – जांच किए गए यूनिटों की सूची

क्र.सं.	चयनित जिला	एल.ए.ओज/डी.आर.ओ. – सह – एल.ए.सी. का नाम	मंडल का नाम
1.	रोहतक	डी.आर.ओ. – सह – एल.ए.सी., रोहतक	प्रांतीय मंडल, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) संख्या – 1, रोहतक प्रांतीय मंडल, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) संख्या – 2, रोहतक रोहतक जल सेवाएं मंडल, रोहतक सांपला जल सेवाएं मंडल, रोहतक फीडर जल सेवाएं मंडल, रोहतक निर्माण मंडल संख्या – 19 (सिंचाई), रोहतक निर्माण मंडल संख्या – 21 (सिंचाई), रोहतक जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या – 1, रोहतक जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या – 2, रोहतक जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या – 3, रोहतक
2.	गुड़गांव	डी.आर.ओ. – सह – एल.ए.सी., गुड़गांव एल.ए.ओ., पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.), गुड़गांव	प्रांतीय मंडल, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.), गुड़गांव निर्माण मंडल संख्या – 31 (सिंचाई), गुड़गांव जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, सोहना
3.	फरीदाबाद	डी.आर.ओ. – सह – एल.ए.सी., पलवल	जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या – 1, पलवल जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या – 3, पलवल

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10.1; पृष्ठ 81)

अतिक्रमण अधीन फालतू भूमि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	परिमंडल का नाम	गांव का नाम	स्थान	कुल क्षेत्र (एकड़ में)
1	भाखड़ा जल सेवाएं, सिरसा	अबूबशहर	सामने आर.डी. 200 – एल. अबूबशहर माईनर नं. 2	7.86
2		पन्नीवाला रूल्दू	सामने आर.डी. 362000 – आर. भाखड़ा मेन ब्रांच	5.40
3		गंगा	ओ/एल. आर.डी. 29776 – आर – 33100 – आर 33100 – एल. चौटाला डिस्टिलरी तथा 34820 – आर – 35700 – एल – 44000 – एल. – 45850 – आर – 49000 – एल. – 57000 – टीएल. – 57000 – टी.आर. – जंडवाला डिस्टिलरी के चाक में लिसारा नाला अधूरा छोड़ा गया	12.13
4		मक्खा	सामने आर.डी. 346000 – एल. भाखड़ा मेन ब्रांच	15.81
5		देसू मलकाना	सामने आर.डी. 329000 – एल. भाखड़ा मेन ब्रांच	8.32
6			सड़क पर गांव के निकट	0.71
7		तखतमल	सामने आर.डी. 313262 – एल. भाखड़ा मेन ब्रांच	9.69
8		पन्नीवाला मोरिका	35800 – टेल के सामने अधूरी छोड़ी गई माईनर नं. 1	9.20
9		देसू जोधा	सामने आर.डी. 3000 एल. माईनर नं. 3	0.91
10			सामने आर.डी. 64851 – आर. डबवाली डिस्ट्रीब्यूटरी	0.16
11			सामने आर.डी. 65000 – एल. डबवाली डिस्ट्रीब्यूटरी	1.06
12		तखतमल	सामने आर.डी. 303000 – एल. भाखड़ा मेन ब्रांच	4.80
13	भाखड़ा जल सेवाएं, कैथल	जिला कैथल	फतेहपुर माईनर टेल	9.50
14		जिला करनाल	हबड़ी ब्रांच टेल का 1 – आर. माईनर	52.21
15	भाखड़ा जल सेवाएं, हिसार – 1	दरोली	आदमपुर जल सेवाएं मंडल गांव दरोली में अनधिकृत स्वामित्व	11.30
16		सादलपुर	आदमपुर जल सेवाएं मंडल गांव सादलपुर में अनधिकृत स्वामित्व	5.20
17		नया गांव	पुरानी दौलतपुर माईनर अधूरी छोड़ी गई	4.20
18			पुरानी दौलतपुर माईनर अधूरी छोड़ी गई	8.89
19	सतलुज यमुना लिंक, अंबाला	जनसूई	गांव जनसूई में अधूरी छोड़ी गई	9.77
20		बिशनगढ़	गांव बि ानगढ़ में अधूरी छोड़ी गई	44.88
21		सेगती	गांव सेगती में अधूरी छोड़ी गई	5.21
22		सेगता	गांव सेगता में अधूरी छोड़ी गई	5.06
23	यमुना जल सेवाएं, रोहतक	पथरी (जिला पानीपत)	गांव पथरी में अनधिकृत अतिक्रमण	5.74
24	यमुना जल सेवाएं, भिवानी	धनाना	मिठ्ठल माईनर अधूरी छोड़ी गई	7.77
25	यमुना जल सेवाएं, फरीदाबाद	झालाना, तहसील पुन्हाना, जिला मेवात	आर.डी. 188000 – एल. राजस्थान लिंक कैनाल	8.50
26		मीठापुर तहसील कालकाजी, जिला साकेत (दिल्ली)	आगरा कैनाल के बाई तरफ और आबादी गांव मीठापुर के दक्षिण की ओर मीठापुर जी.सी. फीडर के बाई तरफ आर.डी. 4500	10.75
	कुल			**265.03**

स्रोत: संबंधित मंडलों के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10.6; पृष्ठ 83)

भूमि के म्युटेशन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(क्षेत्र एकड़ में)

शहरी संपदा/मंडल का नाम	अधिगृहीत भूमि	दर्ज किया गया म्युटेशन	दर्ज न किया गया म्युटेशन
शहरी संपदा, फरीदाबाद	2097.11	1308.04	789.07
शहरी संपदा, रोहतक	4022.97	728.08	3294.89
शहरी संपदा, पानीपत	3212.77	1869.51	1343.26
लोक निर्माण मंडल (बी. एण्ड आर.), गुड़गांव	25.91	4.38	21.53
निर्माण मंडल संख्या 31 (सिंचाई), गुड़गांव	111.66	83.38	28.28
रोहतक जल सेवाएं मंडल, रोहतक	189.71	शून्य	189.71
कुल योग	**9660.13**	**3993.39**	**5666.74**

स्रोतः यू.ई.डी. तथा संबंधित मंडलों के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 86)

संस्वीकृत संख्या की तुलना में तैनात कर्मचारी दर्शाने वाली विवरणी

पद श्रेणी	एल.ए.ओ.	संस्वीकृत पद	वर्तमान स्टाफ	रिक्त	टिप्पणियां
अनुभाग अधिकारी	फरीदाबाद	1	0	1	एस.टी.पी. फरीदाबाद के अनुभाग अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया
	गुड़गांव	1	1	शून्य	
	रोहतक	1	1	शून्य	
नायब तहसीलदार	फरीदाबाद	2	1	1	
	गुड़गांव	2	1	1	
	रोहतक	2	2	शून्य	
कानूगो	फरीदाबाद	4	1	3	
	गुड़गांव	4	2	2	
	रोहतक	4	4	शून्य	
पटवारी	फरीदाबाद	16	9	7	छः पटवारी ठेका आधार पर थे
	गुड़गांव	14	11	3	पांच पटवारी ठेका आधार पर थे
	रोहतक	10	6	4	छः पटवारी ठेका आधार पर थे

स्रोतः संबंधित एल.ए.ओज द्वारा प्रस्तुत डाटा।

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.13.2; पृष्ठ 88)

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव में वापस प्राप्त किए गए गलत भुगतानों के विवरण

क्र.सं.	एल.ए.सी. सं./सैक्टर	भू-स्वामी का नाम		प्राप्त की गई राशि
1	एन.टी.एल.ए. 2008/1451/ 20 मार्च 2008	श्रीमती सुनील पत्नी मुकेश, रोहतक	गलत व्यक्ति	5289021
2	सैक्टर 81-95 रोड़, गुड़गांव	आस्कर लैण्ड एण्ड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	8997692
				647100
3		फारचून लैण्ड एण्ड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	23045965
				1657420
4		एलीजैंट लैण्ड एण्ड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	854529
				61460
5		ब्राईट बिल्ड टैक प्राईवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	747940
				53800
6		सलमोन लैण्ड एण्ड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	2613855
				187990
7		औरिस लैण्ड एण्ड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	277662
				19970
8		राधे इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	36216
				2610
9	गांव खपरा, जिला महेंद्रगढ़	बलवंत सिंह, गांव खपरा, जिला महेंद्रगढ़	गलत व्यक्ति	149299
10	अवार्ड 37/12 अगस्त 2009 गांव बेहरामपुर	ई.सी.यू. बिलडर एवं डेवल्पर प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	गलत व्यक्ति	8312028
11	58-67 रोड़, गांव मेदावास	शकुंतला देवी पत्नी नानूराम गांव मेदावास	गलत व्यक्ति	3864032
12	सैक्टर 81-88, हयातपुर, जिला गुड़गांव	क्रेजी लैंड एण्ड हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड, गुड़गांव	गलत व्यक्ति	8042630
			कुल	**64861219**

स्रोतः एल.ए.ओ. गुड़गांव के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.13.2; पृष्ठ 88)

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव में वापस प्राप्त किए गए अधिक भुगतानों के विवरण

क्र.सं.	एल.ए.सी. सं./सैक्टर	भू-स्वामी का नाम		प्राप्त की गई राशि
1	सैक्टर 81-95 रोड़, गुड़गांव	वेद प्रकाश, ओम प्रकाश, इत्यादि गांव सिही	अधिक राशि	728860
2		राजा राम, गांव नखरोला	अधिक राशि	1482859
3	एल.ए.सी. 85/1996, 707/2000, 47/2005	ओम प्रकाश, कैलाश सिंह, धर्मपाल	अधिक राशि	5419973
4	गांव नवादा फतेहपुर	राजपाल	अधिक राशि	419860
5	गांव धावापुर	सुखलाल	अधिक राशि	82853
6	सैक्टर 81-95, गुड़गांव	सुखवीर	अधिक राशि	355356
7	आवार्ड 17/ 14 जून 2010	शेर सिंह, सुपुत्र बने सिंह गांव वजीरपुर	अधिक राशि	646111
8	एल.ए.सी. 74/94, सैक्टर 6, गुड़गांव	देवेन्द्र कुमार	अधिक राशि	950500
9	सैक्टर 81 तावडू/होडल	राजकुमारी पत्नी अजीत गांव हयातपुर	अधिक राशि	44230
10	81-95 रोड़, गांव भंगरोला	ईश्वर सुपुत्र राम चन्द्र गांव भंगरोला	अधिक राशि	79584
11	गांव चौमा जिला गुड़गांव	कर्म सिंह गांव चौमा	अधिक राशि	2694549
12	99-115 मीटर रोड़, गांव धनकोट	विजय गर्ग, बी-6 टेगोर मार्किट, कीर्ती नगर, नई दिल्ली	अधिक राशि	2087889
13	गांव धनकोट	कमला पत्नी राम फल गांव धनकोट	अधिक राशि	56156
14	गांव खचरा, जिला महेंद्रगढ़	बसती राम सुपुत्र मुस्दीलाल इत्यादि गांव खचरा	अधिक राशि	298599
15	सैक्टर 99-115 रोड़, गुड़गांव	राम किशन सुपुत्र अमीर चन्द, सुनील, इत्यादि गांव मोहम्मदहेड़ी	अधिक राशि	108733
			कुल	**15456112**

स्रोतः एल.ए.ओ. गुड़गांव के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.5; पृष्ठ 98)

चयनित जिलों, ब्लॉको एवं ग्राम पंचायत की सूची

क्र.सं.	जिला	ब्लाक	चयनित जी.पीज का नाम
1	अम्बाला	अम्बाला -I	जंसुई, बरोला, कलेरन, रौलन, अमीपुर, मोहरा, शेखुपुरा, जगौली, बहुरंगपुर
		साहा	केसरी, समलहरी, खेड़ा, सब्गा, अकबरपुर, नुर्द, शेरगढ़, झारूमाजरा, चौडेली, शाहा
2	फतेहाबाद	भंटू कलां	खाबरा कलां, सिरदन, डांढ, मेहुवाला, बनमंदोरी, झांडवाला बागर, सरवरपुर, दयार, भांटूकलां, पीली मंदोरी, धाबीकलां, धींगसारा, थूईया, किरधान, बोदीवाली
		रतियां	सेहनल, अहरवान, बादलगढ़, छीमों, रायपुर, झंडवाला सोतर, रातारवेडा, कामना, अलीका, भवनपुर, बहमानवाला, बुर्ज, चंडोकलां, मोहम्दपुर सोतर
3	कुरूक्षेत्र	बबेन	बीरसुजरा, भरथला, बींत, झंडोला, काशीथाल, नखरोजपुर, फालसंदा रांगरन, भारगत, महुंआखेरी
		थानेसर	बरना, भांसीमाजरा, गामरी जटान, खासपुर, अजरानाकलां, झीवेरी, टिगरीखालसा, उंतसल, मिर्जापुर, दौलतपुर
4	मेवात	फिरोजपुर झिरखा	झारपुरी, दुलगेजा, बालखेडा, शाबपुर, मलहाका, सामिरबास, चितौरा, सुलेला, शेखपुर
		थारू	पंचगांव, निजामपुर, हसनपुर, शिकारपुर, बावला, पारा, उटोन, ढिंगेरी, भांगो, सिल्खोन
5	पलवल	पलवल	गौरी, परोली, कलवाका, बाढा, करना, चिरवेरी, जोधपुर, अलवरपुर, दुर्गापुर, थिर्की, रतीपुर, महेशपुर, जोहरखेडा, रामपुरखौर, धातिर
		हसनपुर	हसनपुर, महोली, बाटा, रायदासका,फतासकोनगर, तिकरी गुजर, कवारका, सहनोली, कौशक घसेरा, बेला, मीरपुर करोली, बिलौचपुर, रामगढ़
6	सिरसा	बारागुडा	झीरी, थिराज, भगसर, भुर्ज कर्मगढ़, शेखपुरिया, कुरगनावाली, सुखचैन, लहंगेवाला, अलीका
		उधान	मलिकपुरा, उधान, चौरमार खेडा, गौखनवाली, रोहिरनवाली, छत्रवान, हासू, सलामखेडा, खेववाली, तिगरी

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.7.3; पृष्ठ 99)

ग्राम पंचायतों जहां ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त नहीं किए गए थे, को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिला	ब्लाक	ग्राम पंचायत
1	फतेहाबाद	रतियां	बादलगढ़
2			सरदारावाला
3			कामाना
4			रायपुर
5			रतखेडा
6			चीमो
7			सेहनल
8			जड़वाला
9			अहरवान
10			अलीका
11		भाटूकलां	डायर
12			सिरधान
13			खाबराकलां
14			बन मंदोरी
15			मेहूवाला
16			पीली मंदोरी
17			भाटूकलां
18			डांढ
19			जड़वाला
20			सरवरपुर
21	पलवल	पलवल	परोली
22			जोधपुर
23			बाडा
24			करना
25			दुर्गापुर
26		हसनपुर	सेहनोली
27			टिकरी गुजर
28			हसनपुर
29	सिरसा	बारागुडा	शेखुपुरिया
30	अम्बाला	अम्बाला -1	जसोई
31			शेखुपुर
32			भुरंगपुर
33			जगोली
34		साहा	नुर्द
35			चौडेली
36			साहा

स्रोतः विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.9.6; पृष्ठ 106)

बैंक खाते से बाहर रखी गई निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

तारीख	बैंक से आहरित राशि (पी.एन.बी., रेलवे रोड़ कुरूक्षेत्र) (₹ लाख में)				
16 मई 2011	2.40	1.40	1.00	26 मई 2011	10 दिन
15 मार्च 2011	0.52	0.52	0	25 मई 2011	70 दिन
6 अगस्त 2011	0.67	0.68	-0.01	24 अक्तूबर 2011	89 दिन
16 जून 2011	5.75	5.75	0	16 जुलाई 2011	30 दिन
18 जनवरी 2012	2.50	1.50	1.00	23 अप्रैल 2012	96 दिन
9 जनवरी 2012	4.10	4.10	0	18 जनवरी 2012	9 दिन
23 दिसम्बर 2010	2.00	2.00	0	31 दिसम्बर 2010	8 दिन
सरपंच के पास पड़ी कुल राशि			**1.99**		

स्रोत: ग्राम पंचायत, टिगरी खालसा की रोकड़ बही से तैयार किए गए अनुसार।

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.10.2; पृष्ठ 108)

ग्राम पंचायत अभिलेखों एवं एम.आई.एस. रिपोर्ट के अनुसार जारी जॉब कार्ड में अंतर को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	जॉब कार्ड की संख्या	
				ग्राम पंचायत के अनुसार	एम.आई.एस. रिपोर्ट के अनुसार
1	मेवात	तावडू	पंचगांव	489	385
2			निजामपुर	143	210
3			ढींगरहेड़ी	72	132
4			उटोन	121	97
5		फिरोजपुर झिरखा	शेखपुर	121	161
6			झाड़पुरी	449	361
7			बालखेड़ा	161	71
8			मलाखा	295	184
9			शाहपुर	245	145
10			समीरबास	107	125
11			ढिंगेजा	172	175
12			चितौडा	221	140
13	पलवल	हसनपुर	हसनपुर	9	24
14	अंबाला	साहा	केसरी	300	449

स्रोतः संबंधित जी.पीज के अभिलेखों से तैयार किया गया।

परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.10.2; पृष्ठ 108)

जॉब कार्ड रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं करने वाली जी.पीज का विवरण

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत
1.	फतेहाबाद	रतिया	झंडेवाला सोत्तर
2.		भाटूकलां	खाबराकलां
3.	पलवल	पलवल	टेहरकी
4.		हसनपुर	कुशाक
5.			रायदास्क
6.			सेहनोली
7.			टिकरी गुजर
8.	अंबाला	अंबाला-I	भदौला
9.			जगोली
10.		साहा	केसरी
11.			सबगा
12.			नुर्द
13.			शेरगढ़
14.			चुडेली
15.			शाहा
16.			झाडूमाजरा
17.	कुरूक्षेत्र	थानेसर	बर्ना
18.			बंसीमाजरा

स्रोत: संबंधित जी.पीज द्वारा अपूरित सूचना।

परिशिष्ट 2.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.11; पृष्ठ 109)

दिहाड़ियों के विलंबित भुगतान दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	किए गए कार्य की अवधि	वास्तविक भुगतान की तारीख	राशि (₹ लाख में)	दिनों में विलंब
1	मेवात	फिरोजपुर झिरखा	शेखपुर	17 अक्तूबर 2010 से 31 अक्तूबर 2010	21 दिसंबर 2010	2.09	35
			झाड़पुरी	1 अक्तूबर 2010 से 16 अक्तूबर 2010	17 दिसंबर 2010	0.66	46
			बालखेड़ा	1 मई 2011 से 31 मई 2011	30 जुलाई 2011	1.24	44
			मल्हाका	2 जुलाई 2011 से 31 जुलाई 2011	04 अक्तूबर 2011	2.48	49
			साफीपुर	1 मार्च 2010 से 31 मार्च 2010	13 मार्च 2011	2.74	331
			समीरवास	17 सितम्बर 2011 से 09 अक्तूबर 2011	19 जनवरी 2012	0.42	86
			दुगेजा	01 जुलाई 2009 से 17 जुलाई 2009	25 सितम्बर 2011	1.11	54
			सुलेला	1 सितम्बर 2011 से 26 सितम्बर 2011	15 मार्च 2012	0.54	154
			चित्तौड़ा	1 जनवरी 2008 से 16 जनवरी 2008	23 मार्च 2008	2.57	50
		थारू	उटोन	1 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	25 मार्च 2011	1.79	37
			उटोन	1 जून 2011 से 30 जून 2011	24 अक्तूबर 2011	1.68	100
			शिकारपुर	1 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	11 मार्च 2011	0.98	23
			शिकारपुर	1 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011	9 अप्रैल 2011	1.13	24
			बंगोह	1 सितम्बर 2011 से 30 सितम्बर 2011	14 मई 2012	0.22	210
2	सिरसा	बारागुड़ा	सुखचैन	1 अगस्त 2011 से 15 अगस्त 2011	2 नवंबर 2011	2.15	63
			सुखचैन	16 अगस्त 2011 से 10 सितम्बर 2011	18 नवंबर 2011	2.81	53
			अलीकन	5 अगस्त 2011 से 31 अगस्त 2011	23 नवंबर 2011	0.87	68
			शेखुपुरिया	26 अगस्त 2011 से 9 सितम्बर 2011	19 अक्तूबर 2011	6.22	24
			शेखुपुरिया	10 सितम्बर 2011 से 24 सितम्बर 2011	29 अक्तूबर 2011	5.00	19
		उधान	चुमारखेड़ा	12 जनवरी 2012 से 26 जनवरी 2012	7 मार्च 2012	3.10	24
			उधान	21 फरवरी 2012 से 6 मार्च 2012	27 अप्रैल 2012	0.74	36

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	किए गए कार्य की अवधि	वास्तविक भुगतान की तारीख	राशि (₹ लाख में)	दिनों में विलंब
3	अंबाला	अंबाला-I	शेखपुर	1 मार्च 2011 से 16 मार्च 2011	21 अप्रैल 2011	0.50	20
			बुरांगपुर	1 अगस्त 2011 से 6 अगस्त 2011	14 जनवरी 2012	0.08	145
4	पलवन	हसनपुर	महोली	1 अप्रैल 2011 से 16 अप्रैल 2011	14 जुलाई 2011	1.03	73
			महोली	17 अप्रैल 2011 से 2 मई 2011	14 जुलाई 2011	1.18	57
			महोली	3 मई 2011 से 18 मई 2011	10 अगस्त 2011	0.98	68
			तिरकी गुजर	1 अप्रैल 2011 से 16 अप्रैल 2011	25 अगस्त 2011	1.28	115
			तिरकी गुजर	1 मई 2011 से 16 मई 2011	25 अगस्त 2011	0.41	85
			फत्तास्को नगर	1 अप्रैल 2011 से 5 जून 2011	26 मार्च 2012	3.23	278
			मीरपुर कोराली	4 जनवरी 2011 से 19 जनवरी 2011	11 मई 2011	1.33	96
				21 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	25 नवंबर 2011	1.31	273
			बिलौचपुर	1 जनवरी 2011 से 15 जनवरी 2011	28 मई 2011	1.55	116
				1 मार्च 2011 से 15 मार्च 2011	8 दिसंबर 2011	1.55	251
				16 मार्च 2011 से 31 मार्च 2011	7 मार्च 2012	0.55	325
		पलवन	तिरकी	1 जुलाई 2011 से 16 जुलाई 2011	18 जनवरी 2012	1.22	170
			दुर्गापुर	1 मई 2011 से 16 मई 2011	27 मार्च 2012	0.20	299
			महेशपुर	1 फरवरी 2011 से 16 फरवरी 2011	25 जनवरी 2012	0.74	330
			धातिर	1 अक्तूबर 2010 से 16 अक्तूबर 2010	11 मई 2011	0.28	191
				17 अक्तूबर 2010 से 1 नवंबर 2010	11 मई 2011	0.16	175
				2 नवंबर 2010 से 15 नवंबर 2010	11 मई 2011	0.13	161
				1 दिसंबर 2010 से 16 दिसंबर 2010	11 मई 2011	1.23	130
5	कुरुक्षेत्र	बाबैन	नखरोचपुर	16 सितम्बर 2011 से 30 सितम्बर 2011	25 अक्तूबर 2011	0.18	9
				1 अक्तूबर 2011 से 15 अक्तूबर 2011	18 नवंबर 2011	0.67	18
			महावारखेड़ी	17 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	24 फरवरी 2011	0.27	8
				16 मार्च 2011 से 31 मार्च 2011	29 अप्रैल 2011	1.56	13
				16 जुलाई 2011 से 31 जुलाई 2011	3 सितम्बर 2011	0.91	18

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	किए गए कार्य की अवधि	वास्तविक भुगतान की तारीख	राशि (₹ लाख में)	दिनों में विलंब
6	फतेहाबाद	रतिया	चंदुकलां	20 मार्च 2011 से 31 मार्च 2011	29 अप्रैल 2011	1.46	14
				1 मई 2011 से 15 मई 2011	13 जून 2011	4.01	14
				17 जून 2011 से 31 जून 2011	18 अगस्त 2011	6.28	34
				1 जुलाई 2011 से 16 जुलाई 2011	3 सितम्बर 2011	6.31	34
				17 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011	15 सितम्बर 2011	1.37	37
			बुर्ज	18 अगस्त 2011 से 31 अगस्त 2011	21 दिसंबर 2011	1.04	96
				1 सितम्बर 2011 से 13 सितम्बर 2011	21 दिसंबर 2011	0.46	83
				7 मार्च 2012 से 13 मार्च 2012	20 अप्रैल 2012	1.23	23
				2 मार्च 2012 से 3 मार्च 2012	20 अप्रैल 2012	0.28	33
				1 अप्रैल 2011 से 6 अप्रैल 2011	12 मई 2011	0.27	20
				21 मार्च 2011 से 31 मार्च 2011	12 मई 2011	1.08	28
		भाटूकलां	धिंगसारा	2 मार्च 2012 से 14 मार्च 2012	10 अप्रैल 2012	1.87	12
			थुईया	2 मार्च 2012 से 16 मार्च 2012	9 अप्रैल 2012	2.06	9
			थुईया	17 मार्च 2012 से 31 मार्च 2012	3 मई 2012	0.91	18
	कुल					**91.70**	

स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.25
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.11; पृष्ठ 109)
ग्राम पंचायतों द्वारा मस्टर रोलों में कटिंग, ओवर राईटिंग के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	मस्टर रोल संख्या	रोजगार की अवधि	टिप्पणियां
1	अंबाला	अंबाला I	शेखुपुरा	1376	1 जुलाई 2011 से 16 जुलाई 2011	हाजरी में ओवर राईटिंग
2			भुरंगपुर	959	15 मार्च 2011 से 31 मार्च 2011	
3		शाहा	शाहा	452	3 अगस्त 2007 से 25 अगस्त 2007	
4			साबगा	301	1 अगस्त 2007 से 16 अगस्त 2007	हाजरी में ओवर राईटिंग तथा कार्य की अवधि
5	सिरसा	उढान	हासु	68866	24 मार्च 2011 से 31 मार्च 2011	बैंक खाता संख्या में ओवर राईटिंग
6			सालमखेड़ा	70942	1 मार्च 2011 से 25 मार्च 2011	दिनों की संख्या में ओवर राईटिंग
7			चोरमाखेड़ा	68743	28 फरवरी 2011 से 11 मार्च 2011	हाजरी में ओवर राईटिंग
8				71298	22 दिसंबर 2011 से 5 जनवरी 2012	जोब कार्ड संख्या में ओवर राईटिंग
9		बारागुड़ा	अलीकन	89256	1 अगस्त 2011 से 15 अगस्त 2011	हाजरी तथा मजदूरी में ओवर राईटिंग
10				78216	1 अगस्त 2008 से 15 अगस्त 2008	हाजरी में ओवर राईटिंग
11			सुचैन	89154	1 सितम्बर 2011 से 10 सितम्बर 2011	कार्य की अवधि तथा मजदूरी में ओवर राईटिंग
12	पलवल	हसनपुर	बी.डी.पी.ओ. हसनपुर	489, 490	1 अक्तूबर 2010 से 16 अक्तूबर 2010	कार्य की अवधि तथा मजदूरी में ओवर राईटिंग
13				रिक्त	17 अगस्त 2010 से 30 अगस्त 2010	कार्य की अवधि में ओवर राईटिंग तथा मस्टर रोल नं. के बिना
14			कवारका	395, 396	1 अक्तूबर 2010 से 11 अक्तूबर 2010	कार्य की अवधि तथा मजदूरी में ओवर राईटिंग तथा हाजरी दर्ज न किए गए मस्टर रोल
15				रिक्त	1 फरवरी 2011 से 16 फरवरी 2011	मस्टर रोल नं. के बिना
16		पलवल	बाधा	939	17 सितम्बर 2010 से 2 अक्तूबर 2010	कार्य की अवधि में ओवर राईटिंग
17				1774	1 सितम्बर 2011 से 16 सितम्बर 2011	नाम में फ्लयुड का प्रयोग
18			परोली	1385, 1386	1 मई 2011 से 16 मई 2011	प्रदत्त मजदूरी में फ्लयुड का प्रयोग
19	फतेहाबाद	भटूकलां	सिरधन	609	16 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011	हाजरी 8 दिन की दर्ज की गई जबकि भुगतान 9 दिन का किया गया
20			किरधान	411	1 दिसंबर 2010 से 14 दिसंबर 2010	मजदूरी में ओवर राईटिंग तथा हाजरी में फ्लयुड का प्रयोग
21				419	1 जनवरी 2011 से 14 जनवरी 2011	22 दिनों की संख्या तथा मजदूरी में ओवर राईटिंग तथा फ्लयुड का प्रयोग
22				421-422	18 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011	कामगारों के नाम में ओवर राईटिंग तथा फ्लयुड का प्रयोग
23				1371-1372	3 फरवरी 2011 से 16 फरवरी 2011	कामगारों के नाम में ओवर राईटिंग तथा फ्लयुड का प्रयोग
24		रतिया	चंदुकलां	11	17 अप्रैल 11 से 28 अप्रैल 2011	26.4.11 से 27.411 तक दो दिनों के लिए चेती (जोब कार्ड नं. 11811) की अनुपस्थिति ओवर राईटिंग द्वारा उपस्थिति में बदली गई जिसमें ₹ 358 की अदेय मजदूरी शामिल की गई
25				11	17 अप्रैल 11 से 28 अप्रैल 2011	क्र.सं. 37 तथा 38 में कामगारों के नाम फ्लयुड इस्तेमाल करके बदले गए

स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.26

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.11; पृष्ठ 109)

मस्टर रोलों में देखी गई विविध कमियां

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	मस्टर रोल संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति
1.	अंबाला	साहा	समलहेरी	13669, 13673	बैंक खाता संख्या न तो मस्टर रोल में और न ही एम.आई.एस. रिपोर्ट में वर्णित थे
2.				13673	मस्टर रोल के अनुसार एक लाभार्थी (श्री जितेन्द्र) ने काम किया लेकिन एम.आई.एस. रिपोर्ट में श्री राजीव को भुगातन दिया गया
3.				13670, 13671	एम.आई.एस. रिपोर्ट में मस्टर रोल का नंबर नहीं शामिल थे
4.			अकबरपुर	11135, 11136	बैंक खाता संख्या न तो मस्टर रोल में और न ही एम.आई.एस. रिपोर्ट में वर्णित थे
5.				11132, 11133, 11134, 11135, 11136	मस्टर रोल के अनुसार, लाभार्थियों ने एक से 21 दिनों तक काम किया तथा ₹ 287182 का भुगतान हुआ लेकिन एम.आई.एस. रिपोर्ट में काम की अवधि एक से 12 दिनों तक दिखाया गया तथा ₹ 189292 भुगतान किए गए
6.				14266	एम.आई.एस. रिपोर्ट में मस्टर रोल का नंबर नहीं शामिल थे
7.				14272, 14273, 14274, 14275	बी.डी.पी.ओ. साह द्वारा ग्राम पंचायत अकबरपुर को ये मास्टर रोल जारी नहीं किए गए थे।
8.				14261,14264	10 अक्तुबर 2010 से 14 अक्तूबर 2010 (पांच दिन) दोनों मस्टर रोल में तीन व्यक्तियों (बलजीत, राजेन्द्र और राजकुमार) की उपस्थिति
9.				14073	बी.डी.पी.ओ. साहा द्वारा 21 फरवरी 2012 को मस्टर रोल जारी किए गए किंतु इस मस्टर रोल में 1 जनवरी 2012 से 13 जनवरी 2012 तक मजदूर को उपस्थित दिखाया गया था।
10.				14177	बी.डी.पी.ओ. साहा द्वारा 13 फरवरी 2012 को मस्टर रोल जारी किए गए किंतु इस मस्टर रोल में 16 जनवरी 2012 से 24 जनवरी 2012 तक मजदूर को उपस्थित दिखाया गया था।
11.				14182	बी.डी.पी.ओ. साहा द्वारा 21 फरवरी 2012 को मस्टर रोल जारी किए गए किंतु इस मस्टर रोल में 1 फरवरी 2012 से 14 फरवरी 2012 तक मजदूर को उपस्थित दिखाया गया था।

स्रोत: संबंधित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.27

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.12; पृष्ठ 110)

सभी मौसमों में पहुंच प्रदान न करने वाले रास्तों (कच्चे रास्तों) में मिट्टी भराव कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	वर्ष
1.	सिरसा	उढान	खतरावान	डोगरांवाली के प्राथमिक स्कूल से खेतों तक रास्ते का भराव	1.20	2009-10
2.			उढान	रामनगर से गांव पन्नीवाला मोटा तक रास्ते का भराव	4.95	2008-09
3.				ओडान से रामनगर तक रास्ते का भराव	1.10	2008-09
4.			सलामखेड़ा	रास्ते का भराव	7.23	2010-11
5.				रास्ते का भराव	2.05	2009-10
6.			गुहकावाली	रास्ते का भराव	4.30	2011-12
7.			टिगरी	रास्ते का भराव	0.82	2010-11
8.		बारागुड़ा	बुर्ज कर्मगढ़	रास्ते का भराव (बस स्टैंड से ढाणी मोहन लाल)	0.86	2011-12
9.				रास्ते का भराव (बस स्टैंड से सोमारानी)	4.10	2011-12
10.			शेखुपुरिया	रास्ते का भराव (फिरनी से ताज पब्लिक स्कूल)	2.53	2010-11
11.			थिराज	रास्ते का भराव (मिट्ठु सिंह के खेत से घग्गर बांध)	0.99	2010-11
12.			झीरी	रास्ते का भराव (झीरी से जारेर रोही रास्ता तथा हरीजन लैण्ड)	13.04	2009-10
13.	अंबाला	अंबाला I	बढोला	रास्ते का भराव	2.69	2010-11
14.			अमीपुर	गोहर में भू-कार्य	1.12	2009-10
15.				गोहर में भू-कार्य	0.68	2009-10
16.			जनसुई	रास्ते का भराव	0.16	2008-10
17.			रावालोन	रास्ते का भराव	1.69	2011-12
18.			दुर्गापुर	रास्ते का भराव	2.84	2008-09

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	वर्ष
19.	अंबाला	साहा	झाड़ूमाजरा	कच्चे रास्ते का भराव	2.00	2009-10
20.			खेड़ा	कच्चे रास्ते का भराव	2.25	2007-08
21.			समलेहरी	रास्ते का भराव	1.68	2009-10
22.			शाहा	रास्ते का भराव	2.60	2007-08
23.			साबगा	रास्ते का भराव	0.91	2011-12
24.			नुर्द	रास्ते का भराव	1.75	2010-12
25.			नुर्द	रास्ते का भराव	2.83	2009-10
26.	पलवल	हसनपुर	महोली	गलियों का का भराव	5.65	2011-12
27.			कौशक	गलियों तथा रास्ते, फिरनी इत्यादि का भराव	23.19	2010-12
28.			कवारका	गलियों का भराव	1.37	2011-12
29.			मीरपुर कोराली	रास्ते का भराव	3.09	2010-11
30.		पलवल	जोहरखेड़ा	रास्ते का भराव	3.68	2011-12
31.				रास्ते का भराव	4.82	2010-11
32.				रास्ते का भराव	4.48	2010-11
33.				रास्ते का भराव	5.60	2010-11
34.			महेशपुर	रास्ते का भराव	8.25	2010-11
35.			रामपुरखोर	रास्ते का भराव	2.61	2010-11
36.	मेवात	फिरोजपुर झिरखा	शाहापुर	ग्रामीण जुड़ाव (खेरा कलां से बाडापुर रास्ता)	5.00	2011-12
37.				ग्रामीण जुड़ाव (उमेर खान खेत से अगोन सीमा तक)	2.09	2011-12
38.				ग्रामीण जुड़ाव (बांध से अगोन सीमा तक)	2.72	2011-12
कुल					**138.92**	

स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा आपूरित आंकड़ों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.28

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.12; पृष्ठ 110)

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत खोदे गए/गहरे किए गए जल रहित तालाबों के विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	वर्ष
1.	सिरसा	उढान	उढान	पंचायती भूमि पर तालाब की खुदाई	2.21	2007-08
2.				बिलास पुर ढाणी के नजदीक तालाब की खुदाई	1.60	2009-10
3.			टिगरी	हबुआना माईनर के नजदीक तालाब की खुदाई	4.90	2008-09
4.			खीवाली	वाटर वर्क्स के नजदीक तालाब की खुदाई	2.81	2007-08
5.			हासु	तालाब की खुदाई	0.47	2007-08
6.		बारागुधा	शेखुपुरिया	तालाब की खुदाई	8.79	2009-10
7.	अंबाला	अंबाला I	भुरंगपुर	तालाब की खुदाई	4.26	2011-12
8.		शाहा	शेरगढ़	तालाब की खुदाई	2.73	2011-12
9.			शाहा	तालाब की खुदाई	1.40	2007-08
10.					1.44	2010-11
11.			नुर्द	तालाब की खुदाई	2.00	2010-11
12.					1.81	2011-12
13.	फतेहाबाद	भटूकलां	भटूकलां	तालाबो की खुदाई	5.56	2010-11
14.			सिरधान	तालाब की खुदाई	3.17	2011-12
15.			धाबीकलां	तालाब की खुदाई	8.30	2009-12
16.			तुरिया	तालाब की खुदाई	6.60	2011-12
17.			किरधान	तालाब की खुदाई	6.94	2010-12
18.				तालाब की खुदाई	3.71	2010-12
19.	कुरूक्षेत्र	थानेसर	अरजनाकलां	मछलियों के तालाबो की खुदाई	12.75	2008-10
कुल					**81.45**	

स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा आपूरित आंकड़ों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.29

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.12; पृष्ठ 111)

अधिनियम के अंतर्गत अननुमत सीमेंट कंक्रीट/इंटरलाकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट वर्क्स के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	वर्ष
1.	सिरसा	उढान	टिगरी	मेन रोड़ से दलबर सिंह के मकान तक सीमेंट कंक्रीट रोड़ का निर्माण	0.61	2008-09
2.			टिगरी	चांद सिंह के मकान से अजमेर सिंह के मकान तक सीमेंट कंक्रीट रोड़ का निर्माण	2.44	2008-09
3.			टिगरी	नच्छतर सिंह के मकान से भाग सिंह के मकान तक सीमेंट कंक्रीट रोड़ का निर्माण	2.73	2008-09
4.			खीवाली	मेन रोड़ से अरजी राम के मकान तक सीमेंट कंक्रीट इंटर लॉकिंग रोड़ का निर्माण	1.64	2010-11
5.			खतरावन	धर्मशाला से नच्छतर सिंह के मकान तथा धर्मशाला से हरदयाल के मकान तक इंटर पेवर ब्लॉक स्ट्रीट का निर्माण	1.60	2010-11
6.			खतरावन	जनता सिंह के मकान से सुखदेव सिंह (आई.पी.बी.) के मकान तक स्ट्रीट का ब्रिक पेवमेंट	2.02	2008-09
7.			खतरावन	डोगरांवाली रोड़ से इकबाल सिंह (आई.पी.बी.) के मकान तक स्ट्रीट का ब्रिक पेवमेंट	2.30	2008-09
8.			उढान	हरदयाल के मकान से जी.टी. रोड़ तक सीमेंट कंक्रीट रोड़ का निर्माण	3.16	2009-10
9.			उढान	बाबू सिंह के मकान से कृष्ण के मकान तक सीमेंट कंक्रीट रोड़ का निर्माण	2.72	2008-09
10.			मलिकपुरा	मिथरी रोड़ से इकबाल सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट का निर्माण	3.79	2010-11
11.			मलिकपुरा	अजायब सिंह के मकान से अजायब सिंह सुपुत्र स्वर्ण सिंह के मकान तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट का निर्माण	3.79	2010-11
12.			गुगावली	जगदीश से फिरनी तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	1.01	2010-11
13.			रोहिड़ावाली	राममूर्ति से धनपत तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	3.98	2010-11
14.				मेन रोड़ से ट्रांसफार्मर तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	3.16	2009-10

क्र.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	वर्ष
15.	सिरसा	बारागुड़ा	शेखुपुरिया	सतपाल से जयप्रकाश तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	8.21	2010-12
16.			झीरी	अजमेर सिंह से हरबंस सिंह तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	0.59	2009-10
17.				जरनैल सिंह से जगरूप सिंह तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	0.57	2009-10
18.				बीरूवाला से बी.सी. चौपाल तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	1.06	2010-11
19.				बीरूवाला से आत्मा सिंह तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	5.66	2010-11
20.				आत्मा राम से पंजुआना रोड़ तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	6.18	2010-11
21.			अलीखा	सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट	0.70	2007-08
22.			थिराज	सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट	0.54	2007-08
23.			बुर्ज कर्मगढ़	रिंग बांध के नजदीक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	3.07	2010-11
24.			खुरंगवाली	पी.डब्ल्यू.डी. रोड़ से महेंद्र सिंह तक इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक स्ट्रीट	1.86	2010-11
25.	अंबाला	अंबाला -I	शेखुपुर	सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट	2.49	2008-09
26.			धुरंगपुर	सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट	3.27	2008-09
27.		शाहा	समलेहरी	सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट	11.00	2009-10
	कुल				**80.15**	

स्रोत: संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा आपूरित आंकड़ों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.30

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.12; पृष्ठ 113)

'रंगोई खरीफ चैनल' (ब्लॉक रतिया) की क्षमता बढ़ाने पर किए गए कम कार्य के कारण कामगारों को मजदूरियों के अधिक भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

ग्राम पंचायत का नाम	सी.एफ.टी. में एम.बी. के अनुसार किए गए कार्य की प्रमात्रा	प्रति मानव दिवस अपनाए गए आऊटपुट मानक	भुगतान किए गए मानव दिवसों की संख्या	80 सी.एफ.टी. प्रति दिन की दर पर भुगतान योग्य मानव दिवसों की संख्या	अधिक भुगतान किए गए मानव दिवस	दिहाड़ी दर (₹ में)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹ में)
अहरवान	265518	66	4023	3319	704	179	1,26,016
	314434	58	5421	3930	1491	179	2,66,889
	301671	58	5201	3771	1430	191	2,73,130
सुखमनपुर	88110	58	1519	1101	418	179	74,822
घासवा	793075	66	12016	9913	2103	179	3,76,437
	103226	58	1780	1290	490	179	87,710
छीमो	292256	66	4428	3653	775	179	1,38,725
	73273	58	1263	916	347	179	62,113
चंदोकलां	1049550	66	15902	13119	2783	179	4,98,157
बबनपुर	195985	58	3379	2450	929	179	1,66,291
बुर्ज	861904	66	13059	10774	2285	179	4,09,015
मोहम्मदपुर सोतर	592995	66	8985	7412	1573	179	2,81,567
	120468	58	2077	1506	571	179	1,02,209
कुल							**28,63,081**

स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा आपूरित अभिलेखों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.31

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.14; पृष्ठ 116)

जॉब कार्ड धारकों, जो एम.आई.एस. रिपोर्ट पर दर्ज नहीं थे, को भुगतानों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	मस्टर रोल नं.	अवधि	कार्य का नाम	जॉब कार्ड नं.	राशि (₹ में)
1	बंगोह	1037-38	1 दिसंबर 2011 से 31 दिसंबर 2011	रास्ते का भरान	24824	4833
2					24825	4833
3					6175	4833
4					52300	4833
5					6180	4833
6					6131	4833
7		1039-40	1 जनवरी 2012 से 31 जनवरी 2012	रास्ते का भरान	6159	4117
8					6199	3901
9					6193	4117
10					6191	4117
11					52299	3401
12					24824	4117
13					24825	4117
14	पंचगांव	1045-46	1 जून 2011 से 30 जून 2011	चीलावाला रास्ता में भराव	72512	9308
15					72515	9308
16					72517	9308
17		1045-46	1 जून 2011 से 30 जून 2011	चीलावाला रास्ता में भराव	72518	9308
18					72514	9308
19					72516	9308
20		1047-48	1 जून 2011 से 30 जून 2011	चीलावाला रास्ता में भराव	54363	4654
21		1049-50	1 जून 2011 से 30 जून 2011	चीलावाला रास्ता में भराव	54364	17900
	कुल					**135287**

स्रोत: संबंधित जी.पीज के अभिलेखों से तैयार किया गया।

परिशिष्ट 2.32

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.14; पृष्ठ 116)

मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर रख–रखाव नहीं करने वाले जी.पीज का विवरण

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत
1.	अंबाला	अंबाला-I	बडोला
2.			शेखुपुरा
3.		शाहा	सबगा
4.			नूर्द
5.			शेरगढ़
6.			चुडौली
7.			शाहा
8.	सिरसा	बारागुड़ा	शेखुपुरिया
9.		उडान	खतरावन
10.			हासु
11.			खेवली
12.	मेवात	फिरोजपुर झिरखा	झाड़पुरी
13.			सुलेला
14.	कुरूक्षेत्र	थानेसर	झवेरी– -II
15.			उतसल
16.			मिर्जापुर
17.			गरीजतन
18.			थुईया
19.			धाबीकलां
20.			धिनसारा
21.			किरदान
22.		भटूकलां	बोदीवली
23.			बुर्ज
24.			बामनवाला
25.			बाबनपुर
26.			चंदोकलां
27.	फतेहाबाद	रतिया	मोहम्मदपुरा सोत्तर
28.			घसेरा
29.			बेला
30.			मीरपुर कोराली
31.			बिलोचपुर
32.		हसनपुर	रामगढ़
33.			धातिर
34.			महेशपुर
35.			रतिपुर
36.	पलवल	पलवल	जौहरखेड़ा

स्रोतः संबंधित जी.पीज द्वारा आपूरित सूचना से तैयार किया गया।

परिशिष्ट 2.33

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.14; पृष्ठ 116)

कामगारों को अधिक भुगतान की गई दिहाड़ियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

ग्राम पंचायत का नाम	मस्टर रोल संख्या	बाऊचर नं./माह	रोजगार की अवधि	टिप्पणियां
रतिया ब्लॉक				
चंदोकलां	18	21/मई 2011	17 अप्रैल 2011 से 28 अप्रैल 2011	भरोवा पत्नी उत्तम (जॉब कार्ड नं. 26009) के संदर्भ में उपस्थिति 11 दिनों के लिए था जबकि भुगतान 12 दिनों के लिए किया गया था। इस प्रकार, मजदूर को एक दिन की मजदूरी ₹ 179 अधिक भुगतान किया गया।
	1122	24/ जुलाई 2011	1 जून 2011 से 16 जून 2011	अमनदीप (जॉब कार्ड नं. 12355) के संदर्भ में उपस्थिति 13 दिनों के लिए था जबकि भुगतान 14 दिनों के लिए किया गया था। इस प्रकार, मजदूर को एक दिन की मजदूरी ₹ 179 अधिक भुगतान किया गया।
	1951	34/ सितम्बर 2011	17 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011	कुलवंत सिंह (जॉब कार्ड नं. 11637) के संदर्भ में उपस्थिति तीन दिनों के लिए था जबकि भुगतान चार दिनों के लिए किया गया था। इस प्रकार, मजदूर को एक दिन की मजदूरी ₹ 179 अधिक भुगतान किया गया।
	1953	34/ सितम्बर 2011	17 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011	गुलो देवी पत्नी मुंशी (जॉब कार्ड नं. 12399) के संदर्भ में उपस्थिति दो दिनों के लिए था जबकि भुगतान तीन दिनों के लिए किया गया था। इस प्रकार, मजदूर को एक दिन की मजदूरी ₹ 179 अधिक भुगतान किया गया।
बुर्ज	90-92	7/ अप्रैल 2011	1 अप्रैल 2011 से 6 अप्रैल 2011	50 मजदूरों के लिए एक मेट की नियमों के विरूद्ध 28 मजदूरों के लिए दो मेटों को लगाना ₹ 1,104 के अनियमित भुगतान को बताता है।
	735	48/ जुलाई 2012	6 जून 2012 से 8 जून 2012	8 जून 2012 के मस्टर रोल के अनुसार भुरोबाई और कर्मजीत अनुपस्थित थे। बाद में मस्टर रोल में ओवर राईटिंग द्वारा उनके अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल दिया और मजदूरी के ₹ 191 प्रत्येक को उस दिन के लिए भुगातान किए गए जिनमें वे अनुपस्थित थे।
	744	48/ जुलाई 2012	6 जून 2012 से 8 जून 2012	8 जून 2012 के मस्टर रोल के अनुसार कुलवंत, बागाबाई और जट्टीबाई अनुपस्थित थे। बाद में मस्टर रोल में ओवर राईटिंग द्वारा उनके अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल दिया और मजदूरी के ₹ 191 प्रत्येक को उस दिन के लिए भुगातान किए गए जिनमें वे अनुपस्थित थे।

ग्राम पंचायत का नाम	मस्टर रोल संख्या	बाऊचर नं./माह	रोजगार की अवधि	टिप्पणियां
	773	48/ जुलाई 2012	6 जून 2012 से 8 जून 2012	8 जून 2012 के मस्टर रोल के अनुसार जसबीर और इकबाल अनुपस्थित थे। बाद में मस्टर रोल में ओवर राईटिंग द्वारा उनके अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल दिया और मजदूरी के ₹ 191 प्रत्येक को उस दिन के लिए भुगातान किए गए जिनमें वे अनुपस्थित थे।
	859	48/ जुलाई 2012	13 जून 2012 से 17 जून 2012	14 जून 2012 के मस्टर रोल के अनुसार शांतीबाई अनुपस्थित थी। बाद में मस्टर रोल में ओवर राईटिंग द्वारा उनके अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल दिया और मजदूरी के ₹ 210.10 प्रत्येक को उस दिन के लिए भुगातान किए गए जिनमें वे अनुपस्थित थी।
	3345	6/ मई 2011	21 मार्च 2011 से 31 मार्च 2011	मस्टर रोल के अनुसार मंजीत 29 मार्च 2011 से 30 मार्च 2011 तक अनुपस्थित था। बाद में मस्टर रोल में ओवर राईटिंग द्वारा उनके अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल दिया और मजदूरी के ₹ 358 प्रत्येक को उस दिन के लिए भुगातान किए गए जिनमें वे अनुपस्थित था।
	1464	28/ अगस्त 2011	1 जुलाई 2011 से 16 जुलाई 2011	मस्टर रोल के अनुसार हरपाल और इंद्रजीत 15 जुलाई 2011 से 16 जुलाई 2011 तक अनुपस्थित था। बाद में मस्टर रोल में ओवर राईटिंग द्वारा उनके अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल दिया और मजदूरी के ₹ 358 प्रत्येक को उस दिन के लिए भुगातान किए गए जिनमें वे अनुपस्थित था
मोहम्मदपुर सोतर	1791-94	52/ अक्तूबर 2011	19 जुलाई 2011 to 29 जुलाई 2011	50 मजदूरों के लिए एक मेट की नियमों के विरूद्ध 50 मजदूरों के लिए दो मेटों को लगाना ₹ 1,840 के अनियमित भुगतान को बताता है।
भाटूकलां ब्लॉक				
किरधान	286	19/ फरवरी 2010	11 फरवरी 2010 से 23 फरवरी 2010	श्री पुरन भगत (जाब कार्ड नं. 3062) के संदर्भ में एक दिन (11 फरवरी 2010) के लिए उपस्थिति मार्क किया गया था जबकि भुगतान 11 दिनों के लिए किया गया था। इस प्रकार, 10 दिनों की मजदूरी ₹ 1510 मजदूर को अधिक भुगतान किया गया।
	566	61/ जून 2011	18 मई 2011 से 30 मई 2011	तीन मजदूरों को 28 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया लेकिन मस्टर रोल के अनुसार ये मजदूर काम पर उपस्थित नहीं थे जैसा कि उनकी उपस्थिति मार्क नहीं की गई थी। इस प्रकार बिना काम किए ₹ 5067 का भुगतान कर दिया गया।

स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा आपूरित आंकड़ों से तैयार किए गए।

परिशिष्ट 2.34

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.15; पृष्ठ 117)

शिकायत रजिस्टर का अननुरक्षण न करने वाली ग्राम पंचायतों के विवरण

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत
1.	फतेहाबाद	भाटूकलां	सिरधान
2.	पलवल	पलवल	अलावलपुर
3.			करना
4.			तहरकी
5.		हसनपुर	कुशाक
6.			रायदास्क
7.			सहनोली
8.			थिरकीगुजर
9.	अंबाला	अंबाला -I	बडोला
10.		शाहा	शामलहरी
11.			साबगा
12.			अकबरपुर
13.			नुर्द
14.			शेरगढ़
15.			चुडैली
16.			शाहा
17.	सिरसा	बारागुड़ा	शेखुपुरिया
18.			सुखचैन
19.		उडान	हासु
20.	मेवात	फिरोजपुर झिरखा	शेखपुर
21.			सेमीरबास
22.			बाईखेड़ा
23.			मल्हाका
24.			शाहपुरखेदला
25.			दुगेजा
26.			सुलेला
27.	कुरूक्षेत्र	थानेसर	उत्सल
28.			मिर्जापुर
29.			गरीजतन

स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपूरित सूचना।

परिशिष्ट 2.35

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.16.2; पृष्ठ 119)

उन मस्टर रोलों की संख्या जिनमें कामगारों की उपस्थिति एक से अधिक बार दर्ज की गई थी

जिले का नाम	मामलों की संख्या	आवेष्टित मजदूरी
महेन्द्रगढ़	2,219	47,93,982
मेवात	1,496	31,02,385
सिरसा	790	12,29,534
हिसार	695	9,39,301
भिवानी	468	7,67,095
रोहतक	334	4,59,036
अंबाला	304	5,29,539
फतेहाबाद	221	2,46,011
जींद	205	1,70,346
करनाल	122	1,63,787
पंचकुला	104	1,79,280
यमुनानगर	76	95,219
पानीपत	56	86,270
झज्जर	48	99,411
कुरूक्षेत्र	44	69,853
फरीदाबाद	42	76,489
सोनीपत	36	58,759
कैथल	30	53,392
गुड़गांव	18	27,724
रेवाड़ी	10	13,872
कुल	**7,318**	**1,31,61,285**

अर्थात् ₹ 1.32 करोड़

स्रोतः नैशनल इनफारमेटिक्स सैंटर से प्राप्त डाटा का विश्लेषण।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.1 (ए)(i); पृष्ठ 125)

उन मामलों, जिनमें उन्हीं संस्थानों को एक मंत्री द्वारा एक से अधिक बार अनुदान दिए गए थे, के जिलावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	चयनित जिलों में अनुदानों की कुल संख्या	संवितरित कुल राशि	उन्हीं लाभार्थियों को बार-बार संवितरित अनुदानों के विवरण					
				अनुदानों की कुल संख्या	संवितरित कुल राशि	लाभार्थियों की संख्या	पहली बार जारी की गई राशि (5-9)	दोहराए गए अनुदानों की संख्या (4-6)	एक से अधिक बार जारी की गई राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	फरीदाबाद	456	11.23	51	1.46	21	0.66	30	0.80
2	गुड़गांव	216	4.93	12	0.31	4	0.11	8	0.20
3	जींद	479	9.62	57	2.78	20	1.08	37	1.70
4	कुरूक्षेत्र	914	12.05	51	1.66	16	0.48	35	1.18
5	पंचकूला	266	8.49	53	2.90	19	1.03	34	1.87
6	रोहतक	354	12.02	77	6.41	24	1.97	53	4.50
7	सिरसा	666	9.31	45	1.91	15	0.48	30	1.43
8	यमुनानगर	251	5.63	27	1.35	8	0.21	19	1.14
9	हरियाणा से बाहर	82	3.93	8	0.27	4	0.12	4	0.15
कुल		**3,684**	**77.21**	**381**	**19.05**	**131**	**6.14**	**250**	**12.97**

(स्रोत: विभाग से प्राप्त आंकड़े से संकलित।)

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.1(ए)(ii); पृष्ठ 125)

अयोग्य संस्थानों को संवितरित अनुदानों के विवरण

क्र. सं.	द्वारा जारी अनुदान	अनुदानों की संख्या	अनुदान/अनुदानों की राशि (₹ लाख में)	जारी करने का माह/वर्ष	लाभार्थी का नाम	अनुदान का उद्देश्य	वर्ष की समाप्ति पर क्रेडिट में राशि
1	डी.सी., सिरसा	3	5.00	जनवरी 2009,	लाला धीरामल अरोड़ा नैशनल कालेज, सिरसा	भवन का निर्माण, फर्नीचर की खरीद	2008-09: ₹ 1.17 करोड तथा 2009-10: ₹ 1.49 करोड़
			5.00	अगस्त 2009			
			2.00	फरवरी 2010			
2		2	5.00	जनवरी 2009	जी.आर.जी. गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सिरसा	फर्नीचर की खरीद तथा कंप्यूटर शिक्षा सुविधा प्रदान करना	2008-09: ₹ 26.62 लाख तथा 2010-11: ₹ 50.35 लाख
			5.00	सितम्बर 2010			
3		9	42.00	दिसम्बर 2007 से अगस्त 2009	ए.वी. इंटरनैशनल पब्लिक स्कूल, रानियां रोड़, सिरसा	भवन का निर्माण, फर्नीचर की खरीद इत्यादि	2007-08: ₹ 70.86 लाख; 2008-09: ₹ 80.13 लाख तथा 2009-10: ₹ 70.56 लाख
4	डी.सी., यमुनानगर	2	11.00	दिसम्बर 2010	गुरूनानक खालसा कालेज यमुनानगर	कालेज में कमरों का निर्माण, हाल की मरम्मत [कमरों का निर्माण नहीं किया गया है (जुलाई 2012)]	2010-11: ₹ 5.42 करोड
			2.50	अक्तूबर 2010			
5	डी.सी., रोहतक	5	5.00	अक्तूबर 2007	वैश्य एजुकेशन सोसाईटी, रोहतक	भवन का निर्माण, कंप्यूटर शिक्षा सुविधा प्रदान करना तथा विकास कार्य	2008-09: ₹ 1.18 करोड; 2009-10: ₹ 98.37 लाख; 2010-11: ₹ 1.14 करोड तथा 2011-12: ₹ 75.91 लाख
			2.00	सितम्बर 2008			
			1.21	अगस्त 2009			
			11.00	फरवरी 2010			
			2.00	जनवरी 2012			
6		4	10.00	दिसम्बर 2009	माडल स्कूल रोहतक	भवन का निर्माण, विद्यार्थियों का प्रोत्साहन तथा मूलभूत संरचना का विकास	2008-09: ₹ 6.45 करोड; 2009-10: ₹ 7.40 करोड तथा 2010-11: ₹ 10.42 करोड
			2.00	फरवरी 2011			
			2.50	दिसम्बर 2011			
			25.00	दिसम्बर 2011			
7	डी.सी., फारीदाबाद	4	2.00	मार्च 2009,	रावल एजुकेशन सोसाईटी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	भवन, कमरों का निर्माण तथा खेलकूद गतिविधियां उपलब्ध करवाना	2007-08: ₹ 20.84 लाख; 2008-09: ₹ 20.58 लाख; 2009-10: ₹ 21.35 लाख; 2010-11: ₹ 23.92 लाख तथा 2011-12: ₹ 29.10 लाख
			5.00	जुलाई 2009,			
			1.00	अक्तूबर 2011			
			2.00	दिसम्बर 2011			
8		4	2.5	दिसम्बर 2007	डी.ए.वी. सैन्टेनरी कालेज फरीदाबाद	कंप्यूटरों की खरीद तथा भवन का निर्माण	2008-09: ₹ 1.08 करोड; 2009-10: 1.83 करोड; 2011-12 ₹ 2.53 करोड़
			2.5	फरवरी 2009			
			5.0	फरवरी 2011			
			2.5	अक्तूबर 2011			
	कुल	**33**	**160.71**				

(स्रोतः विभाग से प्राप्त आंकड़ों से संकलित।)

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.1(बी); पृष्ठ 125)

नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के विवरण

क्र.सं.	द्वारा जारी किए गए अनुदान	अनुदानों की संख्या	जारी करने का माह/वर्ष/ राशि (₹ लाख में)	लाभार्थी का नाम तथा अनुदान का उद्देश्य	टिप्पणियां
1.	डी.सी., जींद	1.	11.00 (जनवरी 2009)	सैनी शिक्षा समिति जींद सैनी गर्ल्ज हाई स्कूल के निर्माण के लिए	अनुदान संस्थान की स्थापना के लिए दिया गया था क्योंकि निर्माण कार्य अनुदान धन की प्राप्ति के बाद आरंभ किया गया था तथा अभी प्रक्रियाधीन था।
		2.	5.00 (जून 2009)		
2.	डी.सी., रोहतक	3.	10.00 जुलाई 2007	अखिल भारतीय धाणक सामाजिक विकास मंच, रोहतक संत कबीर भवन, संजय नगर, रोहतक के निर्माण के लिए	संस्थान विद्यमान नहीं था तथा निर्मुक्त अनुदान के साथ-साथ लाभार्थियों की स्थिति एस.डी.ओ. (सी.), रोहतक के पास उपलब्ध नहीं थी।
3.		4.	21.00 (नवम्बर 2008)	जाट शिक्षण सोसाईटी, रोहतक छोटू राम इंस्टीटयूट ऑफ ला, रोहतक के भवन के निर्माण तथा फर्नीचर की खरीद के लिए	अनुदान छोटू राम इंस्टीटयूट ऑफ ला, रोहतक की स्थापना के लिए दिया गया था। अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् आरंभ किया गया निर्माण कार्य अभी प्रक्रियाधीन था।
		5.	5.00 (दिसम्बर 2008)		
4.		6.	31.00 (जनवरी 2012)	श्री विश्वकर्मा शिक्षण सोसाईटी, रोहतक विश्वकर्मा टैक्नीकल इंस्टीटयूट, रोहतक के भवन के निर्माण के लिए	अनुदान संस्थान की स्थापना के लिए दिया गया था क्योंकि निर्माण कार्य अभी प्रक्रियाधीन था तथा संस्थान ने पोलीटैक्निक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी/एजैंसी से तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की थी।
5.		7.	2.50 (फरवरी 2009)	अजीत पाल ट्रस्ट, कलानौर, रोहतक ट्रस्ट भवन की मरम्मत के लिए	भवन को स्थानीय रूप से कांग्रेस भवन के रूप में जाना जाता है तथा नीति में वर्णित किसी प्रयोजन को पूरा नहीं करता।
		8.	1.00 (अगस्त2009)		
6.		9.	21.00 (मार्च 2010)	गौड़ ब्राहमण विद्या प्रचारणी सभा, रोहतक गांव पेहरावर में तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान के निर्माण के लिए	संस्थान का निर्माण पंचायत भूमि पर प्रस्तावित था किंतु भू-उपयोग का परिवर्तन अनुमत नहीं था। इस प्रकार अनुदान दो वर्षों से अधिक वर्षों के लिए अप्रयुक्त पड़ा था।
7.	डी.सी., सिरसा	10.	21.00 (जून 2011)	श्री अग्रवाल सेवा सदन, सिरसा भवन के निर्माण के लिए	अनुदान बी.डी.पी.ओ, सिरसा द्वारा खाली की गई सरकारी भूमि पर संस्थान की स्थापना के लिए दिया गया था। प्रन्तु भूमि का स्वामित्व लाभार्थियों के नाम नहीं था। कार्य अभी आरंभ किया जाना था।
8.		11.	21.00 (जून 2011)	श्री अरोड़ा वंश सेवा सदन, सिरसा भवन के निर्माण के लिए	
9.		12.	11.00 (जून 2010)	महाराजा अग्रसैन धर्मार्थ ट्रस्ट, सिरसा महाराज अग्रसैन गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सिरसा में लिफ्ट के संस्थापन के लिए	अनुदान नीति के विरूद्ध था।

क्र.सं.	द्वारा जारी किए गए अनुदान	अनुदानों की संख्या	जारी करने का माह/वर्ष/ राशि (₹ लाख में)	लाभार्थी का नाम तथा अनुदान का उद्देश्य	टिप्पणियां
10.	डी.सी., गुड़गांव	13.	6.00 (जुलाई 2010)	नगर निगम, गुड़गांव अशोक विहार में सीवर तथा सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट के निर्माण के लिए	संपूर्ण राशि अप्रयुक्त पड़ी रही क्योंकि कालोनी, जहां कार्य निष्पादित किया जाना अपेक्षित था, अननुमोदित थी। एम.सी. ने जून 2012 में संपूर्ण राशि डी.सी. को वापस लौटा दी।
11.		14.	2.00 (जुलाई 2010)	शीतला कालोनी फेस 2 गली नं. 7 के निर्माण के लिए	
12.		15.	10.00 (जुलाई 2010)	शीतला कालोनी फेस 2 गेट नं. 4 में गली के निर्माण के लिए	
13.	डी.सी., कुरूक्षेत्र	16.	0.51 (अक्तूबर 2010)	श्री सरस्वती तीर्थ सेवा दल, पेहवा मोमैंटों की खरीद के लिए	नीति दिशानिर्देशों के विरूद्ध
14.		17.	0.51 (अक्तूबर 2010)	पंजाबी सभा, चरक सोसाईटी, कड़ा साहिब मोमैंटों की खरीद के लिए	नीति दिशानिर्देशों के विरूद्ध
15.		18.	0.51 (जुलाई 2007)	अग्रवाल सभा, शाहाबाद स्टैच्यू की खरीद के लिए	नीति दिशानिर्देशों के विरूद्ध
16.		19.	1.00 (फरवरी 2009)	इस्कोन रासलीला, कुरूक्षेत्र धार्मिक पुस्तकों की खरीद के लिए	नीति दिशानिर्देशों के विरूद्ध
17.		20.	1.20 (दिसम्बर 2008)	पेहवा राईस मीलर्स एसोसियेशन, पेहवा फर्नीचर की खरीद के लिए	एक वाणिज्यिक उद्योग एसोसियेशन को जो नीति दिशानिर्देशों के विरूद्ध था।
		21.	0.50 (जुलाई 2009)		
18.	डी.सी., फरीदाबाद	22.	10.00 अप्रैल 2007	सेंट जोसेफ सर्विस सोसाईटी संजोपुरम, चांदपुर, तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद बास्केटबाल कोर्ट तथा कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए	एक लाभार्थी, जिसके विरूद्ध इस संबंध में तहसीलदार के परामर्श की अनदेखी के लिए न्यायालय के आदेशों के अनुसार ₹ 4.03 लाख की वसूली लंबित थी, को ₹ 10.00 लाख जारी किए गए।
	कुल		**192.73**		

(स्रोतः विभाग से प्राप्त आंकड़ों से संकलित।)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.1(सी); पृष्ठ 126)

मंत्री द्वारा उनके अपने विधान सभा क्षेत्र में अनुदानों के आबंटन/संवितरण दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	मंत्रियों/सी.पी.एस./ पी.एस./स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के नाम	जिला का नाम	आबंटित कुल राशि (₹ करोड़ में)	गृह जिले में आबंटित राशि (₹ करोड़ में)	गृह जिले में आबंटित राशि की प्रतिशतता	उनके अपने विधान सभा क्षेत्र में आबंटित राशि (₹ करोड़ में)	गृह विधान सभा क्षेत्र में आबंटित राशि की प्रतिशतता
1	श्रीमती करतार देवी, स्वास्थ्य मंत्री	रोहतक	1.03	0.84	82	0.71	69
2	एच.एस. चट्ठा, वित्त उप-मंत्री, स्पीकर	कुरूक्षेत्र	2.10	1.96	93	1.46	70
3	श्री सुखबीर कटरियां, कृषि एवं सहकारिता राज्य मंत्री	गुड़गांव	0.30	0.29	97	0.28	93
4	चौधरी अकरम खान, उप स्पीकर	यमुनानगर	0.30	0.30	100	0.21	70
5	डा. कृष्ण पंडित, संसदीय सचिव/ यमुनानगर		0.25	0.21	84	0.20	80
6	श्री मांगेराम गुप्ता, शिक्षा मंत्री	जींद	1.50	1.42	95	1.27	85
7	श्री बिरेन्द्र सिंह, वित्त मंत्री		1.50	1.26	84	1.13	75
8	श्री गोपाल कांडा, गृह राज्य मंत्री	सिरसा	0.30	0.30	100	0.29	97
9	श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा, उद्योग मंत्री		1.50	1.30	87	1.24	83

(स्रातः विभागे तथा चुनाव विभाग स प्राप्ते आकड़ा ंस सेंकेलिंत।)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.1(ई); पृष्ठ 126)

जाति/क्षेत्रीय आधार पर गठित संस्थाओं को अनुदानों के विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	अनुदानों की संख्या	अवधि	आबंटित कुल राशि
1	आल इंडिया राजपूत स्टूडैंटस ऐडस सोसाईटी (पंजीकृत) चण्डीगढ़	4	जुलाई 2007 से जुलाई 2011 के मध्य	56.50
2	गुरू रविदास सभा, एच.एम.टी. पिंजौर, पंचकुला	3	अप्रैल 2007 तथा जून 2011 के मध्य	6.00
3	गुरू रविदास सभा, सैक्टर 15, पंचकुला	6	अप्रैल 2007 तथा फरवरी 2009 के मध्य	31.50
4	विश्वकरमा शिक्षण सोसाईटी, रोहतक	2	जनवरी 2009 तथा जनवरी 2012 के मध्य	51.00
5	वैश्य शिक्षण सोसाईटी, रोहतक	5	दिसम्बर 2007 तथा जनवरी 2012 के मध्य	21.21
6	जाट शिक्षण सोसाईटी, रोहतक	4	मार्च 2008 तथा फरवरी 2011 के मध्य	57.00
7	जाट सभा, रोहतक	3	जुलाई 2008 तथा जनवरी 2012 के मध्य	85.25
8	गुरू ब्राहमण विद्या प्रचारनी सभा, रोहतक	11	जनवरी 2008 तथा मार्च 2012 के मध्य	153.62
9	स्वामी आत्मानन्द हरिजन शिक्षा समिति, रोहतक	2	जून 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य	20.00
10	यादव कल्याण परिषद्, गुड़गांव	5	जनवरी 2010 तथा जून 2011 के मध्य	10.00
11	ब्राहमण अवाम तीर्थ उधार सभा, कुरूक्षेत्र	2	जुलाई 2007 तथा मार्च 2012 के मध्य	7.00
12	यादव समाज धर्मशाला, कुरूक्षेत्र	5	दिसम्बर 2007 तथा मई 2011 के मध्य	7.5
13	श्री आयप्पा सेवा समिति, फरीदाबाद	3	नवम्बर 2007 तथा मार्च 2010 के मध्य	4.00
14	हिमाचल कल्याण एसोसियेशन, फरीदाबाद	3	जनवरी 2010 तथा जून 2010 के मध्य	6.21
	कुल	**58**		**516.79**

(स्रोतः विभाग तथा लाभार्थियों से प्राप्त आंकड़ों से संकलित।)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.2(ए); पृष्ठ 127)

उन मामलों के विवरण जिनमें उन उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग नहीं किया गया था जिनके लिए वह संस्वीकृत किया गया था

क्र. सं.	द्वारा जारी अनुदान	अनुदानों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	निर्गम का माह	लाभार्थी का नाम तथा अनुदान का उद्देश्य	टिप्पणियां
1.	डी.सी., गुड़गांव	1.	8.00	अगस्त 2011	ए.वी.आर. पब्लिक स्कूल, गुड़गांव कंप्यूटरों, लेपटोपों तथा वाटर कूलरों की खरीद के लिए	राशि, 15 डैस्कटॉप कंप्यूटरों (₹ दो लाख) तथा 22 लैपटोपो (₹ छः लाख) की खरीद हेतु व्यय की गई दर्शाई गई थी। भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा को न तो लैपटॉप दिखाए गए थे और न ही विद्यार्थियों को उनके संवितरण दर्शाने वाले कोई दस्तावेज दिखाए गए थे।
2.	डी.सी., रोहतक	2.	5.00	जुलाई 2008	हरियाणा युवा शक्ति (एन.जी.ओ.) रोहतक अपराध मुक्त हरियाणा की ओर कार्य करने के लिए शिवर लगाने के लिए	कार्यालय व्ययों, फर्नीचर एवं फिक्सचर, यात्रा-भत्तों, वेतन इत्यादि पर ₹ 0.69 लाख की राशि खर्च करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.69 लाख का अनियमित व्यय हुआ। ₹ 4.31 लाख की शेष राशि शिविर के आयोजन पर खर्च की गई के रूप में दर्शाई गई थी किंतु भाग लेने वालों की सूची तथा व्यय के समर्थन में बिलों के विवरण अभिलेख में नहीं पाए गए थे जबकि तथ्यों के किसी सत्यापन के बिना नीति दिशानिर्देशों के पैरा 6 के प्रावधान के उल्लंघन में उपयोग प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया था।
3.		3.	7.36	अगस्त 2010	हरियाणा विकलांग कल्याण संघ, रोहतक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु टाटा सूमो एम्बुलैंस वाहन की खरीद के लिए	संस्थान के नाम की बजाए संघ के सदस्य के नाम में वाहन खरीदा गया था जो दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। प्रयोजन जिसके लिए वाहन वास्तव में उपयोग किया गया था दर्शाने वाली कोई लॉग बुक अथवा कोई अन्य अभिलेख न तो लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न ही विभाग द्वारा मांगा/सत्यापित किया गया था।
4.		4.	11.00	फरवरी 2010	वैश्य शिक्षण सोसाईटी, रोहतक प्राईमरी स्कूल में टोडलर सैक्शन के निर्माण के लिए	अनुदान का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था अर्थात् वैश्य कालेज ऑफ ला (वी.सी.एल.), रोहतक के निर्माण के लिए।
5.		5.	10.00	फरवरी 2009	महिला कल्याण सोसाईटी, कलानौर, रोहतक महिला शक्ति सदन के निर्माण के लिए	पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई/सीज की गई मदों को रखने के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा था।
6.		6.	11.00	जून 2008	बार एसोसियेशन, रोहतक लाईब्रेरी पुस्तकों तथा फर्नीचर की खरीद के लिए	अनुदान की सहायता से पुस्तकें तथा फर्नीचर खरीदा गया तथा उनके लेखे लाभार्थी के पास उपलब्ध नहीं थे।
7.		7.	5.00	जुलाई 2007	गुरू रविदास शिक्षण सोसाईटी, रोहतक भवन के निर्माण तथा गर्ल्ज होस्टल के निर्माण के लिए	भवन के निर्माण पर किए गए व्यय से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा कालेज/स्कूल चलाने के लिए सरकार की अनुमति न मिलने के कारण जनता/समुदाय के लिए भवन का उपयोग नहीं किया गया था।
		8.	5.00	नवम्बर 2008		
		9.	3.00	मार्च 2012		

क्र. सं.	द्वारा जारी अनुदान	अनुदानों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	निर्गम का माह	लाभार्थी का नाम तथा अनुदान का उद्देश्य	टिप्पणियां
8.	डी.सी., फरीदाबाद	10.	13.50	मार्च 2011	कल्याणकारी संगठन, फरीदाबाद हाल के निर्माण के लिए	एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक स्ट्रीट के निर्माण हेतु अनुदान का उपयोग किया गया था।
9.		11.	2.00	जुलाई 2011	पंजाबी सभा, सैक्टर 16, फरीदाबाद जैनरेटिंग सैट की स्थापना के लिए	निर्माण कार्य
10		12.	5.00	फरवरी 2011	डी.ए.वी. सैंटेनरी कालेज, फरीदाबाद कमरे के निर्माण के लिए	कंप्यूटरों की खरीद
11	डी.सी., यमुनानगर	13.	1.00	अगस्त 2011	मानव विकास समिति, जगाधरी, यमुनानगर गरीब नवयुवकों तथा महिलाओं को देने के लिए कंप्यूटरों, 7 सिलाई मशीनों की खरीद के लिए	राशि, मानव विकास समिति, सैक्टर 19, चण्डीगढ़ द्वारा उपयोग की गई थी अर्थात् डी.सी. यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र से बाहर।
12		14.	1.00	जून 2010	श्री सत्य साई ट्रस्ट (हरियाणा एवं चण्डीगढ़) यमुनानगर गरीब लोगों/ बच्चों के लिए कपड़े, वर्दी इत्यादि की खरीद के लिए	राशि, श्री सत्य साई ट्रस्ट (हरियाणा एवं चण्डीगढ़), ओल्ड ऐज होम, सैक्टर 30, चण्डीगढ़ द्वारा उपयोग की गई थी अर्थात् डी.सी. यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र से बाहर।
13		15.	0.51	फरवरी 2011	उपायुक्त यमुनानगर स्वतंत्रता दिवस परेड 2010 में भाग लेने वाले बच्चों के लिए मिठाइयों के वितरण हेतु	राशि लगभग एक वर्ष पश्चात् अगस्त 2011 में जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को संवितरित की गई थी, तथापि, अनुदान उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सका जिसके लिए यह दिया गया था।
14	डी.सी., जींद	16.	15.00	फरवरी 2009	महाराजा अग्रसेन गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल, जींद मिनी आडिटोरियम के निर्माण हेतु	कमरों का निर्माण
15		17.	21.00	सितंबर 2011	राजीव गांधी सनातन धर्म कालेज ऑफ कामर्स एण्ड साईंस, नरवाना, जींद उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटरों तथा लाईब्रेरी पुस्तकों की खरीद के लिए	लघु अवधि ऋण/देयता, स्टॉफ के वेतन इत्यादि का भुगतान करने के लिए अनुदान का उपयोग किया गया था।
16	डी.सी., कुरूक्षेत्र	18.	11.00	फरवरी 2008	संत मोहन सिंह डैंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट (एस.एम.एस.डी.सी. आर.आई.), पेहवा कालेज भवन के निर्माण के लिए	इसके पास ₹ 1.79 करोड़ (मार्च 08) का पर्याप्त शेष होने के अतिरिक्त राशि दूसरे संस्थान अथात् संत इशरज्योत डिग्री कालेज में उपयोग की गई थी क्योकि एस.एम.एस.डी.सी.आर.आई. के लिए कोई संबद्धता प्राप्त नहीं की गई थी।
17		19.	3.00	अगस्त 2008	ग्राम पंचायत असमानपुर, पेहवा श्री कृपाल सिंह के घर से किल्ला फार्म में श्री बलदेव सिंह के घर तक सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट के निर्माण के लिए	नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन में स्ट्रीट अन्य क्षेत्र, जोकि सुखदेव सिंह वाली गली है, में बनाई गई थी (नवम्बर 2008)।
18		20.	6.00	अगस्त 2010	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, थानेसर डेरा करनैल सिंह से डेरा बख्शीश सिंह तक सीमेंट कंक्रीट स्ट्रीट के निर्माण के	बख्शीश सिंह के घर के गिर्द गली आवृत करने के लिए प्रयुक्त
19		21.	4.00	अक्तूबर 2011	लिए तथा डेरा बख्शीश सिंह तक स्ट्रीट के निर्माण के लिए	
20		22.	3.00	सितंबर 2008	जोगी समाज सभा, कुरूक्षेत्र धर्मशाला में कमरों के निर्माण के लिए	गोपाल मोचन (मंदिर), बिलासपुर, यमुनानगर में।
21	डी.सी., पंचकूला	23.	11.00	फरवरी 2009	श्री गुरू रविदास भवन, सैक्टर-15, पंचकुला बेसमैंट के निर्माण के लिए	भवन की चार दिवारी के भीतर ओपन ग्राऊंड में टाईल फलोरिंग।
	कुल	**23**	**162.37**			

(स्रोतः विभाग से प्राप्त आंकड़ों से संकलित।)

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.2(बी); पृष्ठ 127)

उन मामलों के विवरण जिनमें लाभार्थियों द्वारा अनुदानों के उपयोग नहीं किए गए थे

क्र. सं.	द्वारा जारी अनुदान	अनुदानों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	निर्गम का माह	लाभार्थी का नाम तथा अनुदान का उद्देश्य	टिप्पणियां
1	डी.सी., गुड़गांव	1.	11.00	नवम्बर 2011	पवन मैमोरियल ट्रस्ट, गुड़गांव सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास तथा सिलाई मशीनों की खरीद के लिए	राशि ट्रस्ट द्वारा बैंकों में रखी गई थी तथा अभिप्रेत प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की गई थी।
2		2.	5.00	फरवरी 2012	गुड़गांव गांव रैजिडैंट वैलफेयर एसोसियेशन, गुड़गांव खेलकूद के सामान तथा सिलाई मशीनों की खरीद के लिए	राशि ट्रस्ट द्वारा बैंकों में रखी गई थी तथा अभिप्रेत प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की गई थी।
3	डी.सी., रोहतक	3.	11.00	अगस्त 2009	संत कबीर एजूकेशन इंस्टीटयूट, रोहतक संत कबीर भवन, संजय नगर, रोहतक के निर्माण के लिए	सदस्यों/मेनेजमैंट बॉडी के मध्य विवाद तथा भूमि के स्वामित्व की नान-क्लीयरैंस के कारण राशि अप्रयुक्त रही।
4		4.	21.00	मार्च 2009	गौड़ ब्राहमण विद्या प्रचारणी सभा, रोहतक स्कूल भवन के निर्माण के लिए	संस्थान द्वारा अनुदान का उपयोग नहीं किया गया था तथा अप्रयुक्त पड़ा रहा।
5		5.	5.00	अगस्त 2009	गीता भवन, कलानौर, रोहतक गीताभवन के फर्स्ट फ्लोर के निर्माण के लिए	भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि अनुदानों की सहायता से निष्पादित कार्यों की लागत अनुदानों से बाहर किए गए व्यय से मेल नहीं खा रही थी।
6	डी.सी., फरीदाबाद	6.	11.00	मार्च 2010	डा. भीमराव अंबेडकर महासंघ, सोसलसाईट, सैक्टर-3, बल्लभगढ़, फरीदाबाद भवन के निर्माण के लिए	भूमि का स्वामित्व तथा प्रबंध निकाय की सत्यता विवादित थी क्योंकि केवल ₹ पांच लाख खर्च किए गए थे तथा शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी।
7	डी.सी., पंचकूला	7.	21.00	अगस्त 2008	अंबेडकर भवन, सैक्टर 12, पंचकुला अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए	खर्च की गई राशि, यदि कोई हो, का विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि उस समय के प्रबंधन के आफिस बियरर अनुदान के लेखाओं को हैण्डल किए बिना एब्सकडिग थे तथा निर्माण कार्य बंद था।
8	डी.सी., सिरसा	8.	2.00	सितंबर 2010	खाजावेड़ा सेवा समिति ट्रस्ट, खाजावेड़ा सिरसा के लिए	भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि अनुदानों की सहायता से निष्पादित कार्यों की लागत अनुदानों से बाहर किए गए व्यय से मेल नहीं खा रही थी।
		9.	5.00	मई 2011		

क्र. सं.	द्वारा जारी अनुदान	अनुदानों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	निर्गम का माह	लाभार्थी का नाम तथा अनुदान का उद्देश्य	टिप्पणियां
9	डी.सी., यमुनानगर	10.	6.00	सितंबर 2011	ग्राम पंचायत चिकन, ब्लॉक-छछरौली बी.सी. चौपाल के निर्माण के लिए	भूमि का स्वामित्व बी.सी. चौपाल के नाम हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा चौपाल नहीं बनाई गई थी।
10		11.	11.00	जून 2008	बार एसोसिएशन जगाधरी (यमुनानगर)	₹ 30.00 लाख के चार अनुदान लाईब्रेरी पुस्तकों तथा फर्नीचर की खरीद के लिए जारी किए गए थे किंतु केवल ₹ 5.28 लाख दिसम्बर 2012 तक खर्च किए गए थे तथा ₹ 24.72 लाख की शेष राशि बैंक में सावधि जमा में रखी गई थी।
		12.	10.00	अगस्त 2009		
		13.	5.00	जून 2010		
		14.	4.00	जून 2010		
11	हरियाणा राज्य के बाहर हरियाणा सरकार के अवर सचिव (सामान्य)	15.	11.00	अगस्त 2010	ऑल इंडिया क्षत्रिय फैडरेशन हैदराबाद	राशि लाभार्थियों के पास पड़ी थी।
12		16.	21.00	जून 2009	इंडियन एक्स सर्विसिज लीग नई दिल्ली	
	कुल		**160.00**			

(स्रोतः विभाग से प्राप्त आंकड़ों से संकलित।)

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.5.2(सी); पृष्ठ 128)

उन मामलों, जिनमें बैंक खाते बंद नहीं किए गए थे, के विवरण

जिला	क्र. सं.	कार्यकारी एजेंसी का नाम तथा संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या तथा प्रकार	राशि (₹ में)	अर्जित ब्याज की राशि (₹ लाख में)	सी.ए. पर ब्याज की हानि (₹ में)
रोहतक	1	उप मंडल अधिकारी (सिविल), रोहतक	स्टेट बैंक आफ इंडिया, रोहतक	11075309420 चालू खाता	1,35,79,964		645607
	2	उप मंडल अधिकारी (सिविल), महम	स्टेट बैंक आफ पटियाला, महम	55067304811 बचत खाता	19,52,749	0.25	
	3	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कलानौर	हरियाणा ग्रामीण बैंक, कलांनौर	8390100042988 चालू खाता	36,34,974		614938
	4	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक	स्टेट बैंक आफ पटियाला, रोहतक	65039821601 बचत खाता	9,76,268	1.34	
	5	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, महम	स्टेट बैंक आफ पटियाला, महम	55067304980 बचत खाता	3,26,639	1.49	
				कुल	**2,04,70,594**		
कुरूक्षेत्र	6	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरूक्षेत्र	स्टेट बैंक आफ इंडिया, कुरूक्षेत्र	10135785231 चालू खाता	8,33,451		77697
	7	उप मंडल अधिकारी (सिविल), पेहवा	स्टेट बैंक आफ पटियाला, पेहवा	55105280912 बचत खाता	3,44,548	2.16	
	8	उप मंडल अधिकारी (सिविल), थानेसर	स्टेट बैंक आफ इंडिया, कुरूक्षेत्र	10135786449 बचत खाता	12,95,544	1.75	

जिला	क्र. सं.	कार्यकारी एजेंसी का नाम तथा संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या तथा प्रकार	राशि (₹ में)	अर्जित ब्याज की राशि (₹ लाख में)	सी.ए. पर ब्याज की हानि (₹ में)
	9	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पेहवा	एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, पेहवा	7971450002978 15 सितम्बर 2011 तक बचत खाता खुलवाना	13,67,676		
			कुरूक्षेत्र सहकारी बैंक लिमिटेड, पेहवा	202 चालू खाता	9,093		357225
			पंजाब नैशनल बैंक, पेहवा	817000143201500 नवम्बर 2011 तक तक चालू खाता खुलवाना	35,62,124		
	10	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, शाहबाद	कुरूक्षेत्र सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहबाद	200 चालू खाता	1,93,432		80788
	11	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, थानेसर	पंजाब नैशनल बैंक, थानेसर	873000110043320 बचत खाता	20,42,506	1.10	
				कुल	**96,48,374**		
यमुनानगर	12	उप मंडल अधिकारी (सिविल), जगाधरी	स्टेट बैंक आफ इंडिया, जगाधरी	10556922155 चालू खाता	6,24,621		102739
	13	उप मंडल अधिकारी (सिविल), बिलासपुर	पंजाब नैशनल बैंक, बिलासपुर	548000402425994 चालू खाता	56,768		
	14	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रादौर	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, रादौर	51872011000362 बचत खाता	2,03,967	0.04	
	15	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मुस्तफाबाद	पंजाब नैशनल बैंक, मुस्तफाबाद	6396000100015849 बचत खाता	3,04,310	0.04	
	16	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सढौरा	स्टेट बैंक आफ इंडिया, सढौरा	31695637141 बचत खाता	1,92,284	0.06	
	17	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बिलासपुर	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, बिलासपुर	14122011000107 चालू खाता	1,67,209	0.18	

जिला	क्र. सं.	कार्यकारी एजेंसी का नाम तथा संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या तथा प्रकार	राशि (₹ में)	अर्जित ब्याज की राशि (₹ लाख में)	सी.ए. पर ब्याज की हानि (₹ में)
	18	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली	यमुनानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, छछरौली	2589 बचत खाता	99,243	0.32	
			स्टेट बैंक आफ पटियाला, छछरौली	65130365867 चालू खाता	36,00,000		
			हरियाणा ग्रामीण बैंक, छछरौली	80880100063127 बचत खाता	3,80,623	0.27	
	19	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जगाधरी	सिंडिकेट बैंक जगाधरी	82862010001105 बचत खाता	91,408	0.16	
				कुल	**57,20,433**		
फरीदाबाद	20	उप मंडल अधिकारी (सिविल), फरीदाबाद	फरीदाबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद	138 बचत खाता	40,81,878	5.05	
गुड़गांव	21	उप मंडल अधिकारी (सिविल), गुड़गांव	गुड़गांव केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गुड़गांव	366 चालू खाता	56,92,769		421543
जींद	22	उप मंडल अधिकारी (सिविल), जींद	स्टेट बैंक आफ पटियाला, जींद	55083151320 बचत खाता	30,95,543	3.62	
	23	उप मंडल अधिकारी (सिविल), नरवाना	स्टेट बैंक आफ पटियाला, नरवाना	55088451828 बचत खाता	10,46,174	2.95	
	24	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उचाना	पंजाब नैशनल बैंक, उचाना	33600001000920 64 बचत खाता	5,86,697	1.26	
	25	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नरवाना	हरियाणा ग्रामीण बैंक, नरवाना	81880100000352 बचत खाता	2,99,261	1.37	
				कुल	**50,27,675**		

जिला	क्र. सं.	कार्यकारी एजेंसी का नाम तथा संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या तथा प्रकार	राशि (₹ में)	अर्जित ब्याज की राशि (₹ लाख में)	सी.ए. पर ब्याज की हानि (₹ में)
सिरसा	26	उप मंडल अधिकारी (सिविल), सिरसा	स्टेट बैंक आफ इंडिया, सिरसा	10553446224 बचत खाता	26,66,461	3.02	
	27	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, एलनाबाद	सैन्टर बैंक आफ इंडिया, एलनाबाद	2217272726 बचत खाता	48,305	0.25	
			हरियाणा ग्रामीण बैंक,	81620100044239 बचत खाता	16,062	0.07	
			हरियाणा ग्रामीण बैंक,	01-82581 बचत खाता	92,154	0.12	
	28	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रानियां	हरियाणा ग्रामीण बैंक, रानियां	6502 बचत खाता	2,08,429	0.20	
	29	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नाथूसारी चोपटा	हरियाणा ग्रामीण बैंक, नाथूसारी चोपटा	4727 बचत खाता	16,26,772	0.90	
				कुल	**46,58,183**		
पंचकूला	30	उप मंडल अधिकारी (सिविल), पंचकूला	हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड, सैक्टर-4, पंचकूला	178 बचत खाता	51,96,479	9.87	
		30 एजेंसियां		कुल	**6,04,96,385**	**37.84**	**23,00,537**

(स्रोत: विभाग से प्राप्त किए गए आंकड़े से समेकित।)

ब्याज 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिगणित किया गया।

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.6 (ए); पृष्ठ 129)

उन मामलों के विवरण जिनमें उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम	संवितरित अनुदानों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	उन अनुदानों की संख्या जिनके यू. सी. प्रस्तुत नहीं किए गए थे	उन अनुदानों की राशि जिनके यू.सी. प्रस्तुत नहीं किए गए थे (₹ करोड़ में)	उन अनुदानों की प्रतिशतता जिनके यू.सी. प्रस्तुत नहीं किए गए थे	निष्पादन अनुपात (प्रतिशतता)
अवर सचिव (सामान्य)	82	3.93	68	3.19	82.93	17.07
उपायुक्त, पंचकूला	266	8.49	263	8.41	98.87	1.13
उपायुक्त, गुड़गांव	216	4.93	203	4.36	93.98	6.02
उपायुक्त, फरीदाबाद	456	11.23	444	10.91	97.37	2.63
उपायुक्त, यमुनानगर	251	5.63	243	5.51	96.81	3.19
उपायुक्त, रोहतक	354	12.02	338	11.42	95.48	4.52
उपायुक्त, जींद	479	9.62	479	9.62	100.00	0.00
उपायुक्त, सिरसा	666	9.31	629	8.88	94.44	5.56
उपायुक्त, कुरूक्षेत्र	914	12.05	628	8.32	68.71	31.29
कुल	**3,684**	**77.21**	**3,295**	**70.62**	**89.44**	**10.56**

(स्रोत: विभाग से प्राप्त आंकड़ों से संकलित।)

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5.1; पृष्ठ 138)

पुनः जांच सर्वेक्षण के पश्चात् 60 वर्ष की आयु से कम के अपात्र लाभर्थियों तथा उन्हें प्रदत्त राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिले का नाम	60 वर्ष की आयु से कम के व्यक्तियों की संख्या	प्रदत्त राशि (₹ लाख में)	अवधि
1	अंबाला	160	25.87	जुलाई 2003-नवम्बर 2011
2	भिवानी	571	93.04	जुलाई 1994-नवम्बर 2011
3	फरीदाबाद	70	9.75	अप्रैल 2009-मार्च 2012
4	फतेहाबाद	1,154	189.13	जुलाई 2006-नवम्बर 2011
5	गुड़गांव	116	15.47	जुलाई 1999-नवम्बर 2011
6	हिसार	284	40.35	अप्रैल 2006-नवम्बर 2011
7	झज्जर	330	41.73	जुलाई 2008-नवम्बर 2011
8	जींद	1,113	140.76	नवम्बर 2004-जनवरी 2012
9	कैथल	1,479	190.99	फरवरी 1999-जनवरी 2012
10	करनाल	421	51.95	फरवरी 1999-नवम्बर 2011
11	कुरूक्षेत्र	169	24.67	अप्रैल 2008-दिसम्बर 2011
12	मेवात	2,212	243.85	जुलाई 2006-नवम्बर 2011
13	नारनौल	शून्य	शून्य	शून्य
14	पलवल	72	9.83	जुलाई 2008-नवम्बर 2011
15	पंचकूला	122	17.06	लागू नहीं
16	पानीपत	302	49.18	अप्रैल 2008-दिसम्बर 2011
17	रेवाड़ी	111	10.45	नवम्बर 2004-नवम्बर 2011
18	रोहतक	138	22.83	अप्रैल 2008-नवम्बर 2011
19	सिरसा	396	89.56	दिसम्बर 1999- अप्रैल 2012
20	सोनीपत	1,405	193.44	मार्च 2000- नवम्बर 2011
21	यमुनानगर	1,551	111.79	अप्रैल 2009- अगस्त 2011
कुल		**12,176**	**1,571.70**	

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.1; पृष्ठ 141)

छोड़े गए/वापस आए/वापस नहीं आए कैदियों की संख्या (मार्च 2012) दर्शाने वाली विवरणी

जेल का नाम	पेरोल/फर्लो पर छोड़े गए कैदियों की संख्या						देय तारीख को वापस आए कैदियों की संख्या						देय तारीख को वापस नहीं आए कैदियों की संख्या					
	2007	2008	2009	2010	2011	कुल	2007	2008	2009	2010	2011	कुल	2007	2008	2009	2010	2011	कुल
अंबाला	317	297	249	210	276	1,349	315	295	245	209	272	1,336	02	02	04	01	04	13
भिवानी	377	406	416	394	-	1,593	374	404	413	390	-	1,581	03	02	03	04	-	12
फरीदाबाद	-	-	-	178	267	445	-	-		175	262	437	-			03	05	08
गुड़गांव	506	561	669	464	485	2,685	499	557	658	455	481	2,650	07	04	11	09	04	35
हिसार	440	551	583	741	773	3,088	430	547	577	732	755	3,041	10	04	06	09	18	47
जींद	276	90	101	198	257	922	276	89	100	193	252	910	शून्य	01	01	05	05	12
कैथल	25	27	18	28	91	189	25	27	17	28	90	187	-	-	01	-	01	2
करनाल	371	742	764	920	889	3,686	360	732	725	882	855	3,554	11	10	39	38	34	132
कुरूक्षेत्र	141	111	144	151	168	715	140	110	141	151	166	708	01	01	03	-	02	7
नारनौल	169	127	176	199	230	901	169	127	176	196	228	896	-	-	-	03	02	5
रेवाड़ी	32	21	11	13	27	104	32	21	11	13	26	103	-	-	-	-	01	01
रोहतक	307	105	77	79	89	657	301	102	75	75	86	639	06	03	02	04	03	18
सिरसा	245	177	254	273	320	1,269	238	172	246	254	308	1,218	07	05	08	19	12	51
सोनीपत	191	162	92	117	132	694	188	160	91	117	129	685	03	02	01	-	03	9
यमुनानगर	-	-	34	78	87	199			33	78	86	197	-	-	01	-	01	2
कुल	**3,397**	**3,377**	**3,588**	**4,043**	**4,091**	**18,496**	**3,347**	**3,343**	**3,508**	**3,948**	**3996**	**18,142**	**50**	**34**	**80**	**95**	**95**	**354**

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.1 (ख); पृष्ठ 148)

एकत्र राशि जमा करने में विलंबों के विवरण

एकत्र राशि	संग्रहण का माह	जमा का माह	महीनों में विलंब
23,260	दिसम्बर 2010	जून 2011	6
41,244	फरवरी 2011	मई 2011	3
1,80,512	अप्रैल 2011	दिसम्बर 2011	8
2,880	मार्च 2011	जुलाई 2011	4
48,017	अगस्त 2011	अक्तूबर 2011	2
45,441	सितम्बर 2011	दिसम्बर 2011	3
55,667	जनवरी 2011	मई 2011	4
10,000	अक्तूबर 2010 से मार्च 2011	सितम्बर 2011	6 से 11
23,687	जून 2011 से जनवरी 2012	जनवरी 2012	1 से 6

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.3; पृष्ठ 151)

छः सोसाईटियों को हस्तांतरित तथा सरकारी खाते से बाहर एफ.डी.आरज/बचत बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुई निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

सोसाईटी का नाम	वर्ष	प्राप्त राशि	एफ.डी.आरज/बचत बैंक में निवेश की गई राशि
हरियाणा में शिक्षा के उच्चकरण एवं पुनरभिमुखीकरण अध्ययन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग (उत्कर्ष)	2005-06 से 2010-11	18.63	8.35
राज्य कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) स्वास्थ्य देख-भाल	2008-09 से 2010-11	19.29	3.10
हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजैंसी (एच.एस. एच.डी.ए.)	2007-08 से 2010-11	36.22	19.28
हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजैंसी (एच.ए.आर.ई.डी.ए.)	2005-06 से 2010-11	109.03*	32.16
ड्राईविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आई.डी. टी.आर.)	2008-09 से 2010-11	35.21	11.03
अशोक लेलैण्ड ड्राईवर प्रशिक्षण संस्थान सोसाईटी (एस.ए.एल.डी.टी.आई.)	2008-09 से 2010-11	10.00	1.44
कुल		**228.38**	**75.36**

* **राज्य तथा अन्य से ₹ 109.03 करोड़ की कुल निधियां थी तथापि, खजाने से ₹ 39.49 करोड़ आहरित किए गए थे।**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.3; पृष्ठ 151)

आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई/खजाने से आहरित तथा उत्कर्ष सोसाईटी के पास पृथक बैंक खाते में जमा करवाई गई राशि दर्शाने वाली विवरणी

निधियां आरंभिक रूप से द्वारा हस्तांतरित की गई थी	वापस लौटाई गई राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
आयुक्त-सह-महानिदेशक, स्कूली शिक्षा हरियाणा	19.62	चैक संख्या 333197, 979218 तथा 233178 दिनांक 26.11.2008 के अंतर्गत मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत हारट्रोन द्वारा लौटाए गए (₹ 4.45 करोड़, ₹ 13.62 करोड़ तथा ₹ 1.55 करोड़) तथा पत्र संख्या 3/13-2002/एन.पी.ई.(1) दिनांक 17.12.2008 के अंतर्गत सोसाईटी को हस्तांतरित।
	1.59	चैक संख्या 290501, दिनांक 02.03.2010 के अंतर्गत सॉफ्ट स्किल स्कीमों (प्लान) 2007-08 के अंतर्गत हारट्रोन द्वारा लौटाए गए तथा पत्र संख्या 10/09-2005/सी.ई.सी. (1) दिनांक 16.03.2010 के अंतर्गत सोसाईटी को हस्तांतरित।
	20.00	आई.सी.टी. स्कीम के अंतर्गत पत्र संख्या 03/18-2010/सी.ई.सी. (1) दिनांक 15.04.2010 के अंतर्गत हस्तांतरित डी.डी. संख्या 728467 दिनांक 12.04.2010.
	3.41	डी.डी. संख्या 393261 एवं 393262 दिनांक 24.02.2011 के अंतर्गत एन्ट्रीक्स द्वारा लौटाई गई राशि तथा पत्र संख्या एन्ट्रीक्स/फिन/10-11/ हर-139 फरवरी 11 दिनांक 24.02.2011 के अंतर्गत सोसाईटी के खाते में जमा करवाई गई।
कुल	**44.62**	

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1 (क); पृष्ठ 153)

उन मामलों, जिनमें मुफ्त यात्रा सुविधा (एफ.टी.एफ.) के अंतर्गत की गई यात्रा की अवधि के दौरान टी.ए. दावा किया गया था, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	एफ.टी.एफ. दावों की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	अवधि जिसके लिए टी.ए. दावे प्रस्तुत किए गए थे		
1.	आंनद कौशिक	10 अप्रैल 2011 से 25 अप्रैल 2011	2,00,000	12 अप्रैल 2011 से 14 अप्रैल 2011	19 अप्रैल 2011 से 21 अप्रैल 2011	
2.	अनिल विज	02 जून 2011 से 06 जून 2011	85,000	03 जून 2011 से 05 जून 2011		
		09 जून 2011 से 11 जून 2011		10 जून 2011 से 12 जून 2011		
3.	अनिता यादव	20 जून 2008 से 12 जुलाई 2008	1,20,000	21 जून 2008	23 जून 2008 से 25 जून 2008	27 जून 2008 से 29 जून 2008
		10 फरवरी 2010 से 24 फरवरी 2010	80,000	10 फरवरी 2010 से 14 फरवरी 2010		
4.	बचन सिंह आर्य	18 मई 2009 से 30 मई 2009	1,15,000	20 मई 2009 से 22 मई 2009	25 मई 2009 से 27 मई 2009	28 मई 2009 से 30 मई 2009
5.	छत्रपाल सिंह	28 जून 2006 से 15 जुलाई 2006	80,000	29 जून 2006 से 01 जुलाई 2006	04 जुलाई 2006 से 06 जुलाई 2006	10 जुलाई 2006 से 12 जुलाई 2006
				14 जुलाई 2006 से 16 जुलाई 2006		
		20 अप्रैल 2006 से 08 मई 2006	1,20,000	18 अप्रैल 2006 से 22 अप्रैल 2006	25 अप्रैल 2006 से 29 अप्रैल 2006	
6.	गीता भुक्कल	20 दिसम्बर 2007 से 06 जनवरी 2008	1,10,000	17 दिसम्बर 2007 से 20 दिसम्बर 2007	31 दिसम्बर 2007 से 03 जनवरी 2008	
7.	फूल सिंह	05 अप्रैल 2011 से 28 अप्रैल 2011	2,00,000	04 अप्रैल 2011 से 06 अप्रैल 2011	12 अप्रैल 2011 से 14 अप्रैल 2011	19 अप्रैल 2011 से 21 अप्रैल 2011
8.	राजबीर सिंह बराड़ा	04 अप्रैल 2011 से 21 अप्रैल 2011	2,00,000	04 अप्रैल 2011 से 06 अप्रैल 2011	12 अप्रैल 2011 से 14 अप्रैल 2011	19 अप्रैल 2011 से 21 अप्रैल 2011
9.	सुश्री शारधा राठोर	16 जून 2011 से 30 जून 2011	70,000	15 जून 2011 से 19 जून 2011	21 जून 2011 से 23 जून 2011	
		15 अक्तूबर 2010 से 27 अक्तूबर 2010	60,000	15 अक्तूबर 2010 से 19 अक्तूबर 2010		
10.	ईश्वर सिंह पालाका	11 जनवरी 2008 से 21 जनवरी 2008	80,000	11 जनवरी 2008	13 जनवरी 2008 से 20 जनवरी 2008	
		11 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009	1,50,000	14 अप्रैल 2009 से 16 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009 से 23 अप्रैल 2009	

क्र. सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	एफ.टी.एफ. दावों की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	अवधि जिसके लिए टी.ए. दावे प्रस्तुत किए गए थे		
11.	दुरा राम	01 जून 2006 से 10 जून 2006	80,000	05 जून 2006 से 07 जून 2006		
12.	धर्मबीर सिंह गाबा	02 अप्रैल 2006 से 10 अप्रैल 2006	80,000	02 अप्रैल 2006 से 11 अप्रैल 2006		
		09 अगस्त 2006 से 13 अगस्त 2006	70,000	05 अगस्त 2006 से 11 अगस्त 2006		
		05 दिसम्बर 2006 से 15 दिसम्बर 2006	50,000	05 दिसम्बर 2006 से 14 दिसम्बर 2006		
13.	के.एल. शर्मा	11 जुलाई 2006 से 25 जुलाई 2006	80,000	10 जुलाई 2006 से 12 जुलाई 2006	17 जुलाई 2006 से 22 जुलाई 2006	24 जुलाई 2006 से 26 जुलाई 2006
14.	डी. के. बंसल	17 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009	1,20,000	14 अप्रैल 2009 से 22 अप्रैल 2009		
		09 जून 2009 से 21 जून 2009	80,000	18 जून 2009 से 23 जून 2009		
15.	धर्मपाल सिंह मलिक	05 दिसम्बर 2006 से 15 दिसम्बर 2006	90,000	05 दिसम्बर 2006 से 07 दिसम्बर 2006	11 दिसम्बर 2006 से 13 दिसम्बर 2006	
कुल			**23,20,000**			

स्रोतः सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ के कार्यालय में अनुरक्षित टी.ए. दावो के अभिलेख से समेकित।

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1 (ख); पृष्ठ 153)

मुफ्त यात्रा सुविधा के कारण किए गए अधिक भुगतान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	11वीं विधान सभा (1 मार्च 2005 से 31 अगस्त 2009)		12वीं विधान सभा		अधिक दावा
		एफ.टी.एफ. की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	एफ.टी.एफ. की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	
1.	आंनद सिंह ढांगी	6 अप्रैल 2009 से 27 अप्रैल 2009	1,50,000	15 नवम्बर 2009 से 2 दिसम्बर 2009	1,10,000	2,00,000
		15 मई 2009 से 28 मई 2009	50,000	2 जनवरी 2010 से 20 जनवरी 2010	90,000	
2.	अनिता यादव	12 अप्रैल 2009 से 25 अप्रैल 2009	1,15,000	15 जनवरी 2010 से 28 जनवरी 2010	1,20,000	2,00,000
		27 जुलाई 2009 से 5 अगस्त 2009	85,000	10 फरवरी 2010 से 24 फरवरी 2010	80,000	
3.	कैप्टन अजय सिंह यादव	2009	50,000	11 नवम्बर 2009 से 27 नवम्बर 2009	75,000	2,00,000
		10 मई 2009 से 25 मई 2009	80,000	12 फरवरी 2010 से 14 फरवरी 2010	50,000	
		19 जुलाई 2009 से 29 जुलाई 2009	70,000	25 फरवरी 2010 से 27 फरवरी 2010	75,000	
4.	बलबीर पाल शाह	20 मई 2009 से 31 मई 2009	80,000	3 नवम्बर 2009 से 26 नवम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
		7 जून 2009 से 22 जून 2009	1,20,000			
5.	दविन्द्र कुमार बंसल	17 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009	1,20,000	7 नवम्बर 2009 से 30 नवम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
		9 जून 2009 से 21 जून 2009	80,000			
6.	धर्मबीर सिंह	15 जून 2009 से 28 जून 2009	2,00,000	3 नवम्बर 2009 से 27 नवम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
7.	राव दान सिंह	20 मई 2009 से 30 मई 2009	2,00,000	9 दिसम्बर 2009 से 27 दिसम्बर 2009	1,30,000	2,00,000
				2 फरवरी 2010 से 18 फरवरी 2010	70,000	
8.	गीता भुक्कल	6 जून 2009 से 27 जून 2009	2,00,000	20 दिसम्बर 2009 से 31 दिसम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
9.	हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा	20 मई 2009 से 5 जून 2009	1,20,000	5 नवम्बर 2009 से 17 नवम्बर 2009	1,20,000	2,00,000
		15 जून 2009 से 25 जून 2009	80,000	2 फरवरी 2010 से 14 फरवरी 2010	80,000	
10.	जगबीर सिंह मलिक	2009-10	1,27,000	9 नवम्बर 2009 से 26 नवम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
		2009-10	73,000			

क्र.सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	11वीं विधान सभा (1 मार्च 2005 से 31 अगस्त 2009)		12वीं विधान सभा		अधिक दावा
		एफ.टी.एफ. की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	एफ.टी.एफ. की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	
11.	किरण चौधरी	21 जून 2009 से 26 जून 2009	80,900	19 दिसम्बर 2009 से 22 दिसम्बर 2009 15 जनवरी 2010 से 16 जनवरी 2010 23 जनवरी 2010 से 24 जनवरी 2010	1,10,240	80,900
				4 फरवरी 2010 से 16.3.2010	89,760	
12.	महेन्द्र प्रताप सिंह	2009-10	1,25,000	2 नवम्बर 2009 से 28 नवम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
		2009-10	75,000			
13.	नरेश कुमार बदली	2009-10	1,32,000	12 दिसम्बर 2009 से 29 दिसम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
		2009-10	68,000			
14.	ओम प्रकाश चौटाला	2009-10	63,600	1 नवम्बर 2009 से 15 नवम्बर 2009	63,640	1,92,292
		2009-10	44,712	20 नवम्बर 2009 से 30 नवम्बर 2009	53,440	
		2009-10	70,260	10 जनवरी 2010 से 26 जनवरी 2010	80,020	
		2009-10	16,620	2009-10		
15.	पर्मवीर सिंह	2009-10	2,00,000	4 दिसम्बर 2009 से 23 दिसम्बर 2009	1,00,000	2,00,000
				2009-10	1,00,000	
16.	रघुबीर सिंह कादयान	2009-10	1,10,000	9 दिसम्बर 2009 से 22 दिसम्बर 2009	1,28,000	2,00,000
		2009-10	90,000	8 फरवरी 2010 से 20 फरवरी 2010	72,000	
17.	रणदीप सिंह सुर्जेवाला	2009-10	2,00,000	25 दिसम्बर 2009 से 11 जनवरी 2010	1,50,000	2,00,000
				15 फरवरी 2010 से 16 फरवरी 2010 2 फरवरी 2010 से 3 फरवरी 2010	50,000	
18.	रजिन्द्र सिंह जून	2009-10	2,00,000	2009-10	2,00,000	2,00,000
19.	राम कृष्ण फौंजी	2009-10	2,00,000	9 दिसम्बर 2009 से 31 दिसम्बर 2009	2,00,000	2,00,000
20.	राम कृष्ण गुज्जर	2009-10	1,20,000	2009-10	1,20,000	2,00,000
		2009-10	80,000	2009-10	80,000	
21.	सुभाष चन्द	2009-10	1,30,000	2009-10	1,30,000	2,00,000
		2009-10	70,000	2009-10	70,000	
22.	सवित्री जिंदल	2009-10	2,00,000	14 नवम्बर 2009 से 1 दिसम्बर 2009	2,00,000	2,00,000

क्र.सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	11वीं विधान सभा (1 मार्च 2005 से 31 अगस्त 2009)		12वीं विधान सभा		अधिक दावा
		एफ.टी.एफ. की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	एफ.टी.एफ. की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	
23.	सुमिता सिंह	2009-10	2,00,000	11 जनवरी 2010 से 28 जनवरी 2010	75,000	2,00,000
				13 जनवरी 2010	1,25,000	
24.	शारदा राठोर	2009-10	1,20,000	5 जनवरी 2010 से 19 जनवरी 2010	70,000	2,00,000
		2009-10	80,000	2009-10	1,30,000	
25.	विनोद कुमार शर्मा	2009-10	2,00,000	नवम्बर 2009 से मार्च 2010	2,00,000	2,00,000
26.	यादविन्द्र सिंह	2009-10	1,28,000	2 फरवरी 2010 से 24 फरवरी 2010	2,00,000	2,00,000
		2009-10	72,000			
कुल						**50,73,192**

(स्रोतः सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ के कार्यालय में अनुरक्षित टी.ए. दावों के अभिलेख से समेकित।)

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1 (ग); पृष्ठ 154)

वर्ष के दौरान उन्हीं पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई अनुवर्ती यात्राओं के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	पहली यात्रा की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	किस पारिवारिक सदस्य द्वारा सुविधा प्राप्त की गई थी	अनुवर्ती यात्रा की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	किस पारिवारिक सदस्य द्वारा दुबारा अनुवर्ती यात्रा की गई थी
1	आंनद सिंह ढांगी	6 अप्रैल 2009 से 27 अप्रैल 2009	1,50,000	पत्नी	15 मई 2009 से 28 मई 2009	50,000	पत्नी
2	अनिता यादव	25 अप्रैल 2006 से 6 मई 2006	84,000	बच्चे	20 मई 2006 से 7 जून 2006	1,16,000	बच्चे
3	ए.सी. चौधरी	28 जून 2006 से 4 जुलाई 2006	1,75,000	सभी	17 अगस्त 2006 से 17 अक्तूबर 2006	25,000	पत्नी
4	अमीर चन्द मक्कड़	14 मई 2006 से 28 मई 2006	1,20,000	पत्नी	21 जुलाई 2006 से 30 जुलाई 2006	80,000	पत्नी
		1 अप्रैल 2009 से 6 अप्रैल 2009	1,18,000	स्वयं	26 अप्रैल 2009 से 3 मई 2009	82,000	स्वयं
5	आजाद मोहम्मद	1 जून 2006 से 28 जून 2006	1,20,000	स्वय, पत्नी, बच्चे तथा माता-पिता	22 सितंबर 2006 से 25 सितंबर 2006	80,000	पत्नी
		5 मई 2007 से 25 मई 2007	80,000	पत्नी	1 जून 2007 से 6 जून 2007 एवं 12 जून 2007 से 25 जून 2007	1,20,000	पत्नी
		18 जून 2008 से 30 जून 2008	1,23,000	पत्नी तथा बच्चे	2 अगस्त 2008 से 14 अगस्त 2008	77,000	पत्नी तथा बच्चे
		22 मई 2009 से 7 जून 2009	1,28,000	पत्नी तथा बच्चे	22 जून 2009 to 30 जून 2009	72,000	पत्नी तथा बच्चे
6	अनिल ठक्कर	2 मई 2006 से 20 मई 2006	1,20,000	पत्नी	9 सितंबर 2006 से 22 सितंबर 2006	80,000	पत्नी
		11 अप्रैल 2007 से 27 अप्रैल 2007	1,20,000	पत्नी तथा बच्चे	1 जून 2007 से 15 जून 2007	80,000	पत्नी तथा बच्चे
		11 अप्रैल 2008 से 24 अप्रैल 2008	1,20,000	पत्नी तथा बच्चे	2 जून 2008 से 12 जून 2008	80,000	पत्नी तथा बच्चे
7	भारत सिंह	6 जून 2007 से 20 जून 2007	1,15,000	पत्नी तथा बच्चे	5 दिसम्बर 2007 से 13 दिसम्बर 2007	85,000	पत्नी
8	बलबीर पाल शाह	8 अप्रैल 2006 से 22 अप्रैल 2006	50,000	स्वयं	18 मई 2006 से 31 मई 2006	60,000	स्वयं
					17 जुलाई 2006 से 28 जुलाई 2006	60,000	स्वयं
					22 अगस्त 2006 से 31 अगस्त 2006	30,000	स्वयं
		9 मई 2007 से 24 मई 2007	70,000	सभी	2 अगस्त 2007 से 14 अगस्त 2007	70,000	स्वयं
		8 अप्रैल 2008 से 20 अप्रैल 2008	80,000	स्वयं	25 मई 2008 से 9 जून 2008	70,000	स्वयं
					9 जुलाई 2008 से 19 जुलाई 2008	50,000	स्वयं
		20 मई 2009 से 31 मई 2009	80,000	स्वयं	7 जून 2009 से 22 जून 2009	1,20,000	स्वयं

क्र.सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	पहली यात्रा की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	किस परिवारिक सदस्य द्वारा सुविधा प्राप्त की गई थी	अनुवर्ती यात्रा की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	किस परिवारिक सदस्य द्वारा दुबारा अनुवर्ती यात्रा की गई थी
9	बलवंत सिंह	2 अप्रैल 2007 से 9 अप्रैल 2007	1,20,000	स्वयं	जून 2007	80,000	स्वयं
		15 मई 2008 से 24 मई 2008	1,20,000	स्वयं	18 सितंबर 2008 से 24 सितंबर 2008	80,000	स्वयं
		1 अप्रैल 2009 से 7 अप्रैल 2009	1,00,000	स्वयं	30 अप्रैल 2009 से 3 मई 2009 एवं 11 जून 2009 से 14 जून 2009	1,00,000	स्वयं
10	भूपेन्द्र सिंह	18 मई 2007 से 24 मई 2007	1,00,000	स्वयं, पत्नी तथा बच्चे	22 दिसम्बर 2007 से 30 दिसम्बर 2007	1,00,000	स्वयं, पत्नी तथा बच्चे
11	बिरेन्द्र सिंह	10 अप्रैल 2006 से 22 अप्रैल 2006	1,20,000	पत्नी	6 जनवरी 2007 से 20 जनवरी 2007	80,000	पत्नी
		15 मई 2007 से 30 मई 2007	1,20,000	पत्नी	4 जून 2007 से 21 जून 2007	80,000	पत्नी
12	छत्तर पाल सिंह	7 मई 2007 से 29 मई 2007	1,20,000	माता - पिता	5 जुलाई 2007 से 21 जुलाई 2007	80,000	माता - पिता
		2 मई 2008 से 20 मई 2008	1,20,000	माता - पिता	5 जुलाई 2008 से 21 जुलाई 2008	80,000	पिता
		5 अप्रैल 2009 से 27 अप्रैल 2009	1,10,000	माता - पिता	17 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2009	90,000	माता - पिता
13	दविन्द्र कुमार बंसल	अप्रैल 2009	1,20,000	स्वयं तथा पत्नी	जून 2009	80,000	स्वयं तथा पत्नी
		5 अप्रैल 2006 से 28 अप्रैल 2006	1,15,000	पत्नी तथा बच्चे	5 जून 2006 से 15 जून 2006	85,000	पत्नी तथा बच्चे
		4 अप्रैल 2008 से 20 अप्रैल 2008	1,30,000	पत्नी तथा बच्चे	20 जुलाई 2008 से 30 जुलाई 2008	70,000	पत्नी
14	धर्मपाल सिंह मलिक	15 सितंबर 2007 से 29 सितंबर 2007	1,20,000	बच्चे	8 अक्तूबर 2007 से 22 अक्तूबर 2007	80,000	बच्चे
15	धर्मबीर सिंह	7 जून 2006 से 18 जून 2006	80,000	पत्नी	18 जुलाई 2006 से 30 जुलाई 2006	1,20,000	पत्नी
		12 जून 2007 से 23 जून 2007	1,20,000	पत्नी तथा बच्चे	3 अगस्त 2007 से 14 अगस्त 2007	80,000	पत्नी
		12 जुलाई 2008 से 23 जुलाई 2008	1,20,000	पत्नी तथा बच्चे	3 सितंबर 2008 से 14 सितंबर 2008	80,000	पत्नी
16	धर्मबीर गाबा	2 अप्रैल 2006 से 10 अप्रैल 2006	80,000	स्वयं	9 अगस्त 2006 से 13 अगस्त 2006	70,000	स्वयं
					दिसंबर 2006	50,000	स्वयं
		14 मई 2007 से 20 मई 2007	1,00,000	स्वयं	2 अक्तूबर 2007 से 21 अक्तूबर 2007	1,00,000	स्वयं
		9 अप्रैल 2008 से 22 अप्रैल 2008	1,20,000	स्वयं	सितंबर 2008	80,000	स्वयं
		10 जून 2009 से 15 जून 2009	1,15,000	स्वयं	28 जून 2009 से 1 जुलाई 2009	85,000	स्वयं

क्र.सं.	सदस्य का नाम श्री/सुश्री	पहली यात्रा की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	किस पारिवारिक सदस्य द्वारा सुविधा प्राप्त की गई थी	अनुवर्ती यात्रा की अवधि	दावा की गई राशि (₹ में)	किस पारिवारिक सदस्य द्वारा दुबारा अनुवर्ती यात्रा की गई थी
17	दीलू राम	10 अप्रैल 2006 से 28 अप्रैल 2006	1,20,000	पत्नी	5 जून 2006 से 17 जून 2006	80,000	पत्नी
		3 अप्रैल 2007 से 22 अप्रैल 2007	1,00,000	पत्नी	15 मई 2007 से 25 मई 2007	1,00,000	पत्नी
18	दिनेश कौशिक	21 मई 2008 से 5 जून 2008	1,40,000	स्वयं, पत्नी तथा बच्चे	19 सितंबर 2008 से 24 सितंबर 2008	60,000	स्वयं
19	एच.एस. चट्ठा	2 मई 2006 से 18 मई 2006	1,20,000	पत्नी	1 अगस्त 2006 से 10 अगस्त 2006	80,000	पत्नी
		24 अप्रैल 2007 से 25 मई 2007	1,10,000	पत्नी	9 जुलाई 2007 से 22 जुलाई 2007	90,000	पत्नी
		अप्रैल 2008	1,20,000	पत्नी	3 जून 2008 से 18 जून 2008	80,000	पत्नी
		मई 2009	1,20,000	पत्नी	जून 2009	80,000	पत्नी
20	हबीब-उर-रहमान	12 अप्रैल 2006 से 27 अप्रैल 2006	90,000	पत्नी	8 मई 2006 से 22 मई 2006	1,10,000	पत्नी
		7 मई 2007 से 22 मई 2007	1,20,000	स्वयं तथा पत्नी	12 जून 2007 से 23 जून 2007	80,000	स्वयं तथा पत्नी
		11 अप्रैल 2008 से 26 अप्रैल 2008	1,10,000	पत्नी	5 मई 2008 से 19 मई 2008	90,000	पत्नी
21	हरी राम	2 मई 2006 से 18 मई 2006	1,10,000	पत्नी	11 जुलाई 2006 से 22 जुलाई 2006	90,000	पत्नी
		18 अप्रैल 2007 से 30 अप्रैल 2007	1,10,000	पत्नी	18 जून 2007 से 28 जून 2007	90,000	पत्नी
		3 मई 2008 से 20 मई 2008	1,15,000	पत्नी	8 जून 2008 से 22 जून 2008	85,000	पत्नी
		4 अप्रैल 2009 से 18 अप्रैल 2009	1,26,000	पत्नी	17 मई 2009 से 29 मई 2009	74,000	पत्नी
22	ईश्वर सिंह पालका	11 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009	1,50,000	पत्नी तथा बच्चे	15 जून 2009 से 27 जून 2009	50,000	पत्नी तथा बच्चे
23	के.एल. शर्मा	9 अप्रैल 2007 से 24 अप्रैल 2007	90,000	पत्नी	17 जून 2007 से 27 जून 2007	40,000	पत्नी
		20 अप्रैल 2008 से 3 मई 2008	1,20,000	पत्नी	9 मई 2008 से 20 मई 2008	80,000	पत्नी
24	कुलवीर सिंह बेनीवाल	3 जून 2006 से 18 जून 2006	1,20,000	पत्नी तथा बच्चे	11 सितंबर 2006 से 26 सितंबर 2006	80,000	पत्नी तथा बच्चे
		15 मई 2007 से 20 जून 2007	1,15,000	पत्नी तथा बच्चे	20 अक्तूबर 2007 से 11 अक्तूबर 2007	85,000	पत्नी तथा बच्चे
	कुल					**47,61,000**	

स्रोतः सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ के कार्यालय में अनुरक्षित टी.ए. दावो के अभिलेख से समेकित।

परिशिष्ट 4.7
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1 (ग); पृष्ठ 154)
एक दिन में आवृत की गई औसत दूरी दर्शाने वाली विवरणी

क्र सं.	एम.एल.ए. का नाम	अवधि	यात्रा की गई दूरी	दिनों की संख्या	औसत दूरी प्रतिदिन	किया गया भुगतान
1.	अमीर चन्द मक्कड़	14 मई 2006 से 28 मई 2006	3105	15	207.00	120000
		21 जुलाई 2006 से 30 जुलाई 2006	2840	10	284.00	80000
		01 अप्रैल 2009 से 06 अप्रैल 2009	6969	6	1161.50	119000
		26 अप्रैल 2009 से 03 मई 2009	6870	8	858.75	95000
2.	आंनद सिंह दांगी	15 मई 2009 से 28 मई 2009	1691	14	120.79	50000
		15 नवम्बर 2009 से 02 दिसंबर 2009	1323	18	73.50	110000
		06 अप्रैल 2009 से 27 अप्रैल 2009	12814	22	582.45	150000
		02 जनवरी 2010 से 20 जनवरी 2010	1620	19	85.26	90000
3.	अनिल ठक्कड़	02 मई 2006 से 20 मई 2006	5678	19	298.84	120000
		09 सितंबर 2006 से 22 सितंबर 2006	4071	14	290.79	80000
		11 अप्रैल 2007 से 27 अप्रैल 2007	5798	17	341.06	120000
		01 जून 2007 से 15 जून 2007	5916	15	394.40	80000
		11 अप्रैल 2008 से 24 अप्रैल 2008	5917	14	422.64	120000
		02 जून 2008 से 12 जून 2008	4465	11	405.91	80000
4.	अनिता यादव	25 अप्रैल 2006 से 06 मई 2006	1968	12	164.00	84000
		20 मई 2006 से 07 जून 2006	3912	19	205.89	116000
		12 अप्रैल 2009 से 25 अप्रैल 2009	4155	14	296.79	115000
		27 जुलाई 2009 से 05 अगस्त 2009	3574	10	357.40	92500
		15 जनवरी 2010 से 28 जनवरी 2010	2840	14	202.86	120000
		20 जून 2008 से 12 जुलाई 2008	2409	23	104.74	120000
		10 फरवरी 2010 से 24 फरवरी 2010	2019	15	134.60	83500
5.	अजाद मोहम्मद	1 जून 2007 से 6 जून 2007 12 जून 2007 से 25 जून 2007	5932	20	296.60	125000
		18 जून 2008 से 30 जून 2008	4350	13	334.62	123000
		02 अगस्त 2008 से 14 अगस्त 2008	4189	13	322.23	82000
		22 मई 2009 से 07 जून 2009	5716	16	357.25	128000
		02 सितंबर 2006 से 25 सितंबर 2006	7269	24	302.88	80000
		05 मई 2007 से 25 मई 2007	7269	21	346.14	80000
		22 जून 2009 से 30 जून 2009	7381	9	820.11	80000
		01 जून 2006 से 28 जून 2006	7721	28	275.75	120000
6.	बलबीर पाल शाह	08 अप्रैल 2006 से 22 अप्रैल 2006	2706	15	180.40	50000
		18 मई 2006 से 31 मई 2006	4086	14	291.86	60000
		17 जुलाई 2006 से 28 जुलाई 2006	2186	12	182.17	60000
		09 मई 2007 से 24 मई 2007	2576	16	161.00	70000
		02 अगस्त 2007 से 14 अगस्त 2007	5171	13	397.77	70000
		08 अप्रैल 2008 से 20 अप्रैल 2008	4253	13	327.15	80000
		25 मई 2008 से 07 जून 2008	2292	13	176.31	70000
		09 जुलाई 2008 से 19 जुलाई 2008	2715	11	246.82	50000
		07 जून 2009 से 22 जून 2009	5429	16	339.31	120000
		03 नवम्बर 2009 से 26 नवम्बर 2009	14019	24	584.13	200000

क्र सं.	एम.एल.ए. का नाम	अवधि	यात्रा की गई दूरी	दिनों की संख्या	औसत दूरी प्रतिदिन	किया गया भुगतान
		22 अगस्त 2006 से 31 अगस्त 2006	3249	10	324.90	30000
		20 मई 2009 से 31 मई 2009	7523	12	626.92	80000
		07 जून 2009 से 22 जून 2009	5366	16	335.38	120000
7.	बलवंत सिंह	15 मई 2008 से 24 मई 2008	7786	10	778.60	120000
		18 सितंबर 2008 से 24 सितंबर 2008	6641	7	948.71	80000
		01 अप्रैल 2009 से 07 अप्रैल 2009	6563	7	937.57	100000
		02 अप्रैल 2007 से 09 अप्रैल 2007	10264	8	1283.00	120000
		30 अप्रैल 2009 से 03 मई 2009 11 जून 2009 से 14 जून 2009	13521	8	1690.13	100000
8.	भारत सिंह	06 जून 2007 से 20 जून 2007	2670	14	190.71	115000
		05 दिसंबर 2007 से 13 दिसंबर 2007	2201	9	244.56	85000
9.	भुपिन्द्र सिंह	22 दिसंबर 2007 से 30 दिसंबर 2007	3952	9	439.11	100000
		18 मई 2007 से 24 मई 2007	1871	7	267.29	100000
10.	बिरेन्द्र सिंह	10 अप्रैल 2006 से 22 अप्रैल 2006	5290	13	406.92	120000
		06 जनवरी 2007 से 20 जनवरी 2007	4424	15	294.93	80000
		15 मई 2007 से 30 मई 2007	3143	16	196.44	120000
		04 जून 2007 से 21 जून 2007	4447	18	247.06	80000
11.	डी. के. बंसल	07 नवम्बर 2009 से 30 नवम्बर 2009	8945	24	372.71	200000
		05 अप्रैल 2006 से 28 अप्रैल 2006	6325	24	263.54	115000
		05 जून 2006 से 15 जून 2006	6537	11	594.27	90000
		04 अप्रैल 2008 से 20 अप्रैल 2008	9144	17	537.88	130000
		20 जुलाई 2008 से 30 जुलाई 2008	6050	11	550.00	100000
		17 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009	3284	14	234.57	120000
		09 जून 2009 से 21 जून 2009	6743	13	518.69	120000
12.	धर्मबीर गाबा	02 अप्रैल 2006 से 10 अप्रैल 2006	3575	9	397.22	80000
		09 अगस्त 2006 से 13 अगस्त 2006	2561	5	512.20	70000
		09 अप्रैल 2008 से 22 अप्रैल 2008	3712	14	265.14	120000
		10 जून 2009 से 15 जून 2009	5095	6	849.17	115000
		09 अगस्त 2006 से 13 अगस्त 2006	2643	5	528.60	70000
		02 अक्तूबर 2007 से 21 अक्तूबर 2007	4270	19	224.74	100000
		28 जून 2009 से 01 जुलाई 2009	3146	5	629.20	85000
13.	धर्मबीर सिंह	07 जून 2006 से 18 जून 2006	3963	12	330.25	80000
		18 जुलाई 2006 से 30 जुलाई 2006	5034	13	387.23	120000
		12 जून 2007 से 23 जून 2007	4941	12	411.75	120000
		03 अगस्त 2007 से 14 अगस्त 2007	3756	12	313.00	80000
		12 जुलाई 2008 से 23 जुलाई 2008	3530	12	294.17	120000
		03 सितंबर 2008 से 14 सितंबर 2008	3750	12	312.50	80000
		14 मई 2007 से 20 मई 2007	3796	7	542.29	100000
		02 अप्रैल 2006 से 10 अप्रैल 2006	2502	9	278.00	80000
		15 जून 2009 से 28 जून 2009	5790	14	413.57	200000
		03 नवम्बर 2009 से 27 नवम्बर 2009	8274	25	330.96	200000
		05 दिसंबर 2006 से 15 दिसंबर 2006	3793	11	344.82	70000
14.	धर्मपाल सिंह मलिक	15 सितंबर 2007 से 29 सितंबर 2007	3266	15	217.73	120000
		08 अक्तूबर 2007 से 22 अक्तूबर 2007	4956	15	330.40	80000

क्र सं.	एम.एल.ए. का नाम	अवधि	यात्रा की गई दूरी	दिनों की संख्या	औसत दूरी प्रतिदिन	किया गया भुगतान
15.	दिलू राम	10 अप्रैल 2006 से 28 अप्रैल 2006	7878	19	414.63	120000
		05 जून 2006 से 17 जून 2006	3173	13	244.08	80000
		03 अप्रैल 2007 से 22 अप्रैल 2007	5389	20	269.45	100000
		15 मई 2007 से 25 मई 2007	2849	11	259.00	100000
16.	हबीब-उर-रह मान	08 मई 2006 से 22 मई 2006	4294	15	286.27	110000
		07 मई 2007 से 22 मई 2007	4026	16	251.63	120000
		12 जून 2007 से 23 जून 2007	8480	12	706.67	80000
		11 अप्रैल 2008 से 26 अप्रैल 2008	7376	16	461.00	110000
		05 मई 2008 से 19 मई 2008	7587	15	505.80	90000
		12 अप्रैल 2006 से 27 अप्रैल 2006	4288	16	267.50	90000
17.	हरी राम	02 मई 2006 से 18 मई 2006	6833	17	401.94	110000
		11 जुलाई 2006 से 22 जुलाई 2006	3979	12	331.58	90000
		18 अप्रैल 2007 से 30 अप्रैल 2007	4097	13	315.15	110000
		18 जून 2007 से 28 जून 2007	4607	11	418.82	90000
		03 मई 2008 से 20 मई 2008	5700	18	316.67	115000
		08 जून 2008 से 22 जून 2008	4760	15	317.33	85000
		04 अप्रैल 2009 से 18 अप्रैल 2009	9059	15	603.93	126000
		17 मई 2009 से 29 मई 2009	3980	13	306.15	74000
18.	मोहिन्द्र सिंह	20 मई 2009 से 05 जून 2009	4760	17	280.00	120000
		15 जून 2009 से 25 जून 2009	2985	11	271.36	80000
		02 मई 2006 से 18 मई 2006	5284	17	310.82	120000
		01 अगस्त 2006 से 10 अगस्त 2006	2918	10	291.80	80000
		24 अप्रैल 2007 से 25 मई 2007	2614	32	81.69	110000
		09 जुलाई 2007 से 22 जुलाई 2007	6144	14	438.86	90000
		03 जून 2008 से 18 जून 2008	7258	16	453.63	80000
		05 नवम्बर 2009 से 17 नवम्बर 2009	8433	13	648.69	120000
		02 फरवरी 2010 से 14 फरवरी 2010	6789	13	522.23	80000
19.	ईश्वर सिंह पालका	11 जनवरी 2008 से 21 जनवरी 2008	2522	12	210.17	80000
		11 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009	3268	20	163.40	150000
		15 जून 2009 से 27 जून 2009	3785	13	291.15	50000
20.	के. एल. शर्मा	09 अप्रैल 2007 से 24 अप्रैल 2007	3930	16	245.63	90000
		17 जून 2007 से 27 जून 2007	1672	11	152.00	40000
		20 अप्रैल 2008 से 03 मई 2008	6483	14	463.07	120000
		09 मई 2008 से 20 मई 2008	6633	12	552.75	80000
		11 जुलाई 2006 से 25 जुलाई 2006	2101	15	140.07	80000
21.	प्रो. छत्तर पाल सिंह	20 अप्रैल 2006 से 08 मई 2006	3876	19	204.00	120000
		05 जुलाई 2007 से 21 जुलाई 2007	6107	17	359.24	80000
		07 मई 2007 से 29 मई 2007	4288	23	186.43	120000
		02 मई 2008 से 20 मई 2008	5113	19	269.11	120000
		05 जुलाई 2008 से 21 जुलाई 2008	4108	17	241.65	90000
		05 अप्रैल 2009 से 27 अप्रैल 2009	4490	23	195.22	110000
		17 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2009	7295	10	729.50	90000
		28 जून 2006 से 15 जुलाई 2006	1795	18	99.72	80000

परिशिष्ट 4.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.7; पृष्ठ 164)

लीज रैंट के कारण विभिन्न पेट्रोल कंपनियों से वसूलनीय राशि दर्शाने वाले विवरण

क्र.सं.	डीलर का नाम	तारीख जिससे लीज पर दिया गया	मासिक किराया (₹ में)	अतिरिक्त बिंदुओं की संख्या	मार्च 2012 तक वसूलनीय राशि (₹ में)
1	भारत पेट्रोलियम, सैक्टर- 14 सोनीपत	26 अगस्त 1997	10,000	14	9,57,456
2	आई.ओ.सी, - सैक्टर - 2 रोहतक	6 मई 2003	15,123	3	3,59,126
3	भारत पेट्रोलियम, सैक्टर - 25, पानीपत	6 मई 2003			10,81,519
4	आई.ओ.सी, सैक्टर - 9-ए , गुड़गांव	12 अगस्त 2002	30,052	11	63,26,111
5	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, सैक्टर - 12 ए, गुड़गांव	6 अप्रैल 2004	30,075	9	55,68,871
6	सुरज आटो, सैक्टर - 15, गुड़गांव	12 फरवरी 1994	5,000	28	1,07,90,298
7	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, सैक्टर - 17, गुड़गांव	15 मार्च 1995	6,250	16	31,42,505
8	संतोष सर्विस, सैक्टर - 18, गुड़गांव	6 मई 1994	5,313	12	52,86,223
9	भारत पेट्रोलियम, सैक्टर - 22, गुड़गांव	7 दिसम्बर 2004	47,802	14	82,84,497
10	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, सैक्टर - 23-23ए, गुड़गांव	12 अगस्त 2002	27,048	13	94,86,049
11	ईण्डियन आयल कारपोरेशन सैक्टर - 37, गुड़गांव	29 मई 1995	11,928	10	12,27,331
कुल					**5,25,09,986 अर्थात् ₹ 5.25 करोड़**

परिशिष्ट 4.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3.2; पृष्ठ 170)

वाई.ए.पी. – II के अंतर्गत राज्य प्राप्ति शीर्ष में जमा की गई कम निधियों के कारण ब्याज का परिकलन

वर्ष	राज्य प्राप्ति शीर्ष में कम जमा की गई निधियां	संचित राशि	7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज की हानि (न्यूनतम खजाना बिल दर) (₹ में)	राशि (₹ में)
2005-06	38,23,500	38,23,500	38,23,500x7/100	2,67,645
2006-07	99,71,250	1,37,94,750	1,37,94,750x7/100	9,65,633
2007-08	3,18,97,150	4,56,91,900	4,56,91,900x7/100	31,98,433
2008-09	1,49,27,900	6,06,19,800	6,06,19,800x7/100	42,43,386
2009-10	10,21,550	3,70,32,250 [6,06,19,800+10,21,550- 2,46,09,100 (अप्रैल 2010 में जमा की गई राशि)]	3,70,32,250x7/100	25,92,258
2010-11	(-)2,46,09,100	3,70,32,250	3,70,32,250x8x7/12x100 (नवम्बर 2011 तक ब्याज)	17,28,172
कुल				**1,29,95,527**

परिशिष्ट 4.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3.8; पृष्ठ 183)

काटे गए तथा ठेकेदारों को लौटाए गए उपकर दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	मंडल का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्यों की संख्या	ठेकेदारों के उपकर की कटौती की तारीख	बोर्ड के पास उपकर जमा कराने की तारीख	ठेकेदार को उपकर वापस करने की तारीख	संग्रहीत एवं लौटाई गई राशि
1.	हुडा इलैक्ट्रीकल मंडल, गुड़गांव	1. मैसर्ज एरोकंफर्ट प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	1	जून 2007 से अप्रैल 2008 के मध्य	जुलाई 2007 से मई 2008	4 जुलाई 2008	1,86,395
2	हुडा मंडल संख्या 1, गुड़गांव	1. श्री एस. के. मित्तल 2. श्री दिलावर सिंह 3. श्री राजबीर सिंह 4. श्री सोहन लाल अग्रवाल 5. श्री पवन कुमार गुप्ता 6. श्री नसीब सिंह	2 4 1 1 1 2	जुलाई 2007 से अक्तूबर 2008	सितम्बर 2007 से नवम्बर 2008	जनवरी 2009 से फरवरी 2009	9,09,898
3	हुडा मंडल संख्या 6, गुड़गांव	1. मैसर्ज वाई.एफ.सी. प्रोजैक्ट (पी.) लिमिटेड	1	जुलाई 2007 से फरवरी 2009	अक्तूबर 2007 से मार्च 2009	मार्च 2009	9,58,484
4	हुडा मंडल, पानीपत	1. मैसर्ज एस.एन. नन्दी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	1	मई 2007 से मई 2008	नवम्बर 2007 से मई 2008	जून 2010	12,24,271
5	हुडा मंडल, रोहतक	1. श्री मोहन लाल मित्तल 2. श्री ओम प्रकाश जैन 3. श्री राम कुमार अहलावत 4. न्यू पंकज कोपरेटिव सोसाईटी 5. मैसर्ज ग्वार कंस्ट्रक्शनज 6. मैसर्ज कुण्डू कंस्ट्रक्शनज कं. 7. मैसर्ज ढींगरा कंस्ट्रक्शनज	1 1 4 1 1 3 2	जून 2007 से जुलाई 2008	जुलाई 2007 से अगस्त 2008	जुलाई 2008 से अक्तूबर 2008	30,82,663
कुल		**16**	**27**	**मई 2007 से फरवरी 2009**	**जुलाई 2007 से मार्च 2009**	**जुलाई 2008 से जून 2010**	**63,61,711**

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.2; पृष्ठ 190)

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	स्कीम का नाम
योजना	
1	तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण
2	एजूसैट तथा ई-टीचिंग/लर्निंग
3	तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता
(क)	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार
(ख)	दीनबंधू छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल (सोनीपत)
4	गैर सरकारी तकनीकी कालेजो तथा संस्थानों को सहायता, वाई.एम.सी.ए. फरीदाबाद का आधुनिकीकरण
5	सहायता प्राप्त पोलीटैक्नीकों का विकास
6	चौधरी देवी लाल मैमोरियल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नीवाला मोटा (सिरसा) की स्थापना
7	राज्य में नए सरकारी पोलीटैक्नीकों की स्थापना
8	राज्य कार्यक्रम में सभी पोलीटैक्नीकों में संकाय विकास
9	आंतरिक राजस्व उत्पादन स्कीम
10	सरकारी पोलीटैक्नीकों का विकास
11	कम्युनिटी कालेज एण्ड नैशनल इंस्टीटयूट फार कम्पीटैंसी एडवांसमैंट आफ टीचर्स की स्थापना
12	स्कालरशिप नार्मल प्लान
13	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
योजनेत्तर	
1	तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण
2	तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्टाफ)
3	गैर सरकारी तकनीकी कालेजो तथा संस्थानों को सहायता
4	सरकारी पोलीटैक्नीकों की निरंतरता
5	सरकारी पोलीटैक्नीकों का विकास
6	मैरिट-कम-मीन्स स्कालरशिप (स्कालरशिप तथा स्टाईपण्ड)
7	सी.आर. स्टेट कालेज आफ इंजीनियरिंग, मुरथल का उन्नयन एवं विकास
8	सरकारी पोलीटैक्नीक भवनों में एडिशन एण्ड एलट्रेशन

स्रोतः विभाग से प्राप्त डाटा।

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.5; पृष्ठ 192)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित यूनिटों की सूची

क्र.सं.	यूनिट का नाम
1	तकनीकी शिक्षा निदेशालय, पंचकूला
ग्रुप-क: सरकारी पोलीटैक्निक	
2	सरकारी पोलीटैक्निक, झज्जर
3	सरकारी पोलीटैक्निक, आदमपुर (हिसार
4	सरकारी पोलीटैक्निक महिला, फरीदाबाद
5	सरकारी पोलीटैक्निक, नीलोखेड़ी (करनाल)
ग्रुप-ख: सरकारी पोलीटैक्निक सोसाईटी	
6	चौधरी देवी लाल सरकारी पोलिटैक्नीक सोसाईटी, नाथू सारी चोपटा (सिरसा)
7	सरकारी पोलिटैक्नीक सोसाईटी, नरवाना (जींद)
8	सरकारी पोलिटैक्नीक सोसाईटी, मानेसर (गुड़गांव)
9	सरकारी पोलिटैक्नीक सोसाईटी, लोहारू (भिवानी)
ग्रुप-ग: सहायता प्राप्त संस्थान	
10	छोटू राम पोलिटैक्नीक, रोहतक
ग्रुप-घ: सहायता अनुदान	
11	चौधरी देवी लाल मैमोरियल इंजीरिनयरिंग कॉलिज, पानीवाला मोटा (सिरसा)

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.8.2; पृष्ठ 194)

बैंक खातों तथा उनमें पड़ी निधियों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	संस्थान का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते की किस्म	31 मार्च 2012 तक का बकाया (₹ करोड़ में)
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, आदमपुर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55108423063	चालू	1.74
2.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नीलोखेड़ी	पंजाब नैशनल बैंक	3269000100255818	बचत	0.73
		पंजाब नैशनल बैंक	3269000100247077	बचत	1.35
		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	00011108755030	चालू	0.43
		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	31307559289	बचत	0.69
		पी.एन.बी, चण्डीगढ़	0095000115316645	बचत	4.98
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक महिला, फरीदाबाद	केनरा बैंक	2748201000482	चालू	0.74
		केनरा बैंक	2748201000481	चालू	3.23
		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	10952752793	चालू	0.45
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक, झज्जर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55100893343	चालू	0.19
	कुल				**14.53**

स्रोतः संबंधित पोलीटैकनिको के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.8.4; पृष्ठ 196)

असमायोजित अस्थाई अग्रिमों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	असमायोजित राशि					
		2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**कुल**
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, आदम पुर	0.12	0.05	1.22	1.31	8.80	11.50
2.	सरकारी महिला पोलिटैक्नीक, फरीदाबाद	0.15	0.37	3.59	0.67	12.34	17.12
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक, झज्जर	0.82	1.70	0.93	1.64	5.80	10.89
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नीलोखेड़ी	शून्य	0.14	0.17	0.44	2.18	2.93
5.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षा सोसाईटी, लोहारू	0.21	0.18	शून्य	0.25	3.89	4.53
6.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षा सोसाईटी, मानेसर	0.21	0.52	0.68	1.21	11.25	13.87
7.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षा सोसाईटी, नाथूसारी चोपटा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.86	0.86
	कुल	**1.51**	**2.96**	**6.59**	**5.52**	**45.12**	**61.70**

स्रोत: संबंधित पोलीटैकनिको से प्राप्त समेकित डाटा।

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.8.5; पृष्ठ 197)

मार्च माह के दौरान व्यय के वेग के विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	मार्च के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	समग्र
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, आदमपुर	10	45	29	14	प्रतीक्षित	25
2.	सरकारी महिला पोलिटैक्नीक, फरीदाबाद	15	25	23	18	17	20
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक, झज्जर	28	36	16	17	9	21
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नीलोखेड़ी	54	36	29	39	17	35
5.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षा सोसाईटी, लोहारू	37	24	18	7	8	19
6.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षा सोसाईटी, मानेसर	00	26	52	11	8	24
7.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षा सोसाईटी, नरवाना	00	00	4	11	11	9
8.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षा सोसाईटी, नाथूसारी चोपटा	17	20	15	17	11	16
9.	छोटूराम पोलिटैक्नीक रोहतक	6	37	19	18	11	18
समग्र प्रतिशतता							**21**

स्रोतः संबंधित पोलीटैकनिको के अभिलेखों से संकलित।

परिशिष्ट 5.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.9.1; पृष्ठ 197)

राज्य में नए पोलिटैक्नीकों के निर्माण दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	पोलिटैक्नीक का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	पूर्णता की लक्ष्य तारीख	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	एजेंसी	जारी निधियां	व्यय	कार्य की स्थिति	मार्च 2012 को महीनों में विलंब
				(₹ करोड़ में)		(₹करोड़ में)			
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, सांगी (रोहतक)	2008	31 जुलाई 2010	25.16	पी.डब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर.)	15.10	15.10	अपूर्ण	20
2.	सरकारी पोलिटैक्नीक, लिसाना (रेवाड़ी)	2008	31 जुलाई 2010	25.16	पी.डब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर.)	20.38	15.10	अपूर्ण	20
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक, चीका (कैथल)	2008	30 जून 2010	25.72	आर.आई.टी.ई.एस. लि.	22.82	21.95	कार्य पूर्ण किया गया	-
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक, सांपला (रोहतक)	2008	30 जून 2010	25.72	आर.आई.टी.ई.एस. लि.	22.67	22.67	कार्य पूर्ण किया गया	-
5.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नरवाना (जींद)	2008	30 जून 2010	25.72	आर.आई.टी.ई.एस. लि.	24.28	24.09	कार्य पूर्ण किया गया	-
6.	सरकारी पोलिटैक्नीक, भिवानी	2008	30 मई 2011	15.25	पी.डब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर.)	5.00	5.00	अपूर्ण	10
7.	सरकारी पोलिटैक्नीक, महम (रोहतक)	2009	30 मई 2011	8.00	पी.डब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर.)	4.00	4.00	अपूर्ण	10
8.	सरकारी पोलिटैक्नीक, उमरी (कुरूक्षेत्र)	2010	30 जून 2014	8.00	आर.आई.टी.ई.एस. लि.	2.00	0.13	कार्य अभी आरंभ किया जाना है	-
9.	सरकारी पोलिटैक्नीक, जत्तल (पानीपत)	2010	30 जून 2014	8.00	आर.आई.टी.ई.एस. लि.	2.00	0.13	कार्य अभी आरंभ किया जाना है	-
10.	सरकारी पोलिटैक्नीक, ढांगर (फतेहाबाद)	2010	30 जून 2014	8.00	आर.आई.टी.ई.एस. लि.	2.00	0.13	कार्य अभी आरंभ किया जाना है	-
11.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नानकपुर (पंचकुला)	2010	30 जून 2014	8.00	आर.आई.टी.ई.एस. लि.	2.00	0.13	कार्य अभी आरंभ किया जाना है	-
12.	सरकारी पोलिटैक्नीक, शेरगढ़ (कैथल)	2012	30 मई 2013	8.00	पी.डब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर.)	0.00	0.00	कार्य अभी आरंभ किया जाना है	-
13.	सरकारी सिंचाई एवं ऊर्जा अभ्यांत्रिकी संस्थान, हथनी कुंड	2010	30 जून 2014	8.00	पी.डब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर.)	2.00	0.00	कार्य अभी आरंभ किया जाना है	-
	कुल			**198.73**		**124.25**	**108.43**		

स्रोतः विभाग के अभिलेखों से समेकित डाटा।

परिशिष्ट 5.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.9.4; पृष्ठ 199)

संकाय विकास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करवाई गई निधियों में से अतिथि अध्यापकों पर व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, आदमपुर	11.50	5.00	6.00	5.83	10.00	9.99	10.00	9.98	8.00	7.99	45.50	38.79
2.	सरकारी महिला पोलिटैक्नीक, फरीदाबाद	14.50	10.50	8.00	5.96	20.00	17.16	15.00	13.72	25.00	14.87	82.50	62.21
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक, झज्जर	26.50	22.00	14.00	18.00	25.00	24.99	20.00	20.00	20.00	20.00	105.50	104.99
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नीलोखेड़ी	28.00	24.84	33.00	35.66	10.00	10.00	20.00	20.00	15.00	12.44	106.00	102.94
	कुल	**80.50**	**62.34**	**61.00**	**65.45**	**65.00**	**62.14**	**65.00**	**63.70**	**68.00**	**55.30**	**339.50**	**308.93**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा समेकित डाटा।

परिशिष्ट 5.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.11.3; पृष्ठ 217)

संस्थानों में ट्रेड के बिना तैनात तथा लिपिकीए कार्य कर रहे शिक्षण स्टाफ के विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	कर्मचारी का नाम तथा पदनाम	संस्थान में कार्यग्रहण की तारीख	आहरित वेतन (राशि ₹ में)	कुल संस्थानवार
1.	सरकारी महिला पोलिटैक्नीक, फरीदाबाद	श्री आर.एस. रावत, वाईस प्रिंसीपल	01 अक्तूबर 2011	672183	
		श्री ज्योति प्रसाद, वाईस प्रिंसीपल	08 जून 2011	497158	
		श्री कर्म सिंह, इंस्ट्रक्टर	15 सितंबर 2009	439519	1608860
2.	सरकारी पोलिटैक्नीक, झज्जर	श्री विजय कुमार, वाईस प्रिंसीपल	01 सितंबर 2009	1014263	
		श्री श्रीनिवास, वाईस प्रिंसीपल	01 सितंबर 2009	1107390	
		श्री सतबीर सिंह, वाईस प्रिंसीपल	01 सितंबर 2009	1043931	
		श्री भगवान दास, वाईस प्रिंसीपल	01 सितंबर 2009	1043931	
		श्री सुमेर सिंह, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर	01 सितंबर 2009	790063	
		श्री सुखबीर सिंह, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर	01 सितंबर 2009	725385	5724963
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, लोहारू	श्री इंद्रपाल, वाईस प्रिंसीपल	07 अगस्त 2009	844402	
		श्री प्रवीण कुमार, वाईस प्रिंसीपल	20 अगस्त 2009	1044372	
		श्री मेहर चंद, वाईस प्रिंसीपल	04 अगस्त 2009	1075013	2963787
	कुल			**10297610**	**10297610**

स्रोत: संबंधित पोलीटैकनिकों के अभिलेखों से समेकित डाटा।

परिशिष्ट 5.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.12.2; पृष्ठ 219)

संस्थान के पास पड़ी विद्यार्थियों की असंवितरित सिक्योरिटी दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, आदमपुर	0.95	0.60	1.17	2.01	शून्य	**4.73**
2.	सरकारी महिला पोलिटैक्नीक, फरीदाबाद	0.54	0.63	0.95	1.50	4.24	**7.86**
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नीलोखेड़ी	2.51	2.87	3.29	13.60	16.04	**38.31**
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, लोहारू	0.99	1.19	0.53	1.52	शून्य	**4.23**
5.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, मानेसर	0.45	5.04	16.31	21.51	9.26	**52.57**
6.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, नाथूसारी चोपटा	0.41	0.29	0.50	1.21	शून्य	**2.41**
7.	छोटूराम पोलिटैक्नीक, रोहतक	0.34	0.60	0.33	1.53	शून्य	**2.80**
	कुल	**6.19**	**11.22**	**23.08**	**42.88**	**29.54**	**112.91**

स्रोत: संबंधित पोलीटैकनिकों के अभिलेखों से समेकित डाटा।

परिशिष्ट 5.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.12.3; पृष्ठ 219)

विद्यार्थियों द्वारा वापस न लौटाई गई पुस्कालय पुस्तकों की लागत के विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, आदमपुर	0.11	0.01	शून्य	शून्य	शून्य	**0.12**
2.	सरकारी महिला पोलिटैक्नीक, फरीदाबाद	0.13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	**0.13**
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक, झज्जर	शून्य	0.93	1.07	0.22	2.22	**4.44**
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, मानेसर	शून्य	शून्य	0.01	0.33	0.33	**0.67**
5.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, नाथूसारी चोपटा	शून्य	शून्य	0.04	0.07	शून्य	**0.11**
	कुल	**0.24**	**0.94**	**1.12**	**0.62**	**2.55**	**5.47**

स्रोत: संबंधित पोलीटैकनिकों के अभिलेखों से समेकित डाटा।

परिशिष्ट 5.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.13.2; पृष्ठ 220)

उपलब्ध तथा छात्रों को प्रदान किए गए होस्टल आवास के विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		इनटेक क्षमता	वास्तविक होस्टलरज	इनटेक क्षमता	वास्तविक होस्टलरज	इनटेक क्षमता	वास्तविक होस्टलरज	इनटेक क्षमता	वास्तविक होस्टलरज	इनटेक क्षमता	वास्तविक होस्टलरज
1.	सरकारी पोलिटैक्नीक, आदमपुर	90	80	90	78	90	87	90	77	90	56
2.	सरकारी महिला पोलिटैक्नीक, फरीदाबाद	237	367	237	435	237	253	237	258	237	186
3.	सरकारी पोलिटैक्नीक, झज्जर	410	361	410	508	410	475	410	468	410	360
4.	सरकारी पोलिटैक्नीक, नीलोखेड़ी	572	640	572	762	572	845	572	717	572	565
5.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, लोहारू	126	127	126	101	126	116	126	126	126	73
6.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, मानेसर	138	112	138	171	270	251	270	312	270	272
7.	सरकारी पोलिटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, नाथूसारी चोपटा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	108	91	280	180	280	114
8.	छोटूराम पोलिटैक्नीक, रोहतक	60	50	60	49	60	59	60	51	60	53
	कुल	**1633**	**1737**	**1633**	**2104**	**1873**	**2177**	**2045**	**2189**	**2045**	**1679**

स्रोत: संबंधित पोलीटैकनिकों के अभिलेखों से समेकित डाटा।

परिशिष्ट 5.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.15.2; पृष्ठ 225)

पोलीटैक्नीकों में असंवितरित पड़ी पाठ्य सामग्री के विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	प्राप्त सामग्री	संवितरित सामग्री	असंवितरित सामग्री
		(सैटों में)		
1	सरकारी पोलीटैक्नीक, नीलोखेड़ी	1000	370	630
2	सरकारी पोलीटैक्नीक, लोहारू	200	-	200
3	सरकारी महिला पोलीटैक्नीक, फरीदाबाद	200	-	200
4	सेठ हरबक्श लोहिया जय राम महिला पोलीटैक्नीक, लोहर माजरा कुरूक्षेत्र	210	150	60
5	सरकारी महिला पोलीटैक्नीक, सिरसा	275	88	187
6	सी.एम.आर.ए. सरकारी पोलीटैक्नीक शिक्षण सोसाईटी, सिंघी, (रोहतक)	100	-	100
7	सरकारी महिला पोलीटैक्नीक, अंबाला	477	-	477
8	स्वामी विवेका नन्द पोलीटैक्नीक कालेज सैक्टर-18, हूडा जगाधरी, यमुनानगर	610	-	610
9	मां शारदा संस्थान पोलीटैक्नीक सैक्टर-18, हूडा जगाधरी	60	19	41
10	सरकारी पोलीटैक्नीक, अंबाला शहर	525	70	455
	कुल	**3657**	**697**	**2960**

स्रोतः संबंधित पोलीटैकनिको के अभिलेखों से संकलित।

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.ए.जी.	अपर महाअधिवक्ता
ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
ए.डी.ए.	अपर जिला अटार्नी
ए.डी.सी.	अपर उपायुक्त
ए.आई.बी.पी.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ए.आई.सी.टी.ई.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
ए.आई.ई.ई.ई.	अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा
ए.पी.एस.आर.टी.सी.	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
ए.आरज	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ए.टी.एन.	कृत कार्यवाही टिप्पणी
बी. एंड आर.	भवन एवं सड़क
बी.डी.पी.ओ.	ब्लाक विकास पंचायत अधिकारी
बी.एम.एल.	भाखड़ा मेन लाईन
सी.ए.	मुख्य प्रशासक
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	मुख्य अभियंता
सी.जी.डब्ल्यू.बी.	केन्द्रीय भू-जल बोर्ड
सी.एल.यू.	भू-उपयोग का परिवर्तन
सी.पी.एस.	मुख्य संसदीय सचिव
सी.डब्ल्यू.सी.	केन्द्रीय जल आयोग
सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.	केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन
डी.सी.	उपायुक्त
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.ई.ओ.	डाटा एंट्री आपरेटर
डी.ई.टी.	डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा
डी.एफ.एस.सी.	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
डी.जी.	महानिदेशक

डी.एच.बी.वी.एन.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
डी.एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रित करने के लिए विस्तृत नोटिस
डी.पी.सी.	कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें
डी.पी.डी.	विकास एवं पंचायत विभाग
डी.आर.सी.	जिला रैड क्रास सोसायटी
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डी.आर.ओ.-कम-एल.ए.सी.	जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलैक्टर
डी.एस. एंड डी.	निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान
डी.एस.डब्ल्यू.ओ.	जिला समाज कल्याण अधिकारी
डी.टी.एच.	डायरेक्ट टू होम
डी.टी.पी.	जिला नगर आयोजना
ई.डी.सी.	बाह्य विकास प्रभार
ई.ई.	कार्यकारी अभियंता
ई.आई.सी.	प्रमुख अभियंता
ई.एम.पी.	संपदा प्रबंधन प्रक्रिया
ई.ओ.आई.	रूचि की अभिव्यक्ति
ई.ओज	संपदा कार्यालय
ई.डब्ल्यू.एस.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफ.ए.क्यू.	फेयर एवरेज क्वालिटी
एफ.सी.सी.	फोकस्ड क्रैश कोर्स
एफ.सी.आई..	भारतीय खाद्य निगम
एफ.आई.आर.	प्रथम सूचना रिपोर्ट
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.पीज	ग्राम पंचायतें
जी.आर.एस.	ग्राम रोजगार सहायक
एच.ए.आर.सी.ओ.	हरियाणा राज्य सहकारी बैंक
एच.ए.आर.आई.एस.	हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली
एच.आई.आर.एम.आई.	हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संस्थान
एच.के.बी.	हथनी कुंड बैराज

एच.पी.पी.सी.	उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.एस.बी.टी.ई.	हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड
एच.एस.एफ.सी.बी.	हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड
एच.एस.आई.आई.डी.सी.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम
एच.एस.आर.	हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. दरों की अनुसूची
एच.एस.आर.डी.सी.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड
एच.यू.डी.ए. (हुडा)	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.वी.एस.	हरियाणा विधान सभा
आई.जी.एन.ओ.यू.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आई.एम.ओ.	सिंचाई ओदशों की नियम पुस्तिका
आई.आर.सी.	भारतीय रैड क्रास सोसायटी
आई.आरज	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.एस.आर.ओ.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
जे.ई.	कनिष्ठ अभियंता
जे.एल.एन.	जवाहर लाल नेहरू
जे.एन.नूरम	जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन
एल.ए.ओ.	भूमि अधिग्रहण अधिकारी
एल.ओ.सी.	साख पत्र
एल.ओ.आई.	लैटर आफ इंटैंट
एल.ओ.	विधि अधिकारी
एल.आर.	लीगल रिमेमब्रेंसर
एल.टी.सी.	छुट्टी यात्रा रियायत
एम.ए.एफ.	मिलियन एकड़ फीट
एम.सी.	नगर पालिका/नगर निगम
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम.एच.आर.डी.	मानव संशाधन विकास मंत्रालय
एम.आई.एस.	मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली
एम.एल.ए.	विधान सभा सदस्य

एम.एल.डी.	प्रतिदिन मिलियन लीटर
एम.एम.सी.	मास्टर माइंड क्लासिज
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.ओ.आर.टी. एंड एच.	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एम.ओ.यू.	मैमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग
एम.पी.आर	मासिक प्रगति रिपोर्टें
एम.पी.डब्ल्यू.ए.	विविध लोक निर्माण अग्रिम
एम.एस.पी.	निम्नतम समर्थन मूल्य
एन.ए.बी.ए.आर.डी. (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एन.ए.आर.ई.जी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एन.सी.आर.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी एजेंसियां
एन.एच.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एन.आर.सी.डी.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
ओ.वाई.सी.पी.	एक वर्षीय कोर्स कार्यक्रम
पी.ए.एन.	स्थाई खाता संख्या
पी.एफ.आर.	पंजाब वित्तीय नियम
पी.एच.ई.डी.	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पी.एल.पी.ए.	पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम
पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	प्रोबेबिलटी प्रोपेसनेट टू साइज विद रिपलेसमैंट
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
पी.एसज	पंचायत समितियां
पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण मंडल
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)
आर.सी.सी.	रि-इनफोर्सड सीमैंट कंक्रीट
आर.सी.एस.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
आर.डी.	राजस्व जमा

आर.डी.ए.टी.	प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय
आर.एल.डी.एस.ई.	दाई देशान्तरी अनुप्रवाह तटबन्ध
आर.एम.एस.	रबि मार्केटिंग मौसम
आर.ओ.टी.	केवल टर्मिनल प्राप्ति
आर.ओ.डब्ल्यू.	रास्ते का अधिकार
एस.सी.	अनुसूचित जाति
एस.सी.एस.पी.	अनुसूचित जाति उप-योजना
एस.डी.सी.	उप मंडलीय लिपिक
एस.डी.ओ.	उप मंडलीय अधिकारी
एस.ई.	अधीक्षण अभियंता
एस.ई.जी.	राज्य रोजगार गारंटी
एस.ई.जी.सी.	राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एस.जी.आर.वाई.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एस.एच.ओज	स्टेशन हाऊस अधिकारी
एस.आई.टी.	उपग्रह पारस्परिक क्रियाशील टर्मिनल
एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.	बिना प्रतिस्थापन साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण
एस.टी.डी.आर.	विशेष अवधि जमा रसीदें
एस.टी.पी.	सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट
टी.ए.	यात्रा भत्ता
टी.सी.पी.डी.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
टी.डी.एस.	स्रोत पर काटा गया कर
टी.ई.डी.	तकनीकी शिक्षा विभाग
टी.एफ.सी.	बारहवां वित्त आयोग
टी.वाई.सी.पी.	दो वर्षीय कोर्स कार्यक्रम
यू.ई.डी.	शहरी संपदा विभाग
यू.एच.बी.वी.एन.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
उत्कर्ष	हरियाणा में ज्ञान वृद्धि एवं अध्ययन अभिमुखीकरण हेतु प्रौद्योगिकी प्रयोग

डब्ल्यू.बी.एम.	जलबद्ध मेकेडम
डब्ल्यू.जे.सी.	पश्चिमी जमुना कैनाल
वाई.ए.पी.	यमुना कार्य योजना
वाई.एम.सी.ए.	यंग मैन्ज क्रिशचन एसोसियेशन
जैड.पीज	जिला परिषदें